36वीं वार्षिक रिपोर्ट
2016-17

उत्कृष्टता और
नवीकरण के नए आयामों की ओर
उड़ान भरते हुए

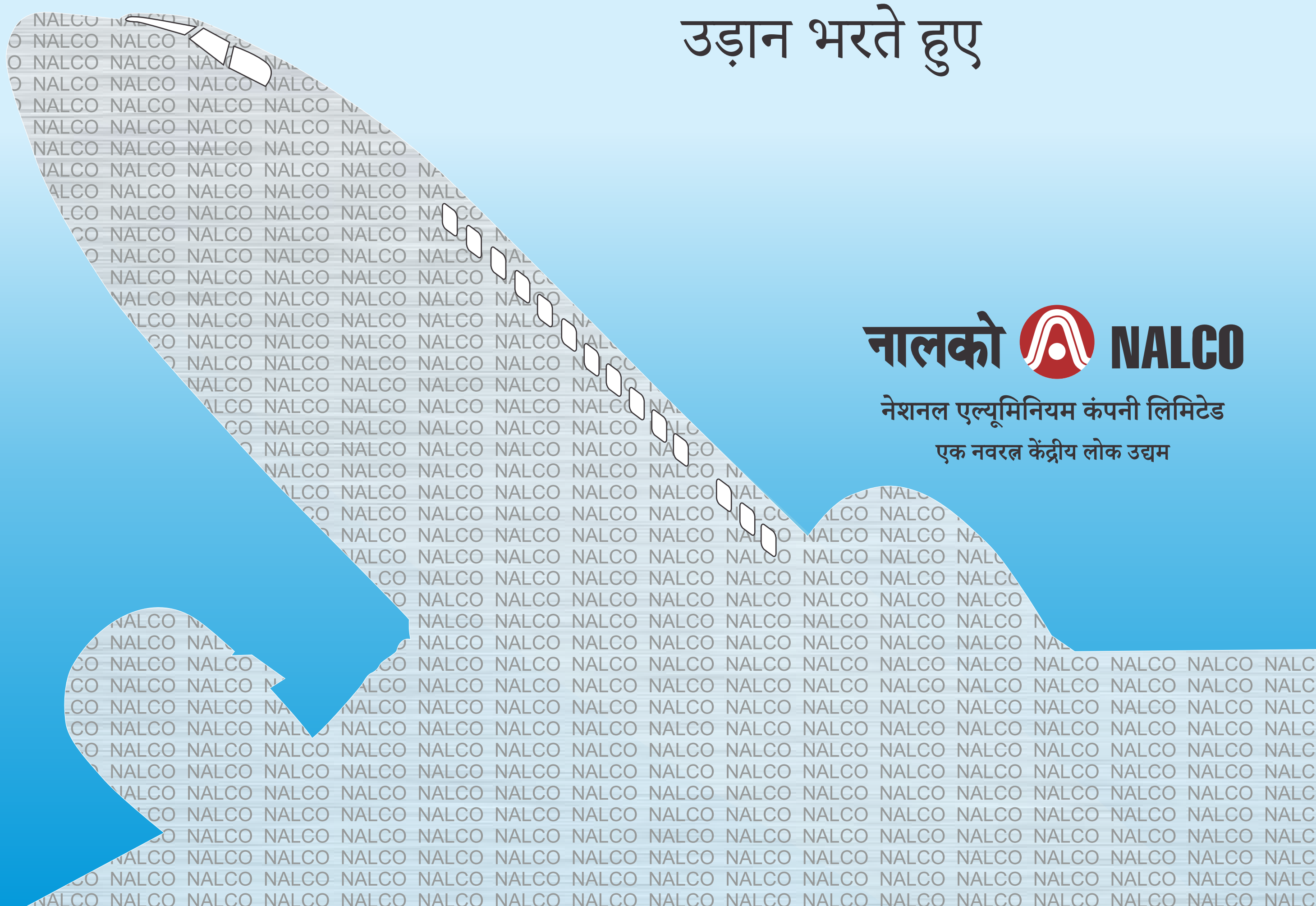

नालको NALCO

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

एक नवरत्न केंद्रीय लोक उद्यम

धातु और ऊर्जा क्षेत्रों में
एक प्रतिष्ठित वैश्विक
कम्पनी बनना

यह वर्ष एक नजर में

विवरण	एकक	2016-17
भौतिक		
बॉक्साइट	मे.ट.	68,25,000
एल्यूमिना हाईड्रेट	मे.ट.	21,00,100
एल्यूमिनियम	मे.ट.	3,87,422
विद्युत (शुद्ध)	मि.यू.	6,066
पवन ऊर्जा	मि.यू.	198
वित्तीय		
निर्यात कारोबार	₹ करोड़ में	3,625
सकल विक्रय	₹ करोड़ में	7,933
कर-पूर्व ला्भ	₹ करोड़ में	965
कर-पश्चात लाभ	₹ करोड़ में	669
प्रति शेयर आय	₹	2.98
प्रति शेयर बही मूल्य	₹	52.80
लाभांश	₹ प्रति शेयर	2.80

विषय सूची

यह वर्ष एक नजर में	1
निदेशकों की रिपोर्ट	9
नि.सा.उ. गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	21
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	24
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	36
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय पर रिपोर्ट	51
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	55
वार्षिक प्रतिफल का सार	76
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	82
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण (स्व-सक्षम)	89
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण (एकीकृत)	154
5 वर्षों के कार्य-निष्पादन पर एक नजर - भौतिक एवं वित्तीय	219
कार्यालय एवं ग्राहक संपर्क केन्द्र	222

पंजीकृत कार्यालय एवं निगमित कार्यालय
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर- 751 013, ओड़िशा
टेलीफोन. : 0674-2301989-99, फैक्स : 0674-2300677
ईमेल: company_secretary@nalcoindia.co.in
वेबसाईट : www.nalcoindia.com

36वीं वार्षिक साधारण बैठक
शनिवार, 23 सितम्बर, 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्
नालको भवन में, पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर - 751 013.

निदेशक-मण्डल

डॉ॰ तपन कुमार चान्द

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक

डॉ॰ तपन कुमार चान्द ने कम्पनी में अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक के पद पर 27.07.2015 को योगदान किया था। वे उत्कल विश्वविद्यालय से इतिहास और सार्वजनिक प्रशासन में स्नातकोत्तर हैं। वे आन्ध्र विश्वविद्यालय से विधि और कोलकाता विश्वविद्यालय से डी.एस.डब्ल्यू.(डिप्लोमा में समाज कल्याण) की स्नातक डिग्रीधारी भी हैं। उद्योग, व्यवसाय प्रबन्धन एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके उत्कृष्ट अंशदान के लिए उनको उत्कल विश्वविद्यालय का उच्चतम सम्मान "डी.लिट." प्रदान किया गया है। उनको एसोसिएशन ऑफ इण्डियन मैनेजमेंट स्कूल्स द्वारा उच्चतम प्रबंधन पुरस्कार "रवि जे मथाई नेशनल फेलोशिप एवार्ड" से भी सम्मानित किया गया है। नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट(एन॰आई॰पी॰एम॰) द्वारा मानव संसाधन प्रबन्धन के क्षेत्र में उनके विशिष्ट अंशदान के लिए उन्हें नेशनल फेलो एवार्ड से विभूषित किया गया है।

उत्कृष्ट विद्वान और अपने विद्यार्थी काल में स्वर्ण पदक प्राप्त, उन्होंने क्वीन्सलैण्ड युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, आस्ट्रेलिया में इण्टरनेशनल सेण्टर फॉर प्रोमोशन ऑफ इण्टरप्राईजेस में प्रशिक्षण लिया है। एक वृत्तिक के रूप में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्राप्त किया।

डॉ. चान्द खनन और धातु क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का प्रचुर अनुभव रखनेवाले उच्चसक्षम और अनुभवी वृत्तिक हैं, जिनमें 8 वर्ष तक कोयला और इस्पात क्षेत्र में निदेशक के रूप में कार्यकलापों की पतवार संभाले रहे हैं।

वे एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। वे भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) - ओड़िशा राज्य परिषद के अध्यक्ष भी हैं।

डॉ॰ चान्द ने 'एल्यूमिनियम-द स्ट्रेटेजिक मेटल' नामक पुस्तक लिखी है, जिसे अभियंताओं, उद्यमियों, अनुसन्धान-कर्ताओं, शिक्षाविदों एवं निगम विश्व द्वारा भारी सराहना मिली है।

श्री के. सी. सामल

निदेशक (वित्त)

श्री के.सी. सामल 03.01.2014 से कंपनी के निदेशक (वित्त) हैं। इन्स्टीच्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एक साथी सदस्य, श्री सामल के पास निगम लेखांकन, लेखापरीक्षा, कोषागार, विदेशी मुद्रा प्रबन्धन, निवेशक संबंध, बजट बनाने और नियंत्रण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ बहुविध वित्त और लेखांकन कार्यकलापों में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने वित्त विभागों के वृहद-स्तरीय कम्प्यूटरीकरण, परियोजना वित्तपोषण, विदेशी ऋण प्रबन्धन और जोखिम प्रबन्धन में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है।

वर्तमान में वे कंपनी की निगम आयोजना और रणनीतिक प्रबन्धन गतिविधियों की कमान भी संभाल रहे हैं। उनके मार्गदर्शन के अधीन कंपनी की निगम योजना (2017-2032) विकसित की गई है जिसमें अल्पावधि और दीर्घावधि रणनीतिक व्यवसाय पहल, कार्यात्मक परिवर्तन, सुधारात्मक उपायों के साथ जोखिम मूल्यांकन और सांगठनिक संरचना में व्यापक स्तरीय परिवर्तन पर गौर किया गया है।

श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्

निदेशक (उत्पादन)

श्री व्ही॰ बालसुब्रमण्यम् ने कम्पनी में निदेशक (उत्पादन) के पद पर 01.01.2015 से प्रभावी योगदान किया।

01.12.1960 को जन्मे, श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम् रसायन इंजीनियरिंग में बी.टेक. डिग्री लेने के बाद नालको में स्नातक अभियन्ता प्रशिक्षु (जीईटी) के रूप में 1984 में योग किया था। नालको के साथ जुड़ी अपने तीन दशकों की दीर्घ सेवा के दौरान, श्री बालसुब्रमण्यम् ने एल्यूमिनियम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अपनाने से लेकर समावेशन तक महत्त्वपूर्ण योगदान किया। अपन व्यापक वृत्तिक अनुभव के साथ, जो नालको के दोनों उत्पादन संकुलों में परियोजना कार्यान्वयन से प्रचालन तक जमा हुआ है, श्री बालसुब्रमण्यम् ने निदेशक (उत्पादन) के पद पर योग करने के पूर्व संगठन में अत्यन्त नाजुक और महत्वपूर्ण पदभार सम्भाले।

श्री बालसुब्रमण्यम् इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ मेटल्स (आई.आई.एम.) के आजीवन सदस्य, फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इण्डस्ट्रीज (फिमि) की प्रबंधन समिति के सदस्य और भारतीय उद्योग महासंघ (सी.आई.आई.) की ओड़िशा शाखा के ऊर्जा पैनल के सदस्य भी हैं।

श्री बसन्त कुमार ठाकुर

निदेशक (मानव संसाधन)

श्री बसन्त कुमार ठाकुर 04.07.2016 से प्रभावी कंपनी के निदेशक (मानव संसाधन) हैं।

19.12.1959 को जन्मे, श्री बसन्त कुमार ठाकुर पञ्जाब विश्वविद्यालय से इतिहास में डिग्री के साथ सामाजिक कार्यों में डिप्लोमा धारी हैं। उन्होंने भारतीय इस्पात प्राधिकरण में 1981 में अपनी आजीविका की शुरूआत की थी और नालको में निदेशक (मानव संसाधन) के पद पर योग करने

निदेशक-मण्डल

के पूर्व वे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, सालेम इस्पात संयंत्र के विभिन्न एककों में, राँची में अनुसन्धान एवं विकास केन्द्र और नई दिल्ली स्थित निगम कार्यालय में सेवारत रहे। श्री ठाकुर, भर्ती, अवधारण, संघर्ष वियोजन, प्रबंध-परिवर्तन, श्रमिक संबंध और लाभ प्रशासन सहित मानव संसाधन के विभिन्न क्षेत्रों में विशद अनुभव के साथ एक विशेषज्ञ वृत्तिक हैं। निगम संचार में उनको चार वर्षों का अनुभव है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण में, सांगठनिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्थन दिशा में व्यापक रणनीतिक योजना संचालित करने के लिए उन्होंने वरिष्ठ प्रबंधन के साथ मिलकर कार्य किया। भारतीय इस्पात प्राधिकरण में तीन दशकों के लम्बे कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन प्रणाली, नीति और प्रक्रिया विकास को अद्यतन करने, प्रशिक्षण, परामर्श, निदेशन और समस्त मानव संसाधन गतिविधियों के प्रबंधन के साथ मानव संसाधन विभाग के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री ठाकुर एन॰आई॰पी॰एम॰ के आजीवन सदस्य हैं।

श्री संजीव कुमार रॉय

निदेशक (परियोजनाएँ एवं तकनीकी)

श्री संजीव कुमार रॉय 03.02.2017 से प्रभावी, कंपनी के निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) हैं।

श्री रॉय ने कोलकाता विश्वविद्यालय से रसायन इंजीनियरिंग विषय में एम.टेक. पूरा किया। उन्होंने नालको में 1984 में एक स्नातक अभियन्ता प्रशिक्षु के रूप में अपनी आजीविका की शुरूआत की थी। वे कम्पनी के एल्यूमिना परिशोधन संकुल दामनजोड़ी में इस परियोजना आरम्भ से ही तैनात थे, जहाँ उन्होंने महाप्रबंधक (परिशोधक) बनने के पूर्व दो चरणों के विस्तार कार्यक्रम सहित अनेक प्रमुख पदभार सम्भाले। तत्पश्चात्, कार्यपालक निदेशक (प्रद्रावक एवं विद्युत) के पद पर पदोन्नत होने के पूर्व वे कंपनी के प्रद्रावक संयंत्र में महाप्रबन्धक (प्रद्रावक) के पद पर तैनात थे। श्री रॉय अप्रैल, 2015 में कार्यपालक निदेशक (उत्पादन) के पद पर मुख्यालय भुवनेश्वर में तैनात हुए।

श्री रॉय अपने साथ संकल्पना से लेकर चालू करने तक परियोजनाओं के प्रबंधन के साथ साथ कंपनी के संयंत्रों और प्रचालनों का व्यापक अनुभव लेकर आए है।

श्री सुभाष चन्द्र

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री सुभाष चन्द्र 20.10.2016 से प्रभावी, निदेशक-मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।

14 अप्रैल, 1965 को जन्मे, श्री सुभाष चन्द्र विज्ञान में मास्टर और दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री धारी हैं। वे 1988 बैच के एक भारतीय वन सेवा(आई.एफ.एस.) अधिकारी हैं। वर्तमान में वे खान मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात हैं। मंत्रालय में, नीति-प्रक्रिया, खनन क्षेत्र में विधिक सुधार, खनिज प्रखण्डों की नीलामी, जिला खनिज फाउण्डेशन और नई पहलों यथा- खनन निगरानी प्रणाली, खनन लगान प्रणाली (विकासाधीन) और खानों की सितारा श्रेणी निर्धारण आदि के साथ सक्रियता से जुड़े रहे हैं।

इसके पूर्व, वे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन-महानिरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनके पास प्रशासन, संधारणीय विकास, वनीकरण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और शहरी हरियाली से संबंधिक नीतिगत मामलों के क्षेत्र में विशद और विविधापूर्ण अनुभव है। वर्तमान में वे भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के प्रबंध-निदेशक और एच.सी.एल.के अंशकालिक सरकारी निदेशक के पदभार भी सम्भाले हुए हैं।

डॉ. एन. के. सिंह

अंशकालिक सरकारी निदेशक

डॉ॰ एन के सिंह 15.03.2017 से प्रभावी, निदेशक-मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।

डॉ॰ सिंह इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से खनन इंजीनियरिंग में बी.टेक. हैं। वे गुजरात कैडर के 1987 बैच के भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस.) से संबंध रखते हैं। वे वर्तमान में खान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

डॉ॰ सिंह के पास केन्द्रीय और राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने का प्रचुर अनुभव है। उन्होंने जिला स्तर पर वन और पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया है। उन्होंने योजना आयोग, भारत सरकार में पर्यावरण और वानिकी क्षेत्र में निदेशक स्तर के कार्यभार सम्भाले हैं। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार में भूमि संसाधन विभाग में एकीकृत जल-संभर विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यभार संभालते हुए निदेशक स्तर पर भी सेवा की है। इन्होंने गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद में प्रबंध-निदेशक के रूप में भी महत्त्वपूर्ण सेवा की है।

श्री दीपंकर महन्त

अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

श्री दीपंकर महन्त निदेशक-मंडल में 21.11.2015 से प्रभावी, अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।

12 दिसम्बर, 1965 को जन्मे, श्री दीपंकर महन्त ने गौहाटी विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. किया और लघु उद्योगों के उत्पादों के विपणन के उद्देश्य के साथ मेसर्स कोन्सोर्ट मार्केटिंग नामक एक उद्यमीय

निदेशक-मण्डल

प्रयास आरम्भ किया। तत्पश्चात्, गौहाटी स्टॉक एक्सचेञ्ज में योगदान किया और भारतीय पूँजी बाजार से संबंधित विभिन्न क्षमताओं पर सेवा की। वे पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) में अपना कार्यान्वयन कर रही तथा गुणवत्तापूर्ण सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करने उद्देश्य वाली एक कंपनी, इकोनोमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोलाबोरेटिव (इंडिया) प्रा. लि., के प्रवर्तक निदेशक थे। वे गौहाटी के निकट एल.बी. एग्रो प्राईवेट लिमिटेड के लिए एक हाथ-निर्मित कागज एकक की डिजाईन बनाने और कार्यान्वयन में सलाहकार थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स (आईटीआई) के नैदानिक अध्ययन एवं एन.ई.एच.एच.डी.सी. के लिए हस्तशिल्प उत्पादों को बेचने वाले एक मार्केट कॉम्प्लेक्स का व्यवहार्यता अध्ययन एवं डी.पी.ई.पी. के लिए भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन, नेशनल बम्बू मिशन के लिए “असम में बाँस और बाँस के उत्पादों” पर अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम के लिए “असम में ईंट क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक अध्ययन” जैसी परियोजनाओं में ये सह-परामर्शदाता भी रहे थे। इन्होंने विभिन्न क्षमताओं में एक स्वैच्छिक संगठन विवेकानंद केंद्र की भी सेवा की है और तत्पश्चात पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय सांस्कृतिक प्रलेखन एवं अनुसंधान पर एक विशिष्ट परियोजना, विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर (वीकेआईसी) के रिसर्च काउंसिल के सहयोगी निदेशक थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सीएपीएआरटी (एनईजेड) को भी इन्होंने सेवा दी थी।

वर्तमान में, ये विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं जिनमें से विवेकानन्द केन्द्र और श्रीमंत फाउंडेशन फॉर कल्चर एवं सोसाईटी प्रमुख हैं। ‘आत्मज्ञान और इसके प्रबन्धन पर शिक्षण सत्रों के लिए वे एक विषय विशेषज्ञ और प्रशिक्षक भी हैं।

श्री एस. शंकररमण

अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

श्री एस. शंकररमण दिनांक 21.11.2015 से निदेशक-मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त किए गए थे।

19 मई, 1962 को जन्मे श्री एस. शंकररमण भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) के फेलो सदस्य हैं। श्री शंकररमण पेशियों के दुर्विकास से प्रभावित रहे हैं एवं 12 वर्ष की उम्र से व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान में, ये विसक्षम एवं जरूरी सुविधाओं से वंचित लोगों की भलाई से जुड़े एक संस्थान अमर सेवा संगम के मानद सचिव हैं। विभिन्न निगमित क्षेत्रों को व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करते हुए इन्होंने वर्ष 1985 में अपने कैरियर की शुरुआत की। अपने क्षेत्र में पुनर्वासन एवं विकास केंद्र के रूप में “अपंग व्यक्तियों के लिए स्थल” की स्थापना करते हुए एवं गाँव में जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए समाज के साथ अपंग व्यक्तियों को जोड़ने के उद्देश्य से स्व-सहायी पहलों के मॉडल विकसित करते हुए अपंग व्यक्तियों कोसशक्त बनाना इनका लक्ष्य रहा है।

अपंग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए वे एक चैम्पियन हैं एवं उनका मानना है कि अपंगता कोई रोधक या बाध्यता नहीं है, बल्कि एक स्थिति है जिसे पुनर्वासन एवं समर्थता के सही मेल से सुव्यवस्थित किया जा सकता है। आधुनिकतम बुनियादी सुविधाओं एवं हर उम्र, वर्ग एवं अपंगता की हर श्रेणी में उच्च दर्जे के पुनर्वासन कार्यक्रम की सुविधा से इन्होंने अपनी प्रेरणा से अमर सेवा संगम का विकास करके एक छोटी-सी शुरुआत की जिसे आज अपंग व्यक्तियों के पुनर्वासन क्षेत्र में सक्षम नेतृत्व के मौजूदा दर्जे तक पहुँचाया है। जन समुदायों को सम्मिलित करते हुए अपंग व्यक्तियों के पुनर्वासन के लिए नवीन मॉडल को विकसित करने में ये मार्गदर्शक रहे हैं एवं इनके पास एक अति विशिष्ट गाँव आधारित पुनर्वासन पहल है जिसे देश के सबसे बेहतर मॉडल में से एक होने की स्वीकृति मिली है। वे एनजीओ क्षेत्र के व्यावसायिकीकरण में विश्वास करते हैं एवं अमर सेवा संगम के सभी कार्यों को प्रणालियों एवं पद्धतियों से कम्प्यूटरीकृत किया है। इन्होंने विसक्षम पर कानून पर राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया जिसके परिणामस्वरूप 1996 में भारतीय संसद में विसक्षम व्यक्ति अधिनियम तथा अन्य कई पारित हुए। ये विभिन्न मैराथन में हिस्सा लेते हैं, खास करके स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन में इसकी शुरुआत से ही हिस्सा ले रहे हैं एवं ऐसी गतिविधियों में अपंग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। देश भर के विभिन्न मंचों में अपंगता के अधिकारों पर इन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। गांधी ग्राम ट्रस्ट (कोषाध्यक्ष), गांधीग्राम, डिंडिगुल, मौलिक अधिकार के लिए सामूहिक कार्यवाही फाउंडेशन (मानद उपाध्यक्ष), बेंगळूरु, विसक्षम व्यक्तियों के लिए तमिलनाडु उदविक्करम एसोसिएशन (स्थापक सदस्य), चेन्नै, नेशनल इंस्टीच्यूट फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ मल्टिपल डिजेबिलिटिज (सदस्य) सहित कई गैर-लाभकारी ट्रस्ट के सदस्य एवं निदेशक-मंडल सदस्य रहे हैं और लोकोमोटर विसक्षमता को उपस्थापित करने के लिए उन्हें 5 मई 2017 को तिमिलनाडु स्टेट कमिशनरेट फॉर द डिफरेंटली एबल, चेन्नै का सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्हें नवीकरण के लिए अशोक फेलोशिप से सम्मानित किया गया और उनकी सेवाओं की मान्यता स्वरूप राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार मिले हैं, जिनमें तमिलनाटु के मुख्यमंत्री से एक राज्य पुरस्कार और भारत के राष्ट्रपति से दो बार मिले राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं।

श्री प्रभात केशरी नायक

अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

श्री प्रभात केशरी नायक को दिनांक 21.11.2015 को निदेशक-मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया था।

श्री प्रभात केशरी नायक, पेशे से सनदी लेखापाल हैं और मेसर्स पी.की. नायक एंड कं. नामक फर्म के वरिष्ठ साझेदार हैं। उनका तीन दशकों से अधिक का व्यावसायिक अभ्यास है और वे विधि में डिग्री तथा इन्फोर्मेशन सीस्टम ऑडिट (आईसीएआई) में डिप्लोमा धारी हैं। उनकी विशद वित्तीय विशेषज्ञता और अनुभव सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों तथा अनेक निगमों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों भर में विख्यात है। ये ओड़िशा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार पर एडम स्मिथ इंटरनैशनल, यूके के सलाहकार रहे हैं। इन्होंने वित्त और लेखापरीक्षा के संबंधित कई राष्ट्रीय सेमिनारों और सम्मेलनों में हिस्सा लिया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन्होंने युवा उद्यमियों और स्टार्ट-अप्स का अग्रसक्रिय रूप से

निदेशक-मण्डल

मार्गदर्शन किया है। इन्होंने सरकार के लिए लेखापरीक्षा हाथ में ली है और वृहद सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। ये बड़े पशुप्रेमी हैं और सामाजिक कार्य. में सक्रिय रुचि लेते हैं।

प्रो. दामोदर आचार्य

अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

प्रो. दामोदर आचार्य दिनांक 21.11.2015 को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में निदेशक-मंडल से जुड़े थे।.

2 अप्रैल, 1949 को जन्मे, प्रो. दामोदर आचार्य के पास एनआईटी, राउरकेला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, आईआईटी, खड़गपुर से मास्टर एवं पीएच.डी. डिग्री है। ये वर्ष 1976 में इसी संस्था में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फैकल्टी में शामिल हुए। इन्होंने संस्था की सभी जम्मिेदारियों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है,चाहे विभाग के प्रधान, अध्यक्ष जेईई, डीन (प्रायोजित रिसर्च एवं इंडस्ट्रियल कन्सल्टेंसी), कार्यपालक निदेशक एसटीईपी, विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष या निदेशक के रूप में। बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर के रूप में, इन्होंने एक सुदृढ़ टेक्निकल यूनिवर्सिटी एडुकेशन प्रणाली की बुनियाद रखी, जिसका अनुकरण अन्य लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे। इन्होंने आईआईटी,भुवनेश्वर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एवं इसके प्रथम मेन्टर डायरेक्टर (परामर्शी निदेशक) थे। ये चार वर्ष तक भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल निदेशक-मंडल में गैर-सरकारी निदेशक रहे और आरसीएफ में तीन वर्षों के लिए स्वतंत्र-निदेशक रहे।

प्रो. आचार्य छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के एक सदस्य हैं। ये इडको एवं राज्य प्रदुषण नियंत्रण निदेशक-मंडल में भी हैं एवं एसओए विश्वविद्यालय के सलाहकारी निदेशक-मंडल के अध्यक्ष भी हैं।

श्री महेश्वर साहु

अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

श्री महेश्वर साहु दिनांक 21.11.2015 को अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में निदेशक-मंडल से जुड़े थे।

श्री महेश्वर साहू ने एनआईटी, राउरकेला से वर्ष 1977 में इलेक्ट्रिकल में बी.एससी. (इंजी) की है एवं वर्ष 1994 में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से एम.एससी.की। सन् 1980 में भारतीय प्रशासन सेवा (आईएएस) से जुड़े। वर्ष 2014 में अपर मुख्य सचिव, गुजरात सरकार के रूप में सेवा निवृत्त होने से पूर्व तीन दशकों से भीअधिक समय तक विभिन्न क्षमताओं में इन्होंने भारत सरकार एवं गुजरात सरकार की सेवा की है। ये 20 वर्षों से भी अधिक समय से उद्योग में एवं 10 वर्षों से भीअधिक समय से लोक उद्यमों के प्रबंधन की सक्रिय सेवा से जुड़े रहे हैं। इन्होंने युनाइटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 3 वर्षों से अधिक समय के लिए कार्य किया। चार वाईब्रेंट गुजरात के आयोजनों में इन्होंने सक्रियता जुड़े रहकर प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभाई।

इन्होंने अनेक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निदेशक के रूप में सेवा दी है। ये कई राज्य लोक उद्यमों में अध्यक्ष/निदेशक भी थे। रणनीतिक प्रबंधन, लोक प्रशासन, निगमित अभिशासन आदि इनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में शामिल हैं।

सुश्री किरण घई सिन्हा

अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

सुश्री किरण घई सिन्हा दिनांक 03.02.2017 से निदेशक-मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक नियुक्त हुई। वे लगातार तीन कार्यकालों के लिए पटना विश्वविद्यालय की सीनेट की सदस्य हैं। ये स्टाउट एवं गाईड्स फेलोशिप, बिहार की अध्यक्ष भी हैं। वे नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार समिति की सदस्य (गैर सरकारी) हैं।

सुश्री सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से हिंदी में एम.ए. किया। ये एक एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, पटना महिला महाविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय के पद से सेवानिवृत्त हुई। सुश्री सिन्हा 2004-10 और फिर 2010-16 के दो लगातार कार्यकालों के लिए बिहार विधान परिषद (बीएलसी) की सदस्य भी रहीं। एम.एल.सी. के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें गृह की तीन समितियों की अध्यक्षता का सुअवसर मिला, यथा- शहरी विकास समिति, राजभाषा समिति एवं बाल परिरक्षण व महिला सशक्तीकरण समिति। ये स्थानीय मंडल (पूर्वांचल), रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (2001-2004) की सदस्य और दो कार्यकालों के लिए प्रबंध निदेशक मंडल, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार की भी सदस्य रहीं। वे 48वें और 50वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में गैर-फीचर फिल्म संवर्ग में और फीचर फिल्म संवर्ग में निर्णायक-मंडल की सदस्य भी रहीं। संयुक्त राष्ट्र, यू॰एस॰ए॰ (2007) में आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन के राज्य प्रतिनिधि-मंडल में वे एक सदस्य थीं।

कार्यपालक निदेशकगण

श्री एस. के. दाश
का.नि. (व्या.वि. एवं अनु. व वि.)

श्री आर.के. मिश्र
का.नि. (प्रद्रावक एवं विद्युत)

श्री ए. एस. अहलुवालिया
का.नि.(निगम मामले)

श्री एस. आचार्य
का.नि. (उत्पादन)

श्री एस. डी. साहु
का.नि. (वित्त)

श्री ए. के. पात्र
का.नि. (सामग्री) प्रभारी

श्री डी. के. महान्ति
का.नि.(खान. व परि.) प्रभारी

श्री बी.आर. सामल
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री एन. के. महान्ति
कंपनी सचिव

पंचमटमाली बॉक्साइट खान के दक्षिणी प्रखण्ड में खनन प्रचालन आरम्भ

बॉक्साइट
('000 मे.ट. में)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	**2016-17**
5419	6293	5739	6340	**6825**

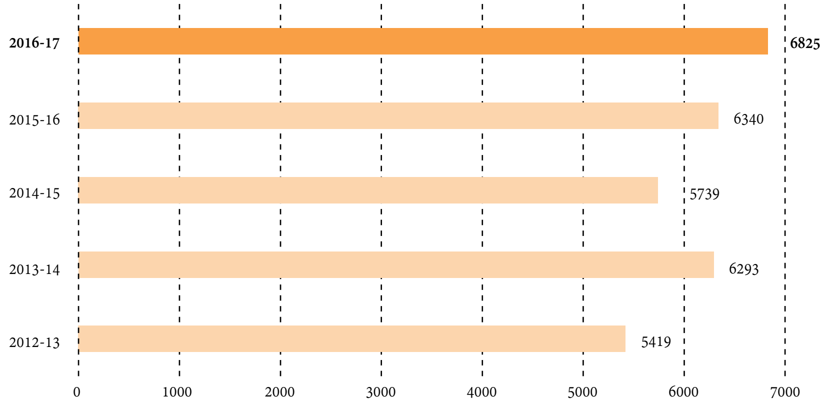

एल्यूमिना हाईड्रेट
('000 मे.ट. में)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1802	1925	1851	1953	2100

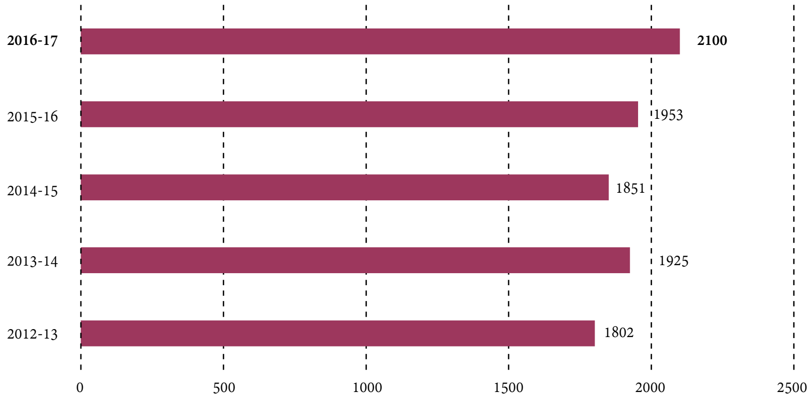

एल्यूमिनियम
('000 मे.ट. में)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	**2016-17**
403	316	327	372	**387**

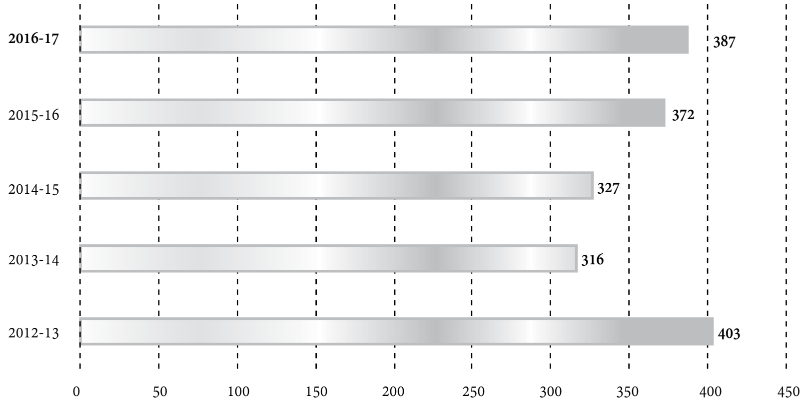

विद्युत सृजन
('000 मि.यू. में)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
6076	4989	5131	5841	6066

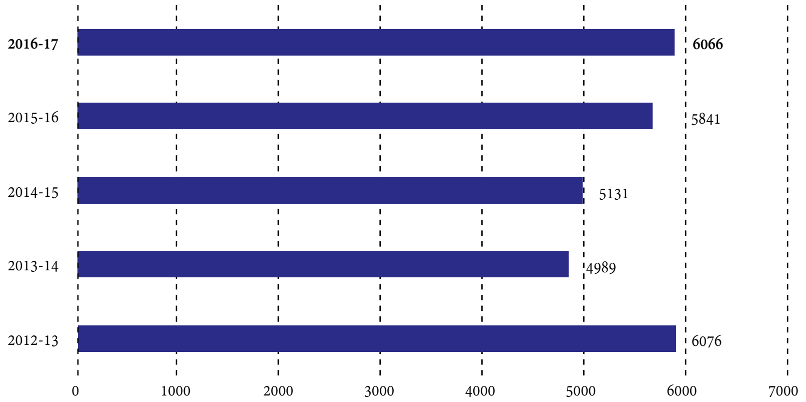

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ आपकी कंपनी की 36वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करते हुए आपके निदेशकगणों को बहुत प्रसन्नता हो रही है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बाजार में मंदी की स्थिति के बाबजूद, आपकी कंपनी ने रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जो नीचे विस्तार से वर्णित हैं:

कार्य-निष्पादन के प्रमुख अंश

भौतिक कार्य-निष्पादन

उत्पादन	एकक	2016-17	2015-16
बॉक्साइट	मे.ट.	68,25,000	63,40,142
एल्यूमिना हाईड्रेट	मे.ट.	21,00,100	19,53,000
एल्यूमिनियम	मे.ट.	3,87,422	3,72,183
विद्युत (शुद्ध)-ग्र॰वि॰सं॰	मि॰यू॰	6,066	5,841
पवन ऊर्जा	मि॰यू॰	206	156

- बॉक्साइट खान ने (100% क्षमता उपयोग उपलब्ध करते हुए) 68.25 लाख मे॰ट॰ बॉक्साइट का परिवहन करके अबतक का सर्वोच्च उत्पादन उपलब्ध किया, और पिछले वित्त वर्ष में उपलब्ध 63.40 लाख मे॰ट॰ के पिछले श्रेष्ठ पार करके 7.65% की वृद्धि दर्ज की। वर्ष के दौरान 68.25 लाख मे॰ट॰ का बॉक्साइट उत्खनन भी आरम्भ से अबतक का उच्चतम हुआ है, जो 2015-16 में उपलब्ध 62.89 लाख मे॰ट॰ के पिछले श्रेष्ठ को पार कर गया है।
- एल्यूमिना परिशोधक ने 21.00 लाख मे॰ट॰ (मानक क्षमता का 100%) का अब तक का उच्चतम एल्यूमिना हाईड्रेट उत्पादन उपलब्ध किया और पिछले वित्तवर्ष में उपलब्ध 19.53 लाख मे॰ट॰ के पिछले श्रेष्ठ को पार करके 7.53% वृद्धि दर्ज की। वाष्प सृजन संयंत्र (एसजीपी) 453 मि॰यू॰ का शुद्ध विद्युत सृजन करके अबतक का सर्वोच्च सृजन उपलब्ध किया और पिछले वर्ष में उपलब्ध 438 मि॰यू॰ के पिछले श्रेष्ठ को पार किया।
- एल्यूमिनियम प्रद्रावक ने 3.87 लाख मे॰ट॰ ढली धातु उत्पादन करके पिछले वर्ष से 4.03% की वृद्धि दर्ज की।
- ग्र॰वि॰सं॰ ने 6,066 मि॰यू॰ का 'शुद्ध विद्युत सृजन' उपलब्ध करके पिछले वर्ष पर 3.85% की वृद्धि दर्ज की।
- पवन विद्युत: गण्डीकोटा, आन्ध्र प्रदेश, देवीकोट, राजस्थान एवं जैसलमेर, राजस्थान में स्थित 3 पवन ऊर्जा एककों से 206 मि॰यू॰ विद्युत सृजन हुआ है, जिससे पिछले वर्ष में उपलब्ध 156 मि.यू. से 32.05% की वृद्धि दर्ज हुई है।

बिक्री कार्य-निष्पादन

रसायन

कम्पनी ने 2015-16 के दौरान उपलब्ध 12,19,926 मे॰ट॰ की तुलना में, 2016-17 में 12,94,900 मे॰ट॰ की कुल रसायन बिक्री उपलब्ध की। इसमें 2015-16 के दौरान हुए 11,74,224 लाख मे॰ट॰ निस्तप्त एल्यूमिना के निर्यात की तुलना में 2016-17 के दौरान किया गया 12,43,103 मे॰ट॰ का निर्यात शामिल है।

धातु

2016-17 के दौरान 3,85,518 मे॰ट॰ की कुल धातु बिक्री हुई, जबकि 2015-16 के दौरान 3,72,424 मे॰ट॰ की कुल धातु बिक्री हुई थी। कुल धातु बिक्री में 2,84,926 मे॰ट॰ की देशीय बिक्री और लगभग 1,00,591 मे॰ट॰ का धातु निर्यात शामिल है। वित्त वर्ष 2016-17 के अन्त में कुल धातु माल-भंडार लगभग 3,092 मे॰ट॰ का था।

बिक्री का विस्तृत विभाजन निम्नवत् है:

विवरण	एकक	31.03.2017. को समाप्त वर्ष	31.03.2016. को समाप्त वर्ष
निर्यात			
एल्यूमिना	मे.ट.	12,43,103	11,74,224
एल्यूमिनियम	मे.ट.	1,00,591	94,671
देशीय			
एल्यूमिना एवं हाईड्रेट	मे.ट.	51,797	45,702
एल्यूमिनियम	मे.ट.	2,84,926	2,77,753
कुल धातु बिक्री	मे.ट.	3,85,518	3,72,424
कुल रसायन बिक्री	मे.ट.	12,94,900	12,19,926

2,84,926 मे॰ट॰ की कुल देशीय धातु बिक्री में से 1,89,416 मे॰ट॰ की बिक्री प्रद्रावक संयंत्र अनुगुळ से हुई और 95,510 मे॰ट॰ की बिक्री कोलकाता बद्दी, जयपुर, फरीदाबाद, भिवण्डि, सिलवासा, बेंगळूरु, चेन्नै, विशाखापत्तनम्, वड़ोदरा और दिल्ली में अवस्थित ग्यारह स्टॉकयार्डो से हुई।

वित्तीय कार्य-निष्पादन (करोड़ ₹ में)

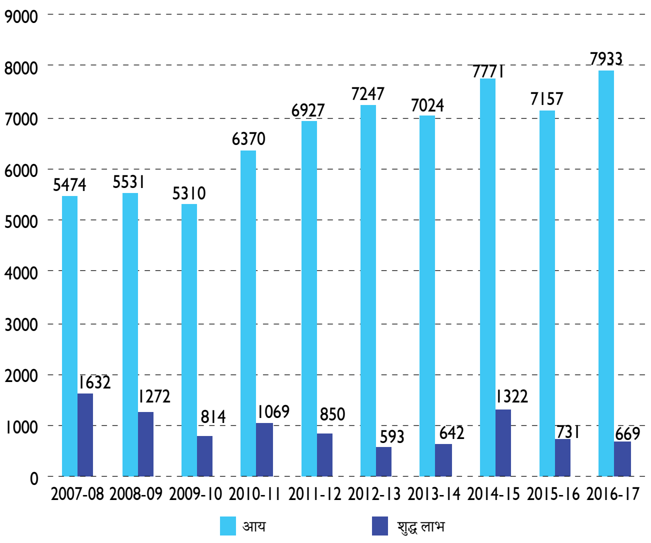

वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्तीय कार्य-निष्पादन के विवरण नीचे दिए गए हैं: (करोड़ ₹ में)

विवरण	2016-17	2015-16
प्रचालनों से राजस्व (सकल)	8,050	7,269
अन्य आय	408	605
कुल आय	8,458	7,874
खपत हुई सामग्री की लागत	1,182	1,104
विद्युत और ईंधन	2,213	1,865
कर्मचारी परिलाभ व्यय	1,537	1,398
अन्य व्यय	2,041	1,946
मूल्यह्रास और ऋणशोधन व्यय	480	426
कुल व्यय	7,453	6,739
विशिष्ट मदों के पूर्व लाभ	1,005	1,135
जोड़/(घटाव):विशिष्ट मद	(40)	54
कर-पूर्व लाभ	965	1,189
कर व्यय	296	402
कर-पश्चात् लाभ	669	787

टिप्पणी: पिछले वर्ष को आँकड़ों का फिर से हिसाब इंड ए.एस. के अनुपालन में किया गया है।

भविष्य के लिए दृष्टिकोण

धातु और खनन उद्योग को चीन में हुई मन्दी के आघात को सहना पड़ा है (2013 से 2016)। चीन में हुई मन्दी के परिणामस्वरूप भूमण्डलीय रूप से क्षमता के लटकाव होने से उत्पादन धीमा करना पड़ा और कम मूल्य के दौर हेतु दबाव पड़ा। एल्यूमिनियम के मामले में, निरन्तर आपूर्ति में लटकाव, चीनी एल्यूमिनियम पर बढ़ते निर्यात प्रतिबंध और चीन में बढ़ते प्रदूषण नियन्त्रण प्रतिबंध आदि कारकों के परिणामस्वरूप चीन में कुछ संयंत्रों की क्षमता बन्द करनी पड़ी। इसके परिणाम से भूमण्डलीय बाजार में मांग आपूर्ति में कमी हुई।

लेकिन, भारत को भूमण्डलीय बड़े प्रवाहों से लाभ होने की संभावना है, क्योंकि प्रौद्योगिकी अपनाने, जलवायु और नियामक परिवर्तनों, आनुषंगिक सुविधाओं के निर्माण, आर्थिक शक्ति में बदलाव, जनसांख्यिकीय बदलाव और शहरीकरण से देशीय मांग में बढ़ोतरी होगी। स्वचालित वाहन, भवन निर्माण और निर्माण क्षेत्र, रेलवेज, सफेद वस्तुओं और सौर विद्युत आदि में इस धातु के बढ़ते उपयोग से देशीय बाजार में मांग बढ़ सकती है। यह आशा की जाती है कि एल्यूमिनियम और एल्यूमिना दोनों के मूल्य अगले पाँच से सात वर्षों में श्रेणीबद्ध रहेंगे, क्योंकि विशेषकर यू॰एस॰ए॰ और ई.यू. में कुछ उत्पादक उत्पादन फिर से शुरू कर सकते हैं।

लाभांश और विनियोजन

एक लाभांश वितरण नीति निरूपित की गई और निदेशक-मण्डल के द्वारा अनुमोदित की गई और यह है उपलब्ध में यह कम्पनी के वेबसाइट www.nalcoindia.com **पर उपलब्ध है।**

लाभांश भुगतान

आपकी कम्पनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए ₹2.80 प्रति शेयर के लाभांश का भुगतान किया। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कुल ₹541.22 करोड़ का लाभांश भुगतान हुआ, जबकि पिछले वर्ष ₹467.13 करोड़ (₹2.00 प्रति शेयर) का लाभांश भुगतान हुआ था। लाभांश वितरण टैक्स सहित लाभांश भुगतान कर पश्चात लाभ का 97.44% होता है।

निवल संपत्ति (करोड़ ₹ में)

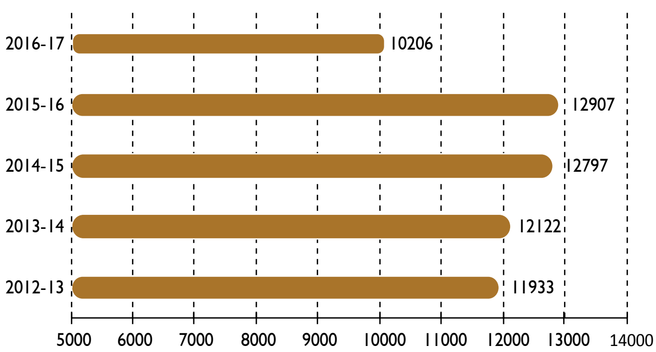

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए यह प्रस्तावित है कि साधारण आरक्षित में कोई राशि अंतरित नहीं की जाए।

वर्ष 2016-17 के लिए लाभांश की घोषणा डीआईपीएएम मार्गनिर्देश के अनुसार की गई।

समझौता ज्ञापन कार्य-निष्पादन

वित्तीय कार्य-निष्पादन और अन्य निर्धारित मानदंडों की उपलब्धियों के आधार पर, आपकी कम्पनी को वित्त वर्ष 2016-17 के लिए भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार , "उत्कृष्ट" दर्जा दिए जाने कीआशा है।

2017-18 के लिए मंत्रालय के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर

कच्चे माल प्रतिभूतिकरण

- कोयला मंत्रालय द्वारा मई, 2016 में उत्कल डी और ई कोयला प्रखण्ड नालको को आबंटित किए गए।
- ओड़िशा सरकार से जुलाई, 2016 में पोट्टांगी बॉक्साइट खान के पट्टे के लिए खनन पट्टे की संस्वीकृति के लिए शर्तों के सन्दर्भ प्राप्त हुए। अगस्त, 2016 में नालको ने शर्तों की स्वीकृति जमा कर दी थी।
- 8.9 लाख मि.टन प्रतिवर्ष तक कोयले का ब्रिज लिंकेज संस्वीकृत हुआ, जो 2016-17 से 2018-19 तक वैध है।
- परिशोधक के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए जी-8 ग्रेड कोयला लिंकेज (2 लाख मे.ट.प्र.व.) मेसर्स एनसीएल के साथ बुक किया गया जो लिंकेज नीलामी के माध्यम से प्राप्त होनेवाले 2.73 लाख मे.ट.प्र.व. के जी-12 व जी-13 ग्रेड कोयले के बराबर है।
- ओड़िशा सरकार द्वारा पंचपटमाली बॉक्साइट खान (केन्द्रीय एवं उत्तरी ब्लॉक) के खनन पट्टे को निर्वतमान 31.03.2020 से 16.11.2032 तक विस्तार किया गया।
- दक्षिण ब्लॉक, पंचपटमाली बॉक्साइट खान को चालू करने के लिए सभी नियामक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली गईं।

कार्यान्वयन अन्तर्गत परियोजनाएँ

एल्यूमिना परिशोधक की 5वीं धारा

आपकी कम्पनी ₹5,540 करोड़ के पूँजी व्यय से अपने निर्वतमान एल्यूमिना परिशोधक में 5वीँ धारा की स्थापना की प्रक्रिया में है, जिससे 2.275 मे.ट.प्र.व. की निर्वतमान क्षमता में 1.0 मे.ट.प्र.व. की क्षमता जुड़ेगी, जो मेसर्स आरटीएआईएल (रियो टिंटो अल्कान इंटरनेशनल लिमिटेड) की मध्यम दबाव पाचन की उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा।

आपकी कम्पनी ने पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय अनुमति और ओड़िशा राज्य प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) जैसी प्रमुख सांविधिक पारितियाँ प्राप्त कर ली हैं। थाईसेंक्रप्प इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स (इंडिया) प्राईवेट लि. को इस परियोजना के लिए ई.पी.सी.एम. सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

पोट्टांगी बॉक्साइट खान

भारत सरकार द्वारा पोट्टांगी बॉक्साइट खान (75 मिलियन टन) आपकी कम्पनी के पक्ष में आरक्षित की जा चुकी है। ओड़िशा सरकार ने जुलाई, 2016 में नालको के पक्ष में खनन पट्टा जारी करने के लिए नियम एवं शर्तें जारी कीं और आपकी कम्पनी ने अगस्त, 2016 में ओड़िशा सरकार को इनकी स्वीकृति दे दी। खनन पट्टे प्राप्त करने के लिए विभिन्न शर्तों का अनुपालन हेतु गतिविधियाँ हाथ में ली गई हैं।

उत्कल डी एवं ई कोयला प्रखण्ड

भारत सरकार द्वारा मई, 2016 में आपकी कम्पनी के पक्ष में उत्कल डी एवं ई कोयला प्रखण्ड (200 मिलियन टन) आबंटित किए। आपकी कम्पनी उत्कल डी के पूर्व आबंटिती से भूमि के अंतरण और अन्य सांविधिक पारितियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। उत्कल डी एवं ई कोयला प्रखण्डों के लिए पर्यावरणीय पारिती के लिए आवेदन पर पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शर्तों के संदर्भ (टीओआर)जारी किए गए। उत्कल-डी एवं ई के लिए खनन योजना कोयला मंत्रालय के अनुमोदनार्थ जमा की गई।

100 मेगावाट पवन विद्युत परियोजनाएँ

आपकी कम्पनी ने ₹ 669 करोड़ के पूँजी व्यय से क्रमशः राजस्थान व महाराष्ट्र राज्य में 50 मेगावाट एवं 50.4 मेगावाट क्षमता के अपने पवन विद्युत संयंत्र चालू किए।

एल्यूमिना परिशोधक, दामनजोड़ी में धारा # 1, 2 व 3 में समतल निचली टंकी को एचआरडी-जीसीडब्ल्यू में पुनःसंयोजन परिवर्तन

आपकी कम्पनी अपनी निर्वतमान एल्यूमिना परिशोधक में प्रचालन कुशलता को सुधारने के लिए ₹ 355 करोड़ की अनुमानित लागत से धारा # 1, 2 व 3 में समतल निचली टंकी को एचआरडी-जीसीडब्ल्यू में पुनःसंयोजन परिवर्तन करने जा रही है। प्रौद्योगिकी लाईसैंस प्रदाता के रूप में मेसर्स आर.टी.ए.आई.एल. को कार्यादेश जारी किया गया है। मेसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को परियोजना के लिए पी.एम.सी. (परियोजना प्रबन्धन सलाहकार) नियुक्त किया गया है।

छत पर सौर विद्युत परियोजना

आपकी कम्पनी ने ₹ 37.30 लाख की कुल परियोजना लागत से एन.आर.टी.सी. (नालको अनुसन्धान और प्रौद्योगिकी केन्द्र), भुवनेश्वर, में नवम्बर, 2016 में 50 किलोवाट-पिक क्षमता का छत पर सौर विद्युत संयंत्र चालू किया।

बीपीटीजी #5 परियोजना

ग्रिड से विद्युत आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिए, बीटीपीजी-5 परियोजना परिकल्पित की गई थी। वर्ष के दौरान परियोजना का मैकेनिकल कार्य पूरा हुआ और शीघ्र ही चालू होने की आशा है।

व्यापार विकास

- आपकी कम्पनी ने ओड़िशा में अनुप्रवाह और सहायक उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में ओड़िशा औद्योगिक आनुषंगिक विकास निगम (इडको) के सहयोग से 'अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि॰(ए.ए.पी.पी.एल.)' नामक संयुक्त उद्यम कंपनी

माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में एनटीपीसी के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर

गठित की है। यह परियोजना औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन विभाग (डी.आई.पी.पी.), वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित औद्योगिक आनुषंगिक उन्नयन योजना (एमआईआईयूएस) के अधीन अनुमोदित है। सं.उ. कम्पनी में नालको और इडको क्रमशः 49% और 51% इक्विटी धारण किए हैं। ए.ए.पी.पी.एल. में आपकी कम्पनी का इक्विटी अंशदान मार्च, 2017 तक ₹ 14.70 करोड़ का है।

- गुजरात अल्कालिज एंड केमिकल्स लि. (जी.ए.सी.एल.) के साथ संयुक्त उद्यम में कॉस्टिक सोड़ा परियोजना : आपकी कंपनी ने दिसम्बर,2015 में गुजरात के दाहेज में जी.ए.सी.एल. के साथ सं.उ. में 2.7 लाख टन प्रतिवर्ष कॉस्टिक सोड़ा संयंत्र के साथ 130 मेगावाट ग्रहीत विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए "जी.एन.ए.एल." कम्पनी गठित की है। कॉस्टिक सोड़ा संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण, बॉयलर टर्बाईन जेनरेटर (बी.टी.जी.) पैकेज एवं संयंत्र का संतुलन (बीओपी) पैकेज जैसी परियोजना-पूर्व गतिविधियाँ और प्रौद्योगिकी चयन पर कार्यवाही जारी है।
- आपकी कम्पनी की मध्य प्रदेश में 20 मेगावाट का सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना है। यह परियोजना एम.पी.एन.आर.ई.डी. (मध्य प्रदेश नवीन और अक्षय ऊर्जा विभाग) के साथ पंजीकृत है और एम.पी.एन.आर.ई.डी. को नवम्बर, 2016 में 55.62 हेक्टर भूमि अंतरित की जा चुकी है। नवम्बर, 2016 में ग्रिड संयोगात्मकता अनुमति के लिए आवेदन एम.पी.पी.के.वि.वि.सी.एल. (मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी कम्पनी लि०) के पास जमा कर दिया गया है।
- कम्पनी भारत में किसी अनुकूल स्थान में 50 मेगावाट क्षमता की पवन विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए योजना बना रही है। पवन ऊर्जा विकासकर्ता के चयन के लिए तकनीकी-व्यावसायिक बोलियाँ दिसम्बर, 2016 में खोली गईं और मूल्य बोली खोलने की प्रक्रिया जारी है।
- कम्पनी ने भारत में किसी अनुकूल स्थान पर 50 मेगावाय की सौर विद्युत परियोजना की ई.पी.सी. के लिए विकासकर्ता के चयन के लिए एन.आई.टी. जारी की है।
- गजमरा विद्युत परियोजनाकी स्थापना: प्रद्रावक विस्तार परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति करने के लिए गजमरा, ढेंकानाल, ओड़िशा में 3X800 मेगावाट क्षमता का कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए कम्पनी ने एन.टी.पी.सी. के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- कोल तार डिस्टिलेशन संयंत्र की स्थापना: आपकी कम्पनी ने कोलतार पिच के उत्पादन के लिए सं.उ. रूप में कोल तार डिस्टिलेशन संयंत्र की स्थापना के लिए नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एन.आई.एन.एल.) के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एल्यूमिनियम अयस्क उत्पादन संयंत्र की स्थापना: आपकी कम्पनी ने भारत सरकार के "भारत में बनाओ" अभियान के अंतर्गत रक्षा, अंतरिक्ष, स्वचालित वाहन और परिवहन क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए एल्यूमिनियम अयस्क उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए मिश्र धातु निगम लि० (मिधानी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

पूँजी खर्च (कैपेक्स)

वर्ष के दौरान, कम्पनी का पूँजी व्यय ₹ 876.09 करोड़ का था, जिसमें से संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी अंशदान की बाबत ₹38.47 करोड़ की राशि शामिल है।

जोखिम प्रबन्धन नीति

एक जोखिम प्रबन्धन नीति निरूपित की गई और निदेशक-मण्डल द्वारा अनुमोदित की गई है, जो कम्पनी के वेबसाइट **www.nalcoindia.com** पर उपलब्ध है।

मानव संसाधन प्रबन्धन

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण पर राष्ट्रपति के निदेश

आपकी कम्पनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और शारीरिक विसक्षम, भूतपूर्व सैनिक आदि के आरक्षण के मामलों में लागू राष्ट्रपति के निदेशपत्रों और अन्य मार्गनिर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करती है। 31.03.2017 को यथा 6,938 की कुल जनशक्ति में से, 1,129 अनुसूचित जातियों (16.27%), 1,278 अनुसूचित जनजातियों (18.42%), 803 अन्य पिछड़े वर्ग (11.57%), 86 शारीरिक विसक्षम व्यक्ति (1.24%) और 18 भूतपूर्व सैनिक (0.26%) थे। 31.03.2017 को यथा कंपनी में कुल 354 महिला कर्मचारी कार्यरत थीं।

औद्योगिक सम्बन्ध

वर्षभर कंपनी के सकारात्मक औद्योगिक संबंध वातावरण से 2016-17 के दौरान चतुर्दिग उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन उपलब्ध करने में मदद मिली। प्रबंधन में कामगारों की प्रतिभागिता, कंपनी के औद्योगिक संबंध अभ्यास के मुख्य आलम्ब बने रहना जारी रहा। विभिन्न कर्मचारी अनुकूल कार्यवाहियों के माध्यम से प्रसन्नता का सूचकांक उन्नत करने पर ध्यान दिए जाने सहित सभी मोर्चों पर संधारणीय विकास के लिए एक सुचालक संस्कृति का निर्माण इस वर्ष की प्रमुख विशेषता रहा। खान के गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज, मेडिकल संबंधी मामले और कार्यपालकों के एन.पी.एस. अंशदान के युक्तीकरण का मामला मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटाया गया।

सामाजिक उत्तरदायित्व 8000

एक शालीन कार्यस्थल के निर्माण और अनुरक्षण के लिए, आपकी कम्पनी ने एस.ए.-8000 मानक का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन जारी रखा है।

निगम कार्यालय सहित सभी एकक एस.ए.-8000-2008 मानक से प्रमाणित हो चुके हैं। आपकी कम्पनी एस.ए.-8000-2008 मानक से एसए 8000:2014 (परिशोधित) मानक में संक्रमण की प्रक्रिया में है।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.)

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कम्पनी का प्रमुख दर्शन रहा है। तदनुसार, यह कम्पनी अपनी स्थापना के काल से ही विभिन्न परिधीय विकासात्मक गतिविधियाँ, नि.सा.उ. परियोजनाएँ और कार्यक्रम चलाती आई है। नि.सा.उ. परियोजनाएँ/कार्यक्रम आपकी कंपनी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से परिधीय क्षेत्रों के आंतरिक मूल्यांकन और पुनर्वास और परिधीय विकास सलाहकारी समिति (आरपीडीएसी) की संस्तुति और अपने नि.सा.उ. दस्ते, नालको फाउण्डेशन के साथ साथ विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर चिह्नित होते हैं।

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

अर्थपूर्ण और संधारणीय नि.सा.उ. कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.) के लक्ष्यों को उपलब्ध करने के लिए, नि.सा.उ. नीति और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार वित्तवर्ष 2016-17 में ₹ 2,756.55 लाख के अधिदेशात्मक व्यय के मुकाबले आपकी कंपनी ने ₹ 3,000.80 लाख खर्च किए हैं।

नि.सा.उ. नीति कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार विकसित की गई है, जिसका लक्ष्य जीवनयापन की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए अवसर प्रदान करने, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से सामुदायिक देखभाल प्रदर्शित करने, पीने का

पानी प्रदान करने, राष्ट्रीय धरोहरों, कला और संस्कृति की संरक्षा, स्थानीय युवाओं के कौशल विकास द्वार उनकी रोजगार-क्षमता बढ़ाने आदि के द्वारा समाज के सुविधाहीन/अधिकारहीन समुदायों को सहायता प्रदान करना है।

वर्ष के दौरान ग्रामीण आनुषंगिक विकास के साथ साथ कुछ अनुपम नि.सा.उ. पहल हाथ में ली गईं ;

- पर्यावरण के संरक्षण के अधीन, आपकी कम्पनी ने अति विशाल वीथिका वृक्षारोपण का उद्यम चलाया और नालको अनुसन्धान और प्रशिक्षण केन्द्र (एन.आर.टी.सी.), भुवनेश्वर में 50 कि.वा. की छत पर सौर प्रणाली स्थापित करके और खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी के आठ दूरवर्ती परिधीय गाँवों में सौर स्ट्रीट लाईट स्थापित करके हरित ऊर्जा क्रांति में योगदान किया।
- भारत सरकार के स्वच्छ प्रतिष्ठित तीर्थस्थल विकास आह्वान के अंतर्गत, आपकी कम्पनी ने प्रतिष्ठित तीर्थस्थल, पुरी का विकास करने और इसे स्वच्छ तीर्थस्थान बनाने के लिए बहुविध साझेदार के रूप में हाथ मिलाया।
- शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासों के अधीन, आपकी कम्पनी ने कोरापुट आदिवासी बहुल क्षेत्रों से 755 विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के लिए तीन (03) आवासीय स्कूलों में प्रायोजित करना जारी रखा और भारत सरकार की “बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ” योजना के समरूप “नालको र अळिआळि झिअ” (नालको की लाड़ली) योजना के अधीन अनुगुळ एवं दामनजोड़ी के परिधीय गाँवों से 181 गरीब एवं मेधावी कन्या विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। आपकी कम्पनी ने अनुगुळ और दामनजोड़ी दोनों में कंपनी की सहायता से संचालित “सरस्वती विद्या मन्दिर” के दोनों स्कूलों में 4,129 परिधीय विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की।
- आपकी कंपनी ने खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी के 163 परिधीय गाँवों में 4 मोबाईल स्वास्थ्य एकक संचालित करके परिधीय गाँवों के निवासियों को, जो अधिकांशतः आदिवासी लोग हैं, बेहतर स्वास्थ्य-देखभाल सेवा प्रदान करना जारी रखा। इसीप्रकार, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुळ में 39 परिधीय गाँवों को शामिल करते हुए 3 मोबाईल स्वास्थ्य एककों (एम.एच.यू.ज) संचालित हैं और नवम्बर, 2017 से अस्पताल का एक विशिष्ट वाह्य रोगी विभाग संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में, दोनों उत्पादन एककों के परिधीय गाँवों में लगभग 1,12,809 रोगियों को उनके घर के द्वार पर निःशुल्क स्वास्थ्य-देखभाल सेवाएँ उपलब्ध कराईं गई।.
- ग्यारह (11) गाँवों को खुले में शौच के अभ्यास से मुक्त करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है। खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी की खान के दो परिधीय गाँवों में भारतीय घरों के शौचालयों (आईएचएचटी) का निर्माण आरम्भ किया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न लागू प्रावधानों के समरूप निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट पर अनुलग्नक-I में संलग्न है।

लंदन धातु बाजार नकद मूल्य (यू.एस.डॉलर)

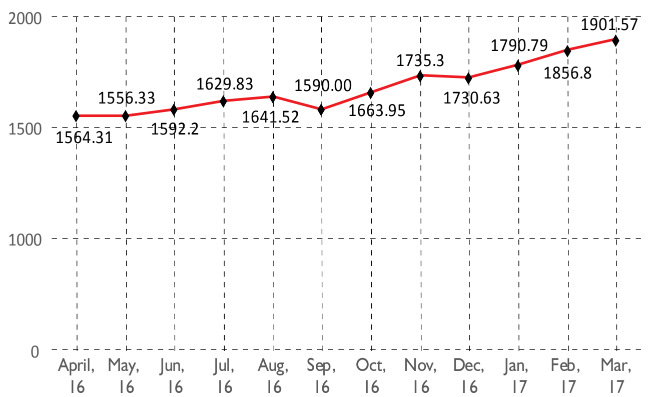

संसदीय समिति का परिदर्शन

2016-17 वर्ष के दौरान निम्नलिखित संसदीय समितियों ने कम्पनी का परिदर्शन किया:

- 25.06.2016 से 27.06.2016 के उद्योग पर मध्य विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति का परिदर्शन दौरा हुआ।
- 16.07.2016 से 17.07.2016 के मध्य अधीनस्थ विधान पर समिति, राज्य सभा का अध्ययन दौरा हुआ।

भारत के माननीय राष्ट्रपति से संस्थागत संवर्ग में स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार

प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 की अनुसूची-V के साथ पठित नियम 34(3) के अनुसरण में प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-II में संलग्न है।

इस रिपोर्ट में निम्न भी शामिल हैं:

(क) आगे व्यापार विकास के लिए हाथ में ली गई विभिन्न पहल।

(ख) जोखिम प्रबन्धन पहलों के विवरण, वित्तीय विवरण के सन्दर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की पर्याप्तता के संबंध में विवरण।

(ग) आपकी कम्पनी के विभिन्न एककों में पर्यावरण प्रबन्धन के क्षेत्र में हाथ में ली गई विभिन्न पहल।

कंप्यूटरीकरण गतिविधियाँ

आपकी कंपनी ने कंपनी के दैनंदिन कार्यकलापों में अनुकूल रूप से उपयोग करके सूचना प्रौद्योगिकी में हुए नवीनतम विकास का लाभ उठाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं। इस दिशा में, इस कम्पनी ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:

खरीदी, माल-भंडार प्रबन्धन, वित्त एवं नियंत्रण, बिक्री एवं वितरण, उत्पादन और मानव संसाधन प्रबन्धन के लिए एस.ए.पी., ई.आर.पी. कार्यान्वित की गई है। आपकी कम्पनी ने लीगेसी प्लेटफॉर्म पर वेतन-विवरण, उपस्थिति, परिलाभ और छुट्टी आवेदन प्रणाली का केन्द्रीकरण किया है। अनुगुळ और दामनजोड़ी में कंपनी के अस्पतालों के लिए केन्द्रीय अस्पताल प्रबन्धन प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विभिन्न पहलों की सघन निगरानी के लिए, एक ऑनलाइन पूँजी व्यय निगरानी प्रणाली, विभागीय कार्यवाही योजना एवं डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली, निधि निगरानी प्रणाली, अंकेक्षण पर की गई कार्यवाही की निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है। राजस्व खर्च निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन प्रगति में है।

बिक्री निष्पादन ('000 मे.ट. में)

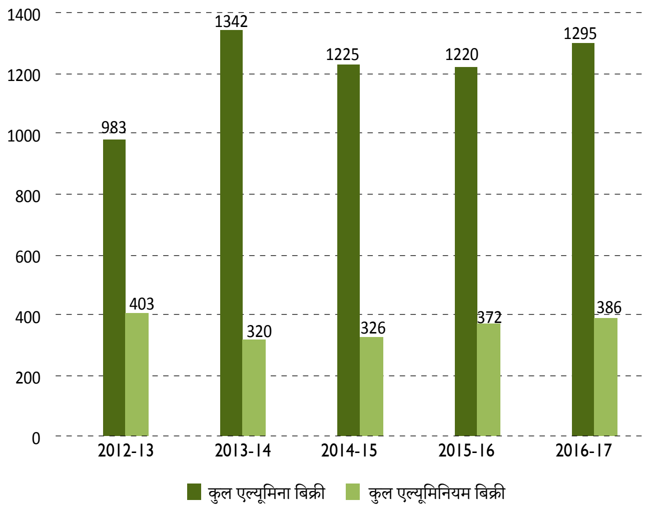

पारदर्शी और कुशल खरीदी अभ्यास को सक्षम बनाने के लिए, केन्द्रीय सार्वजनिक खरीदी पोर्टल के माध्यम से स्रोत से एस.ए.पी., एस.आर.एम-7 के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की ई-खरीदी की जा रही है। और आगे, विक्रेताओं को अपने देयकों की स्थिति की जानकारी और भुगतान के विवरण जानने में सक्षम बनाने के लिए एक बिल ट्रेकिंग प्रणाली विकसित की जा रही है। कंपनी भर में सभी संविदाओं को सुसाध्य बनाने के लिए निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक ऑनलाइन संविदा श्रमिक प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा है। और आगे, निर्णय समर्थन उपकरण के रूप में एनालाईटिक्स के कार्यान्वयन के लिए योजना आरम्भ की गई है।

विभिन्न कार्यालयों और एककों में दस्तावेज और रिकार्ड का डिजिटाइजेशन हाथ में लिया गया है। ई-ऑफिस दस्तावेज प्रबन्धन प्रणाली को प्रचलित करने की योजना बनाई गई है। अभिज्ञान प्रबन्धन भी गतिविधि का एक मुख्य क्षेत्र होगा।

नेटवर्क, जो आई.टी. का मेरुदण्ड है, को 10 जीबीपीएस बेकबोन तथा 1 जीबीपीएस की आक्सेस टेक्नोलोजी और एडवांस्ड रुटिंग, सीक्रेस्टरिंग एवं क्यईंग टेक्नोलोजी के साथ पुनर्संरचित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप नेटवर्क भर में दक्षता और तेजी से सूचना संचार हो पाता है। संयंत्र और कार्यालयों को जोडनेवाले वाईड एरिया नेटवर्क को एम.पी.एल.एस. प्रौद्योगिकी से प्रतिस्थापित किया गया है। खराबी को सहने के लिए महत्वपूर्ण अवस्थितियों में दोहरे सर्किट प्रदान किए गए हैं।

कंप्यूटिंग के लिए आनुषंगिक सुविधाएँ, जिनका जीवनचक्र पूरा होनेवाला है, को अद्यतन स्केलेबल टेक्नोलॉजी के साथ बदलने तथा संगठन भर के सर्वर जी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक केन्द्रीय क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की कार्यवाही जारी है। वर्चुएलाज्ड सर्वर प्रोविजनिंग के लचीलेपन के उत्तोलन के लिए सर्वरों में वर्चुलाइजेशन का उपयोग करने के प्रति ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। सभी लीगेसी अनुप्रयोगों और सेवाओं में अब आपदा पुनर्बहाली कवरेज विस्तारित किया जा रहा है।

आपकी कम्पनी ने अपनी आई.टी. आनुषंगिक सुविधाओं और आई.एस.ओ. 27001 प्रमाणपत्रण की प्राप्ति के लिए एक प्रभावी सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए आई.टी. सुरक्षा एवं फ्रेमवर्क गठित करके इकोसीस्टम को प्रबलित करने के लिए कदम उठाए हैं। यह गोपनीयता, ईमानदारी और कंपनी के साथ डिजिटली लेनदेन करनेवाली पार्टियों सहित हरेक हितधारकों को हमारी आई.टी. आनुषंगिक सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में एक आश्वासन होगा। सुरक्षा कार्यान्वयन में, रेनसमवेयर के विरुद्ध आवश्यक रोधात्मक और सुधारात्मक उपायों की सचेतनता लाने के लिए प्रयास किए गए हैं।

गतिविधियों के चालू मानचित्र में दस्तावेज भंडारण और पुनरुद्धार के साथ साथ कार्यप्रवाह स्वचालन सहित, आंतरिक और सार्वजनिक उपयोग के लिए सामाजिक प्लेटफॉर्म आदि शामिल हैं। ई-अभिशासन प्रक्रिया में सामान्य जनता के लिए भर्ती के लिए ऑनलाईन अनुप्रयोगों जैसी सेवाएँ और कर्मचारियों को आंतरिक सेवाएँ शामिल हैं। केन्द्रीकृत ऋण और प्रतिपूर्ति जैसे कर्मचारी स्व-सेवा मॉड्युल का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। यह कर्मचारी प्रतिभागिता, तुरन्त सेवा और उद्यम भर में व्यावसायिक तर्क में एकरूपता के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करती है।

नियंत्रण एवं महालेखाकार द्वारा आई.टी. लेखा-परीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.एवं ए.जी.) ने 2016-17 के दौरान ई.आर.पी. प्रणाली (एस.ए.पी.) की आई.टी. अंकेक्षण करने के लिए आपकी कम्पनी को चुना है। इस अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र व्याप्ति में, सीस्टम विकास प्रक्रिया और इनमें सम्मिलित अनुसरण किए जानेवाली पद्धतियों के विभिन्न चरणों का परीक्षण, आई.टी. प्रणाली की सुरक्षा की समीक्षा, आई.टी. प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावकारिता के बारे में आश्वासन पाने के लिए सामान्य और अनुप्रयोग नियंत्रणों के साथ डैटा-इंडेग्रिटी, सीस्टम के विभिन्न मॉड्युल्स में शामिल प्रमुख प्रक्रियाओं का मूल्यांकन तथा सीस्टम के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन शामिल है।

सी.एवं ए.जी. द्वारा आक्सेस नियंत्रण, मास्टर डैटा के अनुरक्षण पर किए गए पर्यवेक्षण के प्रत्युत्तर में प्रबंधन द्वारा उपयुक्त नियंत्रण मशीनरी और मास्टर डैटा के अनुरक्षण पर मार्गनिर्देशों के माध्यम से अनुपालन किया जा चुका है।

सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन

आपकी कम्पनी ने रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान में निम्नलिखित प्रमुख पहल की है:

व्यवसाय उत्कृष्टता

व्यवसाय उत्कृष्टता एक ऐसी अवधारणा है जो कार्य-निष्पादन बढ़ाने वाले प्रणालीबद्ध और संरचित कार्यवाहियों के माध्यम से "संगठन के प्रबंधन और परिणाम उपलब्ध करने में उत्कृष्ट अभ्यासों" में विश्वास रखती है। शीर्ष प्रबन्धन की सक्रिय भागीदारी से, आपकी कम्पनी ने प्रद्रावक एवं एल्यूमिना परिशोधक एककों में बी.ई. कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है।

- **प्रद्रावक संयंत्र:** इस वर्ष के दौरान प्रद्रावक में व्यवसाय उत्कृष्टता पहल आरम्भ की गई। प्रचालन उत्कृष्टता मॉडल पर बी.ई. स्टार मान्यता को कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया गया। 3 से 5 जनवरी, 2017 के दौरान प्रचालन उत्कृष्टता फ्रेमवर्क पर सी.आई.आई. इंस्टीच्यूट ऑफ क्वालिटी, बेंगळुरु की संकाय सहायता से एक 3-दिवसीय प्रशिक्षण और मूल्यांकन सत्र संचालित किया गया।
- **एल्यूमिना परिशोधक:** एल्यूमिना परिशोधक में इसके पूर्व शुरु की गई व्यवसाय उत्कृष्टता (बी.ई.) पहल को विशद सीआईआई-एक्जिम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता मॉडल के प्रचलन के साथ आगे प्रवर्धित किया गया। यह मॉडल नवीनतम ई.एफ.क्यू.एम. (यूरोपियन फाउंडेशन क्वालिटी मैनेजमेंट) उत्कृष्टता फ्रेमवर्क अर्थात् ई.एफ.क्यू.एम. 2013 पर आधारित है। यह विशद मॉडल एल्यूमिना परिशोधक में अगस्त, 2016 के दौरान शुरु किया गया था। तत्पश्चात्, शीर्ष स्तरीय परिषदों का गठन किया गया और मुख्य दल के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया गया। सी.आई.आई. एक्जिम-बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता मूल्यांकन के लिए स्थिति की रिपोर्ट का मसौदा बनाने का कार्य प्रगति में है।

एकीकृत प्रबन्धन प्रणाली

सभी एककों में समय अनुसूची के अंदर पुनर्प्रमाणन लेखापरीक्षा और निगरानी लेखापरीक्षा संचालित हुए और ये एकक अर्थात् एल्यूमिना परिशोधक, खान, प्रद्रावक, ग्र॰वि॰सं॰, विशाखापत्तनम् पत्तन सुविधाएँ वैध आई.एस.ओ. 9001 : 2008, आई॰एस॰ओ॰ 14001 : 2004 एवं ओ.एच. एस.ए.एस. 18001:2007 प्रमाणपत्रों के साथ परिचालित हैं, जो आर.वी.ए., नीदरलैंड्स/ यू.के.ए.एस., यू.के. से अन्तर्राष्ट्रीय आधिकारिक मान्यता के साथ जारी किए गए हैं।

ऊर्जा प्रबन्धन प्रणाली

आई.एस.ओ. 50001 प्रणाली के लिए एल्यूमिना परिशोधक का पुनर्प्रमाणन अंकेक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ और यह एकक, आर.वी.ए., नीदरलैंड से अन्तर्राष्ट्रीय आधिकारिक मान्यता के साथ जारी प्रमाणपत्र के साथ आई.एस.ओ. 50001 से पुनर्प्रमाणित हुआ। पी.ए.टी. में शामिल अन्य दो ऊर्जा गहन एकक अर्थात् प्रद्रावक एवं ग्र॰वि॰सं॰ भी तत्समान वैध प्रमाणपत्रों के साथ प्रचालित हैं।

संपादन, उपलब्ध एवं लक्ष्य (पी.ए.टी.) योजना

खान एवं परिशोधन संकुल और प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, मेसर्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएन्सी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पी.ए.टी. योजना में, पदनामित उपभोक्ता के रूप में

अधिसूचित किए गए हैं। वर्ष के दौरान, पूरे किए गए पी.ए.टी. चक्र-1 के दौरान सौंपे गए लक्ष्यों से बेहतर कार्य-निष्पादन की मान्यता में संगठन को कुल 36,119 ऊर्जा बजत प्रमाणपत्र (ई.एस. सर्ट्स) मेसर्स बी.ई.ई. द्वारा जारी किए गए। ये प्रमाणपत्र मान्यता-प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षक मेसर्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएन्सी (बीईई) द्वारा जमा की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट और तत्पश्चात् प्रशासनिक निकाय द्वारा जाँच के आधार पर जारी किए गए।

गुणवत्ता मण्डल और कैजेन्स

- वर्ष के दौरान संगठन भर में 53 गुणवत्ता मंडलों ने 51 परियोजनाएँ पूरी कीं। वर्ष के दौरान 557 कैजन्स भी पूरे किए गए।
- कम्पनी के विभिन्न एककों से 14 गुणवत्ता मंडलों ने क्यू.सी.एफ.आई. द्वारा रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय गुणवत्ता मण्डल सम्मेलन में भाग लिया। इनमें से, आठ गुणवत्ता मंडलों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में "अति-उत्कृष्ट" कार्य-निष्पादक का शीर्ष-संवर्ग पुरस्कार प्राप्त किया।
- कम्पनी के द्वारा 20 एवं 21 अप्रैल, 2016 को 21वाँ अखिल ओड़िशा गुणवत्ता मण्डल सम्मेलन आयोजित किया गया। अस प्रमुख राज्य स्तरीय सम्मेलन में ओड़िशा में प्रचालित 25 एककों अर्थात् उद्योगों, खानों ने प्रतिभागिता की।
- अन्तर-एकक गुणवत्ता मण्डल प्रतियोगिता 10 नवम्बर, 2016 को खान एवं परिशोधन संकुल में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न एककों से 10 गुणवत्ता मंडलों ने भाग लिया। निबन्ध, श्लोगान एवं पोस्टर प्रतियोगिता और अन्तर-एकक गुणवत्ता-मंडल प्रतियोगिता के विजेताओं का समारोह में अभिनन्दन किया गया।

5 एस. का कार्यान्वयन

एल्यूमिना परिशोधक में, खान, प्रद्रावक एवं ग्र॰वि॰सं॰ में कुल सात चिह्नित क्षेत्रों में 5-एस. प्रणाली का प्रचलन किया गया। तत्पश्चात्, क्यू.सी.एफ.आई., हैदराबाद से बाहरी आकलन-कर्ताओं द्वारा आकलन का भी कार्यान्वयन किया गया। उनके मूल्यांकन पर आधारित, इनमें से छह क्षेत्रों को "उत्कृष्ट कार्यान्वयन" की श्रेणी प्रदान की गई। एल्यूमिना परिशोधक ने आगे एकक में अतिरिक्त क्षेत्रों में इस पहल को चलाया।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

आपकी कम्पनी में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम,1976 के अनुसार, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- कार्यालय के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, 01-09-2016 से 14-09-2016 तक निगम कार्यालय में और प्रद्रावक एवं विद्युक संकुल, अनुगुळ में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दीभाषी और गैर-हिन्दीभाषी कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग अनेक हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसीप्रकार मेसर्स खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में हिन्दी सप्ताह मनाया गया जहाँ कर्मचारियों और विद्यार्थियों के मध्य विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- निगम कार्यालय, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल और खान एवं परिशोधन संकुल में हिन्दी शिक्षण योजना का कार्यान्वयन किया गया और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं रखनेवाले कर्मचारियों को भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के लिए नामित किया गया तथा परीक्षा पास करने पर नियमानुसार प्रोत्साहन एवं नगद पुरस्कार प्रदान किए
- वर्ष के दौरान नालको की अध्यक्षता में संचालित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) भुवनेश्वर और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अनुगुळ प्रत्येक की दो दो बैठकें आयोजित की गईं। समिति के सभी सदस्य कार्यालयों के लिए संयुक्त हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।
- खान मंत्रालय, भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार समिति की सदस्य और प्रसिद्ध हिन्दी विद्वान डॉ॰(श्रीमती) विनय षड़ंगी राजाराम की संकाय सहायता से एक विशेष हिन्दी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।
- वेबसाइट का कम्पनी **www.nalcoindia.com** द्विभाषी बनाया गया है और हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में नियमित रूप से अद्यतन किया गया है।
- वर्ष के दौरान, आपकी कम्पनी ने विभिन्न केंद्रीय लोक उद्यमों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में और राजभाषा सम्मेलनों में "कम्प्यूटर और मोबाईल फोन में हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में युनिकोड और तकनीकी सुविधाएँ" विषय पर संकाय सहायता प्रदान की।
- डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत वेतन-विवरण, छुट्टी आवेदन, एस.ए.पी. कर्मचारियों की सूची जैसे ऑनलाइन अनुप्रयोगों में द्विभाषीकरण का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

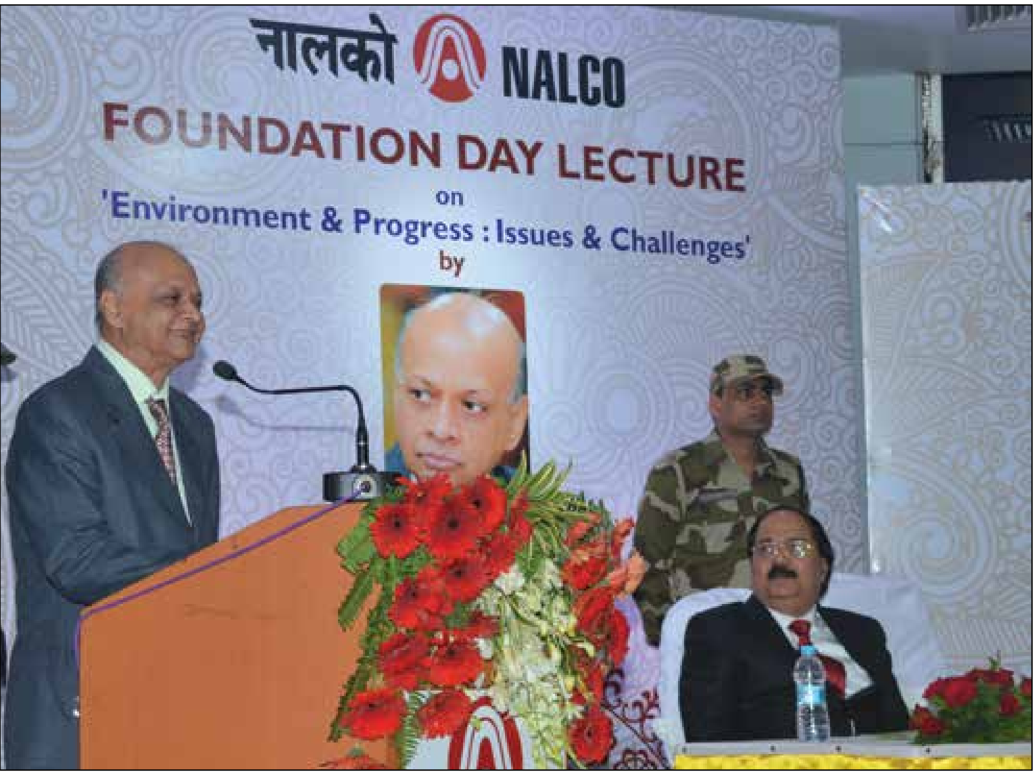

न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं एस.आई.टी. के अध्यक्ष द्वारा नालको फाउंडेशन दिवस व्याख्यान

खेलकूद

आपकी कम्पनी ने देश में खेलकूद और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना जारी रखा है। खेलकूद को प्रोत्साहन के अंश रूप में, आपकी कम्पनी ने हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) को प्रायोजित किया। आपकी कम्पनी ने नालको कप राज्य हॉकी चैम्पियनशिप, नालको कप राज्य ओपेन टेनिस टूर्नामेण्ट और नालको कप बास्केट बॉल चैम्पियनशिप का भी प्रायोजन किया।

युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की नीति के रूप में आपकी कम्पनी ने क्रीड़ा क्षेत्र में प्रतिभागिता करनेवाले और उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवाले राज्य के खिलाड़ियों का अभिनन्दन करती है।

मि. सुखराम माझी और मो. जफल इकबाल, भारतीय दृष्टिहीन क्रिकेट दल के सदस्य, जिन्होंने विश्व कप-2016 जीता, का 1 अप्रैल,2017 को उत्कल दिवस के अवसर पर were अभिनन्दन किया गया।

आपकी कम्पनी ने युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की नीति के रूप में, रियो ओलम्पिक में प्रतिभागिता करनेवाली राज्य की चार महिला हॉकी खिलाड़ियों को भी नौकरी प्रस्वावित की।

सतर्कता

आपकी कंपनी में स्थापित सतर्कता मशीनरी का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

- आपकी कम्पनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) के नेतृत्व में कंपनी का एक सुव्यवस्थित सतर्कता संगठन कार्यरत है, जो भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए हैं। अन्य सतर्कता अधिकारी जो मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता करते हैं, सी.वी.ओ. की सहमति से उनकी सलाह से प्रतिनियुक्ति के आधार पर चुने जाते हैं। नालको के अपने सतर्कता संस्थापन तीन स्थानों, अर्थात् निगम कार्यालय, भुवनेश्वर, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुळ और खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में हैं।
- सतर्कता कार्यकलाप साधारणतः निरोधक, दंडात्मक, निगरानी और अभिज्ञान की प्रकृति के होते हैं।

सतर्कता विभाग के कार्यकलाप संक्षेप में निम्नवत् हैं;

- शिकायतों का अन्वेषण
- संवेदनशील क्षेत्रों में औचक जाँच
- संविदा/क्रय/बिक्री फाइलों और आन्तरिक अंकेक्षण रिपोर्टों काअध्ययन, जो कि सतर्कता मामलों के लिए सूचना पाने का एक अच्छा स्रोत है।
- प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव देना।
- सी.वी.सी. परिपत्रों/ मार्गनिर्देशों का परिचालन।
- विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न कर्मचारियों को सतर्कता स्वीकृति प्रदान करना जैसे कि पासपोर्ट, पदोन्नति, त्यागपत्र/ सेवा-निवर्तन/ स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति, पुरस्कार प्राप्ति, विदेशी जिम्मेदारी, और निदेशक-मंडल स्तरपर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और नियुक्ति आदि पर अनापत्ति प्रमाणपत्र।
- संपत्ति रिटर्न की जाँच-पड़ताल।
- संवेदनशील पदों पर अधिकारियों की बदली पर सलाह देना।
- अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक को सतर्कता मामलों और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों पर सलाह देना।
- सी.बी.आई. से साथ संपर्क कार्यआदि।
- ईमानदारी अनुबंध का कार्यान्वयन।
- क निरोधक सतर्कता मशीनरी के अंश रूप में, कर्मचारियों और सामान्य जनता के मध्य सचेतनता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।

मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकलाप

मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकलाप निम्नवत् हैं:

- सी.बी.आई. के साथ संरचनात्मक समीक्षा बैठक आयोजित करने के साथ साथ सी.वी.सी. और सी.बी.आई. के बीच अच्छा संपर्क बनाए रखना।
- मंत्रालय/सीवीसी/सीबीआई को विभिन्न रिपोर्टें/रिटर्न पेश करना।
- आई.पी. (इंटीग्रेटी पैक्ट) के लिए स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों (आईईएम्स) के चयन में सी.वी. सी. की सहायता करना।
- भ्रष्टाचार रोधी नीतियों/उपायों को तैयार करने/अद्यतन करने में प्रबंधन की सहायता करना।

व्हिशल ब्लोअर नीति

आपकी कम्पनी उच्चतम मानक की पेशेवर-दक्षता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिक व्यवहारिकता अपनाते हुए एक स्पष्ट और पारदर्शी रूप में अपने घटकों के कार्यकलापों के आचरण में विश्वास करती है।

इस नीति का उद्देश्य प्रबंधकीय कार्मिक कार्यवाही को रोकने के लिए जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने और सुरक्षित सचेतक के रूप में एक ढाँचा प्रदान करना है। यह उन कर्मचारियों को संरक्षा प्रदान करती है जो कंपनी के अंदर किसी गंभीर अनियमितता के बारे में चिन्ता प्रकट करते हैं।

इस नीति के विस्तृत विवरण आपकी कंपनी के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

धोखाधड़ी की सूचना देना

रिपोर्ट अंतर्गत वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अधीन लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है।

कम्पनी के पास एक निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी रोकथाम नीति है और इसे कम्पनी के वेबसाइट **www.nalcoindia.com** पर रखा गया है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम (सू.का.अ.) के प्रावधानों के अनुसरण के लिए, हितधारकों द्वारा मांगी गई सूचनाएँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एक लोक सूचना अधिकारी और नौ सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 2016-17 के दौरान सू.का.अ. आवेदन और अपीलों के विवरण निम्नलिखित हैं:

	01.04.2016 को यथा प्रक्रिया अधीन	वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य लोक प्राधिकारी से अंतरित मामलों सहित)	अन्य लोक प्राधिकारियों को अंतरित मामलों की सं.	निर्णय जहाँ अनुरोध/अपील रद्द किए गए	निर्णय, जहाँ अनुरोध/ अपीलस्वीकृत और निपटाए गए	31.03.2017 को यथा प्रक्रिया अधीन
अनुरोध	17	197	01	12	176*	26
प्रथम अपील	शून्य	48	शून्य	01	44	03

* अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित एक मामले सहित

नालको 18.01.2017 से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन आर.टी.आई. पोर्टल (www.rtionline.gov.in) के साथ संरेखित हो चुकी है। सू.का.अ. के अनुरोध इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी प्राप्त होते हैं और उत्तर दिए जाते है।

स्टॉक एक्सचेञ्जों में सूचीकरण एवं सूचीकरण शुल्क का भुगतान

आपकी कम्पनी के इक्विटी शेयरों का देश के प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंजों - बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेञ्ज ऑफ इंडिया पर सूचीबद्ध रहना जारी है, जिनके राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल हैं। वर्ष 2016-17 के लिए सूचीकरण शुल्क का भुगतान इन स्टॉक एक्सचेञ्जों को समय पर किया चा जुका है।

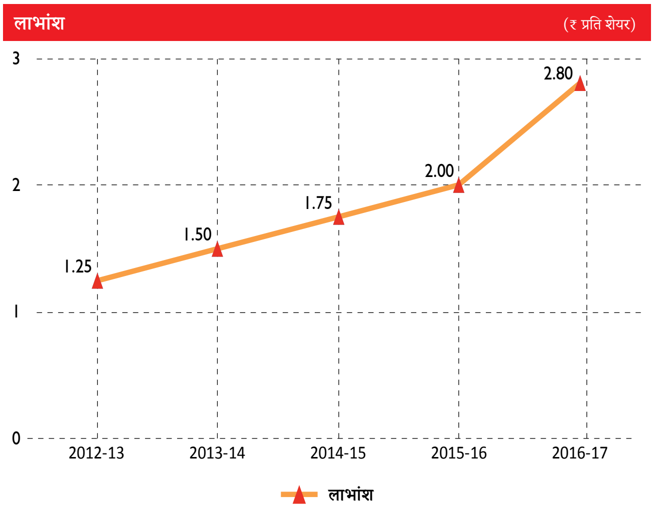

पूँजी पुनर्संरचना

शेयरों की वापस खरीद

निदेशक-मण्डल के निर्णय और 14.07.2016 को डाक द्वारा मतदान के माध्यम से विशेष संकल्प के द्वारा शेयरधारकों के अनुमोदन के आधार पर, आपकी कंपनी ने 21.09.2016 को ₹5/-

प्रत्येक के 64,43,09,628 संख्यक शेयरों की वापस खरीद की, जो कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी की कुल संख्या के 25% का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शेयर 26.09.2016 को खत्म किए गए। वापस खरीदी का प्रस्ताव ₹44/- प्रति शेयर के मूल्य पर ₹2834.96 करोड़ के सकल विवेचन पर हुआ। कम्पनी की प्रदत्त पूँजी ₹1,288.62 करोड़ से ₹966.46 करोड़ तक घट गई। वापस खरीदी के बाद, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कुल शेयर कंपनी की कुल प्रदत्त पूँजी के 80.93% से 74.58% तक कम हो गए हैं।

शेयरों की वापस खरीदी के पश्चात्, कंपनी में सार्वजनिक शेयरधारण 25.42% तक बढ़ गया है जिससे सभी सूचीबद्ध केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अधिदेश के अनुसार सर्वनिम्न सार्वजनिक शेयरधार की अर्हता का अनुपालन हुआ है।

बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस)

भारत सरकार ने क्रमशः 19 अप्रैल, 2017 और 20 अप्रैल, 2017 को स्टॉक एक्सचेञ्ज मशीनरी के माध्यम से 14,24,55,941 शेयर गैर-खुदरा निवेशकों को और और 3,56,13,986 शेयर खुदरा निवेशकों को बेचे, जो कुल मिलाकर कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी का 9.2125% होते हैं। भारत सरकार को इस विक्रय के प्रस्ताव (ओएफएस) के माध्यम से ₹1,193.09 करोड़ का प्रतिफल प्राप्त हुआ। ओएफएस के पश्चात्, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कुल ₹966.46 करोड़ की प्रदत्त पूँजी के धारित शेयर 74.58% से 65.36% रह गए।

बही मूल्य (₹ में)

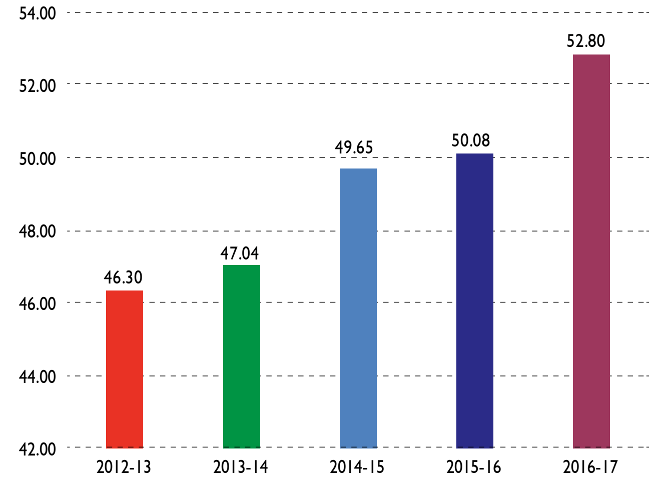

शेयरधारकों को सेवाएँ

शेयरों के ट्रांसफर/ट्रांसमिशन, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, लाभांश के भुगतान, शेयरों के अमूर्तीकरण और पुन:मूर्तीकरण और निवेशकों की शिकायतों के निवारण से संबंधित सभी मुद्दों पर कंपनी के आरटीए अर्थात् कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., हैदराबाद द्वारा कार्यवाही की जाती है।

डिपोजिटोरियों को वार्षिक अभिरक्षा/निर्गम शुल्क का भुगतान

वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक कनेक्टीविटी शुल्क और अभिरक्षा शुल्क/निर्गम शुल्क का भुगतान मैसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजटरी लि. और सेंट्रल डिपॉजटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. को समय पर किया गया।

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34(2)(एफ) के अनुसरण में, कंपनी द्वारा सामाजिक, पर्यावरण एव शासन के संदर्भ में उठाए गए विभिन्न नए कदमों का वर्णन करने वाली वर्ष 2016-17 की व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

संधारणीय विकास पर रिपोर्ट

- राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश, सेबी की एक अनिवार्य अपेक्षा, पर आधारित आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक और शासन पहलुओं की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट तैयार की जाती है और वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित की जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों (जीआरआई जी4) ढाँचे पर आधारित एकल संधारणीय विकास रिपोर्ट स्वैच्छिक वार्षिक प्रकटन के रूप में तैयार की गई और अंतर्राष्ट्रीय निकाय के मुख्यालय यानी अम्स्टर्डम स्थित जीआरआई में समीक्षा के लिए प्रबंधन द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को मामूली संशोधनों के साथ जीआरआई द्वारा अंतिम मंजूरी प्रदान की गई थी।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

अनुसंधान और विकास

- प्रद्रावक संयंत्र में दुनिया में अपनी किस्म का पहला और एसाव्यास टेक्नोलॉजी प्रा. लि. की एमिरोन नैनो टेक्नोलॉजी वाला 150 घन मीटर प्रति बैच बहिर्स्रावी जल शोधन संयंत्र को चालू किया गया और यह प्रचालन में है। नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित डी-फ्लुओराईडेशन संयंत्र के पूरा होने के बाद, 30.11.2016 को सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया गया।
- हाई स्पीड एक्सट्रूजन अलॉय (एचएसए) लट्ठे के विकास की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जो एक मूल्यवर्द्धित उत्पाद है, नालको की मानक उत्पाद सूची में मूल्य संवर्धित उत्पाद के रूप में एक नया उत्पाद ग्रेड सीएच-90 शामिल हो गया है। दिनांक 25.01.2017 को पहली खेप के प्रेषण के साथ ही हाई स्पीड एक्सट्रूजन अलॉय (एचएसए) बिलेट का व्यवसायीकरण किया गया।
- चालिएको/गुईयांग एल्यूमिनियम मैग्निशियम डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीटयूट कं. लि. (जीएएमआई), चीन के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत एल्यूमिना रिफाइनरी संयंत्र के अपशिष्ट लाल पंक से लौह सान्द्र को निष्कर्षण के लिए प्रयोगशाला स्तरीय अध्ययन पूरा कर लिया गया है। लाल पंक से लौह सान्द्र संग्रह करने के लिए परंपरागत हाई ग्रेडिएंट पल्स मैग्नेटिक प्रथक्करण और नई टेक्नोलॉजी-डिस्पर्स मैग्नेटिक कैल्शिनेसन और मैग्नेटिक प्रथक्करण का प्रयोग किया गया।
- लौह वसूली और लाल पंक (संयंत्र अपशिष्ट) के 100% उपयोग के लिए अनुकूलता स्थापित करने के लिए मैसर्स शेनवु ग्रुप, चीन के साथ एक अध्ययन शुरू किया गया। प्रयोगशाला स्तरीय अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा किया गया और परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
- एल्यूमिनियम उद्योग में मूल्य संवर्धित प्रक्रियाओं और उत्पाद के लिए रासायनिक विधि और तकनीकों के विकास हेतु 10 मई 2016 को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत, बार्क (बीएआरसी) द्वारा दो अध्ययन किए गए यथा (i)एल्यूमिना परिशोधन प्रक्रिया के बेयर्स लिकर से गैलियम निष्कर्षण टेक्नोलॉजी का विकास और (ii) परमाणु रिएक्टरों में लाल पंक का उपयोग।

नालको द्वारा प्रायोजित किस्स के बच्चो के साथ माननीय मंत्री

नालको मुख्यालय में चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के दौरान ताजा चित्रकला को अंतिम स्वरूप प्रदान करते हुए

- (i) खनन पुनर्वास विधियों और प्रौद्योगिकियों पर नई जानकारी प्राप्त करने, (ii) लाल पंक वाली जगहों का संधारणीय पुनर्वास और (iii) संबंधित अधिकारियों की क्षमता का निर्माण के लिए 'ऊर्जा और संसाधन संस्थान' (टेरी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- वर्ष के दौरान, चार पेटेंट आवेदन प्रस्तुत किए गए।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन किए जाने के लिए अपेक्षित ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-IV पर दिए गए हैं।

निदेशकों के दायित्वशील विवरण

आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) और 134(5) के प्रावधानों के अनुसार पुष्टि करते हैं कि;

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन करके उन्हें सुसंगत तरीके से लागू किया और ऐसे निर्णय एवं अनुमान तैयार किए जो युक्तिसंगत और सही हैं और वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज की स्थिति और उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं;
- निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखने में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;
- निदेशकों ने लाभकारी करोबार वाले संस्थान के आधार पर वार्षिक लेखें तैयार किए हैं;
- निदेशकों ने सूचीबद्ध कंपनी के रूप में कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विनिर्धारित किए और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; और
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ तैयार की थी और ये प्रणालियाँ पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

निगमित अभिशासन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची–V के साथ पठित विनियम 34 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में निगमित अभिशासन रिपोर्ट इस रिपोर्ट में अनुलग्नक-V पर दी गई है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने निगमित अभिशासन पर एक प्रमाणपत्र जारी किया है जो निगमित अभिशासन रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

संबंधित पक्षों के साथ संविदा और समझौतें

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की नीति को बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसे www.nalcoindia.com पर देखा जा सकता है।

आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 की ओर आकर्षित करते हैं जो संबंधित पक्ष प्रकटन को दर्शाती है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, संबंधित पक्ष के साथ कोई संविदा नहीं की गई। बहरहाल, इस रिपोर्ट में फॉर्म एओसी-2 में एक रिपोर्ट अनुलग्नक-VI पर संलग्न है।

निदेशकगण और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक-मण्डल में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को नियुक्त किया गया है:

- डॉ॰ तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक
- श्री एन॰आर॰ महान्ति, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) 31.01.2017 तक
- श्री के॰.सामल, निदेशक (वित्त)
- सुश्री सोमा मण्डल, निदेशक (वाणिज्य) 28.02.2017 तक
- श्री व्ही.बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)
- श्री बसन्त कुमार ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन) (04.07.2016 से प्रभावी)
- श्री एस. के. रॉय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) (03.02.2017 से प्रभावी)
- श्री के. एन. रवीन्द्र, कार्यपालक निदेशक
– कम्पनी सचिव 31.05.2017 तक
- श्री एन. के. महान्ति, कम्पनी सचिव, 01.06.2017 से प्रभावी

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा

कंपनी को कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा प्राप्त हुई है जो इस बात की पुष्टि करती है कि उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, दोनों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंड का पालन किया है।

बोर्ड की बैठकें

वर्ष के दौरान, निदेशक-मंडल की आठ बैठकें आयोजित की गई। बैठकों का ब्यौरा इस वार्षिक रिपोर्ट में निगमित अभिशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक-V) में उपलब्ध है।

बोर्ड की विभिन्न उप-समितियाँ

लेखापरीक्षा सहित विभिन्न उप-समितियों की संरचना, विचारार्थ विषय, आयोजित बैठकों का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी की वार्षिक विवरणी का सार विनिर्धारित फार्म एमजीटी-9 में इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-VII के रूप में संलग्न है।

सामान्य

आपके निदेशक उल्लेख करते हैं कि निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटन या रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है क्योंकि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, इन मदों के संबंध में कोई लेन-देन नहीं किए गए:-

- अधिनियम के अध्याय के अंतर्गत आने वाले निक्षेपों से संबंधित विवरण।
- लाभांश, वोटिंग या अन्य से संबंधित विभिन्न अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी करना।
- कंपनी के कर्मचारियों को शेयर, स्वेद इक्विटी और ईएसओएस जारी करना।
- कंपनी के सीएमडी और पूर्णकालिक निदेशक कंपनी से कमीशन प्राप्त नहीं करते हैं।
- विनियामक या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण या अर्थपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया, जिसका कि कंपनी की वर्तमान स्थिति या भावी परिचालनों पर प्रभाव पड़ सकता है।

आपके निदेशक यह भी उल्लेख करते हैं कि निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में कोई प्रकटन या रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की यथा संशोधित अधिसूचना और 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों को इनके लिए छूट प्रदान की है।

- धारा 134(3)(ड़) और धारा (2), (3) व (4) के अनुसार, योग्यता, दायित्व और स्वतंत्रता आदि के निर्धारण हेतु मापदंड सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति।
- कंपनी (लेखें) नियमावली के नियम 8(4) के साथ पठित धारा 134(त) के अनुसार, पद्धति, जिसके द्वारा बोर्ड, इसकी समितियों और एकल निदेशकों के कार्यनिष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया गया।
- कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली के नियम 5 के साथ पठित धारा 197(12) के अनुसार, प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक और कर्मचारी के माध्यिका पारिश्रमिक से अनुपात।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

वर्ष के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत एक मामला सूचित किया गया, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है।

ऋणों, गारंटी और निवेशों के विवरण

ऋणों, गारंटी और निवेशों के विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 10 और 12 भाग के भाग हैं।

सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम कंपनियां और संबद्ध कंपनियां

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, न तो कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या संबद्ध कंपनी बनी और न ही कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या संबद्ध कंपनी बंद की गई।

संयुक्त उद्यम कंपनियों और संबद्ध कंपनियों से संबंधित विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 47 का भाग हैं।

फार्म एओसी-1 (टिप्पणी 48) में संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनियों की मुख्य विशेषताएं कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण भाग हैं।

पुरस्कार और सम्मान

- खान मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2017 में नालको की पंचपटमाली बॉक्साइट खानों को दीर्घकालिक विकास फ्रेमवर्क के लिए उसके प्रयासों और नवीन कदमों के लिए 5-स्टार रेटिंग प्रदान की गई।
- केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (कैपेक्सिल) द्वारा फरवरी, 2017 में वर्ष 2014-15 के लिए खनिज एवं अयस्क क्षेत्र में इसके शानदार निर्यात कार्यप्रदर्शन के लिए उच्चतम निर्यात पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

माननीय मंत्रीगण नालको के पवन विद्युत संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करते हुए

- फरवरी, 2017 में इंडियन इंस्टीटयूशन ऑफ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग (आईआईआईई) द्वारा परफॉरमेंश एक्सीलेंस अवार्ड।
- वित्त वर्ष 2016-17 में वर्ष 2014-15 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए स्कोप मेरिटोरियस अवार्ड।
- वित्त वर्ष 2016-17 में वर्ष 2014-15 के लिए नवरत्न और महारत्न कंपनियों के लिए इंस्टीटयूशनल श्रेणी-I में स्कोप एक्सीलेंस अवार्ड।
- जुलाई, 2016 में डीजीएमएस द्वारा ठेकेदारों के कामगारों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए प्रथम पुरस्कार और पंचपटमाली बॉक्साइट खानों के लिए जल प्रबंधन/मानसून की तैयारियों के लिए प्रथम पुरस्कार।

अन्य प्रमुख पुरस्कार

- अप्रैल, 2016 में दैनिक भास्कर समूह द्वारा सीएसआर, पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के लिए वर्ष 2015-16 के लिए इंडिया प्राइड अवार्ड।
- अप्रैल, 2016 में भुवनेश्वर में रूरल मैनेजमेंट के केआईआईटी स्कूल और ओड़िशा लाइव द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ओड़िशा समिट 2016 के दौरान 'आउटस्टैंडिंग सीएसआर प्रेक्टिस इन कम्युनिटी डेवलेपमेंट अवार्ड'।
- मई, 2016 में रोटरी कल्ब-हेरिटेज, भुवनेश्वर के सहयोग से इंस्टीटयूट ऑफ क्वालिटी एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज (आईक्यूईएमएस) द्वारा वर्ष 2015 के लिए गोल्ड कैटेगरी में 'सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड'।
- जून, 2016 में, भुवनेश्वर में अग्रणी वेब चैनल नेटवर्क ओड़िशा लाइव द्वारा 'इमर्जिंग ग्लोबल ब्रांड अवार्ड'।
- टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने अगस्त, 2016 में नालको को इसके सीएसआर कार्यों के लिए सम्मानित किया।
- भुवनेश्वर में सितंबर, 2016 में मेटलर्जिकल उत्पादों की श्रेणी में लगातार 2011-12, 2012-13 और 2013-14 वर्षों के लिए बेस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड।
- 12 अगस्त, 2016 को ओड़िशा एसेम्बली ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज (ओएएसएमई) द्वारा आयोजित 30वें वार्षिक राज्य स्तरीय सम्मेलन-2016 में बेस्ट मदर प्लांट अवार्ड।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करना

भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई, 2017 से लागू कर दिया है। कंपनी ने सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में जीएसटी को अपनाने के लिए सभी तैयारियां पहले से कर ली थी और जीएसटी कानून के अनुपालन में कारोबार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईआरपी सिस्टम में बदलाव किए गए और कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। कंपनी ने अपने संयंत्रों और कार्यालयों में वेंडर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए।

कंपनी ने अपने व्यवसाय में बगैर किसी व्यवधान के 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी को सफलतापूर्वक अपना लिया है और कंपनी ने भविष्य में होने वाले उन बदलावों के लिए भी पहले से तैयारी कर रखी है, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएंगे।

कंपनी के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कंपनी के स्वचलित वित्तीय विवरणों पर सी.एवं ए.जी. से आपकी कंपनी को 'शून्य' टिप्पणी प्राप्त हुई है। इसके अलावा, कंपनी के एकीकृत वित्तीय विवरणों पर उनके द्वारा संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा पर भी सी.एंड ए.जी. ने 'शून्य' टिप्पणी दी है। उनकी टिप्पणियाँ इसवार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र संलग्न हैं।

लेखा-परीक्षक

सांविधिक लेखा-परीक्षक

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक द्वारा मेसर्स सी.एवं ए.जी. पर और मेसर्स गुहा नन्दी एंड कं. को आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया।

सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है। लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में व्यक्त अवलोकन स्व-व्याख्यात्मक हैं और इसलिए कोई अन्य टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

लागत लेखा-परीक्षक

लागत लेखापरीक्षा आदेशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागत लेखापरीक्षा कंपनी पर लागू है। कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों एवं सभी अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार मेसर्स तन्मय एस प्रधान एंड कं. को वर्ष 2016-17 के लिए लागत लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया है।

आपकी कम्पनी निर्धारित समयावधि के अन्दर निगमित मामले मंत्रालय को अपनी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट जमा करेगी।

सचिवीय लेखा-परीक्षक

अधिनियम की धारा 204 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार मेसर्स सरोज राय एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कम्पनी सचिव को कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखापरीक्षकों की योग्यता टिप्पणियों पर प्रबंधन के स्पष्टीकरणों सहित सचिवीय लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-VIII में संलग्न है।

आन्तरिक लेखा-परीक्षक

आपकी कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आपकी कंपनी आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों के निष्पादन के लिए निम्नलिखित सनदी लेखाकार फर्मों को नियुक्त किया है:

- निगम कार्यालय, भुवनेश्वर के लिए मेसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स
- प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुळ के लिए मेसर्स एससीएम एंड एसोसिएट्स
- खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी तथा पत्तन सुविधाएँ, विशाखापत्तनम् के लिए मेसर्स राव एंड कुमार
- उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के लिए मेसर्स भाटिया एंड भाटिया
- पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए मेसर्स प्रबीर रञ्जन दत्ता एंड कं.
- दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै के लिए मेसर्स राघवन एंड मुरलीधरन्
- पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई के लिए मेसर्स एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स

निदेशकगण

पिछली रिपोर्ट के बाद से आपकी कंपनी के निदेशक-मण्डल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

नियुक्ति

- श्री सुभाष चन्द्र, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय 20.10.2016 से निदेशक-मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।
- श्री एस के रॉय 03.02.2017 से निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में नियुक्त हुए।
- सुश्री किरण घई सिन्हा 03.02.2017 से निदेशक-मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त हुईं।
- डॉ. निरञ्जन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, 15.03.2017 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।

कार्यकाल समाप्ति

- श्री एन बी धळ, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय 20.10.2016 से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक नहीं रहे।
- श्री आर श्रीधरन्, विशेष सचिव, खान मंत्रालय 03.01.2017 से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक नहीं रहे।
- श्री एन. आर. महान्ति, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) 31.01.2017 को सेवानिवृत्त हुए।
- सुश्री सोमा मण्डल, निदेशक (वाणिज्य) 01.03.2017 से आपकी कंपनी के साथ जुड़ी नहीं रहीं।

आपके निदेशकगण श्री एन. बी. धळ, श्री आर. श्रीधरन्, श्री एन. आर. महान्ति और सुश्री सोमा मण्डल द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान दी गई बहुमूल्य सेवाओं से लिए अपनी प्रशंसा लिपिबद्ध करना चाहते हैं।

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण पूरी कृतज्ञता के साथ भारत सरकार विशेषकर खान मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, ओड़िशा सरकार, महानदी कोलफील्स लि०, भारतीय रेल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेख परीक्षा बोर्ड, कोलकाता, सांविधिक लेखा-परीक्षकों, लागत लेखा-परीक्षकों, सचिवीय लेखा-परीक्षकों, आन्तरिक लेखा-परीक्षकों, बैंकरों, न्यायाभिकर्ताओं और सं.उ. साझेदारों, व्यवसाय सहायकों, अन्य सरकारी संस्थाओं और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वर्ष के दौरान उनके द्वारा दिए गए निरंतर और प्रचुर समर्थन तथा सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करते हैं।

आपके निदेशकगण सम्मानित और माननीय देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों, विक्रेताओं, न्यायाभिकर्ताओं द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भी अपना आभार प्रकट करते हैं और आनेवाले वर्षों में भी उनके साथ इसी प्रकार के पारस्परिक व्यवसाय सहयोग की कामना करते हैं।

अंतिम लेकिन कम नहीं, आपके निदेशकगण विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा की गई समर्पित, वचनबद्ध और निष्ठापूर्ण सेवाओं के लिए तथा श्रमिक संघों एवं अधिकारियों के एसोसिएशनों से प्राप्त सक्रिय समर्थन और सहयोग के लिए भी अपनी सराहना एवं आभार दर्ज करते हैं।

कृते निदेशक-मण्डल और उनकी ओर से

TKChand

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 19.08.2017

डॉ॰ तपन कुमार चान्द
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

अनुलग्नक-I

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **हाथ में ली जानेवाली परियोजनाओं और कार्यक्रमों की रूपरेखा और नि.सा.उ. नीति के प्रति संदर्भ और परियोजनाओं या कार्यक्रमों की वेब-लिंक सहित, कम्पनी की नि.सा.उ. नीति की संक्षिप्त रूपरेखा**

नालको, सर्वे भवन्तु सुखिनः के दर्शन को अपनाते हुए एक सामाजिक उत्तरदायी व्यावसायिक उद्यम के रूप में अपने हितधारकों, अपने संयंत्रों और प्रचालन क्षेत्रों के परिधीय इलाकों के विकास के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण हेतु सदा से योगदान देती आई है और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों में संधारणीय विकास उपलब्ध करने के अपने लक्ष्य को बनाए रखा है। नि.सा.उ. पर अपनी सुचारु और नैतिक नीतियों के कार्यान्वयन और पर्यावरण संरक्षण के फलस्वरूप कंपनी उक्त लक्ष्यों को उपलब्ध करने में सफल हुई है।

यह कम्पनी 2011-12 से निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए अपने कर पश्चात लाभ का 2% आबंटित करती रही है और 2014-15 के बाद से, यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अधीन निर्धारित विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत तत्काल पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए शुद्ध लाभ के औसत का 2% खर्च कर रही है। ये गतिविधियाँ स्थानीय व्यक्ति और उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्रकट किए गए आवश्यकता के तथ्यों के साथ साथ इसके नि.सा.उ. दस्ते द्वारा जरूरतों के मूल्यांकन के आधार पर चलाई जाती हैं।

कम्पनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों के साथ अन्य प्रमुख बल दिए जानेवाले क्षेत्र यथा- आर्थिक स्थिति में उत्थान और सामुदायिक देखभाल, आनुषंगिक सुविधाओं का विकास, स्वास्थ्य देखबाल एवं स्वास्थ्य शिक्षा, शिक्षा एवं साक्षरता को प्रोत्साहन देना, खेलकूद एवं क्रीड़ा, कला, दस्तकारी एवं संस्कृति आदि को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं जिससे इसकी आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप नकारात्मक और सामाजिक पर्यावरण प्रभाव को निम्नतम करने में मदद मिलती है और कम्पनी की जिम्मेदार सार्वजनिक छवि को बढ़ावा मिलता है।

निदेशक-मंडल अनुमोदित कम्पनी की विस्तृत नि.सा.उ. नीति कम्पनी के वेबसाइट अर्थात् **www.nalcoindia.com** पर उपलब्ध कराई गई है।

2016-17 के दौरान भी, इस कम्पनी ने आनुषंगिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, स्वच्छता, पीने के पानी की सुविधा, शिक्षा को बढ़ावा, पर्यावरणीय संधारणीयता, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन आदि के क्षेत्र में अपनी निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित रखना जारी रखा है।

खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी के परिधीय गाँवों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में, वोखार्ट फाउण्डेशन की सहयोगी-सेवा के साथ 04 मोबाईल स्वास्थ्य एकक (एम.एच.यू.ज) संचालित किए जा रहे हैं। इसीप्रकार, अनुगुळ क्षेत्र में लॉयन्स क्लब, अनुगुळ की सेवा के साथ तीन मोबाईल स्वास्थ्य एकक (एम.एच.यू.ज) संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक एम.एच.यू. ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है, जिनमें मुफ्त दवाइयाँ, रोग-निदान और सूचना शिक्षा, संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों के माध्यम से सचेतनता निर्माण शामिल है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुळ में नवम्बर 2016 से अनुगुल क्षेत्र के परिधीय गाँवों के व्यक्तियों के उपचार के लिए बाहरी रोगियों के लिए उद्दिष्ट एक विशिष्ट वाह्य-रोगी केन्द्र कार्यरत है। यह केन्द्र एक योग्य डॉक्टर और पैरा-मेडिकल स्टाफ के साथ कार्यरत है। 2016-17 वर्ष के दौरान, उपर्युक्त सुविधाओं के माध्यम से कुल 1,12,809 रोगियों का उपचार किया गया।

आदिवासी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के सन्दर्भ में, एक महत्वपूर्ण नि.सा.उ. पहल के रूप में, दामनजोड़ी क्षेत्र के और पोट्टांगी खान क्षेत्र के परिधीय गाँवों से 755 विद्यार्थियों को 3 आवासीय स्कूलों यथा- कलिंग इन्स्टीच्यूट ऑफ सोसियल साईन्सेस (किस्स), भुवनेश्वर, कोरापुट विकास फाउण्डेशन, जयपुर, विकास विद्यालय, कोरापुट में औपचारिक शिक्षा के लिए प्रायोजित किया गया है। इन विद्यार्थियों की स्कूली शिक्षा पूरी होने तक उनकी पढ़ाई, आवास और भोजनादि की कुल लागत का वित्तपोषण कम्पनी द्वारा वहन किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, परिधीय गाँवों के विद्यार्थियों को दामनजोड़ी और अनुगुळ में अवस्थित कंपनी से सहायता प्राप्त दो स्कूलों अर्थात् सरस्वती विद्या मन्दिरों में पढ़ने की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

सरकार के "बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ" उद्देश्य के समान, कम्पनी ने "नालको र अळियाळि झिअ" योजना के अन्तर्गत, मेधावी एवं गरीब कन्या विद्यार्थियों की शिक्षा को आर्थिक सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित करने की एक योजना विकसित की है, जिसकी कम्पनी के प्रचालनों के आसपास के लोगों द्वारा भारी प्रशंसा की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 181 ऐसी कन्या विद्यार्थियों को समर्थन प्रदान किया जा चुका है।

स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय अभियान के अन्तर्गत, कम्पनी ने उक्त तारीख तक मा.सं.वि.मं. के 354 शौचालयों के लक्ष्य के मुकाबले 473 शौचालयों का निर्माण निर्धारित समय के अन्दर पूरा किया।

2. **निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का संघटन:**

श्री डी महन्त, स्वतन्त्र निदेशक, अध्यक्ष

श्री एस शंकररमण, स्वतन्त्र निदेशक

श्री एम साहु, स्वतन्त्र निदेशक

सुश्री किरण घई सिन्हा, स्वतन्त्र निदेशक

श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त)

श्री व्ही॰ बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)

श्री बी. के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)

3. **पिछले तीन वित्त वर्षों के लिए कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ :**
137809.67 लाख

4. **निर्धारित नि.सा.उ. खर्च (ऊपर मद सं.3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत):**
2756.19 लाख

5. **वित्त वर्ष के दौरान नि.सा.उ. खर्च का विवरण:**

(क) वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि:
3000.80 लाख

(ख) खर्च नहीं हुई राशि , यदि कोई हो
शून्य

(ग) वित्त वर्ष के दौरान जिस तरीके से राशि खर्च की गई उसका विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ लाख में)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं.	चिह्नित नि.सा.उ. परियोजना या गतिविधि	वह क्षेत्र, जिसमें यह परियोजना प्रछन्न है।	परियोजनाएँ या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र हैं या अन्य (2) जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम था हाथ में लिए गए हैं उस राज्य और जिले का उल्लेख	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार	परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर खर्च राशि का उप-शीर्ष : (1) परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) ऊपरी खर्च	रिपोर्ट अवधि तक सकल खर्च	खर्च हुई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेन्सी के माध्यम से
01	स्वास्थ्य पहुँच कार्यक्रम – मोबाईल मेडिकल एकक, नैदानिक एवं शिक्षा, संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से सचेतनता निर्माण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाएँ	अनुसूची VII की मद सं.(i) - निरोधक स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुळ जिले	425.18	163.59	238.22	नालको फाउण्डेशन और कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
02	स्वच्छ विद्यालय अभियान और अन्य उद्देश्य के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण	अनुसूची VII की मद सं.(i) - निरोधक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुळ जिले और आन्ध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम् जिला	611.46	101.57	302.01	नालको फाउण्डेशन और कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
03	संयंत्रों के परिधीय गाँवों और पुरी में रथयात्रा के दौरान सुरक्षित पीने का पानी प्रदान करना	अनुसूची VII की मद सं.(i)- सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराना	ओड़िशा के अनुगुळ एवं कोरापुट जिले और ओड़िशा का पुरी जिला	164.81	68.37	139.35	नालको फाउण्डेशन और कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
04	शिक्षा को प्रोत्साहन, प्रसिद्ध आवासीय स्कूलों में औपचारिक शिक्षा के लिए आदिवासी बच्चों का प्रायोजन	अनुसूची VII की मद सं.(ii) - विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुळ जिले	2997.14	2131.83	5438.08	नालको फाउण्डेशन और कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
05	आजीविका के लिए विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सहायता	अनुसूची VII की मद सं.(ii) -विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विसक्षमों में रोजगार बढ़ानेवाले पेशागत कौशल और आजीविका वर्द्धन के कार्यक्रम	ओड़िशा के कोरापुट, अनुगुळ एवं खुर्दा जिले	283.20	-	92.00	कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
06	पर्यावरणीय संधारणीयता, वृक्षारोपण के माध्यम से पारिस्थिकी संतुलन सुनिश्चित करना, छत पर सौर विद्युत प्रणाली की संस्थापना	अनुसूची VII की मद सं.(iv) -पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करना	ओड़िशा का खुर्दा जिला	389.34	131.70	320.44	नालको फाउण्डेशन और कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
07	राष्ट्रीय धरोहर और संस्कृति के परिरक्षण के प्रति अंशदान और पारम्परिक कला और हस्तशिल्प.का विकास	अनुसूची VII की मद सं.(v) - राष्ट्रीय धरोहर, कला एवं संस्कृति का परिरक्षण	ओड़िशा के कोरापुट एवं खुर्दा जिले	111.28	55.75	91.03	कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से

1	2	3	4	5	6	7	8
08	परिधीय गाँवों और अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास गतिविधियाँ	अनुसूची VII की मद सं.(x) -ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुळ जिले	1326.28	310.63	513.66	नालको फाउण्डेशन और कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
09	सामाजिक-आर्थिक विकास/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ अल्पसंख्यकों/ महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष/ केन्द्रीय सरकार निधि में अंशदान	अनुसूची VII की मद सं.(viii) - प्रधानमंत्री राहत कोष या केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित अन्य किसी निधि में अंशदान	भारत भर में	400.00		400.00	नालको फाउण्डेशन
10	पुरी में प्रतिष्ठित तीर्थस्थल विकास परियोजनाएँ	स्वच्छ प्रतिष्ठित तीर्थस्थल विकास के अधीन विशेष परियोजना	पुरी, ओड़िशा	467.00	--	--	नालको फाउण्डेशन और कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
11	विभिन्न नि.सा.उ. परियोजनाएँ/कार्यक्रम चलाने के लिए प्रशासनिक खर्च			71.01	37.36	37.36	नालको फाउण्डेशन
	कुल:				**3000.80**	**7572.15**	

- उपर्युक्त नि.सा.उ. खर्च 2016-17 वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग है और विधिवत् अंकेक्षित है।
- नालको फाउण्डेशन भारतीय न्यास अधिनियम के अधीन एक न्यास है, जो विशेष रूप से कम्पनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों को हाथ में लेने के लिए गठित किया गया है।
- कुछ परियोजनाएँ नालको फाउण्डेशन द्वारा कम्पनी के प्रचालन क्षेत्रों के अन्दर कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से कार्यान्वित की गई है।

6. पिछले तीन वित्त वर्षों या इसके किसी अंश के औसत शुद्ध लाभ को खर्च करने में असमर्थ होने के मामले में, कम्पनी को राशि के खर्च नहीं किए जाने के अपनी निदेशक-मंडल की रिपोर्ट में प्रदान करने होंगे।

   कम्पनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत से अधिक का खर्च किया है।

7. भावी नि.सा.उ. रणनीति

   भारत सरकार के ध्वज-पोत कार्यक्रम यथा- स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, डिजिटल भारत आदि के समान नालको अपनी नि.सा.उ. परियोजनाओं को केन्द्रित करेगी और परिधीय क्षेत्रों में लोगों के समाजिक-आर्थिक जीवन को उन्नत करने के लिए प्रयास करेगी। रोजगारक्षमता बढ़ाने के लिए "मिशन कुशल भारत" एक प्राथमिकतावाला क्षेत्र होगा। 2017-18 के दौरान नि.सा.उ. परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बल दिया जाएगा।

8. नि.सा.उ. नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कम्पनी के नि.सा.उ. उद्देश्यों और नीति का अनुपालन करते हुए हो रहा है।

स्वा.
(डॉ० तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

स्वा.
(दीपकंर महन्त)
स्वतन्त्र निदेशक एवं अध्यक्ष
निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता विकास समिति

अनुलग्नक-2

प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग संरचना एवं विकास

एल्यूमिना

धातुकर्मीय ग्रेड एल्यूमिना का भूमण्डलीय उत्पादन वर्ष 2015 के 112.31 मिलियन टन से 2016 में बढ़कर 114.97 मिलियन टन तक पहुँच गया, जिससे वर्ष-दर-वर्ष लगभग 2.4% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान, एल्यूमिना की भूमण्डलीय खपत 111.41 मिलियन टन से बढ़कर 114.59 मिलियन टन तक पहुँच गई, जिससे वर्ष-दर-वर्ष लगभग 2.8% की वद्धि हुई। वर्ष 2016 के दौरान धातुकर्मीय ग्रेड एल्यूमिना के उत्पादन और खपत दोनों में चीन विश्व में अग्रणी बना रहा, जिसका कुल भूमण्डलीय उत्पादन में लगभग 52% और भूमण्डलीय खपत में लगभग 54% हिस्सा है। चीन के अलावा, मध्य-पूर्व के देशों में भी, 2015 के 1.30 मिलियन टन से, 2016 में 1.84 मिलियन टन तक उत्पादन में (वर्ष-दर-वर्ष 40% से अधिक) की तीव्र वृद्धि हुई।

पिछले वर्ष के दौरान, कुछ वृहद् उत्पादकों के द्वारा नियंत्रित होकर परिशोधन क्षमता के उल्लेखनीय समानुपात के साथ, चीन में एल्यूमिना बाजार विशालतः एक विक्रेता का बाजार बन गया, मूल्य को नियंत्रित करने में सक्षम है। 2016 के दौरान, चीन में प्रद्रावकों की संभावितआगे निकलती क्षमता में कटौती के साथ, एल्यूमिना के लिए बाजार भाव मिश्रित स्थिति में बने रहे। 2016 के अंत तक एल्यूमिना के मूल्य लगभग $350/टन के शिखर तक पहुँच गए। उसके बाद, एल्यूमिना मूल्य स्थिर हो गए और 2017 की प्रथम तिमाही के दौरान सामान्यतः सुदृढ़ बने रहे। लेकिन, मुख्यतः एल्यूमिना स्पॉट बाजार में चीन के निष्क्रियबने रहने के कारण, द्वितीय तिमाही में मूल्य घट गए। चीन में एल्यूमिना माल-भंडार ऊँचे बने रहना जारी रहा और देशीय व्यवसायियों ने देश में एल्यूमिनियम आपूर्ति की ओर सुधारों की आशा करते हुए "प्रतीक्षा करो और नजर रखो" का अभिगम अपनाए रखा। हाल के महीनों में, केवल कुछ छिट-पुट कारोबार होने के साथ, चीन के एल्यूमिना बाजार में गतिविधि वास्तव में काफी मन्दी बनी रही। 2017 के द्वितीयार्द्ध के दौरान, चीन में सुयोजित रूप से प्रद्रावकों में कटौती से चीन के एल्यूमिना मूल्यों के लिए बाजार भाव में मन्दी बढ़ी।

2016-17 के दौरान भारत में कुल निस्तप्त एल्यूमिना उत्पादन लगभग 61 लाख मे॰ट॰ हुआ था और लगभग 20.32 लाख मे॰ट॰ के साथ नालको का अंश 35% था।

एल्यूमिनियम

भूमण्डलीय एल्यूमिनियम उत्पादन वर्ष 2015 के 57.10 मिलियन टन से 2016 में 58.73 मिलियन टन तक वर्ष-दर-वर्ष लगभग 2.9% बढ़ा , जबकि भूमण्डलीय एल्यूमिनियम खपत 2015 के 56.63 मिलियन टन से 2016 में 59.65 मिलियन टन तक वर्ष-दर-वर्ष लगभग 5.3% बढ़ा। एल्यूमिनियम बाजार में 2016 के दौरान, इसप्रकार, 0.92 मिलियन टन की कमी दर्ज हुई। 31.77 मिलियन टन के उत्पादन स्तर के साथ, जो कुल वैश्विक निर्गम का लगभग 54% होता है और 29.11 मिलियन टन के खपत स्तर के साथ, जो वैश्विक खपत का लगभग 54% होता है, चीन एल्यूमिनियम का विश्व का वृहत्तम उत्पादक और उपभोक्ता बना हुआ है। 2016 के दौरान चीन में उत्पादन में लगभग 3.3 % की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि रिकार्ड हुई, जबकि शेष विश्व में 2.4% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई (जो 2015 के 1.7% वर्ष-दर-वर्ष से उल्लेखनीय रूप से ऊँची है)। इसीप्रकार, 2016 के दौरान प्राथमिक एल्यूमिनियम की खपत में वृद्धि चीन में 7.3% हुई और लगभग शेष विश्व में लगभग 3.2% हुई।

पूरे वर्ष 2016 भर में, चुनौतीपूर्ण वस्तु बाजार के बावजूद, एल्यूमिनियम उद्योग ने अपने प्रक्षेप-पथ में विकास जारी रखा। एशिया में (चीन सहित) प्राथमिक एल्यूमिनियम क्षेत्र फूला-फला जबकि चीन, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में मांग परिदृश्य अधिकांशतः उठावदार बना रहा। पिछले वर्ष अनुप्रवाह क्षेत्र की ओर क्रमशः बदलाव से 2017 में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की आशा है। 2016 में एल्यूमिनियम उद्योग में संधारणीयता और लागत प्रबन्धन ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

लंदन धातु बाजार के मूल्य अप्रैल, 2016 यू.एस.डॉलर 1,481/मे॰ट॰ तक कम होने और मार्च, 2017 में यू.एस.डॉलर 1,955/मे॰ट॰ तक ऊँचे होने की अस्थिरता के साथ, 2016-17 में वर्षभर भूमण्डलीय एल्यूमिनियम मूल्यों ने उल्लेखनीय चंचलता दर्शायी। 2016-17 के लिए औसत एल॰एम॰ई॰ नकद निपटान मूल्य यू.एस.डॉलर 1,688 प्रति मे॰ट॰ थे, जिससे 2015-16 के औसत यू.एस.डॉलर 1,592 प्रति मे॰ट॰ से वर्ष-दर-वर्ष लगभग 6% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। हाल के महीनों में एल्यूमिनियम मूल्यों में तेज बढ़ोतरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनेवाले दो मूलभूत कारक हैं - भूमण्डलीय माल-भंडार स्तर में कमी की रिपोर्ट और प्रधानतः चीन में प्रद्रावकों की लागत में मुद्रास्फीति।

वित्तवर्ष 2016-17 के अंत में (र्‍यूटर्स द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार) एल्यूमिनियम का अनुमानित स्टॉक लगभग 18.86 मिलियन मे॰ट॰ था, जिससे पिछले वित्त वर्ष के अंत में रहे 27.92 मिलियन मे॰ट॰ के स्तर में 30% से अधिक की तीक्ष्ण कमी दर्ज होती है।

अवसर और खतरे:

अवसर

विविध क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोगों में एल्यूमिनियम के उपयोग को देखते हुए, इसे "भविष्य की धातु" के रूप में वर्णन किया जाता है। वस्तुतः, जब विभिन्न प्रकार के उपयोगों की बात आती है तो बहुत कम धातुओं की एल्यूमिनियम के साथ तुलना की जा सकती है। अपनी मजबूती, टिकाऊपन, जंगरोधिता, उत्कृष्ट विद्युत सुचनालकता और अनेक अन्य गुणों के कारण यह अत्यन्त लोकप्रिय है। प्रासंगिकता के साथ, सिद्धान्ततः एल्यूमिनियम बिना कोई प्राकितक गुण की हानि के साथ 100% पुनःचक्रण-योग्य है।

भारत में विद्युत क्षेत्र दीर्घकाल से एल्यूमिनियम उद्योग का प्रधान आधार रहा है। लेकिन, अब विभिन्न नए क्षेत्रों में भी अच्छी रीति उल्लेखनीय विकास की संभावनाओं का अन्वेषण किया जा रहा है। परिवहन क्षेत्र में, जबकि स्वचालित वाहन उद्योग (भारत सहित) अभी तक भारी रूप से इस्पात पर आश्रित रहता है, ईंधन कुशलता बढ़ाने और कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन कम

करने के लिए, भूमण्डलीय रूप से एल्यूमिनियम के बहुत व्यापक उपयोग होने लगे हैं। विशेषज्ञों भविष्यवाणी है कि 2025 तक एक कार में औसत एल्यूमिनियम अंश 60% तक बढ़ जाएगा, जो विश्वभर में एल्यूमिनियम उत्पादकों के लिए एक अनुपम अवसर उपस्थापित करता है। इसीप्रकार, जापान में शिंकासेन की तरह और शंघाई में मेग्लेव की तरह हाई-स्पीड रेल सीस्टम्स में भी एल्यूमिनियम का उपयोग गहनता से होता है। यह धातु डिजाइन बनानेवालों को रेलगाड़ियों का वजन जबरदस्त रूप से घटाने में सक्षम बनाती है। भारत सरकार भी नई मेट्रो रेल नीति निरूपित कर रही है, जिससे नई मेट्रो रेललाईनों और सहयोगी सुविधाओं में उल्लेखनीय निवेश होने कीआशा है, जिससे एल्यूमिनियम की मांग को भी समर्थन मिलेगा। इसके साथ, एरोस्पेस और रक्षा उपयोगों को लिए जरूरी विशिष्ट एल्यूमिनियम अयस्कों के उत्पादन के संबंध में भी अवसर विद्यमान हैं।

अनुप्रवाह और मूल्यवर्द्धित उत्पाद खण्ड यथा- शीट्स, एक्सट्रूजन्स और ढलाई में भी सुअवसर विद्यमान हैं। एल्यूमिनियम के जंगरोधी गुण के कारण एल्यूमिनियम संरचनाएँ वस्तुतः अनुरक्षण-मुक्त होती हैं और आजकल, संधारणीय विकास और वनों की कटाई को सीमित करने / पर्यावरणीय अवक्रमण पर बल दिए जाने की दृष्टि से भी भवननिर्माण और निर्माण क्षेत्र में एल्यूमिनियम के उपयोग में वृद्धि होने की उल्लेखनीय संभावनाएँ हैं।

खतरे

भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग के सामने आज ऐसे कई चुनौतियाँ हैं, जिसने इसके अस्तित्व को खतरे में जाल दिया है। एल्यूमिनियम की घटती वैश्विक कीमतों से देशीय प्राथमिक उत्पादकों के लिए विक्रय वसूली में कमी आई है जिससे कंपनियों की आधार-रेखा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। निकटवर्ती क्षेत्रों में कम मूल्यों में वृहद स्तरीय प्रद्रावकों की उपलब्धता, जैसे कि पश्चिम एशिया में (सस्ते गैस आधारित विद्युत उत्पादन के कारण) एवं चीन में (सस्ते में कोयला/पनविद्युत की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय सरकारों द्वारा प्रद्रावकों को दी गई विद्युत सब्सिडी और अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों के कारण) परिस्थितियाँ और भी बदतर हुई हैं।

इसके अतिरिक्त, देश में अपरिष्कृत एल्यूमिनियम और स्क्रेप के आयात के उच्च संख्यक मामलों (कुल देशीय खपत का लगभग 50% अनुमानित) के कारण देशीय एल्यूमिनियम उद्योग पर जबरदस्त दबाव बढ़ा है। भारी परिमाण में सस्ती आयातित सामग्री की उपलब्धता ने देशीय उद्योग पर गम्भीर आघात का खतरा पैदा कर दिया है।

भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग के लिए अन्य खतरे के बोध में भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था में मंदी, एल्यूमिनियम की प्रतिस्थापन सामग्रियों (प्लास्टिक, सम्मिश्र लकड़ी, इस्पात, काँच, ताम्बा आदि सहित) तथा देशीय बाजार में दूसरे स्तर के उत्पादकों से तगड़ी प्रतियोगिता, इन सभी से प्राथमिक उत्पादकों के विकास की संभावनाओं तथा लाभकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के खतरे शामिल हैं।

भविष्य के लिए दृष्टिकोण

अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य

2017 के लिए भूमण्डलीय उत्पादन परिदृश्य सामान्यतः आशावान रहा है। बंदी के समायोजनो के बाद, चीन में उत्पादन 36.6 मे.ट. तक पहुँचने (2016 पर वर्ष-दर-वर्ष लगभग 15% की वृद्धि दर्ज करते हुए) के साथ दृढ़ विकास संभाव्य है। भीतरी मंगोलिया और शिनजियांग में परियोजनाओँ के विकास के द्वारा संचालित विकास होने की आशा है। सिचुआन जैसे प्रदेशों में भी क्षमताओं के फिर से चालू होने की आशा है। ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में 2017 में प्रद्रावकों से निर्गम में 80% बढ़ोतरी होगी, जो यह सुझाव देता है कि इन प्रद्रावकों के लिए परिस्थितियों में किसी परिवर्तन से सकल उत्पादन परिदृश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। नई क्षमताओं के अंतर्वाह से एल्यूमिनियम मूल्य गिरने संभाव्य हैं, और परिणामस्वरूप संतुलन बनाने के लिए चीनी बाजार के लिए 2017 में बंदी करने की जरूरत होगी।

2017 में चीन के बाहर उत्पादन में सीमित विकास होने की आशा है। 2017 में शेष विश्व मेंवार्षिक उत्पादन 27.59 मे॰ट॰ तक पहुँचने के पूर्वानुमान हैं, जिससे 2016 में हुए 26.97 मे॰ट॰ की तुलना में केवल 2.2% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होगी।

मांग के मोर्चे पर, चीन में परिदृश्य जोशीला रहा है। चीन में, सकल देशीय उत्पाद और आई.पी. क्रमशः 6.5% और 5.8% तक बढ़ने के पूर्वानुमान के साथ, 2017 में.आर्थिक गतिविधि सुदढ़ रहने की आशा है। आवासीय निर्माण के साथ साथ परिवहन क्षेत्र से स्थिर मांग होने के आधार पर सुस्थिर विकास की आशा की जाती है। चीन में अनुप्रवाह क्षमता में वृद्धि प्रतियोगितात्मक बाजार स्थिति बना रही है, और परिवर्तन शुल्कों को संचारित कर रही है। हालांकि विश्लेषक विश्वास करते हैं कि 2017 के अंत में निर्माण और ओटोमोटिव दोनों क्षेत्रों में अन्ततः मांग धीमी होगी, आनुषंगिक सुविधाओं में सरकारी निवेश से मांग में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही, चीन में एल्यूमिनियम उपयोग में उच्चतर गहनता से विकास को समर्थन मिलने की आशा है। शेष विश्व में, प्रमुख अंतिम उपयोग के क्षेत्रों में दृढ़ गतिविधि दिखाई देने के साथ वेल्लित उत्पादों में आशावादी स्थिति बढ़ी है। 2017 में विशेषकर ओटोमोटिव बाजार से मांग के द्वारा संचालित,अंतिम उपयोग के क्षेत्र भर में निःस्त्रावित उत्पादों के लिए मांग बढ़ चुकी है।

2017 के दौरान चीनी आधारभूतों में कमजोरी होने से मूल्यों में कमी आ सकती है। अग्रणी वस्तु विश्लेषक सी.आर.यू. द्वारा पूर्वानुमान के अनुसार, 2017 की पहली तिमाही में $1,854/प्रतिटन और 2017 की दूसरी तिमाही में $1,917/प्रतिटन के औसत के बाद, एल॰एम॰ई॰ 3-मासिक मूल्य 2017 की तीसरी तिमाही में औसत लगभग $1,910/प्रतिटन तक रह सकते हैं। रिपोर्टों से सूचित हुआ है कि यदि पर्यावरणीय उपाय प्रचलित हो गए तो, चीन में हेनान, शांक्सी और शांडोंग प्रदेशों में एल्यूमिनियम प्रद्रावण की 30% क्षमता और एल्यूमिना परिशोधन की 50% क्षमता की कटौती हो सकती है। यदि चीन में क्षमताओं में कटौती होगी तो, एल्यूमिनियम मूल्यों को समर्थन मिलने की आशा है।

बाजार आशावादी है कि चीन में उत्पादन विकास के नियन्त्रण का प्रचलन होगा, जिससे वस्तुतः, एल्यूमिनियम के लिए निवेशकों की आशा उठेगी। बदले में, इससे एल्यूमिनियम मूल्य भावों को संवर्धन मिला है। शीतकालीन बन्दी होने और और चीनी आपूर्ति सुधार, वे प्रमुख कारण हैं, जिनसे मूल्य सुदृढ़ रहने की संभावना है। इसके अलावा, अप्रैल, 2017 में यू.एस. प्रशासन ने घोषणा की थी कि इस तथ्य की जाँच-पड़ताल की जाएगी कि क्या एल्यूमिनियम आयात से यू.एस. को आत्म-निर्भरता के प्रति खतरा हो सकता है। यह कार्यवाही से एल्यूमिनियम पर उच्चतर आयात शुल्क लगाए जा सकते हैं। चीन और यू.एस. में, आशान्वित नीति विकास मूल्य के परिणामस्वरूप, 2017 वर्ष भर मूल्य ऊँचे रह सकते हैं।

देशीय परिदृश्य

2016-17 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था अनुमानित 7.1% तक बढ़ी है, जो पिछले वित्तवर्ष वर्ष से सीमांत रूप से कम है। इसी समय, पिछले वित्तवर्ष के दौरान 7.4% की तुलना में, औद्योगिक क्षेत्र 5.2% की मध्यम श्रेणी पर बढ़ा है। मार्च-अप्रैल, 2017 में उद्योग, बैंक और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र के अर्थशास्त्रियों के मध्य किए गए नवीनतम फिक्की सर्वेक्षण के अनुसार, नीति-सुधारों के परिणामस्वरूप 2017-18 में, भारत का सकल देशीय उत्पाद विकास लगभग 7.4% सुदढ़ होने की आशा है, और निवेश में गति-वर्धन की आशा की जाती है। कुल मिलाकर सकल देशीय उत्पाद के विकास, उद्योग में सुधार और सेवा क्षेत्र के विकास द्वारा समर्थित होने की आशा है।

वित्तवर्ष 2016-17 के दौरान एल्यूमिनियम धातु का 2.86 मिलियन टन का कुल देशीय उत्पादन, 2015-16 में हुए 2.44 मिलियन टन पर 17.5% वर्ष-दर-वर्ष बढ़ा है। उसी समय, 2015-16 में हुई प्राथमिक धातु की 3.24 मिलियन टन की देशीय खपत से 2016-17 में अनुमानित 3.29 मिलियन टन की खपत, 1.6% की सीमान्त वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाती है। भारतीय उत्पादकों द्वारा प्राथमिक एल्यूमिनियम निर्यात में भी 2015-16 में 0.88 मिलियन टन से 2016-17 में 1.31 मिलियन टन तक 48% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज हुई।

पिछले वर्ष के दौरान देश में ट्रांसमिशन और वितरण क्षेत्र में मांग में कोई महत्त्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित नहीं हुआ। लेकिन, 2017-18 में स्थिति में एक सकारात्मक परिवर्तन होने की आशा है। भारत के केन्द्रीय बजट, 2017 में की गई घोषणा, जिसमें सरकार ने आनुषंगिक सुविधाओं के विकास में उच्चतर खर्च करना सूचित किया है, जिससे देश में एल्यूमिनियम उत्पादों के लिए मांग में सकारात्मक रुख की आशा है। मई, 2018 तक समग्र ग्रामीण भारत का विद्युतीकरण की सरकार की संकल्पना, भारत में विद्युत की मांग को समर्थन करेगी। परिणामस्वरूप, बढ़ती देशीय मांग को पूरा करने के लिए, उच्चतर क्षमता उपयोग उपलब्ध करते हुए, देशीय एल्यूमिनियम उत्पादकों द्वारा निर्गम बढ़ाए जाने की आशा है।

जोखिम और चिन्ताएँ

एल०एम०ई० मूल्य में अस्थिरता, यू.एस. डॉलर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, एल्यूमिनियम धातु के भूमण्डलीय उत्पादन में वृद्धि, भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था में मंदी और देशीय बाजार में मूल्य-वर्द्धित उत्पादों के लिए द्वितीय स्तर के उत्पादकों में बढ़ती प्रतियोगिता, निवेश मूल्यों में वृद्धि, आगामी वेतन परिशोधन, विद्युत शुल्क में वृद्धि आदि चिन्ता के कारण बने रहे।

जोखिम प्रबन्धन

इस कम्पनी की एक जोखिम प्रबन्धन नीति है, जिसमें अन्य विषयों के साथ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देश शामिल हैं। जोखिम प्रबन्धन को सामान्य व्यावसायिक अभ्यासों के अधीन लिया जाता है और निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में होता है।

कम्पनी की निदेशक-मंडल स्तर पर जोखिम प्रबन्धन समिति है। यह समिति आपवादिक जोखिम रिपोर्टों की समीक्षा करती है एवं समय समय पर उपचारी उपायों की राय देती है। जोखिम करने के उपायों की आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि कार्यपालक प्रबन्धन एक उचित पारिभाषिक ढाँचे के माध्यम से जोखिम पर नियन्त्रण रखना सुनिश्चित कर सकें। न्यूनीकरण योजनाओं के साथ नए जोखिम क्षेत्रों की पहचान के लिए आवधिक समीक्षा की जाती है। पहचाने गए जोखिम के लिए मनोनीत जोखिम अधिकारी निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर रखते हैं जिनकी कंपनी के लेखा-परीक्षकों द्वारा और साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर समीक्षा की जाती है। विचलन, यदि कोई हो, तो इसकी रिपोर्ट जोखिम प्रबन्धन समिति और निदेशक-मंडल को दी जाती है। अभी तक कंपनी में वर्ष के दौरान कोई जोखिम प्रचलित रहने का पता नहीं चला है जो कंपनी के व्यवसाय की कार्यप्रणआली के लिए संकट बन जाए।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

कम्पनी के पास अपने व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आंतिरक नियंत्रण की एक यथा प्रतिष्ठित एवं पर्याप्त प्रणाली है। कम्पनी की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निम्नोक्त को प्रदान करने के लिए तैयार की गई है:

- प्रयोज्य विधानों, नीतियों एवं कार्य प्रक्रियाओं, नियमों और अधिनियमों तथा प्रत्यायोजित प्राधिकारी का अनुपालन।
- लागू लेखाकरण मानकों और नीतियों का पालन।
- लेनदेनों को समुचित रूप से रिकार्ड करना एवं यथा समय रिपोर्ट करना।
- संसाधनों का प्रभावी उपयोग एवं कुशल प्रचालन।
- परिसंपत्तियों की हिफाजत।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5)(ई) के अनुसार, यह पूर्ण दायित्व निदेशकगणों का है कि वे सुनिश्चित करें कि कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली एवं ढाँचे का कार्यान्वयन किया है, जो पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से परिचालित हैं।

कम्पनी के पास अपने व्ययवसाय परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों के नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करने के लिए सुपरिभाषित नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और दिशा-निर्देश हैं। इसमें कंपनी द्वारा समय समय पर निर्धारित अधिकारों का प्रत्यायोजन, विभिन्न नियमावलियाँ, कार्यनीतियाँ और मार्गनिर्देश शामिल हैं। कंपनी के व्यवसाय सम्पादन में, अनुमोदित नीतियों, पद्धतियों एवं अनुदेशों का प्रभावी एवं दायित्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया है। कम्पनी ने अंकेक्षण समिति द्वारा यथा अनुमोदित एक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढाँचा विकसित और कार्यान्वित किया है जिसमें अंदरूनी संस्था स्तर की नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और प्रचालन स्तर की मानक प्रचालन पद्धतियाँ शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य कंपनी के मामलों से जुड़े अधिकारियों में जागरूपकता लाना है ताकि निर्दिष्ट नीतियों, पद्धतियों, अनुदेशों का पालन सुनिश्चित हो सके जिनके प्रभावी नियंत्रण के लिए डिजाईन बनाकर स्थापना की गई है। इससे निदेशकों को रिपोर्टिंग, प्रचालन एवं अनुपालन जोखिमों के विषय में नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं परिचालनीय कार्यकारिता के बारे में यथा संगत आश्वासन प्राप्त होता है।

वित्तीय विवरणों को लेखा-परीक्षा समिति एवं बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कंपनी द्वारा गृहीत प्रयोज्य लेखांकन मानकों एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुपालन में तैयार किया जाता है। पूरी कंपनी भर में इन नीतियों को एक समान लागू किया जाता है। मानक प्रचालन पद्धतियों द्वारा समर्थित लेखांकन नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अद्यन किया जाता है। यह कम्पनी एक व्यवसायी सक्षमकर्ता के रूप में और साथ ही अपनी लेखा बहियों को व्यवस्थित करने के लिए ईआरपी प्रणालियों का प्रयोग करती है। ईआरपी प्रणालियों में निर्मित मानक प्रचालन पद्धतियाँ और लेनदेन संबंधी नियंत्रण, समुचित अभिलेखन, कार्यविधियों का अनुमोदन एवं अभिलेखों का व्यवस्थापन सुनिश्चित करते हैं। इन प्रणालियों, मानक प्रचालन पद्धतियों और नियंत्रणों की प्रबंधन द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अद्यतन किया जाता है।

कंपनी ने सभी स्थानों एवं कार्य क्षेत्रों में लेखा-परीक्षा के निष्पादन हेतु अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य वाह्य सनदी लेखाकार फर्मों को सौंपा है। आन्तरिक अंकेक्षक संगठन में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कि मुख्यतया पूरे संगठन में ईआरपी कार्यान्वयन द्वारा सरलीकृत हुई है। लेखा-परीक्षा के फलस्वरूप आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन की समय-समय पर उपयुक्त स्तर पर समीक्षा की जाती है एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षकों के भौतिक अवलोकन लेखापरीक्षा समिति के पास जमा कराए जाते हैं ताकि इनकी समीक्षा एवं विश्लेषण हो सके और आंतिरक नियंत्रण प्रणाली को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सलाह दी जा सके। इस प्रकार प्राप्त कार्रवाई रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति के पास समय-समय पर जमा की जाती है।

वर्ष के दौरान, नियन्त्रणों को जाँचा-परखा गया था एवं रूपरेखा एवं कार्यकारिता में रिपोर्ट करने लायक कोई भौतिक कमजोरी नजर नहीं आई थी जो कि आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित है एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में कथित है। कम्पनी यह निर्दिष्ट करती है कि कोई भी आंतरिक नियंत्रण ढाँचा, चाहे कितने ही अच्छे से उसकी रूपरेखा तैयार की गई है, उनकी नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी एवं इसमें संशोधन किया जाएगा, ताकि बदलते व्यावसायिक परिवेश के साथ सामंजस्य बैठाते हुए प्रगतिशील आधार पर ऐसी प्रणालियों को सुदृढ़ किया जा सके।

प्रचालनात्मक निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

क. वित्तीय प्रचालन

I. प्रचालन से राजस्व **₹ करोड़ में**

विवरण	वित्तवर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16	परिवर्तन%
निर्यात कारोबार	3624.99	3,246.87	12
देशीय कारोबार	4,308.00	3,909.68	10
सकल कारोबार	7,932.99	7,156.55	11
अन्य प्रचालन आय	117.03	112.68	4
कुल	**8,050.02**	**7,269.23**	**11**

औसत बिक्री उपलब्धि और बिक्री के परिमाण में वृद्धि के संयुक्त प्रभाव के साथ पिछले वर्ष से इस वर्ष के दौरान बिक्री कारोबार बढ़ा है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, कम्पनी ने 12.95 लाख मे॰ट॰ एल्यूमिना बिक्री उपलब्धि की, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 12.20 लाख मे॰ट॰ उपलब्धि हुई थी। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, कम्पनी ने 3.86 लाख मे॰ट॰ एल्यूमिनियम धातु बिक्री उपलब्धि की, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 3.72 लाख मे॰ट॰ उपलब्धि हुई थी। एल्यूमिनियम धातु और एल्यूमिना की औसत बिक्री उपलब्धि क्रमशः लगभग 7% और 5% बढ़ी है। इसीप्रकार एल्यूमिनियम धातु और एल्यूमिना का बिक्री परिमाण क्रमशः लगभग 4% और 6% बढ़ा है।

पवन विद्युत के उच्चतर सृजन के कारण अक्षय ऊर्जा पर अधिक देय प्रोत्साहन से अन्य प्रचालन आय अधिक हुई है। 15.11.2016 से प्रभावी एल्यूमिनियम पर शुल्क में 1.9% से 1% और एल्यूमिना पर शुल्क में 1.4% से 1.1% तक शुल्क घटाए जाने के कारण उच्चतर निर्यात बिक्री होने के बावजूद, हालांकि निर्यात प्रोत्साहन घट गए हैं।

II. अन्य आय (गैर प्रचालनगत) **₹ करोड़ में**

विवरण	वित्तवर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16	परिवर्तन%
अन्य आय	408.27	605.13	-33

सितम्बर, 2016 में शेयरों की वापस-खरीदी के कारण लगभग ₹2,835 करोड़ तक निवेशयोग्य अधिशेष के घटने के बाद, मुख्यतः अधिशेष निधि के निवेश से कम आय होने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में अन्य प्रचालन आय कम हुई है। उपर्युक्त के अलावा, लब्धि में कमी के परिणामस्वरूप अन्य आय कम हुई।

III. खर्च ₹ करोड़ में

विवरण	वित्तवर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16	परिवर्तन %
खपत हुआ कच्चा माल	1,181.79	1,104.41	7
विद्युत और ईंधन	2,212.53	1,864.61	19
कर्मचारी परिलाभ व्यय	1,537.44	1,398.33	10
स्टॉक अभिवृद्धि /अवक्षय	(96.59)	(8.99)	--
अन्य व्यय	1,628.22	1,499.14	9
वित्त लागत	2.69	3.27	-18
मूल्यह्रास	480.36	426.12	13
उत्पाद शुल्क	506.98	452.27	12
कुल	**7,453.42**	**6,739.16**	**11**

- पिछले वर्ष के साथ तुलना में कच्चे माल व्ययों में वृद्धि, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम दोनों के उच्चतर परिमाण में उत्पादन के कारण हुई है। हाल ही के आई.बी.एम. मार्गनिर्देशों के अनुसार, उच्चतर सिलिका अंश के बॉक्साइट के उपयोग के कारण कॉस्टिक सोड़ा की विशिष्ट खपत उच्चतर होने के साथ, व्यय भी बढ़ गया। लेकिन, सीपी कोक के मूल्य में कमी के कारण व्यय में आंशिक कमी आई है।
- विद्युत एवं ईंधन लागत में वृद्धि निम्नोक्त पर आरोप्य हैं: (i) स्वच्छ पर्यावरण उपकर में वृद्धि और कोयला मिश्र में परिवर्तन के कारण ग्रविसं में कोयला का उच्चतर प्रभावी मूल्य, (ii) वित्तवर्ष 2015-16 के मध्यकाल से प्रभावी विद्युत शुल्क की दर में प्रति एकक 20 पैसे से 30 पैसे तक वृद्धि, (iii) ईंधन तेल मूल्य में वृद्धि और (iv) एल्यूमिना और एल्यूमिनियम दोनों के उत्पादन के परिमाण में वृद्धि।
- कर्मचारी लाभ व्ययों में वृद्धि मुख्यतः एक जनवरी, 2017 से देय कर्मचारियों के वेतनमान परिशोधन के लिए विचार में ली गई देनदारी के प्रावधान और सेवा-निवर्तन लाभों के प्रति एन.पी.एस. के आबंटन के कारण हुई।
- पिछले वर्ष के साथ तुलना में अन्य व्ययों में वृद्धि मुख्यतः सौर आर.पी.ओ. में बढ़ोतरी के कारण आर.पी.ओ.आबन्ध में वृद्धि, उच्चतर परिमाण के कारण रॉयल्टी देय में वृद्धि, विवादित सांविधिक देय के लिए प्रावधान में वृद्धि आदि हैं।
- मूह्यह्रास में वृद्धि कारण पॉट्स के उपयोगी जीवनकाल पर पॉट-रिलाइनिंग के एक-समान आबंटन के लिए पॉट-रिलाइनिंग पूँजीकरण पर मूल्यह्रास था (पिछले वर्ष तक , ऐसे रिलाईनिंग की लागत लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया।) इसके अलावा, सितम्बर, 2016 के दौरान तृतीय पवन विद्युत संयंत्र (50 मेगावाट) को चालू करने से मूह्यह्रास में वृद्धि हुई।

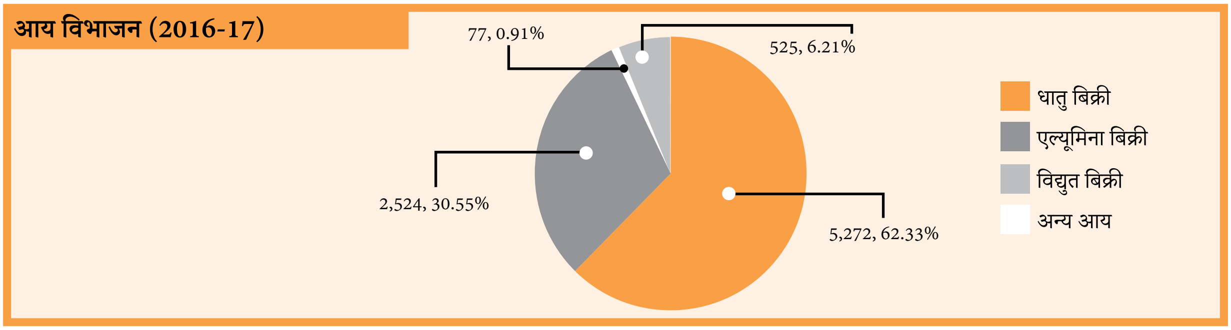

टिप्पणी: अन्य आय में प्रचालन आय शामिल है, अर्थात् निर्यात प्रोत्साहन और अक्षय ऊर्जा के सृजन पर प्रोत्साहन तथा गैर-प्रचालन आय अर्थात् सावधि जमा, म्युचुअल फंड में निवेश से आय और अन्य विविध आय।

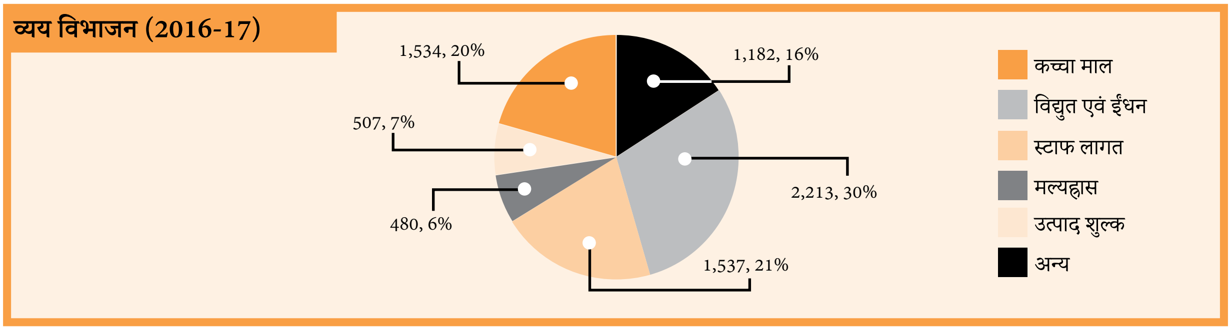

टिप्पणी: अन्य में मरम्मत एवं अनुरक्षण, स्टोर्स एवं स्पेयर की खपत, अन्य उत्पादन व्यय, साधारण प्रशासनिक व्यय, विक्रय एवं वितरण व्यय शामिल हैं। इसकेके अलावा, ₹2.69 करोड़ की राशि की वित्तीय लागत और ₹96.59 करोड़ की राशि की स्टॉक अभिवृद्धि भी अन्य के अधीन ग्राफिकल प्रेजेण्टेशन में समायोजित की गई है।

IV. विशिष्ट मद

₹ करोड़ में

विवरण	वित्तवर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16
अन्य व्यय	40.15	--
आय	--	53.45

वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए विशिष्ट मद में, 31.03.2017 तक राज्य सरकार द्वारा आयात पर एंट्री टैक्स के लिए की गई मांग पर आधार वर्ष के दौरान आयातित सामानों पर आयात टैक्स की देनदारी के बाबत ₹37.90 करोड़ की राशि शामिल है। इसके पूर्व वर्षों से संबंधित एंट्री टैक्स के लिए मांग को अदालत के अधिनिर्णय के आधार पर चालू वर्ष में स्वीकार किया गया है, अतः इसे विशिष्ट मद माना गया।

पिछले वर्ष के आँकड़े, पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त सामग्रियों की आपूर्ति पर देय जोखिम एवं लागत दावा का अंतिम निपटान से संबंधित हैं।

V. कर पश्चात लाभ और प्रति शेयर आय

₹ करोड़ में

विवरण	वित्तवर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16
कर-पूर्व लाभ	964.72	1,188.65
कर व्यय	296.19	401.54
कर पश्चात लाभ	668.53	787.11
प्रति शेयर आय (₹ 5/- प्रत्येक का)	2.98	3.05

2016-17 वर्ष के लिए प्रति शेयर आय, शेयरधारण के औसत भर पर आधारित है और कर पश्चात लाभ में कमी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में कम है।

VI. लाभांश विवरण

विवरण	वित्तवर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16
अन्तरिम लाभांश (%)	56	25
अन्तिम लाभांश (%)	--	15
कुल (%)	56	40

निवेशकों के हित को प्रोत्साहित करने के लिए, 2016-17 वर्ष के लिए पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतर लाभांश का भुगतान किया गया।

ख॰ वित्तीय स्थिति

विवरण	वित्तवर्ष 2016-17	वित्त वर्ष-2015-16	परिवर्तन %
परिसम्पत्तियाँ			
अचल परिसम्पत्तियाँ	7,710.43	7,283.38	6%
निवेश	1,260.68	1,010.36	25%
नकद एवं बैंक शेष	2,287.23	5,103.15	-55%
मालसूची	1,155.93	1,055.01	10%
अन्य परिसम्पत्तियाँ	2,087.38	2,258.29	-8%
कुल	14,501.65	16,710.19	-13%
इक्विटी और देनदारियाँ			
इक्विटी शेयर पूँजी	966.46	1,288.62	-25%
आरक्षित एवं अधिशेष	9,239.33	11,906.13	-22%
आस्थगित कर देनदारियाँ	1,245.58	1,164.11	7%
व्यापारिक लेखा देय	864.07	655.86	32%
अन्य देनदारियाँ एवं प्रावधान	2135.12	1695.47	26%
उधारी	51.09	-	-
कुल	**14,501.65**	**16,710.19**	**-13%**

टिप्पणी: *2015-16 के लिए आँकड़े इंड ए.एस. के अनुपालन में फिर से हिसाब किए गए हैं।

- राजस्थान (देवीकोट) और महाराष्ट्र (सांगली) में पवन विद्युत संयंत्र के चालू होने और कोयला प्रखण्डों के लिए भुगतान के कारण अचल परिसम्पत्तियाँ प्राथमिक रूप से ऊँची हुई हैं।
- वित्तवर्ष 2016-17 के लिए अचल परिसम्पत्तियों में ₹ 5.14 करोड़ की राशि का प्रगति पर पूँजी कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) शामिल है।.
- एन.ए.वी. पर आधारित रिपोर्टिंग तारीख को म्युचुअल फंड के मूल्यांकन और संयुक्त उद्यम कंपनियों को इक्विटी अंशदान के कारण निवेश बढ़ा है।
- नकद एवं बैंक शेष में कमी मुख्यतः सितम्बर, 2016 के दौरान शेयरों की वापस खरीदी के खाते में नगदी वहिर्प्रवाह के कारण हुई है।
- रिपोर्ट की तारीख को प्राथमिक रूप से तैयार माल विशेषकर एल्यूमिना हाईड्रेट के स्टॉक में वृद्धि के कारण मालसूची ऊँची हुई है।
- पिछले रिपोर्ट के दिन की तुलना में, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम दोनों में कम राशि गैर-वसूल-हुई रहने के कारण, अन्य परिसंपत्तियाँ कम हुई हैं।
- इक्विटी शेयर पूँजी और आरक्षित एवं अधिशेष प्रधानतःशेयरों की वापस-खरीदी के कारण घटा है।
- एन.पी.एस. के लिए 2% दिग्परिवर्तन हेतु देनदारी प्रदान किए जाने और 1.1.2017 से 31.3.2017 तक की अवधि के लिए कर्मचारी वेतनमान परिशोधन की देनदारी की उपार्जित मजदूरी और वेतन के कारण व्यवसाय प्राप्य ऊँचे हुए हैं।

- केपेक्स परियोजनाओं पर वर्धित देनदारी, विवादित देयों पर ब्याज के प्रति वर्धित देनदारी, अक्षय खरीद बाध्यता, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम और बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित दीर्घावधि कर्मचारी लाभ तथा इंड ए.एस. द्वारा दिए गए आज्ञापत्र अनुसार विधिक एवं निर्माणगत बाध्यता के कारण अन्य देनदारियाँ एवं प्रावधान ऊँचे हुए हैं।
- इंड ए.एस. के प्रचलन के बाद, कंपनी ने ग्राहकों पर उठाए गए बिलों पर विचार किया, जिनको बैंक की कैश-क्रेडिट के अधीन कंपनी की सुविधा के साथ छूट दी गई किन्तु रिपोर्ट की तारीख को स्वीकारकर्ता बैंक द्वारा उधारी के रूप में संपुष्टि नहीं की गई।

ग. मुख्य वित्तीय अनुपात

क्रम सं०	विवरण	2016-17	2015-16
1	कर पश्चात लाभ/शुद्ध सम्पत्ति	6.55 %	5.97%
2	ईबीआईटी/शुद्ध बिक्री	13.55%	16.98%
3	ईबीआईटी/नियोजित पूँजी	10.74%	9.25%

घ. खण्डवार सूचना

क्रम सं.	विवरण	रसायन (एल्यूमिना)		एल्यूमिनियम		अनाबंटनीय		कुल
		₹ करोड़ में	अंश (%)	₹ करोड़ में	अंश(%)	₹ करोड़ में	अंश	₹ करोड़ में
1	सकल बिक्री	2,584	32.58	5,277	66.52	72	0.91	7,933
2	पीबीआईटी (विशिष्ट मद पूर्व)	977	96.96	(225)	-22.31	255	25.35	1,008
3	नियोजित पूँजी #	2,863	25.00	3,262	28.49	5,326	46.51	11,451
4	आरओसीई (%)(2-3)		34.12		-6.89		4.80	8.80
5	पीबीआईटी सीमान्त(%)(2/1)		37.80		-4.26			12.70

"अनाबंटित सामान्य" के अधीन नियोजित पूँजी में नकद शेष और पवन विद्युत संयंत्र और विस्तार एककों की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं।

ईंधन तेल के मूल्य में वृद्धि, विद्युत शुल्क की दर में वृद्धि और वर्द्धित अक्षय खरीद बाध्यता (आर.पी.ओ.) के साथ एल्यूमिना के अंतरण मूल्य में वृद्धि के कारण.एल्यूमिनियम खण्ड में नकारात्मक ईबीआईटी हुई है।

लागत कम करने और महत्वपूर्ण कच्चे माल की विशिष्ट खपत कम करने के प्रयास

प्रचालन कुशलता बढ़ाना एक प्राथमिकता का क्षेत्र है और इसके माध्यम से ऊर्जा, कच्चे माल आदि की खपत में कमी होती है और परिणामस्वरूप लागत में कमी हुई है। अनेक ऐसी पहल हाथ में ली गई जिनमें से वित्तवर्ष 2016-17 के दौरान निम्न परियोजनाओं से लाभ प्राप्त हुए हैं:

- प्रद्रावक: 395 पॉट्स की कैथोड का ग्राफिटाईजेशन के परिणामस्वरूप ग्राफिटाईज्ड पॉट्स में डी.सी. ऊर्जा खपत 45 किवाघं/मे०ट० की दर से हुई।
- एल्यूमिना परिशोधक: क्रमशः जुलाई 2016 और दिसम्बर, 2016 में वाष्प एवं विद्युत संयंत्र के बॉयलर सं.1 एवं 2 में कोल मिल लाईनरों को बदलने का कार्य पूरा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट कोयला खपत में कमी हुई।
- एल्यूमिना परिशोधक: पंक प्रबंधन में सुधार के लिए पंक धुलाई सर्किट में 3 संशोधित रैक ड्राईव एसेम्बली की संस्थापना की गई जिसके परिणामस्वरूप कॉस्टिक सोड़ा हानि में 0.5 कि.ग्रा./टन कमी आई।
- एल्यूमिना परिशोधक: वाष्प एवं विद्युत संयंत्र के संस्थापना बॉयलरों के एचएफओ और एलडीओ सर्किट में मेग्नेटिक रिजोनेटर की संस्थापना से हाईड्रेट के 0.1 लीटर / टन तक की ईंधन तेल खपत में कमी हुई।
- एल्यूमिना परिशोधक: वाशर्स (धारा1, 2 एवं 3) में गेहूँ की भूसी को कृत्रिम फ्लोक्यूलेंट से प्रतिस्थापित किया गया जिससे सेटलिंग कुशलता बढ़ी और फ्लोक्यूलेंट के मूल्य पर निर्भर रहते हुए लागत लाभ में अंशदान हुआ।
- एल्यूमिना परिशोधक: एल्यूमिना सिलो और एल्यूमिना संवाहन वायु स्लाईड प्रणाली के ब्लावर्स के साथ पंखों (चरण-1 में 05 सं०) को बदला गया जिससे सराहनीय रूप से ऊर्जा बचत में योगदान मिला।
- एल्यूमिना परिशोधक: वाष्प एवं विद्युत संयंत्र के बॉयलर 1, 2 & 3 में दो विभिन्न स्रोतों से डीयरेटर स्टीम चार्जिंग हेडर जोड़ा गया जिससे डीयरेशन बेहतर हुआ और निविष्ट जल के तापमान में वृद्धि हुई और बेहतर कुशलता से जुड़ी बचत हुई।

लेखाकर उपचार का प्रकटन

कंपनी के वित्तीय विवरण इंड ए.एस. और कम्पनी अधिनियम,2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए हैं।

जैसा कि नीचे लेखाकरण नीति में वर्णित है, कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़कर, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य में मापे जाते हैं, ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

कंपनी के प्रचालन चक्र और कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित मानकों के अनुसार सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 महीने का निर्धारित किया है।

नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के पक्ष में वास्तविक विकास

मानव संसाधन

आपकी कम्पनी ने कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, कार्यपालकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम, अनुशासन आदि जैसी विभिन्न मानव संसाधन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए नए प्रावधान बनाकर या निवर्तमान प्रावधानों को संशोधित करके विभिन्न कदम उठाए हैं। महत्वपूर्ण विकास योजनाओं के साथ कदम मिलाते हुए कंपनी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी के लिए एक मानव संसाधन योजना निर्धारित करने के लिए भी कार्यवाही शुरु की गई है। इस योजना में नाजुक प्रतिभा जरूरतों के मुकाबले बढ़ती श्रमिक लागत के मध्य संतुलन बनाने के द्वारा मानव संसाधनों का उत्तमीकरण पर गौर किया जा रहा है। 31.03.2016 की तुलना में 31.03.2017 को यथा कम्पनी की जनशक्ति निम्नवत् थी:

क्रम सं०	पद*	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा
क	कार्यपालक	1,807	1,804
ख	पर्यवेक्षक	754	816
ग	कुशल/उच्च कुशल	3,736	3,802
घ	अकुशल/अर्ध कुशल	641	678
	कुल	**6,938**	**7,100**

* स्नातक अभियन्ता प्रशिक्षु/प्रबंधन प्रशिक्षु/गैर-कार्यपालक प्रशिक्षु शामिल हैं

संविदा श्रमिकों के मोर्चे पर, अनुपालन में सुधार के लिए, आपकी कम्पनी ने चरणवार रूप से एक ऑनलाइन संविदा श्रमिक प्रबंधन प्रणाली प्रारम्भ की है। वर्तमान में, 01.07.2017 से प्रभावी संविदा श्रमिक व्यक्तिगत डैटा, गेट पास नियंत्रण, सुरक्षा और प्रशिक्षण, उपस्थिति रिकार्डिंग और मजदूरी का भुगतान आदि प्रक्रियाएँ चलाई गई हैं। प्रशिक्षण और ठेकेदारों, प्रभारी-अभियंताओं और निविदा एवं दावा, मानव संसाधन, प्रशासन, सुरक्षा आदि जैसे विभिन्न हितधारकों की वास्तविक कालीन प्रतिभागिता के माध्यम से आरम्भिक चरण के सुस्थिर होने के बाद, इस प्रणाली में कौशल सेट डैटा, ऑनलाइन अनुपालन मशीनरी आदि जैसी सुविधाएँ जोड़कर इसे और मजबूत बनाने की योजना है। इसीप्रकार, एसएपी आधारित ई.आर.पी. प्लेटफॉर्म में एक सुदृढ़ मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरआईएस) विकसित की गई है। अतिरिक्तता को दूर करने के लिए वेतन-विवरण प्रणाली के साथ एचआरआईएस को समक्रमिक बनाने के लिए कार्यवाही जारी है।

प्रशिक्षण

उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने और समाज के विकास के लिए इसकी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए संगठन के व्यावसायिक लक्ष्य के साथ अपने कर्मचारियों और हितधारकों की कार्यकारी और व्यावहिरक सक्षमता को उन्नत करने उद्देश्य के साथ, कंपनी द्वारा नियमित कर्मचारियों, ठेका कामगार, प्रशिक्षुओं, विद्यार्थी इंटर्नशिप प्रशिक्षुओं के साथ साथ कौशल विकास के लक्ष्य से स्थानीय जनता को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कंपनी द्वारा निरन्तर और संगठित प्रयास किए जाते रहे हैं।

नियमित कर्मचारियों के संबंध में, कंपनी ने वर्ष 2015-16 के लिए 12922.5 प्रशिक्षण मानव दिवसों की तुलना में 2016-17 के दौरान 19626.5 प्रशिक्षण मानवदिवस की उपलब्धि की है। 2015-16 के दौरान नियुक्त 749 प्रशिक्षुओं की तुलना में 2016-17 के दौरान 789 अप्रेंटिस प्रशिक्षु नियुक्त किए गए। निगम उत्तरदायित्व और उद्योग शिक्षा-संस्थान अन्तराफलक के रूप में, देश भर के विभिन्न तकनीकी और प्रबन्धन संस्थानों से 2049 विद्यार्थियों ने एककों और कार्यालयों में विभिन्न कार्यकारी विषय विभागों में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम में प्रशिक्षण लिया। कंपनी भर में 4421.5 मानव-दिवसों के साथ सुरक्षा कार्मिक, संविदा श्रमिक, यातायात स्वयंसेवियों और प्रशिक्षुओं के लिए आंतरिक कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

भारत सरकार के कुशल भारत अभियान के समान, अगले 02 वर्षों अवधि में बॉक्साइट खान में विभिन्न ठेकेदारों के अधीन कार्यरत 420 कामगारों को आरपीएल (रिकोग्निशन ऑफ प्रिअर लर्निंग) प्रमाणपत्र प्रदान करने सहित प्रासंगिक शिक्षागत योग्यता पैकेज (क्यूपी) से 1620 प्रत्याशियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एन.एस.डी.सी.)/नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड (एन.एस.डी.एफ.) के साथ एक समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। तदनुसार, 12 दिसम्बर, 2016 से तीन जिलों अर्थात् कोरापुट, अनुगुळ एवं खुर्दा में रिटेल, स्वास्थ्य-देखभाल, सौन्दर्य एवं तंदुरस्ती और आतिथ्य जैसे विभिन्न कौशलों में रोजगारोन्मुखता तथा आय सृजन को बढ़ाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कक्षाएँ शुरु हो चुकी हैं। 31st मार्च, 2017 को यथा, 180 प्रत्याशी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं और 60 प्रत्याशी प्रशिक्षण ले रहे हैं। आर.पी.एल. प्रमाणपत्रण कार्यक्रम 27.02.2017 को 21 कामगारों की पहली बैच के साथ आरम्भ किया गया है।

एन.आर.टी.सी., गोठपाटणा, भुवनेश्वर में 08.01.2017 को सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक कौशल विकास में एक उत्कर्ष केन्द्र का उद्घाटन किया गया, जो ₹20 करोड़ की अनुमानित लागत से स्थापित किया जाएगा और कम्पनी की नि.सा.उ. निधि से इसका वित्तपोषण किया जाएगा।

निगम योजना

नालको ने एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के क्षेत्र में वृहद घराने की अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए एक नई दीर्घावधि निगम योजना आरम्भ की है। उभरते भूमण्डलीय व्यवसाय परिदृश्य के साथ स्वयं को एकीकृत करने के लिए यह आवश्यक है। नीति आयोग के मार्गनिर्देशों के अनुसार, इस योजना में कंपनी की 3, 7 और 15 वर्षों के प्रगतिशील विकास पर विचार किया जा रहा है। कंपनी की ऊर्ध्वरेखा और अधोरेखा को उन्नत करने के लिए, नए व्यवसाय और कार्यकारी पहल की योजना बनाई गई है। एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए कंपनी की एक नई संकल्पना, मिशन और मूल्य शामिल किए गए हैं, जो कंपनी के सुस्थिर विकास को सुनिश्चित करेंगे और लाभकारिता पर वस्तु-चक्र के मूल्य प्रभाव को निम्नतम करेंगे। इस नई व्यवसाय पहल में, क्रोड़ व्यवसाय में विस्तार के माध्यम से विकास, अनुप्रवाह सुविधाओं के माध्यम से मूल्यवर्धन, चुने गए विविधीकरण और उद्योगों के गहन अध्ययन पर आधारित कच्चे माल की जाँच-पड़ताल तथा आर्थिक परिदृश्य, व्यावसायिक परिदृश्य तथा कंपनी की मूलभूत क्षमताओं से उभरते हुए अवसरों की तलाश शामिल है।

विभिन्न बल दिए जानेवाले क्षेत्रों में चिह्नित संवर्धित व्यावसायिक संविभागों को संधारणीय बनाने के लिए संगठन की भावी जरूरतों पर विचार करते हुए, संगठनात्मक संरचना, क्षमताओं, संस्कृति, प्रक्रिया सुधारों, जोखिम कम करने, नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास मशीनरी को भी सुदृढ़ किया जाएगा।

व्यापार विकास

- गुजरात अल्कालिज एंड केमिकल्स लि. (जीएसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम में कॉस्टिक सोड़ा परियोजना : नालको ने दिसम्बर, 2015 में गुजरात के दाहेज में जी.ए.सी.एल. के साथ सं.उ. में 2.7 लाख टन प्रतिवर्ष कॉस्टिक सोड़ा संयंत्र के साथ 130 मेगावाट ग्रहीत विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए "जी.एन.ए.एल." कम्पनी को गठित की है। परियोजना-पूर्व गतिविधियाँ आरम्भ हो चुकी हैं।
- सौर विद्युत परियोजनाएँ:
    - i. मध्यप्रदेश में 20 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना: कम्पनी ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विकासकर्ता की पहचान कर ली है और कार्यादेश शीघ्र जारी किए जाने की योजना है।
    - ii. 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना: भारत में किसी अनुकूल स्थान पर परियोजना की ई.पी.सी. के लिए विकासकर्ता के चयन के लिए कम्पनी एन.आई.टी. जारी करेगी।
    - iii. 150 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना ओड़िशा में: कम्पनी की ओड़िशा में 150 मेगावाट क्षमता का सौर विद्युत संयंत्र स्थापना की भी योजना है।
    - iv. छत पर सौर विद्युत परियोजना: कम्पनी की अपनी विभिन्न संस्थापनों में छत पर सौर विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए योजना है, जिसके लिए सम्भाव्यता सर्वेक्षण किया गया गया है।
- पवन ऊर्जा परियोजना: कम्पनी भारत में किसी अनुकूल स्थान में 50 मेगावाट क्षमता की पवन विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए योजना बना रही है।
- गजमरा विद्युत परियोजनाकी स्थापना के लिए एन.टी.पी.सी. के साथ समझौता ज्ञापन: गजमरा, ढेंकानाल, ओड़िशा में 3X800 मेगावाट क्षमता का कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए कम्पनी ने एन.टी.पी.सी. के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- कोल तार डिस्टिलेशन संयंत्र की स्थापना के लिए एन.आई.एन.एल. के साथ समझौता ज्ञापन: नालको ने कोलतार पिच के उत्पादन के लिए सं.उ. में कोल तार डिस्टिलेशन संयंत्र की स्थापना के लिए नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एन.आई.एन.एल.) के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

सहायक उद्योग विकास

आपकी कम्पनी ने सहायक उद्योग एककों और सूक्ष्म, लघु उद्यमों (एम.एस.ई.ज) के विकास के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं। सहायक उद्योग एककों तथा सूक्ष्म, लघु उद्यमों के विकास के लिए वर्ष के दौरान उठाए गए गदम निम्नवत् हैं:

1. वित्तवर्ष 2016-17 के लिए ओड़िशा के सहायक उद्योग एककों सहित सूक्ष्म, लघु उद्यमों (माईक्रो एंड स्माल इण्टरप्राइजेस) द्वारा उत्पादित उत्पादों और दी जा रही सेवाओं की खरीदी ₹285.88 करोड़ की हुई है (पिछले वित्त वर्ष के ₹236.64 करोड़ के मुकाबले, जो 20.8% की वृद्धि दर्शाती है।) वित्तवर्ष 2016-17 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्योग एककों (ओड़िशा के बाहर के सहित) द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की कुल खरीदी ₹414.95 करोड़ की हुई है (वित्तवर्ष 2015-16 के दौरान ₹322.33 करोड़, के मुकाबले, जो 28.73% की वृद्धि दर्शाती है) और यह आपकी कंपनी द्वारा कुल वस्तु एवं सेवाओं की खरीदी का 21% होता है। आपकी कम्पनी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म, लघु उद्यमों से कुल खरीदी ₹9.36 करोड़ की हुई, जो वित्तवर्ष 2016-17 के दौरान हुई कुळ खरीदी का 0.47% होता है। वित्तवर्ष 2017-18 के लिए, सूक्ष्म, लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की खरीदी का लक्ष्य ₹415.80 करोड़ का रखा गया है।
2. आपकी कम्पनी ने 12 अगस्त, 2016 को कटक में ओड़िशा एसेम्बली ऑफ स्माल एंड मीडियम इंटरप्राईजेस (ओएएसएमई) द्वारा आयोजित 30वें वार्षिक राज्यस्तरीय सम्मेलन-2016 में "बेस्ट मदर प्लांट" का पुरस्कार प्राप्त किया।
3. आपकी कम्पनी ने 5 से 7 दिसम्बर, 2016 को किला मैदान, कटक में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित "एम.एस.एम.ई. एक्सपो ओड़िशा-2016" में तीन दिवसीय राष्ट्रीय विक्रेता विकास कार्यक्रम-सह-औद्योगिक प्रदर्शनी और क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में मदर प्लांट संवर्ग में "श्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार" प्राप्त किया।
4. जिला उद्योग केन्द्र, अनुगुळ के सहयोग से 01.06.2016 को प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में सूक्ष्म व लघु उद्यमों के उद्योग-आधार ज्ञापन को ऑनलाइन भरने के लिए एक **"ऑनलाइन यू.ए.एम. (उद्योग आधार ज्ञापन) पंजीकरण कार्यक्रम"** संचालित किया गया।
5. खान एवं परिशोधन संकुल में 23.07.2016 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, डी.आई. और डी.आई.सी.ज के सहयोग से वर्ष 2016-17 के लिए **प्रथम सब-प्लैक (संयंत्र स्तरीय सलाहकार समिति)** बैठक संचालित की गई।

6. एक राज्य स्तरीय विक्रेता विकास-सह-क्रेता-विक्रेता सम्मेलन प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में 28.09.2016 को ओड़िशा एसेम्बली ऑफ स्माल एंड मीडियम इंटरप्राईजेस (ओएएसएमई) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, डी.आई., कटक के सहयोग से आयोजित किया गया।
7. एक राज्य स्तरीय विक्रेता विकास-सह-क्रेता-विक्रेता सम्मेलन खान एवं परिशोधन संकुल में 04.10.2016 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, डी.आई., रायगड़ा और जिला उद्योग केन्द्र, कोरापुट के सहयोग से आयोजित किया गया।
8. खान एवं परिशोधन संकुल में 04.11.2016 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, डी.आई. और डी.आई.सी.ज के सहयोग से वर्ष 2016-17 के लिए द्वितीय सब-प्लैक (संयंत्र स्तरीय सलाहकार समिति) बैठक संचालित की गई।
9. आपकी कम्पनी के खान एवं परिशोधन संकुल ने 05.11.2016 को जयपुर, कोरापुट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, डी.आई., ओड़िशा सरकार द्वारा आयोजित "उद्योग समस्या समाधान शिविर" में भाग लिया।
10. सतर्कता जागरुकता सप्ताह-2016 मनाए जाने के अंश रूप में, 05.11.2016 को प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल के आपूर्तकों और सेवा प्रदाताओं के एस शिकायत निवारण शिविर का संचालन किया गया।
11. आपकी कम्पनी द्वारा 27.01.2017 को भुवनेश्वर में 20वीं पीएलएसी बैठक संचालित की गई।

नालको द्वारा सूक्ष्म, लघु उद्यमों से की गई खरीदी

(क) एकक का नाम : निगम कार्यालय, भुवनेश्वर, ओड़िशा
नोडल अधिकारी: श्री अशोक कुमार पात्र, महाप्रबन्धक(सामग्री) एवं कार्यपालक निदेशक(सामग्री)-प्रभारी
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर, पिन- 751013
मोबाईल: 9437064434, ई-मेल: ashok.patra@nalcoindia.co.in

(ख) एकक का नाम : प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुळ, ओड़िशा
नोडल अधिकारी: श्री शशिभूषण प्रुष्टी, महाप्रबन्धक(सामग्री)-प्रभारी
प्रद्रावक संयंत्र, नालको नगर, अनुगुळ, पिन- 759145
मोबाईल: 9437496819,ई-मेल: sasibhusan.prusty@nalcoindia.co.in

(ग) एकक का नाम : खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी, ओड़िशा
नोडल अधिकारी: श्री प्रशान्त कुमार षड़ंगी, महाप्रबन्धक(सामग्री)
परिशोधक संयंत्र, नालको, दामनजोड़ी, पिन - 763008
मोबाईल: 9437962248, ई-मेल: prasanta.sarangi@nalcoindia.co.in

₹ में करोड़

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18 के लिए लक्ष्य
1	कुल वार्षिक खरीदी (मूल्य में) *	1,576.00 *	1,975.30	1,980
2	सूक्ष्म, लघु उद्यमों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों सहित) से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	322.33	414.95	415.80
3	केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	उ. नहीं **	9.36	16.63
4	कुल खरीदी में से सूक्ष्म, लघु उद्यमों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों सहित) से खरीद का %	20.45	21	21
5	कुल खरीदी में से केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों से खरीद का %	0	0.47	4
6	सूक्ष्म, लघु उद्यमों के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	10	9	10
7	क्या सूक्ष्म, लघु उद्यमों से खरीदी के लिए क्या वार्षिक खरीदी योजना कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड की गई है?	हाँ	हाँ	अपलोड की गई है।
8	क्या वार्षिक रिपोर्ट में लक्ष्य दर्ज हैं	हाँ	हाँ	रिपोर्ट में दर्ज किए जाएँगे

* * यह मूल्य इस्पात एवं सीमेण्ट, कोयला और एचएफओ, एलडीओ और एचएसडी जैसे ईंधनों को छोड़कर है।

** उ.नहीं। उपलब्ध नहीं जिला उद्योग केन्द्र, अनुगुळ, जिला उद्योग केन्द्र, कोरापुट और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, डीआई, कटक, ओड़िशा के सहयोग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों की पहचान और पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।

सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण

नालको, जिम्मेदार निगम नागरिक होने के कारण, हमेशा पर्यावरण, सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य (ईएसएच) को सर्वोपरि महत्व देता आया है और अपने सभी उत्पादन एककों में पर्यावरण, सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य विनियमों के अधीन संबंधित विधानों की अर्हता के अनुपालन में एक सुरक्षित, स्वस्थ तथा संधारणीय कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। सुरक्षा मानदण्डों का पालन करते हुए, आपकी कम्पनी कार्मिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के निरन्तर सुधार और शून्य दुर्घटनाओं, बीमारियों, घटनाओं, अपशिष्ट सृजन और उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ

पर्यावरण के परिरक्षण के निरन्तर सुधार के लिए पुरजोर प्रयास करती है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने उत्पादन एककों में 1,81,150 वृक्षारोपण किए हैं।

सभी उत्पादन एकक निवर्तमान क्षमताओं के लिए वायु और जल अधिनियम के अंतर्गत वैध "प्रचालन हेतु सहमति(सीटीओ)" के साथ संचालित हैं और सभी चारों प्रचालन एककों के पास यथा लागू, फैक्टरी लाईसेंस हैं।

खान

पर्यावरण

1. पंचपटमाली बॉक्साइट खान को संधारणीय विकास संरचना के कार्यान्वयन के लिए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स की सितारा श्रेणी निर्धारण योजना के अंतर्गत 5-सितारा दर-निर्धारण उपलब्ध हुआ है।
2. एस.पी.सी.बी., ओड़िशा से 3.15 मे.ट.प्र.व. की क्षमता के लिए पंचपटमाली बॉक्साइट खान दक्षिण ब्लॉक एम.एल. के लिए संस्थापना की सहमति (सी.टी.ई.) और प्रचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) प्राप्त की जा चुकी है।
3. पंचपटमाली बॉक्साइट खान के अंदर और आसपास जैव-विविधता संरक्षण अध्ययन, वनस्पतिशास्त्र विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया गया और रिपोर्ट पेश की जा चुकी है।
4. फिमि द्वारा प्रगतिशील खान बंदी योजना और अन्तिम खान बंदी योजना पर एक तृतीय पक्ष अंकेक्षण संचालित किया गया और अप्रैल-मई, 2016 के दौरान पूरा हुआ।
5. वर्ष के दौरान खान के अंदर और आसपास परिवेशी वायु और जल की गुणवत्ता की निगरानी और एच.ई.एम.एम. से उत्सर्जन की निगरानी का संचालन किया गया। सभी उपकरणों के उत्सर्जन मानदण्डों के अन्दर पाए गए।
6. विश्व पर्यावरण दिवस 2016, वनमहोत्सव सप्ताह 2016 और खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण (एम.ई.एम.सी.) सप्ताह 2016-17 कर्मचारियों और ठेका कामगारों की भारी संख्या में प्रतिभागिता के साथ मनाए गए।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

1. "ओड़िशा मेटालीफेरौस खान सुरक्षा सप्ताह समारोह समिति" (ओएमएमएसडब्ल्यूसीसी) की अधीन अन्य खानों के साथ खान सुरक्षा सप्ताह समारोह आयोजित किया गया।
2. वित्तवर्ष 2016-17 के दौरान 286 संख्यक खान कर्मचारियों की आवधिक मेडिकल परीक्षा संचालित की गई। किसी खान कर्मचारी में कोई व्यावसायिक/अधिसूचित रोग नहीं पाया गया।
3. वित्तवर्ष के दौरान खान को शून्य आघात की रिपोर्टयोग्य उपलब्धि हुई।

एल्यूमिना परिशोधक

पर्यावरण प्रबन्धन

1. विद्युत अपघटनीय अवक्षेपकों (ईएसपी), शुष्क कोहरा प्रणाली, बैग फिल्टरों, मार्जकों, धूल निष्कर्षण प्रणाली, जल छिड़काव यंत्रों, पाइप कन्वेयर आदि के प्रावधान करके कणीय वस्तुओं/ धूल उत्सर्जन के नियन्त्र हेतु पर्याप्त उपाय अपनाए गए हैं।
2. ऑनलाइन निगरानी तथा वास्तविक समय डैटा प्रापण प्रणाली (आरटीडीएएस) स्थापित किए गए हैं और एस.पी.सी.बी. के साथ साथ सी.पी.सी.बी. सर्वर से जोड़े गए हैं।
3. एल्यूमिना परिशोधक के प्रमुख ठोस अपशिष्ट, अर्थात् लाल पंक और उड़नशील राख हैं, जिनका क्रमशः सुयोजित लाल पंक तालाब एवं राख के तालाब में निपटान किया जाता है। बाँध की स्थिरता का इण्डियन इनस्टीच्युट ऑफ साईंस, बेंगळूरु के विशेषज्ञों द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जाता है।
4. एल्यूमिना परिशोधक ने अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनः उपयोग के प्रावधान के साथ शून्य निकास अवधारणा को अपनाया है। मलजल उपचार संयंत्र से उपचालित समस्त जल के हरित पट्टी विकास के लिए उपयोग किया जाता है। लाल पंक तालाब एवं राख के तालाब से वापस लौटाए गए जल को संयंत्र में पुनःचक्रित किया जाता है।
5. सृजित उड़नशील राख का ईंट बनाने, सड़क बनाने, कृषि, सीमेंट बनाने, गड्ढों वाले क्षेत्रों को भरने और खेती आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है. ताकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 100% उपयोग उपलब्ध हो सके। वर्ष के दौरान, 102.72% उड़नशील राख का उपयोग किया गया।
6. दो संख्यक वर्षा के जल के दोहन की परियोजनाएँ कार्यान्वित की गईं।
7. हरित पट्टी के घेरे द्वारा "लाल पंक का पुनर्वास" के लिए ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई), नई दिल्ली के साथ एक समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ।

सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबन्धन

1) कोई रिपोर्ट-योग्य दुर्घटना या अग्नि-दुर्घटना नहीं हुई।
2) नियमित कर्मचारियों के लिए सुरक्षा एवं पर्यावरण जागरुकता के साथ व्यवहार आधारित सुरक्षा प्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।.
3) 203 नियमित कर्मचारियों को सुरक्षा तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य पर जागरुकता प्रशिक्षण दिलाया गया।
4) इस वित्तवर्ष के दौरान परिस्थलों पर 1376 ठेकेदार कामगारों को औजार-बक्से सहित औपचारिक शाला-तल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।
5) 2016 के दौरान कर्मचारियों की आवधिक मेडिकल जाँच (पीएमई) में उपस्थिति 92% रही।
6) एल्यूमिना परिशोधक के कामगारों के मध्य भवन सुरक्षा चेतना जगाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह, रसायनिक आपदा निरोध दिवस, सड़क सुरक्षा सप्ताह आदि मनाए गए।

प्रद्रावक

पर्यावरण

1. एमिरिऑन नानो प्रौद्योगिकी द्वारा बहिःस्राव जल के डी-फ्लूराईडेशन के लिए एक विकल्प परियोजना चालू की गई और यह संयंत्र प्रचालन में है। पहली बार परीक्षण, संयंत्र स्तरीय चालू करने के लिए परीक्षणात्मक प्रदर्शन सफलता से पूरे हुए और वर्तमान अध्ययन अन्तर्गत हैं।
2. वेल्लित उप्पाद क्षेत्र (चरण-1) के नाले का मार्ग-बदलने का कार्य 02.07.2016 को पूरा हुआ, परिणामस्वरूप, लगभग 60% तक का सतही बहाव (जो संयंत्र की चहारदीवी से बाहर बहता था) का मार्ग बदलकर धारक तालाब की ओर मोड़ा गया, जिससे जल संरक्षण में एक निशानी की उपलब्धि हुई।
3. कार्बन एरिया के 2500 मे॰ट॰ खतरनाक अपशिष्ट को सामान्य खतरनाक अपशिष्ट उपचार भंडारण निपटान सुविधा (सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ), सुकिन्दा, जाजपुर में निपटाया गया।
4. प्रद्रावक संयंत्र का खतरनाक अपशिष्ट अंकेक्षण मेसर्स ग्लोबल टेक एन्विरो एक्सपर्ट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया गया।
5. एस.पी.एल. के लगभग 240 मे॰ट॰ कार्बन अंश को मेसर्स ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस, सम्बलपुर द्वारा परीक्षणात्मक विषहरण के लिए लिया गया। **सुरक्षा**

1. चालू वित्त वर्ष के लिए कोई रिपोर्ट-योग्य दुर्घटना या अग्नि-दुर्घटना नहीं हुई।
2. इस वित्तवर्ष में 2898 कर्मचारियों और 3,123 संख्यक संविदा श्रमिकों और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिकों की आवधिक मेडिकल जाँच पुरी की गई।

ग्रहीत विद्युत संयन्त्र

पर्यावरण

1. निवर्तमान पुराने ईएसपीज (एकक-1,2,3,4,5 एवं 6).के ईएसपीज (विद्युत-अपघटनीय अवक्षेपक) के पुनर्निर्माण और एक अतिरिक्त मार्ग (तीसरे) की संस्थापना द्वारा पुनःसंयोजन के पूरा होने के बाद चिमनी से उत्सर्जन अनुमेय सीमा के काफी अन्दर रखा जा पा रहा है।
2. डिजिटल डिस्प्ले सहित 4 संख्यक सी.ए.ए.क्यू.एम.एस. की संस्थापना के बाद, परिवेशी वायु गुणवत्ता की ऑनलाइन निरन्तर निगरानी की जा रही है तथा ओ.एस.पी.सी.बी. के सर्वर को डैटा का प्रसारण किया जा रहा है।
3. आई.डी.डब्ल्यू.आर.एस. के मुहाने पर ऑनलाइन बहिःस्राव गुणवत्ता निगरानी प्रणाली की संस्थापना के बाद, बहिःस्राव की गुणवत्ता की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है और बहिःस्रावों के डैटा की एस.पी.सी.बी.के सर्वर को हूकिंग हो रही है।
4. औद्योगिक नाले के निकास बिन्दू पर पुनःचक्रण प्रणाली को चालू करने के द्वारा औद्योगिक बहिःस्रावों के संबंध में शून्य विसर्जन उपलब्ध किया गया है। पुनःचक्रित जल का राख निपटान प्रणाली के लिए उपयोग किया जा रहा है।
5. 2x250 घनमीटर की पम्पिंग क्षमता से सज्जित 50000 घनमीटर क्षमता के दोहन तालाब के साथ वर्षा के जल का दोहन करने और पुनःचक्रण की प्रणाली सितम्बर, 2016 में चालू हुई। पुनःचक्रित जल को कच्चे जल के शीतलीकरण पम्प हाउस-1 के अग्निशामक नलके के फोर-बे के मेकअप के रूप में उपयोग किया जाता है। इन कदमों से जल संरक्षण में सुधार का योगदान हुआ है और ब्राहणी नदी से जल लेने में कमी हुई है जिससे ग्र.वि.सं. में जल सुरक्षा प्रदान की जा सकी है। वर्ष 2016-17 में, वर्षा के जल की दोहन-प्रणाली से लगभग 2,73,387 घनमीटर जल और निकास बिन्दू से लगभग 93,017 घनमीटर जल को पुनःचक्रित और पुनः-प्रयुक्त किया गया।
6. राख का उपयोग बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम:
   i) राख के तालाब–II के ऊपर राख के टीले के प्रथम चरण का निर्माण पूरा हो चुका है और राख के तालाब–II पर द्वितीय चरण के टीले का कार्य आरम्भ होने के अधीन है।
   ii) राख के तालाब-I के तटबंध को 110 एम.आर.एल. से 113 एम.आर.एल. तक ऊँचा करने का कार्य प्रगति में है।
   iii) आपकी कंपनी, धूल प्रदूषण को रोकने और जल संरक्षण के लिए उड़नशील राख को राख के तालाब-IV में निपटान के लिए एकक-7 से 10 में उच्च संक्रेद्रित घोल विसर्जन प्रणाली अपना रही है।
7. 2016-17 वर्ष के दौरान, 338 संख्यक कर्मचारियों को ई.एच.एस. पर प्रशिक्षण दिलाया गया।
8. एस.टी.पी. (मल-जल उपचार संयंत्र)-I एवं II वर्षभर प्रचालित रहे थे और उपचारित एस.टी.पी. जल का केवल बागवानी के उद्देश्य से उपयोग किया गया।

2016-17 के दौरान नर्सरी गतिविधियाँ

आपकी कम्पनी कुल पाँच नर्सरी प्रचालित कर रही है अर्थात् प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में तीन है और खान में एक (जो ऊँचाई के स्थान पर स्थित नर्सरी है,) सहित खान एवं परिशोधन संकुल में दो हैं। ये नर्सरियाँ वनीकरण, सजावटी उपयोग, फलदार मौसमी विविध पौधों और गमलों में उगाए पौधों के लिए विविध प्रकार के नवांकुर उगाती हैं, जो वृक्षारोपण की आंतरिक जरूरत को पूरा करने के लिए आंशिक योगदान भी कर रही है। परिधीय क्षेत्रों में पौधों का निःशुल्क वितरण भी किया जाता है। प्राकृतिक स्थलाकृति के संरक्षण के लिए उत्खनित क्षेत्रों में भराई करके महत्वपूर्ण वनीकरण गतिविधियों के प्रति खान में स्थित नर्सरी महत्त्वपूर्ण योगदान करती है। इस वर्ष के दौरान 16.26 हेक्टर उत्खनित क्षेत्र का पुनर्वास किया गया।

सतर्कता से संबंधित विवरण

कंपनी के उद्देश्यों, प्रायोजनाओं, दृष्टिकोण, प्रत्याशाओं, अनुमानों एवं अन्य से संबंधित प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में किए गए कतिपय विवरण प्रयोज्य नियमों एवं विनियमों के दायरे में "अग्रदर्शी विवरण" हो सकते हैं। ऐसी प्रत्याशाओं, चाहे व्यक्ति हो या अंतर्निहित, से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के प्रचालनों में कई कारक महत्वपूर्ण अन्तर ला सकते हैं। इनमें मांग और आपूर्ति को प्रभावित करनेवाली जलवायु एवं आर्थिक स्थितियाँ, सरकारी विनियम एवं कराधान, प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं, जिन पर कंपनी का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है।

अनुलग्नक - III

2016-17 के लिए व्यवसाय उत्तरदायित्व व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अनुभाग क: कंपनी के बारे में साधारण सूचना

क्रम सं०	विवरण	कम्पनी सूचना			
1	कंपनी का कोर्पोरेट आईडेंटिफिकेशन नम्बर (सीआईएन)	L27203OR1981GOI000920			
2	कम्पनी का नाम	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड			
3	पंजीकृत कार्यालय एवं निगम कार्यालय	नालको भवन प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली भुवनेश्वर -751013, ओड़िशा, भारत			
4	वेबसाइट	www.nalcoindia.com			
5	ई-मेल आईडी :	company_secretary@nalcoindia.co.in			
6	रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	वित्तवर्ष 2016-17			
7	क्षेत्र जिनमें कंपनी संलग्न है (कोड-वार औद्योगिक गतिविधि)	बॉक्साइट खान	:	औद्योगिक समूह कोड	072
		एल्यूमिना परिशोधक	:	औद्योगिक समूह कोड	201
		एल्यूमिनियम प्रद्रावक	:	औद्योगिक समूह कोड	242
		विद्युत सृजन	:	औद्योगिक समूह कोड	351
8	तीन प्रमुख उत्पाद/सेवाओं की सूची जिनको कंपनी निर्माण करती है/प्रदान करती है	1.	एल्यूमिना		
			•	निस्तप्त एल्यूमिना	
			•	एल्यूमिना हाईड्रेट	
			•	विशेष एल्यूमिना एवं हाईड्रेट	
		2.	एल्यूमिनियम		
			•	मानक पिण्ड	
			•	शिलिका पिण्ड	
			•	टी-पिण्ड	
			•	तार-छड़ें	
			•	लट्ठे	
			•	समतल वेल्लित उत्पाद (कुंडलियाँ, चद्दरें एवं चारखानेदार चद्दर)	
		3.	विद्युत		
9	क) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या		शून्य		
	ख) भारत में अवस्थिति	क)	पंजीकृत एवं निगम कार्यालय , भुवनेश्वर – 751013, ओड़िशा		
		ख)	खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी-763008, ओड़िशा		
		ग)	प्रद्रावक संयंत्र, नालको नगर-759145, अनुगुळ,ओड़िशा		
		घ)	ग्रहीत विद्युत संयंत्र, अनुगुळ-759122, ओड़िशा		
		ङ)	पत्तन सुविधाएँ, पत्तन क्षेत्र,विशाखापत्तनम्-530035, आन्ध्र प्रदेश		
		च)	पवन विद्युत संयंत्र		
			i) पवन विद्युत संयंत्र-I	: गंडीकोट्टा, आन्ध्र प्रदेश	
			ii) पवन विद्युत संयंत्र-II	: लुडर्वा, राजस्थान	
			iii) पवन विद्युत संयंत्र-III	: देवीकोट, राजस्थान	
			iv) पवन विद्युत संयंत्र-IV	: जाथ, महाराष्ट्र	
		छ)	बन्दरगाह कार्यालयों की संख्या : 03 (विशाखापत्तनम्, कोलकाता, पारादीप)		
		ज)	क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या: 04 (नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता)		
		झ)	शाखा कार्यालय : 01 (बेंगळूरु)		
		ञ)	स्टॉकयार्डों की संख्या: 11 (जयपुर, फरीदाबाद, बद्दी, कोलकाता, बेंगळूरु, चेन्नै, विशाखापत्तनम्, भिवण्डि, सिलवासा, वड़ोदरा, दिल्ली)		

10	कम्पनी के द्वारा सेवारत बाजार	वित्तवर्ष 2016-17 के दौरान, कम्पनी के द्वारा सेवारत निम्नलिखित एल्यूमिनियम बाजार हैं (भारत के अतिरिक्त) : बंगलादेश, ब्राजील, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इण्डोनेशिया, ताईवान और नेपाल.
		कंपनी की निजी जरूरत से अधिक उत्पादित निस्तप्त एल्यूमिना का निर्यात किया जाता है। वित्तवर्ष 2016-17 के दौरान, कम्पनी के द्वारा सेवारत निम्नलिखित एल्यूमिना बाजार हैं (भारत के अतिरिक्त) : चीन, मिश्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, इण्डोनेशिया और मलेशिया

अनुभाग ख: कंपनी का वित्तीय विवरण

क्रम सं.	विवरण	कम्पनी सूचना
1	31.03.17 को यथा प्रदत्त पूँजी	966.46 करोड़ भारतीय रुपये
2	कुल कारोबार	सकल कारोबार: 7932.99 करोड़ भारतीय रुपये,
3	कुल कर पश्चात लाभ	668.53 करोड़ भारतीय रुपये
4	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.)पर कुल खर्च क) भारतीय रुपये में : ख) तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में (%):	क) ₹30.1 करोड़ की राशि वर्ष के दौरान निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च की गई। 2016-17 के दौरान नि.सा.उ. पर किए जानेवाला आवश्यक खर्च था ₹27.56 करोड़। ख) ऊपर सूचित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वास्तविक खर्च पिछले वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के औसत शुद्ध लाभ का 2.18% हुआ है।
5	उन गतिविधियों की सूची, जिनमें उपर्युक्त नि.सा.उ. खर्च किया गया है।	नि.सा.उ. पर खर्च मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में हुआ है: क) स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ ख) शिक्षा को प्रोत्साहन ग) स्वच्छता घ) पीने के पानी सुविधा ङ) पर्यावरणीय संधारणीयता च) आनुषंगिक विकास छ) खेलकूद ,संस्कृति और धरोहर को प्रोत्साहन ज) कौशल विकास और आजीविका सृजन

अनुभाग ग – अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियाँ हैं?
   नहीं
2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियाँ मूल कंपनी के व्यवसाय दायित्व (बीआर) प्रयासों में हिस्सा लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या का उल्लेख करें।
   लागू नहीं।
3. क्या अन्य प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठानों (यथा- आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिसके साथ कंपनी व्ययसाय करती है, कंपनी के व्यवसाय दायित्व (बीआर) में हिस्सा लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसे प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठानों का प्रतिशत बताएँ? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]
   सभी व्यवसाय दायित्व संगठन द्वारा स्वयं ही पूर्णतः वित्तपोषित किए जाते हैं। कोई अन्य प्रतिष्ठान अर्थात् आपूर्तक , ठेकेदार आदि बीआर प्रयासों में शामिल नहीं किए जाते हैं।

अनुभाग घ: व्यवसाय दायित्व (बीआर) सूचना

1. 31.3.2017 को यथा निदेशक/निदेशकों के दायित्व का विवरण:

   क) 31.03.2017 को यथा निदेशक-मंडल स्तरीय नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास समिति में चार स्वतन्त्र निदेशकगण और तीन कार्यकारी निदेशक हैं, जो बी.आर. के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 30.07.2016 एवं 18.10.2016 को समिति की दो बैंठकें आयोजित हुई।

   सदस्य 31.03.2017 को यथा समिति के सदस्य हैं :

नाम	पदनाम	डीआईएन संख्या
श्री डी॰ महन्त	स्वतन्त्र निदेशक, अध्यक्ष	01583516
श्री एस. शंकररमण	स्वतन्त्र निदेशक	07346454
श्री महेश्वर साहु	स्वतन्त्र निदेशक	00034051
सुश्री किरण घई सिन्हा	स्वतन्त्र निदेशक	07726477
श्री के॰ सी. सामल	निदेशक (वित्त)	03618709
श्री व्ही॰ बालसुब्रमण्यम्	निदेशक (उत्पादन)	06965313
श्री बी.के.ठाकुर	निदेशक (मानव संसाधन)	07557093

ख) बी.आर. प्रमुख का विवरण

i) संधारणीय विकास का नेतृत्व निदेशक (उत्पादन) द्वारा किया जा रहा है:

क्रम सं॰	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन संख्या	06965313
2	नाम	श्री व्ही.बालसुब्रमण्यम्
3	पदनाम	निदेशक (उत्पादन)
4	टेलीफोन नम्बर	0674-2300660
5	ई-मेल आईडी	dirprod@nalcoindia.co.in

ii) नि.सा.उ. का नेतृत्व निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा किया जा रहा है

क्रम सं॰	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन संख्या	07557093
2	नाम	श्री बी.के.ठाकुर
3	पदनाम	निदेशक (मानव संसाधन)
4	टेलीफोन नम्बर	0674-2300430
5	ई-मेल आईडी	dirhr@nalcoindia.co.in

2. सिद्धान्त वार (राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्गनिर्देशों के अनुसार) बी.आर. नीति/ नीतियाँ

नौ सिद्धान्त हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

सिद्धान्त 1 (पी1) : व्यवसाय का संचालन और अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और जबावदेही के साथ किया जाना चाहिए।

सिद्धान्त 2 (पी2) : व्यवसाय वे वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे, जो सुरक्षित हों और अपने जीवनचक्र में संधारणीयता में योगदान दें।

सिद्धान्त 3 (पी3) : व्यवसाय सभी कर्मचारियों के कल्याण को प्रोत्साहित करे।

सिद्धान्त 4 (पी4) : व्यवसाय सभी पक्षों के हित के अनुकूल हो एवं विशेषकर उपेक्षित, सुविधाओं से वंचित व सीमांत (कमजोर) वर्गों के लिए हितकारी हो।

सिद्धान्त 5 (पी5) : व्यवसाय से मानवाधिकारों को सम्मान और प्रोत्साहन प्राप्त हो।

सिद्धान्त 6 (पी6) : व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान व रक्षा करे एवं उसे बनाए रखने का प्रयास करे।

सिद्धान्त 7 (पी7) : व्यवसाय सार्वजनिक हित एवं विनियमन नीति के प्रति जिम्मेदारी का रुख रखे।

सिद्धान्त 8 (पी8) : व्यवसाय समावेशी एवं संपन्न विकास का पक्षधर हो।

सिद्धान्त 9 (पी9) : व्यवसाय का अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ संबंध रखे और उन्हें उत्तरदायी रूप से मूल्यपरक लाभ प्रदान करे।

क) अनुपालन का विवरण (हाँ/ना में)

क्रम सं॰	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या एन.वी.जी. सिद्धान्तों के लिए आपके पास कोई नीति/नीतियाँ हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	क्या यह नीति संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श से बनाई गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो उल्लेख करें? (50 शब्दों में) *	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	क्या यह नीति निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित है? *	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	यदि हाँ, तो क्या इस पर प्रबंध-निदेश/मालिक/मुख्या मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ उपयुक्त निदेशक-मंडल के निदेशक के हस्ताक्षर हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	क्या कम्पनी के पास निदेशक-मंडल/ निदेशक/ अधिकारी की निर्दिष्ट समिति है, जो इस नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करती है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6.	इस नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक क्या है? **	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7.	क्या सभी प्रासंगिक आन्तरिक और बाहरी हितधारकों को इस नीति का औपचारिक रूप से संप्रेषण किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

क्रम सं०	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
8.	क्या कंपनी में इस नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कोई आन्तरिक तंत्र है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9.	क्या कंपनी में इस नीति/ नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के निवारण हेतु कोई मशीनरी है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10.	क्या कंपनी ने किसी आन्तरिक या बाहरी एजेन्सी द्वारा इस नीति के कार्य-संचालन का स्वतन्त्र *लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

हाँ से "हाँ" स्वीकृति सूचित है

* संधारणीय विकास (एस.डी.) नीति सभी नौ एन.वी.जी. सिद्धान्तों से सार को धारण करती है, एवं हमारे संगठन पर प्रयोज्य अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मानकों/मार्गनिर्देशों अर्थात् आई.एस.ओ. 26000, जी.आर.आई. ढाँचे के प्रमुख पहलुओं का अनुपालन करती है। यह एस.डी. नीति निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित और अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों अर्थात् आई.एस.ओ. 9001, आई०एस०ओ० 14001, आई.एस.ओ. 50001 , ओ.एच.एस.ए.एस. 18001 तथा संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों अर्थात् आई.एल.ओ. सम्मेलनों पर आधारित एस.ए. 8000 मानक की संपुष्टि करते हुए प्रचालन प्रबंधन प्रणालियों द्वारा इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। सभी पाँचों प्रबन्धन सीस्टम्स नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षा के साथ साथ आवधिक बाहरी लेखापरीक्षा के शर्ताधीन हैं। वित्तीय प्रणालियों की भी आन्तरिक लेखापरीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षा की जाती हैं।

** एस.डी. नीति की लिंक : **http://www.nalcoindia.com/download/SD_Policy.pdf**

संधारणीय विकास नीति के अतिरिक्त, हमारे पास कुछ अन्य विशिष्ट नीतियों, कंपनी मैनुअल और दस्तावेज हैं जो नौ एन.वी.जी. सिद्धान्तों के सार और भाव को सुदृढ़ करते हैं। इनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है :

एन.वी.जी. सिद्धान्त	नीतियाँ, मैनुअल, दस्तावेज
सिद्धान्त 1 नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व	1. निदेशक-मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता
	2. धोखाधड़ी रोकथाम नीति
	3. व्हिशल ब्लोअर नीति
	4. सतर्कता मैनुअल
	5. विपणन मार्गनिर्देशिका
	6. क्रय मैनुअल
	7. संविदा मैनुअल
	8. भंडार मैनुअल
	9. अधिकारों का प्रतिनिधान
	10. स्वतन्त्र बाहरी प्रबोधक नीति
सिद्धान्त 2 : उप्पाद के जीवन-चक्र में संधारणीयता	व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति:
सिद्धान्त 3: कर्मचारी कल्याण	मानव संसाधन मैनुअल
सिद्धान्त 4: हितधारक वचनबद्धता	निगम योजना एवं संकल्पना 2020
सिद्धान्त 5: मानवाधिकारों को प्रोत्साहन	सामाजिक उत्तरदायित्व नीति
सिद्धान्त 6: पर्यावरणीय संरक्षण	पर्यावरण नीति
सिद्धान्त 7: दायित्वशील सार्वजनिक नीति की वकालत	निगम योजना एवं संकल्पना 2020
सिद्धान्त 8: समावेशी विकास	नि.सा.उ. नीति
सिद्धान्त 9: मूल्यपरक ग्राहक सेवा	गुणवत्ता नीति

ख) क्रम सं० 1 के अंतर्गत 2 क), में किसी सिद्धान्त का उत्तर "नहीं" है, तो कृपया कारण स्पष्ट करें: (2 विकल्पों तक टिक लगाएँ)

क्रम सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	कंपनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है									
2.	कंपनी अभी इस स्थिति में नहीं है कि यह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन कर सके।									
3.	कंपनी में इस कार्य के लिए वित्तीय या मानव संसाधन उपलब्ध नहीं हैं					लागु नहीं				
4.	आगामी 6 महीने के अन्दर इसे कर लेने की योजना है									
5.	आगामी 1 वर्ष के अन्दर इसे कर लेने की योजना है									
6.	कोई अन्य कारण (कृपया उल्लेख करें)									

चूँकि सभी नौ ए.वी.जी. सिद्धान्तों के लिए उपर्युक्त क्रम सं.1 2(क) में दिए गए प्रश्नों का उत्तर हाँ है, अतः 2 ख) के प्रश्न लागू नहीं हैं।

3. व्यवसाय दायित्व से संबंधित अभिशासन (बी.आर.) :

3.1 कंपनी के बी.आर. कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए, निदेशक-मण्डल, निदेशक-मंडल की समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ बैठक कितनी बार की जाती है। 3 महिने के अन्दर, 3-6 महीने में, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी के बी.आर. कार्य-निष्पादन अर्थात् संगठन में नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास गतिविधियों की समीक्षा करने और सलाह देने के लिए निदेशक-मंडल की समिति की बैठकें दो बार अर्थात् 30.07.2016 एवं 18.10.2016 को हुई। 2016-17 के दौरान बैठकों आवृत्ति औसतन वर्ष में दो बार हुई है।

3.2 क्या यह कंपनी बी.आर. या संधारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट के अवलोकन के लिए हाईपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होती है?

हाँ, व्यवसाय उत्तरदायित्व (बी.आर.) रिपोर्ट और संधारणीय विकास रिपोर्ट दोनों प्रकाशित हुई हैं।

व्यवसाय दायित्व (बी.आर.) रिपोर्ट, जो सेबी की अर्हताओं के अनुसार अधिदेशात्मक है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्गनिर्देशों के आधार पर प्रस्तुत है और वार्षिक आधार पर वार्षिक रिपोर्ट के भाग रूप में प्रकाशित होती है। 2015-16 के लिए रिपोर्ट की वेबलिंक है:

http://www.nalcoindia.com/investor/35th%20Annual%20Report%20(2015-16).pdf.

स्वैच्छिक प्रकटन की अर्हता के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मार्गनिर्देशों अर्थात् ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव जेनेरेशन 4 (जीआरआई जी4) के समरूप में एक संधारणीय विकास (एस.डी.) रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है और यह वार्षिक आधार पर प्रकाशित होती है। वित्तवर्ष 2015-16 के लिए जीआरआई जी4 ढाँचे पर आधारित विस्तृत एस.डी. रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है। इसकी वेबलिंक है:

http://www.nalcoindia.com/download/Nalco-Sustainable-Report_2017_for%20Web_upload.pdf

अनुभाग ङ : सिद्धान्त-वार कार्य-निष्पादन

सिद्धान्त 1 व्यवसाय का संचालन और अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और जबाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।

1.1 क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार संबंधी नीति केवल कम्पनी को शामिल करती है?

जी नहीं।

क्या यह समूह/संयुक्त उद्यम/ आपूर्तकों/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों /अन्यों के प्रति भी विस्तारित है?

जी हाँ। सभी कार्यकलापों में ईमानदारी और शुचिता को सुनिश्चित करते हुए मूल्यों और नैतिकता की एक सुदृढ़ संस्कृति हमारे संगठनात्मक अभ्यासों में प्रतिबिम्बित है। संधारणीय विकास नीति ईमानदारी, नैतिक अभ्यासों और पारदर्शिता के प्रति हमारी वचनबद्धता की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। "निदेशक-मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबन्धन के लिए व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता संहिता" "धोखाधड़ी रोकथाम नीति", "व्हिशिल ब्लोअर नीति", "अनधिकृत व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता" आदि व्यावसायिक नैतिकता के लिए संगठन द्वारा दी गई प्राथमिकता पर प्रकाश डालती हैं। कार्यपालकों के लिए कंपनी सीडीए नियम एवं गैर-कार्यपालक कमर्चारियों के लिए प्रमाणित स्थायी आदेश संगठन के सभी कमर्चारियों पर लागू हैं जो नैतिक आचरण पर भी बल देते हैं।

उपर्युक्त नीतियों के अनुसार किसी व्यावसायिक लेनदेन में आरोपित धोखाधड़ी, जो कर्मचारियों के साथ साथ विक्रेताओं, आपूर्तकों, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं या किसी बाहरी एजेन्सी(सियों) को शामिल किए हो, का निपटारा इन नीतियों के आधार पर उपयुक्त रूप से किया जाता है। किसी उल्लंघन, अनियमितता आदि का निपटारा नालको सतर्कता मैनुअल तथा सी.वी.सी., सी.वी.सी. के मुख्य तकनीकी परीक्षक, सेबी आदि द्वारा परिचालित मार्गनिर्देशों और निदेशावलियों के आधार पर किया जाता है। पारदर्शिता अभियान को आगे सहारा देने के लिए, ₹5 करोड़ और ऊपर के सभी ठेकेदारों के लिए इंटेग्रिटी पैक्ट का कार्यान्वयन किया गया है। भारत सरकार की सार्वजनिक सूचना प्रकटन और सूचित करनेवाले का परिरक्षण (पीआईडीपीआई) योजना के अधीन किसी बाहरी शिकायतकर्ता को परिरक्षण भी दिया जाता है।

1.2 **विगत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं जिनका प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया?**

i) वित्तवर्ष 2016-17 के दौरान, सतर्कता विभाग को रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित हितधारकों की 100 शिकायतें प्राप्त हुई और पिछले वर्ष से लंबित 19 शिकायतों को शामिल करते हुए कुल 119 शिकायतें थी, जिनमें से 116 शिकायतों का तर्कपूर्ण निपटारा करके बन्द कर दिया गया और 3 शिकायतें जाँच-पड़ताल के विभिन्न चरणों में लंबित हैं। नालको सतर्कता मैनुअल के साथ सी.वी.सी. से कार्यात्मक मार्गदर्शन और सलाह की निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर शिकायतों की विस्तृत जाँच-पड़ताल की गई। प्रमाणित अनियमितता की गम्भीरता के समपरिमाण में परामर्श पत्र जारी करने और हल्के/भारी दंड लगाने जैसी उचित कार्यवाही की गई। वर्ष के दौरान निरोधक सतर्कता के उपाय के रूप में, संपत्ति रिटर्न, अनधिकृत अनुपस्थिति, निविदा एवं संविदा, ठेके के श्रमिकों की शिकायत-निवारण, तैयार उत्पाद का प्रेषण आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रणालीगत सुधारों के लिए सुझाव भी दिए गए।

ii) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान में कुल 301 संख्यक निवेशकों की शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी का संतोषजनक समाधान किया गया। निवेशकों से संबंधित शिकायतों को विस्तृत विभाजन नीचे दिया गया है:

विवरण	वर्ष के दौरान प्राप्त	समाधान की गई शिकायतें	लंबित शिकायतें
स्कोर्स	04	04	शून्य
स्टॉक एक्सचेञ्ज	02	02	शून्य
व्यक्ति-विशेष	295	295	शून्य
कुल :	**301**	**301**	**शून्य**

iii) सूचना का अधिकार अधिनियम (सू.का.अ.) के प्रावधानों के अनुसरण के लिए, एक अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है जिसे हितधारकों द्वारा मांगी गई सूचनाएँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, कुल 197 आवेदन प्राप्त हुए और इसके अतिरिक्त 01.04.2016 को यथा 17 आवेदन लंबित थे। 31.03.17 को यथा : अन्य लोक अधिकारी हस्तांतरित एक प्रश्न सहित 176 पूछताछों का निपटाया किया गया, जबकि 12 आवेदन रद्द कर दिए गए तथा शेष 26 प्रश्न जाँच-पड़ताल के विभिन्न चरणों में हैं। "पहली अपीलों" के संबंध में, वर्ष के दौरान कुल 48 आवेदन प्राप्त हुए जबकि पिछले वर्ष के लंबित आवेदन शून्य थे। 31.03.17 को यथा स्थिति है : 44 अपीलों को सलटाया गया और कोई आवेदन हस्तांतरित नहीं किया गया, जबकि एक अपील रद्द कर दी गई थी और 3 आवेदन लंबित हैं।

सिद्धान्त 2 : व्यवसाय वे वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे, जो सुरक्षित हों और अपने जीवनचक्र में संधारणीयता में योगदान दें।

2.1 आपकी 3 वस्तुओं या सेवाओं की सूची दें, जिनकी डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को सम्मिलित किया गया है।

ये तीन प्रमुख उत्पाद हैं : निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिनियम, विद्युत।

अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त धातुकर्म ग्रेड एल्यूमिना मानक के अनुसार उत्पादित निस्तप्त एल्यूमिना एवं लंदन धातु बाजार (एलएमई) ग्रेड पंजीकरण के लिए अत्यावश्यक पी1020ए विनिर्देशों के समरूप तैयार उच्च शुद्धता का प्राथमिक का उत्पादन किया जाता है। ग्र०वि०सं० द्वारा उत्पादित विद्युत हमारे प्रद्रावक संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करती है एवं अधिशेष विद्युत, यदि हो तो, इसका निर्यात ग्रिड को किया जाता है।

हमारे उत्पादों, प्रक्रिया एवं सेवाओं से होनेवाले पर्यावरण या समाज पर नकारात्मक प्रभाव के संबंध में किसी खतरे को कम करने के लिए विशद पर्यावरण प्रभाव आकलन किया गया और नियामक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रबन्धन योजना का कार्यान्वयन किया गया है। योजना के अनुसार हाथ में ली गई पहलों की नियामक एजेन्सियों द्वारा निगरानी की जाती है। पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को दूर करने के लिए आवधिक समीक्षाओं के साथ स्थिति प्रभाव अध्ययन, आपदा निशानदही एवं जोखिम मूल्यांकन और आपातकाल प्रबन्धन योजनाएँ बनाई गई हैं। हमारे उत्पादों एवं प्रक्रियाओं से संबंध में पर्यावरणीय और सामाजिक चिन्ताओं का निवारण करने के लिए एककों में परिस्थल पर ही आपातकाल प्रबन्धन योजनाएँ आदि का कार्यान्वयन किया जाता है। प्रगतिशील खान बंदी योजना के अनुसार खानों में संधारणीय खनन पद्धतियाँ अपनायी जाती हैं।

हमार उत्पादों के लिए पर्यावरणीय चिन्ताओं, जोखिमों, अवरों पर नीचे तालिका-क में निर्दिष्ट अनुसार ध्यान रखा जाता है:

तालिका : क

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय जोखिम के क्षेत्र	पर्यावरणीय चिन्ताएँ	अवसर
एल्यूमिना परिशोधक	निस्तप्त एल्यूमिना	पर्यावरणीय प्रदूषण में निम्न हैं: • वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े जोखिम सहित भूमि संदूषण	• उड़नशील राख	• उद्यमियों को उड़नशील राख की ईंट, सीमेण्ट, सड़क निर्माण, तटबंध बनाने, संगठन परिसर में निचली भूमि को भरकर ऊँचा करने जैसे क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए अभिप्रेरित करने उड़नशील राख का उच्चतर उपयोग करना
			• चूना गिट्टी	• चूना गिट्टी का उपयोग करके उड़नशील राख से ईंट बनाना।
			• लाल-पंक	• लाल-पंक से लौह सान्द्र और गैलियम के निष्कर्षण के लिए लाल-पंक का उपयोग
			• अपशिष्ट जल	• राख का तालाब और लाल पंक तालाब से वापस लिए गए जल का राख के घोल की पम्पिंग, लाल-पंक का घोल बनाने और पुनःचक्रित कास्टिक की धुलाई के लिए उपयोग किया जाता है।
प्रद्रावक	एल्यूमिनियम	पर्यावरणीय प्रदूषण में निम्न हैं: • वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • भूमि संदूषण स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े जोखिम सहित भूमि संदूषण	निम्न जैसे खतरनाक अपशिष्ट का सृजन: • भुक्त पॉलाइनिंग	• i) सीमेण्ट उद्योग और विद्युत संयंत्र में भुक्त पॉटलाइनिंग का उपयोग का अन्वेषण किया जा रहा है।
			• धातुमल	ii)एल्यूमिनियम धातुमल का पॉट में पुनःचक्रिण किया जाता है।
			• शॉट ब्लास्टिंग अपशिष्ट आदि	iii) शॉट ब्लास्टिंग अपशिष्ट, भट्टी स्लैग जैसे गैर-पुनःचक्रणयोग्य खतरनाक अपशिष्ट को सुकिन्दा, जाजपुर स्थित सामान्य एचडब्ल्यू लैंडफिल भेजा जाता है।
			• पॉट प्रचालन से चिमनी धूम, फ्ल्यूराईड एवं कणिकाओं का उत्सर्जन	• लीक-प्रूफ पॉट ढक्कन का उपयोग करके पॉटलाइन से एचएफ गैस रिसाव की रोकथाम धूम उपचार संयंत्रों में शुष्क मार्जन प्रणाली का द्वारा फ्लूओराइड गैस का एल्यूमिना समावेशन करने द्वारा फ्ल्यूराइन प्रक्रिया का पुनःचक्रण
			• विभिन्न प्रचालन प्रक्रियाओं के दौरान बाथ सामग्रियों की छलकन	• स्वचालित बंद होनेवाले वाल्व का प्रावधान और बाथ का पुनःचक्रण
			• फ्लूओराइड संदूषित सतह से बहाव का सृजन	• सतह के बहाव को 3 धारक तालाबों में संग्रह करके पुनःचक्रण और इमिरोन एमिरिऑन नानो आधारित डीफ्लुओराईडेशन प्रौद्योगिकी द्वारा डी-फ्ल्युराईडिंग

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय जोखिम के क्षेत्र	पर्यावरणीय चिन्ताएँ	अवसर
ग्र.वि.सं.	विद्युत	• वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • भूमि प्रदूषण	• उड़ती राख	• ईंटं निर्माण, सीमेंट प्लांट, सड़क निर्माण, निम्न स्तर के क्षेत्र के भूमिसुधार, परित्यक्त पत्थर की खदान, परित्यक्त कोयला खानों आदि में उड़नशील राख का प्रयोग
			• अपशिष्ट जल	• i) राख स्लरी निर्माण में राख तालाब निस्तारण जल का पुनर्चक्रण ii) बागवानी एवं पौधारोपण में एसटीपी जल का प्रयोग
खान	बॉक्साइट	• वायु प्रदूषण • ध्वनि प्रदूषण • भूमि प्रदूषण	• उत्सर्जन	• फ्लू गैस से पुनःप्राप्त ताप
			• अपशिष्ट जल • अपशिष्ट जल	• धूल के दमन एवं बागबानी कार्यों के लिए प्रयोग हो चुके अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण
			• ओवरबर्डन	• i) खोद लिए गए क्षेत्र की पुनःभराई हेतु ओवरबर्डन सामग्री का पुनःउपयोग • ii) पौधारोपण के साथ भरे गए क्षेत्र का पुनर्वासन, इस तरह खोद लिए हुए बंजर क्षेत्र को घने वन में रूपांतरण
			• विस्फोटक	• ध्वनि के स्तर को कम करने के लिए विस्फोटन अनुक्रम में विलंब लाने हेतु एनओएनईएल का प्रयोग एवं जहाँ संभव हो रिपर डोज़र का प्रयोग

2.2 प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद की प्रति इकाई के संसाधन प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री) के सम्बंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (वैकल्पिक)।

i) मूल्य श्रृंखला पर पिछले से हासिल प्राप्ति/उत्पादन/वितरण के दौरान कटौती।

संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में कच्चे पदार्थों का निरंतर उपयोग, ऊर्जा का संरक्षण एवं पानी के समुचित उपयोग जैसे बिन्दुओं पर हमारा विशेष ध्यान है। निम्नलिखित तालिका ख में पिछले वित्तवर्ष की उपलब्धियां दर्शाई गई हैः

तालिका-ख				
प्रति इकाई उत्पादन की विशिष्ट खपत	माप की इकाई	मानक	पूर्ववर्ती वर्ष (वि.व 2015-16)	पूर्ववर्ती वर्ष (वि.व 2016-17)
बॉक्साइट खानों में विस्फोटक की खपत	ग्राम/टन	160	157	143
एल्यूमिना परिशोधक के एसएसपी में वाष्प उत्पन्न करने के लिए कोयला	टन/टन	0.650	0.658*	0.653
एल्यूमिना परिशोधक में विद्युत ऊर्जा	कि.वा.घ./टन	335	323.03	320.45
प्रद्रावक में डीसी ऊर्जा की खपत	कि.वा.घ./मे.टन	13500	13453	13,448
प्रद्रावक में तप्त धातु के लिए शुद्ध कार्बन की खपत	कि.ग्रा./ मे.टन	430+10	426	432
शुद्ध बिजली उत्पादन पर सीपीपी में कोयले की खपत	कि.ग्रा./ कि.वा.घ.	0.90	0.905	0.906

* यह संशोधित खपत पर आधारित पुनःविवरण है

ii) ग्राहकों द्वारा प्रयोग के दौरान कटौती (ऊर्जा, जल) पिछले वर्ष से हासिल की गई है।

ग्राहकों द्वारा ऊर्जा, जल के प्रयोग के विषय में आँकड़े, जानकारी उपलब्ध नहीं है। यद्यपि, हमारे ग्राहकों का निरंतर आधार पर विशिष्ट गुणमान संबंधी आवश्यकताओं पर खरी वस्तुएं प्रदान की जाती है, जो उनकी तरफ से संयंत्रों का सुचारु प्रचलान सुनिश्चित करती हैं, ऐसे में ग्राहकों को कार्य-प्रक्रिया में ऊर्जा, जल और अन्य महत्वपूर्ण निविष्टियों के इष्टतम प्रयोग की अपेक्षा की जाती है।

इसके अलावा, ओटोमोबाइल, एयरोस्पेस, हरित भवनों एवं प्रतिरक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में, एल्युमिनियम के अन्तर्निहित गुणों के कारण संधारणीयता की दृष्टि से एल्युमिनियम के प्रयोग की प्रचुर संभावनाएँ हैं, जो वजन में कटौती, ईंधन की कार्य-कुशलता में वृद्धि, पुनर्चक्रण आदि में सक्षम बनाती है। एल्यूमिनियम का प्रयोग ऊर्जा खपत की कटौती सुनिश्चित करता है जिससे ऊर्जा और जल आदि का संरक्षण होता है।

2.3 क्या कंपनी के पास संधारणीय आपूर्ति स्रोत (परिवहन समेत) के लिए कार्य-पद्धतियाँ हैं?

हाँ।

बॉक्साइट और ऊर्जा जैसी महत्वपूर्ण निविष्टियों के स्रोत के पास प्रमुख विनिर्माणी इकाइयों को स्थापित करते हुए कच्ची सामग्रियों का संधारणीय प्राप्ति स्रोत सुनिश्चित किया गया है। एल्यूमिना परिशोधक ग्रहीत बॉक्साइट खानों के बिल्कुल पास ही स्थित है एवं प्रमुख कच्ची सामग्री जैसे कि बॉक्साइट का परिवहन संयंत्र को हमारी खानों में संस्थापित केबल बेल्ट कन्वेयर तक लम्बी दूरी की एक ही उड़ान द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार, हमारे स्मेल्टर प्लांट और ग्रहीत विद्युत संयंत्र मेसर्स एमसीएल के कोयला खानों के बिल्कुल समीप स्थित हैं, जहाँ से प्रचलित ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफएसए) के अनुसार कोयले की अधिप्राप्ति होती है। एक निर्दिष्ट मेरी गो राउंड रेल सिस्टम हमारे कैप्टिव पावर प्लाँट के बीच लगाया गया है, जिससे विद्युत संयंत्र को विश्वसनीय एवं लागत प्रभावी कोयला परिवहन सुनिश्चित होता है। कोयले की उपलब्धता में कमी, यदि है, को अधिकतर कोल इण्डिया की सहायक कंपनियों द्वारा अधिसूचित एवं संचालित ई नीलामी द्वारा कोयले के क्रय के माध्यम से पूरा किया जाता है। आयातीत कोयले का भी विकल्प उपलब्ध है एवं इसे अमल में लाया जाता है, जो कि आकस्मिक आवश्यकताओं और विस्तृत लागत-लाभ विश्लेषण के परिणाम पर निर्भर है।

हमारी बढ़ती जरूरतों एवं दीर्घमियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पोट्टांगी में लगभग 79 मिलियन टन बॉक्साइट का एक नया भंडार हमें बहुत जल्द आबंटित किए जाने की संभावना है। इससे संधारणीय बॉक्साइट उपलब्धता के मामले में कच्ची सामग्री के हमारे संरक्षण को प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है। 200 मिलियन टन के कोयला संचय वाले उत्कल डी एवं ई-कोल ब्लॉक के आबंटन के साथ कोयले की संधारणीय उपलब्धता में हमारी स्थिति में और भी सुधार आने की अपेक्षा की जाती है।

हमारे यूनिटों (इकाइयों) के समीप विक्रेताओं से स्रोत प्राप्ति द्वारा हमारे विक्रेता आधार को बढ़ाते हुए सभी महत्वपूर्ण निविष्टियों की संधारणीय आपूर्ति भी हम सुनिश्चित करते हैं। सरकारी दिशा निर्देशों के अनुरूप, कुछ क्षेत्रों में स्थानीय विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जाती है। स्थानीय विक्रेताओं के संवर्धन द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की स्रोत का स्थाई विकास आपेक्षित है जो स्थानीय आर्थिक विकास में साझेदारी करेगा। हमारे विशाखापटनम स्थित विशिष्ट पोर्ट सुविधाओं के ज़रिए, सम्पूर्ण यांत्रिक लोडिंग या अनलोडिंग सुविधाओं के साथ, कॉस्टिक सोड़ा का आयात किया जाता है। बुढ़ापंक, अनुगुल और दामनजोड़ी में हमारी रेलवे साइडिंग सामग्रियों के रेल परिवहन सुविधाओं को सुलभ बनाना है जिससे उत्सर्जन में कमी होती है।

2.4 कार्यस्थल के आसपास के समुदायों समेत स्थानीय एवं लघु उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए क्या कंपनी द्वारा कदम उठाए गए हैं? यदि हाँ, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता एवं समर्थता में सुधार लाने के लए क्या कदम उठाए गए हैं?

एक सुनिर्दिष्ट अनुषंगी विकास नीति का प्रबंध स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के प्रोत्साहन के लिए किया गया है एवं स्थानीय विक्रेताओं के विकास के लिए संगठन से सहयोग एवं प्रोत्साहन प्राप्त होता है। हमारी इकाइयों में परिचालित एमएसएमई सरलीकरण प्रकोष्ठों द्वारा विक्रेताओं को महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि तकनीकी मामलों, वाणिज्यिक नियम और शर्तों में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अनुषंगी इकाइयों की कुल संख्या 59 है। एमएसई से प्राप्त होनेवाली वस्तुओं और सेवाओं की सूची हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। एम एण्ड आर कॉम्प्लेक्स और एस एण्ड पी कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शनी हॉल में अपेक्षित सामग्रियों एवं स्थानीय और लघु विक्रेताओं की सूचना के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएँ जैसे कि तकनीकी विनिर्देश, वार्षिक आवश्यकता, अंतिम क्रय आदेश में मूल्य आदि प्रदर्शित किए गए हैं। हमारी क्रय पुस्तिका को उत्पादों और उनके लिए आरंभ की गई सुविधाओं हेतु 15% की मूल्य सीमा में उद्धृत करने वाली एमएसई एवं अनुषंगी इकाइयों को क्रय में प्राथमिकता दी जाती है। एमएसएमईज से खतीरे जा सकनेवाली वस्तुओं और सेवाओं की सूची हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- वर्ष 2016-17 के दौरान अनुषंगी इकाइयों समेत ओड़िशा की एमएसई (सुक्ष्म एवं लघु उद्यम) इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादी एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति - 285.88 करोड़ थी, जो कि पिछले वित वर्ष में 236.66 करोड़ थी। जबकि एमएसई इकाइयों (ओड़िशा के बाहर की इकाइयाँ समेत) से यह आँकड़ा पिछले वितवर्ष के 322.22 की तुलना में 414.95 करोड़ था। एमएसई से अधिप्राप्ति वर्ष के दौरान कुल अधिप्राप्ति की 21% थी। अजा/अजाजा से कुल अधिप्रप्ति 9.36 करोड़ है जो वित्तवर्ष 2016-17 के दौरान नालको द्वारा की गई कुल अधिप्राप्ति का 0.47% है। वर्ष 2017-18 में एमएसई द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं की कुल अधिप्राप्ति हेतु लक्ष्य 415.80 करोड़ निर्धारित किया गया है।
- दो पीएलएसी उप-समिति बैठकें, एमएसएमई, डीआई, रायगड़ा और डीआईसी, कोरापुट के सहयोग से – क्रमशः जुलाई, 2016 एवं फरवरी, 2017 के दौरान एम एण्ड आर कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। इस संबंध में 20वीं पीएलएसई बैठक 20.01.2017 को नालको, भुवनेश्वर में आयोजित की गई। एमएसएमई, रायगड़ा और डीआईसी, कोरापुट के सहयोग से 14.10.2016 को एम एण्ड आर कम्प्लेक्स में ओड़िशा के (ओएएसएमई) और एमएसएमई, डीआई, कटक के सहयोग से 28.09.2016 को एस एण्ड पी कम्प्लेक्स में राज्य स्तरीय विक्रेता विकास सह क्रेता विक्रेता संम्मेलन का आयोजन किया गया।
- विभिन्न एमएसएमई प्रदर्शनियों में हमारी भागीदारी से कई विक्रेताओं को अत्यावश्यक अभिज्ञान एवं अनुप्रेरणा भी प्राप्त हुई है। वर्ष के दौरान हमने ऐसी प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया एवं कटक में एमएसएमई विकास संस्थान, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित "एमएसएमई एक्सपो ओड़िशा-2016" दिसंबर 15 प्रदर्शनी में मदर प्लांट श्रेणी में "बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड" से हम सम्मानित किए गए। इस कार्यकाल में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन पर राष्ट्रीय विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इस क्षेत्र में हमारे इस प्रयास को एमएसएमई विभाग, ओड़िशा सरकार द्वारा भी स्वीकृति दी गई, जिन्होंने जनवरी, 2016 में आयोजित "ओड़िशा एसएसएमई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2016" भुवनेश्वर में "बेस्ट मदर प्लॉट" पुरस्कार हमें प्रदान किया गया।

2.5 उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण की प्रणाली क्या कंपनी के पास है? यदि हाँ, तो उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है?

हाँ।

हम प्रक्रिया अपशिष्ट, धातु रद्दी और अपशिष्ट उत्पादों, बहिःस्रातों और औद्योगिक नालेके जल, राख के तालाब और लाल-पंक के तलाब से नियारित जल का अधिकतम संभव सीमा तक पुनर्चक्रण करते हैं। हम बर्षा जल का दोहन, भूमिगत जल को प्रभारित करना और मल जल के उपचार का भी व्यबहारिक प्रयोग करते हैं। वर्ष 2016-17 में, सीपीपी राख तालाब से 16163255 घन मीटर जल एवं परिशोधक लाल कीचड़ तालाब से 9293695 धन मीटर जल का पुनर्चक्रण किया गया था। हमारे प्रचालनों में विभिन्न अपशिष्टों आदि की पुनः प्राप्ति एवं पुनः उपयोग नीचे "तालिका ग" में वर्णित है:

तालिका गः अपशिष्ट का पुनर्चक्रण/ पुनः उपयोग		
इकाई	उपयोग	प्रतिशत
बॉक्साइट खानें	उत्खनित क्षेत्रों के समवर्ती पुनरुद्धार हेतु ऊपरी भार का उपयोग	100%
एल्यूमिना परिशोधक	अपशिष्ट लाल पंक में से कास्टिक सोड़ा का पुनर्चक्रण	5.76%
	राख का उपयोग	102.72%
	राख तालाब जल का पुनर्चक्रण	98.31%
प्रद्रावक	एल्यूमिनियम स्क्रैप का पुनर्चक्रण	100%
	प्रक्रियागत निविष्ट के रूप में पुनर्चक्रित एल्यूमिनियम ड्रॉस	87.87%
	प्रयुक्तः एनोड का पुनर्चक्रण	100%
ग्र.वि.सं.	राख का उपयोग	37.88%

सिद्धांत 3: व्यवसाय से सभी कर्मचारियों का कल्याण प्रोन्नत होना चाहिए।

3.1 **कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएँः**

31.3.2017 की स्थिति के अनुसार, नियमित नियोजन में कर्मचारियों की कुल संख्या 6950 है।

3.2 **कृपया 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार अस्थायी/अनुबंध पर/ आकस्मिक आधार पर किराये पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएँः**

अस्पतालों एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अनुबंध आधार पर केवल छह व्यक्ति नियोजित किए गए। आतिथ्य रखरखाव स्वच्छता, सफाई व्यवस्था एवं परियोजना कार्यकलापों जैसे क्षेत्रों में कार्यरत ठेकेदारों ने उनके अनुबंधित दायित्वों के निष्पादन के लिए 9697 कामगारों को नियुक्त किया है।

3.3 **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएँः**

31.3.2017 की स्थिति के अनुसार स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 354 है।

3.4 **कृपया निःशक्त स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएँः**

31.3.2017 की तिथि को नियमति नियोजन पर निःशक्त जनों की कुल संख्या 86 है।

3.5. **प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ हैः**

हाँ, विभिन्न इकाइयों और कार्यालयों में 29 पंजीकृत यूनियन है। किसी भी इकाई में बहुसंख्यक सदस्यता वाले यूनियन की मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा दिया जाता है। कुल पाँच यूनियन है, जिनमें से चार उत्पादन इकाइयों में, प्रत्येक में एक एवं नियमित कार्यालय में एक यूनियन मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ के रूप में परिचालित हैं। हमारे संगठन में तीन अधिकारी संगठन एवं तीन अजा/अजजा कल्याण संगठन भी हैं।

3.6 **इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य के रूप में आपके स्थायी कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है?**

लगभग 99% कर्मचारी पंजीकृत यूनियन के सदस्य हैं। जहाँ तक मान्यता प्राप्त यूनियनों का संबंध है, 52% संघबद्ध कर्मचारी इन श्रमिक संघों के सदस्य हैं।

3.7 **कृपया गत वित्तीय वर्ष में बाल श्रमिकों, जबरन श्रमिकों, गैर-स्वैच्छिक श्रमिकों, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या बताएं एवं वित्तीय वर्ष के अंत में इन पर लम्बित शिकायतों की संख्या बताएँ।**

वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः

क्रम सं	श्रेणी	31.03.2016 को लम्बित शिकायतों की संख्या	वि.व. 2016-17 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	31.03.2017 को लम्बित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रमिक/जबरन श्रमिक गैर-स्वैच्छिक श्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	01	01	01

इस स्थिति तक यौन उत्पीड़न की उपरोक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। वर्तमान में ऐसी कोई शिकायत लंबित नहीं है।

3.8 **नीचे वर्णित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया था?**

– स्थायी कर्मचारियों, स्थायी महिला कर्मचारियों, अनियमित/अस्थायी/अनुबंधित कर्मचारियों, विसक्षम कर्मचारी।

कर्मचारियों की श्रेणी	मौजूदा शक्ति	सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत
स्थायी कर्मचारी	6950	42 %
स्थायी महिला कर्मचारी	354	43 %
अनियमित/अस्थायी/ अनुबंधित कर्मचारी	06	08%
विसक्षम कर्मचारी	86	19%

सिद्धांत 4 : व्यवसाय सभी पक्षों के हित में हो और विशेषकर उपेक्षित, सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर वर्गों के हित में हो।

4.1 **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं वाह्य संबंधित हितधारकों की सुव्यवस्था की है?**

हाँ। आन्तरिक और बाहरी हितधारकों की पहचान कर ली गई है। आन्तरिक हितधारकों अर्थात् कर्मचारियों के मानचित्रण के अतिरिक्त, हमने बाहरी हितधारकों अर्थात् ग्राहकों, आपूर्तकों निवेशकों, सरकार और उनके प्रतिनिधियों और समितिओं, स्थानीय समूदायों, नियामक प्राधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और कार्य ठेका कामगारों का मानचित्रण किया गया है। इन आन्तरिक और बाहरी हितधारकों की चिन्तओं और संवेदनाओं का अवालोकन किया जाता है और प्रासंगिक मामलों पर ध्यान केन्द्रित करके समादान हेतु अनुकूल कार्यवाही योजना बनाने हेतु औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से आवधिक अद्यतन किया जाता है।

4.2 **उपर्युक्त में से, क्या आपकी कम्पनी ने सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर हितधारकों की पहचान की है?**

हाँ। हमारी खानों, संयंत्रों आदि के आसपास की अवस्थितिओं में जहाँ के अधिकांश निवासी आर्थिक रूप से अभावग्रस्तं सामाजिक स्तर के हैं, संवेदनशील अधिकारहीन एवं अभावग्रस्त हितधारकों की पहचान कर ली गई हैं।

4.3 **सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर सम्बंधित पक्षों को नियोजित करने के लिए क्या कम्पनी ने कोई विशेष प्रयास किया है?**

हमारी सामाजिक परिकल्पना एवं कार्य योजना आर्थिक रूप से अभावग्रस्त एवं संवेदनशील सामाजिक वर्ग से ऐसे कमजोर पक्षों के मसलों पर जोर देती है। आर्थिक रूप से अभावग्रस्त एवं संवेदनशील सामाजिक वर्ग के ऐसे कमजोर सम्बंधित पक्षों के लिए सीएसआर विभाग द्वारा शामिल किए गए प्राथमिक विषयों सहित कुछ निम्नानुसार हैः

i. सचल स्वस्थ्य इकाई (एमएचयू) एवं वाह्य रोगी जांच सुविधाओं के ज़रिए परिधीय ग्रामों हेतु स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं

ii. कोरापुट, जेपोर एवं भुवानेश्वर के प्रतिष्ठित विद्यालयों के सहयोग से दामनजोड़ी में परिधीय ग्रामों के आदिवासी छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा

iii. 'नालको रा अलिआलि झिया' योजना संयंत्र संचलन के परिधीय क्षेत्रों से गरीबी रेखा से नीचे वर्ग की 181 प्रतिभाशालि कन्या क्षात्रों को शैक्षणिक मदद उपलब्ध कराती है

iv. दामनजोड़ी के 8 परिधीय गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना की गई है

v. दामनजोड़ी के 17 परिधीय गाँवों में जल सुविधाओं का प्रबंध किया गया है

vi. स्थानीय बेजरोजगार युवकों एवं अनुबंधित कर्मचारियों की रोजगार योग्यता वृद्धि के लिए कौशल विकास कार्यक्रम

सिद्धांत 5: व्यवसाय मानवाधिकारों का सम्मान एवं प्रोत्साहन करे।

5. 1 **क्या कम्पनी की मानवाधिकार नीति केवल कम्पनी को या समूह/संयुक्त उद्यमों / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / एनजीओ / अन्य को भी शामिल करती है?**

हाँ। मानवाधिकारों की नीति में हमारे सभी कर्मचारियों, अनुबंधित श्रमिकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को सम्मिलित के अलावा विविध प्रयोज्य विनियमों जैसे कि कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, खान अधिनियम 1972, अनुबंधित श्रमिक (आर एण्ड ए) अधिनियम 1970, ग्रेच्युटी का भुगतान, 1972 आदि के अनुसार अनिवार्य मानवाधिकार अभ्यास पूरी आपूर्ति श्रृंखला में कार्यान्वित होते हैं एवं आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के लिए आवश्यक जाँच एवं मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही, कार्य ठेका परिस्थितियों में, महत्वपूर्ण मानवधिकार मसले जैसे कि बाल श्रमिक, जबरन एवं अनिवार्य श्रम पर यथा उपयुक्त, ध्यान रखा जाता है ताकि मानवाधिकारों का कोई उल्लंघन न होने पाए। निगमित कार्यालय समेत हमारी इकाइयों को एसए 8000 से प्रमाणित किया गया है।

5.2 **गत वित्तीय वर्ष में सम्बंधित पक्षों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषप्रद समाधान किया गया?**

वर्ष के दौरान अर्थात् जनवरी 2017 में यौन उत्पीड़न से जुड़ी एक शिकायत प्राप्त हुई थी एवं प्राप्त शिकायत की जाँच-पड़ताल 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार प्रगति स्तर पर थी। (3.7 दैखें) अन्य पक्षों की शिकायतों की वस्तुस्थिति 1.2 में रेखांकित है।

सिद्धांत 6: व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान एवं रक्षा करें और उसे बनाये रखने का प्रयास करे।

6.1 **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को या फिर समूह/संयुक्त उद्यमों / अपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / एनजीओ / अन्य को भी शामिल करती है?**

हमारी इकाइयों में अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 14001 के अनुरूप पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन किया जाता है एवं हमारी सभी इकाइयों, कार्यालयों में निगमित पर्यावरण नीति लागू है।

इकाइयों ने निगमित पर्यावरण नीति के दिशानिर्देशों से निगमित पर्यावरण उद्देश्यों को अपने प्रचालन क्षेत्रों के लिए निरूपित किया है। आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार भी 'एनआईटी' और कार्यदेशों में सम्मिलित खण्डों द्वारा नीति के दायरे में सम्मिलित हैं।

6.2 **क्या कम्पनी ने वैश्विक पर्यावरण के विषयों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वॉर्मिंग) आदि के समाधान के लिए रणनीतियाँ हैं / प्रयास किया है? हाँ या ना। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हाइपरलिंक बताएं।**

वैश्विक पर्यावरण के विषय जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापवृद्धि आदि के समाधान के लिए किए गए प्रयास निम्नलिखित हैः

- तीन पवन विद्युत परियोजनाएं – i) गण्डीकोटा, आंध्रप्रदेश में 50.4 में.वा. ii) जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 में.वा. iii) देवीकोट, राजस्थान में 50 में. वा. कार्यरत हैं, जबकि जथ सांग्लि, माहाराष्ट्र में 50.4 मे.वा का चौथा संयंत्र अधिकृत किया गया है।
- नालको अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंन्द्र (एनआरटीसी), गोठपटणा, भुवनेश्वर में, निगमित कार्यालय एवं टाउनशिप, में 160 केडब्लूपी (किलोवाट पीक) एवं 100 केडब्ल्यूपी और 50 केडब्ल्यूपी क्षमता के तीन रूफ टॉप और विद्युत संयंत्र परिचालित हैं।
- भारत में सुविधाजनक स्थानों पर 50 मे.वा सौर्य विद्युत संयंत्र व 50 मे.वा पवन विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है।
- मध्यप्रदेश में 20 मे.वा. सौर पीवी विद्युत परियोजना को स्थापित करने की योजना विचाराधीन है।
- दामनजोड़ी, अनुगुल और विशाखापटनम में नालको के विभिन्न स्थानों पर रूफ टॉप और संयंत्रों की स्थापना से सम्बंधित व्यवहार्यता/उपयुक्तता के मूल्यांकन हेतु अध्ययन कार्य जारी है।

निष्पादन, हासिल एवं व्यापार (पीएटी) योजनायों की ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु बाजार आधारित कार्यविधि है, के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने विशिष्ट ऊर्जा खपत की कटौती के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था। वर्ष के दौरान हमारे संगठन के पक्ष में कुल 36,119 ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। हमारे संयंत्रों में ऊर्जा दक्षता प्रयासों के जरिए एम एण्ड आर एवं एस एण्ड पी कॉम्प्लेक्स दोनों में ये लक्ष्य हासिल किए गए थे। वर्षों यानी 2016-19 हेतु पीएटी चक्र 2 के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु इकाईयों में विभिन्न पहलकदमियां प्रगति पर हैं। विभिन्न इकाइयों में ऊर्जा संरक्षण पर प्रमुख प्रयास वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित है।

6.3 **क्या कम्पनी संभावी पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान एवं आकलन करती है?**

हाँ। प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा आवधिक आधार पर की जाती है ताकि पर्यावरण के संभावी जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन हो सके और निर्दिष्ट प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाए जा सके। खान क्षेत्रों में अनुमोदित खान बन्दी योजना का कार्यान्वयन किया जाता है जिसमें संधारणीय खनन कार्य शामिल है। परिस्थल विनिर्दिष्ट वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन योजना की भी उपयुक्त प्रयासों को अमल में लाने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, हमारे सभी संयंत्रों अर्थात् अल्यूमिनि परिशोधक, स्मेल्टर एवं सीपीपी में मुख्य व्यवसाय गतिविधियों से पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा की जाती है। खानों और सभी संयंत्रों के लिए अवस्थिति – प्रभाव विश्लेषण किया जाता है एवं महत्वपूर्ण प्रभावी क्षेत्रों के लिए इन्हें कम करने के उपयुक्त उपाय अपनाए जाते हैं। इससे विभिन्न पर्यावरणीय प्रयासों को आधार मिलता है। उत्पाद के जीवनचक्र पर जोखिम की पहचान की जाती है एवं उपुर्युक्त 2.1 में विस्तार से वर्णित है।

हमारे पर्यावरणीय प्रबंधन के अंश के तौर पर, हम एनोड प्रभावों के दौरान स्मेल्टर में प्राथमिक एल्यूमिनियम न्यूनीकरण प्रक्रिया में उत्पादित परफ्लोरोकार्बन्स (पीएफसी) निस्सरण पर निगरानी रखते हैं। एनोड प्रभाव प्रक्रिया विकल स्थिति है, जहाँ अपर्याप्त परिमाण में एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइट बाथ में घोला जाता है। इससे पॉट में वोल्टेज सामान्य प्रचालन रेंज से बढ़ जाएगा, फलस्वरूप पीएफसी; टेट्राफ्लोरोमिथेन (सीएफ4) एवं हेक्साफ्लोरोइथेन (सी2एफ6) से समाविष्ट गैस का निस्सरण होता है। स्मेल्टर प्लांट अत्याधुनिक एएलपीएसवाईएस पॉट नियामक प्रणाली से सज्जित है, जो पॉट में एल्यूमिना की यथा समय खुराक देते हुए एनोड प्रभाव की आवृत्ति को कम करने में मदद करती है। वर्ष 2016-17 के दौरान, स्मेल्टर पॉटलाइन से पीएफसी निस्सरण का आकलन एपी (एल्यूमिनियम पेशिनी) ओवरवोल्टेज विधि से किया गया है एवं मान नीचे दिए गए हैः

सीएफ4(किलो./टनएल)	0.0330
सी2एफ6 (किलो/टनएल)	0.0040

6.4 **क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) से सम्बंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो इसका विवरण दें। साथ ही, यदि हाँ है, तो क्या कोई पर्यावरणीय रिपोर्ट दायर की गई है?**

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फेमवर्क कन्वेन्शन (यूएनएफसीसीसी) की स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) के तहत गण्डीकोटा में 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र एवं जैसलमेर में 47.6 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र ली गए हैं क्योंकि इन परियोजनाओं से जीएचजी निस्सरण में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। पवन ऊर्जा परियोजनाएँ, ग्रिड संयोजित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ हैं जो पवन ऊर्जा के उपयोग से विद्युत उत्पन्न करती हैं।

गण्डीकोटा में 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र - सीडीएम परियोजना

सीडीएम परियोजना गतिविधि ने पार्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से मेजबान देश अनुमोदन (एचसीए) प्राप्त किया है जो भारत में राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण (एनसीडीएमए) है। परियोजना गतिविधि को यूएनएफसीसीसी मान्यता प्राप्त अभिहित प्रचालनीय संस्था (डीओई) द्वारा वैधता प्रदान की गई है। यूएनएफसीसीसी के साथ परियोजना का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है। इससे अनुमान है कि प्रतिवर्ष औसतन जीएचजी धुआं निस्सरण में 85927 टन कार्बन डाई ऑक्साइड तक कमी होगी।

जैसलमेर में 47.6 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र – सीडीएम परियोजना

सीडीएम पणधारी सलाहकारी बैठक परियोजना स्थल पर आयोजित की गई थी। परियोजना रूपरेखा दस्तावेज (पीडीडी) और परियोजना संकल्प नोट (पीसीएन) जमा किए जाने के बाद राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण (एनसीडीएमए), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। यूएनएफसीसीसी के साथ परियोजना का पंजीकरण प्रकियाधीन है। अनुमान है कि पर्तिवर्ष औसतन जीएचजी धुआं निस्सरण में 83,426 टन कार्बन डाई ऑक्साइड तक कमी होगी।

6.5 क्या कम्पनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा पर कोई अन्य प्रयास किया है? यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हाइपरलिंग बताएँ।

हाँ। हरित ऊर्जा उत्पादन अर्थात् पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

उपर्युक्त पवन ऊर्जा संयंत्रों के अलावा, अन्य प्रयास जो कार्यान्वित हुएः

- देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान में 50 में. वा. का एक पवन विद्युत संयंत्र कार्यरत हैं, जबकि जथ सांग्लि, माहाराष्ट्र में 50.4 मे.वा का अन्य संयंत्र अधिकृत किया गया है।
- नालको अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंन्द्र (एनआरटीसी), गोठपटणा, भुवनेश्वर में, निगमित कार्यालय एवं टाउनशिप, में 160 केडब्लूपी (किलोवाट पीक) एवं 100 केडब्ल्यूपी और 50 केडब्ल्यूपी क्षमता के तीन रूफ टॉप और विद्युत संयंत्र परिचालित हैं।
- भारत में सुविधाजनक स्थानों पर 50 मे.वा सौर्य विद्युत संयंत्र व 50 मे.वा पवन विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है।
- मध्यप्रदेश में 20 मे.वा. सौर पीवी विद्युत परियोजना को स्थापित करने की योजना विचाराधीन है।
- दामनजोड़ी, अनुगुल और विशाखापटनम में नालको के विभिन्न स्थानों पर रूफ टॉप और संयंत्रों की स्थापना से सम्बंधित व्यवहार्यता/उपयुक्तता के मूल्यांकन हेतु अध्ययन कार्य जारी है।

6.6 रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा उत्पादित निस्सरण / अपशिष्ट क्या सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमन्य सीमाओं के अंदर है?

कम्पनी की प्रचालन इकाइयों द्वारा उत्पादित निस्सरण/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमन्य सीमाओं के अन्दर है। इस सूचना से संलग्न पर्यावरणीय विवरण प्रत्येक वर्ष नियामक प्राधिकरण के पास जमा किया जाता है।

6.7 वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिस की संख्या जो लम्बित हैं (अर्थात् जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ)।

शून्य

सिद्धांत 7: सार्वजनिक एवं नियामक नीति को प्रभावित करने वाले व्यवसाय, दायित्वपूर्ण रूप में के जाए।

7.1 क्या आपकी कम्पनी किसी व्यापार और चेम्बर या संघ का सदस्य है। यदि हाँ, तो कुछ प्रमुख संघ का नाम बताएं, जिनसे आपका व्यवसाय जुड़ा हैः

हाँ, इनमें प्रमुख संघ हैः

1. भारतीय एल्यूमिनियम संघ
2. सार्वजनिक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप), नई दिल्ली
3. भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई), नई दिल्ली
4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुंबई
5. सीआईआई का टीक्यूएम विभाग
6. भारतीय गुणवत्ता मण्डल मंच, सिकंदराबाद
7. भारतीय सेरामिक सोसाइटी, कोलकाता
8. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), नई दिल्ली
9. उत्कल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कटक
10. इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन परिषद, कोलकाता
11. भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली
12. इंटरनैशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली
13. रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन परिषद, कोलकता

7.2 क्या आपने सार्वजनिक वस्तु की उन्नति या सुधार के लिए उपर्युक्त संघों से पैरवी/समर्थन प्राप्त किया है? यदि हाँ, तो विस्तार से निर्दिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख करें (उदाहरण, अधिशासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, संधारणीय व्यवसाय सिद्धांत अन्य)।

सार्वजनिक वस्तु हेतु लिए गए निर्दिष्ट क्षेत्र हैः

> उड़नशील राख के उपयोग को बढ़ाने की राहें विकसित करना
> जलवायु परिवर्तन कार्य योजना
> पर्यावरणीय प्रबन्धन
> समावेशी विकास एवं समान वृद्धि
> कौशल विकास एवं रोजगार उत्पत्ति
> भविष्य के लिए संधारणीय एवं कूटनीतिक सामग्री के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में एल्यूमिनियम के प्रयोग को बढ़ाना

> खनिज संरक्षण सहित विकासशील खनन अभ्यास
> ऊर्जा, जल, खनिज संरक्षण
> कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य
> उद्योगों की उन्नति द्वारा आर्थिक नेतृत्व
> कर्मचारियों की सहभागिता एवं कार्य जीवन में संतुलन

सिद्धांत 8: व्यवसाय समावेशी विकास और समान उन्नति का पक्षधर हो।

8.1 क्या कम्पनी के पास सिद्धांत 8 से सम्बन्धित नीति के अनुसरण में निर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएँ हैं? यदि हाँ, इनका विवरण दें।

हाँ समावेशी विकास के प्रचार के लिए आसपास गाँवों में वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए है:

i) प्रतिष्ठित आवसीय विद्यालयों में आदिवासी बच्चों हेतु औपचारिक शिक्षा का स्पॉन्सर द्वारा प्रसार

ii) नालको की लाडली योजना के तहत आसपास के गाँवों की प्रतिभाशाली एवं गरीब क्न्या छात्राओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करना

iii) दामनजोड़ी एवं अनुगुल में हमारी इकाइयों के आसपास गाँवों में स्वास्थ्य देखरेख सेवाएँ प्रदान करना

iv) स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत स्कूलों में शौचालयों का निर्माण

v) पेय जल आपूर्ति परियोजनाएँ

vi) आधारभूत संरचना का विकास कार्य

vii) पौधारोपण कार्य

viii) विरासत का संरक्षण और संस्कृति का प्रसार

8.2 क्या संगठन की टीम/निजी प्रतिष्ठान/बाह्य एनजीओ/सरकारी तंत्रों/किसी अन्य संगठन के जरिए कोई कार्यक्रम/परियोजना का कार्यन्वयन किया गया है?

कम्पनी की सीएसआर गतिविधियां पुनःस्थापन एवं परिधीय विकास सलाहकार परिषद (आरपीडीएससी) एवं नालको के निर्देशानुसार नालको फाउन्डेशन के ज़रिए कार्यान्वित की जाती है।

i. नालको फाउन्डेशन, नालको का सीएसआर खंड ने वैकल्पिक क्षेत्रों के 15 कि.मी. की परिधी के अन्दर स्थित गाँवों में विकास के ऊपर ध्यान केन्द्रित किया है एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आधार जमीनी सर्वेक्षणों के ज़रिए दायित्व बद्धता पर आधारित परियोजना को अपनाया है।

ii. कुछ सीएसआर परियोजना का निष्पादन प्रत्यक्ष रूप से नालको द्वारा किया जाता है।

iii. ओड़िशा सरकार ने, परिधीय विकास कार्यक्रमों हेतु संबंधित राजस्व मंडली आयुक्त की अध्यक्षता में अनुगुल एवं दामनजोड़ी क्षेत्र हेतु पुनर्स्थापन व परिधीय विकास सलाहकार समिति (आरपीडीएससी का गठन किया है)। समिति के सदस्यों में शामलि हैं जिला आधिकारी, स्थानीय विधायक एवं सांसद लोकप्रतिनिधि एवं नालको के प्रतिनिधि। आरपीडीएससी कार्यन्वित की जानी वाली परियोजना का चुनाव, निधि आवंटन एवं परियोजना के निष्पादन का सम्पूर्ण निगरानी करती है।

8.3 क्या आपने अपने प्रयासों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है?

i. वर्ष 2012 के दौरान नालको फाउंडेशन की परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव का आकलन ओड़िशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट द्वारा संचालित किया गया था।

ii. हाल ही में नालको द्वारा सीएसआर परियोजना लागू किए जाने के सामाजिक प्रभाव आकलन एसआईए का कार्य पूरा करने हेतु उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है

8.4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कम्पनी का प्रत्यक्ष सहयोग कितना है – भारतीय रुपये में राशि एवं ली गई परियोजनाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कुल 30.01 करोड़ सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय किए गए थे। कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां है:

i) दामनजोड़ी क्षेत्र के आसपास के 18 गाँवों एवं पतंगी खान क्षेत्रों से कुल 755 छात्रों को तीन आवासीय विद्यालयों अर्थात् कलिंगा इंस्टीव्यूट ऑफ सोशल साइंस (केआईएसएस), भुवनेश्वर; कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन (केडीएफ), जयपुर; विकास विद्यालय, कोरापुट में औपचारिक शिक्षा प्रदान की गई। दामनजोड़ी और अनुगुल के हमारे संचारण के आस-पास के क्षेत्रों के 4129 छात्रों को भी कम्पनी द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा प्रदान की गई है।

ii) "बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ" के सरकारी लक्ष्य के अनुरूप "नालको र अलिआलि झिअ" के रूप में प्रतिभावान एवं निर्धन कन्या छात्राओं की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए ₹ 6000 प्रति वर्ष धनराशि के सहयोग द्वारा एक योजना कार्यान्वित की गई है, जिसके तहत कक्षा 8 से कक्षा 10 की क्षात्राओं को उनके स्कूल यूनिफॉर्म सैक्षणिक सामग्री आदि का व्यय वहन करने के लिए सहायता की गई। प्रति वर्ष 100 ऐसी कन्या छात्राओं (अनुगुल क्षेत्र से 50 छात्राएं एवं दामनजोड़ी क्षेत्र से 50 छात्राएं) का कक्षा 8 में प्रवेश कराया जाता है। 2016-17 वित्तवर्ष के दौरान, इस योजना के तहत 181 छात्राओं को सहायता प्रदान की गई।

iii) उन जिलों में जहाँ कम्पनी संचालन कर रही है, आवश्यकतानुसार युवाओं का कौशल विकास कार्यक्रम।

iv) नालको फाउन्डेशन द्वारा, हेल्पएज इन्डिया, वॉकार्ड फाउन्डेशन व लॉयन्स क्लब को शामिल करते हुए सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) कार्यों के जरिए निःशुल्क औषधियाँ, नैदानिक एवं जागरूकता प्रसार समेत गाँववासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए एम एण्ड आर कॉम्पलेक्स, दामनजोड़ी में 4 मोबाइल हेल्थ यूनिट (एमएचयू) और एस एण्ड पी कॉम्प्लेक्स, अनुगुल में 3 मोबाइल हेल्थ यूनिट (एमएचयू) नियोजित किए गए हैं। अनुगुल क्षेत्र के आस-पास के ग्रामवासियों की वाह्य रोगी चिकित्सा के लिए एक विशेषज्ञ ओपीडी केन्द्र का संचालन भी हो रहा है। यह केन्द्र दक्ष चिकित्सक एवं पराचिकित्सा कर्मियों के साथ कार्य कर रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 1,12,809 रोगियों की चिकित्सा की गई।

v) भारत सरकार द्वारा चालू की गई स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ प्रतिष्ठित तीर्थस्थान विकास आह्वन की प्रतिक्रिया में पूरी के प्रतिष्ठित तीर्थस्थल को स्वक्ष तीर्थस्थान में परिवर्तित करने हेतु बहु पक्ष साझेदार के रूप में विकास के लिए चुना गया है।

vi) एस एण्ड पी कॉम्पलेक्स अनुगुल और एम एण्ड आर दामनजोड़ी क्षेत्र के आस-पास के 11 गाँवों को को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए पहल की गई है।

vii) कम्पनी द्वारा 2016 में रथ उत्सव के दौरान पुरी में तीर्थयात्रियों/श्रद्धालुओं को 4 लाख जीवाणु रहित पेय जल पाउच प्रदान किया गया।

viii) एस एण्ड पी कॉम्पलेक्स अनुगुल के आस-पास के गाँवों में गर्मियों के दौरान टैंकर द्वारा पेय जल की आपूर्ति

ix) एम एण्ड आर कॉम्प्लेक्स के आस-पास के 17 गाँवों में पंपिंग सुविधाओं सहित कुओं द्वारा सुरक्षित पेय जल सुविधाओं का प्रबंध

x) आदिवासियों के सांस्कृतिक कार्यकलापों के प्रोत्साहन के लिए जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक सामुदायिक उत्सव परव, कोरापुट के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया।

xi) एम एण्ड आर कॉम्प्लेक्स के आस-पास के 8 गाँवों सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई गई।

xii) कम्पनी ने भुवनेश्वर में और उसके चारों ओर संचालित इकाईयों के आस-पास के गाँवों में संगरचनात्मक विकास कार्य हेतु परियोजनाओं की शुरुआत किया है।

8.5 क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि इस सामुदायिक विकास प्रयास को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है?

सरकारी निकायों, एनजीओ और अन्य कार्यक्रम कार्यान्वन एजेन्सीज पीआईए, की साझेदारी में क्षेत्र में स्वास्थ, शिक्षा, आजीविका, ग्रामिण विकास आदि के लिए सामुदायिक पहल योजना बानाकर उसे कार्यान्वित किया है।

क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि इस सामुदायिक विकास प्रयास को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है?

9.1 वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात् 31 मार्च 2017 को यथा ग्राहक शिकायतों / उपभोक्ताओं के कितने प्रतिशत मामले लम्बित हैं?

समय समय पर उठने वाले भुगतान विलम्बित सुपुर्दगी, गुणवत्ता, माला या दस्तावेजीकरण आदि जैसे विभिन्न मामलों से संबंधित शिकायतों के बारे में आईएसओ 9001 के अनुरूप प्रक्रिया निर्धारित है। शिकायती विषय के आधार पर नालको के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि और/अथवा संयंत्र के तकनीकी व्यक्ति शिकायत की जांच के लिए ग्राहक के स्थान पर दौरा करते हैं। ग्राहक द्वारा त्रुटि के आधार पर क्षतिपूर्ति का दावा किए जाने की स्थिति से निपटने के लिए गया है एक कमिटी गठित की गई है जो, आवश्यक निरिक्षण के बाद क्षतिपूर्ति की उचित राशि, यदि हो, के बारे में अपनी सिफारिश का प्रस्ताव देते हैं, सक्षम अधिकारी द्वारा एक मुश्त निपटारे के अनुमोदन के पश्चात उक्त राशि ग्राहक को भुगतान की जाती है। हमारी प्रक्रियाओं एवं उत्पादों में सुधार हेतु ग्राहकों की शिकायतों पर पुनर्विचार भी किया जाता है।

वित्तवर्ष 2016-17 के दौरान 31.03.2017 को प्राप्त शिकायतें, 31.03.2016 को लम्बित कुल शिकायतों का, 22.2% हैं यानि कुल संख्या 18 है। 31.03.2017 तक ग्राहक शिकायतों पर वस्तुगत रिपोर्ट इस प्रकार है:

31.3.2016 को लम्बित शिकायतें	2
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त शिकायतें	16
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निपटायी गई शिकायतें	14
31.3.2017 को लम्बित शिकायतें	4
31.3.2017 को लम्बित ग्राहक शिकायतों का प्रतिशत	22.22%

31.3.2017 को लम्बित चार ग्राहक शिकायतों में से एक शिकायत का सामाधान कर दिया गया है।

9.2 स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य पहलुओं के अलावा, उत्पाद के लेबल पर क्या कम्पनी उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करती है?

नहीं।

अनिवार्य पहलू के अलावा हम उत्पाद संबंधी कोई अन्य जानकारी प्रदर्शित नहीं करते हैं।

नियमों द्वारा निर्धारित प्रथाओं का अनुसरण करते हुए उत्पाद लेबलिंग के संबंध की प्रदर्शनी उत्पाद लेबल पर की जाती है। रोल्ड प्रोडक्ट के मामले में, कम्पनी के नाम एवं उत्पादन इकाई और स्थान, कॉयल सं., ग्रेड, माप (मोटाई x चोड़ाई) मि.मी. में, निवल वजन (कि.ग्रा में) जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर पैकेजिंग की तिथि, सब स्टैक की सं. एवं शीट की कुल सं. प्रति पैकेट (केवल रोल्ड शीट के लिए) की प्रदर्शनी उत्पाद के लेबल पर की जाती है।

9.3 क्या किसी सम्बंधित पक्ष (स्टेकहोल्डर) ने गत पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी के विरुद्ध अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर दायित्वशील विज्ञापन और/ या प्रतिस्पर्धी – विरोधी व्यवहार की शिकायत की है एवं वित्तीय वर्ष के अंत में लम्बित है? यदि है, तो इसका विवरण दें।

नहीं।

किसी भी सम्बंधित पक्ष द्वारा गत पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी के विरूद्ध कोई अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर-दायित्वशील विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धी-विरोधी व्यवहार के बारे में कोई शिकायत नहीं की है।

9.4 क्या आपकी कम्पनी उपभोक्ता समीक्षा/उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियाँ अपनाती हैं?

हाँ।

संधारणीय विकास नीति सम्बंधित पक्षों के लिए मूल्य सृजन को पढ़ाने हेतु आर्थिक मसलों के समाधान से सम्बंधित है एवं गुणवत्ता नीति व्यावसायिक उत्कृष्टता हासिल करने में निर्दिष्ट मार्ग के रूप में हमारे कार्यनिष्पादन में निरंतर सुधार लाते हुए ग्राहक की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने पर केन्द्रित है। विभिन्न औपचारिक या अनौपचारिक साधनों के जरिए प्राप्त ग्राहक प्रतिक्रिया से अपेक्षित सूचनाएँ प्राप्त होती हैं जिससे हम महत्वपूर्ण कार्य-प्रक्रियाओं जैसे कि विपणन, उत्पादन, प्रक्रिया नियंत्रण आदि की आवधिक समीक्षा कर सकें एवं ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए हमारे प्रयासों को योजनावद्ध कर सकें।

हर वित्तीय वर्ष में छह महीने के आधार पर, सितंबर एवं मार्च की समाप्त अवधि के लिए ग्राहक संतुष्टि समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा से हमें ग्राहक संतुष्टि अनुक्रमणिका की गणना करने एवं ग्राहकों की धारणाओं के अभिग्रहण में मदद मिलती है। इन प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है ताकि हम हमारे कार्यनिष्पादन को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इन्हें आंतरिक रूप से निर्देश चिह्न के रूप में स्थापित कर सके।

अनुलग्नक-IV

ऊर्जा संरक्षण प्रद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय पर रिपोर्ट

क. ऊर्जा संरक्षण

(i) i. ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम और प्रभावः

आप की कम्पनी ने ऊर्जा संरक्षण को हमेशा सबसे अधिक महत्व दिया है और अपने सभी उत्पादन इकाईयों में अधिकतम ऊर्जा दक्षता हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करती रही है। आप की कम्पनी अपनी विभिन्न गतिविधियों और प्रक्रियों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाते हुए लघु समूह गतिविधियाँ (एसजीए) के ज़रिए ऊर्जा संरक्षण के उपाय कर रही है।

विभिन्न इकाईयों में ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैः

बॉक्साइट खानें

1. 70 वॉट वेल ग्लास एचपीएचवी फिट्टिंग्स की 320 प्रतियाँ, 250 वॉट डब्ल्यू फ्लड लाईट एचपीएसवी लैम्प्स की 80 प्रतियाँ, 250 वॉट डब्ल्यू एचपीएसवी स्ट्रीट लाईट फिक्सचर की 20 प्रतियाँ, 89 प्रति सीएफएल लैम्प, 2300 प्रति टी8 ट्यूब लाईट फिटिंग (40 वॉट), इसमें उपयोग होने वाली एलईडी को बदला गया। इससे प्रति वर्ष लगभग 2,90,000 कि.वा घं. (≈25 टीओई) विद्युत ऊर्जा की बचत का अनुमान लगाया जा रहा है।
2. नवीनतम बीईई 5 स्टार का दर्जा प्राप्त एयर कन्डिशनर (आर410ए पर्यावरण अनुकूल रेफ्रिजरेन्ट सहित) 1.5 टीआर सक्षमता पुराने (2000-2002 से स्थापित) और अयोग्य एयरकन्डिशनर को बदला गया। इससे प्रति वर्ष लगभग 2250 कि.वा घं. (≈0.2 टीओई) विद्युत ऊर्जा की बचत का अनुमान लगाया जा रहा है।

एल्यूमिना रिफाईनरीः

1. बॉयलर में डम्प वाष्प नियंत्रण वॉल्व का परिवर्तन।
2. मोटर के आकार को सुविधानुसार कम करते हुए रसायनिक प्रक्रिया टंकियों के गतिवर्धक को परिस्थिति अनुसार अत्यधिक उपयोगी बनाना।
3. वाष्पीकरण संयंत्र में वीएफडी के स्थापन का कार्य निष्पादित हो रहा है। प्राथमिक संरचना ढांचे का कार्य पूरा कर लिया गया है जिसमें ₹ 600 लाख व्यय हुआ है। ₹ 300 लाख मूल्य के वीएफडी का स्थापन कार्य शेष है जिसे 2017-18 की दूसरी तिमाही में पूरा किया जाएगा।
4. प्रयोजनीय प्रवाह एवं दबाव प्राप्त करने हेतु बिछाई गई पाईप लाइन्स का मार्ग परिवर्तन करते हुए ऊर्जा की बचत।
5. प्रत्यक्ष वाष्प तापन की बजाय पीपीटीआर टैंकों में अप्रत्यक्ष वाष्प तापन का उपयोग।
6. कोयले की बेहतर दहन दक्षता हासिल करने के लिए कोयला जलावन में योगज का उपयोग किया जा रहा है। सभी 05 बॉयलरों में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है जिससे बेहतर बॉयलर दक्षता प्रप्त हुई है।
7. बॉयलर नं 4 के एचएफओ लाईन में चुम्बाकीय अनुनादक की स्थापना; यह एचएफओ का 6.1% बचत करता है। इस वर्ष बचत हुई मात्रा = 88 केएल।
8. राख गारा पम्प हाउस के अलावा विद्यमान मौजुदा एसएल साइक्लोन फीड पम्प के स्थान पर ऊर्जा दक्ष पम्पों की स्थापना।
9. 1130 किलो वॉट के बीएफपी के उपयोग के बदले उस समय बॉयलर के जल परीक्षण हेतु भिन्न जल परीक्षण पम्प का इस्तेमाल।
10. 10 फ्लड लाईट्स को एलईडी लाईट्स से एवं 57 वॉट्स के 9320 संख्यक ट्यूबलाईट्स को 18 वॉट के एलईडी ट्यूब से बदला गया है।

एल्यूमिना रिफाइनरी में 2016-17 के दौरान 2015-16 के समतुल्य उत्पादन पर 45, 636.19 टीओई की कुल ऊर्जा बचत हुई है।

प्रद्रावक संयंत्र :

1. वर्ष के दौरान प्रद्रावक संयंत्र में विशिष्ट डीसी ऊर्जा खपत पिछले वर्ष के 13.453 कि.वा.घं./मे.ट की तुलना में 13,448 कि.वा.घं./मे.ट तक कम होकर 5 कि.वा घं./मे.ट. तक निम्न हुई है। यह सभी पॉट लाईनों में एएलपीएसवाईएस पॉट नियामक प्रणाली के उपयोग द्वारा हासिल हुई है, इससे एनोडिक समस्याएं कम करने वेज ड्रॉप व स्टीम बीम ड्रॉप्स को कम करने में मदद मिली है। आलेखित केथोड ब्लॉक, छिद्रित एनोडों के उपयोग और रनिंग पॉट में एनोड स्टब होल एवं पिन की लम्बाई बढ़ाई गई है। इन सभी गतिविधियों के फलस्वरूप उच्चतर वर्तमान दक्षता हासिल होने के कारण विशिष्ट डीसी ऊर्जा खपत में 3,90467 कि.वा.घं. (33.57 टीओई) की कमी हुई है।
2. प्रद्रावक में ऊर्जा संरक्षण के लिए निष्पादित हुई परियोजनाएं हैः
   क) दो ऊर्जा दक्ष कम्प्रेसर की स्थापना – 15,05184 कि.वा.घं. (129.4 टीओई)
   ख) पीटीएम स्क्र्यू कम्प्रेसर में एयर रिसीवर की स्थापना – 5,745 कि.वा.घं. (0.49 टीओई)
   ग) 20 संख्यक मानक एलटी मोटर को उच्च ऊर्जा दक्ष आईई – 2 क्लास मोटर से बदला गया - 69,723 कि.वा.घं. (6 टीओई)
   घ) 24 संख्यक एचपीएसवी हाई बे लाइट को एलईडी लैम्प से परिवर्तन – 9,472 कि.वा.घं. (0.81 टीओई)

इन सबसे 1980,591 यानि 170.27 टीओई की कुल वार्षिक ऊर्जा बचत हुई।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र:

1. कूलिंग टावर की इकाई #6 के सभी छह पुराने फैन मोटर्स सफलतापूर्वक ऊर्जा दक्ष वीएफडी नियंत्रित मोटरों से बदले गए। इससे वार्षिक ऊर्जा खपत में 340 टीओई तक की बचत हुई।
2. कूलिंग टावर फैन की इकाई #9 एवं #10 (कुल 10 फंकें) के सभी पुराने ग्लास रिइनफोर्स्ड प्लास्टिक ब्लेड फाइबर रिइनफोर्स्ड प्लास्टिक से बदले गए। इससे वार्षिक ऊर्जा खपत में 170 टीओई तक की बचत होगी।
3. एलईडी स्ट्रीट लाइट फिटिंग और एलईडी ट्यूब लाइट्स, इलेक्ट्रोनिक ट्यूब लाइट बैलस्ट, एलइडी हाई बे फिटिंग, एलईडी वेल ग्लास फिटिंग आदि ऊर्जा दक्ष लाइटिंग स्थापन के कारण वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 9,65,492 कि.वा.घं. (983.02 टीओई) ऊर्जा की बचत हुई।
4. एक तालाब (50,000 घनमीटर क्षमता) एवं पम्प (2 X 250M3/HR क्षमता) युक्त वर्षा जल संचयन प्रणाली 28 सितम्बर 2016 को चालू की गई। इससे वर्ष 2016-17 के दौरान नदियों से जल व्यर्थ होने में 2,73387 घनमीटर की कमी हुई है ।

2016-17 के दौरान प्रस्तावित या प्रगतिशील ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएं

खानें

1. 250 वॉट एचपीएसवी स्ट्रीट लाइट की 400 प्रति एवं 150 वॉट एचपीएसवी स्ट्रीट लाइट की 300 प्रति को बदलने की योजना बनाई गई है और यह क्रय के स्तर पर है। 2017-18 में इसके पूर्ण हो जाने से विद्युत ऊर्जा की लगभग 4,03,398 कि.वा.घं.(≈35 टीओई) की बचत होने का अनुमान है।
2. नए हॉल रोड को प्रकाशित करने हेतु साउथ ब्लॉक में सम्पूर्ण नई लाइटिंग स्थापन का प्रस्ताव दिया गया है एवं इस क्षेत्र को प्रकाशित एलईडी तकनीक से होगा जिससे नई संस्था के ऊर्जा व्यर्थ होने के प्रभाव में कमी आएगी।

एल्यूमिना रिफाइनरीः

पुराने निकास वाष्प नियंत्रण वॉल्व को नए और बेहतर डिज़ाइन के वॉल्व से बदलने की योजना है। क्रय का कार्य प्रगति पर है।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र:

1. एक यूनिट के बॉयलर में मौजूदा एयर प्री हिटर (एपीएच) को बेहतर एयर प्री हीटर (एपीएच) से बदला गया। इससे फ्लू गैस से गहन वायु में ताप का हस्तांतरण बेहतर होगा, नतीजतन, दहन दक्षता बेहतर और व्यर्थ ताप की पुनःप्राप्ति होती है। इससे ऊर्जा की 1,560 टीओई की वार्षिक बचत होगी।
2. पुराने प्रत्यागामी के स्थान पर एक ऊर्जा दक्ष स्क्रयु कम्प्रेशर लगाया गया है। इससे ऊर्जा की 242 टीओई तक की वार्षिक बचत होगी।
3. 600 ऊर्जा मीटरों के स्थापन द्वारा उपकरणवार ऊर्जा खपत की निगरानी की जाएगी। इन ऊर्जा मीटरों को एक ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली द्वारा शामिल किया जाएगा। यह ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली अधिक ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों को चिन्हित करने में मदद करेगा और प्रबंधन के लिए ऐसे उपकरणों को बदलने का निर्णय लेना सुगम बनाएगा।

प्रद्रावक:

1. कमप्रेस्ड एयर नेटवर्क के लिए कुशल प्रवाह नियंत्रण प्रणाली
2. टीएफएल ट्यूब्स को एलईडी लैम्प्स से बदलना
3. रोडिंग शॉप – 2 में दूसरे स्लॉट कटिंग मशीन की स्थापना
4. रोलिंग प्लान्ट के एक एम एम्ड एच फर्नेस के लिए अर्ध स्वचालित जलावन नियंत्रण प्रणाली
5. पॉट लाइन में मौजूदा स्क्रैप मेलन्टिग फर्नेस में सुधार
6. कास्ट हाउस – ए में फर्नेस के ठोस धातु परिवर्तनशील दरवाजों की सीलबंदी करना।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग हेतु कम्पनी द्वारा उठाए गए कदमः

आपकी कम्पनी निम्नलिखित, पवन व सौर विद्युत इकाइयों का संचालन कर रही है।

1. गंडीकोटा, आन्ध्रप्रदेश में 50.04 मे.वा पवन विद्युत संयंत्र
2. लुडर्वा, राजस्थान में 47.06 मे.वा पवन विद्युत संयंत्र
3. देवीकोट, राजस्थान में 50.00 मे.वा पवन विद्युत संयंत्र
4. निगम कार्यालय एवं नालको टाउनशिप में 260 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सौर विद्युत संयंत्र

वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने कवर विद्युत से 205.722 एमयू एवं सौर विद्युत से 0.294 एमयू का उत्पादन किया है।

उक्त के अतिरिक्त जथ, सांग्ली, महाराष्ट्र में एक 50.4 मे.वा पवन विद्युत संयंत्र चालू किया गया है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेशः

खान

1. पुराने लैम्प/बत्तियों को एलईडी फिटिंग से बदलना एवं क्रयः ₹ 37.75 लाख

2. एयर कंडिशनरों को बदलनाः ₹ 2.2 लाख
3. विद्युत ऊर्जा के व्यर्थ हो जाने की सटीक निगरानी व विश्लेषण हेतु वहनीय विद्युत विश्लेषक का क्रयः ₹ 4.7 लाख

एल्यूमिना रिफाइनरी

रिफाइनरी के लिए वर्ष में ऊर्जा संरक्षण के उपायों पर व्यय कुल राशि ₹ 1,117 लाख है।

स्मेलटर

1. दो ऊर्जा दक्ष कम्प्रेशरों का स्थापन – ₹ 358.5 लाख
2. पीटीएम स्क्यु कम्प्रेशर में एयर रिसीवर का स्थापन – ₹ 1.9 लाख
3. 20 मानक एलटी मोटरों को उच्च ऊर्जा दक्ष आईई-2 ग्लास मोटरों से बदलना – ₹ 5.9 लाख
4. 24 प्रति एचपीएसवी हाई बे लाईट का एलईडी लैम्प से परिवर्तन – ₹1.2 लाख
5. पॉट में आलेखित केथोड ब्लॉक्स का क्रय व बिछाया जाना – ₹ 3,938 लाख

सीपीपी

1. इकाई 6 कूलिंग टावर पंखों में वेरियेबल फ्रिक्वेन्सि ड्राइव (बीएफडी) का स्थापन – ₹ 38 लाख
2. कूलिंग टावर फैन की इकाई #9 एवं #10 (कुल 10 फंकें) के सभी पुराने जीआरपी ब्लेड एफआरपी ब्लेड से बदलना – ₹ 42 लाख
3. एलईडी लाइट फिटिंग, एलईडी ट्यूब लाइट जैसे ऊर्जा दक्ष अलोक प्रणाली का स्थापन – ₹ 27 लाख

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन, अंगीकरण व अभिनवता

क्र. सं	प्रौद्योगिकी	उसके लाभ
1	प्रद्रावक संयंत्र में दुनिया में अपनी तरह की पहली इसाव्यास टेकनलॉजी प्रा. लि. की एमरिऑन नैनो तकनीक सहित 150 घनमीटर प्रति बैच अपगामी जल उपचार संयंत्र और यह संचालित है	ईएमआरआईओएन प्रणाली पर आधारित इस नवीनतम प्रौद्योगिकी में पुरानी प्रणाली की तुलना में अधिक सुविधाएं हैं जैसेः – किसी नुकसानदेह अपशिष्ट के बिना पानी की 95% पुनःप्राप्ति – रासायनिकों का शून्य उपयोग – शून्य द्रव उत्सर्जन (जेडएलडी) संयंत्र – फ्लोराइड की माला पर्यावरण नियमों के विपरित 30 पीपीएम उच्च स्तर से 2 पीपीएम निम्न स्तर तक ले आना
2	पीएल 1,2,3,4 के पीटीएम – अतिरिक्त इन्टरलॉक भारतुला अन्डरलोड/ ओवरलोड सुरक्षा प्रस्तुत की गई	पीटीएम के उत्तोलन के कु-संचालन और रस्सी के ढीलेपन में कमी
3	रोडिंग शॉप-1 में ओवरहेड कनवेयर एप्लिकेशन (पीएलसी-12) हेतु अप्रचलित पीएलसी प्रोसेसर प्रणाली का नियंत्रण युक्ति आधारित प्रोसेसर प्रणाली में उन्नतीकरण	ब्रेकडाउन समय में कमी
4	रोडिंग शॉप-1 अनुपातित एप्लिकेशन (पीएलसी-बी) हेतु अप्रचलित पीएलसी प्रोसेसर प्रणाली का नियंत्रण युक्ति आधारित प्रोसेसर प्रणाली में उन्नतीकरण	ब्रेकडाउन समय में कमी

पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित/अपग्रेड की गई प्रौद्योगिकी का विवरण

आयातित/अपग्रेड की गई प्रौद्योगिकी	आयात/अपग्रेड करने का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी पूरी अवशोषित हुई है	यदि पूरी अवशोषित नहीं हुई है, जिन क्षेत्रों में ये नहीं घटी हैं, इसका कारण एवं भावी कार्य योजनाएं
पर्यावरणीय मानदंड़ों को पूरा करने के लिए एनोड बेकिंग फर्नेस (भट्टी)-2 में धूम उपचार केन्द्र।	2012-13	हाँ	-
डीसी ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए खांचेदार एनोड के साथ पॉटलाइनों का सफल प्रचालन।	2012-13	नहीं	क्रय की जानेवाली द्वितीय स्लॉट कटिंग मशीन के चालू हो जाने के बाद प्रौद्योगिकी का संपूर्ण समावेशन होगा।
जीपीआरएस सेवा के माध्यम से ओएसपीसीबी के सर्वर को निरंतर डेटा अपलोड करने के लिए सीएच(बी) ढेरियों, एफटीपी 7 एवं 8 ढेरियों के लिए आरटीडीएएस (वास्तविक समय डेटा अर्जन प्रणाली)	2013-14	हाँ	-
जीपीआरएस सेवा के माध्यम से ओएसपीसीबी के सर्वर को निरंतर डेटा अपलोड करने के लिए चालू किए गए टाउनशिप में ऑनलाइन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन।	2013-14	हाँ	-

कार्बन संयंत्र के रॉडिंग शॉप 2 की बाथ हैण्डलिंग प्रणाली में नई बाई पास प्रणाली	2013-14	हाँ	-
8", 9" और 10" बिलेट की ढलाई के लिए एल्यूमिनियम बिलेट ढलाई सुविधा।	2013-14	हाँ	-
डीसी ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एनोड स्टब होल की गहराई बढ़ाई गई।	2013-14	हाँ	-
रॉडिंग शॉप-1 में स्वचालित बाथ ब्रेकिंग एम/सी की शुरुआत।	2013-14	हाँ	-
पॉटलाइनों के एफटीपी में छह अदद ऑनलाइन कणाकार पदार्थ (पीएम) विश्लेषक स्थापित एवं चालू किए गए।	2014-15	हाँ	-
स्मेलल्टर संयंत्र के अंदर तीन अदद ऑनलाइन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन चालू किए गए।	2014-15	हाँ	-
बहिःस्रावी उपचार संयंत्र के आउटलेट में ऑनलाइन बहिःस्रावी निगरानी स्टेशन चालू किए गए।	2014-15	हाँ	-
रॉडिग शॉप-1 में क्रश्ड बाथ संयंत्र के लिए स्वचालित एल्यूमिना मिश्रण प्रणाली।	2014-15	हाँ	-
जीएपी-I में सी.पी. कोक ब्लेन्डिंग प्रणाली स्थापित की गई।	2014-15	हाँ	-
जीपीआरएस सेवा के माध्यम से ओएसपीसीबी के सर्वर को निगरानी डेटा निरंतर अपलोड करने के लिए एफटीपी 1-6 ढेरियों, बेकस ओवन ढेरियों 3 अदद गए परिवेशी वायु निगरानी स्टेशनों एवं बहिःस्रावी निगरानी स्टेशन के लिए आरटीडीएएस (वास्तविक समय डेटा अर्जन प्रणाली)।	2015-16	हाँ	-
एनोड बेकिंग फर्नेस (भट्टी) -1 में धूम उपचार केन्द्र का स्थापन।	2015-16	हाँ	-
एनोड बेकिंग फर्नेस (भट्टी) -1 में धूम उपचार केन्द्र की शुरूआत	2016-17	हाँ	-
10 विभिन्न संयंत्रों (एफपीपी5 से 8, साइलो 5 से 8, एचडीपीएस-1 व 2) की स्थिति पर निगरानी हेतु एफटीपी-5 में केन्द्रीकृत एससीएडीए प्रणाली की शुरूआत	2016-17	हाँ	-
बिलेट कास्टिंग मशीन के एससीएडीए व एचएमआई प्रणाली का औद्योगिक कीपैड आधारित कार्य स्थल का नवीनतम टच स्क्रीन आधारित कार्यस्थल बदलाव कर उन्नतीकरण	2016-17	हाँ	-
नए उत्पाद सीएच-90 ग्रेड बुलेट (हाई स्पीड एक्सट्रूजन बिलेट) विकसित और वाणिज्यीकृत	2016-17	हाँ	-
ईएमआरआईओएन नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित स्मेल्टर बहि-स्रावी जल उपचाय संयंत्र स्थापित की गई	2016-17	हाँ	-
जीएपी-II में सीपी कोक मिश्रण प्रणाली स्थापित	2016-17	हाँ	-

अनसुंधान वं विकास (आर एंड डी) पर व्यय

(₹ लाख में)

प्रकृति	2016-17	2015-16
पूँजी	2,772	150
राजस्व	1,980	1,425
कुल	4,752	1,575
सकल कारोबार के % के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.60	0.22

ग. वर्ष 2016-17 के लिए विदेशी मुद्रा आय 2015-16 के ₹ 3008.18 करोड़ की तुलना में ₹ 3277.32 करोड़ रही। रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा का वहिःप्रवाह पिछले वर्ष के ₹ 205.41 करोड़ की तुलना में ₹ 288.80 करोड़ था।

अनुलग्नक V

निगमित (कॉर्पोरेट) अभिशासन रिपोर्ट

कॉर्पोरेट अभिशासन की धारणा

कॉर्पोरेट अभिशासन उन नियमों और कार्यविधियों का एक स्वरूप है जिनके ज़रिए निदेशक मंडल सभी पक्षों, यथा – वित्तदाताओं, ग्राहकों, प्रबंधन, कर्मियों, सरकार और व्यापक रूप में कम्पनी के साथ अपने संबंधों में जवाबदेही, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह एक संगठन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की प्रक्रिया है ताकि इसके नैतिक, विधिक और व्यावसायिक अपेक्षाओं के साथ ही सामाजिक दायित्वों को भी पूरा किया जा सके।

नालको सदा ही बेहतर कॉर्पोरेट कार्यविधियों के पालन के लिए प्रयास करती आई है और मूल्यों के प्रति संकल्पबद्धता एवं नैतिक व्यावसायिक व्यवहार पर ज़ोर देती है। नालको का यह प्रयास सिर्फ पक्षों का विश्वास अर्जित करने हेतु नहीं बल्कि इस विश्वास को स्थाई बनाने के लिए भी है। दरअसल, कॉर्पोरेट अभिशासन का उपयोग पक्षों का विश्वास और साख अर्जित करने और सामाज में सम्मान प्राप्त करने के उपकरण के रूप में होता है।

सूचीबद्ध कम्पनियों हेतु कॉर्पोरेट अभिशासन मानक का नियमन सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन होता है। सरकारी कम्पनी होने के अलावा, नालको लोक उद्यम विभाग (डीपीई द्वारा निर्धारित) सीपीई हेतु कॉर्पोरेट अभिशासन के दिशा निर्देशों का अनिवार्य पालन करती है।

1. निदेशक मंडल

बोर्ड कम्पनी के संचालन हेतु नीतियों, रणनीतियों का निरूपण एवं प्रदर्शन का सावधिक पुनरीक्षण करती है। कार्यवाहक और गैरकार्यवाहक निदेशकों के समुचित मेल के साथ एक पेशेवर बोर्ड, बोर्ड रूम में विवेचना हेतु एक बेहतर वातावरण बनाता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है।

(क) बोर्ड का गठन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के नियम 17(1)(ए) की शर्तों के अनुसार बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक और बोर्ड के आधे सदस्य गैर कार्यवाहक निदेशक होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त कथित विनियम के नियम 17(1)(बी) की शर्तों के अनुसार बोर्ड में यदि नियमित गैर कार्यवाहक सभापति न हो, कम से कम बोर्ड के आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

31 मार्च, 2017 को बोर्ड का गठन निम्नवत है:

i. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सहित पाँच पूर्णकालिक (कार्यकारी) निदेशकगण।

ii. दो पूर्णकालिक सरकारी निदेशकगण

iii. छह अंशकालीन गैर आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकगण

उपरोक्त गठन एलओडीआर विनियम के नियम 17(1)(ए) के अनुरूप है लेकिन एलओडीआर विनियम के नियम 17(1)(बी) के अनुरूप नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या सात के बदले छह है।

(ख) रिपोर्ट में वर्ष के दौरान समय समय पर स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों का विवरण निम्नलिखित है:

i. वित्त वर्ष की शुरुआत में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या 8 से तीन कम यानी पाँच थी।

ii. 31.01.2017 से, एक अंशकालिक सरकारी निदेशक का कार्यभार समाप्त होने की वजह से स्वतंत्र निदेशकों की कमी बढ़कर दो हो गई है।

iii. 31.02.2017 से, एक अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक का कार्यभार आरंभ होने की वजह से रिक्ति कम होकर एक हो गई है।

iv. 01.03.2017 से, एक अंशकालिक सरकारी निदेशक का कार्यभार समाप्त होने की वजह से स्वतंत्र निदेशक की परवर्ती आवश्यकता शून्य हो गई। तथापि, 15.03.2017 से प्रभावी, एक अंशकालिक सरकारी निदेशक का कार्यभार आरंभ होने की वजह से रिक्ति का सृजन हुआ है।

(ग) प्रस्तुति एवं धारित निदेशक पद

सेबी (एलओआरडी) विनियम, 2015 के अनुसार यह अनिवार्य है कि कोई भी निदेशक, जो ऐसी सूचीबद्ध कम्पनी में पूर्णकालिक निदेशक हैं, दस से अधिक बोर्ड स्तरीय समिति के सदस्य या ऐसी पाँच से अधिक समितियों के सभापति नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी निदेशक सात सूचीबद्ध कम्पनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर सकते या ऐसा होने की स्थिति में वे तीन से अधिक सूचीबद्ध कम्पनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करते हैं।

बोर्ड के निदेशकगण की बोर्ड की सभाओं एवं अन्तिम वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति के विवरण के साथ 31 मार्च, 2017 को अन्य कम्पनियों में धारित निदेशक पद एवं समिति की सदस्यता निम्नलिखित है:

i. कार्यकारी (पूर्णकालिक) निदेशकगण

नाम पदनाम एवं डीआईएन	बोर्ड की बैठके		30.09.2016 को आयोजित 35वी वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशक पदों की संख्या	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता	
	अवधि के दौरान आयोजित	उपस्थिति			सदस्यता	अध्यक्षता
डॉ. टी.के. चान्द अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक 01710900	8	8	हाँ	01	शून्य	शून्य
श्री एन.आर. महान्ति, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) 05181575 (31.01.2017 तक)	6	6	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एस. सी. पाढ़ी, निदेशक – (मानव संसाधन) 02594088 (30.06.2016 तक)	2	0	उपलब्ध नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री के.सी. सामल निदेशक – (वित्त) 03618709	8	8	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
सुश्री सोमा मंडल निदेशक (वाणिज्य) 06845389 (28.02.2017 तक)	6	5	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री वी. बालसुब्रमण्यम निदेशक (उत्पादन) 06965311	8	8	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री बसन्त कुमार ठाकुर निदेशक (मानव संसाधन) 02845138 (04.07.2016 से)	6	6	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री संजीव कुमार रॉय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) 06756812 (03.02.2017 से)	2	2	उपलब्ध नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

ii. अंशकालिक आधिकारिक निदेशकगण (गैर स्वतंत्र)

श्री आर. श्रीधरन, आईएएस 05332433 (03.01.2017 तक)	5	4	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एन.बी. धल, आईएएस 01710101 (20.10.2016 तक)	4	4	नहीं	1	शून्य	शून्य
श्री सुभाष चन्द्र 07612049 (20.10.2016 से)	4	4	उपलब्ध नहीं	2	शून्य	शून्य
डॉ. एन. के. सिंह 03361541 (15.03.2017 से)	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	3	1	शून्य

iii. अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगण

नाम पदनाम एवं डीआईएन	बोर्ड की बैठके		30.09.2016 को आयोजित 35वी वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशक पदों की संख्या	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता	
	अवधि के दौरान आयोजित	उपस्थिति			सदस्यता	अध्यक्षता
श्री दीपंकर महंत 01583516 (21.11.2015 से)	8	8	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एस. शंकररमण 07346454 (21.11.2015 से)	8	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री पी.के. नायक 07346756 (21.11.2015 से)	8	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
प्रो. दामोदर आचार्य 06817842 (21.11.2015 से)	8	7	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री महेश्वर साहु 00034051 (21.11.2015 से)	8	1	नहीं	4	1	1
सुश्री किरण घई सिन्हा 07726477 (03.02.2017 से)	2	1	उपलब्ध नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

(घ) अन्य निदेशक-पद में प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियाँ विदेशी कम्पनियाँ और धारा 8 कम्पनियाँ शामिल नहीं हैं।

(ङ) बोर्ड समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता में केवल लेखापरीक्षा समिति और पणधारी सम्पर्क समिति शामिल हैं।

(च) कम्पनी के निदेशकगण एक दूसरे के संबंधी नहीं है।

(छ) संस्थागत निर्णय लेने की प्रक्रिया

- कम्पनी के सम्पूर्ण संचालन के आयोजन के लिए बोर्ड सर्वोच्च संस्था है। विधिक आवश्यकताओं और व्यावसायिक ज़रूरतों के आधार पर इसने विभिन्न समितियाँ गठन की है।
- बोर्ड की सभाओं और साधारण सभाओं के आयोजन हेतु इन्स्टीव्यूट ऑफ कम्पनिज़ सेक्रेटरीज ऑफ इन्डिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का कम्पनी कठोरता से पालन करती है।
- सभा का आयोजन सीएमडी - समिति के अध्यक्ष द्वारा, सात दिन पूर्व दी गई अग्रिम सूचना के अनुमोदन से होता है।
- व्यावसायिक अनिवार्यता की स्थिति में, सर्कुलर प्रस्तावों के ज़रिए अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।
- वित्त, उत्पादन, संचालन, महत्वपूर्ण व्यावसायिक श्रेणी, मानव संसाधन, विपणन संयुक्त उद्यम संचालन से संबंधित विषयों पर बोर्ड/समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं।
- बोर्ड/समिति के सदस्यगण के पास कम्पनी की सभी सूचनाओं को जानने का अधिकार है एवं वे चर्चा में किसी भी विषय को शामिल करने के लिए स्वतंत्र भी है। आवश्यक होने पर वरिष्ठ अधिकारीगण चर्चा के विषय के संबंधित अतिरिक्त जानकारी देने के लिए बुलाए जाते हैं।

(ज) सूची II के भाग क के साथ पठित नियम 17 में उल्लिखित सूचनाओं को कम्पनी ने बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है।

झ) बोर्ड की सभाओं और इनमें निदेशकगण की उपस्थिति के विवरण निम्नलिखित हैं :

		उपस्थित निदेशकों की सं.			
बोर्ड बैठक सं. एवं तिथि	बोर्ड की शक्ति	कार्यात्मक	अंशकालिक गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	कुल उपस्थिति
291/25.05.2016	13	5	2	4	11
292/28.05.2016	13	5	2*	4	11
293/10.08.2016	13	6	2*	4	12

		उपस्थित निदेशकों की सं.			
बोर्ड बैठक सं. एवं तिथि	बोर्ड की शक्ति	कार्यात्मक	अंशकालिक गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	कुल उपस्थिति
294/12.09.2016	13	6	2#	4	12
295/14.12.2016	13	6	1	4	11
296/28.01.2017	12	6	1	4	11
297/ 13.02.2017	13	5	1	5	11
298/02.03.2017	12	5	1!	2	8

* एक निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के ज़रिए सभा में उपस्थित हुए।

\# दोनों निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के ज़रिए सभा में उपस्थित हुए।

! वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के ज़रिए सभा में उपस्थित हुए।

(ञ) बोर्ड की दो सभाओं के बीच का निम्नतम अंतराल दो दिनों का था और बोर्ड की दो सभाओं के बीच का अधिकतम समय अंतराल 92 दिनों का था। वर्ष के दौरान एक अवसर पर बोर्ड की दो सभाओं के बीच का समय अंतराल 3 महीने से अधिक का था जो कॉर्पोरेट अभिशासन के संबंध में डीपीई दिशा निर्देशकों के अनुरूप नहीं था।

(ट) वर्ष के दौरान अयोजित सभी सभाओं में उपस्थिति आवश्यक गणपूर्ति में रही।

II. II. गैर कार्यवाहक निदेशक

(क) अंशकालीन आधिकारिक निदेशकगण एवं अंशकालिक (स्वतंत्र) आधिकारिक निदेशकगण कम्पनी के गैरकार्यवाहक निदेशकगण हैं जो बोर्ड का हिस्सा हैं।

(ख) अंशकालिक आधिकारिक निदेशकगण अभिशासन मंत्रालय के वारिष्ठ सरकारी कर्मी हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा बोर्ड में नामित किया गया है। वे भारत सरकार के अगले आदेश तक पदभार संभालते हैं।

(ग) अंशकालीन आधिकारिक निदेशकगण कम्पनी से कोई पारिश्रमिक नहीं प्राप्त करते। उन्हें सभाओं में उपस्थित होने के लिए शुल्क प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

(घ) अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशकगण स्वतंत्र निदेशकगण है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम के नियम 16(बी) के अधीन उल्लिखित स्वतंत्रता की शर्तों को पूरा करते हैं।

(ङ) एक सरकार कम्पनी होने के कारण, स्वतंत्र निदेशकगण भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और अभिशासन मंत्रालय द्वारा नियम व शर्तें निर्धारित की जाती हैं। साधारणतया, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अधिनियम के अनुरूप तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु की जाती है।

(च) नियुक्त होने पर, सभी स्वतंत्र निदेशकगण स्वतंत्रता की योग्यता पूरा करने की पुष्टि करते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर, बोर्ड के निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति का एक औपचारिक पत्र जारी किया जाता है। यह पत्र अन्य विषयों के साथ साथ कम्पनी के निदेशक के रूप में उनकी भूमिका, कार्य, कर्तव्य एवं दायित्व स्पष्ट करता है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को कम्पनी के वेबसाइट http://www.nalcoindia.com/investor/appt_letter.pdf पर दर्ज किया गया हैं।

(छ) कम्पनी स्वतंत्र निदेशकगण हेतु बोर्ड में उनकी नियुक्ति पर एक अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन करती है। कम्पनी इस संबंध में, एएसएससीएचएएम, सीआईआई, एससीओपीई, डीपीई आदि द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न औपचारीकरण कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों को उपस्थित होने के लिए नामित करते हैं। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा औपचारीकरण कार्यक्रमों में उपस्थिति होने के विवरण निम्नलिखित लिंक http://www.nalcoindia.com/investor/Familiarisation%20Programme%20for%20%20 Directors.pdf. पर उपलब्ध है।

(ज) कोई भी गैर कार्यपालक निदेशक कम्पनी में कोई शेयर या परिवर्तनीय उपकरण नहीं धारण कर सकता।

(झ) स्वतंत्र निदेशकगण के पास कंपनी के स्टॉक विकल्पों के संबंध में कोई अधिकार नहीं है।

III. निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर कार्यपालक निदेशकों को किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता। स्वतंत्र निदेशकों को प्रत्येक सभा में उपस्थित होने के लिए केवल सीटिंग शुल्क का भुगतान किया जाता है। जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन उल्लिखित और विधिक सीमा के अंदर होता है। कम्पनी गैर कार्यवाहक निदेशकों द्वारा सभा में उपस्थिति में होने वाले खर्चे का प्रतिपूर्ति करती है।

2016-17 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किए गए सीटिंग शुल्क के विवरण निम्नलिखित हैं :

नाम	बैठक फीस (₹)*		कुल (₹)
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
श्री दीपंकर महंत	1,60,000	3,60,000	5,20,000
श्री एस. शंकररमण	1,40,000	2,40,000	3,80,000
श्री पी. के. नायक	1,40,000	2,60,000	4,00,000

नाम	बैठक फीस (₹)*		कुल (₹)
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
श्री महेश्वर साहु	20,000	1,80,000	2,00,000
सुश्री किरण घई सिन्हा (03.02.2017 से)	20,000	-	20,000

* लागू कर के अधीन

(ख) अंशकालिक आधिकारिक निदेशकगण को किसी प्रतिफल का भुगतान नहीं करना है।

(ग) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सहित पूर्णकालिक निदेशक को वेतन, लाभ, परिलाभों और तय संघटकों में भत्ते और परिवर्तनशील संघटकों में प्रदर्शन संबंधित भुगतान (पीआरपी) के ज़रिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

(घ) सीएमडी सहित पूर्णकालिक निदेशकों को सूची-क की कम्पनी के लिए डीपीई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान गिया जाता है।

ङ) सभी कार्यरत निदेशकगण नई पेंशन योजना (एनपीएस) के सदस्य हैं।

(च) डीपीई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप वित्त वर्ष हेतु हुए लाभ से सीएमडी और अन्य पूर्वकालिक निदेशकों को भुगतान योग्य पीआरपी का अनुमोदन नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति करती है।

(छ) 5 जून, 2015 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा, जो कम्पनी के प्राशासन के दायित्व में है, मूल्यांकन किए गए निदेशकों के मामले में प्रदर्शन मूल्यांकन के प्रावधान लागू नहीं होंगे। बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन के दौरान किया जाता है।

(ज) निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों में बरख़ास्तगी शुल्क के भुगतान हेतु कोई प्रावधान नहीं होता।

(झ) कम्पनी ने 2016 -17 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को किए गए भुगतान के विवरण निम्नलिखित हैं :

नाम	अन्य निदेशकगण के साथ संबंध	वर्ष 2016-17 (₹) हेतु प्रतिफल		कुल
		परिश्रमिक पैकेज के सभी तत्व यानी वेतन पीएफ, योगदान, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि	अन्य लाभ	
डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	नहीं	45,42,071	18,000	45,60,071
श्री के.सी. सामल निदेशक (वित्त)	नहीं	40,79,548	26,675	41,06,223
श्री वी. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन)	नहीं	36,13,432	2,33,677	38,47,109
श्री बसन्त कुमार ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन) (04.07.2016 से)	नहीं	23,44,982	68,945	24,13,927
श्री संजीव कुमार रॉय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) (03.02.2017 से)	नहीं	5,42,513	3,000	5,45,513
श्री एस.सी. पाढ़ी निदेशक (मानव संसाधन) (30.06.2016 तक)	नहीं	32,32,875	1,43,795	33,76,670
श्री एन.आर. महान्ति, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	नहीं	54,65,453	1,66,881	56,32,334
सुश्री सोमा मंडल निदेशक (वाणिज्य) (28.02.2017 तक)	नहीं	40,86,493	4,03,095	44,89,588

IV. बोर्ड की विभिन्न समितियाँ

- **वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और कम्पनी के स्वाभाविक संचालन दोनों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।**
- **जहाँ वैधानिक समिति गठन सं संबंधित अर्हताओं को पूरा करती है वहीं गैर वैधानिक समिति में कार्यवाहक और गैर कार्यवाहक निदेशकों का न्यायोचित मेल होता है।**
- **बोर्ड की सभा से संबंधित सचिवीय मानक समिति की बैठकों पर भी समान रूप से लागू होते हैं।**
- **समिति के संदर्भों की शर्तें बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं।**

क. लेखा समिति

i) 31.03.2017 को लेखा समिति का गठन निम्नलिखित हैं:

नाम	विभाग	श्रेणी
श्री पी के नायक	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	अध्यक्ष
श्री दीपंकर मंहत	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
श्री एस शंकररमण	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
प्रो. दामोदर आचार्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (परियोजना व तकनीकी)	कार्यपालक गैर स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (उत्पादन)	कार्यपालक गैर स्वतंत्र	सदस्य

इसके अलावा, निदेशक (वित्त) समिति में सदा आमंत्रित व्यक्ति होते है।

सभाएं और उपस्थिति

वर्ष के दौरान 21.04.2016, 28.05.2016, 30.07.2016, 12.09.2016, 14.12.2016 और 13.02.2017 को लेखा समिति की छह सभाओं का आयोजन किया गया। लेखा समितियों के दो सभाओं के बीच का अधिकतम अंतराल 92 दिनों का था।

क) लेखा समिति का गठन और इसके सदस्यों की सभाओं में उपस्थिति के विवरण निम्नलिखित हैं :

लेखा समिति के सदस्य	आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थिति
श्री पी.के. नायक	6	6
श्री डी महंत	6	6
डॉ एस. शंकररमण	6	5
प्रो. डी आचार्य	6	6
श्री वी बालसुब्रमण्यम	6	6
श्री संजीव कुमार रॉय (03.02.2017 से)	1	1
श्री एन. आर. महान्ति (31.01.2017 तक)	5	5

ii) लेखापरीक्षा समिति अपनी विवेचना के अनुसार उपयुक्त कार्यपालकों विशेषकर आन्तरिक लेखापरीक्षा के प्रधान, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं लागत लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित रहने के लए आमंत्रित करती है। कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

iii) लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्ते विस्तार में नीचे वर्णित हैः

लेखापरीक्षा समिति की शक्तियाँ

- अपने संबंधित शर्तों के अंदर किसी कार्य की जाँच करना
- किसी कर्मचारी से जानकारी मांगना
- बाह्य कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह लेना
- संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाह्य व्यक्तियों की उपस्थिति संरक्षित करना, यदि आवश्यक हो

अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल हैः

- कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जाँच करना और इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय हैं।
- बोर्ड को लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करना एवं यदि अपेक्षित हो, तो प्रतिस्थापन या निष्कासन के बारे में कहना, लेखापरीक्षा शुल्क एवं नियुक्ति की अन्य शर्तों का निर्धारण।

- लागत लेखापरीक्षकों सहित संविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन।
- वार्षिक वित्तीय विवरण और इस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए जमा देने से पहले निम्नलिखित विशेष संदर्भ में प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करनाः
    - ~ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हेतु निदेशक के दायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित मामले।
    - ~ लेखांकन नीतियों एवं पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई है एवं इसके कारण।
    - ~ प्रबंधन द्वारा निर्णय प्रक्रिया के आधार पर आकलनों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ।
    - ~ लेखापरीक्षा निष्कर्षों के फलस्वरूप उत्पन्न वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण समायोजन।
    - ~ वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीयन एवं अन्य कानूनी अर्हताओं का अनुपालन।
    - ~ संबंधित पक्ष के लेनदेन का प्रकटन।
    - ~ मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।
- तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों को अनुमोदन के लिए बोर्ड के पास जमा देने से पहले प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना।
- इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, प्रिफरेंशियल इश्यू आदि) द्वारा प्राप्त निधियों के प्रयोग/अनुप्रयोग विवरण, प्रस्ताव कागजात/ विवरणिका/नोटिस में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निधियों के विवरण एवं पब्लिक या राइट इश्यू की प्रक्रिया के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा दाखिल रिपोर्ट का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना एवं इस मामले में कदम उठने के लिए बोर्ड को उपयुक्त सिफारिश करना।
- लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता एवं लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निष्पादन एवं प्रभावकारिता की पुनरीक्षण करना एवं निगरानी करना।
- सम्बन्धित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेनों का अनुमोदन एवं तदुपरांत कोई रूपांतरण।
- अंतर-निगमित ऋण एवं निवेश, यदि कोई है, की जाँच करना।
- कंपनी के वचनपत्रों या परिसंपत्तियों का, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, मूल्यांकन करना।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।
- लागत लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों समेत सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण।
- आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई है, की पर्याप्तता की समीक्षा करना, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग प्रमुख कर्मचारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज एवं आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है।
- किन्ही महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं उन पर परवर्ती कार्यवाही के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किन्ही आंतरिक जाँचों के निष्कर्षों की उन मामलों में पुनरीक्षा करना जहाँ संदिग्ध धोखाधड़ी हो अथवा अनियमितता हो अथवा भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में विफलता हो और मामले की सूचना बोर्ड को देना।
- लेखापरीक्षा शुरू से पूर्व, लेखापरीक्षा के स्वरूप एवं क्षेत्र के बारे में, साथ ही किसी चिंता क्षेत्र का पता लगाने के लए तत्पश्चात लेखापरीक्षा चर्चा के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।
- जमाकर्ताओं, डिवेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों के गैर-भुगतान के मामले में) एवं लेनदानों के भुगतान में पर्याप्त चूक, यदि कोई है, के लिए कारणों की जाँच करना।
- व्हिसल ब्लोअर प्रणाली के कार्यकरण की पुनरीक्षा।
- ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो कि कंपनी के निदेशगक मंडल और/या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा समिति को विशेष रूप से भेजे गए हों।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं की अनिवार्य पुनरीक्षाः

- वित्तीय स्थिति की प्रबंधन चर्चा विश्लेषण और प्रचालनों के परिणाम,
- प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित पक्ष के महत्वपूर्ण लेनदेन का विवरण,
- प्रबंधन पत्र/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरी के पत्र,
- आंतरिक नियंत्रण कमजोरी से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, और
- आंतरिक लेखापरीक्षकों/मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन एवं पारिश्रमिक की शर्तें।
- **व्यक्तिक्रम का विवरण**

    क) निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट, यदि प्रयोज्य हो, समेत व्यतिक्रम के तिमाही विवरण विनियम 32(1) की शर्तों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों के पास जमा किए गए।

    ख) विनियम 32 (7) की शर्तों के अनुसार प्रस्ताव कागजात/विवरणिका/नोटिस में वर्णित प्रयोजनों की छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त निधियों का वार्षिक विवरण।

लेखा समिति की कार्यवाहियों में ये भी शामिल हैं;

क) लागत नियंत्रण कार्यवाही के आकार के अनुसार पर्याप्त और अनुपातित होने की जाँच करना।

ख) आय बढ़ाए जा सकने वाले एवं लागत कम किए जा सकने वाले क्षेत्रों का अध्ययन करना।

ग) उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्रों के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली और बोर्ड को इसकी संस्तुति देना।

ख) नामांकन और परिश्रमिक समिति

एक सरकारी कम्पनी होने के कारण कुछ निश्चित प्रावधान जैसे, बोर्ड और इसके व्यक्तिगत निदेशकों का वर्षिक मूल्यांकन, योग्यता, सकारात्मक अभिरुचि, निदेशकों की स्वतंत्रता हेतु नीतियों का निर्धारण, निदेशकों के परिश्रमिक हेतु बोर्ड की दी गई संस्तुति को नामांकन एवं परिश्रमिक समिति के क्षेत्राधिकार से छूट प्राप्त है।

31 मार्च, 2017 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य है :

नाम	श्रेणी	पद
श्री महेश्वर साहु	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	अध्यक्ष
श्री एस. शंकररमण	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
श्री पी. के.. नायक	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
प्रो. दामोदर आचार्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
सुश्री किरण घई सिन्हा (03.02.2017 से)	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य

इसके अतिरिक्त निदेशक मानव संसाधन और निदेशक (वित्त) समिति के आमंत्रित सदस्य हैं।

30.07.2016 को एक बैठक आयोजित हुई।

ग) पणधारी संबंध समिति

i) पणधारी संबंध समिति का प्राथमिक कार्य शेयरों के अन्तरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, लाभांश के प्राप्त न होने एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 17 एवं सेबी सूचीयन विनियम के नियम 20 के अधीन उल्लिखित विषयों से संबंधित निवेशकों की शिकायतों का सामाधान करना।

ii) प्रत्यक्ष या सेबी, शेयर बाजार के ज़रिए प्राप्त पणधारियों की शिकायतों को संबोधित करने हेतु मेसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। निवेशकों को संतुष्ट करते हुए इन शिकायतों का संभावित समय में शीघ्रतर समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे है।

iii) 31 मार्च, 2017 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य है:

नाम	श्रेणी	पद
श्री एस. शंकररमण	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	अध्यक्ष
श्री दीपंकर महंत	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
श्री पी. के. नायक	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
सुश्री किरण घई सिन्हा (03.02.2017 से)	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यपालक गैर स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वाणिज्य)	कार्यपालक गैर स्वतंत्र	सदस्य

iv) वर्ष के दौरान समिति की बैठक 3 बार 22.09.2016, 13.12.2016 ओर 28.01.2017 को हुई।

v) कम्पनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।

vi) वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त और सामाधान की गई शिकायतों के विवरण निम्नलिखित हैं।

	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान हुए समाधान	अंतिम शेष
सेबी	शून्य	4	4	शून्य
स्टॉक एक्सचेंज	शून्य	2	2	शून्य
व्यक्तिगत	शून्य	295	285	शून्य

vii) निवेशकों की संतुष्टि के तहत प्राप्ति हुई एवं समाधान की गई विभिन्न प्रकार की शिकायतों का विभाजन निम्नलिखित है :

शिकायतों के प्रकार	शिकायतों की संख्या
शेयर का अंतरण (अप्राप्त स्प्लिट व बोनस शेयर प्रमाण पत्र)	0
सिक्यूरिटी का प्राप्त न होना	12
लाभांश का प्राप्त न होना	270
वार्षिक रिपोर्ट का प्राप्त न होना	19
कुल	**301**

घ) जोखिम प्रबंधक समिति

i) सेबी सूचीयन विनियम के विनियम 21 के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित है :

~ कंपनी की जोखिम नीतियों एवं सम्बन्धित पद्धतियों पर निगरानी रखने एवं अनुमोदित करने के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी।

~ किसी भी सार्वजनिक कागजात या प्रकटन में जोखिम प्रकटन विवरणियों की समीक्षा करना एवं अनुमोदित करना।

~ प्रचालनात्मक, कार्यनीतिक एवं बाह्य पर्यावरण पद्धतियों पर निगरानी रखने एवं अनुमोदित करने के विषय में उत्तरदायित्वों के निरीक्षण में निदेशक मंडल को सहयोग देना।

ii) 31 मार्च, 2017 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य है:

नाम	श्रेणी	पद
प्रो. दामोदर आचार्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	अध्यक्ष
श्री एस. शंकररमण	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
सुश्री किरण घई सिन्हा (13.02.2017 से)	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वित्त)	कार्यपालक गैर स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (उत्पादन)	कार्यपालक गैर स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वाणिज्य)	कार्यपालक गैर स्वतंत्र	सदस्य

वर्ष के दौरान समिति की बैठक एक बार 28.01.2017 को हुई।

ङ) सीएसआर एवं संधारणीयता विकास समिति

i) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन का अधिदेश देती है। सेबी (एलओडीआर), विनियम का नियम 34(2)(एफ) पर्यावरणीय, सामाजिक एवं अभिशासन परिप्रेक्ष्य से कम्पनी द्वारा की गई पहल कदमियों की व्याख्या करते हुए व्यवसायिक दायित्व रिपोर्ट हेतु अधिदेशित करता है।

कम्पनी की सीआर गतिविधियों एवं संधारणीयता विकास कार्यक्रमों से संबंधित विषय-वस्तुओं की जाँच हेतु कम्पनी ने सीएसआर एवं संधारणीयता विकास समिति का गठन किया है।

ii) समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित हैं

क) संबंधित पुनर्वास एवं परिधीय विकास सलाहकार समिति (आरपीडीएससी) और एमडीआर अधिनियम के तहत स्वीकार किए जाने वाले प्रस्ताव के ज़रिए कम्पनी द्वारा परिधीय विकास गतिविधियों की निगरानी की जा रही है।

ख) नालको फाउन्डेशन

ग) पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदुषण नियंत्रण

iii) 31 मार्च, 2017 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य है:

नाम	श्रेणी	पद
श्री डी. महंत	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	अध्यक्ष
श्री एस. शंकररमण	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
श्री महेश्वर साहु	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
सुश्री किरण घई सिन्हा (03.02.2017 से)	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वित्त)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (उत्पादन)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य

iv) वर्ष के दौरान समिति की बैठक दो बार 30.07.2016 और 18.10.2016 को हुई।

च. तकनीकी समिति

i) डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए तकनीकी समिति का गठन किया गया था।

ii) यह समिति कम्पनी द्वारा तकनीकी विकास के प्रयासों का आकलन करने की निगरानी करती है और उस पर विशेष ध्यान देती है एवं प्रतियोगिता में बने रहने के लिए आवश्यक नई तकनीकों को अपनाने के साथ साथ प्रद्रावक,परिशोधक आदि के संबंधित विशेष खपत मानकों का पुनरीक्षण एवं तकनीकी क्षेत्र में अपनी शक्ति को बनाए रखने हेतु अनुसंधान एवं विकास प्रयासों पर ध्यान देती है।

iii) 31 मार्च, 2017 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य हैः

नाम	श्रेणी	पद
प्रो. डी. आचार्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	अध्यक्ष
श्री महेश्वर साहु	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वित्त)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (उत्पादन)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वाणिज्य)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य

iv) वर्ष के दौरान इस समिति की बैठक 22.04.2016 और 18.10.2016 को दो बार हुई।

छ. मानव संसाधन समिति

i) मानव संसाधन समिति के संदर्भ की शर्तें अध्ययन करके बोर्ड के अनुमोदन हेतु सलाह देने के साथ साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्ताव देने के लिए है।

क. बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों के विषय में भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति एवं सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित नियम और विनियम तैयार करना और उनमें परिवर्तन करना।

ख. गैर-कार्यपालकों का मजदूरी ढाँचा और वेतनमान एवं उनमें कोई परिवर्तन।

ग. जनशक्ति योजना के साथ संगठन की तालिका।

घ. बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत कोई अन्य विचारणीय संदर्भ।

ii) 31 मार्च, 2017 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य हैः

नाम	श्रेणी	पद
श्री महेश्वर साहु	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	अध्यक्ष
श्री डी. महंत	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
सुश्री किरण घई सिन्हा (03.02.2017)	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वित्त)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य

iii) वर्ष के दौरान इस समिति की बैठक 30.07.2016, 18.10.2016 और 13.12.2016 को तीन बार हुई।

ज. नैतिक व कॉर्पोरेट अभिशासन समिति

I) समिति के विचारणीय विषयों में निम्नलिखित शामिल हैः

i. हर स्तर पर कॉर्पोरेट अभिशासन की पद्धतियाँ पालन करना एवं जहाँ कहीं भी आवश्यक पड़े सुधार के उपायों का सुझाव देना।

ii. कंपनी की प्रतिष्ठा एवं नेकनामी को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के लिए मीडिया को सही निविष्टियाँ (इनपुट) प्रदान करना।

iii. निवेशकों, संस्थानों और व्यापक रूप से जनता को वास्तविक तौर पर सही जानकारी देना।

iv. मौजूदा एवं भावी एफआईआई एवं रेटिंग एजेंसियों आदि के साथ आपसी वार्तालाप।

v. परामर्शदातों/सलाहकारों के सहयोग से, यदि आवश्यक हो, कंपनी की ओर से महत्वपूर्ण निगम संचार की जाँच स्थापित करना।

vi. उच्च स्तर की अनुशासित भागीदारी के सुविधार्थ पूरी कंपनी में आंतरिक संचरणों के मानकीकृत चैनलों का संस्थापन।

vii. सेबी एवं डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार गठित निम्नलिखित का अनुपालनः

क) वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

ख) अंतरंगी व्यवसायी विनियम

ग) सम्बन्धित पक्ष के लेनदेन

घ) सतर्कता सम्बन्धित मुद्दे

ङ) व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी

II) 31 मार्च, 2017 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य हैः

नाम	श्रेणी	पद
श्री दीपंकर महंत	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	अध्यक्ष
श्री पी.के. नायक	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
सुश्री किरण घई सिन्हा (03.02.2017 से)	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वाणिज्य)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य

III) वर्ष के दौरान इस समिति की बैठक 30.07.2016 और 28.01.2017 को दो बार हुई।

झ) परियोजना एवं नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति

i. परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति का गठन निम्नलिखित विचारणीय विषयों के साथ नई परियोजनाओं/संयुक्त उद्यमों पर पूँजी व्यय की जाँच करने एवं बोर्ड को सिफारिश करने के लिए किया गया था।

क) डीपीआर को तैयार करने सहित नई परियोजनाओं के विभिन्न स्तरों के विषय में प्रक्रियाओं एवं औपचारिकताओं का मूल्यांकन एवं अनुमोदन।

ख) भारत और विदेश में प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक लागत की नई परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रस्ताव का अध्ययन एवं बोर्ड को सिफारिश करना।

ग) प्रत्येक ₹ 100 करोड़ से अधिक लागत की पूँजी परियोजनओं की वस्तुस्थिति की समीक्षा करना।

ii. 31 मार्च, 2017 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य हैः

नाम	श्रेणी	पद
डॉ. तपन कुमार चान्द	कार्यपालक अध्यक्ष	अध्यक्ष
श्री पी.के. नायक	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
श्री डी आचार्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
श्री एम. साहु	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
श्री सुभाष चन्द्रा	गैर कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वित्त)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (उत्पादन)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य

iii. इस वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

ञ. अन्य समितियाँ

i) बोर्ड द्वारा अनुमोदित विचारणीय विषयों के साथ कुछ नियमित कार्यकलापों का ध्यान रखने के लिए केवल कार्यकारी निदेशकों के साथ बोर्ड ने निम्नलिखित समिति का गठन किया है। वे समितियाँ हैः

क. निवेश समिति

ख. विक्रय हेतु निदेशकों की समिति

ग. प्रापण हेतु निदेशकों की समिति

घ. शेयर अंतरण समिति

ii) शेयरों के अंतरण/संचारण और अभौतिकीकरण की सुचारु प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी सचिव को बोर्ड द्वारा सभी अनुरोधों/मामलों को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया गया है। तथापि, कटे/विकृत/विरूपित/गुम/पुनः भौतिकीकरण के मसले में नए प्रमाण पत्रों को जारी करने से संबंधित मामले शेयर अंतरण समिति के समक्ष रखे गए हैं।

iii) वर्ष के दौरान इस शेयर अंतरण समिति की बैठक 22.12.2016 और 25.01.2017 को दो बार हुई।

ट. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

सीपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका एवं जिम्मदारियों पर कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी सूचीयन विनियम के नियम 25(4) और डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित विचारणीय विषय के साथ कार्यकारी निदेशकों या प्रबंधन कार्मिक की उपस्थिति के बिना साल में एक बार स्वतंत्र निदेशकों की कम से कम एक बैठक होनी चाहिएः

क) गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं निदेशक मंडल के कार्य निष्पादन की पूर्ण रूप में समीक्षा;

ख) कार्यपालक निदेशकों एवं गैर-निदेशक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए भू-सम्पदा संस्था के अध्यक्ष के कार्यनिष्पादन की समीक्षा;

ग) सूचीबद्ध संस्था के प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच जानकारी प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं समयबद्धता का आकलन जो कि निदेशक मंडल के लिए उनके कार्यनिष्पादन को कारगर रूप से एवं यथासंगत पूरा करने के लिए जरूरी है।

एक सरकारी कम्पनी होने के नाते, उपरोक्त (क) व (ख) में दिए गए विचारणीय विषयों से स्वतंत्र निदेशकों की बैठक हेतु छूट दी गई है, 05.06.2015 को जारी एमसीए सर्कुलर के तहत डीपीई ने 20.06.2013 के का. ज्ञा. के तहत स्वतंत्र निदेशकों की बैठक के क्षेत्र से, निदेशकों की राय पर विचार करते हुए, कार्यरत एवं सरकारी निदेशकों और सम्पूर्ण रूप से बोर्ड के प्रदर्शन के पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधान और अध्यक्ष के पुनरीक्षण को प्रत्याहृत किया है।

घ) स्वतंत्र निदेशक ने वर्ष के दौरान एक बार 18.10.2016 को बैठक की।

V. साधारण निकाय बैठक

i) अंतिम तीन वार्षिक साधारण बैठक का विवरण

वित्त वर्ष	एजीएम की तिथि	समय	लाभांश भुगतान तिथि	विशेष संकल्प यदि कोई हो	स्थान
2013-14	27.09.2014	11.00AM	15.10.2014	नहीं	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवलनेश्वर- 751 013
2014-15	26.09.2015	11.00AM	19.10.2015	नहीं	
2015-16	30.09.2016	11.00AM	25.10.2016	नहीं	

ii) वित्त वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक साधारण बैठक

दिन एवं तारीख	शनिवार, 23 सितम्बर 2017
समय	11.00 बजे
स्थान	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर- 751 013

iii) डाक मतदान के ज़रिए पारित संकल्प

14 जुलाई, 2016 को डाक मतदान के ज़रिए शेयरों के पुनरक्रय हेतु शेयर धारकों द्वारा आवश्यक अनुमोदन का संकल्प पारित किया गया।

सेबी एलओआरडी के नियम 44 के अनुरूप, 30.09.2016 को आयोजित एजीएम में पारित शेयर धारकों के संकल्पों के संदर्भ में, शेयर धारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई थी। ई-वोटिंग प्रक्रिया के ज़रिए मतदान न कर पाने वाले सदस्यों को वार्षिक साधारण सभा में हाथ उठाकर मत देने की सुविधा प्रदान की गई थी।

VI. संचार के साधन

i) कंपनी साधारणतया वार्षिक रिपोर्ट, तिमाही परिणामों के प्रकाशन, साधारण बैठकों एवं अपनी वेबसाइट में सूचना अपलोड करने के माध्यम से शेयरधारकों को सूचित करती है।

ii) कंपनी समय-समय पर विश्लेषक बैठक एवं निवेशक सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए भी संस्थानिक निवेशकों के साथ संपर्क रखती है। संस्थानिक निवेशकों/विश्लेषकों को दिए गए प्रस्तुतीकरण पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज को भेज जाते हैं एवं कंपनी की वेबसाइट **www.nalcoindia.com** पर प्रकाशित किए जाते हैं। कम्पनी से संबंधित सूचनाएँ नवीनताम जानकारियाँ और घोषणाएं कम्पनी के वेबसाइट **www.nalcoindia.com** पर प्राप्त की जा सकती है।

iii) कंपनी के तिमाही, छमाही एवं वार्षिक परिणाम भारत के अग्रणी समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। परिणाम कंपनी की वेबसाइट **www.nalcoindia.com** पर प्रकाशित किए जाते हैं। एनएसई के एनईएपीएस एवं बीएसई के सूचीयन केंद्र पर भी ये परिणाम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपलोड किए जाते हैं।

iv) हरित पहल के उपाय के रूप में एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए कंपनी द्वारा एनएसडीएल/सीडीएल में पंजीकृत सभी शेयरधारकों को उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद ई-मेल के माध्यम से वित्त वर्ष 2015-16 हेतु वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य सरकारी सूचना जैसे कि ईसीएस ऋण सूचना भेजी जाती है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट वेबसाईट पर एक उपयोगकर्ता अनुकूल एवं डाउनलोड किए जा सकने के रूप में उपलब्ध हैं।

v) वार्षिक साधारण बैठक में अध्यक्ष के भाषण की मुद्रित प्रतिलिपि वितरित की जाती है। यह भाषण कम्पनी की वेब साईट पर भी उपलब्ध होता है।

vi) दावाहीन/अप्रदत्त लाभांश के लिए अनुस्मारक प्रत्येक वर्ष रिकॉर्ड के अनुसार शेयरधारकों के पास भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, उन शेयर धारकों को जिनके ई-मेल आईडी रिकार्ड में उपलब्ध है, उन्हें ई-मेल के ज़रिए यह अनुस्मारक भेजा जाता है। अप्रदत्त/दावाहीन लाभांश की सूची वर्ष-वार वेबसाइट में 'निवेशक सेवाएँ' पृष्ठ में भी उपलब्ध है।

VII. प्रकटन

(क) संबंधित पक्षकार अंतरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ निश्चित संविदा/करार को निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि ये अन्तरण नियम में उल्लिखित सीमा से अधिक होते हैं, साझेदार द्वारा विशेष प्रस्ताव के ज़रिए अनुमोदन आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, सेबी एलओआरडी के नियम 23 के अधीन, सभी संबंधित पक्षकार अंतरण हेतु लेखा परीक्षा समिति का अनुमोदन आवश्यक है। कम्पनी ने संबंधित पक्षकार अंतरण हेतु नीति निर्धारित किया। यह नीति वेब लिंक पर उपलब्ध है।

http://www.nalcoindia.com/download/NEW-RPT-NALCO.pdf

संबंधित पक्षकार अंतरणों को वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कम्पनी के एकल वित्तीय विवरण एवं समेकित वित्तीय विवरण दोनों की टिप्पणी संख्या 43 में प्रकट किया गया था। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी संबंधित पक्षकार के साथ कोई भौतिक अंतरण नहीं हुआ था। संबंधित पक्षकार अंतरणों के विस्तृत विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के फॉर्म एओसी-2 में दिए गए हैं।

(ख) सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी एलओडीआर के नियम 17(8) के अनुसार, 27.05.2017 को हुई बैठक में डॉ तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक एवं श्री के. सी. सामल, निदेशक (वित्त) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

(ग) आचार संहिता

सेबी एलओडीआर के नियम 17(5) के अनुसार एवं कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित डीपीई दिशा निर्देशों के अधीन कंपनी ने मॉडल व्यवसाय संचालन संहिता एवं नैतिक मूल्य (कोड) अपनाया है, जो कंपनी के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे) को लागू है। बोर्ड के सभी सरकारी नामित(तों) व स्वतंत्र निदेशक(कों) और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों (निदेशक बोर्ड से एक स्तर नीचे के) को वार्षिक आधार पर कोड की पुष्टि करनी पड़ती है। यह कोड कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है:

बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा वार्षिक स्तर पर आचार संहिता का अनुमोदन करना आवश्यक है। यह आचार संहिता कम्पनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

http://www.nalcoindia.com/CodeofConduct.pdf

(घ) सेबी एलओआरडी की सूची V के अधीन अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31.05.2017 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष हेतु आचार संहित के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

(डॉ टी.के. चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(ङ) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार

i. लेखा बहियों में उन व्यय को नहीं घटाया गया है, जो व्यवसाय से सम्बन्धित न हो।

ii. कोई व्यय खर्च एसा नहीं है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो एवं निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च किया गया है।

iii. कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय एवं कार्यालय व्यय बनाम वित्तीय व्यय का विवरण और बढ़ोतरी के कारण निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	97.74	74.55
कुल व्यय	7453.42	6739.16
कुल व्यय के % के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	1.31	1.11
वित्तीय व्यय	2.69	3.27

टिप्पणी: भारतीय लेखा परीक्षण मानकों को अपनाने के कारण पिछले वर्ष के व्यय को नवीकृत किया गया है।

विधि द्वारा अधिदेशित, नवीकरणीय क्रय बाध्यता के कारण व्यय में हुई बढ़ोतरी के चलते ही मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यय में वृद्धि हुई है।

(च) व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी

कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी सूचीयन विनियम के विनियम 22 के तहत प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों एवं कर्मचारियों की सतर्कता कार्यप्रणाली के लिए व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी का गठन किया है। यह कर्मचारियों और निदेशकों को उत्पीड़न अत्याचार के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है जो इस कार्यप्रणाली का उपयोग करते हैं एवं लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के समक्ष उन्हें सीधे पहुँच पाते हैं।

कंपनी के किसी भी कर्मी को लेखापरीक्षा समिति के पास जाने से नहीं रोका है।

यह पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

http://www.nalcoindia.com/Whistleblowerpolicy_nalco.pdf

(छ) भीतरी ट्रेडिंग से जुड़ी संहिता

(i) **अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के निष्पक्ष पर्याटन हेतु कार्यपद्धतियों एवं प्रक्रियाओं की संहिता।**

(ii) **अपने कर्मियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग को नियंत्रित करने, निगरानी रखने एवं रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता।**

बोर्ड ने सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेधन) विनियम, 2015 के नियम 9(1) के अनुसार अप्रकाशित मूल्य संबंधित सूचना के प्रकटन हेतु कार्यपद्धतियों एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया है। इस संहिता के अनुसार प्रमुख निवेश संपर्क अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्रेस रिलीज़ के जारी होने या मीडिया, विश्लेषक या निवेश संबंधी सम्मेलन आदि में संवाद से पूर्व अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के प्रकटन हेतु कार्यपद्धति एवं प्रक्रियाओं को अंगीकार किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कोई भीतरी, इसमें शामिल हैं संबंधित व्यक्ति, मनोनीत व्यक्ति या अधिकार प्राप्त कोई व्यक्ति या अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचनाओं तक जिसकी पहुँच हो, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष से, किसी यूपीएसआई या व्यवसाय में अनुसूचित बहुमूल्य काग़ज़ात या किसी यूपीएसआई के अधिकार में किसी स्टॉक एक्सचेंज में अनुसूचित बहुमूल्य काग़ज़ात हेतु प्रस्तावित हो।

भीतरी व्यक्तियों को अनुपालन अधिकारी के अनुमोदन एवं भीतरी व्यवसाय संहति में उल्लिखित निश्चित शर्तों के अनुसार व्यावसायिक योजना के निर्धारण के अधिकार हैं। इस व्यावसायिक योजना को लागू करना अनिवार्य है।

जब व्यावसायिक अवसर बंद हो तब मनोनीत व्यक्ति और उनके नज़दीकी संबंधी को सिक्युरीटीज़ में व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होती है। निश्चित सीमा के बाहर सिक्युरीटीज से संबंधित कारोबार हेतु अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। सभी निदेशकों/मनोनीत कर्मियों द्वारा संहिता में उल्लिखित सावधिक सूचना का प्रकटन आवश्यक है।

इस संहिता हेतु कम्पनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है।

यह संहिता कम्पनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.nalcoindia.com/download/NALCO_Code_of_Conduct_new.pdf.

VIII. लेखापरीक्षक

मेसर्स एबीपी एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखापाल और मेसर्स गुहा नन्दी एण्ड कं., सनदी लेखापाल को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी का संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त गया है।

बाहरी फर्मों को आंतरिक नियंत्रणों एवं प्रचालनीय प्रणालियों और यूनिट वार कार्यप्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। महाप्रबंधक स्तर के एक व्यक्ति को आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रधान के रूप में पदनामित किया गया है।

मेसर्स तन्मय एस. प्रधान एण्ड कं., लागत लेखापाल को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

मेसर्स सरोज राय एण्ड एसोसिएट्स कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के सचिविक लेखापारीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

IX. अनुपालन

i) कंपनी ने पहले के सूचीयन अनुबंध और साथ ही सेबी सूचीयन विनियमों के अन्तर्गत रिपोर्ट में अन्यत्र उल्लिखित को छोड़कर निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं का पालन किया है। कुछ प्रावधानों का अनुपालन जैसे कि बोर्ड का गठन कंपनी ने नियंत्रण के बाहर है। इस विषय में गैर अनुपालन कॉर्पोरेट अभिशासन पर तिमाही रिपोर्ट दर्ज करते समेत स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित अंतराल पर रिपोर्ट की जाती है।

ii) गत तीन वर्षों के दौरान पूँजी बाजार से संबंधित किसी भी विषयवस्तु के गैर-अनुपालन के लिए सेबी या स्टॉक एक्सचेंज या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कोई आलोचना या दंड नहीं लगाया गया था।

iii) लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन की तिमाही स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट कंपनी जमा कर रही है। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 'उत्कृष्ट' का दर्जा दिया गया है।

iv) निर्दिष्ट तारीख को कंपनी के पास कोई सहायक कंपनी नहीं है। अतएव, सहायक कंपनी से संबंधित आवश्यकताएँ प्रयोज्य नहीं हैं।

X. शेयरधारक की सूचना

(i) कंपनी का पंजीकरण विवरण

– कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	:	L27203OR1981GOI000920
– पंजीकरण की तिथि	:	7 जनवरी, 1981
– कंपनी का स्थान	:	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर – 751 013, ओड़िशा के पंजीकृत कार्यालय में

(ii) **2017-18 हेतु वित्तीय कैलेन्डर**

घटनाएं	संभावित तिथि
प्रथम तीन तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	संबंधित तिमाही के समापन के 45 दिनों के भीतर
4थी तिमाही सहित वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि से 60 दिनों के भीतर
31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु वार्षिक साधारण बैठक	सितम्बर, 2018 तक

(iii) **लाभांश नीति**

सेबी एलओडीआर विनियमों के नियम 43क अनुसार, कम्पनी ने एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है जो कम्पनी के वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है:

http://www.nalcoindia.com/download/Dividend%20Policy.pdf

इस नीति में अन्य विषयों के शामिल है:

1. ऐसी स्थितियाँ जिनके अधीन शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर या नहीं कर सकता है।
2. विचार किए जाने वाले वित्तीय मानदंड
3. विचार किए जाने वाले आंतरिक एव वाह्य तथ्य
4. प्रतिधारित आय का उपयोग
5. विभिन्न श्रेणी के शेयर के संबंध में अपनाए जाने वाले मानदंड

निवेश एवं सार्वजनिक समपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) द्वारा हाल ही में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त अधिकतम लाभांश के अधीन जो भी अधिक हो सीपीएसई कर पश्चात लाभ का 30% या शुद्ध योग का 5% न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगी।

यद्यपि कम्पनी ने 2015-16 हेतु अंतिम लाभांश के रूप में ₹ 193.29 करोड़ का प्रावधान किया था किन्तु वास्तव में उक्त अवधि हेतु ₹ 144.97 करोड़ के अंतिम लाभांश का भुगतान किया। चुकाया गया निम्न लाभांश सितंबर 2016 में शेयरों की पुनर्खरीद के उपरांत भुगतान की गई पूंजी की कमी के कारण था।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, नालको ने संशोधित भुगतान किए गए ₹ 966.46 करोड़ पर @ ₹ 2.80 प्रति शेयर (₹ 5 प्रति के प्रत्यक्ष मूल्य पर 56%) के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया। क्योंकि, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अंतिम लाभांश की घोषणा नहीं की गई है, वर्ष 2016-17 के लिए चुकाया गया कुल लाभांश 2015-16 हेतु किए गए वास्तविक भुगतान 467.13 की तुलना में ₹ 541.22 करोड़ है। इसमें लाभांश वितरण कर शामिल नहीं है। इस पर चुकाया गया कर सहित लाभांश कर पश्चात लाभ का 97.44% हुआ है।

वित्त वर्ष 2016-17 हेतु भुगतान किया गया कुल लाभांश कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 81% एवं शुद्ध योग का 5.3% हुआ है।

(iv) **पिछले 5 वर्षों के लाभांश का इतिहास**

वर्ष	प्रति शेयर लाभांश (₹) अंतरिम(आई), अंतिम (एफ)	भुगतान तिथि अंतरिम(आई), अंतिम (एफ)	कुल लाभांश (₹ करोड़ में)	पैट पर लाभांश का %
2011-12	(आई)- ₹ 0.90 (एफ)- ₹ 0.10	(आई)- 31.03.2012 (एफ)-10.09.2012	257.72	30.33
2012-13	(आई)- ₹ 0.75 (एफ)- ₹ 0.50	(आई)- 30.03.2013 (एफ)-23.10.2013	322.15	54.34
2013-14	(आई)- ₹ 1.10 (एफ)- ₹ 0.40	(आई)-25.03.2014 (एफ)-15.10.2014	386.59	60.16
2014-15	(आई)- ₹ 0.50 (एफ)- ₹ 1.25	(आई)-30.03.2015 (एफ)-19.10.2015	451.02	34.12
2015-16	(आई)- ₹ 1.25 (एफ)- ₹ 0.75	(आई)-31.03.2016 (एफ)-25.10.2016#	467.13*	70.50

शेयरों के पुनःखरीद के उपरांत

* 257,72,38,512 शेयरों पर @ ₹ 1.25 का अंतरिम लाभांश एवं 193,29,28,884 शेयरों पर @ ₹ 0.75 का अंतिम लाभांश

(vii) अनिश्चित लेखे में इक्विटी शेयर

सेबी सूचीयन विनियमों के भाग-च अनुसूची V एवं नियम 34 (3) के अनुसार अनिश्चित लेखे में कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

(viii) आईईपीएफओ अंतरित भुगतानहीन/दावाहीन लाभांश

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप, वित्त वर्ष 2008-09 हेतु दावा रहित अंतिम लाभांश से संबंधित रकम ₹ 3,13,220/- एवं वित्त वर्ष 2009-10 हेतु दावा रहित अंतरिम लाभांश से संबंधित रकम ₹ 3,87,504/- को वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित किया गया है।

कम्पनी ने अपने वेबसाइट और एमसीए वेबसाइट पर नाम, पता, आईईपीएफ को अंतरिम की जाने वाली बकाया राशि एवं आईईपीएफ को अंतरित की गई राशि की अंतिम तिथि जैसी सूचनाओं के साथ शेयरधारकों का विवरण उपलब्ध किया है।

(ix) स्टॉक एक्सचेंज़ पर सूचीयन

कम्पनी ने सेबी (एलओआरडी) विनियमों, 2015 के अधीन निर्धारित समय के भीतर सूचीयन संविदा के लघु रूप का निष्पादन किया है।

स्टॉक एक्सचेंज में नालको के शेयरों के सूचीयन का स्तर निम्नलिखित हैः

विवरण	स्टॉक एक्सचेंज जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं	
	बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
स्क्रिप कोड	532234	NATIONALUM
से व्यापारित	19.10.1992	28.04.1999
स्टॉक कोड (आईएसआईएन)	INE 139A01034	INE 139A01034
2017-18 के लिए सूचीयन शुल्क का भुगतान	24.04.2017	19.04.2017

वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक कस्टडी/जारीकर्ता शुल्क कंपनी द्वारा एनएसडीएल एवं सीडीएसएल को भुगतान किया गया है।

(x) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बाजार मूल्य आंकड़े

माह	शेयर मूल्य (बीएसई) (राशि ₹ में)			शेयर मूल्य (एनएसई) (राशि ₹ में)			बाजार पूंजीकरण (₹ करोड़ में)	
	उच्च	न्यून	औसत कारोबार	उच्च	न्यून	औसत कारोबार	एनएसई	बीएसई
अप्रैल, 2016	47.75	38.00	268861	47.95	37.90	1406316	10853.32	10847.17
मई	48.10	40.25	152697	48.20	40.25	811199	11040.19	11046.37
जून	43.55	40.70	125270	43.50	40.55	885249	10773.68	10782.59
जुलाई	51.40	42.30	341298	51.35	42.30	1523576	12089.05	12089.93
अगस्त	50.60	46.35	126126	50.60	46.30	635688	12359.26	12354.28
सितंबर	51.40	42.95	159106	51.30	42.65	844779	9032.67	9030.88
अक्टूबर	54.80	45.60	309531	54.90	45.55	1363586	9764.95	9766.21
नवंबर	58.85	45.55	419057	58.90	45.00	1689514	10185.88	10187.26
दिसंबर	72.45	53.75	878112	73.15	53.65	3902580	11851.58	11853.68
जनवरी, 2017	79.35	63.50	435737	79.45	63.55	2319067	13746.81	13742.46
फरवरी	77.75	63.50	371539	77.95	63.50	2016836	13274.03	13271.57
मार्च	79.85	69.00	455005	79.95	67.00	2170292	14350.15	14329.88

उच्च= उच्चतम, न्यून = न्यूनतम स्रोतः बीएसई व एनएसई की वेबसाइट

(xi) बोर्ड आधारित सूचियों की तुलना में प्रदर्शन

बीएसई	एनएसई

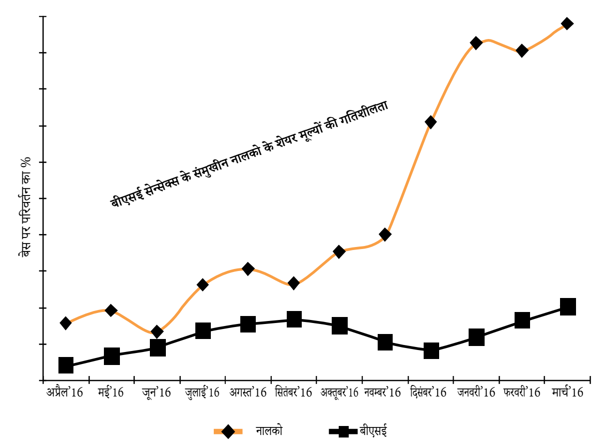

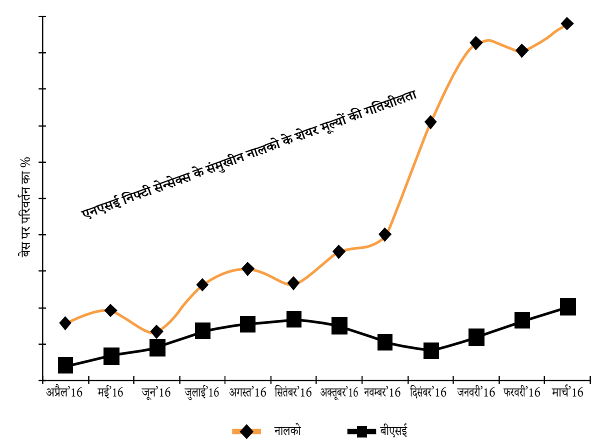

(xii) शेयर पूँजी का समाधान

नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल ड़िपॉजिटरी (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) एवं कुल जारी एवं सूचीबद्ध इक्विटी शेयर पूँजी के साथ कुल स्वीकृत इक्विटी शेयर पूँजी के सामाधान को तिमाही आधार कर शेयर पूँजी लेखे का सामंजस्य का कार्य पूरा किया गया है। यह रिपोर्ट पुष्टि करती है कि कुल जारी/प्रदत्त पूँजी भौतिक रूप के कुल शेयरों एवं एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ डीमैट रूप में शेयरों की संख्या के अनुरूप है।

इसके अतिरिक्त, कार्यरत कम्पनी सचिव द्वारा प्राप्त शेयर अंतरण औपचारिक्ताओं के अनुपालन पर छमाही प्रमाणपत्र सेबी सूचीयन विनियमों के नियम 40 (9) के अनुरूप दिए गए समय में स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किया गया था।

XI. रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

i. भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों क्षेत्र में, शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए सभी शेयर एवं लाभांश संबंधी प्रचालनों का ध्यान रखने के लिए नालको का शेयर रजिस्ट्री कार्य दिनांक 08.02.2016 से मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को अंतरिम किया गया था। रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट का विवरण अर्थात् पता, संपर्क नं., मेल आईडी नीचे दिए गए है:

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,
कार्वी सेलेनियम टावर बी,
प्लॉट नं. 31-32, गचीबोअली,
फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा,
हैदराबाद – 500032.
फोन नं. 040-67161500, फैक्स नं. 040-23420814, टोल फ्री नं. 18003454001,
ई-मेल पताः i. ramdas.g@karvy.com; ii. ratnagiri.n@karvy.com; iii. raju.sv@karvy.com; iv. rathi.govind@karvy .com

ii. 31.03.2017 को शेयरधारिता का स्वरूप

क्र.सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरधारिता का प्रतिशत
1.	प्रोमोटर्स (भारत सरकार)	1	1441482490	74.58
2.	म्यूचुअल फंड	39	22758070	1.18
3.	बैंक/वित्तीय संस्थान	22	231609087	11.98
4.	बीमा कंपनियाँ	-	-	-
5.	एफआईआईएस	135	77277058	4
6.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (कॉर्पोरेट)	-	-	-
6.	कॉर्पोरेट निकाय	1045	102380262	5.3
7.	भारतीय जनता	75988	51352960	2.66
8.	अन्य	1719	6068957	0.3
	कुल	**78949**	**1932928884**	**100**

iii. 31.03.2017 को शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की. सं.	शेयरधारकों का %	शेयरों की सं.	शेयर पूंजी का %
1-200	46087	58.38	4285081	0.22
201-500	16764	21.24	6433754	0.33
501-1000	7644	9.68	6385956	0.33
1001-50000	8221	10.41	34356306	1.78
50001-100000	82	0.10	5832239	0.30
100001 एवं अधिक	151	0.19	1875635548	97.04
कुल	**78949**	**100**	**1932928884**	**100**

iv. 31.03.2017 को कंपनी के शीर्ष के 10 इक्विटी शेयरधारक

क्र.सं.	शेयरधारक	शेयरों की सं.	धारिता का %
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	177123674	9.16
2.	बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	29218221	1.51
3.	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि.	28384938	1.47
4.	सरकारी पेंशन निधि वैश्विक	11851369	0.61
5.	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	10000000	0.52
6.	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस-1 ग्रोथ फंड	9987308	0.52
7.	एलआईसी ऑफ इंडिया प्रॉफिट प्लस ग्रोथ फंड	9324184	0.48
8.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6248500	0.32
9.	वीगार्ड इन्जिनियरिंग मार्केट स्टॉक इन्डेक्स फन्ड एसीरिज़ ऑफ विगार्ड इन्टरनेशनल इक्विटि फन्ड	6221247	0.32
10.	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6039876	0.31
	कुल	**294399317**	**14.7**

v. सूचीबद्ध शेयरों का अभौतिकीकरण/पुनःभौतिकीकरण और नकदीकरण

नालको के शेयर व्यापार के लिए अनिवार्य रूप से अभौतिकीकृत क्षेत्र में हैं। 31 मार्च, 2017 की स्थिति को कंपनी शेयर पूँजी का 99.87% अभौतिकीकृत है।

31.03.2017 की स्थिति को भौतिक रूप में एवं अभौतिकीकृत में धारित शेयरों की कुल सं.

	शेयर की सं.	कुल शेयरों का %	शेयरधारकों की सं.
एनएसडीएल के पास डिमैट शेयर	188,19,89,442	97.36	50,705
सीडीएसएल के पास डीमैट शेयर	4,84,84,512	2.51	24,266
भौतिक रूप में शेयर	24,54,930	0.13	3,978
कुल	**193,29,28,884**	**100**	**78,949**

वर्ष के दौरान कंपनी ने 42164 शेयरों से अन्तर्भूत 80 अभौतिकीकरण अनुरोध की पुष्टि की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान 1438 शेयरों के लिए 2 पुनःभौतिकीकरण अनुरोध की भी पुष्टि की है एवं भौतिक शेयर प्रमाणपत्र निर्धारित समय के अंदर शेयरधारकों के पास भेज दिए गए।

XII. विदेशी मुद्रा जोखिम एवं बचाव कार्यकलापों पर द्रव्य मूल्य जोखिम

इस विषयवस्तु की व्यवस्था प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट के अधीन पृथक रूप से की गई।

XIII. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई अन्य परिवर्तनीय साधन, परिवर्तन की तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी ने कोई जीडीआर/एडीआरजारी नहीं किया है।

XIV. गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं

सेबी एलओआरडी के अन्य अंग की सूची (2) के साथ पठित नियम 207 (1) के अधीन आवश्यक विवेकाधीन अर्हताओं के साथ अनुपालन की स्थिति निम्नलिखित है।

क. कम्पनी का नेतृत्व कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

ख. कम्पनी के तिमाही वित्तीय परिणाम प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित होते हैं और कम्पनी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहते हैं।

ग. कम्पनी ने पिछले कई वर्षों से विधिक लेखा परीक्षकों एवं सीएण्डएजी से अपर्याप्त लेखा रिपोर्ट प्राप्त करती रही है जो एक अपर्याप्त वित्तीय विवरणों के दौर का सूचक रहा है।

घ. कम्पनी ने एक कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं, जो कम्पनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी हैं।

ङ. अंतरिक लेखापरीक्षक निदेशक मंडल की लेखा समिति को रिपोर्ट देते हैं।

XV. कम्पनी के संयंत्र स्थान

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालयः	प्रद्रावक संयंत्र
नालको भवन प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर – 751 013, (ओड़िशा)	नालको नगर, अनुगुल-759 145 (ओड़िशा)
खान एवं परिशोधक	**ग्रहीत विद्युत संयंत्र**
खान एवं परिशोधन संकुल दामनजोड़ी – 763 008 जिला – कोरापुट (ओड़िशा)	अनुगुल – 759 122 (ओड़िशा)
पत्तन सुविधाएं	**जैसलमेर 47.6 मे.वा पवन ऊर्जा संयंत्र**
ओर हैन्डलिंग कॉमप्लेक्स के सामने पोर्ट एरिया. विशाखापटनम – 530 035 (आन्ध्रप्रदेश)	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड ग्रामः लुडरवा, कहेला, खदेरो-की-ढाणी तावारिया, चातरेल मंडल/तालुक/जिला जैसलमेर, राजस्थान – 345001
गण्डीकोटा 50.4 मे.वा पवन ऊर्जा संयंत्र	**जैसलमेर 50.0 मे.वा पवन ऊर्जा संयंत्र**
नैशनल एल्यूमिनियम कोम्पनी लिमिटेड ग्राम – गण्डीकोटा, डिविजन – प्रोदात्तुर तालुका – जमालमड्गु, जिला – कडप्पा आन्ध्रप्रदेश	नैशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड ग्राम-लाला, काराडा, डिविजन – देवीकोट, तहसील – फतेहगढ़, जिला – जैसलमेर राजस्थान – 345001
सांग्ली 50.4 मे.वा पवन ऊर्जा संयंत्र	
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पानी लिमिटेड ग्राम – मेन्धीगिरी, तालुका- जथ जिला – सांग्ली महाराष्ट्र - 416404	

XVI. पत्राचार के लिए पता

कंपनी सचिव
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर-751 013
ई-मेल पताः i) nkmohanty@nalcoindia.co.in
ii) bharatsahu@nalcoindia.co.in

एबीपी एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखापाल 11ए, बापूजी नगर, भुवनेश्वर-751 009 ई-मेल : mail@caabp.com	गुहा नंदी एण्ड कं. सनदी लेखापाल कॉमर्स हाउस, 5वाँ तल, कक्ष 8डी एवं ई 2ए, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कोलकाता-700 013 ई-मेल: guhanandi@gmail.com

लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

सेवा में
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
भुवनेश्वर

हमने स्टॉक एक्सचेंजों के भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ, एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियम") के विनियम 17(1)(ख) के प्रावधान के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो कम्पनी के वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा है और न ही मत प्रकाश।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुरूप और हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने निम्नलिखित के अधीन उपर्युक्त वर्णित सूचीयन अनुबंध एवं सूचीयन विनियम के तहत कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया हैः

गैर-अनुपालनः निदेशक मंडल का गठनः

1. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियम") के विनियम 17 (1)(ख) के प्रावधानों के अनुसार, यदि निदेशक मंडल के अध्यक्ष गैर-कार्यपालक निदेशक हैं, तो निदेशक मंडल का कम से कम एक तिहाई भाग स्वतंत्र निदेशकों से समाविष्ट होगा और अगर सूचीबद्ध निकाय के पास नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, तो निदेशक मंडल का कम से कम आधा भाग स्वतंत्र निदेशकों से समाविष्ट होगा।

   सिवाय 1 मार्च, 2017 से 15 मार्च, 2017 की अवधि के, समग्र वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कम्पनी के पास बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

गैर-अनुपालनः निदेशक बोर्ड की बैठकः

2. कॉर्पोरेट अभिशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की बैठक प्रत्येक तीन महीने में एक बार आयोजित होनी चाहिए और प्रति वर्ष कम से कम चार ऐसी बैठकें होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, दो बैठकों के बीच का अंतराल तीन महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान, निदेशक बोर्ड की आठ(8) बैठकों, यानी 291वीं से 298वीं का आयोजन किया गया है। 20.09.2016 को आयोजित 294वीं बोर्ड की बैठक एवं 24.12.2016 को आयोजित 295वीं बोर्ड की बैठक के बीच 3 (तीन) महीनों से अधिक का अंतराल रहा, जो कि कॉर्पोरेट अभिशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।

हम आगे यह व्यक्त करते हैं कि अनुपालन न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन देता है और न ही प्रभावकारिता या कार्यकुशलता का जिसके तहत प्रबंधन ने कम्पनी मसलों का संचालन किया है।

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखापाल एफआरएन – 315104ई (सीए कमल कुमार चंदुका) साझेदार सदस्यता सं. 058790	**कृते गुहा नंदी एण्ड कं.** सनदी लेखापाल एफआरएन – 302039ई (बी. के. सरावगी) साझेदार सदस्यता सं. 054894

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 17 जुलाई, 2017

अनुलग्नक- VI

फार्म नं. एओसी – 2

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा(3) के खंड (ज) एवं कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कम्पनी द्वारा निष्पादित ठेकाओं/व्यवस्थाओं जिसमें उस पर तृतीय उपबंध के अंतर्गत कुछेक असंबंधित लेनदेन शामिल हैं, के विवरण के प्रकटन हेतु फॉर्मः

1. **संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन जो सम्बन्धित पक्ष के आधार पर हैं, का विवरणः**

   (क) सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं संबंध का स्वरूपः **शून्य**

   (ख) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन का स्वरूपः उपलब्धः **लागू नहीं**

   (ग) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेदन की अवधिः **लागू नहीं**

   (घ) मूल्य यदि कोई है, समेत संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन की प्रमुख विशेषताएँः **लागू नहीं**

   (ङ) ऐसी संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन में शामिल होने का औचित्यः **लागू नहीं**

   (च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (खें): **लागू नहीं**

   (छ) अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हैः **लागू नहीं**

   (ज) धारा 188 के उपयुक्त प्रथम उपबंध के अंतर्गत आवश्यकतानुसार साधारण बैठक में जिस तिथि को विशेष प्रस्ताव पारित हुआ थाः **लागू नहीं**

2. **भौतिक संविदाओं या व्यवस्था या लेनदेन जो सम्बन्धित पक्ष के आधार पर नहीं हैं, का विवरणः**

   क. सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं संबंध का स्वरूपः **शून्य**

   ख. संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन का स्वरूपः **लागू नहीं**

   ग. संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधिः **लागू नहीं**

   घ. मूल्य, यदि कोई है, समेत ठेकाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन की प्रमुख विशेषताएः **लागू नहीं**

   ङ. बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख (खे.) यदि कोई हैः **लागू नहीं**

   च. अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हैः **लागू नहीं**

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता.

(डॉ. तपन कुमार चान्द)

अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक-VII

फॉर्म नं. एमजीटी-9
वार्षिक रिटर्न (प्रतिफल) का सार
2016-17 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरणः

i.	सीआईएन	:	L272030R1981G01000920
ii.	पंजीकरण की तिथि	:	7 जनवरी, 1981
iii.	कंपनी का नाम	:	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	:	शेयरों के तहत पब्लिक सेक्टर कम्पनी
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	:	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड नालको भवन, पी/1 नयापल्ली भुवनेश्वर-751013, वेबसाइटः www.nalcolindia.com
vi.	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	:	हाँ
vii.	रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता एवं संपर्क विवरण	:	मेसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सेलिनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचीबोअली, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500032, तेलंगाना दूरभाषः 040-67161500, फैक्स नं. 040-23420814 टोल फ्री नं. 18003454001, ईमेलः einward.ris@karvy.com वेबसाइटःwww.karvycomputershare.com

II. कम्पनी के प्रमुख व्यावसायिक कार्यकलाप

कम्पनी के कुल कारोबार के 10% या अधिक का अंशदान करने वाले सभी व्यावसायिक कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगाः-

क्रम. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पादन/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल कारोबार का %
1	एल्यूमिना*	201	32.58
2	एल्यूमिनियम	242	66.46
3	पावर**	351	0.96

* एल्यूमिना में शामिल हैं एल्यूमिना हाइड्रेट, विशेष श्रेणी हाइड्रेट, विशेष श्रेणी एल्यूमिना एवं अन्य रसायन

** पावर में शामिल हैं नवीकरणीय ऊर्जा (पवन विद्युत)

III. नियंत्रक (होल्डिंग), सहायक एवं सम्बद्ध कम्पनियों के ब्यौरे

क्रम. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पादन/सेवा का एनआईसी कोड	धारित शेयरों का %	लागू धाराएं
1.	एनपीसीआईएल-नालको पावर कम्पनी लिमिटेड 16 वाँ तल, सेंटर -1, बर्ल्ड सेंटर, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई – 400005	सम्बद्ध	26	2(6)
2.	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि. इडको टावर, जनपथ, भुवनेश्वर-751022	सम्बद्ध	49	2(6)
3.	जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.	सम्बद्ध	40	2(6)

IV. शेयरधारिता का स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूँजी का विभाजन)

श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
(क) प्रोमोटर्स									
(1) **भारतीय**									
(क) व्यक्तिगत/एचयूएफ									
(ख) केंद्र सरकार	2085782622	-	2085782622	80.93	**1441482490**	**0**	**1441482490**	74.58	(6.35)
(ग) राज्य सरकार(रों)	-	-	-	-					
(घ) निगमित निकाय	-	-	-	-					
(ङ) बैंक/एफआई	-	-	-	-					
(च) कोई अन्य	-	-	-	-					
उप योग (क) (1)									
(2) **विदेशी**									
(क) एनआरआई-व्यक्तिगत	-	-	-	-					
(ख) अन्य-व्यक्तिगत	-	-	-	-					
(ग) निगमित निकाय	-	-	-	-					
(घ) बैंक/एफआई	-	-	-	-					
(ङ) कोई अन्य	-	-	-	-					
उपयोग (क) (2)	-	-	-	-					
प्रोमोटर(क) की कुल शेयरधारिता = (क) (1) + (क)(2)	**2085782622**	**-**	**2085782622**	**80.93**	**1441482490**	**0**	**1441482490**	**74.58**	**(6.35)**
(ख) **पब्लिक शेयरधारिता**									
(1) **संस्थान**									
(क) म्यूचुअल फंड	14451621	88600	14540221	0.56	22669470	88600	22758070	1.18	0.62
(ख) बैंक/एफआई	243124171	0	243124171	9.43	231609087	0	231609087	11.98	2.55
(ग) केन्द्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार (रों)									
(ङ) उद्यम पूंजी निधि									
(च) बीमा कम्पनियाँ	0	1600	1600	0.00	0	1600	1600	0.00	0
(छ) (एफआईआई)	55365909	30200	55396109	2.15	77246858	30200	77277058	4.00	1.85
(ज) विदेशी उद्यम पूँजी निधि									
(झ) अन्य (उल्लेख करें)									
उप योग (ख) (1)	**312941701**	**120400**	**313062101**	**12.15**	**331525415**	**120400**	**331645815**	**17.16**	**5.01**
(2) **गैर-संस्थान**									
(क) निगमित निकाय									
i) भारतीय	111205802	17200	111223002	4.32	102363062	17200	102380262	5.30	0.98
ii) विदेशी									
(ख) व्यक्तिगत									
i) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जो ₹ 1 लाख तक सामान्य शेयर पूँजी रखते हैं।	47109153	1571656	48680809	1.89	38564017	1530930	40094947	2.07	0.18
ii) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जो ₹ 1 लाख से अधिक सामान्य शेयर पूँजी रखते हैं।	14228739	0	14228739	0.55	11258013	0	11258013	0.58	0.03
(ग) अन्य (उल्लेख करें)	3474839	786400	4261239	0.17	5280957	786400	6067357	0.31	0.14
योग (ख)(2)	**176018533**	**2375256**	**178393789**	**6.92**	**157466049**	**2334530**	**159800579**	**8.27**	**1.35**
कुल पब्लिक शेयरधारित(ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	**488960234**	**2495656**	**491455890**	**19.07**	**488991464**	**2454930**	**491446394**	**25.42**	6.35
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए कस्टोडियन (अभिरक्षक) द्वारा धारित शेयर									
सकल योग (क+ख+ग)	**2574742856**	**2495656**	**2577238512**	**100**	**1930473954**	**2454930**	**1932928884**	**100**	

(ii) ***प्रोमोटरों की शेयरधारिता***

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता %
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयर के बंधकीकृत/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयर के बंधकीकृत/ भारग्रस्त शेयरों का %	
1	भारत के राष्ट्रपति	2085782622	80.93	-	1441482490	74.58	-	6.35
	योग	**2085782622**	**80.93**	-	**1441482490**	**74.58**	-	**6.35**

(iii) ***प्रोमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया उल्लेख करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं है)***

क्रम सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान % शेयरधारित	
		शेयर की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	2085782622	80.93		74.58
	वर्ष के दौरान प्रोमोटर शेयरधारिता में तारीख के बाद वृद्धि/ह्रास, वृद्धि/ह्रास के कारणों का उल्लेख करें (अर्थात् आबंटन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)	64,43,00,132 Buyback of shares	25%	1441482490	74.58
	वर्ष के अंत में			1441482490	74.58

(iv) ***शीर्ष के दस शेयरधारिता का स्वरूप (निदेशकों, प्रोमोटरों एवं जीडीआर और एडीआर के धारकों से भिन्न):***

क्रम सं.	शीर्ष के 10 शेयरधारकों के प्रत्येक हेतु	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (31.03.2016)		वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31.03.2017)	
		शेयर की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयर की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	177316005	6.88	177123674	9.16
2.	बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	31602297	1.23	29218221	1.51
3.	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि.	28384938	1.10	28384938	1.47
4	सरकारी पेंशन निधि वैश्विक	0	0	11851369	0.61
5	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	11009536	0.43	10000000	0.52
6.	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस-1 ग्रोथ फंड	9987308	0.39	9987308	0.52
7.	एलआईसी ऑफ इंडिया प्रॉफिट प्लस ग्रोथ फंड	9324184	0.36	9324184	0.48
8.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6144500	0.24	6248500	0.32
9.	वेनगार्ड इन्जिनियरिंग मार्केट स्टॉक इन्डेक्स फन्ड एसीरिज़ ऑफ वेनगार्ड इन्टरनेशनल इक्विटि फन्ड	0	0	6221247	0.32
10.	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7139876	0.28	6039876	0.31

कम्पनी के शेयर दैनिक आधार पर ट्रेडेड होते हैं, अतः शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/ह्रास सूचित नहीं किया गया है।

(v) ***निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता***

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के शेयर	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयर की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयर की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	डॉ. टी.के. चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	शून्य	-	शून्य	-
2.	श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त)	400	-	400	-
3.	श्री वी बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन)	5260	-	शून्य	-
4.	श्री बी.के. ठाकुर	शून्य	-	शून्य	-
5.	श्री एस. के. रॉय	5659	-	5659	-
6.	श्री के. एन. रवीन्द्र, कम्पनी सचिव	2260	-	260	-

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/उद्भूत ब्याज सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता मगर भुगतान के लिए देय नहीं

	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता	जमाराशियों को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमाराशियाँ	कुल ऋणग्रस्तता
i)	मूलधन राशि	शून्य			
ii)	ब्याज देय मगर अदा नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii)	ब्याज उपार्जित मगर अदा नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
	वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
–	जोड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
–	घटाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निवल परिवर्तन	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
	वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i)	मूलधन राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii)	ब्याज देय मगर अदा नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii)	ब्याज देय मगर अदा नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वित्तीय विवरण में उल्लिखित कम अवधि के ऋण भुनाए गए बिल दर्शाते हैं जिन्हें रिपोर्ट की तिथि पर बैंक द्वारा संग्रह नहीं किया गया

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिकः

क्र. सं		पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम								
			श्री टी. के. चान्द सीएमडी	श्री के.सी.सामल, निदेशक(वित्त)	श्री वी बालसुब्रमण्यम निदेशक (उत्पादन)	श्री बी.के.ठाकुर निदेशक (मा.सं.)	श्री एस.के. रॉय निदेशक (प. व त.) 03.02.2016 (से)	श्री एस. सी. पाढ़ी, निदेशक (मा.सं.) 30.06.2016 तक	श्री सोमा मंडल निदेशक (वा.) 28.01.2017 तक	श्री एन. आर मोहान्ति (प. व त.) 31.01.2017 (तक)	कुल राशि
1.	सकल वेतन										
	क	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में संलग्न प्रावधानों के अनुसार वेतन	4,542,071	4,079,548	3,613,432	2,344,982	5,42,513	3,232,875	4,086,493	5,465,453	27,907,367
	ख	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	18,000	26,675	2,33,677	68,945	3,000	1,43,795	4,03,095	1,66,881	1,064,068
	ग	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के स्थान में लाभ									

क्र. सं	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम								
		श्री टी. के. चान्द सीएमडी	श्री के.सी.सामल, निदेशक(वित्त)	श्री वी बालसुब्रमण्यम निदेशक (उत्पादन)	श्री बी.के.ठाकुर निदेशक (मा.सं.)	श्री एस.के. रॉय निदेशक (प. व त.) 03.02.2016 (से)	श्री एस. सी. पाढ़ी, निदेशक (मा.सं.) 30.06.2016 तक	श्री सोमा मंडल निदेशक (वा.) 28.01.2017 तक	श्री एन. आर मोहान्ति (प. व त.) 31.01.2017 (तक)	कुल राशि
2.	स्टॉक विकल्प									
3.	उद्यम इक्विटी									
4.	कमीशन-लाभ के % के रूप में									
	अन्य, उल्लेख करें									
5.	अन्य कृपया उल्लेख करें									
	योग (क)	4,560,071	4,106,223	3,847,109	2,413,927	5,45,513	3,376,670	4,489,588	5,632,334	28,971,435
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा									

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिकः

क्रम. सं.	पारिश्रमिक का विवरण		निदेशकों के नाम						
3	**स्वतंत्र निदेशकगण**		**श्री एस. शंकररमण**	**श्री पी. के. नायक**	**श्री एम. साहु**	**श्री डी. महंत**	**श्री डी. आचार्य**	**सुश्री किरण घई सिन्हा 03.02.2017 से**	**कुल**
	-	बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	3,80,000	4,00,000	2,00,000	5,20,000	3,60,000	20,000	18,80,000
	-	कमीशन							
	-	अन्य, कृपया उल्लेख करें							
	योग (1)		**3,80,000**	**4,00,000**	**2,00,000**	**5,20,000**	**3,60,000**	**20,000**	**18,80,000**
4.	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकगण								
	–	बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क							
	–	कमीशन							
	–	अन्य, कृपया उल्लेख करें							
	योग (2)								
	योग (ख) = (1+2)		**3,80,000**	**4,00,000**	**2,00,000**	**5,20,000**	**3,60,000**	**20,000**	**18,80,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक								
	अधिनियम के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा								

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
			सीईओ	कम्पनी सचिव	सीएफओ	योग
				श्री के एन रवीन्द्र		
1.	सकल वेतन					
	क	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में वर्णित प्रावाधानों के अनुसार वेतन		3,672,078		3,672,078
	ख	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		21,951		21,951
	ग	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान में लाभ				
2	स्टॉक विकल्प					
3	उद्यम इक्विटी					
4.	कमीशन					
	–	लाभ के % के रूप में				
	–	अन्य, उल्लेख करें				
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें					
		योग		**3,694,029**		**3,694,029**

VII. शास्ति/दंड/अपराध शमनः

प्रकार		कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	आरोपित शास्ति/दंड/शमन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई है (विवरण दें)
क.	**कम्पनी**					
	शास्ति					
	दंड			शून्य		
	शमन					
ख.	**निदेशकगण**					
	शास्ति					
	दंड			शून्य		
	शमन					
ग.	**अन्य चूककर्ता अधिकारी**					
	शास्ति					
	दंड			शून्य		
	शमन					

अनुलग्नक - VIII

फॉर्म नं. एमआर-3
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं
कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)]

सेवा में
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर – 751013 (ओड़िशा)

हमने मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (जिसे आगे "कम्पनी" कहा जाएगा) के प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में एवं अच्छे निगम अभ्यासों के तहत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी जिसने हमें निगमित संचालन/संविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए और उस पर हमारे मत प्रकाश के लिए यथा उपयुक्त आधार मिल गया।

कम्पनी की बहियों, पपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म एवं दायर किए गए रिटर्न और कम्पनी द्वारा व्यवस्थित अन्य अभिलेखों और साथ ही सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना की जाँच के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मत में 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी ने नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी के पास आगे उल्लिखित तरीके एवं रिपोर्ट के लिए उचित सीमा में यथोचित कार्यप्रक्रियाएँ एवं अनुपालन तंत्र हैः

हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा व्यवस्थित बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म एवं दायर की गई रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जाँच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की हैः

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके तहत गठित नियमावलियाँ;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 और अधिनियम में निर्दिष्ट धाराओं की सीमा में उसके तहत बने नियमों, अभी अधिसूचित नहीं;

(iii) प्रतिभूति संविदा (विनिमय) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') एवं उसके तहत बने नियम;

(iv) न्यासी अधिनियम, 1996 एवं सके तहत बने विनिमय एवं उप-नियम;

(v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा में उसके तहत बने नियम एवं विनिमय;

(vi) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित अनुबंध, विनियम एवं दिशानिर्देश निर्धारित किए गएः-

क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त रूप में अधिग्रहण एवं अधीनीकरण) विनियम, 2011;

ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेधन) विनियम, 2015;

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2009;
(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी को प्रयोज्य नहीं)

ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी को प्रयोज्य नहीं)

च. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियम, 2008;
(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी को प्रयोज्य नहीं)

छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीयन) विनियम, 2009;
(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी को प्रयोज्य नहीं)

ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998।

(vii) अन्य कानून जैसा कम्पनी पर विशेष रूप से लागू हो:

क. खान अधिनियम, 1952;

ख. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957;

ग. विस्फोटक अधिनियम, 1984;

घ. पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986;

ङ. वन संरक्षण अधिनियम, 1980;

च. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974;

छ. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981;

ज. भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923।

हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है:

(i) भारत के कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ कम्पनी द्वारा निष्पादित समरूप सूचीयन अनुबंध एवं सूचीयन अनुबंध।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि का पालन किया है।

बोर्ड का गठन:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कम्पनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशक शामिल है:

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों की सूची

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	धारित पद	नियुक्ति की तारीख	समाप्ति की तारीख
पूर्णकालिक निदेशकगण				
1.	डॉ. तपन कुमार चान्द	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	27.07.2015	-
2.	श्री एन.आर. महान्ति	निदेशक (प. व त.)	01.02.2012	01.02.2017
3.	श्री एस.सी. पाढ़ी	निदेशक (मा.सं.)	20.12.2012	01.07.2016
4.	श्री के. सी. सामल	निदेशक (वित्त)	03.01.2014	-
5.	सुश्री सोमा मंडल	निदेशक (वाणिज्य)	11.03.2014	01.03.2017
6.	श्री वी. बालसुब्रमण्यम	निदेशक (उत्पादन)	01.01.2015	-
7.	श्री बी. के. ठाकुर	निदेशक (मा.सं.)	04.07.2016	-
8.	श्री एस. के. रॉय	निदेशक (प. व त.)	03.02.2017	-
अंशकालिक सरकारी निदेशकगण				
1.	श्री आर. श्रीधरन्	निदेशक	30.08.2013	03.01.2017
2.	श्री एन. बी. धल	निदेशक	23.12.2015	20.10.2016
3.	श्री सुभाष चन्द्र	निदेशक	20.10.2016	-
4.	श्री एन. के. सिंह	निदेशक	15.03.2017	-
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगण				
1.	श्री दीपंकर महंत	निदेशक	21.11.2015	-
2.	श्री एस. शंकररमण	निदेशक	21.11.2015	-
3.	श्री प्रभात केशरी नायक	निदेशक	21.11.2015	-
4.	प्रो. दामोदर आचार्य	निदेशक	21.11.2015	-
5.	श्री महेश्वर साहु	निदेशक	21.11.2015	-
6.	सुश्री किरण घई सिन्हा	निदेशक	03.02.2017	-

वर्ष के प्रारंभ में कम्पनी के बोर्ड में छह (6) पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक), दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक और पाँच (5) आंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे। छह पूर्णकालिक निदेशकों में से, श्री एस.सी पाढ़ी निदेशक, (मा.सं.) का कार्यकाल 01.07.2016 को समाप्त हो गया और उनके स्थान पर श्री बसंत कुमार ठाकुर को 04.07.2017 को निदेशक (मा.सं.) नियुक्त किया गया था। श्री एन. आर. महान्ति निदेशक (प. व त.) का कार्यकाल 01.02.2017 को समाप्त हो गया और उनके स्थान पर श्री एस. के. रॉय को 03.02.2017 से निदेशक (प. व त.) नियुक्त किया गया था। सुश्री सोमा मंडल निदेशक (वाणिज्य) का कम्पनी के साथ संबंध 01.03.2017 से समाप्त हो गया।

दो अंशकालिक सरकारी निदेशकों, श्री एन.बी. धल एवं श्री आर श्रीधरन का कार्यकाल क्रमशः 20.10.2016 व 03.01.2017 को समाप्त हो गया और उनके स्थान पर श्री सुभाष चन्द्र एवं एन. के. सिंह को क्रमशः 20.10.2016 और 15.03.2017 को नियुक्त किया गया।

सुश्री किरण घई सिन्हा को 03.02.2017 से अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नियुक्त किया गया। इस प्रकार 31 मार्च, 2017 को कम्पनी के बोर्ड में पाँच (5) पूर्णकालिक निदेशक, दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं छह(6) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे।

वर्ष के अंत में, बोर्ड का गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अनुपालन में हुआ था। लेकिन इसमें सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ था।

गैर अनुपालनः

1. सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) (सूचीयन विनियम) के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ निदेशक मंडल का अध्यक्ष एक गैर कार्यपालक निदेशक है, बोर्ड के निदेशकों में कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे और जहाँ सूचीबद्ध कम्पनी में नियमित गैरकार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, निदेशक बोर्ड में कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। कॉर्पोरेट अभिशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों में भी बोर्ड के गठन से संबंधित समान प्रावधान हैं।

   वित्तीय वर्ष के आरंभ में कम्पनी में छह (6) पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक), दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक और पाँच (5) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे। इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2017 को पाँच (5) कार्यपालक निदेशक, दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं छह(6) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक थे।

   बोर्ड का गठन सूचीयन विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ख) एवं डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हुआ था। तथापि एक मार्च 2017 से 15 मार्च 2017 तक बोर्ड में 5 (पाँच) कार्यपालक निदेशक, 1(एक) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं छह सरकारी निदेशक थे जो उपरोक्त विनियम के अनुपालन में था।

स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षित संख्या को पहले नियुक्त करने के लिए, कम्पनी खान मंत्रालय, भारत सरकार के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रही है।

बोर्ड की बैठकः

पुनरीक्षण के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक बोर्ड की आठ(8) बैठकें, यानी 291वीं से 298वीं का आयोजन क्रमशः 25.05.2016, 28.05.2016, 10.08.2016, 12.09.2016, 14.12.2016, 28.01.2017, 13.02.2017 एवं 02.03.2017 को किया गया। 12.09.2016 को आयोजित 294वीं बोर्ड की बैठक एवं 14.12.2016 को आयोजित 295वीं बोर्ड की बैठक के बीच 3 (तीन) महीनों से अधिक का अंतराल रहा, जो कि कॉर्पोरेट अभिशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था। बोर्ड की सभी बैठकों हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी। कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी 7 दिन अग्रिम भेजी गई थी और कम्पनी के पास बैठकों में सार्थक भागीदारी हेतु बैठक के पूर्व विषयवस्तु के संबंध में अधिक सूचना मांगने और प्राप्त करने की व्यवस्था है।

बोर्ड के बैठकों के सारे निर्णय सर्वसम्पत्ति से लिए गए थे एवं बैठक की कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज किए गए थे।

बोर्ड की संविधिक समितियाँ:

(i) लेखापरीक्षा समिति

कम्पनी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
- श्री दीपंकर महंत, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- प्रो. दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- निदेशक (परि. व तक) – सदस्य
- निदेशक (उत्पादन) – सदस्य

निदेशक (वित्त) समिति के आमंत्रित सदस्य है।

वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा समिति की छह(6) बैठकें आयोजित हुई।

(ii) नामांकन एवं पारिश्रमिक समितिः

कम्पनी के निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- श्री महेश्वर साहु, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
- श्री शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- प्रो. दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- सुश्री किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य

निदेशक (वित्त) समिति के आमंत्रित सदस्य है।

वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक(1) बैठक आयोजित हुई

(iii) पणधारी संबंध समितिः

कम्पनी के निदेशक मंडल की पणधारी संबंध समिति समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- श्री एस शंकररण, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
- श्री दीपंकर महंत, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- सुश्री किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- निदेशक (मा.सं.) – सदस्य

वित्तीय वर्ष के दौरान पणधारी संबंध समिति की तीन (3) बैठकें आयोजित हुई।

(iv) नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास समिति

कम्पनी के निदेशक मंडल की नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास समिति समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- श्री दीपंकर महंत, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
- श्री एस शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- श्री महेश्वर साहु, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- सुश्री किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- निदेशक (वित्त) – सदस्य
- निदेशक (उत्पादन) – सदस्य
- निदेशक (एचआर) – सदस्य

वित्तीय वर्ष के दौरान नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास समिति की दो (2) बैठकें आयोजित हुई।

नि.सा.उ. गतिविधियों में व्यय की गई राशिः

कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) विनियम, 2014 एवं अधनियम की अनुसूची –VII के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कम्पनी का सीएसआर बजट ₹ 27.56 करोड़ था। तथापि, कम्पनी ने विभिन्न नि.सा.उ. कार्यकलापों पर अवधि के दौरान ₹ 30.01 करोड़ व्यय किया है।

(v) जोखिम प्रबंधन समितिः

कम्पनी के निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- प्रो. दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
- श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- सुश्री किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- निदेशक (वित्त) – सदस्य
- निदेशक (उत्पादन) – सदस्य

वित्तीय वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की एक (1) बैठक आयोजित हुई।

(vi) स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII के साथ पठित धारा 149(8) के प्रावधानों के अनुसार, 18.10.2016 को कम्पनी के स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक आयोजित हुई थी। कम्पनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों को बैठक के लिए पर्याप्त सूचना एवं कार्यसूची दी गई थी।

समिति की सभी बैठकों के लिए सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना दी गई थी। कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी अधिकतम कम से कम 7 दिन अग्रिम भेजी गई थी। समिति बैठकों के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे एवं सम्बन्धित समिति बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज किए गए थे।

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट की नियुक्तिः

कम्पनी ने मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अपना रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) नियुक्त किया है।
हम आगे सूचित करते हैं कि प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों पर निगरानी रखने एवं इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार एवं प्रचालन के अनुरूप कम्पनी में पर्याप्त प्रणालियाँ एवं कार्य-प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं।

शेयरों की वापस खरीदः

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी के निदेशक मंडल के निर्णय एवं 14.07.2016 को डाक मत पत्र के जरिए पणधारियों द्वारा विशेष प्रस्ताव के अनुमोदन के अनुसार कम्पनी ने 21.09.2016 को ₹ 5/- प्रति के 644,309,628 इक्विटि शेयरों को वापस खरीदा था जोकि कम्पनी के भुगतान किए गए इक्विटि शेयर पूंजी के इक्विटि शेयर की कुल संख्या का 25% था। ये शेयर 26.09.2016 को समाप्त हो गए थे। वापस खरीद का प्रस्ताव ₹ 2834.96 करोड़ के कुल विवेचन हेतु ₹ 44/- प्रति शेयर था।

कृते **सरोज राय एण्ड एसोसिएट्स**
कम्पनी सचिव

सीएस **सरोज कुमार राय,** एफसीएस
वरिष्ठ साझेदार
सीपीः 3770, एफसीएसः 5098

स्थाव : भुवनेश्वर
तारीख : 30.05.2016

(इस रिपोर्ट को समदिनांकित हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो परिशिष्ट क के रूप में संलग्न है एवं इस रिपोर्ट का अभिन्न अंश माना जाएगा)

अनुलग्नक क

सेवा में

सदस्यगण,

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली

भुवनेश्वर – 751013 (ओड़िशा)

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्डो का रखरखाव कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर मत प्रकाश करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने उन्हीं लेखापरीक्षा पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषयवस्तुओं की सटीकता के बारे में सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। परीक्षण आधार पर जाँच की गई थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय रिकार्ड में सही तथ्य प्रदर्शित हैं। हमें विश्वास है कि कम्पनी द्वारा अनुपालित पद्धतियाँ और कार्य-प्रक्रियाएँ हमारे मत के लिए यथोचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्डों और लेखा बहियों की सटीकता एवं उपयुक्तता की जाँच नहीं की है।
4. जहाँ भी अपेक्षित हो, हमने विधियों, नियमों, विनियमों और घटित घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का अभिवेदन प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच, परीक्षण के आधार पर कार्य-प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही कार्यकारिता या प्रभावकारिता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते **सरोज राय एण्ड एसोसिएट्स**

कम्पनी सचिव

सीएस **सरोज कुमार राय, एफसीएस**

वरिष्ठ साझेदार

सीपीः3 3770, एफसीएसः 5098

स्थाव : भुवनेश्वर

दिनांक : 30.05.2016

सचिवीय लेखापरीक्षक की मान्य टिप्पणियों पर प्रबंधन का स्पष्टीकरणः

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा उनकी रिपोर्ट में अधिसूचित मान्य टिप्पणियाँ और प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण नीचे सारणीबद्ध हैं:

क्रम सं.	सचिवीय लेखापरीक्षक की मान्य टिप्पणियाँ	प्रबंधन का स्पष्टीकरण
01.	वित्तीय वर्ष के आरंभ में कम्पनी में 6 (छह) कार्यपालक निदेशक, 2(दो) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं 5 (पाँच) स्वतंत्र निदेशक थे। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2017 को, 5 (पाँच) कार्यपालक निदेशक, 2 (दो) अंशकालिक सरकारी निदेशक वं 6 (छह) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक थे। उपर्युक्त के तहत बोर्ड का गठन सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 17 (1) (ख) के प्रावधान एवं डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं हुआ था। तथापि, 1 मार्च, 2017 से 15 मार्च, 2017 तक के दौरान 5 (पाँच) कार्यपालक निदेशक, 1 (एक) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं 6 (छह) स्वतंत्र निदेशक थे जो उक्त विनियम के अनुपालन में था।	कम्पनी के संस्था के अन्तर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति निदेशकों के लिए नियुक्तिकारी प्राधिकारी हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों एवं डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की शीघ्र नियुक्ति के लिए खान मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कम्पनी नियमित रूप से संपर्क में हैं।

02.	पुनरीक्षण के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की आठ(8) बैठकें, यानी 291वीं से 298वीं का आयोजन क्रमशः 25.05.2016, 28.05.2016, 10.08.2016, 12.09.2016, 14.12.2016, 28.01.2017, 13.02.2017 एवं 02.03.2017 को किया गया। 12.09.2016 को आयोजित 294वीं बोर्ड की बैठक एवं 14.12.2016 को आयोजित 295वीं बोर्ड की बैठक के बीच 3 (तीन) महीनों से अधिक का अंतराल रहा, जो कि कॉर्पोरेट अभिशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था।	12.09.2016 को आयोजित 294वीं बोर्ड की बैठक एवं 14.12.2016 को आयोजित 295वीं बोर्ड की बैठक के बीच 3 (तीन) महीनों से अधिक का अंतराल रहा। कॉर्पोरेट अभिशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार दो बैठकों के बीच का अंतराल 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। डीपीए दिशानिर्देशों का पैरा 2.2 उल्लेख करता है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सीपीएसई को कॉर्पोरेट अभिशासन के संबंध में सेबी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें डीपीई दिशानिर्देशों के उन प्रावधानों का भी पालन करना चाहिए जो सेबी दिशानिर्देशों में मौजूद नहीं है और सेबी दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान का उल्लघन नहीं करते हैं। यद्यपि डीपीए दिशानर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ था, कम्पनी ने सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 17(2) का अनुपालन किया है, जिसके अनुसार दो बैठकों के बीच का अधिकतम अंतराल 120 दिनों का हो सकता है।

कृते नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

(डॉ. तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के प्रति

स्व-सक्षम भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ("कम्पनी") के संलग्न स्व-सक्षम भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

स्व-सक्षम भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का निदेशक मंडल इन स्व-सक्षम भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में व्यक्त मामलों के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों समेत भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है।

इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का व्यवस्थापन शामिल है जो कंपनी की सम्पत्तियों की हिफाजत हेतु एवं धोखाधाड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए; उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं प्रयोग के लिए; तर्क एवं आकलन देने, जो यथा संगत एवं विवेकपूर्ण हैं, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन एवं रखरखाव के लिए जो लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष दृश्य पेश करते हैं, और भौतिक गलत बयानबाजी से मुक्त हैं, चाहे वे जालसाजी या चूक के कारण हो।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्व-सक्षम भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखापरीक्षण मानकों और विषयवस्तुओं को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया गया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करें एवं उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना करें एवं निष्पादन करें कि वित्तीय विवरण गलत बयानबाजी से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में राशियों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने एवं वित्तीय विवरणों में प्रकटन की प्रक्रियाएँ शामिल हैं। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे जालसाजी या चूक के कारण हो। उन जोखिम आकलनों को तैयार करते समय, लेखापरीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को निरूपित करने में सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों के औचित्य और साथ ही वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो स्व-सक्षम भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा पर राय देने के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

राय

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के तहत उक्त स्व सक्षम भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षानुसार यथा अपेक्षित जानकारी देते हैं एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की समरूपता में 31 मार्च, 2017 की स्थिति को कंपनी के मामलों की यथा स्थिति एवं उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ और इसके नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

अन्य विषय

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष हेतु कम्पनी की तुनात्मक वित्तीय सूचना एवं 1 अप्रैल, 2015 तक अंतरण तारीख आरंभिक तुलन पत्र, जिसमें ये स्व सक्षम भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरण शामिल हैं, क्रमशः 31 मार्च, 2015 और 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष हेतु पूर्व में जारी संविधिक वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं। जिन्हें कम्पनी (लेखापरीक्षण मानक) नियम 2006 के अनुपालन में तैयार किया गया था और जिस पर लेखापरीक्षकों ने क्रमशः 30 मई, 2015 और 28 मई, 2016 को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में असंशोधित राय व्यक्त की थी।

वे स्व सक्षम वित्तीय विवरण कम्पनी द्वारा भारतीय लेखापरीक्षण मानकों के अंतरण पर अपनाए गए लेखा सिद्धान्तों की भिन्नता हेतु समयोजित किए गए हैं, हमारे द्वारा जिसकी लेखापरीक्षा की गई है।

अन्य कानूनी एवं विनियम अर्हताओं पर रिपोर्ट

अन्य कानूनी एवं नियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षानुसार, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रयोज्य सीमा में, आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट विषयवस्तुओं पर इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "क" में एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के अनुदेशों के अनुपालन में, हम वहाँ विनिर्दिष्ट विषयवस्तुओं पर इस रिपोर्ट के परिशिष्ट “ख” में एक विवरण देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, प्रयोज्य सीमा में, हम रिपोर्ट करते हैं किः

क. हमने वो सभी जानकारी और व्याख्या मांगी है एवं प्राप्त की हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

ख. हमारी राय में, जैसा कि इन बहियों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, कानून के अपेक्षानुसार कंपनी द्वारा यथोचित लेखा-बहियों का रखरखाव किया गया है।

ग. इस रिपोर्ट से सम्बंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण और नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के सुसंगत हैं।

घ. हमारी राय में, उपर्युक्त स्व-सक्षम वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

ङ. निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएस.आर 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरित वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के सूचनार्थ परिशिष्ट “ग” में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

छ. कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली अन्य विषयवस्तुओं के मामले में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिकः

i. कंपनी ने अपने इंड ए.एस. वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लम्बित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है – स्व सक्षम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी 26 देखें।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं समेत कोई दीर्घमियादी संविदाएँ नहीं हैं, जिसके लिए पहले से ही भौतिक पूर्वाभासी क्षतियाँ थी।

iii. निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा कोई राशि अंतरित किए जाने में कोई देर नहीं हुईः और

iv. कम्पनी ने अपने स्व सक्षम भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों में 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिम्बर, 2016 की अवधि के दौरान विशेष बैंक मुद्राओं के लेन-देन एवं पूर्णस्वामित्व के संबंध में आवश्यक प्रकटन उपलब्ध कराया है- स्व सक्षम भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरण की टिप्पणी 28 देंखे। तथापि, जैसा कि उक्त रिपोर्ट में कहा गया है और प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है, कुल राशियाँ क्रमशः ₹ 81,000/- और ₹ 9,000/- प्राप्त किया गया और उपयोग में लाया गया है जिसकी अनुमति नहीं है।

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन – 315104ई

(सीए ललित के पतंगिया)
साझेदार
सदस्यता सं. 053971

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरए-302039ई

(सीए बी. एस कुण्डू)
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 27 मई, 2017

अनुलग्नक – क

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के स्व-सक्षम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट" के शीर्षक के तहत अनुच्छेद 1 के संदर्भ में)

i) (क) मात्रात्मक विवरण एवं अचल परिसंपत्तियों की स्थिति समेत कंपनी संपूर्ण विवरण दर्शाने वाले समुचित रिकॉर्डों का रखरखाव कर रही है;

(ख) प्रबंधन द्वारा हर वर्ष कम्पनी की सभी चल परिसंपत्तियों की भौतिक रूप से जाँच की जाती है। हमारी राय में सत्यापन की संख्या सुसंगत है। वर्ष के दौरान संचालित ऐसे सत्यापन पर कोई भौतिक या महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पायी गई थीं;

प्रबंधन द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर स्थायी परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया जाता है, जो कि हमारी राय में, कंपनी के आकार एवं परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुसार यथोचित हैं।

बहियों में दर्ज रिकॉर्ड एवं भौतिक परिसंपत्तियों के बीच कोई भौतिक विसंगतियाँ नहीं पायी गई हैं;

(ग) हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार एवं कम्पनी के रिकॉर्डों की हमारी जाँच के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों का अधिकार पत्र कंपनी के नाम में है। कम्पनी द्वारा धारित 8022.63 एकड़ की पूर्ण-स्वामित्ववाली भूमि एवं 9162.65 एकड़ की पट्टाधारी भूमि में से, क्रमशः 66.92 एकड़ की पूर्ण-स्वामित्ववाली एवं 1744.63 एकड़ की पट्टे वाली भूमि के विषय में अधिकार पत्र/पट्टा अनुबंध का निष्पादन अभी तक नहीं किया गया है। तथापि, संबंधित प्राधिकरणों द्वारा कम्पनी को उक्त भूमि पर अपने कार्य-प्रचालन के लिए अनुमति दी गई है। कोलकाता में 6459 वर्गफीट के लिए कार्यालय स्थल के विषय में पंजीकरण औपचारिकताएँ भी पूरी नहीं हुई हैं।

ii) हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, विस्तार परियोजना से संबंधित स्टॉक, तीसरे पक्ष के पास पड़े हुए स्टॉक एवं मार्गस्थ स्टॉक के सिवाय सभी मालसूचियों का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा नियुक्त सनदी लेखापाल के फर्मों द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। सत्यापन की संख्या सुसंगत है। भौतिक स्टॉक एवं बही रिकॉर्ड के बीच भौतिक सत्यापन पर पायी गई विसंगतियों में कमी को लेखा बहियों में निपटाया गया है जबकि अधिशेष पर ध्यान नहीं दिया गया है;

iii) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्या के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारियों या अन्य पक्षों को कंपनी ने कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (III)(क), (ख) एवं (ग) लागू नहीं है;

iv) निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों को ऋण के विषय में अधिनियम की धारा 185 कंपनी पर लागू नहीं है। हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार, कंपनी ने दिए गए ऋण एवं निवेश के विषय में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है;

v) हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।

vi) विनिर्माणी कार्यकलापों के विषय में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी द्वारा रखी गई बहियों एवं रिकॉर्ड की हमने विस्तृत समीक्षा की है एवं राय व्यक्त करते हैं कि प्रत्यक्षतः निर्धारित लेखा एवं रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं एवं रखे गए हैं। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए विस्तृत जाँच नहीं की है कि क्या ये सटीक एवं संपूर्ण हैं।

vii) (क) हमनें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, हमारी राय में कम्पनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट), उप कर, विद्युत शुल्क एवं अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय सहित अविवादित संविधिक देय उपयुक्त प्राधिकारियों के पास आमतौर पर जमा करती है एवं 31 मार्च, 2017 को देय तिथि से छह महीनों से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित सांविधिक देय बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्या के अनुसार, निम्नलिखित सांविधिक देयताओं को विवादित होने के कारण कम्पनी द्वारा जमा नहीं किया गया है:

संविधि का नाम	देयता की प्रकृति	विवादित राशि (₹ करोड़ में)	जमा की गई राशि (₹ करोड़ में)	फोरम जहाँ विवाद लम्बित है
बिक्री कर	बिक्री कर	254.13	52.47	आयुक्त
		72.33	31.78	अधिकरण
		101.36	4.67	उच्च न्यायालय
		427.82	**88.92**	
प्रवेश कर	प्रवेश कर	134.80	40.50	आयुक्त
		73.89	37.01	अधिकरण
		82.64	22.48	उच्च न्यायालय
		291.33	**99.99**	

संविधि का नाम	देयता की प्रकृति	विवादित राशि (₹ करोड़ में)	जमा की गई राशि (₹ करोड़ में)	फोरम जहाँ विवाद लम्बित है
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	2.57	0.06	आयुक्त
		99.75	2.91	अधिकरण
		0.10	0.03	उच्च न्यायालय
		102.42	**3.00**	
सेवा कर	सेवा कर	2.28	0.00	आयुक्त
		0.04	0.00	अधिकरण
		2.32	**0.00**	
सीमा कर अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	5.04	0.00	आयुक्त
		46.96	0.13	अधिकरण
		52.00	**0.13**	
आयकर अधिनियम, 1961	आय कर	390.46	196.16	आयुक्त
		375.56	446.74	अधिकरण
		31.92	52.14	उच्च न्यायालय
		797.94	**695.04**	
ओड़िशा स्टाम्प अधिनियम	स्टाम्प शुल्क	**204.53**	**0.00**	उच्च न्यायालय
पथ कर	पथ कर	0.21	0.00	आयुक्त
		2.44	0.00	उच्च न्यायालय
		2.65	**0.00**	
	कुल	**1881.01**	**887.08**	

viii) बैंकों के साथ बिल छूट करार के अलावा, कंपनी का किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या ऋणपत्रधारकों से कोई ऋण या उधार बकाया नहीं है। कम्पनी ने बिल छूट सुविधा के तहत प्राप्त ऋणों का पुनर्भुगतान बकाया नहीं रखा है।

ix) कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक जन प्रस्ताव या आगे जन प्रस्ताव (ऋणपत्रों समेत) कोई राशि एवं मियादी ऋण नहीं लिया है।

x) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कम्पनी के प्रति धोखाधड़ी नहीं की गई है या रिपोर्ट की गई है।

xi) निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से प्रबंधकीय परिश्रमिक के विषय में अधिनियम की धारा 197 कम्पनी पर लागू नहीं है।

xii) हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार, कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है।

xiii) हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार एवं कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, संबंधित पक्ष के लेनदेन जहाँ भी प्रयोज्य है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं एवं प्रयोज्य लेखांकन मानकों के अपेक्षानुसार ऐसे लेनदेनों का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया हैं।

xiv) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या आंशिक अथवा पूर्ण परिवर्तनीय ऋणपत्रों (डिबेंचर) का अधिमान्य आबंटन या गैर-सरकारी व्यवस्थापन नहीं किया है।

xv) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कम्पनी ने किसी निदेशक या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

xvi) कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन – 315104ई

(सीए ललित के पतंगिया)
साझेदार
सदस्यता सं. 053971

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरए-302039ई

(सीए डॉ. बी. एस कुण्डु)
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 27 मई, 2017

अनुलग्नक "ख"

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के स्व-सक्षम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट" के शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 के संदर्भ में)

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत निदेशों पर रिपोर्ट

प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और कंपनी के बहियों एवं रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और बहियों एवं रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कम्पनी के पास क्रमशः पूर्ण स्वामित्व वाली एवं पट्टे पर ली गई जमीन का स्पष्ट अधिकार पत्र/पट्टा अनुबंध है, जहाँ कहीं भी अधिकार पत्र/पट्टा अनुबंध का निष्पादन किया गया है। 8022.63 एकड़ की पूर्ण स्वामित्व वाली एवं 9162.65 एकड़ की पट्टा युक्त जमीन है, जिनमें से 66.92 एकड़ की पूर्ण स्वामित्व वाली एवं 1744.63 एकड़ की पट्टे वाली जमीन के सिलसिले में अधिकार पत्र/पट्टा अनुबंध का निष्पादन अभी तक नहीं किया गया है। तथापि, कम्पनी को उक्त जमीन पर सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा कार्य-प्रचालन जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है।

2. अग्रिम, देनदारों, दावों को बट्टे खाते डालने के 11 मामले हैं, जिनकी राशि नीचे विवरण अनुसार ₹ 18.40 लाख है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, बट्टे खाते में डालने का कारण है कि ये लम्बे समय से पड़े हुए गैर-समायोजित/गैर वसूलीकृत पुरानी शेष राशि हैं, एवं समय-बाधित हो चुकी हैं और वसूली/समायोजन की संभावना क्षीण है।

बट्टेखाते/अधित्याग का प्रकार	मामले की सं.	राशि लाख ₹ में
अग्रिम	4	2.80
देनदार	3	0.10
दावे	4	15.50
योग	**11**	**18.40**

3. (क) तीसरे पक्ष के साथ पड़ी हुई मालसूचियों के लिए यथोचित रिकॉर्ड रखे गए हैं।

   (ख) कम्पनी ने वर्ष के दौरान सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की है।

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन – 315104ई

(सीए ललित के पतंगिया)
साझेदार
सदस्यता सं. 053971

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरए-302039ई

(सीए डॉ. बी. एस कुण्डु)
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 27 मई, 2017

अनुलग्नक "ग"

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के स्व-सक्षम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड(i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 7 की स्थिति को नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड ("कम्पनी") वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के स्व-सक्षम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के तहत आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं बनाए रखना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, कार्यान्वित करना एवं बनाए रखना जो कम्पनी की नीतियों के पालन सहित इसके व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, इसकी परिसंपत्तियों की हिफाजत, धोखाधड़ियों और चूक का निवारण एवं पता लागाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथा समय तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारण योग्य वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी ("अनुदेश टिप्पणी") एवं लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की प्रयोज्य सीमा में हमारी लेखापरीक्षा की है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर प्रयोज्य है एवं दोनों ही भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों एवं अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें एवं सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी एवं अनुरक्षित हुई थी और क्या ये नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित थे।

हमारी लेखापरीक्ष में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं इनके प्रचालनीय प्रभावकारिता के बारे में, लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यपद्धतियों का निष्पादन करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम का आकलन कि भौतिक दुर्बलता विद्यमान है एवं आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित कार्यपद्धतियाँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुआ, वो पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक कार्यपद्धति है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में सुसंगत आवश्वासन प्रदान करने के लिए निरूपित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वो नीतियाँ एवं कार्यपद्धतियाँ शामिल है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव के सम्बन्ध में है जो सुसंगत विस्तार में कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन एवं स्थितियों को सटीक रूप से एवं सही रूप से प्रदर्शित करती है, (2) यथासंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को रिकॉर्ड किया गया है जैसा कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए अपेक्षित हैं एवं कम्पनी की प्रतियाँ एवं व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत, प्रयोग या स्थितियों के निवारण या यथा समय पता लगाने के विषय में सुसंगत आश्वसान प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निर्हित सीमाबद्धताएँ

नियंत्रणों का अतिक्रमण करने वाले मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना समेत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताओं के कारण चूक या धोखाधड़ी की वजह से

महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी घट सकती है, एवं पता नहीं चल सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणओं के किसी मूल्यांकन की प्रायोजना जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकती है या फिर नीतियों या पद्धतियों के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, कम्पनी के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त, आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2017 प्रभावी रूप से प्रचालित थे।

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन – 315104ई

(सीए ललित के पतंगिया)
साझेदार
सदस्यता सं. 053971

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरए-302039ई

(सीए डॉ. बी. एस कुण्डु)
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 27 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी, भुवनेश्वर के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकगण अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 27 मई, 2017 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्याम से व्यक्त किया हुआ बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से, मैने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के तहत एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा संविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागज़ों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है एवं प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों की पूछताछ एवं कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं प्राप्त हुआ है जिससे सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाए या कुछ जोड़ा जाए।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महा
लेखापरीक्षक एवं उनकी ओर से

(प्रवीर कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक
एवं पदेन सदस्य ऑडिट बोर्ड – I
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 22 जून, 2017

2016-17 वर्ष के लिए स्वचलित वित्तीय परिणाम

तुलन-पत्र 31 मार्च 2017 को यथा

राशि करोड़ ₹ में

विवरण				टिप्पणियाँ	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
परिसम्पत्तियाँ							
(1)	गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ						
	(क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		6	7,018.63	6,457.07	6,588.65
	(ख)	पूँजी कार्य - प्रगति में		7	514.65	656.30	546.12
	(ग)	अमूर्त आस्तियाँ		8	125.80	138.61	136.21
	(घ)	विकास अधीन अमूर्त आस्तियाँ		9	51.35	31.40	3.18
	(ङ)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
		(i)	निवेश	10	39.55	944.36	1.04
		(ii)	व्यापारिक प्राप्य	11	-	-	-
		(iii)	ऋण	12	80.60	107.33	107.35
		(iv)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	13	10.77	8.04	5.99
	(च)	अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ		15	1,004.51	1,023.43	885.49
	कुल गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ				8,845.86	9,366.54	8,274.03
(2)	चालू परिसम्पत्तियाँ						
	(क)	मालसूची		16	1,155.93	1,055.01	1,103.36
	(ख)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
		(i)	निवेश	10	1,221.13	66.00	1,021.06
		(ii)	व्यापारिक प्राप्य	11	184.25	235.21	120.82
		(iii)	नकद और नकद समतुल्य	17	24.83	654.42	3.68
		(iv)	ऊपर (iii) के अलावा बैंक शेष	17	2,262.40	4,448.73	4,797.30
		(V)	ऋण	12	36.70	30.20	38.61
		(vi)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	13	156.49	156.74	156.51
	(ग)	चालू कर आस्तियाँ		14	34.12	102.92	127.77
	(घ)	अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ		15	579.94	594.42	608.46
	कुल चालू परिसम्पत्तियाँ				5,655.79	7,343.65	7,977.57
कुल परिसम्पत्तियाँ					14,501.65	16,710.19	16,251.60
इक्विटी और देनदारियाँ							
(1)	इक्विटी						
	(क)	इक्विटी शेयर पूँजी		18	966.46	1,288.62	1,288.62
	(ख)	अन्य इक्विटी		19	9,239.33	11,906.13	11,634.99
	कुल इक्विटी				10,205.79	13,194.75	12,923.61
देनदारियाँ							
(2)	गैर-चालू देनदारियाँ						
	(क)	वित्तीय देनदारियाँ					
		(i)	व्यापारिक लेखा देय	21	19.61	16.30	19.82
		(ii)	अन्य वित्तीय देनदारियाँ	22	2.36	1.58	3.07
	(ख)	प्रावधान		23	328.11	301.12	325.48
	(ग)	आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)		24	1,245.58	1,164.11	1,115.29
	(घ)	अन्य गैर-चालू देनदारियाँ		25	48.27	50.38	42.42
	कुल गैर-चालू देनदारियाँ				**1,643.93**	**1,533.49**	**1,506.08**
(3)	चालू देनदारियाँ						
	(क)	वित्तीय देनदारियाँ					
		(i)	उधारी	20	51.09	-	-
		(ii)	व्यापारिक लेखा देय	21	844.46	639.56	566.57
		(iii)	अन्य वित्तीय देनदारियाँ	22	469.10	402.35	475.27
	(ख)	प्रावधान		23	117.07	87.15	87.31
	(ग)	अन्य चालू देनदारियाँ		25	1,170.21	852.89	692.76
	कुल चालू देनदारियाँ				2,651.93	1,981.95	1,821.91
	कुल देनदारियाँ				4,295.86	3,515.44	3,327.99
कुल इक्विटी और देनदारियाँ					14,501.65	16,710.19	16,251.60

वित्तीय परिणाम की संलग्न टिप्पणियाँ देखें

कृते निदेशक-मण्डल और उनकी ओर से

(सीएस के एन रवीन्द्र)
कार्यपालक निदेशक-
कंपनी सचिव

(के सी सामल)
निदेशक(वित्त))
डीआईएन: 03618709

(डॉ. तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 315104E

(सीए ललित कु. पतंगिया)
साझेदार (एम नं.: 053971)

कृते गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन -302039E

(सीए डॉ. बी एस कुण्डु)
साझेदार (एम नं.: 051221)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : मई 27, 2017

लाभ और हानि का विवरण 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए

राशि करोड़ ₹ में

			टिप्पणियाँ	31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
I	प्रचालनों से राजस्व		29	8,050.02	7,269.23
II	अन्य आय		30	408.27	605.13
III	कुल आय (I + II)			8,458.29	7,874.36
IV)	व्यय				
	(क)	खपत हुए कच्चे माल की लागत	31	1,181.79	1,104.41
	(ख)	कुल खपत हुई विद्युत एवं ईंधन	31	2,212.53	1,864.61
	(ग)	तैयार माल की मालसूचीऔर चालू कार्य में परिवर्तन	32	(96.59)	(8.99)
	(घ)	कर्मचारी परिलाभ व्यय	33	1,537.44	1,398.33
	(ङ)	वित्त लागत	34	(2.69)	3.27
	(च)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	35	480.36	426.12
	(छ)	उत्पाद शुल्क	36	506.98	452.27
	(ज)	अन्य व्यय	37	1,628.22	1,499.14
	कुल व्यय (IV)			**7,453.42**	**6,739.16**
V	विशिष्ट मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)			1,004.87	1,135.20
VI	**विशिष्ट मद**		38	40.15	(53.45)
VII	कर पर्व लाभ/हानि) (V - VI)			964.72	1,188.65
VIII	**कर व्यय**				
	(1)	चालू कर	39	219.52	366.93
	(2)	आस्थगित कर	39	76.67	34.61
IX	इस अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)			668.53	787.11
X	**अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)**				
	(i)	लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मद			
		परिभाषित परिलाभ योजना पर पुनर्मापन लाभ /(हानि)		13.88	41.06
	(ii)	लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदों से संबंधित आय कर	39	4.80	14.21
	इस अवधि के लिए अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)			9.08	26.85
XI	इस अवधि के लिए कुल विशद आय (IX+X) (लाभ/(हानि) और अवधि के लिए अन्य विशद आय समाविष्ट)			677.61	813.96
XII	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**				
	(1)	मूल (₹ में)	41	2.98	3.05
	(2)	मंदित (₹ में)	41	**2.98**	**3.05**

वित्तीय परिणाम की संलग्न टिप्पणियाँ देखें

कृते निदेशक-मण्डल और उनकी ओर से

(सीएस के एन रवीन्द्र)
कार्यपालक निदेशक-
कंपनी सचिव

(के सी सामल)
निदेशक(वित्त))
डीआईएन: 03618709

(डॉ. तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 315104E

(सीए ललित कु. पतंगिया)
साझेदार (एम नं.: 053971)

कृते गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन -302039E

(सीए डॉ. बी एस कुण्डु)
साझेदार (एम नं.: 051221)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : मई 27, 2017

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए

राशि करोड़ ₹ में

क.	इक्विटी शेयर पूँजी	
	01.04.2015 को यथा शेष	1,288.62
	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-
	31.03.2016 को यथा शेष	1,288.62
	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	
	शेयरों की वापस खरीद	(322.16)
	31.03.2017 को यथा शेष	966.46

ख.	अन्य इक्विटी				
		आरक्षित एवं अधिशेष			
	अन्य इक्विटी	पूँजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
	01.04.2015 को यथा शेष	-	11,461.10	173.89	11,634.99
	वर्ष के लिए लाभ	-	-	787.11	787.11
	अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	-	-	26.85	26.85
	वर्ष के लिए कुल विशद आय	**-**	**-**	**813.96**	**813.96**
	पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(128.86)	(128.86)
	पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर			(26.22)	(26.22)
	वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(322.16)	(322.16)
	वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर			(65.58)	(65.58)
	सामान्य आरक्षित को अंतिरत	-	-	-	-
	लाभ और हानि को इंड ए.एस. संक्रमण आरक्षित का हस्तांतरण	-		-	-
	31.03.2016 को यथा शेष	-	11,461.10	445.03	11,906.13
	वर्ष के लिए लाभ	-	-	668.53	668.53
	अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	-	-	9.08	9.08
	वर्ष के लिए कुल विशद आय	-	-	677.61	677.61
	इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी पर प्रीमियम	-	(2,512.81)	-	(2,512.81)
	इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी पर व्यय		(5.72)	-	(5.72)
	साधारण आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	322.16	(322.16)	-	-
	पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(144.97)	(144.97)
	पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर			(29.51)	(29.51)
	वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(541.22)	(541.22)
	वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर			(110.18)	(110.18)
	31.03.2017 को यथा शेष	322.16	8,620.41	296.76	9,239.33

वित्तीय परिणाम की संलग्न टिप्पणियाँ देखें -

कृते निदेशक-मण्डल और उनकी ओर से

(सीएस के एन रवीन्द्र)
कार्यपालक निदेशक-
कंपनी सचिव

(के सी सामल)
निदेशक(वित्त))
डीआईएन: 03618709

(डॉ. तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 315104E

(सीए ललित कु. पतंगिया)
साझेदार (एम नं.: 053971)

कृते गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन -302039E

(सीए डॉ. बी एस कुण्डु)
साझेदार (एम नं.: 051221)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : मई 27, 2017

नगदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि करोड़ ₹ में

		31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
क.	प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
	अवधि के लिए लाभ	668.53	787.11
	निम्न के लिए समायोजन:		
	लाभ या हानि में मान्य आय कर व्यय	296.19	401.54
	लाभ या हानि में स्वीकृत वित्तीय लागत	2.69	3.27
	लाभ या हानि में स्वीकृत ब्याज आय	(292.64)	(466.89)
	लाभ या हानि में स्वीकृत लाभांश आय	(8.78)	(5.19)
	अन्य गैर-चालू निवेशों की बिक्री से शुद्ध (लाभ)/हानि	-	(0.70)
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ)/हानि	0.10	1.11
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अधिदेशात्मक रूप से मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर उपजे शुद्ध (लाभ) / हानि	(77.81)	(74.49)
	अन्य परिसंपत्तियों पर स्वीकृत क्षति की हानि	56.93	63.01
	स्टोर्स, स्पेयर्स का मालभंडार बट्टे खाते डाला गया	27.96	9.61
	गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास और ऋण-परिशोधन	480.36	426.12
	शुद्ध विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	7.90	(5.98)
		1,161.23	1,138.52
	कार्यकारी पूँजी में संचलन:		
	माल-भंडार में (वृद्धि/कमी)	(129.56)	37.87
	व्यापारिक प्राप्य में (वृद्धि/कमी)	50.96	(114.39)
	ऋणों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि/कमी)	17.75	6.15
	अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि/कमी)	(49.52)	(62.30)
	व्यापारिक प्राप्य में (वृद्धि/कमी)	200.31	75.45
	अन्य वित्तीय देनदारियों में (वृद्धि/कमी)	21.25	(23.29)
	अन्य देनदारियों में (वृद्धि/कमी)	315.21	168.09
	प्रावधानों में (वृद्धि/कमी)	66.74	14.49
	प्रचालनों से सृजित (में प्रयुक्त) नगदी	**1,654.37**	**1,240.59**
	भुगतान किया गया आय कर	**(218.43)**	**(359.78)**
	प्रचालन गतिविधियों द्वारा सृजित (में प्रयुक्त) शुद्ध नगदी	1,435.94	880.81
ख.	निवेशन गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
	वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान	(184.00)	(66.00)
	वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से आमदनी	49.96	152.97
	संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में इक्विटी अधिग्रहण हेतु भुगतान	(38.47)	(0.04)
	बैंक के पास सावधि जमा के विमोचन से आमदनी	2,183.02	348.67
	अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	8.78	5.19
	बैंकों एवं अन्य से प्राप्त ब्याज	292.64	466.89
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूँजी अग्रिम सहित) के लिए भुगतान	(757.98)	(555.30)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से आय	16.53	4.85
	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान	(20.14)	(43.27)
	निवेशन गतिविधियों द्वारा सृजित (में प्रयुक्त) शुद्ध नगदी	1,550.34	313.96
ग.	वित्तपोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
	इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी के लिए भुगतान	(2,834.97)	-
	शेयर वापस-क्रय लागत के लिए भुगतान	(5.72)	-
	अल्पावधि उधारी से आमदनी	51.09	-
	भुगतान की गई वित्तीय लागत	(0.39)	(1.21)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	(686.19)	(451.02)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किए गए लाभांश पर कर	(139.69)	(91.80)
	वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा सृजित (में प्रयुक्त) शुद्ध नगदी	(3,615.87)	(544.03)
नगद या नगद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)		(629.59)	650.74
वर्ष के आरम्भ में नगद और नगद समतुल्य		654.42	3.68
वर्ष के अन्त में नकद और नकद समतुल्य		24.83	654.42
वित्तीय परिणाम की संलग्न टिप्पणियाँ देखें			

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े नगदी बहिर्प्रवाह/आय है, जैसा कि मामला हो।

कृते निदेशक-मण्डल और उनकी ओर से

(सीएस के एन रवीन्द्र)
कार्यपालक निदेशक-
कंपनी सचिव

(के सी सामल)
निदेशक(वित्त))
डीआईएन: 03618709

(डॉ. तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 315104E

(सीए ललित कु. पतंगिया)
साझेदार (एम नं.: 053971)

कृते गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन -302039E

(सीए डॉ. बी एस कुण्डु)
साझेदार (एम नं.: 051221)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : मई 27, 2017

लेखा पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी.1 सामान्य जानकारी

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, एक नवरत्न कम्पनी, खान मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (कें.सा.क्षे.उ.) है, जो कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निगमित हुई है और भारत के स्टॉक एक्सचेञ्जों में सूचीबद्ध है। यह कम्पनी एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के उत्पादन और बिक्री के कारोबार में संलग्न है। यह कम्पनी का ओड़िशा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में अवस्थित 22.75 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता के एल्यूमिना परिशोधक और ओड़िशा के अनुगुळ में 4.60 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता के एल्यूमिनियम प्रद्रावक का प्रचालन कर रही है। कंपनी के एल्यूमिना परिशोधक की बॉक्साइट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिशोधन संयंत्र के पास कंपनी की एक ग्रहीत बॉक्साइट खान है और प्रद्रावक की विद्युत खपत को पूरा करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र के पास एक 1200 मेगावाट का ग्रहीत तापज विद्युत संयंत्र है। साथ ही, कंपनी अक्षय ऊर्जा का दोहन करने और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा खरीद अनुबंध का अनुपालन करने के लिए 198.40 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ चार पवन विद्युत संयंत्र प्रचालित कर रही है जो आन्ध्र प्रदेश (गण्डीकोटा), राजस्थान (जैसलमेर और देवीकोट) तथा महाराष्ट्र (सांगली) में अवस्थित हैं।

टिप्पणी.2 अनुपालन का विवरण:

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कंपनी ने 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (जिसे "इंड ए.एस." कहा जाता है) को 1 अप्रैल 2015 की संक्रमण तारीख से अपनाया है। कंपनी के पहले इंड ए.एस. अनुवर्ती वित्तीय विवरणों प्रस्तुत करते हुए कंपनी के लिए लागू सभी अधिसूचित लेखा मानदंडों को बिना किसी अपवाद के ध्यान में रखा गया है और अनुपालन किया गया है।

टिप्पणी.3 उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

3.1 प्रचालनों का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण इंड ए.एस. और कम्पनी अधिनियम,2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए हैं।

जैसा कि नीचे लेखाकरण नीति में वर्णित है, कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़कर, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य में मापे जाते हैं, ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

कंपनी के प्रचालन चक्र और कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित मानकों के अनुसार सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 महीने का निर्धारित किया है।

3.2 अनुमानों का उपयोग:

ये वित्तीय विवरण इंड ए.एस. के मान्य और मापन सिद्धान्तों के साथ संपुष्टि में अनुमानों और धारणाओं के आधार पर तैयार किए गए हैं।

अनुमान और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और ऐसे अनुमानों में यदि कोई संशोधन हो तो उनका संशोधन के वर्ष में उचित रूप से लेखाकरण किया जाता है।

रिपोर्टिंग तारीख को आकलन की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत, जो भविष्य के वर्षों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण हो सकते हैं, टिप्पणी संख्या 4 में वर्णित हैं।

3.3 सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

एक सहयोगी एक संस्था होती है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशक के वित्तीय और परिचालन नीति के फैसले में भाग लेने की शक्ति है लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

एक संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति पर अधिकार हैं। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्र की हिस्सेदारी करने के लिए संविदात्मक सहमति है, जो केवल तब ही मौजूद रहती है जब प्रासंगिक गतिविधियों के फैसले के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी करनेवाले पक्षों को साझा करने वाली पार्टियों की एकमत से सहमति की जरूरत होती है।

वित्तीय साधन एसोसिएट और संयुक्त उपक्रमों में निवेश को इंड ए.एस. 109 - वित्तीय साधनों के अनुसार लागत में मापा जाता है।

सहयोगियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के खातों में जहाँ भी नकारात्मक रिजर्व के संकेत हों, सहयोगी और संयुक्त उपक्रमों में निवेश हानि के अधीन होता हैं। हालांकि, ऐसी हानि निवेश के मूल्य तक ही सीमित है।

3.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पूर्ण-स्वामित्व भूमि के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल के लिए लागत, घटाव संचित मूल्यह्रास और संचित दुर्बलता हानि पर वर्णित होते हैं। पूर्ण-स्वामित्व भूमि, जब तक बिगड़ी न हो, लागत पर वर्णित होती है।

3.5 आरंभिक मापन

प्रारंभिक लागत में खरीद मूल्य, गैर-वापसी योग्य खरीद कर, अधिग्रहण के लिए अन्य सीधे व्यय, उधार लेने की लागत, यदि कोई हो, संपत्ति को अपने स्थान पर लाने और इसके लिए जरूरी स्थिति लगाने के लिए हुआ खर्च जो प्रबंधन के द्वारा अपेक्षित तरीके से कार्य करने में सक्षम हो और किसी भी परिसंपत्ति पुनर्स्थापना दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक अनुमान या अनिवार्य बंद करने और विखण्डन लागत शामिल हैं।

भूमि की लागत के हिस्से के रूप में पूर्ण-स्वामित्व भूमि के विकास पर किए गए व्यय को पूंजीकृत किया गया है।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड्स के आबंटन और सीधे आरोप्य उधारी लागत, यदि कोई हो, शामिल है।

₹5 लाख से अधिक मूल्य प्रति एकक वाले स्पेयर-पुर्जे, जो कि संपत्ति, प्लांट और उपकरण के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करते हैं, वे संपत्ति, प्लांट और उपकरण के रूप में मान्य होते हैं। इसके अलावा, महत्वपूर्ण प्रकृति के स्पेयर्स और अनियमित उपयोग में हों, जिसे किसी विशेष उपकरण के लिए पहचाना जा सकता है और ₹1 लाख से अधिक प्रति युनिट मूल्य के हों, वे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्य होते हैं।

3.6 परवर्ती व्यय

परिसंपत्तियों और ओवरहॉल लागतों में पुर्जों को बदलने की लागत सहित प्रमुख निरीक्षण/रखरखाव या मरम्मत पर व्यय, जहाँ यह संभाव्य हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान कंपनी को उपलब्ध होंगे, का पूँजीकरण किया जाता है और बदले गए चिह्नित पुर्जो के धारक राशि को अमान्य किया जाता है।

3.7 पूँजी कार्य - प्रगति में

उत्पादन और/या सामान या सेवाओं या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए निर्माण के दौरान परिसंपत्तियाँ या जिनके लिए वर्गीकरण अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, को प्रगति में पूंजीगत कार्य में शामिल किया गया है और किसी भी मान्यता प्राप्त क्षति हानि को घटाकर लागत में लिया जाता है। ऐसे प्रगतिरत पूंजी कार्य, पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उचित संवर्ग में स्थानांतरित किये जाते हैं।

निवेश के निर्णय लिए जाने तक नई संभावित परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए खर्च को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। निवेश के निर्णय के बाद परियोजनाओं के लिए किए गए व्यय को प्रगतिरत पुँजीगत कार्य के तहत रखा जाता है और बाद में उसका पूंजीकरण किया जाता है।

3.8 मूल्यह्रास और ऋणशोधन

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के उनके उपयोगी जीवनकाल के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया गया हैं, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 और प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी अनुमानों के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवनकाल पर विचार करके निर्धारित किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक, उस लागत के साथ जो उस मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है, यदि इसका उपयोगी जीवनकाल संपत्ति के अन्य घटकों से अलग होता है। कंपनी ने पॉट रिलाईनिंग को छोड़कर एक अलग घटक की पहचान के लिए ₹ 1 करोड़ का एक बेंचमार्क चुना है, जो कि इसके निहित प्रकृति और उपयोगी जीवनकाल के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट के अंश के रूप में माना जाता है।

संयंत्र और मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण और मृतिका ढोने वाले उपकरणों, रेलवे सुविधाएँ, रोलिंग स्टॉक और आवासीय क्वार्टर के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत के 5% पर और सभी अन्य परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य को शून्य के रूप में माना जाता है।

अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाती है और परिवर्तन का प्रभाव, यदि कोई हो, तो भविष्य के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यह्रास के लिए विचार में ली गई संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल नीचे वर्णित है:

(क) बॉक्साइट खान में पर अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवनकाल, यदि संबंधित खानों पर बॉक्साइट भंडार की उपलब्धता की अवधि से अधिक है तो उसे उस अवधि तक सीमित किया जाता है। इस तरह की परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास बॉक्साइट भंडार की उपलब्धता की अवधि तक किया जाता है।

(ख) अनुगुळ में ग्रहीत तापज विद्युत उत्पादन संयंत्र के उपयोगी जीवनकाल को 30 वर्ष माना जाता है।

(ग) दामनजोड़ी में वाष्प विद्युत संयंत्र (एसपीपी) के उपयोगी जीवनकाल को 25 वर्ष माना जाता है।

(घ) एल्युमिना परिशोधक में लाल पंक तालाब और राख के तालाब तथा ग्रहीत विद्युत संयंत्र में राख के तालाब का उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन, अवधिवार किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर, उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया गया है।

(ङ) बॉक्साइट खानों की परिसंपत्तियों को छोड़कर पट्टेदार भूमि पर स्थापित संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को शेष पट्टे की अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के रूप में माना जाता है और तदनुसार मूल्यह्रास किया जाता है।

(च) जो भूमि कंपनी के स्वामित्व की नहीं है उस पर स्थापित संपत्ति का मूल्यह्रास, उस तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक किया जाता है, जिस तारीख को वह संपत्ति प्रबंधन की अपेक्षानुसार प्रचालन में सक्षम हो, जब तक कि लंबे/छोटे जीवनकाल तक निर्णीत न हो।

(छ) ₹10,000/- या उससे कम लागत वाले व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है जिसमें उनका इस्तेमाल करना है।

(ज) ऊपर उल्लिखित के अलावा अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण निम्नलिखित उपयोगी जीवनकाल के अधीन हैं।

क्रमसं.	परिसंपत्ति संवर्ग के विवरण (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)	वर्षों में उपयोगी जीवनकाल की सीमा
1	भवन	30-60
2	संयंत्र और मशीनरी	15-40
3	वाहन	08 - 10
4	फर्नीचर और जोड़नार	08 - 10
5	कंप्यूटर उपकरण	03 - 06

3.9 परिसंपत्तियों का निपटान

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की उसके निपटान पर मान्यता-रद्द कर दी जाती है या जब उस परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से कोई भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। निपटान पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

3.10 पुर्जे अलग करने की लागत:

सतह खनन में पुर्जे अलग करने की लागत एक परिसंपत्ति के रूप में पहचानी जाती है जब वे अयस्क तक महत्वपूर्ण उन्नत पहुँच का प्रतिनिधित्व करते हैं, बशर्ते सभी निम्न शर्तें पूरी होती हैं:

(क) यह संभावित है कि पुर्जे अलग करने की गतिविधि के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ का एहसास हो जाएगा;

(ख) अयस्क वस्तु का अंश जिसके लिए पहुँच में सुधार हुआ है उसे पहचाना जा सकता है; तथा

(ग) उन्नत पहुँच के साथ जुड़ी पुर्जे अलग करने की गतिविधि से संबंधित लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

उत्पादन चरण के दौरान व्यय की गई पुर्जे अलग करने की लागत को "पुर्जे अलग करने की लागत" परिसंपत्ति में जोड़ा जाता है, जो वर्तमान अवधि के पुर्जे अलग करने की लागत का अनुपात परियोजित पुर्जे अलग करने की लागत के अनुपात से अधिक है।

पुर्जे अलग करने की गतिविधि की संपत्ति का बाद में, र्जे अलग करने की गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हुई अयस्क वस्तु के अंश के जीवनकाल के आधार पर उत्पादन की एक इकाई पर मूल्यह्रास किया जाता है और लागत में से संचित मूल्यह्रास और किसी संचित क्षति हानि को घटाकर दर्शाया जाता है।

3.11 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

3.11.1 अलग से अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत से संचित ऋणशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्ज किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्ति का ऋणशोधन उनके अनुमानित जीवनकाल पर किया जाता है। अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और ऋणशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, ओर अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव को भावी संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3.11.2 आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति - अनुसंधान और विकास व्यय

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माना गया पूँजी व्यय को छोड़कर अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें यह खर्च किया जाता है।

विकास से उत्पन्न एक आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्ति मान्य होती है, यदि और केवल यदि, इंड ए.एस. 38 - अमूर्त परिसंपत्ति में निर्धारित सभी शर्तों पूरी होती हों।

3.11.3 खनन अधिकार

खनन अधिकारों की लागत में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए भुगतान की गई राशि और नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित उच्चतम धनराशि शामिल हैं।

खनन अधिकारों की लागत का ऋणशोधन खनन संपत्ति के कुल अनुमानित शेष वाणिज्यिक भंडारों पर किया जाता है और हानि की समीक्षा के अधीन हैं।

3.11.4 खान विकास व्यय

व्यावसायिक उत्पादन से पहले खानों के विकास के लिए किए गए व्यय अर्थात, भूमि, निर्माण, भवन, संयंत्र और उपकरण के अलावा प्राथमिक विकास व्यय का पूँजीकरण तब तक होता है जब तक कि खनन संपत्ति वाणिज्यिक उत्पादन में सक्षम नहीं हो।

3.11.5 उपयोगकर्ता अधिकार:

भविष्य के आर्थिक लाभ वाले क्लस्टर परियोजना में किए गए व्यय की राशि, सह-लाभार्थियों के अनन्य उपयोग के साथ, लेकिन परिसंपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण के बिना उपयोगकर्ता के अधिकार के रूप में पूँजीकृत की गई हैं।

3.11.6 सॉफ्टवेयर

अलग से अधिग्रहीत ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर (आर.डी.बी.एम.एस., साईबेस, ईआरपी / एसएपी) सॉफ्टवेयर के रूप में पूँजीकृत हुए हैं।

3.11.7 लाइसेंस और फ्रेंचाइज

प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय की राशि को "लाइसेंस और फ्रेंचाइज" शीर्षक के अंतर्गत अमूर्त के रूप में पूँजीकृत किया गया है।

3.11.8 अमूर्त आस्तियों की मान्यता रद्द करना

एक अमूर्त परिसंपत्ति निपटान पर रद्द कर दी जाती है, जब उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं हो। किसी अमूर्त परिसंपत्ति के उन्मूलन से पैदा होने वाले लाभ या हानि को, जब उस परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.11.9 ऋणशोधन

उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अमूर्त संपत्ति के परिशोधन का आधार निम्नानुसार है:

(क) प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारियों की प्रकृति में लाइसेंस जो कि संबंधित प्रसंस्करण संयंत्रों के उपयोगी जीवनकाल के लिए उपलब्ध हैं, दस वर्षों की अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ख) अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत सॉफ़्टवेयर 3 वर्ष का उपयोगी जीवनकाल रखते हैं।

(ग) खनन अधिकार और खान विकास के खर्च की उपलब्धता की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता हैं।

(घ) क्लस्टर परियोजनाओं के लिए उपयोक्ता अधिकार, चालू होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि में परिशोधित होते है।

3.12 मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी वास्तविक और अमूर्त परिसंपत्ति के धारक राशि की समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में क्षति की हानि हुई है, यदि कोई हो। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि (यानी उचित मूल्य के उच्चतर में लागत घटाकर बेचने और और उपयोग-में-मूल्य) का अनुमान लगाकर क्षति से हानि, यदि कोई हो, की सीमा निर्धारित की जाती है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, तो कंपनी उस परिसंपत्ति की नकद-सृजक इकाई (सीजीयू) की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि किसी परिसंपत्ति (या सीजीयू) की वसूली योग्य राशि को इसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान लगाया गया है, तो परिसंपत्ति (या सीजीयू) की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है और वहन राशि और वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि विवरण में क्षति हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.13 कार्यात्मक और विदेशी मुद्राएँ

वित्तीय विवरणों में शामिल मद प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है अर्थात् भारतीय रुपया जिसमें कंपनी का संचालन होता है। कंपनी की कार्यात्मक और रिपोर्टिंग मुद्रा भारतीय रुपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में प्रस्तुत किए जाते हैं।

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में, विदेशी मुद्राओं में लेनदेन अर्थात संस्था की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं, को लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, उस तारीख में प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक वस्तुओं का अंतरण किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर, को लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

3.14 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

3.14.1 प्रावधान

किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को पहचाना जाता है और यह संभव है ("नहीं की तुलना में अधिक संभावना") कि दायित्व तय करने के लिए इसका आवश्यकता है, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, तुलन पत्र की तारीख को वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए दायित्वों के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए आवश्यक विवेचन का सबसे अच्छा अनुमान है। जहाँ वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए अनुमानित नकद बहिर्वाह का उपयोग करके एक प्रावधान मापा जाता है, इसकी वहन राशि उन नकदी बहिर्वाहों का वर्तमान मूल्य है। उपयोग की जाने वाली छूट की दर कर-पूर्व जोखिम मुक्त रिटर्न है जो उस क्षेत्राधिकार में धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और देयता के लिए विशिष्ट जोखिम दर्शाती है।

(क) पुनर्स्थापना, पुनर्वास और डीकमिशनिंग

जब विकास या किसी खदान और अन्य विनिर्माण सुविधाओं के चल रहे उत्पादन के कारण पर्यावरण बिगड़ने की घटना होती है तो पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पर्यावरणीय लागत का खर्च करने के लिए एक दायित्व उत्पन्न होता है। कंपनी ने सांविधिक अधिदेश के मुताबिक दायित्व बहाली, पुनर्वास और निधि देनदारी को मान्यता दी है।

इस तरह की लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रदान किया जाता है और प्रत्येक परियोजना के प्रारंभ में एक समान राशि का पूँजीकरण किया जाता है। इन लागतों को परिसंपत्ति के जीवनकाल भर में मूल्यह्रास रियायती दायित्व को खोलने के माध्यम से और लाभ या हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। लागत अनुमानों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और ज्ञात विकास कार्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है, जिनका लागत अनुमान या प्रचालनों के जीवनकाल पर असर पड़ सकता है। अद्यतन लागत अनुमान, प्रचालन-काल में परिवर्तन, नई

बाधाओं और छूट दरों के संशोधन जैसे कारकों के कारण प्रावधान में हुए बदलावों के लिए संबंधित परिसंपत्ति की लागत को समायोजित किया जाता है। परिसंपत्तियों की समायोजित लागत का उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल पर संभावित रूप से मूल्यह्रास होता है जिससे वे संबंधित हैं। लाभ या हानि के विवरण में छूट के खोलने को वित्त और अन्य लागत के रूप में दिखाया गया है।

(ख) पर्यावरणीय देनदारियाँ

पर्यावरणीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर्यावरणीय क्षति को सुधारने या सुधारात्मक निष्पादन करने के लिए कानूनी तौर पर या रचनात्मक तौर पर बाध्य होती है।

(ग) मुकदमेबाजी

एक बार यह स्थापित होने के बाद कि, रिपोर्टिंग की तारीख तक उपलब्ध जिस सूचना के विवेचन पर आधारित कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व है, प्रावधान को एक बार मान्यता दी जाती है।

3.14.2 प्रासंगिक देनदारियाँ

आकस्मिक देनदारियाँ संभवत: पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जिसके अस्तित्व को केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं होने या न होने की पुष्टि हो, जो से पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हों। प्रासंगिक देनदारियाँ वित्तीय विवरणों में प्रकट होती हैं जब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं है।

3.14.3 आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरण में मान्य नहीं की गई है, लेकिन जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है तो उनका खुलासा किया जाता है।

3.15 पट्टे

किसी पट्टे के आरम्भ के समय, पट्टा-व्यवस्था की विषय-वस्तु के आधार पर पट्टे की व्यवस्था या तो वित्त पट्टा या ऑपरेटिंग पट्टा के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

3.15.1 वित्त लीज पर ली गई परिसंपत्तियाँ

वित्तीय पट्टे वे हैं जो पट्टेदार को स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों और पुरस्कार को हस्तांतरित करते हैं।

वित्त पट्टों को पट्टा के प्रारंभ में, संपत्ति के उचित मूल्य के निचले हिस्से में या न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य में पूँजीकृत किया जाता है। पट्टादाता के लिए इसी देयता को वित्तीय पट्टा दायित्व के रूप में तुलन-पत्र में शामिल किया गया है। पट्टे के भुगतान को वित्त प्रभार और पट्टे के दायित्व में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष अंश पर ब्याज की निरंतर दर उपलब्ध हो सके। वित्त प्रभार सीधे पट्टे की अवधि के दौरान आय के विरुद्ध प्रभारित किए जाते हैं।

3.15.2 परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियाँ

वित्त पट्टों के अलावा अन्य पट्टे, प्रचालन पट्टे होते हैं और उन पट्टा परिसंपत्तियाँ कंपनी के तुलन-पत्र में में मान्यता दी गई है। प्रचालन पट्टों के तहत किए जाने वाले अपफ्रंट पट्टे का भुगतान, पट्टे की अवधि के मुकाबले लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं। परिचालन पट्टों पर ली गई संपत्ति / सुविधाओं के लिए किराया और रखरखाव प्रभार का भुगतान उस अवधि में राजस्व के लिए लिया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

3.16 माल-भंडार

कोयला और ईंधन तेल जैसे थोक सामग्री सहित कच्चे माल की सूची, जहाँ कहीं भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट की लागत नेट पर मूल्यांकित होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करने वाली वस्तुओं के अलावा स्टोर और पुर्जों को जहाँ भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट के लागत-नेट में मूल्यांकित किया जाता है।

धारित स्टोर और पुर्जो को (संपत्ति, प्लांट और उपकरण के रूप में माने जाने वाले प्रमुख पुर्जों के अलावा), लेकिन जो 5 वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किए गए हैं, लागत के 5% पर मूल्यांकित किया जाता है।

उत्पादन में उपयोग के लिए सामग्री और अन्य आपूर्तियों (गैर-चल के रूप में माने जाने वाले के अलावा) को लागत से नीचे नहीं डाला जाता है, यदि तैयार माल, जिसमें उनका उपयोग शामिल हो, और उपरोक्त लागत पर बिक्री होने की आशा हो। इन्हें लागत से कम शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर वर्णित किया जाता है, यदि वे तैयार उत्पाद जिसमें वे शामिल हैं, उन्हें लागत से नीचे बेचा जाता है।

ऊपर बताए गए अनुसार कच्चे माल, भंडार और पुर्जों की लागत, भारित औसत मूल्य के संचलन पर निर्धारित होती है।

तैयार माल, अर्द्ध-तैयार माल, मध्यस्थ उत्पाद तथा प्रगतिरत प्रक्रिया के माल-भंडार और प्रक्रिया स्क्रैप सहित इनकी लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है। आम तौर पर लागत का निर्धारण माल की संचलित भारित औसत कीमत, श्रम के उचित हिस्से और संबंधित ओवरहेड्स पर होता है। शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य, रिपोर्टिंग की तारीख पर उपलब्ध व्यापार के सामान्य प्रक्रियाक्रम में बिक्री करने के लिए जरूरी अनुमानित लागत घटाकर अनुमानित बिक्री मूल्य है।

आंतरिक रूप से सृजित स्क्रैप का मालभंडार, शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित होता है।

3.17 व्यापारिक प्राप्य

व्यापार प्राप्तियाँ व्यापार के सामान्य क्रम में बेचे गए सामान या सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य होने वाली राशि हैं। यदि संग्रह को रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों या उससे कम अवधि के भीतर एकलित किए जाने की उम्मीद है, तो उन्हें मौजूदा परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अन्यथा गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेन-देन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इनका अनुबंध में अंतर्निहित महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन न हो।

3.18 वित्तीय उपस्करण

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधनों के संविदागत प्रावधानों का पक्ष बनती है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागत को, जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं(लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के अलावा वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयताएँ) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य होती है, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

3.18.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

क) नकद या नकद समतुल्य:

कंपनी सभी अल्पकालिक बैंक जमा राशि को तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि को नकद और नकद समकक्ष मानती है। बैंक में 3 महीनों से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा को अन्य बैंक बैलेंस के रूप में माना जाता है।

ख) परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागतों पर मापा जाता है, यदि वित्तीय संपत्ति एक व्यापार मॉडल में आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तों को निर्दिष्ट तारीखों को नकद प्रवाह के लिए उगाना है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

ग) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय संपत्ति एक कारोबारी मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करना और वित्तीय संपत्ति बेचना है और इन वित्तीय परिसंपत्तियाँ की संविदात्मक शर्तों के द्वारा निर्दिष्ट तारीखों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है, जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करते हैं।

घ) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय संपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य विस्तृत वस्तु के माध्यम से परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर मापी न जाए। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से लेनदेन लागत लाभ या हानि के विवरण में तुरंत मान्य होती है।

3.19 वित्तीय देनदारियाँ

व्यापार और अन्य देनदारी को शुरू में लेनदेन लागत पर मापा जाता है। अन्य वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

3.20 वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता-रद्द करना

कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब मान्यता-रदद करती है, जब परिसंपत्ति की समाप्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार समाप्त होते हैं, या जब यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित करती है और परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से अन्य पक्ष को हस्तांतरित करती है।

3.21 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को, कंपनी आकलन करती है कि प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है या नहीं।

अगर, रिपोर्टिंग की तारीख को, एक वित्तीय साधन के क्रेडिट जोखिम में प्रारंभिक मान्यता से काफी वृद्धि नहीं हुई है, तो कंपनी उस वित्तीय साधन के लिए 12 महीने के अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापती है। अगर, किसी वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम में प्रारंभिक मान्यता से काफी वृद्धि हुई है, तो कंपनी उस वित्तीय साधन के जीवनकाल के लिए अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापती है।

रिपोर्टिंग तारीख को हानि भत्ता को समायोजित करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों (या व्युत्क्रमण) की मात्रा को लाभ और हानि के विवरण में एक क्षति लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी गई है।

3.22 वित्तीय देनदारी का उन्मूलन

कंपनी वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता देती है जब, और केवल जब, कंपनी के दायित्वों को मुक्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है या समाप्ति हो जाती है।

3.23 वित्तीय साधनों को ऑफसेट करना

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ ऑफसेट हैं और तुलन-पत्र में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि है, जब मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का कानूनी तौर पर अधिकार लागू होता है और निवल आधार पर समझौता करने या एक साथ परिसंपत्ति की वसूली करने और दायित्व तय करने का अभिप्राय होता है। कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए और व्यापार के सामान्य प्रकार में लागू होना चाहिए।

3.24 संजात

डिराइवेटिव साधन यथा- आगे विदेशी मुद्रा संविदाओं को संजात संविदाओं के दर्ज होने की तारीख को उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य के लिए फिर से मापा जाता है। परिणामी लाभ या हानि को तुरंत लाभ या हानि के बयान में मान्यता दी जाती है।

3.25 उधार लागत

उधार लेने की लागत सीधे उन संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होती है जो उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दी जाती है, जब तक संपत्ति उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होती है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

3.25क सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन

सरकारी अनुदान तब मान्य है जब उचित आश्वासन होता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदान लाभ और हानि के विवरणों में एक अवधि के आधार पर व्यवस्थित आधार पर मान्य होती है जिसमें कंपनी संबंधित लागतों के खर्च के रूप में पहचान करती है, जिसको क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान देने का अभिप्राय होता है। सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक स्थिति यह है कि कंपनी को गैर-चालू संपत्ति खरीदना, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, उन्हें तुलन-पत्र में आस्थगित आय के रूप में अनुदान स्थापित करके मान्यता दी गई है और लाभ या हानि में व्यवस्थित रूप से उपयोगी जीवनकाल के आधार पर स्थानांतरित किया जाता है।

अन्य सरकारी अनुदान (आय से जुड़ी अनुदान) को उन समयावधि के अनुसार आय के रूप में पहचाना जाता है, जिनके लिए उन्हें लागत के साथ मिलान करने के लिए एक व्यवस्थित आधार पर क्षतिपूर्ति करना होता है। लाभ और हानि के विवरण में आय से संबंधित अनुदान अन्य आय के तहत प्रस्तुत किए जाते हैं।

3.26 कर्मचारी लाभ

3.26.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ

मजदूरी और वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्तित अनुपस्थितियाँ आदि लाभों के संबंध में कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के लिए एक दायित्व मान्य है, जो संबंधित अवधि में की गई सेवा हेतु अपेक्षित छूट-रहित भुगतानयोग्य राशि पर किया जाता है।

3.26.2 नियुक्ति पश्चात् और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क) परिभाषित अंशदान योजनाएँ

एक परिभाषित योगदान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग इकाई के लिए निश्चित अंशदान का भुगतान करती है। परिभाषित योगदान में अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएँ एक व्यय के रूप में मान्य होती हैं, जब कर्मचारी ने इस तरह के अंशदान के लिए हकदार बनानेवाली सेवा प्रदान की है।

ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत, प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में किए गए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मापन लाभ और की हानि अन्य विशद आय में तुरंत मान्य की जाती हैं। सेवा लागत को, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी पर ब्याज की शुद्धता को रोजगार की लागतों के भीतर शुद्ध व्यय के रूप में माना जाता है।

पिछली सेवा लागत को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब योजना में संशोधन या कटौती होती है या जब कोई भी संबंधित पुनर्गठन लागत या समाप्ति लाभ मान्यता प्राप्त होते हैं।

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित-लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाता है जो कि योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम होता है।

ग) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताएँ रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपेक्षित अनुमानित भविष्य के नकद बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य से मापी जाती है। परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए उपयोग किए गए एक ही लेखा पद्धति का उपयोग करके इन लाभों की अपेक्षित लागत रोजगार की अवधि में उपार्जित की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले से उपजे जीवनांकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित या जमा किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा इन दायित्वों का सालाना मूल्यांकन किया जाता है।

3.27 राजस्व मान्यता

प्राप्त होने वाले या प्राप्ति के उचित मूल्य पर राजस्व को मापा जाता है। अनुमानित छूट और अन्य तत्समान भत्ते से राजस्व कम हो गया है।

3.27.1 माल की बिक्री

कंपनी को मुख्य रूप से एल्यूमिना और एल्यूमिनियम उत्पादों की बिक्री से राजस्व प्राप्त होता है।

जब सभी निम्नलिखित मानदंड संतुष्टि से पूरे हों तभी कंपनी राजस्व मान्य करती है:

(i) ग्राहक के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ii) आमतौर पर स्वामित्व से जुड़े सामानों के साथ कोई भी जारी प्रबंधन शामिल नहीं किया जाता है, और बेचे जाने वाले सामानों पर प्रभावी नियंत्रण भी नहीं रखा गया है;

(iii) राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;

(iv) यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी के पास प्रवाहित होंगे;

(v) विवेचन की वसूली उचित रूप से आश्वासित है।

3.27.2 ऊर्जा की बिक्री

पवन ऊर्जा की बिक्री संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित कीमत पर डिस्कोम्स को प्रेषित ऊर्जा के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र से विद्युत की बिक्री को राज्य के ग्रिड को इंजेक्टेड मात्रा के आधार पर माना जाता है जिसमें परिशोधक को व्हीलिंग करने को छोड़कर, लेकिन उचित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कीमत पर अनिश्चित ऊर्जा इंजेक्शन भी शामिल है।

ऊर्जा की बिक्री से राजस्व मान्यता प्राप्त है अगर

i. राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;

ii. यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी के पास प्रवाहित होंगे;

iii. विवेचन की वसूली उचित रूप से आश्वासित है।

3.27.3 लाभांश और ब्याज से आय

क) लाभांश

लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश को मान्य किया जाता है।

ख) ब्याज

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय मान्य की जाती है, जब यह संभाव्य है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रमुख बकाया और प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में, ब्याज आय समय के आधार पर अर्जित किया जाता है।

ग) सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन से आय

कर्तव्य की प्रकृति में सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन और निर्यात पर निर्यात प्रोत्साहन (एमईआईएस) और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के निर्माण पर प्रोत्साहनों को इसके अंतर्गत प्रदान की गई शर्तों के अनुपालन पर संबंधित क़ानून के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

3.28 आय कर

कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर की राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

3.28.1 वर्तमान कर

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्तमान कर व्यय वर्ष के लिए कर-योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान कर देयताएँ (परिसंपत्तियाँ) कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए भुगतानयोग्य (या वापस वसूली) की अपेक्षित राशि में मापा जाता है जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हुए हैं और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन में शामिल हैं।

3.28.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर-व्यय या आय वित्तीय विवरणों में संपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संबंधित कर-आधार के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता प्राप्त हैं।

आस्थगित कर-संपत्ति और देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है, जिनकी गणना उस अवधि के लिए होती है जब परिसंपत्ति मान्य हो जाती है या देनदारी का निर्धारण हो जाता है, कर-दरों और कर-कानूनों के आधार पर जो अधिनियमित या वास्तविक रूप से रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किए गए हैं। अन्य विशद आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित टैक्स विशद आय के विवरण का हिस्सा है।

सभी संपत्तियों और देनदारियों के कर-आधारों के बीच की रिपोर्टिंग तारीख और वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए उनकी बकाया राशि के बीच सभी अस्थायी अंतर पर आस्थगित कर प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन मात्रा की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक समायोजित किया जाता है कि यह संभावित हो जाए कि परिसंपत्ति की वसूली करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

3.29 असाधारण मद

असाधारण मद साधारण गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर आय और व्यय के सामान हैं लेकिन ऐसे आकार, प्रकृति या घटनाओं के कारण कंपनी के निष्पादन के बेहतर स्पष्टीकरण के लिए जिनका प्रकटीकरण जरूरी है।

3.30 महत्वपूर्ण भूल / चूक का पुनःविवरण

भूलों और चूकों के मूल्य को समझा जाता है कि यदि पूर्वावधि आय / व्यय का कुल प्रभाव 50 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो प्रस्तुत की गई सबसे पहले की अवधि के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों और इक्विटी के आरम्भिक शेष को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

टिप्पणी सं.4 महत्वपूर्ण लेखा निर्णय और आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के लिए प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि उन मामलों के बारे में जो अंतर्निहित रूप से अनिश्चित हैं,जटिल और / या व्यक्तिपरक निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाए। ये अनुमान और धारणाएँ रिपोर्ट की अवधि के दौरान संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की मात्रा के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक देनदारियों और संपत्तियों के प्रकटीकरण और राजस्व और व्यय को भी प्रभावित करती हैं।

अनुमान और संबद्ध मान्यताएँ पिछले अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होती हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। उस अनुमानित अवधि में लेखा अनुमानों को मान्य किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है।

4.1 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय:

निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय है, उन अनुमानों के अलावा, जो प्रबंधन ने कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में बनाए हैं और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है:

प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधित लागत पर रिपोर्टिंग अपने व्यवसाय मॉडल के प्रकाश में उचित होगी और कंपनी के सकारात्मक इरादे और संविदागत नकदी प्रवाह को जमा करने के लिए इन वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने की क्षमता की पुष्टि कर दी है।

4.2 अनिश्चितता के आकलन के मुख्य स्रोत:

निम्नलिखित भविष्य के बारे में प्रमुख धारणाएँ हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता के आकलन के अन्य प्रमुख स्रोत हैं जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की माला में महत्वपूर्ण समायोजन पैदा करने का एक बड़ा जोखिम हो सकता है:

4.2.1 क्षति

एसोसिएट्स और अन्य निवेशों में निवेश, ऋण और अग्रिम, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की हानि के लिए समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन मूल्य पूरी तरह से वसूली योग्य या कम से कम वार्षिक रूप से नहीं हो सकता है।

नगदी सृजन करनेवाले एककों के भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमान, जो परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं, भविष्य के प्रचालनों के बारे में उम्मीदों पर आधारित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्पादन और बिक्री की माला, वस्तु की कीमतों, भंडार और संसाधनों के संचालन, पुनर्वास व संचालन की लागत और पूंजीगत व्यय के अनुमान शामिल होते हैं।

4.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा करती है। इस पुनर्मूल्यांकन के कारण भविष्य में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

4.2.3 खनन भंडार का आकलन:

खनिज भंडार के अनुमान में परिवर्तन जहाँ संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल परियोजना के जीवनकाल तक सीमित हैं, जो बदले में आरक्षित की संभावित और आर्थिक व्यवहार्यता के जीवनकाल तक सीमित है, मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्षण, भूविज्ञान और भंडार निर्धारण में विशेषज्ञों द्वारा खानों में बॉक्साइट भंडार का अनुमान लगाया जाता है और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आईबीएम) को पेश की गई अनुमोदित खनन योजना पर आधारित है।

4.2.4 नियुक्ति पश्चात् लाभ के लिए देनदारी

नियक्ति पश्चात् देनदारियाँ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर होते हैं, जो बारी-बारी से यथार्थवादी बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है।

4.2.5 प्रावधान और आकस्मिक देनदारियाँ:

कर, कानूनी, बहाली और पुनर्वास, संविदात्मक और अन्य जोखिम या दायित्वों सहित एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, किसी भी ब्याज, शुल्क सहित, दायित्वों के चतुर्दिग के जोखिम और अनिश्चितताओं को हिसाब में लेते हुए संबंधित देनदारियों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक विचारों का सबसे अच्छा अनुमान हैं। कंपनी अपनी देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन करती है, जो उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना, प्रासंगिक कर और अन्य कानूनों, आकस्मिकताओं और अन्य उपयुक्त आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं।

4.2.6 उचित मूल्य माप और मूल्यांकन प्रक्रिया:

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए, उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो उचित मूल्य माप के लिए अपने स्वरूप में पूरी तरह उचित मूल्य माप के लिए इनपुट का महत्व समझकर इनपुट के विचारयोग्य आकलन की डिग्री पर आधारित होते हैं, निम्नलिखित अनुसार वर्णन किया गया है:

- स्तर 1 निविष्टियाँ समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में भाव बोली के मूल्य (असंजित) हैं, जिन तक माप की तारीख पर कंपनी की पहुँच हो सकती है;
- स्तर 2 की निविष्टियां वे इनपुट हैं, जो स्तर 1 के भीतर शामिल बोली लगाई गई कीमतों के अलावा, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन किया जा सकता है; तथा;
- स्तर 3 के इनपुट परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन नहीं किए जा सकने वाली निविष्टियाँ हैं।

टिप्पणी 5. पहली बार अंगीकरण- अनिवार्य अपवाद, वैकल्पिक छूट

कंपनी ने इंड ए.एस. 101 के अनुसार सभी लागू लेखा मानकों (इंड ए.एस.) को अपनाया है - भारतीय लेखा मानक का पहली बार अंगीकरण किया गया है। कंपनी ने भारतीय जी.ए.ए.पी. से संक्रमण किया है जो कि इसकी पिछली जी.ए.ए.पी. है, जैसा कि इंड ए.एस. 101 में परिभाषित किया गया है जिसमें शेयरधारकों की इक्विटी के पुनर्मिलान और विशद शुद्ध आय से संबंधित पिछला जी.ए.ए.पी. से इंड ए.एस. को संक्रमण के आवश्यक खुलासे हैं।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण इंड ए.एस. के अनुसार तैयार किए गए पहले वित्तीय विवरण हैं। इंड ए.एस. को अपनाने से पहले कंपनी, और 31 मार्च 2016 को समाप्त

वर्ष सहित सभी अवधियों के लिए कंपनियों के (लेखा मानक) नियम, 2006 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांत ('भारतीय जी.ए.ए.पी.' के रूप में एक साथ संदर्भित) के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों प्रस्तुत कर रही थी।

5.1 समग्र सिद्धांत

कंपनी ने सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्य करके 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण की तारीख) पर इंड ए.एस. के अनुसार आरम्भिक शेष राशि प्रस्तुत की है, जिनकी मान्यता इंड ए.एस. द्वारा जरूरी है, ऐसी संपत्ति और देनदारियों को मान्य नहीं कर रही है जो इंड ए.एस. की अनुमेय नहीं है, जो कि मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों के माप के रूप में इंड ए.एस. को लागू करके इंड ए.एस. के तहत अर्हता के रूप में पिछले जीएएपी से इंड ए.एस. को पुनर्वर्गीकरण करने के द्वारा की गई है। हालांकि, यह सिद्धांत कुछ अपवाद और कंपनी द्वारा उपलब्ध की गई कुछ वैकल्पिक छूटों के शर्ताधीन है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

5.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय उत्तरदायित्वों के उन्मूलन

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण की तारीख) पर या उसके बाद होने वाले लेनदेन के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को अमान्य करने की आवश्यकताओं को लागू किया है।

5.1.2 ऋण साधनों का वर्गीकरण

कंपनी ने अपने ऋण साधनों के वर्गीकरण को निर्धारित किया है कि क्या वे संक्रमण की तारीख के अनुसार मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अन्य विशद आय (एफवीटीओसीआई) मानदंडों के माध्यम से परिशोधित लागत मानदंडों या उचित मूल्य के अनुरूप हैं या नहीं।

5.1.3 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी ने इंड ए.एस. 109 की हानि अर्हताओं को अतीतलक्षी ढंग से लागू किया है; हालांकि, इंड ए.एस. 101 द्वारा जैसे कि अनुमति दी गई है, इसने उचित और सहायक जानकारी का उपयोग किया है जो कि अनुचित लागत या क्रेडिट जोखिम को निर्धारित करने के प्रयास के बिना उपलब्ध है, जो कि संक्रमण की तारीख को वित्तीय साधनों के जोखिम के साथ तुलना करने के लिए प्रारम्भ में मान्य किए गए थे। इसके अलावा, कंपनी ने इंड ए.एस. के लिए संक्रमण की तारीख को, यह निर्धारित करते समय, जानकारी के लिए विस्तृत खोज नहीं की है, कि इंड ए.एस. 101 की अनुमति के अनुसार प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं।

5.1.4 सन्निहित संजात का आकलन

कंपनी ने मूल्यांकन किया है कि क्या एक सन्निहित संजात को मेजबान अनुबंध से अलग करने की आवश्यकता है और उन शर्तों के आधार पर व्युत्पन्न करने हेतु जिम्मेदार है, जो उस तारीख के बाद मौजूद थीं, जो पहले अनुबंध के लिए एक पार्टी बन गई थी और उस तारीख को अनुबंध की शर्तों में एक परिवर्तन किया गया है जो काफी नकदी प्रवाह को संशोधित करता है जो अनुबंध के तहत अन्यथा आवश्यक होगा।

5.1.5 पिछले व्यापार संयोजन

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 की संक्रमण की तारीख से पहले हुए पूर्व व्यापार संयोगों को पूर्वव्यापी रूप से व्यावसायिक संयोजनों के रूप में इंड ए.एस.103 लागू न करने का निर्णय लिया है। नतीजतन,

- कंपनी ने अपने पिछले जी.ए.ए.पी. वित्तीय विवरणों के अनुसार पिछले व्यापार संयोजनों के लिए समान वर्गीकरण रखा है;
- कंपनी ने उन परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी है जिन्हें अधिग्रहणकर्ता के तुलन-पत्र में पिछले जीएएपी के अनुसार नहीं माना गया था और वे अधिग्रहण-कर्ता की अलग-अलग तुलन-पत्र में इंड ए.एस. के अनुसार मान्यता के लिए भी अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं;
- कंपनी ने अपने पिछले तुलन-पत्र से पिछले जीएएपी के अनुसार मान्यता प्राप्त वस्तुओं को बाहर रखा है जो इंड ए.एस. के तहत परिसंपत्ति या दायित्व के रूप में मान्यता के लिए योग्य नहीं हैं; व्यापार संयोजन के संबंध में उपरोक्त छूट भी सहयोगियों में निवेश के पिछले अधिग्रहण और संयुक्त उद्यमों में रुचि के लिए लागू की गई है, जैसा कि इंड ए.एस. 103 में परिभाषित किया गया है।

5.1.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के लिए विचारित लागत

कंपनी ने अपने सभी संयंत्रों और उपकरणों और अमूर्त संपत्तियों के वहन मूल्य को 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण तारीख) के रूप में मान्यता दी है, जो पिछले जीएएपी के अनुसार मापा जाता है और संक्रमण की तारीख को इसकी विचारित लागत के रूप में उस मूल्य का उपयोग करता है।

5.1.7 सहायक, सहयोगी और संयुक्त उपक्रमों में निवेश के लिए विचारित लागत

कंपनी ने अपने सभी सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के वहन मूल्य को 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण तारीख) के रूप में मान्यता दी है, जो पिछले जीएएपी के अनुसार मापा जाता है और संक्रमण की तारीख को इसकी विचारित लागत के रूप में उस मूल्य का उपयोग करता है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
निम्न की राशि को लेकर			
पूर्ण स्वामित्व की भूमि	84.33	71.33	71.33
भवन	564.63	560.48	554.30
संयंत्र और उपकरण	6,300.69	5,751.95	5,895.13
फर्नीचर और जोड़नार	7.65	7.43	6.49
कार्यालय उपकरण	7.32	6.97	7.85
वाहन	8.93	9.76	12.44
रेलवे साइडिंग	45.08	49.15	41.11
	7,018.63	6,457.07	6,588.65

	पूर्ण स्वामित्व की भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर और जोड़नार	कार्यालय उपकरण	वाहन	रेलवे साइडिंग	कुल
लागत या मानी गई लागत								
01.04.2015 को यथा शेष	71.33	554.30	5,895.13	6.49	7.85	12.44	41.11	6,588.65
जोड़	-	42.94	225.40	2.99	3.60	0.35	12.57	287.85
निपटान	-	-	(6.67)	(0.01)	-	(0.06)	-	(6.74)
31.03.2016 को यथा शेष	71.33	597.24	6,113.86	9.47	11.45	12.73	53.68	6,869.76
जोड़	13.03	41.27	982.44	2.62	4.18	1.81	-	1,045.35
निपटान	(0.03)	-	(17.38)	(0.06)	(0.12)	(0.10)	-	(17.69)
31.03.2017 को यथा शेष	84.33	638.51	7,078.92	12.03	15.51	14.44	53.68	7,897.42

	पूर्ण स्वामित्व की भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर और जोड़नार	कार्यालय उपकरण	वाहन	रेलवे साइडिंग	कुल
संचित मल्यह्रास एवं क्षति								
01.04.2015 को यथा शेष	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास-व्यय	-	36.76	362.69	2.04	4.48	2.97	4.53	413.47
निपटान	-	-	(0.78)	-	-	-	-	(0.78)
31.03.2016 को यथा शेष	-	36.76	361.91	2.04	4.48	2.97	4.53	412.69
मूल्यह्रास-व्यय	-	37.12	417.45	2.38	3.79	2.55	4.07	467.36
निपटान	-	-	(1.13)	(0.04)	(0.08)	(0.01)	-	(1.26)
31.03.2017 को यथा शेष	-	73.88	778.23	4.38	8.19	5.51	8.60	878.79

	पूर्ण स्वामित्व की भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर और जोड़नार	कार्यालय उपकरण	वाहन	रेलवे साइडिंग	कुल
निम्न की राशि को लेकर								
01.04.2015 को यथा शेष	71.33	554.30	5,895.13	6.49	7.85	12.44	41.11	6,588.65
31.03.2016 को यथा शेष	71.33	560.48	5,751.95	7.43	6.97	9.76	49.15	6,457.07
31.03.2017 को यथा शेष	84.33	564.63	6,300.69	7.65	7.32	8.93	45.08	7,018.63

टिप्पणियाँ:

6.1. 66.02 एकड़ भूमि को छोड़कर राज्य सरकार से अधिग्रहीत पूर्ण-स्वामित्व की भूमि के स्वत्वाधिकार विलेख कार्यान्वित हो चुके हैं। कम्पनी पूर्ण-स्वामित्व की भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है और इस मामले को राजस्व प्राधिकारियों के साथ हाथ में लिया गया है।

6.2. ₹ 5.50 करोड़ के मूल्य के कोलकाता म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथोरिटी से खरीदे गए 6,459 वर्गफीट के कार्यालय स्थान के संबंध में पंजीकरण औपचारिकताएँ प्रगति में हैं।

6.3. वर्ष के दौरान कंपनी ने इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट्स के रीलाइनिंग अंश के उपयोगी जीवनकाल को 40 वर्ष से परिवर्तित करके 7 वर्ष (पॉट रीलाइनिंग का जीवनकाल).किया। अनुमान में ऐसे परिवर्तन से लाभ और परिसंपत्तियों की अग्रेनीत राशि में संबंधित कमी के साथ मूल्यह्रास में ₹58.52 करोड़ की वृद्धि हुई है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

7. पूँजी कार्य - प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)

	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
लागत पर पूँजी कार्य - प्रगति में	473.33	613.54	498.63
मार्ग में (लागत पर) सहित निर्माण सामग्री	42.10	43.55	47.49
	515.43	**657.09**	**546.12**
घटाएँ: पूँजी कार्य प्रगति में की क्षति का प्रावधान	(0.78)	(0.79)	-
कुल पूँजी कार्य - प्रगति में	514.65	656.30	546.12

7.1. प्रगति में पूँजी कार्य की राशि में कोयला खान प्रभाग को प्रत्यक्ष आरोप्य आनुषंगिक विकास व्यय की बाबत ₹41.40 करोड़ का राशि (पिछले वर्ष 39.30 करोड़ की राशि शामिल है।

8 अमूर्त आस्तियाँ

	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
निम्न की राशि को लेकर			
उपयोक्ता अधिकार (220 के.वी. सबस्टेशन)	11.81	13.62	15.43
कम्पयूटर सॉफ्टवेयर	1.68	2.91	2.81
खनन अधिकार [टिप्पणी 8.1 का संदर्भ लें]	111.83	113.77	107.72
लाईसैंस	0.48	8.31	10.25
	125.80	138.61	136.21

	उपयोक्ता अधिकार	कम्पयूटर सॉफ्टवेयर	खनन अधिकार	लाईसैंस	कुल अमूर्त आस्तियाँ
लागत या मानी गई लागत					
01.04.2015 को यथा शेष	15.43	2.81	107.72	10.25	136.21
जोड़		1.66	13.39		15.05
निपटान					-
31.03.2016 को यथा शेष	15.43	4.47	121.11	10.25	151.26
जोड़		0.19			0.19
निपटान					-
31.03.2017 को यथा शेष	15.43	4.66	121.11	10.25	151.45
	उपयोक्ता अधिकार	**कम्पयूटर सॉफ्टवेयर**	**खनन अधिकार**	**लाईसैंस**	**कुल अमूर्त आस्तियाँ**
संचित मल्यह्रास एवं क्षति					
01.04.2015 को यथा शेष	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास-व्यय	1.81	1.56	7.34	1.94	12.65
निपटान					-
31.03.2016 को यथा शेष	1.81	1.56	7.34	1.94	12.65
मूल्यह्रास-व्यय	1.81	1.42	1.94	7.83	13.00
निपटान					-
31.03.2017 को यथा शेष	3.62	2.98	9.28	9.77	25.65
	उपयोक्ता अधिकार	**कम्पयूटर सॉफ्टवेयर**	**खनन अधिकार**	**लाईसैंस**	**कुल अमूर्त आस्तियाँ**
निम्न की राशि को लेकर					
01.04.2015 को यथा शेष	15.43	2.81	107.72	10.25	136.21
31.03.2016 को यथा शेष	13.62	2.91	113.77	8.31	138.61
31.03.2017 को यथा शेष	11.81	1.68	111.83	0.48	125.80

टिप्पणियाँ:

8.1 कंपनी ओड़िशा सरकार द्वारा मंजूरीप्राप्त पंचपटमाली बॉक्साइट खान में अपनी खनन गतिविधियाँ प्रचालित कर रही है। भूमि पट्टा नवीनीकरण के संबंध में, कंपनी ने एन.पी.वी. और प्रासंगिक भुगतानों का भुगतान किया जिसे खनन अधिकारिों के अंतर्गत अमूर्त आस्तियों को रूप में पूँजीकृत किया गया और कंपनी की लेखाकरण नीति के के अनुसार सीधी रेखा आधार पर ऋण परिशोधन किया गया।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

9. विकास अधीन अमूर्त आस्तियाँ

	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
खनन अधिकार	26.34	26.34	-
उपयोक्ता अधिकार	25.01	5.06	3.18
	51.35	31.40	3.18

टिप्पणी:

9.1 विकासाधीन अमूर्त आस्तियों (खनन अधिकार) में कोयला ब्लॉक के आबंटन के विरुद्ध भारत सरकार को आंशिक भुगतान की गई ₹26.34 करोड़ की राशि शामिल है।

9.2 विकासाधीन अमूर्त आस्तियों (उपयोक्ता अधिकार) में परिशोधन संयंत्र से लक्ष्मीपुर, कोरापुट स्थित 220 किलोवोल्ट के स्विचिंग स्टेशन तक 220 किलोवोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन पर खर्च हुए ₹25.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5.06 करोड़) की राशि शामिल है।

10. निवेश

	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा

क. **गैर-चालू**

क.1. **इक्विटी उपकरणों में निवेश - (लागत पर वर्गीकृत)**

क.1.1

सहयोगियों में निवेश			
अनुद्धृत निवेश			
एन.पी.सी.आई.एल.-नालको पॉवर कंपनी लिमिटेड (पूर्ण प्रदत्त ₹10 प्रत्येक के 26,000 शेयर)	**0.02**	**0.02**	**0.02**
सहयोगियों में कुल निवेश	0.02	0.02	0.02

सहयोगियों का विस्तृत विवरण

वर्ष की अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक सहयोगियों के विवरण (महत्वपूर्ण नहीं) निम्नवत् हैं:

सहयोगी का नाम	निगमन की प्रधान गतिविधि और कारोबार का प्रधान स्थान	स्वामित्व हित का समानुपात / कंपनी द्वारा धारित मतदान अधिकार		
एन.पी.सी.आई.एल.-नालको पॉवर कंपनी लिमिटेड	नाभिकीय विद्युत का विकास, काकरापार, गुजरात	26%	26%	26%

क.1.2

संयुक्त उद्यमों में निवेश			
अनुद्धृत निवेश			
अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क लिमिटेड (31.03.2017 को यथा: ₹10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 9,80,000 शेयर, 31.03.2016 को यथा: ₹10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 9,90,000 शेयर और 01.04.2015 को यथा : ₹10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 9,90,000 शेयर)	0.98	0.99	0.99
₹10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 1,37,20,000 शेयरों के लिए शेयर आवेदन, शेयर अभी तक आबंटित होने बाकी हैं।	13.72	-	-
कुल	14.70	0.99	0.99

21.03.2017 को हुई निदेशक-मंडल की बैठक में अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित अनुसार नालको के इक्विटी शेयरधारण को 49.5% से 49% तक घटा दिया गया और ओ.आई.डी.सी. के शेयरधारण को 50.5% से 51% तक बढ़ा दिया गया।

निदेशक-मंडल ने ₹10 प्रत्येक के 2,80,00,000 इक्विटी शेयर भी जारी करने का निर्णय लिया। कंपनी (नालको) ने ₹13.71 करोड़ (इक्विटी का 49%) का भुगतान 31.03.2017 को किया। शेयर अभी आबंटित किए जाने हैं।

जीएसीएल-नालको अल्कालिज एंड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड (31.03.2017 को यथा:₹10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 20,00,000 शेयर, 31.03.2016 को यथा: ₹10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 40,000 शेयर और 01.04.2015 को यथा: शून्य)	2.00	0.04	
₹10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,28,00,000 शेयरों के लिए आवेदन राशि, शेयर अभी आबंटित किए जाने हैं।	22.80		
कुल	24.80	0.04	-

वर्ष के दौरान जीएसीएल-नालको अल्कालिज एंड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड ने नालको को ₹10 प्रत्येक के 19,60,000 संख्यक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर जारी किए।

कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹10 प्रत्येक के (पूर्ण प्रदत्त) 2,28,00,000 शेयरों के लिए आवेदन राशि की बाबत ₹22.80 का भुगतान किया, जिसके लिए शेयरों का आबंटन अभी किया जाना है।

संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश	39.50	1.03	0.99

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

10. निवेश

संयुक्त उद्यमों का विवरण

वर्ष की अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक सहयोगियों के विवरण (महत्वपूर्ण नहीं) निम्नवत् हैं:

संयुक्त उद्यमों के नाम	निगमन की प्रधान गतिविधि और कारोबार का प्रधान स्थान	स्वामित्व हित का समानुपात / कंपनी द्वारा धारित मतदान अधिकार		
(क) अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्राईवेट लिमिटेड	ओड़िशा में एल्यूमिनियम विशिष्ट अनुप्रवाह उद्योगों को प्रोत्साहन देना, भुवनेश्वर, ओड़िशा, भारत	49.00%	49.50%	49.50%
(क) जीएसीएल-नालको अल्कालिज एंड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड		40.00%	40.00%	0.00%

क.1.3 अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश

अनुद्धृत निवेश			
ओड़िशा केपिटल मार्केट एंड इंटरप्राईजेस लिमिटेड (₹1 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,89,000 शेयर)	0.03	0.03	0.03
कुल - अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश	0.03	0.03	0.03
कुल - इक्विटी उपकरणों में निवेश	39.55	1.08	1.04

क.2

म्युचुअल फंडों में निवेश	31.03.2017 को यथा		31.03.2016 को यथा		01.04.2015 को यथा	
अनुद्धृत निवेश	की संख्या एककों	राशि ₹ करोड़ में	की संख्या एककों	राशि ₹ करोड़ में	की संख्या एककों	राशि ₹ करोड़ में
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – X		-	20,000	23.51		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – XII		-	40,000	46.89		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – XIII		-	40,000	46.77		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – I		-	25,000	29.14		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – III		-	75,000	87.36		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – IV		-	25,000	29.10		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – VI		-	50,000	58.13		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – VIII		-	35,000	40.68		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – IX		-	100,000	115.96		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – X		-	10,000	11.59		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – XI		-	60,000	69.47		-
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-20		-	50,000	58.79		-
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-22		-	50,000	58.78		-
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-24		-	50,000	35.01		-
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-27		-	30,000	58.27		-
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-28		-	50,000	46.48		-
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-31		-	40,000	40.57		-
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-32		-	35,000	28.97		-
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-34		-	25,000	57.81		-
कुल - म्युचुअल फंडों में निवेश		-		943.28		-
कुल - गैर-चालू निवेश		39.55		944.36		1.04
अतिरिक्त सूचनाएँ						
उद्धृत निवेशों का सकल बही मूल्य और इनका बाजार मूल्य		-		943.28		-
अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि		39.55		1.08		1.04
निवेशों के मूल्य में क्षति की सकल राशि		-		-		-

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

10.

निवेश	31.03.2017 को यथा		31.03.2016 को यथा		01.04.2015 को यथा	
ख. चालू						
म्युचुअल फंडों में निवेश	'000 में एकक	राशि करोड़ ₹ में	'000 में एकक	राशि करोड़ ₹ में	'000 में एकक	राशि करोड़ ₹ में
उद्धृत निवेश						
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – V	-	-	-	-	45,000	49.06
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – VIII	-	-	-	-	40,000	43.46
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – X	20,000	25.44	-	-	20,000	21.68
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – XII	40,000	50.81	-	-	40,000	43.17
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – XIII	40,000	50.74	-	-	40,000	43.05
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – I	25,000	31.64	-	-	25,000	26.87
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – III	75,000	94.65	-	-	75,000	80.47
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – IV	25,000	31.53	-	-	25,000	26.79
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – VI	50,000	62.87	-	-	50,000	53.50
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – VIII	35,000	43.96	-	-	35,000	37.43
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – IX	100,000	125.58	-	-	100,000	106.73
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – X	10,000	12.54	-	-	10,000	10.66
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – XI	60,000	75.18	-	-	60,000	63.93
बीओआई एएक्सए एफएमपी सीरीज 14	-	-	-	-	5,000	5.43
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-20	-	-	-	-	50,000	54.31
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-22	50,000	63.58	-	-	50,000	54.14
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-24	50,000	63.56	-	-	50,000	54.07
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-27	30,000	37.87	-	-	30,000	32.27
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-28	50,000	63.04	-	-	50,000	53.73
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-31	40,000	50.22	-	-	40,000	42.86
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-32	35,000	43.88	-	-	35,000	37.43
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-34	25,000	31.31	-	-	25,000	26.73
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-35	50,000	62.69	-	-	50,000	53.29
बीओआई एएक्सए लिक्विड फंड	499	50.01	110	11.00		-
केनरा रोबेको लिक्विड	298	30.00	109	11.00		-
आईडीबीआई लिक्विड फंड	299	30.01	110	11.00		-
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	299	30.01	110	11.00		-
युनियन केबीसी लिक्विड	300	30.00	110	11.00		-
यूटिआई मनी मार्केट फंड	299	30.01	110	11.00		-
कुल - अन्य चालू निवेश		1,221.13		66.00		1,021.06
अतिरिक्त सूचनाएँ						
उद्धृत निवेशों का सकल बही मूल्य और इनका बाजार मूल्य		1,221.13		66.00		1,021.06
अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि		-		-		-
निवेशों के मूल्य में क्षति की सकल राशि		-		-		-

संवर्गवार- अन्य निवेश - इंड एएस 109 वर्गीकरण के अनुसार

	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियाँ (उद्धृत निवेश) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर परिमित (एफवीटीपीएल)	1,221.13	1,009.28	1,021.06
	1,221.13	1,009.28	1,021.06

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

11 व्यापारिक प्राप्य

क.

	गैर-चालू	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
(क)	असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-	-
(ख)	असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	37.11	37.11	37.11
	घटाएँ: संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते (ऋण हानि भत्ते की आशा)	37.11	37.11	37.11
	निवल गैर-चालू व्यापारिक प्राप्य	-	-	-

ख.

	चालू	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
(क)	असुरक्षित, अच्छा माना गया	184.25	235.21	120.82
(ख)	असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	-	-	-
	घटाएँ: संदिग्ध व्यापारिक प्राप्य के लिए भत्ते	-	-	-
	निवल चालू व्यापारिक प्राप्य	184.25	235.21	120.82

टिप्पणियाँ:

11.1 माल (एल्यूमिना और एल्यूमिनियम) की बिक्री ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम या ऋण-पत्र के विरुद्ध की जाती है। ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को सामग्री की आपूर्ति पर समायोजित किया जाता है। ऐसी बिक्री के लिए कोई उधारी अवधि अनुमेय नहीं होती, अतः तदनुसार कोई ब्याज प्रभारित नहीं होता। पवन विद्युत की बिक्री के लिए औसत उधारी अवधि मीटरिंग से 30 दिनों की होती है, जिसे संग्रह अवधि माना जाता है। ग्रहीत विद्युत संयंत्र में सृजित अनिश्चित तापज विद्युत की बिक्री के लिए कोई व्यावसायित व्यवस्था नहीं है। यह संयंत्र की जरूरत की दृष्टि से चक्रीय व्यवस्था के साथ जोड़ी गई है। ऐसी अनिश्चित विद्युत बिक्री के खाते में प्राप्य राशि (विद्युत खरीदी के लिए देय का शुद्ध) के संग्रह में लंबी अवधि लगती है। ऐसी बिक्री के लिए कोई शुद्ध प्राप्य नही है, क्योंकि खरीदी संधारणीय रूप से बिक्री की तुलना में ऊँची दर पर होती है। चूँकि पवन और तापज विद्युत की बिक्री के लिए कोई व्यावसायिक व्यवस्था नहीं है, कोई ब्याज स्वीकृत नहीं है।

11.2 31 मार्च, 2017 को यथा व्यापारिक प्राप्य में से पवन ऊर्जा बिक्री के लिए जोधपुर डिस्कॉम से ₹23.21 करोड़ बकाया है और धातु के निर्यात के खाते में मेसर्स ग्लेंकोर इंटरनेशनल से ₹82.17 करोड़ बकाया है। ऐसे कोई अन्य ग्राहक नहीं हैं, जो व्यापारिक प्राप्य के कुल शेष के 5% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

11.3 मामले से मामले के आधार पर व्यापारिक प्राप्य के लिए आशान्वित ऋण हानि के संगणन के द्वारा कंपनी ने एक व्यावहारिक तरीका अपनाया है। चूँकि कोई एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए कोई उधारी अवधि नहीं है और बिक्री या तो अग्रिम के विरुद्ध की जाती है या ग्राहक द्वारा दिए गए साख-पत्र (एलसी) की मदद से की जाती है, ऐसे प्राप्यों के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए, हालांकि कोई उधारी व्यवस्था नहीं है, कंपनी ने औद्योगिक उधारी हानि अनुभव के आधार पर भत्तों का प्रावधान किया है और अगर्दर्शी सूचना के लिए समायोजित किया जाता है।

11.4

प्राप्यों की आयु (सकल पर)	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
एल्यूमिना और एल्यूमिनियम			
0-30 दिन (एलसी/ बिल में छूट देकर)	144.13	198.35	96.99
30 दिनों से अधिक (के लिए प्रावधान)	37.11	37.11	37.11
	181.24	235.46	134.10
पवन ऊर्जा			
उधारी अवधि के अन्दर	6.79	3.75	7.96
देय तारीख पश्चात् 1-30 दिन	4.84	2.75	0.00
देय तारीख पश्चात् 30 दिन से अधिक	28.49	30.36	15.87
	40.12	36.86	23.83

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

12. ऋण

क.	गैर-चालू	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
(क)	कर्मचारियों को ऋण			
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	68.62	75.38	75.38
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	11.69	31.61	31.61
(ख)	अन्य को ऋण			
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	0.29	0.34	0.36
कुल गैर-चालू ऋण		80.60	107.33	107.35

ख.	चालू	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
(क)	कर्मचारियों को ऋण			
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	20.57	11.03	19.63
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	15.58	18.36	18.36
(ख)	प्रासंगिक पार्टियों को ऋण			
	असुरक्षित, अच्छा माना गया [टिप्पणी 12.2 का संदर्भ लें]	0.04	0.06	0.10
(ग)	अन्य को ऋण			
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	0.51	0.75	0.52
कुल- चालू ऋण		36.70	30.20	38.61

टिप्पणी:

12.1 उप्युक्त ऋण परिशोधित लागत पर लिए गए हैं।

12.2 प्रासंगिक पार्टियों से बकाया ऋण की राशि कंपनी के निदेशकों द्वारा उनके निदेशक-पद पर योग के पूर्व कर्मचारी के रूप में लिए गए गृह-निर्माण ऋण की राशि है। इन ऋणों पर आगे टिप्पणी 43 - प्रासंगिक पार्टी प्रकटन में सूचना दी गई है।

13. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

क.	गैर-चालू	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	प्रतिभूति जमा	10.77	8.04	5.99
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10.77	8.04	5.99

	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण			
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	10.77	8.04	5.99
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10.77	8.04	5.99

ख.	चालू		31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	(क)	प्रतिभूति जमा [टिप्पणी 13.2 का संदर्भ लें]	151.00	151.00	151.00
	(ख)	कर्मचारियों को अग्रिम	44.35	38.84	31.20
	(ग)	बीमा दावा प्राप्य	12.66	11.22	11.96
	(घ)	व्यत्पन्न परिसंपत्तियाँ - अग्रेषित संविदा	-	0.92	-
	सकल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		**208.01**	**201.98**	**194.16**
	घटाएँ: खराब और संदिग्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्ते				
	(क)	कर्मचारियों को अग्रिम	44.35	38.84	31.2
	(ख)	बीमा दावे	7.17	6.4	6.45
	कुल - खराब और संदिग्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्ते		51.52	45.24	37.65
	कुल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		156.49	156.74	156.51
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण:				
	असुरक्षित, अच्छा माना गया		156.49	156.74	156.51
	संदिग्ध		51.52	45.24	37.65
	सकल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		208.01	201.98	194.16

टिप्पणी:

13.1 उपर्युक्त परिसंपत्तियाँ परिशोधित लागत पर ली गई हैं।

13.2 गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कोर्पोरेशन (जीएमडीसी) के साथ जमा किए गए ₹151 करोड़ की राशि वापस पाना बकाया है, चूँकि कंपनी ने गुजरात में एल्यूमिना परिशोधक की स्थापना की योजना रद्द कर दी। लौटाने की प्रक्रिया मेसर्स जीएमडीसी के सक्रिय विचारान्तर्गत है। मेसर्स जीएमडीसी के निदेशक मंडल ने प्रस्ताव को पारित कर दिया है जो गुजरात सरकार से अनुमोदन की प्रतीक्षा में है। इसलिए इस जमा के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

14. चालू कर आस्तियाँ

	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
आयकर	34.12	102.92	127.77
कुल चालू कर आस्तियाँ	34.12	102.92	127.77

15. अन्य परिसम्पत्तियाँ

क.	गैर-चालू		31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
(क)	पूँजी अग्रिम		114.88	210.03	104.78
(ख)	पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम:				
	सार्वजनिक निकायों के पास अग्रिम				
	(1)	सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, बिक्री कर, पत्तन न्यास आदि	250.27	235.44	219.14
	(2)	आयकर प्राधिकारी के पास जमा	603.50	535.79	518.09
	(3)	अन्य सरकारी प्राधिकारी	4.01	1.32	1.44
(ग)	अन्य				
	पूर्व भुगतान किए गए व्यय				
	(1)	पट्टायुक्त भूमि के लिए पूर्वप्रदत्त भुगतान	5.26	13.74	9.93
	(2)	कर्मचारी ऋणों पर पूर्वप्रदत्त व्यय	26.86	27.61	32.61
सकल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			1,004.78	1,023.93	885.99
घटाएँ: खराब और संदिग्ध अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्ते					
(क)	पूँजी अग्रिम		0.27	0.50	0.50
कुल - खराब और संदिग्ध अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्ते			0.27	0.50	0.50
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ			1,004.51	1,023.43	885.49
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों का वर्गीकरण:					
असुरक्षित, अच्छा माना गया					
असुरक्षित, अच्छा माना गया			1,004.51	1,023.43	885.49
संदिग्ध			0.27	0.50	0.50
सकल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			1,004.78	1,023.93	885.99

ख.	चालू			31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम						
(क)	सांविधिक प्राधिकारियों के पास दावे					
	(1)	निर्यात प्रोत्साहन दावे		27.16	27.44	23.82
	(2)	पुनर्नवीकरणीय स्रोतों से सृजित विद्युत पर सृजन आधारित प्रोत्साहन और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र		4.09	5.67	4.82
	(3)	वैट एवं सेनवैट क्रेडिट वसूलीयोग्य		266.81	323.43	304.37
	(4)	ग्राहकों, उत्पाद-शुल्क एवं रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्य दावे		10.29	10.29	7.62
(ख)	पूर्व भुगतान किए गए व्यय					
	(1)	पट्टायुक्त भूमि के लिए पूर्वप्रदत्त पट्टा भुगतान		17.39	2.06	-
	(2)	कर्मचारी ऋणों पर पूर्वप्रदत्त व्यय		5.37	5.00	6.56
	(3)	अन्य पूर्व प्रदत्त व्यय		4.43	4.17	3.89
(ग)	हाथ में स्वर्णमुद्राएँ एवं डाकटिकटें			0.08	0.19	0.20
(घ)	अन्य प्राप्य			1.70	1.66	2.47
(ङ)	अन्य अग्रिम					
		(i)	कर्मचारियों को अग्रिम	23.06	23.88	23.13
		(ii)	आपूर्तकों और सेवा-प्रदाताओं को अग्रिम	391.49	321.84	288.87
		(iii)	अन्य	30.13	19.05	39.38
सकल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ				782.00	744.68	705.13

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

15. अन्य परिसम्पत्तियाँ

ख.	चालू	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
घटाएँ: खराब और संदिग्ध अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्ते				
(क)	वैट एवं सेनवैट क्रेडिट वसूलीयोग्य	188.83	137.04	87.69
(ख)	ग्राहकों, उत्पाद-शुल्क एवं रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्य दावे	7.74	7.74	3.48
(ग)	अन्य प्राप्य	0.38	0.32	0.43
(घ)	आपूर्तकों और सेवा-प्रदाताओं को अग्रिम	2.45	2.44	2.39
(ङ)	अन्य	2.66	2.72	2.68
खराब और संदिग्ध अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कुल भत्ते		202.06	150.26	96.67
कुल अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ		579.94	594.42	608.46
अन्य चालू परिसंपत्तियों का वर्गीकरण:				
असुरक्षित, अच्छा माना गया		579.94	594.42	608.46
संदिग्ध		202.06	150.26	96.67
सकल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		782.00	744.68	705.13

16. मालसूचियाँ

		31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
(क)	कच्चा माल	75.69	112.21	118.05
(ख)	प्रगति में कार्य	236.37	216.50	202.22
(ग)	मध्यवर्ती उत्पाद	93.62	103.24	108.01
(घ)	तैयार माल	222.72	136.37	136.90
(ङ)	कोयला और ईंधन तेल	186.71	156.97	130.43
(च)	भंडार और कल-पुर्जे	328.60	314.71	382.56
(छ)	स्क्रेप एवं निर्वर्त्य	12.22	15.01	25.19
कुल मालसूची		1,155.93	1,055.01	1,103.36
ऊपर शामिल, मार्गस्थ माल:				
(i)	कच्चा माल	9.80	30.18	11.22
(ii)	कोयला और ईंधन तेल	32.44	23.17	1.96
(iii)	भंडार और कल-पुर्जे	15.81	12.28	21.19
कुल मार्गस्थ माल		58.05	65.63	34.37

टिप्पणी:

16.1 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत ₹3487.46 करोड़ है (2015-16 के दौरान :₹3123.34 करोड़)

16.2 व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत में गैर-सचल वस्तुओं के बट्टे खाते डाले जाने के संबंध में ₹13.02 करोड़ (2015-16 के दौरान ₹10.84 करोड़) शामिल हैं।

16.3 ये मालसूचयाँ कैश-क्रेडिट सुविधा के विरुद्ध बन्धक/वचनबद्ध हैं।

16.4 मालसूचियों के मूल्य-निर्धारण की पद्धति टिप्पणी 3.16 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति में वर्णित है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

17. नकद और नकद समतुल्य

				31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
(क)		बैंक में शेष				
	(1)	अनुसूचित बैंकों में शेष				
		(i)	चालू खाते में	24.83	28.30	3.68
		(ii)	जमा खाते में (मूल परिपक्वता तीन महीने से कम वाले)	-	626.12	-
	कुल नकद और नकद समतुल्य			24.83	654.42	3.68
	उपर्युक्त शेष को नगदी प्रवाह विवरण बनाने के लिए भी नकद और नकद समतुल्य के रूप में माना जाता है।					

17.ख बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा अन्य)

			31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	(क)	जमा खाते में (मूल परिपक्वता 3-12 महीने के बीच वाले)	2,260.61	4,443.63	4,792.30
	(ख)	निश्चित किए गए अनुसूचित बैंकों में शेष	1.79	5.10	5.00
	कुल अन्य बैंक शेष		2,262.40	4,448.73	4,797.30

टिप्पणी:

17.ख.1 निश्चित किए गए अनुसूचित बैंकों शेष, दावा नहीं किए गए लाभांश की बाबत अनुसूचित बैंकों में जमा राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

17.ख.2 चालू वर्ष के अन्त में निवेशकों के शिक्षण और संरक्षा निधि में जमा करने के लिए देय राशि ₹ शून्य थी (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

18. शेयर पूँजी

	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
प्राधिकृत शेयर पूँजी			
₹5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	3,000.00	3,000.00	3,000.00
जारी और अभिदत्त पूँजी में शामिल हैं:			
₹5 प्रत्येक के1,93,29,28,884 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी (31.03.2016 और 01.04.2015 को यथा: ₹5 प्रत्येक के 2,57,72,38,512 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	966.46	1,288.62	1,288.62
	966.46	1,288.62	1,288.62

18.1 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर

	शेयरों की संख्या	राशि करोड़ ₹ में
01.04.2015 को यथा शेष	2,57,72,38,512	1,288.62
इस अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-	-
31.03.2016 को यथा शेष	2,57,72,38,512	1,288.62
इस अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
कंपनी के द्वारा इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी	(64,43,09,628)	(322.16)
31.03.2017 को यथा शेष	1,93,29,28,884	966.46

(i) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर, जिनका ₹5 प्रत्येक एक समान मूल्य है, एक मतदान प्रति शेयर और लाभांश पर एक अधिकार रखते हैं।

(ii) कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹5 प्रत्येक के 64,43,09,628 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी की, जिससे इक्विटी शेयर पूँजी ₹1,288.62 करोड़ से घटकर ₹966.46 करोड़ रह गई। (₹5 प्रत्येक के 2,57,72,38,512 संख्यक इक्विटी शेयरों के 1,93,29,28,884 संख्यक इक्विटी शेयर)।

(iii) 26 सितम्बर 2016 को वर्ष के दौरान वापस खरीदी गए शेयर खत्म कर दिए गए।

वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

18.2 5% से अधिक शेयर के प्रत्येक शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

	31.03.2017 को यथा		31.03.2016 को यथा		01.04.2015 को यथा	
	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %
पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर						
भारत सरकार	1,44,14,82,490	74.58%	2,08,57,82,622	80.93%	2,08,57,82,622	80.93%
भारतीय जीवन बीमा निगम	20,43,84,512	10.57%	17,73,16,005	6.88%	18,82,51,981	7.30%

धारित प्रतिष्ठान भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का विवरण ऊपर टिप्पणी 18.2 में दर्शाया गया है।

19 अन्य इक्विटी

		31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
(क)	पूँजी मोचन आरक्षित	322.16	-	-
(ख)	सामान्य आरक्षित	8,620.41	11,461.10	11,461.10
(ग)	प्रतिधारित आय	296.76	445.03	173.89
	कुल	9,239.33	11,906.13	11,634.99

19.1 अन्य इक्विटी का संचलन

	आरक्षित एवं अधिशेष			
अन्य इक्विटी	पूँजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
01.04.2015 को यथा शेष	-	**11,461.10**	**173.89**	**11,634.99**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्वाविधि भूलें	-	-	-	-
01.04.2015 को यथा पुनर्वर्णित शेष	-	11,461.10	173.89	11,634.99
वर्ष के लिए लाभ	-	-	787.11	787.11
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	-	-	26.85	26.85
वर्ष के लिए कुल सविस्तार आय	-	-	813.96	813.96
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(128.86)	(128.86)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	-	-	(26.22)	(26.22)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(322.16)	(322.16)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	-	-	(65.58)	(65.58)
लाभ और हानि को इंड ए.एस. संक्रमण आरक्षित का हस्तांतरण	-	-	-	-
31.03.2016 को यथा शेष	-	11,461.10	445.03	11,906.13
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्वाविधि भूलें	-	-	-	-
01.04.2015 को यथा पुनर्वर्णित शेष	-	11,461.10	445.03	11,906.13
वर्ष के लिए लाभ	-	-	668.53	668.53
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	-	-	9.08	9.08
वर्ष के लिए कुल सविस्तार कुल आय	-	-	677.61	677.61
इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी पर प्रीमियम	-	(2,512.81)	-	(2,512.81)
इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी पर व्यय	-	(5.72)	-	(5.72)
साधारण आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	322.16	(322.16)	-	-
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(144.97)	(144.97)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	-	-	(29.51)	(29.51)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(541.22)	(541.22)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	-	-	(110.18)	(110.18)
31.03.2017 को यथा शेष	322.16	8,620.41	296.76	9,239.33

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

19.2 कंपनी ने 26 सितंबर, 2016 को प्रीमियम राशि सहित ₹2837.97 करोड़ की राशि के सामान्य आरक्षित में से अपनी निजी शेयरों की वापस-खरीदी की और परिणामस्वरूप शेयरों के मामली मूल्य के बराबर की राशि ₹ 322.16 करोड़ का अधिनियम अधिनियम, 2013 की धारा 69 की शर्तानुसार पूँजी मोचन आरक्षित में हस्तांतरण किया गया।

19.3 कंपनी के द्वारा अपने इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश रूप में वितरित किए जा सकनेवाली सामान्य आरक्षित में राशि का निर्धारण कंपनी के वित्तीय विवरणों और कंपनी अधिनियम, 2013 की अर्हताओं के आधार पर किया गया। अतः ऊपर प्रतिधारित आय के अंतर्गत राशि अपने पूर्ण रूप में वितरण योग्य नहीं है।

19.4 चूक की भूल के कारण पिछले जी.ए.ए.पी. के अधीन 31.03.2015 को यथा बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ की देनदारी को ₹.682 करोड़ से ₹72.32 करोड़ तक परिशोधित किया गया। संक्रमण तारीख को यथा अन्तर की राशि को प्रतिधारित आय में परिवर्तन के रूप में माना गया। तदनुसार ₹42.83 करोड़ और ₹22.66 करोड़ क्रमशः प्रतिधारित आय और आस्थगित कर देनदारी के खाते में समायोजित किया गया।

19.5 इसके पूर्व जी.ए.ए.पी. के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹193.29 करोड़ की राशि और ₹39.35 करोड़ का लाभांश वितरण कर का प्रावधान किया। इंड ए.एस. अपनाने के बाद, उक्त राशि को प्रतिधारित आय में ले लिया गया जिसमें से 30 सितंबर, 2016 को हुई 36वीं वार्षिक साधारण सभा में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किए अनुसार ₹144.97 करोड़ और ₹29.51 करोड़ अंतिम लाभांश और लाभांश वितरण कर के रूप में जारी किए गए। 2015-16 को लिए अंतिम लाभांश और लाभांश वितरण कर की राशि में कमी, लाभांश के वितरण के पहले कंपनी के शेयरों की वापस-खरीदी के कारण शेयर पूँजी में कमी होने के कारण हुई।

19.6 वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹2.80 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से कुल ₹541.22 करोड़ की राशि का अंतिम लाभांश का भुगतान किया। वित्तीय वर्ष 2016-16 के लिए, कंपनी ने ₹322.16 करोड़ का अंतरिम लाभांश और ₹144.97 करोड़ का अंतिम लाभांश का भुगतान किया।

20 उधारी

राशि करोड़ ₹ में

चालू (परिशोधित लागत पर सुरक्षित)	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
छूट दिए गए बिलों की बाबत देनदारियाँ	51.09	-	-
कुल अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ	51.09	-	-

टिप्पणियाँ:

बिलों में छूट की बाबत देनदारी, 31 मार्च,2017 को ग्राहकों को जारी बिलों के संबंध में कंपनी की कैश-क्रेडिट सुविधा के अधीन बैंक के साथ दी गई छूट से संबंधित है। पहली बार कंपनी ने बिलों में छूट की देनदारी को मान्यता दी है, किन्तु रिपोर्ट की तारीख बैंक द्वारा ग्राहक से वसूली/ स्वीकार्य बैंक द्वारा ग्राहक से बैंक को संपुष्टि नहीं हुई। ऐसी सूचना का आधार सौदाकरने वाली बैंक है और बैंक द्वारा ये आँकड़े इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे जाते हैं जो रीयलटाइम आधार पर अद्यतन किए जाते हैं। पिछली अवधियों के लिए ये सूचनाएँ बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं। अतः, 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि और मार्च 31 मार्च 2015 की तदनुरूपी अवधि के लिए आँकड़े उपलब्ध नहीं किए जा सके। लेकिन, 31 मार्च, 2016 और 31 मार्च 2015 को यथा बिलों में दी गई छूट की वसूली सौदा करनेवाली बैंक द्वारा की गई है। 31 मार्च, 2017 को यथा इसकी पूर्व अवधि से संबंधित ऐसा कोई मामला नहीं है।

21 व्यापारिक लेखा-देय

क.	गैर-चालू	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
(1)	आपूर्ति और सेवा के लिए लेनदार			
	- सूक्ष्म और लघु उद्यमो पर बकाया	-	-	-
	- अन्य	19.61	16.30	19.82
कुल गैर-चालू कारोबार देय		19.61	16.30	19.82
ख.	चालू			
(1)	आपूर्ति और सेवा के लिए लेनदार			
	सूक्ष्म और लघु उद्यमो पर बकाया	3.09	1.26	2.85
	- अन्य	653.80	535.54	433.56
(2)	उपार्जित मजदूरी और वेतन	187.57	102.76	130.16
कुल गैर-चालू कारोबार देय		844.46	639.56	566.57

टिप्पणियाँ:

21.1 प्रत्येक संविदा में भुगतान की शर्तों पर संविदा से संविदा में खरीदी पर उधारी अवधि अलग-अलग होती है। किसी भी संविदा में ब्याज प्रभारित नहीं किया गया। सभी देयों का राजी हुई शर्तों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित हो, इसके लिए कंपनी के पास वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

21.2 उपार्जित मजदूरी और वेतन में जनवरी 1, 2017 से मार्च 31, 2017 तक की अवधि के लिए कर्मचारियों के वेतनमान परिशोधन की बाबत ₹81.07 करोड़ की राशि और पीआरएमबीएस आबंटन को एन.पी.एस. में दिग्परिवर्तन की बाबत ₹35.79 करोड़ की देनदारी का प्रावधान शामिल है। [टिप्पणी 33 का संदर्भ लें]

21.3 माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राईजेस डेवलपमेंट एक्ट, 2006 में वर्णित अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय बकाया का निर्धारण इस सीमा तक किया गया है कि ऐसी पार्टियाँ कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर चिह्नित की गई हों। इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में प्रकटन निम्नवत् है।

विवरण		31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
i)	मूल राशि बकाया #	4.49	2.12	3.05
ii)	मूल राशि पर ब्याज देय	शून्य	शून्य	शून्य
iii)	नियुक्ति दिवस के बाद भुगतान किया गया ब्याज और मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य
iv)	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और ब्याज की राशि परन्तु एम.एस.एम.ई. डेवलपमेंट एक्ट, 2006 के अधीन निर्दिष्ट ब्याज की राशि को जोड़े बिना (किन्तु वर्ष के दौरान निर्धारित दिवस के बाद जिसका भुगतान किया गया)।	शून्य	शून्य	शून्य
v)	उपार्जित ब्याज और वर्ष के अंत में भुगतान हेतु शेष रही राशि	शून्य	शून्य	शून्य
vi)	आगे और देय रूप में बकाया रही और परवर्ती वर्षों में भुगतानयोग्य राशि, उस तारीख तक जिस पर ऊपर अनुसार ब्याज देय हो, एम.एस.एम.ई. डेवलपमेंट एक्ट, 2006 के अधीन घटाए जानेयोग्य व्यय के रूप में पाबंदी के उद्देश्य हेतु लघु उद्यमों को वास्तव में भुगतान किया गया।	शून्य	शून्य	शून्य

ऊपर उल्लिखित मूल राशि में कारोबार देय [टिप्पणी 21 का संदर्भ लें] और वित्तीय देनदारियाँ [टिप्पणी 22 का संदर्भ लें] शामिल हैं।

22. अन्य वित्तीय देनदारियाँ

क.	गैर-चालू			31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	आपूर्ति और सेवा के लिए लेनदार					
	सूक्ष्म और लघु उद्यमो पर बकाया			-	-	-
	- अन्य			2.36	1.58	3.07
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय देनदारियाँ			2.36	1.58	3.07
ख.	चालू			31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	(क)	भुगतान नहीं हुए लाभांश		1.79	5.10	5.00
	(ख)	अन्य देनदारियों के लिए लेनदार				
		(1)	आपूर्ति और सेवा के लिए लेनदार			
			- सूक्ष्म और लघु उद्यमो पर बकाया	1.40	0.86	0.20
			- अन्य	359.66	311.39	361.78
		(2)	ग्राहकों से प्रतिभूति जमा	1.57	1.85	1.51
		(3)	ग्राहकों को देय वापसी	14.52	2.02	2.02
		(4)	ग्राहकों को बिक्री पर छूट के लिए देनदारियाँ	88.62	79.84	102.78
		(5)	कर्मचारियों की वसूलियाँ	1.54	1.29	1.98
	कुल अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ			469.10	402.35	475.27

टिप्पणियाँ:

माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राईजेस डेवलपमेंट एक्ट, 2006 में वर्णित अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय बकाया का निर्धारण इस सीमा तक किया गया है कि ऐसी पार्टियाँ कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर चिह्नित की गई हों। उपर्युक्त अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में प्रकटन टिप्पणी 21.3 में किया गया है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ र में

23. प्रावधान

					31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
क.	गैर-चालू						
	(क)	कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान					
		(1)	सेवानिवृत्ति लाभ के लिए बाध्यता				
			(i)	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	57.17	56.21	64.09
			(ii)	सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	2.40	2.37	5.39
			(iii)	नालको हितकारी निधि योजना (एन.बी.एफ.एस.)	2.51	2.56	-
			(iv)	नालको सेवा-निवृत्ति कल्याण योजना (एन.आर.डब्ल्यू.एस.)	10.32	9.92	-
			(v)	सेवानिवृत्ति उपहार	6.68	6.20	-
		(2)	अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ				
			(i)	क्षतिपूर्तित अनुपस्थितियाँ	210.57	181.62	214.08
			(ii)	लम्बी सेवा पुरस्कार	8.88	7.67	6.69
			(iii)	नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहायता पुनर्वास योजना (एन.ई.एफ.एफ.ए.आर.एस.)	7.50	7.31	10.02
	(ख)	अन्य प्रावधान					
		(1)	परिसंपत्ति पुनर्स्थापन बाध्यता/विखंडन		21.70	18.37	16.99
		(2)	अन्य कानूनी और रचनात्मक बाध्यताएँ		0.38	8.89	8.22
	कुल गैर चालू प्रावधान				328.11	301.12	325.48
ख.	चालू						
					31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	(क)	कर्मचारियों के लाभ केलिए प्रावधान					
		(1)	सेवानिवृत्ति लाभ के लिए बाध्यता				
			(i)	सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी	12.08	8.60	2.05
			(ii)	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	7.14	5.02	8.32
			(iii)	सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	0.01	0.37	0.59
			(iv)	नालको हितकारी निधि योजना (एन.बी.एफ.एस.)	1.35	1.38	-
			(v)	नालको सेवा-निवृत्ति कल्याण योजना (एन.आर.डब्ल्यू.एस.)	3.52	3.21	-
			(vi)	सेवानिवृत्ति उपहार	0.67	0.72	-
		(2)	अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ				
			(i)	क्षतिपूर्तित अनुपस्थितियाँ	20.26	15.73	15.36
			(ii)	लम्बी सेवा पुरस्कार	0.62	0.63	2.08
			(iii)	नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहायता पुनर्वास योजना (एन.ई.एफ.एफ.ए.आर.एस.)	20.29	13.90	10.20
	(ख)	अन्य प्रावधान					
		(1)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.) की बाबत		33.36	37.59	48.71
		(2)	अन्य कानूनी और रचनात्मक बाध्यताएँ की बाबत		17.77	-	-
	कुल चालू प्रावधान				117.07	87.15	87.31

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

23. प्रावधान

ग.	प्रावधानों का संचलन			
(1)	सेवा-निवृत्ति लाभ बाध्यताओं का संचलन [टिप्पणी 33 का संदर्भ लें]			
(2)	कर्मचारी लाभों का संचलन			
		क्षतिपूर्तित अनुपस्थितियाँ	लम्बी सेवा पुरस्कार	एन.ई.एफ.एफ.ए.आर.एस.
	01.04.2015 को यथा शेष	229.44	8.77	20.22
	अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत किए गए	75.76	1.13	12.49
	भुगतानों से उठी कमियाँ	(124.58)	(1.72)	(11.50)
	पुनर्मापन से उठे परिवर्तन	16.73	0.11	-
	31.03.2016 को यथा शेष	197.35	8.29	21.21
	अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत किए गए	70.55	1.13	19.68
	भुगतानों से उठी कमियाँ	(47.64)	(0.71)	(13.10)
	पुनर्मापन से उठी कमियाँ	10.57	0.79	-
	31.03.2017 को यथा शेष	230.83	9.50	27.79
(3)	अन्य प्रावधानों का संचलन			
		परिसंपत्ति पुनर्स्थापन दायित्व	कानूनी और रचनात्मक बाध्यताएँ	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.)
	01.04.2015 को यथा शेष	16.99	8.22	48.71
	अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत किए गए	-	-	-
	भुगतानों से उठी कमियाँ	-	-	(11.12)
	छूट का फैलाव	1.38	0.67	
	31.03.2016 को यथा शेष	**18.37**	**8.89**	**37.59**
	अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत किए गए	1.66	8.51	-
	भुगतानों से उठी कमियाँ	-	-	(4.23)
	छूट का फैलाव	1.67	0.75	-
	31.03.2017 को यथा शेष	21.70	18.15	33.36

टिप्पणी:

23.1 परिभाषित लाभ योजना के अधीन कर्मचारी लाभ से संबंधित प्रावधानों के विवरण टिप्पणी 33 में प्रकट किए गए हैं।

23.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधान अर्थात् क्षतिपूर्तित अनुपस्थिति (संचित अर्जित अवकाश, अर्द्धवेतन अवकाश और चिकित्सा अवकाश), दीर्घ सेवा पुरस्कार आदि कंपनी के नियमों के अनुसार प्रदान किये जाते हैं और इसके लिए देनादारी का स्वतन्त्र मुर्हरिर द्वारा बीमांकिक आधार पर मल्यांकन किया जाता है।

23.3 क्रमशःइंड ए.एस.16 और इंड ए.एस.37 के समान प्रबंधन आकलन पर आधारित परिसंपत्ति पुनर्स्थापन दायित्व और रचनात्मक दायित्व का प्रावधान किया गया है।

23.4 नि.सा.उ. व्यय के लिए प्रावधान, कंम्पनी अधिनियम 2013 के प्रचलन के पूर्व कंपनी के खर्च नहीं किए गए नि.सा.उ. दायित्व है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

24. आस्थगित कर देनदारियाँ

	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
आस्थगित कर देनदारियाँ	1,492.97	1,400.66	1,300.30
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	247.39	236.55	185.01
	1,245.58	1,164.11	1,115.29

2015-16	01.04.2015 को यथा आरम्भिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य विशद आय में स्वीकृत	31.03.2016 को यथा अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देनदारियाँ				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(1,275.71)	(89.79)	-	(1,365.50)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(24.59)	(10.57)	-	(35.16)
आस्थगित कर देनदारियाँ	(1,300.30)	(100.36)	-	(1,400.66)
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
क्षतिपूर्तित अनुपस्थितियों और अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	85.91	(7.40)	-	78.51
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	30.65	14.00	(14.21)	30.44
संदिग्ध देयों / अग्रिमों के लिए प्रावधान	18.62	39.20	-	57.82
अन्य	49.83	19.95	-	69.78
आस्थगित कर देनदारियाँ	185.01	65.75	(14.21)	236.55
आस्थगित कर देनदारियाँ / परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	(1,115.29)	(34.61)	(14.21)	(1,164.11)
2016-17	**01.04.2015 को यथा आरम्भिक शेष**	**लाभ या हानि में स्वीकृत**	**अन्य विशद आय में स्वीकृत**	**31.03.2016 को यथा अंतिम शेष**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देनदारियाँ				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(1,365.50)	(98.43)	-	(1,463.93)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(35.16)	6.12	-	(29.04)
आस्थगित कर देनदारियाँ	(1,400.66)	(92.31)	-	(1,492.97)
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
क्षतिपूर्तित अनुपस्थितियों और अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	78.51	14.28	-	92.79
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	30.44	12.46	(4.80)	38.10
संदिग्ध देयों / अग्रिमों के लिए प्रावधान	57.82	27.04	-	84.86
एम.ए.टी. ऋण हकदारी		17.46		17.46
अन्य	69.78	(55.60)	-	14.18
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	236.55	15.64	(4.80)	247.39
आस्थगित कर (देनदारियाँ) / परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	(1,164.11)	(76.67)	(4.80)	(1,245.58)

वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

25. अन्य देनदारियाँ

क.	गैर-चालू			31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	(झ)	एन.ई.एफ.एफ.ए.आर.एस. के अंतर्गत जमा		48.27	50.38	42.42
	कुल अन्य गैर-चालू देनदारियाँ			48.27	50.38	42.42
ख०	चालू					
	(झ)	अग्रिम में प्राप्त राजस्व		73.36	37.90	45.43
	(ii)	सांविधिक और अन्य देय				
		(क)	विद्युत शुल्क	22.09	20.92	13.43
		(ख)	स्त्रोत पर कटौती किए गए और संग्रहीत कर	15.13	14.89	13.66
		(ग)	एन.ई.पी.एफ. न्यास और एन.पी.एस. को अंशदान	30.02	23.22	29.93
		(घ)	जल प्रभार की बाबत विवादित देय [टिप्पणी 25.2 का संदर्भ लें]	839.97	662.21	522.43
		(ङ)	अन्य सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि	114.59	63.10	44.61
	(iii)	अक्षय ऊर्जा क्रम दायित्व [टिप्पणी 25.1 का संदर्भ लें]		60.34	25.99	18.43
	(iv)	एन.ई.एफ.एफ.ए.आर.एस. के अंतर्गत जमा		13.25	3.29	3.83
	(v)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए संस्वीकृति		0.61	0.58	0.36
	(vi)	अन्य ऋण शेष		0.85	0.79	0.65
	कुल अन्य चालू देनदारियाँ			1,170.21	852.89	692.76

टिप्पणी:

25.1 ओड़िशा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटोरी कमीशन (ओईआरसी) की दिनांक 1 अगस्त, 2015 की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार, एक दायित्वपूर्ण घटक होने के कारण नालको को अपनी कुल खपत की 1.50% (पिछले वर्ष 0.50%) सौर अक्षय ऊर्जा स्रोत से और 3% (पिछले वर्ष 2.5%) गैर-सौर स्रोतों से सहित कुल 4.5% विद्युत (पिछले वर्ष 3%) अक्षय ऊर्जा स्रोतों से सृजित करने की बाध्यता है।

कंपनी ने चालू वर्ष के लिए अपने गैर-सौर दायित्व को (पवन विद्युत सृजन) के माध्यम से पूरा किया और पिछले वर्ष आंशिक दायित्व को पूरा किया। 31.3.2017 को यथा, प्रति प्रमाणपत्र ₹1,500 (पिछले वर्ष ₹1,500) की दर से मूल्यांकित 21,066 (पिछले वर्ष 18,297) संख्यक गैर-सौर आर.ई.सी. की बाबत सकल गैर-सौर दायित्व ₹3.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.75 करोड़) का था। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान, अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व के अनुपालन में 1,14,493 संख्यक गैर-सौर आई.ई.सी. कंपनी द्वारा स्व-प्रतिधारित रखे गए।

सौर ऊर्जा के अक्षय ऊर्जा स्रोत से आवश्यक मात्रा में सृजन की बाध्यता के पूरा-नहीं किए जाने के कारण कंपनी ने 31.3.2017 तक ₹3,500 (पिछले वर्ष ₹3,500) प्रति प्रमाणपत्र की दर से 1,63,371 (पिछले वर्ष 66,413) संख्यक सौर आर.ई.सी. की बाबत ₹57.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹23.24 करोड़) की देनदारी प्रदान की।

25.2 जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार का सरकारी जल संसाधनों पर अधिकार-क्षेत्र होने के चलते कंपनी पर जल प्रभार और ओड़िशा सिंचाई नियम, 1961 की शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं किए गए जल प्रभार पर ब्याज का दावा किया। विवादित होने के बावजूद जल प्रभारों का पूरा भुगतान कर दिया गया। इस पर ब्याज का प्रावधान बचाऊ आधार पर किया गया, हालांकि कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

26. प्रासंगिक देनदारियाँ (इनके लिए प्रावधान नहीं किए जाने तक)

			31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
कम्पनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकारा नहीं गया (कुल)					
क.	**सांविधिक प्राधिकारियों से मांग**				
	1.	बिक्री कर	427.84	411.52	445.60
	2.	उत्पाद शुल्क	165.46	102.05	83.35
	3.	सीमा शुल्क	52.00	5.77	5.77
	4.	सेवा कर	2.31	2.35	2.26
	5.	आयकर	797.94	688.36	1079.37
	6.	प्रवेश कर और सड़क कर	253.19	288.67	214.46
	7.	भूमि अधिग्रहण और इस पर ब्याज	44.21	43.49	43.83
	8.	स्टाम्प शुल्क	204.53	205.97	211.64
	9.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	136.30	90.05
	10.	खनन पट्टे के अधीन एन.पी.वी. संबंधित मांग	93.10	93.10	106.04
	11.	कर्मचारी राज्य बीमा		0.32	0.32
	12.	भविष्य निधि आयुक्त		-	0.05
ख.	**ठेकेदारों, आपूर्तकों और अन्य के द्वारा दावे**				
	1.	ठेकेदारों, आपूर्तकों और अन्य के दावे	**270.96**	**159.41**	**163.27**
	कुल		2,447.86	2137.31	2446.01

कम्पनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकारा नहीं गया में शामिल हैं:

1. आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर एवं अन्य सरकारी करारोपण की बाबत विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से मांग। कंपनी इन मांगों को अमान्य करने हेतु अपील प्राधिकारियों के पास संघर्षरत है। यह आशा है कि इन कार्रवाईयों का अंततः प्रतिफल कंपनी के पक्ष में होगा और कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों पर कोई वास्तविक विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

ii. सामग्री/सेवाओं की आपर्ति के लिए ठेकेदारों के दावे पंचायत/अदालत में लंबित हैं जो कारोबार के सामान्य कार्यक्रम में उठे हैं। कंपनी औचित्यपूर्ण रूप से आशा करती है कि इन कानूनी कार्रवाईयाँ का जब अंततः समापन होगा, अधिनिर्णय नालको के पक्ष में होगा और कंपनी के प्रचालन और वित्तीय स्थिति पर कोई ठोस विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

26.1 प्रांसगिक देनदारियों का संचलन

			31.03.2016 को यथा	वर्ष के दौरान निपटाए गए	वर्ष के दौरान जुड़े	31.03.2017 को यथा
क.	**सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मांग**					
	1.	बिक्री कर	411.52	(1.04)	17.36	427.84
	2.	उत्पाद शुल्क	102.05	(74.17)	137.58	165.46
	3.	सीमा शुल्क	5.77	(0.83)	47.06	52.00
	4.	सेवा कर	2.35	(0.06)	0.02	2.31
	5.	आयकर	688.36	-	109.58	797.94
	6.	प्रवेश कर और सड़क कर	288.67	(40.31)	4.83	253.19
	7.	भूमि अधिग्रहण और इस पर ब्याज	43.49	(0.17)	0.89	44.21
	8.	स्टाम्प शुल्क	205.97	(1.44)	-	204.53
	9.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.30	-	0.02	136.32
	10.	खनन पट्टे के अधीन एन.पी.वी. संबंधित मांग	93.10	-	-	93.10
	11.	कर्मचारी राज्य बीमा	-	-	-	-
	12.	भविष्य निधि आयुक्त	0.32	(0.32)	-	-
ख.	**ठेकेदारों, आपूर्तकों और अन्य के द्वारा दावे**					-
	1.	ठेकेदारों, आपूर्तकों और अन्य के दावे	159.41	(44.96)	156.51	270.96
		कुल	2,137.31	(163.30)	473.85	2,447.86

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

27. पूँजी वचनबद्धता

			31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
क)	पूँजी खाते पर कार्यान्वयन के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया		201.84	667.60	207.54
ख)	अन्य वचवबद्धताएँ				
	(1)	भारत सरकार द्वारा कम्पनी को उत्कल डी और ई कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए हैं। आबंटन की शर्तों के अनुसार, कंपनी ने ₹26.34 करोड़ की राशि का भुगतान किया और शेष किस्तें अभी देय नहीं हैं।	18.11	18.11	शून्य
	(2)	भारत सरकार द्वारा कंपनी को उत्कल डी का आबंटन किया गया जो पहले परियोजना प्रस्तावक को आबंटित की गई थी। आबंटन की शर्तों के अनुसार, कंपनी को परियोजना प्रस्तावक को ₹108.36 का भुगतान करना है जिसमें से ₹13.15 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। भूमि के स्वामित्व-विलेख के हस्तांतरण के बाद शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।	95.18	शून्य	शून्य
	(3)	कंपनी ने भारत सरकार की निर्यात प्रोत्साहन पूँजीगत माल योजना (ईपीसीजी) के अंतर्गत परिमित निर्यात पूरा करने की योजना के अधीन शुल्क की रियायती दरों पर पूँजीगत माल का आयात किया जिससे मार्च 31,2017 को ₹19.62 करोड़, मार्च 31,2016 को ₹6.95 करोड़ और मार्च, 31,2015 को ₹8.90 करोड़ की बचत की।	117.69	41.68	53.41
		कुल	432.82	727.39	260.95

28. 08.11.2016 से 30.12.2016 तक की अवधि के दौरान धारित और किए गए लेनदेन के निर्दिष्ट बैंक नोट्स के विवरण (एसबीएन) (एमसीए अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 308(ई), दिनांक 30.03.2017 के अनुरूप)

विवरण	निर्दिष्ट बैंक नोट (एन.बी.एन.)	अन्य मूल्यवर्ग के नोट	कुल
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
08.11.2016 को यथा हाथ में अंतिम नगदी	18,11,500	1,30,323	19,41,823
(+) अनुमतिप्राप्त प्राप्तियाँ	-	71,75,887	71,75,887
(+) गैर-अनुमतिप्राप्त प्राप्तियाँ	81,000	-	81,000
(-) अनुमतिप्राप्त भुगतान/उपयोग	-	24,64,416	24,64,416
(-) गैर-अनुमतिप्राप्त भुगतान/उपयोग	9,000	-	9,000
(-) बैंकों में जमा राशि	18,83,500	42,35,148	61,18,648
31.12.2016 को यथा हाथ में अंतिम नगदी	-	6,06,646	6,06,646

टिप्पणी:

28.1 गैर-अनुमतिप्राप्त प्राप्तियाँ उन राशियों से संबंधित हैं जो विभिन्न संयंत्र परिस्थलों पर अवस्थित कंपनी के स्वामित्व के अस्तपालों में वसूल की गई हैं। कंपनी गैर-हकदार संवर्ग को प्रभार-वसूलने के आधार पर अपनी चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करती है। स्थानीय निवासी, अधिकतर ग्रामीण लोग, विक्रेता और सहयोगी नाममात्र के प्रभार का भुगतान करके स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ लेते हैं।

28.2 गैर-अनुमतिप्राप्त प्राप्तियाँ, नोटबंदी के तत्काल बाद आपातकालीन कार्यालयीन खर्चों के लिए कर्मचारियों द्वारा किए गए भुगतान से संबंधित हैं।

उपर्युक्त मदों को 30.12.2016 को यथा हाथ में अंतिम नगदी में आनेवाला माना गया है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

29. प्रचालनों से राजस्व

				31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)				
	1)	निर्यात			
		i)	एल्यूमिना	2,443.04	2,198.27
		ii)	एल्यूमिनियम	1,181.95	1,048.60
	2)	देशीय			
		i)	एल्यूमिना	141.21	119.92
		ii)	एल्यूमिनियम	4,090.24	3,734.24
(ख)	विद्युत की बिक्री				
		i)	तापज विद्युत	4.75	5.26
		ii)	पवन ऊर्जा	71.80	50.26
(ग)	अन्य प्रचालन आय				
	1)	निर्यात प्रोत्साहन			
		i)	एल्यूमिना	30.25	43.78
		ii)	एल्यूमिनियम	38.98	38.52
	2)	अक्षय ऊर्जा पर प्रोत्साहन			
		i)	अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र	28.67	22.80
		ii)	सृजन आधारित प्रोत्साहन	8.18	7.58
	3)		आन्तरिक रूप से प्रयुक्त/पूँजीकृत निजी उत्पादित माल	10.95	-
प्रचालनों से राजस्व				8050.02	7269.23

टिप्पणी:

29.1 एल्यूमिना और एल्यूमिना की देशीय बिक्री में बिक्री क्रमशः ₹15.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13.52 करोड़ और ₹478.63 करोड़ (पिछड़े वर्ष ₹439.69 करोड़) तक की राशि का उत्पाद-शुल्क शामिल है।

29.2 स्व उत्पादित माल से आय, आंतरिक खपत के लिए उत्पादित तैयार माल (एनोड स्टेम और वेल्लित उत्पाद) से संबंधित है।

30. अन्य आय

				31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	ब्याज आय				
	(झ)	वित्तीय परिसंपत्तियों से अर्जित ब्याज आय जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में पदनामित नहीं किया गया:			
		–	बैंक जमा	265.65	435.73
		–	कर्मचारियों को ऋण	14.23	16.53
		–	परिशोधित लागत पर ली गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.70	0.77
	(ii)	आयकर वापसी की बाबत अर्जित ब्याज आय		12.06	13.86
(ख)	लाभांश आय				
		–	चालू निवेशों से लाभांश	8.78	5.19
(ग)	शुद्ध विदेशी मुद्रा लाभ/हानि			(7.90)	5.98
(घ)	एफ.वी.टी.पी.एल. पर पदनामित वित्तीय परिसंपत्तियों पर शुद्ध लाभ/हानि			77.81	74.49
(ङ)	अन्य गैर-चालू निवेशों की बिक्री से शुद्ध लाभ/हानि			-	0.70
(च)	देनदारियों को बट्टे खाते डालने और आवश्यक नहीं			14.29	33.57
(छ)	आंतरिक रूप सृजित स्क्रेप से आय़			9.04	6.52
(ज)	अन्य			13.61	11.79
कुल अन्य आय				408.27	605.13

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

31. खपत हुई सामग्री की लागत

			31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
क.	कच्चा माल			
	(1)	कॉस्टिक सोड़ा	677.30	585.26
	(2)	सी॰पी॰कोक	269.47	302.64
	(3)	सी.टी. पिच	101.13	94.98
	(4)	एल्यूमिनियम फ्ल्यूराईड	60.05	50.69
	(5)	चूना	44.45	41.03
	(6)	अन्य	29.39	29.81
	कुल खपत हुआ कच्चा माल		1,181.79	1,104.41
ख॰	विद्युत और ईंधन			
	(1)	कोयला	1,531.39	1,285.27
	(2)	ईंधन तेल	455.71	398.22
	(3)	निजी सृजन पर शुल्क	214.06	172.68
	(4)	खरीदी गई विद्युत	3.99	1.89
	(5)	विद्युत ट्रांशमिशन प्रभार	7.38	6.55
	कुल खपत हुई विद्यत एवं ईंधन		2,212.53	1,864.61

32. तैयार माल, मध्यवर्ती और प्रगति में कार्य की मालसूची में परिवर्तन

		31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
तैयार माल			
	आरम्भिक स्टॉक		
(1)	बॉक्साइट	7.73	4.83
(2)	रसायन	93.81	94.32
(3)	एल्यूमिनियम	25.98	28.53
	आरम्भिक स्टॉक	**127.52**	**127.68**
	जोड़ें: उत्पाद शुल्क		
(1)	बॉक्साइट	-	-
(2)	रसायन	6.06	4.87
(3)	एल्यूमिनियम	2.79	4.35
	आरम्भिक स्टॉक पर उत्पाद-शुल्क	**8.85**	**9.22**
तैयार माल का कुल आरम्भिक स्टॉक		**136.37**	**136.90**
घटाएँ:			
	अंतिम स्टॉक		
1)	बॉक्साइट	3.07	7.73
2)	रसायन	154.15	93.81
3)	एल्यूमिनियम	41.52	25.98
	अंतिम स्टॉक	**198.74**	**127.52**
	जोड़ें: उत्पाद शुल्क		
1)	बॉक्साइट	-	-
2)	रसायन	18.22	6.06
3)	एल्यूमिनियम	5.76	2.79
	अंतिम स्टॉक पर उत्पाद-शुल्क	**23.98**	**8.85**
तैयार माल का कुल अंतिम स्टॉक		222.72	136.37
तैयार माल में (अभिवृद्धि)/अवक्षय		(86.35)	0.53

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

32. तैयार माल, मध्यवर्ती और प्रगति में कार्य की मालसूची में परिवर्तन

मध्यवर्ती उत्पाद	31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
आरम्भिक स्टॉक		
एनोड	96.08	103.49
अन्य	7.17	4.52
मध्यवर्ती उत्पादों का कुल अंतिम स्टॉक	103.25	108.01
घटाएँ: अंतिम स्टॉक		
एनोड	82.97	96.08
अन्य	10.65	7.17
मध्यवर्ती उत्पादों का कुल अंतिम स्टॉक	93.62	103.25
मध्यवर्ती उत्पादों में (अभिवृद्धि)/अवक्षय	**9.63**	**4.76**
प्रगति में कार्य		
आरम्भिक स्टॉक	216.50	202.22
घटाएँ: अंतिम स्टॉक	236.37	216.50
प्रगति में कार्य में (अभिवृद्धि)/अवक्षय	**(19.87)**	**(14.28)**
माल-भंडार में कुल (अभिवृद्धि)/अवक्षय	(96.59)	(8.99)

33. कर्मचारी परिलाभ व्यय

		31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	बोनस सहित वेतन एवं मजदूरी	1,240.25	1,122.40
(ख)	भविष्यनिधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		
	1) भविष्य निधि	96.00	92.12
	2) ग्रेच्युटी	29.38	27.69
	3) नियुक्ति पश्चात पेंशन योजना	88.54	88.42
(ग)	स्टाफ कल्याण व्यय	83.27	67.70
कुल कर्मचारी परिलाभ व्यय		1,537.44	1,398.33

33.क. **कर्मचारियों के परिलाभ प्रावधान**

i) **कार्यपालक और गैर-कार्यपालकों के वेतन परिशोधन**

कंपनी के कार्यपालक और गैर-कार्यपालकों के वेतन परिशोधन 1 जनवरी 2017 से बकाया हैं। तदनुसार कम्पनी ने 01.01.2017 से 31.3.2017 तक की अवधि के लिए ₹81.74 करोड़ की अनुमानित देनदारी का प्रावधान किया है।

ii) **एन.पी.एस. में पथांतरण**

कार्यपालक कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभ के लिए 30% पूँजी में से, कंपनी ने सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस) की बाबत 6% आबंटन में से 2% राष्ट्रीय पेंशन योजना में पथांतरण करने का निर्णय लिया है। ₹35.76 करोड़ का राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में 2% पथांतरण का अनुमानित प्रभाव होगा, जिसका 2016-17 के लेखा में प्रावधान किया गया है।

33.ख **कर्मचारियों की परिलाभ योजना**

33.ख.1 **परिभाषित अंशदान योजनाएँ**

क) **भविष्य निधि:** कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों पर भविष्य-निधि को निश्चित अंशदान का भुगतान, एक अलग न्यास को करती है, जो अनुमतिप्राप्त प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है। यह न्याय अंशदानों पर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार अपने सदस्यों को एक सर्वनिम्न दर पर ब्याज का भुगतान करता है। निवेशों पर प्रतिलाभ कम होने या किसी अन्य कारण से यह न्याय घोषित दरों पर ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ हो तो, कंपनी द्वारा कमी को पूरा किया जाता है।

ख) **पेन्शन निधि:** कंपनी पीएफआरडीए के न्यासी बैंक को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो बदले में राशि को संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्दिष्ट बीमाकर्ताओं के पास राशि को निवेश करता है। कंपनी की देनदारी केवल निश्चित अंशदान की सीमा तक सीमित है।

33.ख.2 **परिभाषित परिलाभ योजनाएँ**

क) **ग्रेच्युटी:** ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है, बशर्ते कि अधिकतम ₹10,00,000/- हों। ग्रेच्युटी योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और एक अलग न्यास द्वारा प्रबंधन होता है। इस योजना के अधीन देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

ख) **सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ:** ये लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी को उपलब्ध है जिन्होंने इस लाभ का विकल्प लिया है। अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/अस्पतालों से कंपनी के नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम व्यय सीमा के अधीन बहिः रोगी के तौर पर भी चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। योजना के अधीन देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ग)) **बंदोबस्ती लाभ:** सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्त किए जाने पर, यदि योजना का विकल्प लिए हैं, तो यात्रा-भत्ते का अंतरण अंतिम मुख्यालय से होमटाउन या होमटाउन से दूरी के अधीन किसी अन्य बंदोबस्ती स्थान के लिए कर्मचारियों और/या परिवार को स्वीकार्य है। व्यक्तिगत परिवहन भी स्वीकार्य होगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

घ) **नालको हितकारी निधि योजना:** कंपनी की सेवा में रहने के दौरान दिवंगत हो चुके योजना के सदस्यों के परिवार को वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, कंपनी की सेवा में रहने के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ₹30 प्रति सदस्य प्रति मृत्यु की दर पर अंशदान लिया जाता है एवं कंपनी द्वारा समरूप राशि प्रदान की जाती है। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ङ) **नालको सेवा-निवृत्ति कल्याण योजना:** कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत सहयोग के लिए सद्भाव के प्रतीक स्वरूप वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली ₹10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगी। कंपनी समरूप अंशदान के लिए उतनी ही राशि प्रदान करेगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

च) **सेवानिवर्त्तन उपहार योजना :** कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवर्त्तन या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की स्वीकृति इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ₹25000/- मूल्य का उपहार शामिल है जो कि सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाएगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

33.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

क) **क्षतिपूर्तित अनुपस्थितियाँ:**संचित अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश कंपनी छोड़ने पर भुगतानयोग्य होते हैं, बशर्ते कि कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अधिकतम अनुमेय सीमा के अधीन हो। कंपनी के नियमों के अनुसार, सेवाकाल के दौरान संचित अवकाश का नगदीकरण भी अनुमेय होता है। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ख) **लम्बी सेवा पुरस्कार:** जो कर्मचारी 25 वर्षों की सेवा पूरी कर लेते हैं, वे एक लम्बी सेवा पुरस्कार के हकदार होते हैं, जो एक महीने के वेतन और मंहगाई भत्ते के बराबर होता है। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ग) **एन.ई.एफ.एफ.ए.आर.एस.:** अपंग होने/मृत्यु होने पर, कंपनी कर्मचारी/उसके नामिती को उनके विकल्प अनुसार इस योजना के अधीन यथा वर्णित राशि के जमा करने पर उसकी अनुमानित निर्धारित सेवानिवृत्ति की तारीख तक मासिक लाभ प्रदान करती है। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

कर्मचारी परिलाभ योजनाओं से प्रारूपी तौर पर कंपनी को बीमांकिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है, यथा बीमांकिक जोखिम, निवेश जोखिम, लंबी-उम्र जोखिम और वेतन जोखिम:-

1. **बीमांकिक जोखिम:** यह परिलाभों की लागत आशा से अधिक होने का जोखिम है। यह निम्नलिखित किसी एक कारण से पैदा होती है:

   प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभव: अनुमानित वेतन वृद्धि से उच्चतर वेतन बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप अपेक्षित से उच्चतर दर पर देयता में बढ़ोतरी होगी।

   मृत्यु-दर में विविधता: यदि वास्तविक मृत्यु-दर अनुमानित मृत्यु-दर से उच्चतर होगी तो ग्रेच्युटी लाभ अपेक्षित समय से पूर्व भुगतान करने होंगे। चूँकि मृत्यु लाभ पर अधिकृत करने की कोई शर्त नहीं है, नगदी-प्रवाह की अभिवृद्धि से बीमांकिक लाभ या हानि को बढ़ावा मिलेगा, जो अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के प्रांसगिक मल्यों पर निर्भर होगी।

   प्रत्याहार दरों में विविधता: यदि वास्तविक प्रत्याहार-दर अनुमानित प्रत्याहार-दर से उच्चतर होगी तो ग्रेच्युटी लाभ अपेक्षित समय से पूर्व भुगतान करने होंगे। इसके प्रभाव इस बात पर निर्भर होंगे कि क्या ये लाभ त्यागपत्र की तारीख को यथा अधिकृत हैं।

ii. **निवेश जोखिम:** परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए बीमाकर्ताओं पर निर्भर रहने वाली निधियों के लिए, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य देनदारी का पृष्ठपोषण करनेवाले उपकरणों का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्ति का वर्तमान मूल्य, भावी छूट दर से स्वतंत्र होगा। इसके परिणामस्वरूप निवल देनदारी या निधिपोषित व्यवस्था में व्यापक उतार-चढ़ाव हो सकता है, यदि अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में उल्लेखनीय परिवर्तन हों।

iii. **ब्याज जोखिम:** परिभाषित परिलाभ बाध्यता की संगणना में सरकारी बॉण्ड्स पर आधारित छूट की दर का उपयोग होता है। यदि बॉण्ड्स की प्रतिप्राप्ति घटे, परिभाषित परिलाभ बाध्यता बढ़ने लगेगी।

iv. **दीर्घायु जोखिम:** परिभाषित परिलाभ योजना देनदारी के वर्तमान मूल्य की गणना नौकरी के दौरान और उसके बाद दोनों प्रतिभागी योजना की मृत्यु-दर के श्रेष्ठ अनुमान के संदर्भ द्वारा की जाएगी। योजना प्रतिभागी के जीवन की स्वीकार्यता में वृद्धि से योजना की देनदारी में वृद्धि होगी।

v. **वेतन जोखिम:** परिभाषित परिलाभ योजना देनदारी के वर्तमान मूल्य की गणना योजना प्रतिभागी के भावी वेतन के संदर्भ द्वारा की जाएगी। ऐसे में, योजना प्रतिभागी के वेतन में वृद्धि से योजना की देनदारी में वृद्धि होगी।

बीमांकिक मूल्यांकनों के उद्देश्य के लिए प्रयोग में लिए गए प्रधान अनुमान निम्नवत् हैं:

	को मूल्यांकन		
	31 मार्च-17	**31 मार्च-16**	**31 मार्च-15**
छूट दर(रें)	7.25%	8.00%	8.00%
वेतन वृद्धि की अनुमानित दर(रें)	6%	6%	6%
मृत्यु-दर	आईएएलएम 2006-2008 अंतिम	आईएएलएम 2006-2008 अंतिम	आईएएलएम 2006-2008 अंतिम
अपघर्षण दर	1%	1%	1%

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

इन परिभाषित परिलाभ योजनाओं के विषय में लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृत राशि निम्नवत् है:-

	31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
सेवा लागत		
चालू सेवा लागत	(35.34)	(63.47)
शुद्ध ब्याज व्यय	(22.45)	(23.04)
लाभ या हानि में स्वीकृत परिभाषित लाभ लागत का अंश	**(57.79)**	**(86.51)**
शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी पर पुनर्मापन		
शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी पर प्रतिप्राप्ति	9.35	(3.87)
वित्तीय धारणाओं से पैदा होनेवाले बीमांकिक (लाभ)/हानि	(17.38)	-
अनुभवी धारणाओं से पैदा होनेवाले बीमांकिक (लाभ)/हानि	21.91	21.90
अन्य विशद आय में स्वीकृत परिभाषित लाभ लागत के अंश	13.88	18.03
कुल	(43.91)	(68.48)

वर्ष के लिए चालू सेवा लागत और शुद्ध ब्याज व्यय "कर्मचारी लाभ व्यय" पंक्ति के मद में लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में शामिल किए गए हैं।

शुद्ध परिभाषित देनदारी का पुनर्मापन अन्य विशद आय में शामिल किया गया है।

परिभाषित परिलाभ योजना के संबंध में घटक की बाध्यता से पैदा होनेवाली तुलन-पत्र में शामिल की गई राशि निम्नवत् है:

	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा-निवृत्ति कल्याण योजना	सेवानिवर्त्तन उपहार योजना	ग्रेच्युटी (निधिपोषित)
01 अप्रैल, 2015						
परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	(72.41)	(5.98)	-	-	-	(293.76)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-	291.71
परिभाषित लाभ बाध्यता से उठी शुद्ध देनदारी	**(72.41)**	**(5.98)**	-	-	-	**(2.05)**
31 मार्च, 2016						
परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	(61.24)	(2.74)	(3.94)	(13.13)	(6.92)	(298.02)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-	290.25
परिभाषित लाभ बाध्यता से उठी शुद्ध देनदारी	**(61.24)**	**(2.74)**	**(3.94)**	**(13.13)**	**(6.92)**	**(7.77)**
31 मार्च, 2017						
परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	(64.31)	(2.41)	(3.86)	(13.84)	(7.34)	(314.04)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-	302.10
परिभाषित लाभ बाध्यता से उठी शुद्ध देनदारी	**(64.31)**	**(2.41)**	**(3.86)**	**(13.84)**	**(7.34)**	**(11.94)**

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

परिभाषित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य का संचलन निम्नवत् है:

	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा-निवृत्ति कल्याण योजना	सेवानिवर्त्तन उपहार योजना	ग्रेच्युटी (निधिपोषित)
01 अप्रैल, 2015 को यथा आरम्भिक परिभाषित लाभ बाध्यता	(72.41)	(5.98)	-	-	-	(293.76)
चालू सेवा लागत	(5.65)	(5.37)	(3.94)	(13.13)	(6.92)	(28.46)
ब्याज लागत	-	0.46	-	-	-	(22.58)
पुनर्मापन						
अनुभवी धारणाओं से पैदा होनेवाले बीमांकिक (लाभ)/हानि	13.33	8.61				(0.04)
प्रदत्त परिलाभ	3.49	0.46				22.97
अन्य	-	-	-	-	-	23.85
31 मार्च, 2017 को यथा अंतिम परिभाषित लाभ बाध्यता	**(61.24)**	**(2.74)**	**(3.94)**	**(13.13)**	**(6.92)**	**(298.02)**
चालू सेवा लागत	(4.32)	(0.44)	-	-	-	(30.58)
ब्याज लागत	-	(0.18)	(0.27)	(0.89)	(0.48)	(20.63)
पुनर्मापन						
वित्तीय धारणाओं से पैदा होनेवाले बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.12)	(0.11)	(0.12)	(0.56)	(0.39)	(15.08)
अनुभवी धारणाओं से पैदा होनेवाले बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.89)	0.64	(0.03)	(0.92)	(0.17)	23.28
प्रदत्त परिलाभ	3.26	0.42	0.50	1.66	0.61	27.00
31 मार्च, 2017 को यथा अंतिम परिभाषित लाभ बाध्यता	**(64.31)**	**(2.41)**	**(3.86)**	**(13.84)**	**(7.35)**	**(314.03)**

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में संचलन निम्नवत् है:

	ग्रेच्युटी (निधिपोषित)
01 अप्रैल 2015 को यथा योजना परिसंपत्तियों का आरम्भिक उचित मूल्य	291.71
ब्याज आय	23.33
पुनर्मापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिप्राप्ति (शुद्ध ब्याज आय में शामिल राशि को छोड़कर)	(3.87)
नियोक्ता से अंशदान	2.05
प्रदत्त परिलाभ	(22.97)
31 मार्च 2016 को यथा योजना परिसंपत्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**290.25**
ब्याज आय	21.04
पुनर्मापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिप्राप्ति (शुद्ध ब्याज आय में शामिल राशि को छोड़कर)	9.35
अन्य (वर्णन करें)	
नियोक्ता से अंशदान	8.46
प्रदत्त परिलाभ	(27.00)
31 मार्च 2017 को यथा योजना परिसंपत्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**302.10**

प्रत्येक संवर्ग के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में संचलन निम्नवत् है:

		निम्न को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
	म्युचुअल फंडों में निवेश	**31 मार्च-17**	**31 मार्च-16**	**31 मार्च-15**
1.	बीमा कंपनियाँ	302.10	290.25	291.71
	कुल	302.10	290.25	291.71

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

33 ख. परिभाषित लाभ योजनाओं का संवदनशीलता विश्लेषण

परिभाषित परिलाभ योजना के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएँ हैं - छूट दर, अपेक्षित वेतन वृद्धि, अपघर्षण दर और मृत्यु-दर। नीचे संवेदनशीलता विश्लेषण, अन्य सभी धारणाओं को अचल रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होनेवाली संबंधित धारणों के औचित्यपूर्ण संभावित परिवर्तन पर आधारित है।

संवदेनशीलता विश्लेषण राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2015-16	निम्न तक वृद्धि	निम्न तक कमी	निम्न तक वृद्धि	निम्न तक कमी	निम्न तक वृद्धि	निम्न तक कमी
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	2.65	2.59	0.08	0.08	0.08	0.08
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	4.33%	4.23%	3.08%	2.91%	2.13%	2.04%
वेतन बढ़ोतरी में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	1.06	1.24	0.00	0.00	-	0.00
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	1.72%	2.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
अपघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.18	0.18	-	-	-	0.00
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.29%	0.29%	0.08%	0.08%	0.07%	0.07%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.14	0.14	0.01	0.01	-	-
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.22%	0.22%	0.51%	0.51%	0.03%	0.03%

विवरण	नालको सेवा-निवृत्ति कल्याण योजना		सेवानिवर्त्तन उपहार योजना		ग्रेच्युटी (निधिपोषित)	
2015-16)	निम्न तक वृद्धि	निम्न तक कमी	निम्न तक वृद्धि	निम्न तक कमी	निम्न तक वृद्धि	निम्न तक कमी
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.38	0.36	0.26	0.25	10.18	9.60
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.87%	2.74%	3.83%	3.60%	3.42%	3.22%
वेतन बढ़ोतरी में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	-	-	-	-	1.24	1.40
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.42%	0.47%
अपघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.01	0.01	-	-	0.35	0.35
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.12%	0.12%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	-	-	-	-	2.11	2.11
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.71%	0.71%

विवरण	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2016-17	निम्न तक वृद्धि	निम्न तक कमी	निम्न तक वृद्धि	निम्न तक कमी	निम्न तक वृद्धि	निम्न तक कमी
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	2.95	2.77	0.08	0.07	0.08	0.08
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	4.58%	4.31%	3.19%	3.02%	2.14%	2.07%
वेतन बढ़ोतरी में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	1.43	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.23%	1.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
अपघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.20	0.20	-	-	-	-
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.31%	0.31%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.14	0.14	0.01	0.01	-	-
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.21%	0.21%	0.51%	0.51%	0.03%	0.03%

विवरण	नालको सेवा-निवृत्ति कल्याण योजना		सेवानिवर्त्तन उपहार योजना		ग्रेच्युटी (निधिपोषित)	
2016-17	निम्न तक वृद्धि	निम्न तक कमी	निम्न तक वृद्धि	निम्न तक कमी	निम्न तक वृद्धि	निम्न तक कमी
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.40	0.38	0.28	0.27	10.70	10.07
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.86%	2.71%	3.82%	3.62%	3.41%	3.21%
वेतन बढ़ोतरी में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	-	-	-	-	1.35	1.52
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%	0.48%
अपघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.01	0.01	-	-	0.34	0.34
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.11%	0.11%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	-	-	-	-	2.11	2.11
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.67%	0.67%

ऊपर उपस्थापित संवेनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ बाध्यता में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, चँकि यह असंभाव्य है क्योंकि धारणाओं में परिवर्तन एक दूसरे से अलग अलग हो सकता है क्योंकि कुछेक धारणाएँ सहसंबद्ध हो सकती हैं।

और फिर, उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण को उपस्थापित करने में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, उसी समान परिकल्पित एकक जमा पद्धति का उपयोग करके परिभाषित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य का हिसाब लगाया गया है, जो तुलन-पत्र में स्वीकृत परिभाषित लाभ बाध्यता देनदारी का हिसाब करने में अपनाई गई है।

पूर्ववर्ती वर्षों से संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करने में प्रयोग की गई पद्धतियों और धारणाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

34. वित्त लागत

		31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	विखण्डन ओर रचनात्मक बाध्यताओं पर ब्याज	2.31	2.06
(ख)	अन्य वित्त लागत	0.38	1.21
कुल वित्त लागत		2.69	3.27

35. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

	31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	467.36	413.47
अमूर्त परिसंपत्तियों का ऋण-परिशोधन	13.00	12.65
कुल मूल्यह्रास और ऋण-परिशोधन	480.36	426.12

36. उत्पाद शुल्क

		31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	माल को हटाने पर उत्पाद-शुल्क	491.85	452.64
(ख)	अंतिम स्टॉक पर उत्पाद-शुल्क (अभिवृद्धि/अवक्षय)	15.13	(0.37)
कुल उत्पाद-शुल्क		506.98	452.27

37. अन्य व्यय

			31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	खपत हुए भंडार और कल-पुर्जे		318.57	335.44
(ख)	निम्न की मरम्मत एवं अनुरक्षण			
	(1)	भवन	30.49	44.98
	(2)	मशीनरी	138.71	127.84
	(3)	अन्य	20.16	18.83
(ग)	अन्य उत्पादन व्यय			
	(1)	जल प्रभार	24.18	24.18
	(2)	रॉयल्टी	108.53	93.14
	(3)	जिला खनिज निधि और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास को अंशदान	34.73	36.31
	(4)	निरंतर तकनीकी सहायता व्यय	8.52	9.77
	(5)	अन्य	54.47	53.80
(घ)	भाड़ा और अन्य संवाहन प्रभार			
	(1)	आवक सामग्री (एल्यूमिना)	102.16	97.31
	(2)	निर्गामी सामग्री	163.97	155.51
(ङ)	लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक और जेब-वहिर्भूत व्यय			
	(i)	लेखा-परीक्षकों के रूप में	0.26	0.20
	(ii)	कराधान मामलों के लिए	0.05	0.04
	(iii)	अन्य सेवाओं के लिए	0.21	0.16
	(iv)	व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.02	0.02
(च)	लागत लेखा-परीक्षकों को भुगतान		0.03	0.02
(छ)	सुरक्षा और अग्निशमन व्यय		104.57	90.31
(ज)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय [टिप्पणी 37.1 का संदर्भ लें]		29.69	27.17
(झ)	प्रशासनिक और साधारण व्यय		97.94	74.55
(ञ)	अक्षय खरीद बाध्यता		63.02	30.35
(ट)	विवादित सरकारी और अन्य देय ते लिए प्रावधान		178.12	140.22
(ठ)	बिक्री और वितरण व्यय		27.83	26.82
(ड)	माल-भंडार, दावों आदि को बट्टे खाते डालना		27.96	9.61
(ढ)	खराब और संदिग्ध प्रावधान		56.93	63.01
(ण)	अन्य		37.10	39.55
कुल अन्य व्यय			1,628.22	1,499.14

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

37. अन्य व्यय

टिप्पणी:

37.1

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च			
क)	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जानेवाली सकल राशि ₹27.56 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹26.24 करोड़) है।		
ख)	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		
	i)	परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण	₹0.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य)
	ii)	ऊपर (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर	₹29.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹27.17 करोड़)
		कुल	**₹30.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹27.17 करोड़)**

38. विशिष्ट मद और असाधारण मद

		31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
विशिष्ट मद			
	अन्य (आय) / व्यय	40.15	(53.45)
कुल विशिष्ट मद		40.15	(53.45)

टिप्पणी:

38.1 ओड़िशा के अन्य प्रमुख कर-निर्धारितियों द्वारा आयातित वस्तुओं पर एँट्री टैक्स के बारे में ओड़िशा के माननीय उच्च-न्यायालय के अधिनिर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) से सूत्र लेकर, कंपनी ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर किया है। विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय की जाँच करने के बाद, उच्चतम न्यायालय ने अंततः इस मामले को 9 न्यायाधीशों की बेञ्च को भेजा।

माननीय उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की बेञ्च ने दिनांक 11.11.2016 के अपने अधिनिर्णय में आयातित वस्तुओं पर एंट्री टैक्स लगाने की सांविधिक वैधता के मामलो में राज्य के पक्ष में सांविधिक वैधता का निर्णय दिया। किन्तु शीर्ष न्यायालय ने आयातित वस्तुओं पर एंट्री टैक्स लगाने के मामले को उच्चतम न्यायालय की विभागीय बेञ्च द्वारा निर्णय के लिए छोड़ दिया। किन्तु दिनांक 11.11.2016 को व्यक्तिगत न्यायाधीशों द्वारा विष्कर्ष परिणामों के अवलोकन पर, प्रथम-दृष्टया यह राज्य के पक्ष में प्रकट होता है। कानूनी विशेषज्ञों के साथ सलाह में, कंपनी ने 31.03.2017 तक राज्य सरकार द्वारा आयात पर एंट्री टैक्स के लिए की गई मांग के आधार पर वर्ष के दौरान आयातित सामानों पर आयात टैक्स की देनदारी के बाबत ₹37.90 करोड़ की राशि स्वीकार की है। इसके पूर्व वर्षों से संबंधित एंट्री टैक्स के लिए मांग को अदालत के अधिनिर्णय के आधार पर चालू वर्ष में स्वीकार किया गया है, अतः इसे विशिष्ट मद माना गया। चालू वर्ष के लिए एंट्री टैक्स के खाते में ₹3.97 करोड़ की राशि की देनदारी को चालू वर्ष के लिए लाभ या हानि खाते में प्रभारित किया गया है। आयात पर एंट्री टैक्स के लिए ₹41.88 की कुल देनदारी के विरुद्ध ₹26.33 करोड़ की राशि का राज्य सरकार को प्रतिवाद के अधीन भुगतान किया जा चुका है।

साथ ही, कंपनी और मेसर्स केसी एंड सीसी, के बीच विवाद से पैदा हुए पंचायत बंदोबस्त के खाते में, ₹2.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसे एक विशिष्ट मद के रूप में माना गया।

38.2 पिछले वर्ष के लिए विशिष्ट मद ₹53.45 करोड़ की राशि (यू.एस.डॉलर 8.05 मिलियन) से संबंधित है, जो मेसर्स पीक केमिकल्स से कास्टिक सोड़ा की आपूर्ति नहीं किए जाने पर जोखिम और लागत दावे के अंतिम निपटान की बाबत प्राप्त हुई थी।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

39. आयकर

39.1	लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर		
		31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
	चालू कर		
	चालू वर्ष के संबंध में	219.57	375.60
	पिछले वर्षों के संबंध में	(0.05)	(8.67)
		219.52	**366.93**
	आस्थगित कर		
	चालू वर्ष के संबंध में	97.81	34.61
	पिछले वर्षों के संबंध में	(3.68)	-
	अन्य (एमएटी जमा हकदारी)	(17.46)	-
		76.67	**34.61**
	चालू वर्ष में मान्य कुल आय कर व्यय	296.19	401.54
	इस वर्ष के लिए आय कर व्यय को लेखाकरण लाभ मे निम्नवत् मिलान किए जा सकते हैं:		
	कर-पूर्व लाभ	**964.72**	**1,188.65**
		333.87	**411.37**
	इन पर 34.608% की दर से आयकर व्यय:		
	निम्न का कर प्रभाव		
	i) कराधान से मुक्त आय	(12.39)	(1.80)
	ii) गैर-अनुमेय व्यय	10.24	9.68
	iii) किए गए खर्च से अधिक अनुमेय व्यय	(0.97)	(0.63)
	iv) रियायतों का प्रभाव (अनुसन्धान एवं विकास और अन्य भत्ते)	(21.94)	(4.65)
	v अस्थायी अंतर	(9.40)	(5.52)
	vi) अन्य (ब्याज और पूर्व वर्ष के कर)	(3.22)	(6.91)
	लाभ या हानि में मान्य आय कर व्यय	**296.19**	**401.54**

39.2	**इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से मान्य आय कर**		
	चालू कर		
	शेयर वापस-खरीदी लागत	(3.06)	
	इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से मान्य आय कर	**(3.06)**	**-**

39.3	**अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर**		
	आस्थगित कर		
	अन्य विशद आय में स्वीकृत आय आर व्यय पर उत्पन्न		
	- परिभाषित लाभ दायित्व का पुनर्मापन	4.80	14.21
	अन्य विशद आय में स्वीकृत कुल आय कर	**4.80**	**14.21**
	अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर निम्न में द्विविभाजन		
	लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत किए जानेवाले मद	-	-
	लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मद	4.80	14.21

टिप्पणी:

वर्ष के दौरान, वर्ष के लिए संगणित बही लाभ के अनुसार सर्वनिम्न वैकल्पिक कर (एमएटी) पर आधारित चालू कर का प्रावधान किया गया। इसके परिणामस्वरूप एमएटी जमा हकदारी आस्थगित कर के साथ समायोजित की गई।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

40. खण्डवार सूचना

40.1 वे उत्पाद जिनसे रिपोर्टयोग्य खण्ड अपना राजस्व संग्रह करते हैं

वितरित माल के प्रकार पर संसाधन आबंटन और खण्ड निष्पादन ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से सूचना की रिपोर्ट मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) को दी गई है। कंपनी के निदेशकों ने उत्पादों में अंतर के आसपास कंपनी को संगठित करने का चयन किया है। कंपनी में रिपोर्टयोग्य खण्ड में आनेवाले में कोई रिपोर्टिंग खण्ड जोड़ा नहीं गया है। विशेषकर, इंड ए.एस. 108 के अधीन कंपनी का रिपोर्टयोग्य खण्ड - प्रचालन खण्ड निम्नवत् हैं:

i) रसायन खण्ड

ii) एल्यूमिनियम खण्ड

कंपनी ने रसायन और एल्यूमिनियम को दो प्राथमिक प्रचालित व्यवसाय खण्डों के रूप में माना है। रसायनों में निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिना हाईड्रेट और अन्य संबंधित उत्पाद हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम पिण्ड, तार-छड़ें, लट्ठे, पट्टियाँ, वेल्लित और अन्य उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत के लिए उत्पादित बॉक्साइट: रसायनों के अधीन शामिल की गई है और एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत के लिए सृजित विद्युत एल्यूमिनियम खण्ड में शामिल की गई है। पवन विद्युत संयंत्र प्राथमिक रूप से संभाव्य अक्षय ऊर्जा स्रोत के दोहन के लिए चालू किया गया जो अनाबंटित सामान्य खण्ड में शामिल किया गया है।

40.2 खण्ड राजस्व और परिणाम

राशि करोड़ ₹ में

निम्नलिखित कंपनी के रिपोर्टयोग्य खण्ड द्वारा प्रचालन से राजस्व और परिणामों का एक विश्लेषण है।

	खण्ड राजस्व	
प्रचालन खण्ड	**31.3.2017 को समाप्त वर्ष**	**31.3.2016 को समाप्त वर्ष**
रसायन खण्ड	**4046.21**	**3684.98**
एल्यूमिनियम खण्ड	**5537.42**	**5016.60**
अनाबंटनीय	108.64	80.65
प्रचालनों के लिए कुल	9,692.27	8,782.23
घटाएँ: अन्तर खण्ड राजस्व	1,642.25	1,513.00
प्रचालनों से राजस्व	**8,050.02**	**7,269.23**

	खण्ड परिणाम	
प्रचालन खण्ड	**31.3.2017 को समाप्त वर्ष**	**31.3.2016 को समाप्त वर्ष**
रसायन खण्ड	976.92	907.42
एल्यूमिनियम खण्ड	(224.78)	(175.28)
विशिष्ट मद, ब्याज और कर के पूर्व खण्ड परिणाम	**752.14**	**732.14**
असाधारण मदों सहित कुल व्यय	(40.15)	53.45
ब्याज और वित्तीय प्रभार	(2.69)	3.27
ब्याज और अन्य आय	383.03	548.20
अन्य अनाबंटित आय अनाबंटित व्ययों का शुद्ध	(127.61)	(141.87)
कर-पूर्व लाभ	**964.72**	**1,188.65**

40.3 खण्ड परिसम्पत्तियाँ और देनदारियाँ

	खण्ड परिसम्पत्तियाँ		खण्ड देनदारियाँ	
	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा
रसायन खण्ड	3,643.06	3,703.89	780.06	596.36
एल्यूमिनियम खण्ड	5,165.16	5,177.83	1902.94	1346.94
परिसम्पत्तियों और देनदारियों का विवरण	8,808.22	8,881.73	2,683.00	1,943.30
अनाबंटनीय	5,693.44	7,828.46	367.28	462.07
कुल इक्विटी और देनदारियाँ	14,501.65	16,710.19	3,050.28	2,405.37

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

40.4 अन्य खण्ड सूचना

	मूल्यह्रास और परिशोधन		गैर-चालू परिसंपत्तियों में जोड़	
	31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
रसायन खण्ड	165.49	173.01	(3.10)	(24.58)
एल्यूमिनियम खण्ड	232.17	270.62	(67.90)	(147.68)
अनाबंटनीय	28.45	36.72	(449.67)	1,264.77
प्रचालनों के लिए कुल	426.12	480.36	(520.68)	1,092.51

40.5 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

निम्नलिखित कंपनी के प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से प्रचालन जारी रखने से राजस्व का एक विश्लेषण है।

	31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
रसायन खण्ड (हाईड्रेट और एल्यूमिना)	2,584.25	2,318.19
एल्यूमिनियम खण्ड (एल्यूमिनियम)	5,272.19	4,782.84
	7,856.44	7,101.03

40.6 भौगोलिक सूचना

कंपनी मुख्यतः प्रधान भौगोलिक क्षेत्रों - भारत (अधिवास का देश) और भारत के बाहर प्रचालन करती है।

	बाहरी ग्राहकों से राजस्व		गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ		
	31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को यथा	31 मार्च 16 को यथा	01 अप्रैल 2015 को यथा
भारत	4,231.45	3,854.16	8,845.86	9,366.54	8,274.03
भारत के बाहर	3,624.99	3,246.87	-	-	-
कुल	7,856.44	7,101.03	8,845.86	9,366.54	8,274.03

टिप्पणी:

i) रसायन खण्ड से एल्यूमिनियम खण्ड में निस्तप्त एल्यूमिना का अन्तर-खण्ड-स्थानान्तरण उक्त अवधि के दौरान एल्यूमिना की निर्यात बिक्री से औसत शुद्ध वसूली पर माना गया है। एल्यूमिनियम खण्ड से रसायन खण्ड में विद्युत का स्थानान्तरण एल्यूमिना परिशोधक में राज्य के ग्रिड से विद्युत के वार्षिक/आवधिक औसत क्रय मूल्य पर माना गया है।

ii) राजस्व और व्यय प्रचालन गतिविधियों के प्रति उनके संबंधों के आधार पर खण्डों में चिह्नित किए गए हैं। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ, जो समग्रतः उद्यम से संबंधित हैं और उचित आधार पर आबंटन योग्य नहीं हैं, उन्हें अनाबंटिक आम खण्ड के अधीन शामिल किया गया है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

41. प्रति शेयर आय

		31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
		₹ प्रति शेयर	₹ प्रति शेयर
41.1	**मूल प्रति शेयर आय (₹ में.)**		
	कुल प्रचालन से	2.98	3.05
	कुल मूल प्रति शेयर आय	2.98	3.05

41.2 मूल प्रति शेयर आय

मूल प्रति शेयर आय का हिसाब लगाने में प्रयुक्त आय और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नवत् है:

	31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों के प्रति आरोप्य वर्ष के लिए लाभ	668.53	787.11
मूल प्रति शेयर आय का हिसाब लगाने में प्रयुक्त आय	668.53	787.11
	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा
मूल प्रति शेयर आय का हिसाब लगाने में प्रयुक्त आय और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में)	224.71	257.72

42. वित्तीय उपस्करण

42.1

वित्तीय उपकरणों के संवर्ग					
			31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर परिमित (एपवीटीपीएल)					
(क)	अनिवार्य रूप से मापित:				
	(i)	म्युचुअल फंडों में निवेश	1221.13	1009.28	1021.06
	(ii)	विदेशी मुद्रा पर अग्रेषित संविदा	शून्य	0.92	शून्य
परिशोधित लागत पर मापित					
(क)	नकद एवं बैंक शेष		24.83	654.42	3.68
(ख)	परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		2,770.76	4,986.41	5,227.62
			4,016.72	6,651.03	6,252.36
वित्तीय देनदारियाँ					
परिशोधित लागत पर मापित			1,386.62	1,059.79	1,064.73

42.2 वित्तीय जोखिम प्रबन्धन उद्देश्य

अपने व्यवसाय के कार्य में, कंपनी को प्रधानतः विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, इक्विटी के मूल्यों, तरलता और उधारी के जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिससे वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें केवल विदेशी मुद्रा के जोखिम ही नहीं, बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों से जुड़े अन्य जोखिम, यथा ब्याज दर जोखिम और ऋण जोखिम भी शामिल हैं।

कंपनी की जोखिम प्रबन्धन नीति का उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित को सुनिश्चित करना है:

i) वित्तीय स्थिरता के साथ संधारणीय व्यावयिक विकास सुनिश्चित करना;

ii) जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना सहित रणनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखण में नालको की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक रणनीतिक ढाँचा प्रदान करना;

iii) यह सुनिश्चित करना कि नालको के सभी महत्वपूर्ण जोखिम अनावरणों, तुलनपत्र पर या इससे बाहर दोनों, की पहचान, आकलन, परिमाणित करना, उपयुक्ततः घटाना एवं प्रबंधन हो तथा

iv) उपयुक्त विनियमों का, जहाँ लागू हों, प्रचालनों की प्रकृति, आकार एवं जटिलता के उपयुक्त रूप से जहाँ तक हो सके, अंतर्राष्ट्री श्रेष्ठ अभ्यासों को स्वेच्छा से अपनाते हुए नालको द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित है। आन्तरिक नियंत्रण दल, जोखिम प्रबन्धन प्रणाली की प्रभावोत्पादकता और कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह हर तिमाही अपने विष्कर्ष परिणाम लेखापरीक्षा समिति के समक्ष उपस्थापित करेगा। निदेशक-मंडल कंपनी की जोखिम प्रबन्धन की समग्र प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। निदेशक-मंडल, इसलिए, जोखिम प्रबन्धन नीति और इसमें किसी संशोधनों को अनुमोदित करेगा और इसका सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

42.3 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम भावी आय (क्रय-विक्रय दरों का अंतर) में किसी हानि का जोखिम है, जो निष्पाद्य उचित मूल्य (आर्थिक मूल्य) में या भावी नगदी प्रवाह में किसी वित्तीय उपकरण के मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होता है। ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनियम दरों, और अन्य बाजार परिवर्तनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वित्तीय साधनों का मूल्य परिवर्तित हो सकता है। कंपनी बिक्री प्रक्रियाओं और उठाई गई निधि तथा ऋण चुकाने/समय-पूर्व चुकाने से उत्पन्न नकदी प्रवाह में बेमेल से होनेवाली चल-निधि जोखिम के शर्ताधीन हो सकती है। भावी विशिष्ट बाजार संचलन का सामान्यतः उचित विशुद्धता के साथ पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता।

42.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबन्धन

विदेशी मुद्रा जोखिम, विदेशी मुद्रा लेनदेनों पर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होता है। मुद्रा जोखिम प्रबन्धन का समग्रतः उद्देश्य, विदेशी विमिनय दरों में परिवर्तन से पैदा होनेवाली कंपनी की आय का संरक्षण करना है। कंपनी की नीति मुद्रा अटकलों के किसी भी रूप से बचना है। मुद्रा अनावरण की प्रतिरक्षा या तो स्वाभाविक रूप से बराबर करने या मेल खाती परिसंपत्तियों और इसी तरह की मुद्रा की देनदारियों के माध्यम से या उसके अभाव में, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ लेनदेन किए गए प्रतिष्ठित व्युत्पन्न उपकरणों के उपयोग के माध्यम से की जाएगी। मुद्रा जोखिम को संबंधित मुद्राओं में खुली स्थिति की शर्तों में मापा जाता है, कंपनी के प्रचालन मुद्रा अर्थात भारतीय रुपये की तुलना में। मुद्रा बेमेल के कारण अंतर को खोजने के लिए एक मुद्रा अंतर विवरण तैयार किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण आय विवरण और इक्विटी पर प्रभाव पड़ सकता है, जहां कोई भी लेन-देन एक से अधिक मुद्रा का संदर्भ देता है या जहां संपत्ति / देनदारियों को संबंधित समेकित संस्थाओं की कार्यकारी मुद्रा के अलावा अन्य मुद्रा में वर्णित की जाती है।

कंपनी विदेशी मुद्रा में संक्रमित लेनदेन करती है; फलस्वरूप, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का सामना होता है। विनिमय दर का प्रबंधन विदेशी मुद्रा अनुबंध का उपयोग करने वाली अनुमोदित नीति के मानदंडों के भीतर किया जाता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में दर्शित मूल्यवान मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देनदारियों की वहन राशि निम्नानुसार है: -

राशि करोड़ ₹ में

	को देनदारियाँ			को परिसंपत्तियाँ		
	31 मार्च-17	31 मार्च-16	1-अप्रैल-15	31 मार्च-17	31 मार्च-16	1-अप्रैल-15
यू.एस. डॉलर	1.96	2	2.02	98.57	199.17	0
यूरो	2.57	4.94	12.04	-	-	0
अन्य	-	-	-	-		1.49

42.4.1 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी विनिमय दर जोखिम के प्रति अपने प्रदर्शन का आकलन करके विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। यह अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग करके इन जोखिमों के एक हिस्से की प्रतिरक्षा करता है।

विदेशी विनिमय दर संवेदनशीलता की प्रत्येक मुद्रा के लिए गणना, किसी मुद्रा की शुद्ध विदेशी विनिमय दर के एकीकरण के द्वारा और से प्रत्येक मुद्रा की विदेशी मुद्रा दरों में 10% तक खिसकाव तथा समानांतर विदेशी विनिमय दर द्वारा की जाती है।

निम्नलिखित विश्लेषण प्रासंगिक तुलन-पत्र की तारीखों को सकल अनावरण पर आधारित है, जो आय विवरण को प्रभावित कर सकता है। समेकित विदेशी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के अनुवाद के कारण आय विवरण प्रति कोई अनावरण नहीं है।

31 मार्च, 2017, 31 मार्च 2016 और 01 अप्रैल 2015 को यथा विदेशी मुद्रा अनावरण से संबंधित जानकारी निम्नलिखित तालिका में निर्धारित की गई है:

	यू.एस.डॉलर प्रभाव		यूरा प्रभाव		जापानी येन प्रभाव	
	31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ या हानि पर प्रभाव	9.7	19.7	0.26	0.49	0.0	0.0

42.5 अन्य मूल्य जोखिम

42.5.1 इक्विटी मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी इक्विटी साधनों से उत्पन्न इक्विटी मूल्य जोखिम के संपर्क में नहीं है क्योंकि सभी इक्विटी निवेश व्यापार उद्देश्यों के बजाय रणनीतिक रूप से आयोजित किए जाते हैं।

42.6 उधार जोखिम प्रबन्धन

उधार जोखिम संविदात्मक शर्तों या दायित्वों के अनुसार चुकाने या सेवा देय के लिए प्रतिपक्ष की विफलता से उत्पन्न वित्तीय नुकसान का जोखिम है। उधार जोखिम में बकाया के प्रत्यक्ष जोखिम और उधारी-पात्रता की कमी, दोनों के साथ-साथ एकाग्रता जोखिम भी शामिल हैं। ग्राहक से अग्रिम संग्रह के रूप में कोई महत्वपूर्ण उधारी अनावरण नहीं है।
वित्तीय साधन जो उधारी जोखिम की सांद्रता के शर्ताधीन हैं, मुख्यतः ऋण और प्राप्यों, व्यापार प्राप्यों, ऋण और अग्रिम और व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के रूप में वर्गीकृत निवेश शामिल हैं। कंपनी के किसी भी वित्तीय साधनों के परिणामस्वरूप कोई महत्वपूर्ण उधारी जोखिम की सांद्रता नहीं है।

42.7 चल-निधि जोखिम प्रबन्धन

चल-निधि जोखिम उस जोखिम को दर्शाता है जब कि कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती हो। चल-निधि जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त तरलता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यकताओं के अनुसार धन उपलब्ध हैं।
कंपनी ने कंपनी के अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घावधि वित्तपोषण की चल-निधि आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए उपयुक्त चल-निधि जोखिम प्रबंधन ढाँचा स्थापित किया है। कंपनी लगातार निगरानी पूर्वानुमान और वास्तविक नकद प्रवाह द्वारा और वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के परिपक्वता विवरणों को मिलान करके पर्याप्त आरक्षित और बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखने के द्वारा चल-निधि जोखिम का प्रबंधन करती है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

43. संबंधित पक्ष अनावरण

43.1 संबंधित पक्ष

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

i) पूर्णकालिक निदेशकगण

(क)	डॉ तपन कुमार चान्द	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक
(ख)	श्री के. सी. सामल	निदेशक (वित्त)
(ग)	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्	निदेशक (उत्पादन)
(घ)	श्री बसन्त कुमार ठाकुर	निदेशक (मानव संसाधन) 04.07.2016 से प्रभावी
(ङ)	श्री एस. के. रॉय	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) 03.02.2017 से प्रभावी
(च)	श्री एस.सी. पाढ़ी	निदेशक (मानव संसाधन) 30.6.2016 तक
(छ)	श्री एन. आर. महान्ति	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) 31.1.2017 तक
(ज)	सुश्री सोमा मण्डल	निदेशक (वाणिज्य) 28.2.2017 तक
	अन्य	
	श्री के. एन. रवीन्द्र	कार्यपालक निदेशक - कम्पनी सचिव

II अंशकालिक सरकारी निदेशक (भारत सरकार के नामिती)

(क) श्री सुभाष चन्द्र (20.10.2016 से प्रभावी)

(ख) डॉ. एन. के. सिंह (15.3.2017 से प्रभावी)

(ग) श्री आर. श्रीधरन्, भाप्रसे (2.1.2017 तक)

(घ) श्री एन.बी धळ, भाप्रसे (19.10.2016 तक)

III) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशकगण

(क) श्री दीपंकर महन्त

(ख) श्री एस. शंकररमण

(ग) श्री प्रभात केशरी नायक

(घ) प्रो. दामोदर आचार्य

(ङ) श्री महेश्वर साहु

(च) सुश्री किरण घई सिन्हा (03.02.2017 से प्रभावी)

ख. संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी संस्थाएँ

(क) अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.

(ख) एन.पी.सी.आई.एल.-नालको पॉवर कंपनी लिमिटेड

(ग) जीएसीएल-नालको अल्कालिज एंड केमिकल्स लिमिटेड

ग. नियुक्ति पश्चात लाभ योजना

(क) नालको कर्मचारी भविष्य निधि न्यास

(ख) नालको कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी न्यास

घ. (क) में केएमपी के रूप में चिह्नित व्यक्ति द्वारा नियंत्रित संस्था

(क) नालको फाउण्डेशन

ङ. सरकार जिनका नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है:

(क) भारत सरकार

च. संस्थाएं जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव है (कें.सा.क्षे.उद्यम)

कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित कें.सा.क्षे.उद्यमों से प्रमुख व्यावसायिक लेनदेन किए हैं:

i) माल और सेवाओं की खरीदी

क) इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लि॰

ख) भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लि॰

ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लि॰

घ) महानदी कोलफील्स लि॰

ङ) नोर्दन कोलफील्स लि॰

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

च) सिंगारेनी कोलियरिज लि॰

छ) वेस्टर्न कोलफील्स लि॰

ज) नुमालिगढ़ रिफाइनरी लि॰

झ) भारत अर्थमूवर्स लि॰

ञ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि॰

ट) खनिज गवेषण निगम लि॰

ठ) बामर लारी एंड कं॰

ड) पूर्व तट रेलवे

ढ) विशाखापत्तनम् बन्दरगाह न्यास

ii) **माल की बिक्री**

क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.)

ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰

ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि॰

घ) ओड़िशा थर्मल पॉवर कोर्पोरेशन लि॰.

43.2 **संबंधित पार्टी लेनदेन** — राशि करोड़ ₹ में

1.	**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**		
	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों पारिश्रमिक		
	विवरण	31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
	वेतन	3.04	2.78
	भविष्यनिधि में अंशदान	0.20	0.17
	मेडिकल लाभ	0.01	0.02
	अन्य लाभ	0.03	0.03
	कुल	3.28	3.00
	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से ऋण/अग्रिम देय		
	विवरण	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा
	वर्ष के अंत में बकाया	0.04	(0.06)
	वर्ष के दौरान किसी समय बकाया अधिकतम राशि	0.09	0.10

II.	**संयुक्त उद्यम**			
	कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित संयुक्त उद्यमों से लेनदेन किए हैं:			
	संयुक्त उद्यम का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
	अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.	इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन धन)	13.71	-
	एन.पी.सी.आई.एल.-नालको पॉवर कंपनी लिमिटेड	-	-	
	जीएसीएल-नालको अल्कालिज एंड केमिकल्स लिमिटेड	इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन धन)	22.8	-
	जीएसीएल-नालको अल्कालिज एंड केमिकल्स लिमिटेड	प्राप्य - जनशक्ति सहायता	0.24	0.23

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	रिपोर्ट के दिन के अन्त में शेष			
	संयुक्त उद्यम का नाम	**लेनदेन की प्रकृति**	**31.03.2017 को यथा**	**31.03.2016 को यथा**
	अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.	इक्विटी में निवेश	14.7	0.99
	एन.पी.सी.आई.एल.-नालको पॉवर कंपनी लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	0.03	0.03
	जीएसीएल-नालको अल्कालिज एंड केमिकल्स लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	24.8	2.00
	जीएसीएल-नालको अल्कालिज एंड केमिकल्स लिमिटेड	प्राप्य - जनशक्ति सहायता	0.47	0.23

टिप्पणी: मेसर्स अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि॰ और मेसर्स जी.ए.सी.एल. नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स लिमिटेड में इक्विटी में निवेश में ₹13.71 करोड़ और ₹22.80 करोड़ की शेयर आवेदन राशि (पूर्ण प्रदत्त) शामिल है, जिसके लिए शेयर अभी आबंटित होने बाकी हैं।

III.	**नियुक्ति पश्चात लाभ योजना**			
	वर्ष के दौरान लेनदेन			
	न्यास का नाम	**लेनदेन की प्रकृति**	**31.3.2017 को समाप्त वर्ष**	**31.3.2016 को समाप्त वर्ष**
	एन.ई.पी.एफ. न्यास	भविष्य-निधि योगदान	95.79	92.19
	एन.ई.जी.जी. न्यास	कमी का वित्तपोषण	8.46	2.05
	वर्ष के अंत में बकाया शेष			
	न्यास का नाम	**लेनदेन की प्रकृति**	**31.03.2017 को यथा**	**31.03.2016 को यथा**
	एन.ई.पी.एफ. न्यास	भविष्य-निधि योगदान भुगतानयोग्य	21.2	23.03
	एन.ई.पी.एफ. न्यास	कमी का वित्तपोषण	3.02	2.30

IV.	**नालको फाउण्डेशन**		
	विवरण	**31.3.2017 को समाप्त वर्ष**	**31.3.2016 को समाप्त वर्ष**
	नि.सा.उ. न्यास को अंशदान	7.00	5.00

V.	**भारत सरकार वर्ष के दौरान लेनदेन**		
	विवरण	**31.3.2017 को समाप्त वर्ष**	**31.3.2016 को समाप्त वर्ष**
	शेयरों की वापस खरीदी	2835	-
	अन्तिम लाभांश - 2015-16	108.11	-
	अन्तरिम लाभांश - 2016-17	403.62	-
	अन्तिम लाभांश - 2014-15	-	104.29
	अन्तरिम लाभांश - 2015-16	-	260.73

VI.	**कें.सा.क्षे.उ./सरकारी उपक्रम - वर्ष के दौरान लेनदेन**		
	विवरण	**31.3.2017 को समाप्त वर्ष**	**31.3.2016 को समाप्त वर्ष**
	माल और सेवाओं की खरीदी	1392.11	1283.68
	कें.सा.क्षे.उद्यमों और अन्य सरकारी उपक्रमों को माल की बिक्री	1016.21	892.66
	वर्ष के अंतिम दिन को यथा बकाया शेष		
	विवरण	**31.03.2017 को यथा**	**31.03.2016 को यथा**
	कें.सा.क्षे.उद्यमों और अन्य सरकारी उपक्रमों से माल और सेवाओं की खरीदी के लिए भुगतान	92.3	74.19
	कें.सा.क्षे.उद्यमों और अन्य सरकारी उपक्रमों को माल की बिक्री से प्राप्य	0.41	5.31

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

44 बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) (तुलन-पत्र की तारीख के बाद होनेवाली घटना)

भारत सरकार ने क्रमशः 19 अप्रैल, 2017 और 20 अप्रैल, 2017 को स्टॉक एक्सचेञ्ज मशीनरी के माध्यम से 14,24,55,941 शेयर गैर-खुदरा निवेशकों को और और 3,56,13,986 शेयर खुदरा निवेशकों को बेचे, जो कुल मिलाकर कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी का 9.2125% होते हैं। ओएफएस के पश्चात्, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कुल ₹966.46 करोड़ की प्रदत्त पूँजी के धारित शेयर 74.58% से 65.36% रह गए।

45 पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनर्वर्गीकरण

पिछली अवधि के आँकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए, जहाँ आवश्यक हुआ, पुनर्वर्गीकरण और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

राशि करोड़ ₹ में

46.1.	**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान पहचानी गई भूलों का सुधार**								
46.1.1.	**31 मार्च, 2016 और 01 अप्रैल 2015 को यथा तुलन-पत्र में भूल सुधार के लिए समायोजन**								
				31.03.2016 को यथा			31.03.2015 को यथा		
	विवरण			पिछला जी.ए.ए.पी. (रिपोर्ट अनुसार)	पूर्वावधि भूलों के लिए समायोजन	परिशोधित पिछला जी.ए.ए.पी. शेष	पिछला जी.ए.ए.पी. (रिपोर्ट अनुसार)	पूर्वावधि भूलों के लिए समायोजन	परिशोधित पिछला जी.ए.ए.पी. शेष
	1.		**गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ**						
		(i)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	6,328.89	1.01	6,329.90	6,509.21	(1.22)	6,507.99
		(ii)	पूँजी कार्य - प्रगति में	661.36	1.39	662.75	549.73	(0.42)	549.31
		(iii)	अन्य अमूर्त आस्तियाँ	138.61	-	138.61	136.21	-	136.21
		(iv)	विकास अधीन अमूर्त आस्तियाँ	-	-	-	-	-	-
		(v)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
		1.	निवेश:-						
			(क) सहयोगियों में निवेश	-	-	-	-	-	-
			(ख) संयुक्त उद्यमों में निवेश	-	-	-	-	-	-
			(ग) अन्य निवेश	811.08	-	811.08	1.04	-	1.04
		II.	व्यापारिक प्राप्य	-	-	-		-	-
		III.	ऋण	1,347.55	-	1,347.55	1,221.85	-	1,221.85
		IV.	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
		(vi)	अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	49.48	-	49.48	47.45	-	47.45
			कुल गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	**9,336.97**	**2.40**	**9,339.37**	**8,465.49**	**(1.64)**	**8,463.85**
	II.		**चालू परिसम्पत्तियाँ**						
		(i)	मालसूची	1,126.97	-	1,126.97	1,165.56	-	1,165.56
		(ii)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ		-	-			
			क. अन्य निवेश	66.00	-	66.00	950.00	-	950.00
			ख. व्यापारिक प्राप्य	235.21	-	235.21	120.82		120.82
			ग. नकद और नकद समतुल्य	4,933.53	-	4,933.53	4,627.98	-	4,627.98
			घ. नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष		-	-	-	-	-
			ङ. ऋण	586.67	-	586.67	607.54	-	607.54
			च. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		-	-		-	-
		(iii)	अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	233.64	(1.58)	232.06	240.28	1.30	241.58
			कुल चालू परिसम्पत्तियाँ	7,182.02	(1.58)	7,180.44	7,712.18	1.30	7,713.48
			कुल परिसम्पत्तियाँ	16,518.99	0.82	16,519.81	16,177.67	(0.34)	16,177.33

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	विवरण	पिछला जी.ए.ए.पी. (रिपोर्ट अनुसार)	पूर्वावधि भूलों के लिए समायोजन	परिशोधित पिछला जी.ए.ए.पी. शेष	पिछला जी.ए.ए.पी. (रिपोर्ट अनुसार)	पूर्वावधि भूलों के लिए समायोजन	परिशोधित पिछला जी.ए.ए.पी. शेष
क.	**इक्विटी**						
	(i) शेयर पूँजी	1,288.62	-	1,288.62	1,288.62	-	1,288.62
	(ii) आरक्षित एवं अधिशेष	11,619.06	1.90	11,620.96	11,508.68	(54.15)	11,454.53
	कुल इक्विटी (पिछले जी.ए.ए.पी. के अधीन शेयरधारकों की निधि)	12,907.68	1.90	12,909.58	12,797.30	(54.15)	12,743.15
ख.	**गैर-चालू देनदारियाँ**						-
	(i) वित्तीय देनदारियाँ						-
	क. व्यापारिक लेखा देय	-	-	-	-	-	-
	ख. अन्य वित्तीय देनदारियाँ	-	-	-	-	-	-
	(ii) प्रावधान	223.72	-	223.72	242.76		242.76
	(iii) आस्थगित कर देनदारियाँ	1,110.09	-	1,110.09	1,105.27	12.85	1,092.42
	(iv) अन्य गैर-चालू देनदारियाँ	68.26	-	68.26	65.30	-	65.30
	कुल गैर-चालू देनदारियाँ	1,402.07	-	1,402.07	1,413.33	12.85	1,400.48
ग.	**चालू देनदारियाँ**						
	(i) वित्तीय देनदारियाँ						
	क. उधारी		-	-		-	-
	ख. व्यापारिक लेखा देय	581.38	(1.08)	580.30	440.18	1.08	441.26
	ग. अन्य वित्तीय देनदारियाँ	-	-	-	-	-	-
	(ii) प्रावधान	277.41	-	277.41	186.21	65.58	251.79
	(iii) अन्य चालू देनदारियाँ	1,350.45	-	1,350.45	1,340.65	-	1,340.65
	कुल चालू देनदारियाँ	2,209.24	(1.08)	2,208.16	1,967.04	66.66	2,033.70
	कुल देनदारियाँ	3,611.31	(1.08)	3,610.23	3,380.37	53.81	3,434.18
	कुल इक्विटी और देनदारियाँ	16,518.99	0.82	16,519.81	16,177.67	(0.34)	16,177.33

46.1.2. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में भूल सुधार के लिए समायोजन

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		
	पिछला जी.ए.ए.पी.	इंड ए.एस. में संक्रमण का प्रभाव	परिशोधित पिछला जी.ए.ए.पी.
प्रचालनों से राजस्व	6,816.00	-	6,816.00
अन्य आय	536.57	(1.30)	535.27
कुल आय (क)	7,352.57	(1.30)	7,351.27
खपत हुआ कच्चा माल	1,104.40	-	1,104.40
कुल खपत हुई विद्युत एवं ईंधन	1,864.61	-	1,864.61
तैयार माल और चालू कार्य के स्टॉक में परिवर्तन	(8.99)	-	(8.99)
कर्मचारी परिलाभ व्यय	1,361.36	-	1,361.36
वित्त लागत	1.21	-	1.21
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	424.09	(0.53)	423.56
उत्पाद शुल्क	-	-	-
अन्य व्यय	1,556.58	(2.18)	1,554.40
कुल व्यय (ख)	6,303.26	2.71	6,300.55
विशिष्ट मदों और कर के पूर्व लाभ/ (हानि) (ङ=क-ख+ग+घ)	**1,049.31**	**1.41**	**1,050.72**
विशिष्ट मद (च)	(53.45)	-	(53.45)
लाभ/(हानि) कर पूर्व (छ=ङ-च)	**1,102.76**	**1.41**	**1,104.17**
कर व्यय			
(1) चालू कर			
क. चालू कर	375.60	-	375.60
ख. पूर्व वर्षों से संबंधित चालू कर	4.82	-	4.82
(2) आस्थगित कर	(8.67)	-	(8.67)
कुल कर (ज)	371.75	-	371.75
वर्ष के लिए लाभ (छ-ज)	731.01	1.41	732.42

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

46.2.1 31 मार्च, 2016 और 01 अप्रैल 2015 को यथा तुलन-पत्र पर इंड ए.एस. अंगीकरण का प्रभाव

	31.03.2016 को यथा			31.03.2015 को यथा		
विवरण	परिशोधित पिछला जी.ए.ए.पी. शेष	इंड ए.एस. में संक्रमण का प्रभाव	इंड ए.एस. के तुलन-पत्र के अनुसार	परिशोधित पिछला जी.ए.ए.पी. शेष	इंड ए.एस. में संक्रमण का प्रभाव	इंड ए.एस. के तुलन-पत्र के अनुसार
1. गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ						
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	6,329.90	127.17	6,457.07	6,507.99	80.66	6,588.65
(ii) पूँजी कार्य - प्रगति में	662.75	(6.45)	656.30	549.31	(3.19)	546.12
(iii) अन्य अमूर्त आस्तियाँ	138.61	-	138.61	136.21	-	136.21
(iv) विकास अधीन अमूर्त आस्तियाँ	-	31.40	31.40	-	3.18	3.18
(v) वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
1. निवेश:-						
(क) सहयोगियों में निवेश	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02
(ख) संयुक्त उद्यमों में निवेश	-	1.03	1.03	-	0.99	0.99
(ग) अन्य निवेश	811.08	132.23	943.31	1.04	(1.01)	0.03
II. व्यापारिक प्राप्य	-	-	-	-	-	
III. ऋण	1,347.55	(1,240.22)	107.33	1,221.85	(1,114.50)	107.35
IV. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	8.04	8.04	-	5.99	5.99
(vi) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	49.48	973.95	1,023.43	47.45	838.04	885.49
कुल गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	9,339.37	27.17	9,366.54	8,463.85	(189.82)	8,274.03
II. चालू परिसम्पत्तियाँ						
(i) मालसूची	1,126.97	(71.96)	1,055.01	1,165.56	(62.20)	1,103.36
(ii) वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-					
क॰ अन्य निवेश	66.00	-	66.00	950.00	71.06	1,021.06
ख॰ व्यापारिक प्राप्य	235.21	-	235.21	120.82	-	120.82
ग॰ नकद और नकद समतुल्य	4,933.53	(4,279.11)	654.42	4,627.98	(4,624.30)	3.68
घ. नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष	-	4,448.73	4,448.73	-	4,797.30	4,797.30
ङ. ऋण	586.67	(556.47)	30.20	607.54	(568.93)	38.61
च. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	156.74	156.74	-	156.51	156.51
(iii) चालू कर आस्तियाँ	-	102.92	102.92	-	127.77	127.77
(iv) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	232.06	362.36	594.42	241.58	366.88	608.46
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ	7,180.44	163.21	7,343.65	7,713.48	264.09	7,977.57
कुल परिसम्पत्तियाँ	16,519.81	190.38	16,710.19	16,177.33	74.27	16,251.60

विवरण	परिशोधित पिछला जी.ए.ए.पी. शेष	इंड ए.एस. में संक्रमण का प्रभाव	इंड ए.एस. के तुलन-पत्र के अनुसार	परिशोधित पिछला जी.ए.ए.पी. शेष	इंड ए.एस. में संक्रमण का प्रभाव	इंड ए.एस. के तुलन-पत्र के अनुसार
क. इक्विटी						
(i) शेयर पूँजी	1,288.62	-	1,288.62	1,288.62	-	1,288.62
(ii) आरक्षित एवं अधिशेष	11,620.96	285.17	11,906.13	11,454.53	180.46	11,634.99
कुल इक्विटी (पिछले जी.ए.ए.पी. के अधीन शेयरधारकों की निधियाँ	12,909.58	285.17	13,194.75	12,743.15	180.46	12,923.61
ख. गैर-चालू देनदारियाँ						
(i) वित्तीय देनदारियाँ						
क॰ व्यापारिक लेखा देय	-	16.30	16.30	-	19.82	19.82
ख॰ अन्य वित्तीय देनदारियाँ	-	1.58	1.58	-	3.07	3.07
(ii) प्रावधान	223.72	77.40	301.12	242.76	82.72	325.48
(iii) आस्थगित कर देनदारियाँ	1,110.09	54.02	1,164.11	1,092.42	22.87	1,115.29
(iv) अन्य गैर-चालू देनदारियाँ	68.26	(17.88)	50.38	65.30	(22.88)	42.42
कुल गैर-चालू देनदारियाँ	1,402.07	131.42	1,533.49	1,400.48	105.60	1,506.08

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

विवरण				परिशोधित पिछला जी.ए.ए.पी. शेष	इंड ए.एस. में संक्रमण का प्रभाव	इंड ए.एस. के तुलन-पत्र के अनुसार	परिशोधित पिछला जी.ए.ए.पी. शेष	इंड ए.एस. में संक्रमण का प्रभाव	इंड ए.एस. के तुलन-पत्र के अनुसार
ग.	चालू देनदारियाँ								
	(i)	वित्तीय देनदारियाँ							
		क॰	उधारी	-	-	-	-	-	-
		ख॰	व्यापारिक लेखा देय	580.30	59.26	639.56	441.26	125.31	566.57
		ग॰	अन्य वित्तीय देनदारियाँ	-	402.35	402.35	-	475.27	475.27
	(ii)	प्रावधान		277.41	(190.26)	87.15	251.79	(164.48)	87.31
	(iii)	अन्य चालू देनदारियाँ		1,350.45	(497.56)	852.89	1,340.65	(647.89)	692.76
	कुल चालू देनदारियाँ			2,208.16	(226.21)	1,981.95	2,033.70	(211.79)	1,821.91
	कुल देनदारियाँ			3,610.23	(94.79)	3,515.44	3,434.18	(106.19)	3,327.99
	कुल इक्विटी और देनदारियाँ			16,519.81	190.38	16,710.19	16,177.33	74.27	16,251.60

46.2.2 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल 2015 को यथा कुल इक्विटी का मिलान

विवरण	31.03.2016 को यथा	31.03.2015 को यथा
कुल इक्विटी (पिछले जी.ए.ए.पी. के अधीन शेयरधारकों की निधियाँ)	12,909.58	12,743.15
इंड ए.एस. के अधीन घोषित होने तक देनदारी के रूप में मान्य नहीं किया गया लाभांश और इसका कर	232.64	154.63
अन्य निवेशों पर उचित मूल्य प्रभाव	74.48	71.05
अन्य निवेशों के उचित मूल्य पर कर प्रभाव	(25.78)	(24.59)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में पूँजीकृत विखण्डन की लागत पर मूल्यह्रास	(0.17)	(1.05)
विखण्डन देनदारियों के लिए प्रावधान पर ब्याज को खोलना	(1.39)	(12.74)
पूँजीकृत विखण्डन देनदारियों पर कर प्रभाव (लागत माना गया)	0.48	(1.12)
अन्य कानूनी और रचनात्मक बाध्यताएँ	0.67	(8.21)
रचनात्मक बाध्यताओं के लिए प्रावधान पर कर	0.23	2.85
सरकारी अनुदान से संबंधित आस्थगित आय को अंतरित राशि	-	(0.36)
आगे की संविदाओं से प्रीमियम	0.92	-
दीर्घावधि निवेश के प्रतिदान पर उचित मूल्य लाभ/हानि की वसूली	(12.26)	-
कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय का खुलाव	6.56	-
अन्य विशद आय को पुनर्वर्गीकृत ग्रेच्युटी के प्रावधान के पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव	(19.12)	-
अन्य विशद आय को पुनर्वर्गीकृत पी.आर.एम.बी. के प्रावधान के पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव	(2.68)	-
अन्य विशद आय को सेवानिवृत्ति लाभ के प्रावधान के पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव	(8.61)	-
कर्मचारी ऋणों की बाबत पूर्वप्रदत्त व्यय का परिशोधन	(6.56)	-
पूर्वप्रदत्त पट्टेधारी प्रीमियम को पट्टेधारी के पुनर्वर्गीकरण के कारण लागत मूल्यह्रास में कमी	5.09	-
पिछले वर्ष के दौरान प्रयुक्त प्रमुख कलपुर्जों के कारण लागत मूल्यह्रास में वृद्धि	(7.48)	-
प्रमुख बीमा स्पेयर्स की बाबत लाभ या हानि में प्रभारित व्यय का व्युतक्रमण	59.08	-
अचल बीमा स्पेयर्स को बट्टे खाते डालना	2.38	-
पट्टेधारी भूमि की बाबत पट्टा किराया का परिशोधन	(5.09)	-
अन्य समायोजन	(2.18)	
उपर्युक्त समायोजनों पर कर प्रभाव	(4.73)	-
इक्विटी को कुल समायोजन	285.15	180.46
इंड ए.एस. के अधीन कुल इक्विटी	13,194.75	12,923.61

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

46.2.3 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण पर इंड ए.एस. अंगीकरण का प्रभाव

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		
	परिशोधित पिछला जी.ए.ए.पी.	इंड ए.एस. में संक्रमण का प्रभाव	इंड ए.एस. के अनुसार
प्रचालनों से राजस्व	6,816.00	453.23	7,269.23
अन्य आय	535.27	69.86	605.13
कुल आय (क)	**7,351.27**	**523.09**	**7,874.36**
खपत हुआ कच्चा माल	1,104.40	-	1,104.41
कुल खपत हुई विद्युत एवं ईंधन	1,864.61	-	1,864.61
तैयार माल और चालू कार्य के स्टॉक में परिवर्तन	(8.99)	-	(8.99)
कर्मचारी परिलाभ व्यय	1,361.36	36.98	1,398.33
वित्त लागत	1.21	2.06	3.27
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	423.56	2.56	426.12
उत्पाद शुल्क	-	452.27	452.27
अन्य व्यय	1,554.40	(55.26)	1,499.14
कुल व्यय (ख)	6,300.55	438.61	6,739.16
विशिष्ट मदों और कर के पूर्व लाभ/ (हानि) (ङ=क-ख+ग+घ)	1,050.72	84.48	1,135.20
विशिष्ट मद (च)	(53.45)	-	(53.45)
लाभ/(हानि) कर पूर्व (छ=ङ-च)	1,104.17	84.48	1,188.65
कर व्यय			
(i) चालू कर			
क चालू कर	375.60	-	375.60
ख पूर्व वर्षों से संबंधित चालू कर	(8.67)	-	(8.67)
(2) आस्थगित कर	4.82	29.79	34.61
कुल कर (ज)	371.75	29.79	401.54
वर्ष के लिए लाभ (छ-ज)	732.42	54.69	787.11

विवरण		31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		
	नोटटिप्पणियाँ	पिछला जी.ए.ए.पी.	इंड ए.एस. में संक्रमण का प्रभाव	इंड ए.एस. के तुलन-पत्र के अनुसार
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)				
1. लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मद				
क) परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन		-	41.06	41.06
ख) लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदों से संबंधित आय कर		-	14.21	14.21
		-	**26.85**	**26.85**
वर्ष के लिए कुल विशद आय [क(i-ii)+ख(i-ii)]		732.42	81.54	813.96

46.2.4 31 मार्च, 2016 वर्ष के लिए कुल सविस्तार आय का मिलान

विवरण	ब्यौरा	31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
पिछले जी.ए.ए.पी. के अनुसार परिशोधित लाभ		732.42
समायोजन:		
1. अन्य आय में समायोजन:		
क) आगे की संविदाओं से प्रीमियम	0.92	
ख) दीर्घावधि निवेश के प्रतिदान पर उचित मूल्य लाभ/हानि की वसूली	(12.26)	
ग) कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय का खुलाव	6.56	
घ) अन्य निवेशों की पर उचित मूल्य लाभ/हानि	74.48	69.70

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

विवरण			ब्यौरा	31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
ii.	कर्मचारी परिलाभ व्यय में समायोजन			
	क)	अन्य विशद आय को पुनर्वर्गीकृत ग्रेच्युटी के प्रावधान के पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव	(19.12)	
	ख)	अन्य विशद आय को पुनर्वर्गीकृत पी.आर.एम.बी. के प्रावधान के पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव	(2.68)	
	ग)	अन्य विशद आय को सेवानिवृत्ति लाभ के प्रावधान के पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव	(8.61)	
	घ)	कर्मचारी ऋणों की बाबत पूर्वप्रदत्त व्यय का परिशोधन	(6.56)	(36.97)
iii.	वित्तीय लागत में समायोजन			
	क)	विखण्डन देनदारियों पर ब्याज लागत का खुलाव	(1.39)	
	ख)	रचनात्मक बाध्यता पर ब्याज लागत का खुलाव	0.67	(2.06)
iv.	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय में समायोजन:			
	क)	पूर्वप्रदत्त पट्टेधारी प्रीमियम को पट्टेधारी के पुनर्वर्गीकरण के कारण लागत मूल्यह्रास में कमी	5.09	
	ख)	विखण्डन लागत के पूँजीकरण के कारण लागत मूल्यह्रास में वृद्धि	(0.17)	
	ग)	पिछले वर्ष के दौरान प्रयुक्त प्रमुख कलपुर्जो के कारण लागत मूल्यह्रास में वृद्धि	(7.48)	(2.56)
v.	अन्य व्यय में समायोजन			
	क)	प्रमुख बीमा स्पेयर्स की बाबत लाभ या हानि में प्रभारित व्यय का व्युतक्रमण	59.08	
	ख)	अचल बीमा स्पेयर्स को बट्टे खाते डालना	2.38	
	ग)	पट्टेधारी भूमि की बाबत पट्टा किराया का परिशोधन	(5.09)	56.37
vi.	कर व्ययों पर प्रभाव			
	क)	समायोजनों पर कर प्रभाव	(29.79)	(29.79)
इंड ए.एस. को अन्तरण का कुल प्रभाव				54.69
इंड ए.एस. के अनुसार वर्ष के लिए लाभ				787.11
वर्ष के लिए अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)				26.85
वर्ष के लिए कुल सविस्तार आय				813.96

46.2.5 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह के विवरण पर इंड ए.एस. अंगीकरण का प्रभाव

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		
	परिशोधित पिछला जी.ए.ए.पी.	इंड ए.एस. में संक्रमण का प्रभाव	इंड ए.एस. के तुलन-पत्र के अनुसार
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	845.24	35.57	880.81
निवेशन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	5.66	308.30	313.96
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	(543.95)	-	(544.03)
नगद और नगद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	**306.95**	**343.87**	**650.74**
वर्ष के आरम्भ में नगद और नगद समतुल्य	**4,627.98**	**(4,624.30)**	**3.68**
वर्ष के अन्त में नकद और नकद समतुल्य	**4,934.93**	**(4,280.43)**	**654.42**

46.2.6 इंड ए.एस. के अधीन नगदी प्रवाह के विवरण के उद्देश्य से 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 को यथा नगद और नगद समतुल्य का विश्लेषण

विवरण	31.03.2016 को यथा	31.03.2015 को यथा
पिछले जी.ए.ए.पी. के अनुसार नगदी प्रवाह के विवरण के उद्देश्य से नगद और नगद समतुल्य	4,934.93	4,627.98
नकद और नकद समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष का पुनर्वर्गीकरण	**(4,280.51)**	**(4,624.30)**
इंड ए.एस. के अनुसार नगदी प्रवाह के विवरण के उद्देश्य से नगद और नगद समतुल्य	**654.42**	**3.68**

(क) इंड ए.एस. आँकड़ों की शर्तों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आई.जी.ए.ए.पी. के साथ आँकड़ों में पुनर्वर्गीकरण प्रविष्टि पारित की गई है। लेकिन, ऐसी कोई समायोजन प्रविष्टि पारित नहीं की गई है, जो कंपनी के वर्ष के लिए लाभ या कुल इक्विटी को प्रभावित कर सकती हो।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों के प्रति

समेकित भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने **नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड** (इसके पश्चात् "कम्पनी" के रूप में संदर्भित) और संयुक्त रूप से इसकी नियंत्रित संस्थाओं के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का समेकित विवरण, समेकित नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके पश्चात् "समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

समेकित भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी अधिनियम, 2013 (इसके पश्चात् "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों समेत भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुसार कम्पनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं समेत समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन एवं समेकित नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है।

कम्पनी के निदेशक मंडल और इसके सहयोगी एवं संयुक्त रूप से इसकी नियंत्रित कंपनियों के उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डो का व्यवस्थापन शामिल है, जो संबंधित कम्पनियों की परिसम्पत्तियों की हिफाजत हेतु एवं धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं प्रयोग के लिए, तर्क एवं आकलन देने जो यथा संगत एवं विवेकपूर्ण हैं, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन एवं रखरखाव के लिए जो लेखांकन रिकॉर्डो की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे, वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने में सुसंगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं और भौतिक गलत बयानबाजी से मुक्त हैं, चाहे वे जालसाजी या चूक के कारण हो, जो उपर्युक्त अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य प्रयोग किए गए हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर समेकित भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। लेखापरीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखापरीक्षण मानकों और विषयवस्तुओं को ध्यान में रखा है, जो अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करें एवं उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना करें एवं निष्पादन करें कि समेकित भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरण गलत बयानबाजी से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में राशियों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने एवं समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटन की प्रक्रियाएँ शामिल हैं। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे जालसाजी या चूक के कारण से हो। उन जोखिम आकलनों को तैयार करते समय, लेखापरीक्षक कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को निरूपित करने में सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, परन्तु यह मत प्रकाश करने के प्रयोजनार्थ नहीं है कि वित्तीय रिपोर्टिंग करने में कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रभावकारिता में प्रचालित हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों की उचितता और साथ ही समेकित वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे समेकित भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

राय

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के तहत् उपरोक्त कथित समेकित भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरण अधिनियम के अपेक्षानुसार यथा अपेक्षित जानकारी देते हैं एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के समरूप में 31 मार्च, 2017 की स्थिति को कम्पनी और इसकी सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं के मामलों की समेकित स्थिति एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभ और इसके समेकित नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

अन्य विषयवस्तु

हमने सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इन संस्थाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसमे समेकित भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणों में विवेचित अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी की भागीदारी वाली 0.81 करोड़ की निवल हानि शामिल है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें दी गई है एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर हमने अपनी राय, जहाँ तक संयुक्त रूप से नियंत्रित इस संस्थाओं के बारे में सम्मिलित राशियों और प्रकटन से संबंधित है एवं अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराएँ (3) एवं (11) के अनुसार, हमारी रिपोर्ट जहाँ तक इन सहयोगी संयुक्त रूप से नियंत्रित उपर्युक्त संस्थाओं से संबंधित है, पूर्णतया अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष हेतु तुलनात्मक वित्तीय सूचना एवं 1 अप्रैल 2015 को हस्तानतरण स्थिति आरंभिक तुलनपत्र में इन समेकित भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणों को शामिल किया गया है, जो 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष, कम्पनी (लेखापरीक्षा मानक) नियम 2006 के अनुरूप तैयार पूर्ववर्ती जारी कम्पनी इसकी सहयोगी एवं संयुक्त नियंत्रित कम्पनियों के विधिक वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं, जिसकी हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

समेकित भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और निम्नलिखित अन्य विधिक नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और किए जा चुके कार्य के क्षेत्र में निर्भरता के संदर्भ में उपरोक्त विषयों के संदर्भ में संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षितों पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के निर्देशों के अनुरूप हम इस रिपोर्ट के परिशिष्ट ''क'' में दिए गए विशिष्ट विषयों पर एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) के अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः
   - क. हमने वो सभी जानकारी एवं व्याख्याएं मांगी हैं एवं प्राप्त की हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।
   - ख. हमारी राय में, जैसा कि इन बहियों की हमारी जाँच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है, कानून के अपेक्षानुसार उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित यथोचित लेखाबहियों का रखरखाव किया गया है।
   - ग. इस रिपोर्ट से संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण और समेकित नकद प्रवाह विवरण एवं समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ संबंधित लेखा बहियों की अनुरूपता में हैं।
   - घ. हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली के संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।
   - ङ. निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) कम्पनी पर लागू नहीं है एवं भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित इन कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं गैर-लेखापरीक्षित संस्था के विषय में प्रबंधन प्रमाणपत्र के आधार पर, भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित इन कम्पनियों के किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2017 को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं किया गया है।
   - च. कम्पनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के विषय में, परिशिष्ट "ख" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।
   - छ. कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली अन्य विषयवस्तुओं के मामले में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिकः
     - i. समेकित भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरण, कम्पनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति पर लम्बित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट करते हैं। समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 26 का संदर्भ लें।
     - ii. कम्पनी और इसकी सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं के पास व्युत्पन्न संविदाएँ समेत दीर्घमियादी संविदाएँ नहीं हैं जिसके लिए पहले से ही भौतिक क्षतियाँ थी।
     - iii. निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कम्पनी द्वारा अंतरित की जाने वाली किसी राशि के अंतरण में कोई विलम्ब नहीं हुआ है; और
     - iv. कम्पनी ने 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 तक की अवधि के दौरान होल्डिंग्स एवं विशिष्ट बैंक नोटों के लेनदेन के संबंधित समेकित भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणों में वांछित प्रकटन उपलब्ध कराया है – संदर्भ समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 28। तथापि जैसा कि कथित टिप्पणी में उल्लिखित एवं हमारे समक्ष प्रबंधन द्वारा व्यक्त किया गया है, राशि क्रमशः ₹ 81,000/- और ₹ 9,000 हस्तान्तरणों के संदर्भ में प्राप्त कर उपयोग में लाया गया है जिसकी अनुमति नहीं है।

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन-315104ई

(सीए ललित के. पतंगिया)
साझेदार
सदस्यता सं. 053971

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

(सीए डॉ. बी.एस.कुण्डु
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

स्थान : भुवनेश्वर
तारीख : 27 मई, 2017

अनुलग्नक "क"

31मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखपरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(पैराग्राफ 1 में संदर्भित हमारे समदिनांकित रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं नियामक्या आवश्यकताओं पर रिपोर्ट)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देशों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

1. प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण और कम्पनी की लेखे एवं अभिलेखों की हमारी जाँच और सहायक एवं संयुक्त नियंत्रित कम्पनियों के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं अन्य लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट के आधार पर, परिस्थिति अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः

   (i) कम्पनी के साथ इसकी सहयोगी और संयुक्त नियंत्रित कम्पनियों के पास तदनुसार पूर्णस्वामित्व वाली या पट्टे पर प्राप्त भूमि पर पूर्ण स्वामित्व या पट्टे पर प्राप्त स्वामित्व है यहाँ भी स्वामित्व/पट्टे के दस्तावेजों का निष्पादन किया गया है। 9162.65 एकड़ पट्टे की भूमि और 8022.63 एकड़ पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में से 1744.63 एकड़ पट्टे की भूमि एवं 66.93 एकड़ पूर्ण स्वमित्व की भूमि के स्वामित्व/पट्टे के दस्तावेजों का निष्पादन अब तक नहीं किया गया है। तथापि कम्पनी को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कथित भूमि पर संचालन का कार्य करने की अनुमति दी गई है।

   (ii) अग्रिम को बट्टे खाते में डाल देना, कर्ज़दारों, दावों के 11 मामले हैं जिनकी राशि निम्नवत् ₹18.40 लाख है। बट्टे खाते में डाल देने का कारण, जैसा हमारे समक्ष स्पष्ट किया गया है कि लम्बे समय से चल रहा पहले का असमयोजित/बकाया शेष हैं जो समय-बाधित हो चुका हैं और जिसके पुनर्भुगतान/समायोजन की संभावना बेहद कम है।

बट्टे खाते में डालना/अधित्याग के प्रकार	मामलों की संख्या	राशि ₹ लाख में
अग्रिम	4	2.80
कर्जदार	3	0.10
दावे	4	15.50
कुल	11	18.40

   (iii) (क) कम्पनी द्वारा इसकी सहयोगी और संयुक्त नियंत्रित कम्पनियों सहित तृतीय पक्ष के पास रखी गई सूचियों हेतु समुचित अभिलेख रखा गया है।

   (ख) कम्पनी ने इसकी सहयोगी एवं संयुक्त नियंत्रित कम्पनियों सहित वर्ष के दौरान सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा उपहार/अनुदान(नों) के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की है।

2. नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित भारतीय लेखापरीक्षण मानक वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 145(5) के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट, अब तक जैसा कि इस कम्पनी की सहायक और स्वतंत्र नियंत्रित कम्पनियों से संबंधित है, ऐसी सहायक एवं संयुक्त नियंत्रित कम्पनियों के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचना और ऐसी सहायक एवं संयुक्त नियंत्रित कम्पनियों के लेखापरीक्षकों (इसके उपरांत इनका उल्लेख "अन्य लेखा परीक्षक" के रूप में होगा) के परवर्ती रिपोर्ट पर आधारित है। कम्पनी में एक सहयोगी और दो संयुक्त नियंत्रित कम्पनियां हैं। एनपीसीआईएल – नालको विद्युत कम्पनी लिमिटेड के मामले में, सहायक कम्पनी जो कि एक सरकारी कम्पनी भी है, ने अपने लेखा परीक्षकों द्वारा सूचित किया है कि धारा 143(5) इसके लिए लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि हमें सूचित किया गया है जीएसीएल – नालको एल्कालाईज़ एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी नहीं है और इस पर धारा 143(5) इसके लिए लागू नहीं है।

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन-315104ई

(सीए ललित के. पतंगिया)
साझेदार
सदस्यता सं. 053971

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

(सीए डॉ. बी.एस. कुण्डु)
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

स्थान : भुवनेश्वर
तारीख : 27 मई, 2017

अनुलग्नक "ख"

31मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखपरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की
उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ, हमने नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (इसके पश्चात "कम्पनी" के रूप में संदर्भित) और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं, जो उस तिथि को भारत में निगमित कम्पनियाँ हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं बनाए रखना कम्पनी के संबंधित निदेशक मंडल एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी कम्पनियों, जो भारत में निगमित कम्पनियाँ हैं, की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वित करने एवं बनाए रखना जो संबंधित कम्पनी की नीतियों के पालन सहित इसके व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रचालित थे, इसकी परिसंपत्तियों की हिफाजत, धोखाधड़ियों और चूक का निवारण एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथा समय तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारण योग्य वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी ("अनुदेश टिप्पणी") एवं लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की प्रयोज्य सीमा में हमारी लेखापरीक्षा की है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर प्रयोज्य है एवं दोनों ही भारतीय सनदी लेखापाल संस्था द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों एवं अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें एवं सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी एवं अनुरक्षित हुई थी और क्या ये नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित थे।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं इनके प्रचालनीय प्रभावकारिता के बारे में, लेखासाक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यपद्धतियों का निष्पादन करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्यख्या प्राप्त करना, जोखिम का आकलन कि भौतिक दुर्बलता विद्यमान है एवं आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित कार्यपद्धतियाँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखा साक्ष्य प्राप्त किया है एवं अन्य लेखापरीक्षकों के नीचे अनुच्छेद की अन्य विषयवस्तु में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक कार्यपद्धति है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए निरूपित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वो नीतियाँ एवं कार्यपद्धतियाँ शामिल हैं, जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में हैं जो सुसंगत विस्तार में कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन एवं स्थितियों को सटीक रूप से एवं सही रूप से प्रदर्शित करती है, (2) यथासंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेनों को रिकॉर्ड किया गया है जैसा कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए अपेक्षित है एवं कि कम्पनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार तैयार किये जा रहे हैं, और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या स्थितियों के निवारण या यथा समय पता लगाने के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताएँ

नियंत्रणों का अतिक्रमण करने वाली मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना समेत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताओं के कारण, चूक या धोखाधड़ी की वजह से

महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी घट सकती है एवं पता नहीं चल सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन की प्रायोजना जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या फिर नीतियों या पद्धतियों के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, कम्पनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं, जो भारत में निगमित कम्पनियाँ हैं, के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर एसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2017 को प्रभावी रूप से प्रचालित थे।

अन्य विषयवस्तु

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं प्रचालन प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अन्तर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, जहाँ तक कम्पनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित 2 (दो) संस्थाओं, जो भारत में निगमित कम्पनियाँ हैं, का संबंध है, भारत में निगमित ऐसी कम्पनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन-315104ई

(सीए ललित के. पतंगिया)
साझेदार
सदस्यता सं. 053971

स्थान : भुवनेश्वर
तारीख : 27 मई, 2017

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

(सीए डॉ. बी.एस.कुण्डु)
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटे, भुवनेश्वर के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 27 मई, 2017 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया हुआ बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के तहत एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड और इसकी सहयोगी कम्पनी एनपीसीआईएल-नालको पावर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए की है परंतु इसकी सहयोगी कम्पनी अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इसके अलावा, इसकी सहयोगी कम्पनी जीएसीएल –नालको अल्कलीज केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, निजी क्षेत्र की संस्था होने के कारण न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और न ही अनुपूरक लेखापरीक्षा के संचालन पर अधिनियम की धारा 139 (5) एवं 143(6)(क) लागू होती है। अतएव, सी एण्ड एजी ने न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया है और न ही इस कम्पनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा का संचालन किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है एवं प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त नहीं हुआ है जिससे सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाए या कुछ जोड़ा जाए।

कृते भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक और उनकी ओर से

स्थान : कोलकाता
तारीख : 22 जून, 2017

(प्रवीर कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य ऑडिट बोर्ड – 1
कोलकाता

समेकित तुलन-पत्र 31 मार्च 2017 को यथा

राशि करोड़ ₹ में

विवरण				टिप्पणियाँ	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
परिसम्पत्तियाँ							
(1)	**गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ**						
	(क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		6	7,018.63	6,457.07	6,588.65
	(ख)	प्रगति में - पूँजी कार्य		7.	514.65	656.30	546.12
	(ग)	अमूर्त परिसंपत्तियाँ		8	125.80	138.61	136.21
	(घ)	विकास अधीन अमूर्त आस्तियाँ		9	51.35	31.40	3.18
	(ङ)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
		(i)	निवेश	10	38.91	944.53	1.16
		(ii)	व्यापारिक प्राप्य	11	-	-	-
		(iii)	ऋण	12	80.60	107.33	107.35
		(iv)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	13	10.77	8.04	5.99
	(च)	अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ		15	1,004.51	1,023.43	885.49
	कुल गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ				8,845.22	9,366.71	8,274.15
(2)	**चालू परिसम्पत्तियाँ**						
	(क)	मालसूची		16	1,155.93	1,055.01	1,103.36
	(ख)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
		(i)	निवेश	10	1,221.13	(66.00)	1,021.06
		(ii)	व्यापारिक प्राप्य	11	184.25	235.21	120.82
		(iii)	नकद और नकद समतुल्य	17	24.83	654.42	3.68
		(iv)	ऊपर (iii) के अलावा बैंक शेष	17	2,262.40	4,448.73	4,797.30
		(v)	ऋण	12	36.70	30.20	38.61
		(vi)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	13	156.49	156.74	156.51
	(ग)	वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)		14	34.12	102.92	127.77
	(घ)	अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ		15	579.94	594.42	608.46
	कुल चालू परिसम्पत्तियाँ				5,655.79	7,343.65	7,977.57
कुल –परिसम्पत्तियाँ					14,501.01	16,710.36	16,251.72
इक्विटी और देयताएँ							
(1)	**इक्विटी**						
		(क)	इक्विटी शेयर पूँजी	18	966.46	1,288.62	1,288.62
		(ख)	अन्य पूँजी	19	9,238.69	11,906.30	11,635.11
कुल इक्विटी					10,205.15	13,194.92	12,923.73
	देयताएँ						
(2)	**गैर-वर्तमान देयताएँ**						
	(क)	वित्तीय देयताएँ					
		(i)	व्यापारिक प्राप्य	21	19.61	16.30	19.82
		(ii)	अन्य वित्तीय देनदारियाँ	22	2.36	1.58	3.07
	(ख)	प्रावधान		23	328.11	301.12	325.48
	(ग)	आस्थगित कर देयताएँ(शुद्ध)		24	1,245.58	1,164.11	1,115.29
	(घ)	अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ		25	48.27	50.38	42.42
	कुल गैर-चालू देयताएँ				1,643.93	1,533.49	1,506.08
(3)	**वर्तमान देयताएँ**						
	(क)	वित्तीय देयताएँ					
		(i)	उधारी	20	51.09	-	-
		(ii)	व्यापारिक प्राप्य	21	844.46	639.56	566.57
		(iii)	अन्य वित्तीय देनदारियाँ	22	469.10	402.35	475.27
	(ख)	प्रावधान		23	117.07	87.15	87.31
	(ग)	अन्य चालू देनदारियाँ		25	1,170.21	852.89	692.76
	कुल वर्तमान देयताएँ				2,651.93	1,981.95	1,821.91
	कुल देयताएँ				4,295.86	3,515.44	3,327.99
	कुल इक्विटी और देयताएँ				14,501.01	16,710.36	16,251.72

वित्तीय परिणाम की संलग्न टिप्पणियाँ देखें

कृते निदेशक-मण्डल और उनकी ओर से

(सीएस. के एन. रवीन्द्र)
कार्यपालक निदेशक
कम्पनी सचिव

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 03618709

(डॉ॰ तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 315104ई

(ललित कु. पतंगिया)
साझेदार (एम सं.: 053971)

कृते गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 302039ई

(सीए डॉ. बी एस कुण्डु)
साझेदार (एम सं.: 051221)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : मई 27, 2017

समेकित लाभ और हानि का विवरण 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए

राशि करोड़ ₹ में

			टिप्पणियाँ	31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
I	प्रचालनों से राजस्व		29	8,050.02	7,269.23
II	अन्य आय		30	408.27	605.13
III	कुल आय (I + II)			8,458.29	7,874.36
IV	**व्यय**				
	(क)	खपत कच्चे माल की लागत	31	1,181.79	1,104.41
	(ख)	कुल खपत हुई विद्युत एवं ईंधन	31	2,212.53	1,864.61
	(ग)	तैयार माल का मालभंडार और चालू कार्य में परिवर्तन	32	(96.59)	(8.99)
	(घ)	कर्मचारी परिलाभ व्यय	33	1,537.44	1,398.33
	(ङ)	वित्त लागत	34	(2.69)	3.27
	(च)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	35	480.36	426.12
	(छ)	उत्पाद शुल्क	36	506.98	452.27
	(ज)	अन्य व्यय	37	1,628.22	1,499.14
	कुल व्यय (IV)			7,453.42	6,739.16
वी	विशिष्ट मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)			1,004.87	1,135.20
VI	**विशिष्ट मद**		38	**40.15**	**(53.45)**
VII	संयुक्त उद्यमों के लाभ(हानि) का हिस्सा			**(0.81)**	**0.05**
VIII	**कर पर्व लाभ/हानि) (V - VI+ VII)**			**963.91**	**1,188.70**
ix	**कर व्यय**				
	(1)	चालू कर	39	219.52	366.93
	(2)	आस्थगित कर	39	76.67	34.61
X	इस अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VIII-IX)			667.72	787.16
XI	**अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)**				
		(i) लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मद			
		- परिभाषित परिलाभ योजना पर पुनर्मापन लाभ /(हानि)		13.88	41.06
		(ii) लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदों से संबंधित आय कर	39	4.80	14.21
	इस अवधि के लिए अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)			9.08	26.85
XII	इस अवधि के लिए कुल विशद आय (X+XI) (लाभ/(हानि) और अवधि के लिए अन्य विशद आय को समाविष्ट करके)			676.80	814.01
13)	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**				
	(1)	मूल (₹ में)	41	2.97	3.05
	(2)	मंदित (₹ में)	41	2.97	3.05

वित्तीय परिणाम की संलग्न टिप्पणियाँ देखें

कृते निदेशक-मण्डल और उनकी ओर से

(सीएस. के एन रवीन्द्र)
कार्यपालक निदेशक
कम्पनी सचिव

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 03618709

(डॉ॰ तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 315104ई

(ललित कु. पतंगिया)
साझेदार (एम सं.: 053971)

कृते गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 302039ई

(सीए डॉ. बी एस कुण्डु)
साझेदार (एम सं.: 051221)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : मई 27, 2017

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए

राशि करोड़ ₹ में

क.	**इक्विटी शेयर पूँजी**		
	01.04.2015 को यथा शेष		**1,288.62**
	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		-
	31.03.2016 को यथा शेष		**1,288.62**
	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
		शेयरों की वापस खरीद	(322.16)
	31.03.2017 को यथा शेष		966.46

ख. **अन्य इक्विटी**

अन्य इक्विटी	आरक्षित एवं अधिशेष			कुल
	पूँजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
01.04.2015 को यथा शेष	-	11,461.22	173.89	11,635.11
वर्ष के लिए लाभ	-	-	787.16	787.16
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	-	-	26.85	26.85
वर्ष के लिए कुल विशद कुल आय	-	-	814.01	814.01
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(128.86)	(128.86)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर			(26.22)	(26.22)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(322.16)	(322.16)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर			(65.58)	(65.58)
सामान्य आरक्षित को अंतिरत	-	-	-	-
लाभ और हानि को इंड ए.एस. संक्रमण आरक्षित का हस्तांतरण	-		-	-
31.03.2016 को यथा शेष	-	11,461.22	445.08	11,906.30
वर्ष के लिए लाभ	-	-	667.72	667.72
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	-	-	9.08	9.08
वर्ष के लिए कुल विशद कुल आय	-	-	676.80	676.80
इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी पर प्रीमियम	-	(2,512.81)	-	(2,512.81)
इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी पर व्यय		(5.72)	-	(5.72)
साधारण आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	(322.16)	(322.16)	-	-
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(144.97)	(144.97)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर			(29.51)	(29.51)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(541.22)	(541.22)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर			(110.18)	(110.18)
31.03.2017 को यथा शेष	(322.16)	8,620.53	296.00	9,238.69

वित्तीय परिणाम की संलग्न टिप्पणियाँ देखें -

कृते निदेशक-मण्डल और उनकी ओर से

(सीएस. के एन रवीन्द्र)
कार्यपालक निदेशक
कम्पनी सचिव

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 03618709

(डॉ० तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 315104ई

(ललित कु. पतंगिया)
साझेदार (एम सं.: 053971)

कृते गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 302039ई

(सीए डॉ. बी एस कुण्डु)
साझेदार (एम सं.: 051221)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : मई 27, 2017

समेकित नगदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि करोड़ ₹ में

		31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
क.	प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
	अवधि के लिए लाभ	**667.72**	**787.16**
	नम्न के लिए समायोजन:		
	लाभ या हानि में मान्य आय कर व्यय	296.19	401.54
	सहयोगियों के लाभ का हिस्सा	-	-
	संयुक्त उद्यमों के लाभ का हिस्सा	0.81	(0.05)
	लाभ या हानि में स्वीकृत वित्तीय लागत	(2.69)	3.27
	लाभ या हानि में स्वीकृत ब्याज आय	(292.64)	(466.89)
	लाभ या हानि में स्वीकृत लाभांश आय	(8.78)	(5.19)
	अन्य गैर-चालू निवेशों की बिक्री से शुद्ध (लाभ)/हानि	-	(0.70)
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ)/हानि	0.10	1.11
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर के रूप में वित्तीय देनदारियों पर लाभ या हानि में दर्ज किया गया शुद्ध (लाभ) / हानि		
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अधिदेशात्मक रूप से मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर उपजे शुद्ध (लाभ) / हानि	(77.81)	(74.49)
	अन्य परिसंपत्तियों पर स्वीकृत क्षति की हानि	56.93	63.01
	स्टोर्स, स्पेयर्स का मालभंडार बट्टे खाते डाला गया	27.96	9.61
	गैर-चालू परिसंपत्तियों क मूल्यह्रास और ऋण-परिशोधन	480.36	426.12
	शुद्ध विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	7.90	(5.98)
		1.161.23	**1,138.52**
	कार्यकारी पूँजी में संचलन:		
	माल-भंडार में (वृद्धि) / कमी	(129.56)	37.87
	व्यापारिक प्राप्य में (वृद्धि) / कमी	50.96	(114.39)
	ऋणों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	17.75	6.15
	अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(49.52)	(62.30)
	व्यापारिक प्राप्य में (वृद्धि) / कमी	200.31	75.45
	अन्य वित्तीय देनदारियों में (वृद्धि) / कमी	21.25	(23.29)
	अन्य देनदारियों में (वृद्धि) / कमी	315.21	168.09
	प्रावधानों में (वृद्धि) / कमी	66.74	14.49
	प्रचालनों से सृजित / नगदी (में प्रयुक्त)	**1,654.37**	**1,240.59**
	भुगतान किया गया आय कर	(218.43)	(359.78)
	प्रचालन गतिविधियों द्वारा सृजित / शुद्ध नगदी (में प्रयुक्त)	1,435.94	880.81
ख.	निवेशन गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
	वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान	(184.00)	(66.00)
	वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से आमदनी	49.96	152.97
	संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में इक्विटी अधिग्रहण हेतु भुगतान	(38.47)	(0.04)
	बैंक के पास सावधि जमा के विमोचन से आमदनी	2,183.02	348.67
	अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	8.78	5.19
	बैंकों एवं अन्य प्राप्त ब्याज	292.64	466.89
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूँजी अग्रिम सहित) के लिए भुगतान	(757.98)	(555.30)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से आय	16.53	4.85
	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान	(20.14)	(43.27)
	निवेशन गतिविधियों द्वारा सृजित (में प्रयुक्त) शुद्ध नगदी	1,550.34	313.96
ग.	वित्तपोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
	इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी के लिए भुगतान	(2,834.97)	-
	शेयर वापस-क्रय लागत के लिए भुगतान	(5.72)	-
	अल्पावधि उधारी से आमदनी	51.09	-
	भुगतान की गई वित्तीय लागत	(0.39)	(1.21)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	(686.19)	(451.02)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किए गए लाभांश पर कर	(139.69)	(91.80)
	वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा सृजित / शुद्ध नगदी (में प्रयुक्त)	(3,615.87)	(544.03)
नगद या नगद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)		(629.59)	650.74
वर्ष के आरम्भ में नगद और नगद समतुल्य		654.42	3.68
वर्ष के अन्त में नकद और नकद समतुल्य		24.83	654.42

वित्तीय परिणाम की संलग्न टिप्पणियाँ देखें

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े नगदी बहिर्प्रवाह/आय है, जैसा कि मामला हो।

कृते निदेशक-मण्डल और उनकी ओर से

(सीएस. के एन रवीन्द्र)
कार्यपालक निदेशक
कम्पनी सचिव

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 03618709

(डॉ॰ तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 315104ई

(ललित कु. पतंगिया)
साझेदार (एम सं.: 053971)

कृते गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 302039ई

(सीए डॉ. बी एस कुण्डु)
साझेदार (एम सं.: 051221)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : मई 27, 2017

लेखा पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी सं.1 सामान्य सूचना

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे इसके संयुक्त उद्यमों केसााथ “मूल कंपनी” के रूप में संदर्भित किया जाएगा और इसके सहयोगियों को “समूह” के रूप में संदर्भित किया जाएगा) खान मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, नवरत्न कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निगमित और भारत के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है। यह मूल कम्पनी एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के उत्पादन और बिक्री के कारोबार में संलग्न है। यह मूल कम्पनी का ओड़िशा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में अवस्थित 22.75 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता के एल्यूमिना परिशोधक और ओड़िशा के अनुगुळ में 4.60 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता के एल्यूमिनियम प्रद्रावक का प्रचालन कर रही है। मूल कंपनी के एल्यूमिना परिशोधक की बॉक्साइट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिशोधन संयंत्र के पास कंपनी की एक ग्रहीत बॉक्साइट खान है और प्रद्रावक की विद्युत खपत को पूरा करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र केपास एक 1200 मेगावाट का ग्रहीत तापज विद्युत संयंत्र है। साथ ही, मूल कंपनी अक्षय ऊर्जा का दोहन करने और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा खरीद अनुबंध का अनुपालन करने के लिए 198.40 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ चार पवन विद्युत संयंत्र प्रचालित कर रही है जो आन्ध्र प्रदेश (गण्डीकोटा), राजस्थान (जैसलमेर और देवीकोट) तथा महाराष्ट्र (सांगली) में अवस्थित हैं।

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, मूल कंपनी, इसके सहयोगी मेसर्स एन.पी.सी.आई.एल.-नालको पॉवर कंपनी लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनियाँ मेसर्स अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि० और मेसर्स गुजरात अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि. इस समूह में हैं। इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण में 31.3.2017 को यथा समेकित तुलन-पत्र, 31.3.2017 को समाप्त अवधि के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण, समेकित नगदी प्रवाह विवरण और 31.3.2017 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण शामिल है।

टिप्पणी.2 अनुपालन का विवरण:

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, समूह ने 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (जिसे "इंड ए.एस." कहा जाता है) को 1 अप्रैल 2015 की संक्रमण तारीख से अपनाया है। समूह के पहले इंड ए.एस. अनुवर्ती वित्तीय विवरणों प्रस्तुत करते हुए समूह के लिए लागू सभी अधिसूचित लेखा मानदंडों को बिना किसी अपवाद के ध्यान में रखा गया है और अनुपालन किया गया है।

टिप्पणी.3 उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

3.1 प्रचालनों का आधार

समूह के वित्तीय विवरण इंड ए.एस. और कम्पनी अधिनियम,2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए हैं।

जैसा कि नीचे लेखाकरण नीति में वर्णित है, कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़कर, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य में मापे जाते हैं, ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

समूह के प्रचालन चक्र और कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित मानकों के अनुसार सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, समूह ने परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 महीने का निर्धारित किया है।

3.2 अनुमानों का उपयोग:

ये वित्तीय विवरण इंड ए.एस. के मान्य और मापन सिद्धान्तों के साथ संपुष्टि में अनुमानों और धारणाओं के आधार पर तैयार किए गए हैं।

अनुमान और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और ऐसे अनुमानों में यदि कोई संशोधन हो तो उनका संशोधन के वर्ष में उचित रूप से लेखाकरण किया जाता है।

रिपोर्टिंग तारीख को आकलन की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत, जो भविष्य के वर्षों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण हो सकते हैं, टिप्पणी संख्या 4 में वर्णित हैं।

3.3 सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

एक सहयोगी एक संस्था होती है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशक के वित्तीय और परिचालन नीति के फैसले में भाग लेने की शक्ति है लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

एक संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति पर अधिकार हैं। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण की हिस्सेदारी करने के लिए संविदात्मक सहमति है, जो केवल तब ही मौजूद रहत है जब प्रासंगिक गतिविधियों के फैसले के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी करनेवाले पक्षों को साझा करने वाली पार्टियों की एकमत से सहमति की जरुरत होती है।

सहयोगियों या संयक्त उद्यमों के परिणाम,परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ इन समेकित वित्तीय विवरणों में लेखाकरण की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके समाविष्ट किए गए हैं, इसके अलावा कि जब निवेश या इसका कोई भाग, बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत किया गया हो, उस मामले में इसका लेखांकन इंड ए.एस. के अनुसार में किया जाता है। इक्विटी पद्धति में, किसी

सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश आरम्भ में समेकित तुलन-पत्र में लागत पर मान्य किया जाता है और इसके बाद समूह के लाभ या हानि और सहयोगी या संयुक्त उद्यम की अन्य विशद आय में मान्य किया जाता है।

किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम से प्राप्त वितरणों से निवेश की वहन राशि कम हो जाती है। जब किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम की हानि का समूह का हिस्सा उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम में समूह के हित से अधिक हो जाता है (जिसमें कोई दीर्घावधि हित शामिल हों, वस्तुत, जो उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम में समूह के शुद्ध निवेश का भाग रूप हो), समूह आगे और हानि का अपने हिस्से को मान्यता देना बन्द कर देता है। अतरिक्त हानियाँ केवल उसी सीमा तक मान्य की जाती हैं, कि समूह को कानूनी या रचनात्मक दायित्व वहन करना हो, या सहयोगी या संयुक्त उद्यमकी ओर से भुगतान किया हो।

किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम किसी निवेश का उस तारीख से, जिससे निवेशी एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनता है, इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकन किया जाता है। किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के अधिग्रहण पर, निवेशी की अभिज्ञेय परिसंपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के समूह के अंश पर निवेश की लागत के अतिरिक्त को साख के रूप में मान्य किया जाता है, जो निवेश की वहन राशि के अंदर शामिल किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के बाद, निवेश की लागत पर अभिज्ञेय परिसंपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के समूह के अंश के किसी अतिरिक्त को सीधे इक्विटी में पूँजी आरक्षित के रूप में उसी अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें वह अधिगृहीत हुई है।

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के लागू होने के बाद, समूह निश्चित करता है कि क्या किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में शुद्ध निवेश की आरंभिक मान्यता के बाद हुई एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का कोई वस्तुगत साक्ष्य मिला है और उस घटना (या घटनाओं) का शुद्ध निवेश से अनुमानित भावी नगदी प्रवाह पर कोई प्रभाव पड़ा है जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सके। यदि ऐसी हानि का कोई वस्तुगत साक्ष्य हो, तब सहयोगी या संयुक्त उद्यम में समूह के निवेश के संबंध में क्षति हानि को मान्य करना आवश्यक होता है।

जब आवश्यक हो, निवेश के समग्र वहन मूल्य इंड ए.एस. 36 के अनुसरण में, एक एकल परिसंपत्ति के रूप में परिसंपत्तियों की हानि को इसकी वसूलीयोग्य राशि (प्रयोग में उच्चतर मूल्य में से निपटान की लागत को घटाकर) इसकी वहन राशि से तुलना करके हानि का परीक्षण किया जाता है, कोई क्षति हानि मान्य होती है वह निवेश की वहन राशि का भाग होती है। उस क्षति हानि का कोई व्युत्क्रमण इंड ए.एस. के अनुसरण में इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि निवेश की वसूलीयोग्य राशि बाद में बढ़ती है।

जिस तारीख से कोई निवेश एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम बने रहने की समाप्ति हो जाती है, या जब निवेश बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत हो जाता है, उस तारीख से समूह इक्विटी पद्धति का उपयोग करना बन्द कर देता है। जब समूह पूर्व सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कोई हित रखता है और धारित हित एक वित्तीय परिसंपत्ति होता है, तो समूह धारित हित को उस तारीख को उचित मूल्य पर मापता है और इंड ए.एस. के अनुसरण में उस उचित मूल्य को इसकी आरंभित मान्यता पर इसका उचित मूल्य माना जाता है। इक्विटी पद्धति बन्द होने की तारीख को है सहयोगी या संयुक्त उद्यम की वहन राशि और किसी धारित हित के बीच अंतर और सहयोगी या संयुक्त उद्यम में आंशिक हित के निपटान से हुई किसी आमदनी को सहयोगी या संयुक्त उद्यम के निपटान पर लाभ या हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समूह उस सहोयगी या संयुक्त उद्यम से संबंधित अन्य विशद आय में पहले से मान्य की गई सभी राशि को उसी आधार पर लेखांकन करता है जैसा कि सहयोगी या संयुक्त उद्यम को संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों के सीधे निपटान पर आवश्यक होता।

समूह इक्विटी पद्धति का उपयोग जारी रखता है, जब सहयोगी में कोई निवेश संयुक्त उद्यम में निवेश बन जाता है या किसी संयुक्त उद्यम में निवेश सहयोगी में निवेश बन जाता है। मालिकाना हितों में ऐसे परिवर्तनों पर उचित मूल्य का कोई पुनर्मापन नहीं होता।

जब समूह किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में अपना मालिकाना हित कम करता है किन्तु समूह इक्विटी पद्धति का उपयोग जारी रखता है, तो समूह उस मालिकाना हित में कमी से संबंधित अन्य विशद आय में मान्य किए गए पिछली लाभ या हानि के अनुपात का लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत करता है, यदि वह लाभ या हानि संबंधित परिसंपत्तियों या देनदारियों के निपटान पर लाभ या हानि में उस लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत किया गया हो।

3.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पूर्ण-स्वामित्व भूमि के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल के लिए लागत, घटाव संचित मूल्यह्रास और संचित दुर्बलता हानि पर वर्णित होते हैं। पूर्ण-स्वामित्व भूमि, जब तक बिगड़ी न हो, लागत पर वर्णित होती है।

3.5 आरंभिक मापन

प्रारंभिक लागत में खरीद मूल्य, गैर-वापसी योग्य खरीद कर, अधिग्रहण के लिए अन्य सीधे व्यय, उधार लेने की लागत, यदि कोई हो, संपत्ति को अपने स्थान पर लाने और इसके लिए जरूरी स्थिति लगाने के लिए हुआ खर्च जो प्रबंधन के द्वारा अपेक्षित तरीके से कार्य करने में सक्षम हो और किसी भी परिसंपत्ति पुनर्स्थापना दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक अनुमान या अनिवार्य बंद करने और विखण्डन लागत शामिल हैं।

भूमि की लागत के हिस्से के रूप में पूर्ण-स्वामित्व भूमि के विकास पर किए गए व्यय को पूंजीकृत किया गया है।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड्स के आबंटन और सीधे आरोप्य उधारी लागत, यदि कोई हो, शामिल है।

₹5 लाख से अधिक मूल्य प्रति एकक वाले स्पेयर-पुर्जे, जो कि संपत्ति, प्लांट और उपकरण के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करते हैं, वे संपत्ति, प्लांट और उपकरण के रूप में मान्य होते हैं। इसके अलावा, महत्वपूर्ण प्रकृति के स्पेयर्स और अनियमित उपयोग में हों, जिसे किसी विशेष उपकरण के लिए पहचाना जा सकता है और ₹1 लाख से अधिक प्रति युनिट मूल्य के हों, वे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्य होते हैं।

3.6 **परवर्ती व्यय**

परिसंपत्तियों और ओवरहॉल लागतों में पुर्जों को बदलने की लागत सहित प्रमुख निरीक्षण/रखरखाव या मरम्मत पर व्यय, जहाँ यह संभाव्य हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान समूह को उपलब्ध होंगे, का पूँजीकरण किया जाता है और बदले गए चिह्नित पुर्जों के धारक राशि को अमान्य किया जाता है।

3.7 **पूँजी कार्य - प्रगति में**

उत्पादन और/या सामान या सेवाओं या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए निर्माण के दौरान परिसंपत्तियाँ या जिनके लिए वर्गीकरण अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, को प्रगति में पूंजीगत कार्य में शामिल किया गया है और किसी भी मान्यता प्राप्त क्षति हानि को घटाकर लागत में लिया जाता है। ऐसे प्रगतिरत पूंजी कार्य, पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उचित संवर्ग में स्थानांतरित किये जाते हैं।

निवेश के निर्णय लिए जाने तक नई संभावित परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए खर्च को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। निवेश के निर्णय के बाद परियोजनाओं के लिए किए गए व्यय को प्रगतिरत पँजीगत कार्य के तहत रखा जाता है और बाद में उसका पूंजीकरण किया जाता है।

3.8 **मूल्यह्रास और ऋणशोधन**

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के उनके उपयोगी जीवनकाल के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया गया हैं, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 और प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी अनुमानों के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवनकाल विचार करके निर्धारित किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक, उस लागत के साथ जो उस मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है, यदि इसका उपयोगी जीवनकाल संपत्ति के अन्य घटकों से अलग होता है। मूल कंपनी ने पॉट रिलाईनिंग को छोड़कर एक अलग घटक की पहचान के लिए ₹1 करोड़ का एक बेंचमार्क चुना है, जो कि इसके निहित प्रकृति और उपयोगी जीवनकाल के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट के अंश के रूप में माना जाता है।

संयंत्र और मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण और मृतिका ढोने वाले उपकरणों, रेलवे सुविधाएँ, रोलिंग स्टॉक और आवासीय क्वार्टर के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत के 5% पर और सभी अन्य परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य को शून्य के रूप में माना जाता है।

अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाती है और परिवर्तन का प्रभाव, यदि कोई हो, तो भविष्य के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यह्रास के लिए विचार में ली गई संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल नीचे वर्णित है:

(क) बॉक्साइट खान में पर अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवनकाल, यदि संबंधित खानों पर बॉक्साइट भंडार की उपलब्धता की अवधि से अधिक है तो उसे उस अवधि तक सीमित किया जाता है। इस तरह की परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास बॉक्साइट भंडार की उपलब्धता की अवधि तक किया जाता है।

(ख) अनुगुळ में ग्रहीत तापज विद्युत उत्पादन संयंत्र के उपयोगी जीवनकाल को 30 वर्ष माना जाता है।

(ग) दामनजोड़ी में वाष्प विद्युत संयंत्र (एसपीपी) के उपयोगी जीवनकाल को 25 वर्ष माना जाता है।

(घ) एल्यूमिना परिशोधक में लाल पंक तालाब और राख के तालाब तथा ग्रहीत विद्युत संयंत्र में राख के तालाब का उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन, अवधिवार किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर, उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया गया है।

(ङ) बॉक्साइट खानों की परिसंपत्तियों को छोड़कर पट्टेदार भूमि पर स्थापित संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को शेष पट्टे की अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के रूप में माना जाता है और तदनुसार मूल्यह्रास किया जाता है।

(च) जो भूमि समूह के स्वामित्व की नहीं है उस पर स्थापित संपत्ति का मूल्यह्रास, उस तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक किया जाता है, जिस तारीख को वह संपत्ति प्रबंधन की अपेक्षानुसार प्रचालन में सक्षम हो, जब तक कि लंबे/छोटे जीवनकाल तक निर्णीत न हो।

(छ) ₹10,000/- या उससे कम लागत वाले व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है जिसमें उनका इस्तेमाल करना है।

(ज) ऊपर उल्लिखित के अलावा अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण निम्नलिखित उपयोगी जीवनकाल के अधीन हैं।

क्रम नहीं.	परिसंपत्ति संवर्ग के विवरण (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)	वर्षों में उपयोगी जीवनकाल की सीमा
1	भवन	30-60
2	संयंत्र और मशीनरी	15-40
3	वाहन	08 - 10
4	फर्नीचर और जोड़नार	08 - 10
5	कंप्यूटर उपकरण	03 - 06

3.9 परिसंपत्तियों का निपटान

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की उसके निपटान पर मान्यता-रद्द कर दी जाती है या जब उस परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से कोई भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। निपटान पर होने वाली किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

3.10 पुर्जे अलग करने की लागत

सतह खनन में पुर्जे अलग करने की लागत एक परिसंपत्ति के रूप में पहचानी जाती है जब वे अयस्क तक महत्वपूर्ण उन्नत पहुँच का प्रतिनिधित्व करते हैं, बशर्ते सभी निम्न शर्तें पूरी होती हैं:

(क) यह संभावित है कि पुर्जे अलग करने की गतिविधि के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ का एहसास हो जाएगा;

(ख) अयस्क वस्तु का अंश जिसके लिए पहुँच में सुधार हुआ है उसे पहचाना जा सकता है; तथा

(ग) उन्नत पहुँच के साथ जुड़ी पुर्जे अलग करने की गतिविधि से संबंधित लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

उत्पादन चरण के दौरान व्यय की गई पुर्जे अलग करने की लागत को "पुर्जे अलग करने की लागत" परिसंपत्ति में जोड़ा जाता है, जो वर्तमान अवधि के पुर्जे अलग करने की लागत का अनुपात परियोजित पुर्जे अलग करने की लागत के अनुपात से अधिक है।

पुर्जे अलग करने की गतिविधि की संपत्ति का बाद में, जें अलग करने की गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हुई अयस्क वस्तु के अंश के जीवनकाल के आधार पर उत्पादन की एक इकाई पर मूल्यह्रास किया जाता है और लागत में से संचित मूल्यह्रास और किसी संचित क्षति हानि को घटाकर दर्शाया जाता है।

3.11 अमूर्त आस्तियाँ

3.11.1 अलग से अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत से संचित ऋणशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्ज किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्ति का ऋणशोधन उनके अनुमानित जीवनकाल पर किया जाता है। अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और ऋणशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, ओर अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव को भावी संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3.11.2 आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति - अनुसंधान और विकास व्यय

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माना गया पूँजी व्यय को छोड़कर अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें यह खर्च किया जाता है।

विकास से उत्पन्न एक आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्ति मान्य होती है, यदि और केवल यदि, इंड ए.एस. 38 - अमूर्त परिसंपत्ति में निर्धारित सभी शर्तों पूरी होती हों।

3.11.3 खनन अधिकार

खनन अधिकारों की लागत में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए भुगतान की गई राशि और नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित उच्चतम धनराशि शामिल हैं।

खनन अधिकारों की लागत का ऋणशोधन खनन संपत्ति के कुल अनुमानित शेष वाणिज्यिक भंडारों पर किया जाता है और हानि की समीक्षा के अधीन हैं।

3.11.4 खान विकास व्यय

वाणिज्यिक उत्पादन के पूर्व खान विकास पर किया गया खर्च अर्थात् भूमि, निर्माण, भवन, संयंत्र और उपकरण के अलावा प्राथमिक विकास व्यय का पूँजीकरण तब तक होता है जब तक कि खनन संपत्ति वाणिज्यिक उत्पादन में सक्षम नहीं हो।

3.11.5 उपयोगकर्ता अधिकार

भविष्य के आर्थिक लाभ वाले क्लस्टर परियोजना में किए गए व्यय की राशि, सह-लाभार्थियों के अनन्य उपयोग के साथ, लेकिन परिसंपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण के बिना उपयोगकर्ता के अधिकार के रूप में पूँजीकृत की गई हैं।

3.11.6 सॉफ्टवेयर

अलग से अधिग्रहीत ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर (आर.डी.बी.एम.एस., साईबेस, ईआरपी / एसएपी) सॉफ्टवेयर के रूप में पूँजीकृत हुए हैं।

3.11.7 लाइसेंस और फ्रेंचाइज

प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय की राशि को "लाइसेंस और फ्रैंचाइज" शीर्षक के अंतर्गत अमूर्त के रूप में पूँजीकृत किया गया है।

3.11.8 अमूर्त आस्तियों की मान्यता रद्द करना

एक अमूर्त परिसंपत्ति निपटान पर रद्द कर दी जाती है, जब उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं हो। किसी अमूर्त परिसंपत्ति के उन्मूलन से पैदा होने वाले लाभ या हानि, को जब उस परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.11.9 ऋणशोधन

उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अमूर्त संपत्ति के परिशोधन का आधार निम्नानुसार है:

(क) प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारियों की प्रकृति में लाइसेंस जो कि संबंधित प्रसंस्करण संयंत्रों के उपयोगी जीवनकाल के लिए उपलब्ध हैं, दस वर्षों की अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ख) अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत सॉफ़्टवेयर 3 वर्ष का उपयोगी जीवनकाल रखते हैं।

(ग) खनन अधिकार और खान विकास के खर्च की उपलब्धता की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता हैं।

(घ) क्लस्टर परियोजनाओं के लिए उपयोक्ता अधिकार, चालू होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि में परिशोधित होते है।

3.12 मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, समूह यह निर्धारित करने के लिए अपनी वास्तविक और अमूर्त परिसंपत्ति के धारक राशि की समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में क्षति की हानि हुई है, यदि कोई हो। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि (यानी उचित मूल्य के उच्चतर में लागत घटाकर बेचने और और उपयोग-में-मूल्य) का अनुमान लगाकर क्षति से हानि, यदि कोई हो, की सीमा निर्धारित की जाती है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, तो समूह उस परिसंपत्ति की नकद-सृजक इकाई (सीजीयू) की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि किसी परिसंपत्ति (या सीजीयू) की वसूली योग्य राशि को इसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान लगाया गया है, तो परिसंपत्ति (या सीजीयू) की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है और वहन राशि और वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि विवरण में क्षति हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.13 कार्यात्मक और विदेशी मुद्राएँ

वित्तीय विवरणों में शामिल मद प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है अर्थात् भारतीय रुपये जिसमें यह समूह प्रचालित है। समूह की कार्यात्मक और रिपोर्टिंग मुद्रा भारतीय रुपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में प्रस्तुत किए जाते हैं।

विदेशी मुद्रा में हुए लेनदेनों के वित्तीय विवरण प्रस्तुति में अर्थात् संस्था की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं, को लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, उस तारीख में प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक वस्तुओं का अंतरण किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर, को लाभ और हानि के विवरण में उन अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

3.14 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

3.14.1 प्रावधान

किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को पहचाना जाता है और यह संभव है ("नहीं की तुलना में अधिक संभावना") कि दायित्व तय करने के लिए इसका आवश्यकता है, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, तुलन पत्र की तारीख को वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए दायित्वों के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए आवश्यक विवेचन का सबसे अच्छा अनुमान है। जहाँ वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए अनुमानित नकद बहिर्वाह का उपयोग करके एक प्रावधान मापा जाता है, इसकी वहन राशि उन नकदी बहिर्वाहों का वर्तमान मूल्य है। उपयोग की जाने वाली छूट की दर कर-पूर्व जोखिम मुक्त रिटर्न है जो उस क्षेत्राधिकार में धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और देयता के लिए विशिष्ट जोखिम दर्शाती है।

(क) पुनर्स्थापना, पुनर्वास और डीकमिशनिंग

जब विकास या किसी खदान और अन्य विनिर्माण सुविधाओं के चल रहे उत्पादन के कारण पर्यावरण बिगड़ने की घटना होती है तो पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पर्यावरणीय लागत का खर्च करने के लिए एक दायित्व उत्पन्न होता है। समूह ने सांविधिक अधिदेश के मुताबिक दायित्व बहाली, पुनर्वास और निधि देनदारी को मान्यता दी है।

ऐसी लागतों के शुद्ध वर्तमान मूल्य का प्रावधान किया जाता है और तत्संबंधित राशि का प्रत्येक परियोजना के चालू होने पर पूँजीकरण किया जाता है। इन लागतों को परिसंपत्ति के जीवनकाल पर मूल्यह्रास और छूट दी गई देनदारी के खोलने के माध्यम से लाभ या हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। लागत अनुमानों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और ज्ञात विकास कार्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है, जिनका लागत अनुमान या प्रचालनों के जीवनकाल पर असर पड़ सकता है। अद्यतन लागत अनुमान, प्रचालन-काल में परिवर्तन, नई बाधाओं और छूट दरों के संशोधन जैसे कारकों के कारण प्रावधान में हुए बदलावों के लिए संबंधित परिसंपत्ति की लागत को समायोजित किया जाता है। परिसंपत्तियों की समायोजित लागत का उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल पर संभावित रूप से मूल्यह्रास होता है जिससे वे संबंधित हैं। लाभ या हानि के विवरण में छूट के खोलने को वित्त और अन्य लागत के रूप में दिखाया गया है।

(ख) पर्यावरणीय देनदारियाँ

पर्यावरणीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह पर्यावरणीय क्षति को सुधारने या सुधारात्मक निष्पादन करने के लिए कानूनी तौर पर या रचनात्मक तौर पर बाध्य होता है।

(ग) मुकदमेबाजी

एक बार यह स्थापित होने के बाद कि, रिपोर्टिंग की तारीख तक उपलब्ध जिस सूचना के विवेचन पर आधारित समूह का कोई वर्तमान दायित्व है, प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

3.14.2 प्रासंगिक देनदारियाँ

आकस्मिक देनदारियाँ संभवत: पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जिसके अस्तित्व को केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं होने या न होने की पुष्टि हो, जो से पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं हों। प्रासंगिक देनदारियाँ वित्तीय विवरणों में प्रकट होती हैं जब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दुरस्थ नहीं है।

3.14.3 आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरण में मान्य नहीं की गई है, लेकिन जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है तो उनका खुलासा किया जाता है।

3.15 पट्टे

किसी पट्टे के आरम्भ के समय, पट्टा-व्यवस्था की विषय-वस्तु के आधार पर पट्टे की व्यवस्था या तो वित्त पट्टा या ऑपरेटिंग पट्टा के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

3.15.1 वित्त लीज पर ली गई परिसंपत्तियाँ

वित्तीय पट्टे वे हैं जो पट्टेदार को स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों और पुरस्कार को हस्तांतरित करते हैं।

वित्त पट्टों को पट्टा के प्रारंभ में, संपत्ति के उचित मूल्य के निचले हिस्से में या न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य में पूँजीकृत किया जाता है। पट्टादाता के लिए इसी देयता को वित्तीय पट्टा दायित्व के रूप में तुलन-पत्र में शामिल किया गया है। पट्टे के भुगतान को वित्त प्रभार और पट्टे के दायित्व में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष अंश पर ब्याज की निरंतर दर उपलब्ध हो सके। वित्त प्रभार सीधे पट्टे की अवधि के दौरान आय के विरुद्ध प्रभारित किए जाते हैं।

3.15.2 परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियाँ

वित्त पट्टों के अलावा अन्य पट्टे, प्रचालन पट्टे होते हैं और उन पट्टा परिसंपत्तियाँ समूह के तुलन-पत्र में में मान्यता दी गई है। प्रचालन पट्टों के तहत किए जाने वाले अपफ्रंट पट्टे का भुगतान, पट्टे की अवधि के मुकाबले लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं। परिचालन पट्टों पर ली गई संपत्ति / सुविधाओं के लिए किराया और रखरखाव प्रभार का भुगतान उस अवधि में राजस्व के लिए लिया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

3.16 माल-भंडार

कोयला और ईंधन तेल जैसे थोक सामग्री सहित कच्चे माल की सूची, जहाँ कहीं भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट की लागत नेट पर मूल्यांकित होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करने वाली वस्तुओं के अलावा स्टोर और पुर्जों को जहाँ भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट के लागत-नेट में मूल्यांकित किया जाता है।

धारित स्टोर और पुर्जों को (संपत्ति, प्लांट और उपकरण के रूप में माने जाने वाले प्रमुख पुर्जों के अलावा), लेकिन जो 5 वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किए गए हैं, लागत के 5% पर मूल्यांकित किया जाता है।

उत्पादन में उपयोग के लिए सामग्री और अन्य आपूर्तियों (गैर-चल के रूप में माने जाने वाले के अलावा) को लागत से नीचे नहीं डाला जाता है, यदि तैयार माल, जिसमें उनका उपयोग शामिल हो, और उपरोक्त लागत पर बिक्री होने की आशा हो। इन्हें लागत से कम शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर वर्णित किया जाता है, यदि वे तैयार उत्पाद जिसमें वे शामिल हैं, उन्हें लागत से नीचे बेचा जाता है।

ऊपर बताए गए अनुसार कच्चे माल, भंडार और पुर्जों की लागत, भारित औसत मूल्य के संचलन पर निर्धारित होती है।

तैयार माल, अर्द्ध-तैयार माल, मध्यस्थ उत्पाद तथा प्रगतिरत प्रक्रिया के माल-भंडार और प्रक्रिया स्क्रैप सहित इनकी लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है। आम तौर पर लागत का निर्धारण माल की संचलित भारित औसत कीमत, श्रम के उचित हिस्से और संबंधित ओवरहेड्स पर होता है। शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य, रिपोर्टिंग की तारीख पर उपलब्ध व्यापार के सामान्य प्रक्रियाक्रम में बिक्री करने के लिए जरूरी अनुमानित लागत घटाकर अनुमानित बिक्री मूल्य है।

आंतरिक रूप से सृजित स्क्रैप का मालभंडार, शुद्ध वसूरीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित होता है।

3.17 व्यापारिक प्राप्य

व्यापार प्राप्तियाँ व्यापार के सामान्य क्रम में बेचे गए सामान या सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य होने वाली राशि हैं। यदि संग्रह को रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों या उससे कम अवधि के भीतर एकत्रित किए जाने की उम्मीद है, तो उन्हें मौजूदा परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अन्यथा गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेन-देन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इनका अनुबंध में अंतर्निहित महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन न हो।

3.18 वित्तीय उपस्करण

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह साधनों के संविदागत प्रावधानों का पक्ष बनता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागत को, जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं(लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के अलावा वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयताएँ) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य होती है, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

3.18.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(क) नकदी या नकद-समतुल्य

तीन महीने या कम की परिपक्वता अवधि की सभी अल्पावधि बैंक जमा को समूह नकदी या नकद-समतुल्य मानता है। बैंक में 3 महीनों से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा को अन्य बैंक बैलेंस के रूप में माना जाता है।

(ख) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागतों पर मापा जाता है, यदि वित्तीय संपत्ति एक व्यापार मॉडल में आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तों को निर्दिष्ट तारीखों को नकद प्रवाह के लिए उगाना है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

(ग) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय संपत्ति एक कारोबारी मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करना और वित्तीय संपत्ति बेचना है और इन वित्तीय परिसंपत्तियाँ की संविदात्मक शर्तों के द्वारा निर्दिष्ट तारीखों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है, जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करते हैं।

(घ) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय संपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य विस्तृत वस्तु के माध्यम से परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर मापी न जाए। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से लेनदेन लागत लाभ या हानि के विवरण में तुरंत मान्य होती है।

3.19 वित्तीय देनदारियाँ

व्यापारिक और अन्य प्राप्य को आरंभिक रूप से लेनदेन लागत पर मापा जाता है। अन्य वित्तीय देनदारियों को परिशोधन लागत पर प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए मापा जाता है।

3.20 वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता-रद्द करना

समूह वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब मान्यता-रदद करता है, जब परिसंपत्ति की समाप्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार समाप्त होते हैं, या जब यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित करता है और परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से अन्य पक्ष को हस्तांतरित करता है।

3.21 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को, समूह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है या नहीं।

अगर, रिपोर्टिंग की तारीख को, एक वित्तीय साधन में क्रेडिट जोखिम में प्रारंभिक मान्यता से काफी वृद्धि नहीं हुई है, तो समूह उस वित्तीय साधन के लिए 12 महीने के अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापता है। अगर, किसी वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम में प्रारंभिक मान्यता से काफी वृद्धि हुई है, तो समूह उस वित्तीय साधन के जीवनकाल के लिए अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापता है।

रिपोर्टिंग तारीख को हानि भत्ता को समायोजित करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों (या व्युत्क्रमण) की मात्रा को लाभ और हानि के विवरण में एक क्षति लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी गई है।

3.22 वित्तीय देनदारी का उन्मूलन

समूह वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता देता है जब, और केवल जब, समूह के दायित्वों को मुक्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है या समाप्ति हो जाती है।

3.23 वित्तीय साधनों को ऑफसेट करना

समूह की वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ ऑफसेट हैं और तुलन-पत्र में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि है, जब मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का कानूनी तौर पर अधिकार लागू होता है और निवल आधार पर समझौता करने या एक साथ परिसंपत्ति की वसूली करने और दायित्व तय करने का अभिप्राय होता है। कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार भविष्य की घटनाओं पर प्रासंगिक नहीं होने चाहिए और व्यवसाय की सामान्य कार्यप्रणाली में अवश्य लागू होने चाहिए।

3.24 संजात

व्युत्पन्न साधन यथा- आगे विदेशी मुद्रा संविदाओं को संजात संविदाओं के दर्ज होने की तारीख को उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य के लिए फिर से मापा जाता है। परिणामी लाभ या हानि को तुरंत लाभ या हानि के बयान में मान्यता दी जाती है।

3.25 उधार लागत

उधार लेने की लागत सीधे उन संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होती है जो उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दी जाती है, जब तक संपत्ति उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होती है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

3.25 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन

सरकारी अनुदान तब मान्य है जब उचित आश्वासन होता है कि समूह उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदान लाभ और हानि के विवरणों में एक अवधि के आधार पर व्यवस्थित आधार पर मान्य होती है जिसमें समूह संबंधित लागतों के खर्च के रूप में पहचान करता है, जिसको क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान देने का अभिप्राय होता है। सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक स्थिति यह है कि समूह को गैर-चालू संपत्ति खरीदना, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, उन्हें तुलन-पत्र में आस्थगित आय के रूप में अनुदान स्थापित करके मान्यता दी गई है और लाभ या हानि में व्यवस्थित रूप से उपयोगी जीवनकाल के आधार पर स्थानांतरित किया जाता है।

अन्य सरकारी अनुदान (आय से जुड़ी अनुदान) को उन समयावधि के अनुसार आय के रूप में पहचाना जाता है, जिनके लिए उन्हें लागत के साथ मिलान करने के लिए एक व्यवस्थित आधार पर क्षतिपूर्ति करना होता है। लाभ और हानि के विवरण में आय से संबंधित अनुदान अन्य आय के तहत प्रस्तुत किए जाते हैं।

3.25क कर्मचारी लाभ

3.26.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ

मजदूरी और वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्तित अनुपस्थितियाँ आदि लाभों के संबंध में कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के लिए एक दायित्व मान्य है, जो संबंधित अवधि में की गई सेवा हेतु अपेक्षित छूट-रहित भुगतानयोग्य राशि पर किया जाता है।

3.26.2 नियुक्ति पश्चात् और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क) परिभाषित अंशदान योजनाएँ

एक परिभाषित योगदान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत समूह एक अलग इकाई के लिए निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। परिभाषित योगदान में अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएँ एक व्यय के रूप में मान्य होती हैं, जब कर्मचारी ने इस तरह के अंशदान के लिए हकदार बनानेवाली सेवा प्रदान की है।

ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत, प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में किए गए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मापन लाभ और की हानि अन्य विशद आय में तुरंत मान्य की जाती हैं। सेवा लागत को, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी पर ब्याज की शुद्धता को रोजगार की लागतों के भीतर शुद्ध व्यय के रूप में माना जाता है।

पिछली सेवा लागत को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब योजना में संशोधन या कटौती होती है या जब कोई भी संबंधित पुनर्गठन लागत या समाप्ति लाभ मान्यता प्राप्त होते हैं।

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित-लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाता है जो कि योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम होता है।

ग) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताएँ रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में मूल कंपनी द्वारा अपेक्षित अनुमानित भविष्य के नकद बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य से मापी जाती है। परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए उपयोग किए गए एक ही लेखा पद्धति का उपयोग करके इन लाभों की अपेक्षित लागत रोजगार की अवधि में उपार्जित की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले से उपजे जीवनांकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित या जमा किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा इन दायित्वों का सालाना मूल्यांकन किया जाता है।

3.27 राजस्व मान्यता

प्राप्त होने वाले या प्राप्ति के उचित मूल्य पर राजस्व को मापा जाता है। अनुमानित छूट और अन्य तत्समान भत्ते से राजस्व कम हो गया है।

3.27.1 माल की बिक्री

समूह को मुख्य रूप से एल्यूमिना और एल्यूमिनियम उत्पादों की बिक्री से राजस्व प्राप्त होता है।

जब सभी निम्नलिखित मानदंड संतुष्टि से पूरे हों तभी मूल कंपनी राजस्व मान्य करती है:

(i) ग्राहक के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ii) आमतौर पर स्वामित्व से जुड़े सामानों के साथ कोई भी जारी प्रबंधन शामिल नहीं किया जाता है, और बेचे जाने वाले सामानों पर प्रभावी नियंत्रण भी नहीं रखा गया है;

(iii) राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;

(iv) यह संभावित है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ समूह के पास प्रवाहित होंगे;

(v) विवेचन की वसूली उचित रूप से आश्वासित है।

3.27.2 ऊर्जा की बिक्री

पवन ऊर्जा की बिक्री संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित कीमत पर डिस्कोम्स को प्रेषित ऊर्जा के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र से विद्युत की बिक्री को राज्य के ग्रिड को इंजेक्टेड मात्रा के आधार पर माना जाता है जिसमें परिशोधक को व्हीलिंग करने को छोड़कर, लेकिन उचित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कीमत पर अनिश्चित ऊर्जा इंजेक्शन भी शामिल है।

ऊर्जा की बिक्री से राजस्व मान्यता प्राप्त है अगर

1. राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;
ii. यह संभावित है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ समूह के पास प्रवाहित होंगे;
iii. विवेचन की वसूली उचित रूप से आश्वासित है।

3.27.3 लाभांश और ब्याज से आय

क) लाभांश

लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश को मान्य किया जाता है।

ख) ब्याज

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय मान्य की जाती है, जब यह संभाव्य है कि समूह को आर्थिक लाभ मिलेगा और आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रमुख बकाया और प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में, ब्याज आय समय के आधार पर अर्जित किया जाता है।

ग) सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन से आय

कर्तव्य की प्रकृति में सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन और निर्यात पर निर्यात प्रोत्साहन (एमईआईएस) और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के निर्माण पर प्रोत्साहनों को इसके अंतर्गत प्रदान की गई शर्तों के अनुपालन पर संबंधित क़ानून के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

3.28 आय कर

कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर की राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

3.28.1 चालू कर

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्तमान कर व्यय वर्ष के लिए कर-योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान कर देयताएँ (परिसंपत्तियाँ) कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए भुगतानयोग्य (या वापस वसूली) की अपेक्षित राशि में मापा जाता है जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हुए हैं और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन में शामिल हैं।

3.28.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर-व्यय या आय वित्तीय विवरणों में संपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संबंधित कर-आधार के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता प्राप्त हैं।

आस्थगित कर-संपत्ति और देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है, जिनकी गणना उस अवधि के लिए होती है जब परिसंपत्ति मान्य हो जाती है या देनदारी का निर्धारण हो जाता है, कर-दरों और कर-कानूनों के आधार पर जो अधिनियमित या वास्तविक रूप से रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किए गए हैं। अन्य विशद आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित टैक्स विशद आय के विवरण का हिस्सा है।

सभी संपत्तियों और देनदारियों के कर-आधारों के बीच की रिपोर्टिंग तारीख और वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए उनकी बकाया राशि के बीच सभी अस्थायी अंतर पर आस्थगित कर प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक समायोजित किया जाता है कि यह संभावित हो जाए कि परिसंपत्ति की वसूली करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

3.29 असाधारण मद

असाधारण मद साधारण गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर आय और व्यय के सामान हैं लेकिन ऐसे आकार, प्रकृति या घटनाओं के कारण समूह के निष्पादन के बेहतर स्पष्टीकरण के लिए जिनका प्रकटीकरण जरूरी है।

3.30 महत्वपूर्ण भूल / चूक का पुनःविवरण

भूलों और चूकों के मूल्य को समझा जाता है कि यदि पूर्वावधि आय / व्यय का कुल प्रभाव ₹50 करोड़ से अधिक हो गया है, जो प्रस्तुत की गई सबसे पहले की अवधि के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों और इक्विटी के आरम्भिक शेष को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

टिप्पणी सं.4 महत्वपूर्ण लेखा निर्णय और आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

वित्तीय विवरण की प्रस्तुतु के लिए प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि उन मामलों के बारे में जो अंतर्निहित रूप से अनिश्चित हैं,जटिल और / या व्यक्तिपरक निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाए। ये अनुमान और धारणाएँ रिपोर्ट की अवधि के दौरान संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की मात्रा के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक देनदारियों और संपत्तियों के प्रकटीकरण और राजस्व और व्यय को भी प्रभावित करती हैं।

अनुमान और संबद्ध मान्यताएँ पिछले अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होती हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। उस अनुमानित अवधि में लेखा अनुमानों को मान्य किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है।

4.1 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय:

निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय है, उन अनुमानों के अलावा, जो प्रबंधन ने समूह की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में बनाए हैं और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है:

प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि समूह की वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधित लागत पर रिपोर्टिंग अपने व्यवसाय मॉडल के प्रकाश में उचित होगी और समूह के सकारात्मक इरादे और संविदागत नकदी प्रवाह को जमा करने के लिए इन वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने की क्षमता की पुष्टि कर दी है।

4.21 अनिश्चितता के आकलन के मुख्य स्रोत:

निम्नलिखित भविष्य के बारे में प्रमुख धारणाएँ हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता के आकलन के अन्य प्रमुख स्रोत हैं जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन पैदा करने का एक बड़ा जोखिम हो सकता है:

4.2.1 क्षति

एसोसिएट्स और अन्य निवेशों में निवेश, ऋण और अग्रिम, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की हानि के लिए समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन मूल्य पूरी तरह से वसूली योग्य या कम से कम वार्षिक रूप से नहीं हो सकता है।

नगदी सृजन करनेवाले एककों के भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमान, जो परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं, भविष्य के प्रचालनों के बारे में उम्मीदों पर आधारित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्पादन और बिक्री की मात्रा, वस्तु की कीमतों, भंडार और संसाधनों के संचालन, पुनर्वास व संचालन की लागत और पूंजीगत व्यय के अनुमान शामिल होते हैं।

4.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा करता है। इस पुनर्मूल्यांकन के कारण भविष्य में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

4.2.3 खनन भंडार का आकलन:

खनिज भंडार के अनुमान में परिवर्तन जहाँ संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल परियोजना के जीवनकाल तक सीमित हैं, जो बदले में आरक्षित की संभावित और आर्थिक व्यवहार्यता के जीवनकाल तक सीमित है, मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्षण, भूविज्ञान और भंडार निर्धारण में विशेषज्ञों द्वारा खानों में बॉक्साइट भंडार का अनुमान लगाया जाता है और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आईबीएम) को पेश की गई अनुमोदित खनन योजना पर आधारित है।

4.2.4 नियुक्ति पश्चात् लाभ के लिए देनदारी

नियक्ति पश्चात् देनदारियाँ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर होते हैं, जो बारी-बारी से यथार्थवादी बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है।

4.2.5 प्रावधान और आकस्मिक देनदारियाँ:

कर, कानूनी, बहाली और पुनर्वास, संविदात्मक और अन्य जोखिम या दायित्वों सहित एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, किसी भी ब्याज, शुल्क सहित, दायित्वों के चतुर्दिग के जोखिम और अनिश्चितताओं को हिसाब में लेते हुए संबंधित देनदारियों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक विचारों का सबसे अच्छा अनुमान हैं। समूह अपनी देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन करता है, जो उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना, प्रासंगिक कर और अन्य कानूनों, आकस्मिकताओं और अन्य उपयुक्त आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं।

4.2.6 उचित मूल्य माप और मूल्यांकन प्रक्रिया:

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए, उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो उचित मूल्य माप के लिए अपने स्वरूप में पूरी तरह उचित मूल्य माप के लिए इनपुट का महत्व समझकर इनपुट के विचारयोग्य आकलन की डिग्री पर आधारित होते हैं, निम्नलिखित अनुसार वर्णन किया गया है:

- स्तर 1 निविष्टियाँ समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में भाव बोली के मूल्य (असंजित) हैं, जिन तक माप की तारीख पर समूह की पहुँच हो सकती है;
- स्तर 2 की निविष्टियां वे इनपुट हैं, जो स्तर 1 के भीतर शामिल बोली लगाई गई कीमतों के अलावा, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन किया जा सकता है; तथा;
- स्तर 3 के इनपुट परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन नहीं किए जा सकने वाली निविष्टियाँ हैं।

टिप्पणी 5. पहली बार अंगीकरण- अनिवार्य अपवाद, वैकल्पिक छूट

समूह ने इंड ए.एस. 101 के अनुसार सभी लागू लेखा मानकों (इंड ए.एस.) को अपनाया है - भारतीय लेखा मानक का पहली बारण अंगीकरण किया गया है। समूह ने भारतीय जी.ए.ए.पी. से संक्रमण किया है जो कि इसकी पिछली जी.ए.ए.पी. है, जैसा कि इंड ए.एस. 101 में परिभाषित किया गया है जिसमें शेयरधारकों की इक्विटी के पुनर्मिलान और विशद शुद्ध आय से संबंधित पिछला जी.ए.ए.पी. से इंड ए.एस. को संक्रमण के आवश्यक खुलासे हैं।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समूह के वित्तीय विवरण इंड ए.एस. के अनुसार तैयार किए गए पहले वित्तीय विवरण हैं। इंड ए.एस. को अपनाने से पहले समूह, और 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष सहित सभी अवधियों के लिए कंपनियों के (लेखा मानक) नियम, 2006 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांत, 'भारतीय जी.ए.ए.पी.' के रूप में एक साथ संदर्भित, के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों प्रस्तुत कर रही थी।

5.1 समग्र सिद्धांत

समूह ने सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्य करके 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण की तारीख) पर इंड ए.एस. के अनुसार आरम्भिक शेष राशि प्रस्तुत की है, जिनकी मान्यता इंड ए.एस. द्वारा जरूरी है, ऐसी संपत्ति और देनदारियों मान्य नहीं कर रही है जो इंड ए.एस. की अनुमेय नहीं है, जो कि मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों के माप के रूप में इंड ए.एस. को लागू करके इंड ए.एस. के तहत अर्हता के रूप में पिछले जीएएपी से इंड ए.एस. को पुनर्वर्गीकरण करने के द्वारा की गई है। हालांकि, यह सिद्धांत कुछ अपवाद और समूह द्वारा उपलब्ध की गई कुछ वैकल्पिक छूटों के शर्ताधीन है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

5.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय उत्तरदायित्वों के उन्मूलन

समूह ने 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण की तारीख) पर या उसके बाद होने वाले लेनदेन के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को अमान्य करने आवश्यकताओं को लागू किया है।

5.1.2 ऋण साधनों का वर्गीकरण

समूह ने अपने ऋण साधनों के वर्गीकरण को निर्धारित किया है कि क्या वे संक्रमण की तारीख के अनुसार मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अन्य विशद आय (एफवीटीओसीआई) मानदंडों के माध्यम से परिशोधित लागत मानदंडों या उचित मूल्य के अनुरूप हैं या नहीं।

5.1.3 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

समूह ने इंड ए.एस. 109 की हानि अर्हताओं को अतीतलक्षी ढंग से लागू किया है; हालांकि, इंड ए.एस. 101 द्वारा जैसे कि अनुमति दी गई है, इसने उचित और सहायक जानकारी का उपयोग किया है जो कि अनुचित लागत या क्रेडिट जोखिम को निर्धारित करने के प्रयास के बिना उपलब्ध है, जो कि संक्रमण की तारीख को वित्तीय साधनों के जोखिम के साथ तुलना करने के लिए प्रारम्भ में मान्य किए गए थे। इसके अलावा, समूह ने इंड ए.एस. के लिए संक्रमण की तारीख को, यह निर्धारित करते समय, जानकारी के लिए विस्तृत खोज नहीं की है, कि इंड ए.एस. 101 की अनुमति के अनुसार प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं।

5.1.4 सन्निहित संजात का आकलन

समूह ने मूल्यांकन किया है कि क्या एक सन्निहित संजात को मेजबान अनुबंध से अलग करने की आवश्यकता है और उन शर्तों के आधार पर व्युत्पन्न करने हेतु जिम्मेदार है, जो उस तारीख के बाद मौजूद थीं, जो पहले अनुबंध के लिए एक पार्टी बन गई थी और उस तारीख को अनुबंध की शर्तों में एक परिवर्तन किया गया है जो काफी नकदी प्रवाह को संशोधित करता है जो अनुबंध के तहत अन्यथा आवश्यक होगा।

5.1.5 पिछले व्यापार संयोजन

समूह ने 1 अप्रैल, 2015 की संक्रमण की तारीख से पहले हुए पूर्व व्यापार संयोगों को पूर्वव्यापी रूप से व्यावसायिक संयोजनों के रूप में इंड ए.एस.103 लागू न करने का निर्णय लिया है। नतीजतन,

- समूह ने अपने पिछले जी.ए.ए.पी. वित्तीय विवरणों के अनुसार पिछले व्यापार संयोजनों के लिए समान वर्गीकरण रखा है;
- समूह ने उन परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी है जिन्हें अधिग्रहणकर्ता के तुलन-पत्र में पिछले जीएएपी के अनुसार नहीं माना गया था और वे अधिग्रहण की अलग-अलग तुलन-पत्र में इंड ए.एस. के अनुसार मान्यता के लिए भी अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं;
- कंपनी ने अपने पिछली तुलन-पत्र से पिछले जीएएएपी के अनुसार मान्यता प्राप्त वस्तुओं को बाहर रखा है जो इंड ए.एस. के तहत परिसंपत्ति या दायित्व के रूप में मान्यता के लिए योग्य नहीं हैं;

व्यापार संयोजन के संबंध में उपरोक्त छूट भी सहयोगियों में निवेश के पिछले अधिग्रहण और संयुक्त उद्यमों में रुचि के लिए लागू की गई है, जैसा कि इंड ए.एस. 103 में परिभाषित किया गया है।

5.1.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के लिए विचारित लागत

समूह ने अपने सभी संयंत्रों और उपकरणों और अमूर्त संपत्तियों के वहन मूल्य को 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण तारीख) के रूप में मान्यता दी है, जो पिछले जीएएपी के अनुसार मापा जाता है और संक्रमण की तारीख को इसकी विचारित लागत के रूप में उस मूल्य का उपयोग करता है।

5.1.7 सहायक, सहयोगी और संयुक्त उपक्रमों में निवेश के लिए विचारित लागत

समूह ने अपने सभी सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के वहन मूल्य को 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण तारीख) के रूप में मान्यता दी है, जो पिछले जीएएपी के अनुसार मापा जाता है और संक्रमण की तारीख को इसकी विचारित लागत के रूप में उस मूल्य का उपयोग करता है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
वहन राशि :			
पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि	84.33	71.33	71.33
भवन	564.63	560.48	554.30
संयंत्र एवं उपकरण	6,300.69	5,751.95	5,895.13
फर्नीचर एवं फिक्सचर	7.65	7.43	6.49
कार्यालय उपकरण	7.32	6.97	7.85
वाहन	8.93	9.76	12.44
रेलवे साइडिंग	45.08	49.15	41.11
	7,018.63	**6,457.07**	**6,588.65**

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	रेलवे साइडिंग	योग
लागत या विचारित लागत								
01.04.2015 को शेष राशि	71.33	554.30	5,895.13	6.49	7.85	12.44	41.11	6,588.65
संयोजन	-	42.94	225.40	2.99	3.60	0.35	12.57	287.85
निपटान	-	-	(6.67)	(0.01)	-	(0.06)	-	(6.74)
31.03.2016 को शेष राशि	71.33	597.24	6,113.86	9.47	11.45	12.73	53.68	6,869.76
संयोजन	13.03	41.27	982.44	2.62	4.18	1.81	-	1,045.35
निपटान	(0.03)	-	(17.38)	(0.06)	(0.12)	(0.10)	-	(17.69)
31.03.2017 को शेष राशि	84.33	638.51	7,078.92	12.03	15.51	14.44	53.68	7,897.42
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	रेलवे साइडिंग	योग
संचित मूल्यह्रास एवं क्षीणता								
01.04.2015 को शेष राशि	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	-	36.76	362.69	2.04	4.48	2.97	4.53	413.47
निपटान	-	-	(0.78)	-	-	-	-	(0.78)
31.03.2016 को शेष राशि	-	36.76	361.91	2.04	4.48	2.97	4.53	412.69
मूल्यह्रास व्यय	-	**37.12**	**417.45**	**2.38**	**3.79**	**2.55**	**4.07**	**467.36**
निपटान	-	-	(1.13)	(0.04)	(0.08)	(0.01)	-	**(1.26)**
31.03.2017 को शेष राशि	-	73.88	778.23	4.38	8.19	5.51	8.60	878.79
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	रेलवे साइडिंग	योग
वहन राशि								
01.04.2015 को शेष राशि	71.33	554.30	5,895.13	6.49	7.85	12.44	41.11	6,588.65
31.03.2016 को शेष राशि	71.33	560.48	5,751.95	7.43	6.97	9.76	49.15	6,457.07
31.03.2017 को शेष राशि	84.33	564.63	6,300.69	7.65	7.32	8.93	45.08	7,018.63

टिप्पणियाँ:

6.1 राज्य सरकार के माध्यम से अर्जित पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि के लिए अधिकार पत्र का निष्पादन कर लिया गया है, इसमें 66.92 एकड़ माप की भूमि शामिल नहीं है। यह समूह औद्योगिक इस्तेमाल हेतु पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि के रूपान्तरण की प्रक्रिया में है एवं राजस्व प्राधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को रखा गया है।

6.2 कोलकाता नगर विकास प्राधिकरण से कोलकाता में ₹ 5.50 करोड़ मूल्य के क्रय किए गए 6,459 वर्गफीट के कार्यालय स्थल के संबंध में पंजीयन औपचारिकताएँ प्रक्रियाधीन हैं।

6.3 वर्ष के दौरान समूह ने विद्युत अपघटनी पात्र के पात्र पुनः अस्तरीकरण अवयव के अनुमानित उपयोगी जीवन को 40 वर्ष (विद्युत अपघटनी पात्र का जीवन काल) से बदल कर 7 वर्ष (पात्र पुनः अस्तरीकरण का जीवन काल) कर दिया है। ऐसे अनुमानित परिवर्तन के फलस्वरूप मूल्यह्रास में ₹ 58.52 करोड़ की वृद्धि हुई है एवं लाभ और संपत्तियों की वहन राशि में अनुरूपी ह्रास आया है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

7. लागत पर चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
लागत पर चालू पूंजीगत कार्य	473.33	613.54	498.63
मार्गस्थ सहित निर्माण सामग्री (लागत पर)	42.10	43.55	47.49
	515.43	657.09	546.12
घटाएं : चालू पूंजीगत कार्य के क्षीण होने हेतु प्रावधान	(0.78)	(0.79)	-
कुल चालू पूंजीगत कार्य	514.65	656.30	546.12

7.1 चालू पूँजीगत कार्य की राशि में आधारभूत संरचनात्मक विकास व्यय के बाबत ₹ 41.40 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 39.30 करोड़) शामिल है जो कोल खान प्रभाग को प्रत्यक्ष आरोप्य है।

8. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
वहन राशि			
प्रयोगकर्ता अधिकार (220 केवी सबस्टेशन)	11.81	13.62	15.43
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1.68	2.91	2.81
खनन अधिकार [टिप्पणी 8.1 देखें]	111.83	113.77	107.72
लाइसेंस	0.48	8.31	10.25
	125.80	138.61	136.21

	प्रयोगकर्ता अधिकार	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	खनन अधिकार	लाइसेंस	कुल अमूर्त परिसंपत्तियाँ
लागत या विचारित लागत					
01.04.2015 को शेष राशि	15.43	2.81	107.72	10.25	136.21
संयोजन		1.66	13.39		15.05
निपटान					-
31.03.2016 को शेष राशि	15.43	4.47	121.11	10.25	151.26
संयोजन		0.19			0.19
निपटान					-
31.03.2017 को शेष राशि	15.43	4.66	121.11	10.25	151.45

	प्रयोगकर्ता अधिकार	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	खनन अधिकार	लाइसेंस	कुल अमूर्त परिसंपत्तियाँ
संचित मूल्यह्रास एवं क्षीणता					
01.04.2015 को शेष राशि	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	1.81	1.56	7.34	1.94	12.65
निपटान					-
31.03.2016 को शेष राशि	1.81	1.56	7.34	1.94	12.65
मूल्यह्रास व्यय	1.81	1.42	1.94	7.83	13.00
निपटान					-
31.03.2017 को शेष राशि	3.62	2.98	9.28	9.77	25.65

	प्रयोगकर्ता अधिकार	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	खनन अधिकार	लाइसेंस	कुल अमूर्त परिसंपत्तियाँ
वहन राशि					
01.04.2015 को शेष राशि	15.43	2.81	107.72	10.25	136.21
31.03.2016 को शेष राशि	13.62	2.91	113.77	8.31	138.61
31.03.2017 को शेष राशि	11.81	1.68	111.83	0.48	125.80

टिप्पणियाँ:

8.1. समूह ओड़िशा सरकार द्वारा प्रदत्त पट्टे के आधार पर पंचपटमाली बॉक्साइट खानों में अपने खनन कार्यों का प्रचालन कर रहा है। पट्टे के नवीकरण के सिलसिले में समूह ने एनपीवी एवं संबंधित भुगतानों को चुका दिया है जो कि खनन अधिकार के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीकृत हुए हैं एवं समूह की लेखांकन नीतियों के अनुसार स्ट्रेट लाइन के आधार पर परिशोधित हुए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

9. विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
खनन अधिकार	26.34	26.34	-
प्रयोगकर्ता अधिकार	25.01	5.06	3.18
	51.35	**31.40**	**3.18**

9.1 विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों (खनन अधिकार) में कोल ब्लॉक के आबंटन के तहत भारत सरकार को आंशिक भूगतान के बाबत ₹ 26.34 करोड़ शामिल है।

9.2 विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों (खनन अधिकार) में लक्ष्मीपुर, कोरापुट में परिशोधन संयंत्र से 220 केवी स्विचिंग स्टेशन तक 220 केवी पारेषन लाइन पर व्यय किए गए ₹ 25.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.06) की राशि शामिल है।

10. निवेश

			31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
क.	**गैर-चालू**				
क.1	**इक्विटी प्रपत्रों में निवेश - (लागत पर वर्गीकृत)**				
क.1.1	**सहयोगियों में निवेश**				
	अनुद्धृत निवेश				
	एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 पूर्णतः प्रदत्त के 26,000 शेयर)		0.01	0.01	0.01
	सहयोगियों में कुल निवेश		0.01	0.01	0.01
	सहयोगियों का विवरण				
	वर्ष की अवधि के अंत में प्रत्येक सहयोगी का विवरण (सामग्री नहीं) निम्नानुसार है				
	सहयोगी का नाम	प्रधान कार्य एवं निगमन का स्थान और व्यवसाय का प्रमुख स्थल	मूल कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित/वोटिंग अधिकार का अनुपात		
	एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड	नाभिकीय शक्ति का विकास, काकरापारा, गुजरात	26%	26%	26%
	सहयोगी जो व्यक्तिगत रूप से भौतिक नहीं है, की वित्तीय सूचना				
	सहयोगी जो व्यक्तिगत रूप से भौतिक नहीं है, की एकीकृत सूचना			31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
	वर्ष के लिए समूह के लाभ (हानि) का अंश			*	*
	अन्य व्यापक आय में समूह का अंश			-	-
	कुल व्यापक आय में समूह का अंश			*	*
	*सहयोगी के लाभ का अंश 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 3,915.52 एवं 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 5,916.04 है।				
क.1.2	**संयुक्त उद्यमों में निवेश**				
	अनुद्धृत निवेश				
	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड (31.03.2017 को, प्रत्येक ₹ 10 पूर्णतः प्रदत्त के 9,80,000 शेयर, 31.03.2016 को, प्रत्येक ₹ 10 पूर्णतः प्रदत्त के 9,90,000 शेयर एवं 01.04.2015 को, प्रत्येक ₹ 10 पूर्णतः प्रदत्त के 9,90,000 शेयर)		1.35	1.21	1.12
	प्रत्येक ₹ 10 पूर्णतः प्रदत्त के 1,37,20,000 शेयरों के लिए शेयर आवेदन राशि, शेयरों को आबंटन किया जाना है		13.72	-	-
	योग		15.07	1.21	1.12

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

10. निवेश

क.1.2	दिनांक 21.03.2017 को आयोजित मंडल की सभा में अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुसार नालको की इक्विटी शेयरधारिता 49.5% से घटकर 49% हो गई है एवं ओआईडीसी की शेयरधारिता 50.5% से बढ़कर 51% हो गई है। मंडल ने ₹ 10 प्रत्येक के 2,80,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने का भी निश्चय किया है। मूल कंपनी (नालको) ने दिनांक 31.03.2017 को ₹ 13.71 करोड़ (इक्विटी के 49%) का भुगतान किया है। शेयरों का आबंटन अभी किया जाना है।			
	जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (दिनांक 31.03.2017 को : प्रत्येक ₹ 10/- के 20,00,000 शेयर पूर्णतः प्रदत्त, दिनांक 31.03.2016 को : प्रत्येक ₹ 10/- के 40,000 शेयर पूर्णतः प्रदत्त और दिनांक 01.04.2015 को : शून्य)	1.00	-	
	प्रत्येक ₹ 10/- के 2,28,00,000 पूर्णतः प्रदत्त शेयर के लिए शेयर आवेदन राशि, शेयरों का आबंटन अभी किया जाना है	22.80		
	योग	23.80	-	-
	वर्ष के दौरान जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने नालको को प्रत्येक ₹ 10/- के 19,60,000 पूर्णतः प्रदत्त शेयर जारी किया है। मूल कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रत्येक ₹ 10/- के 2,28,00,000 इक्विटी शेयर (पूर्णतः प्रदत्त) के लिए शेयर आवेदन राशि के बाबत ₹ 22.80 करोड़ का भी भुगतान किया है, जिसके लिए शेयरों का आबंटन अभी किया जाना है।			
	संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश	38.87	1.21	1.12

संयुक्त उद्यमों का विवरण

रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में प्रत्येक संयुक्त उद्यम (भौतिक नहीं) का विवरण निम्नानुसार है

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रधान कार्य एवं निगमन का स्थान एवं व्यवसाय का प्रमुख स्थल	मूल कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित/वोटिंग अधिकार का अनुपात		
(क) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क लिमिटेड	ओड़िशा, भुवनेश्वर, ओड़िशा, भारत में एल्यूमिनियम विशिष्ट अनुप्रवाह का प्रचार	49.00%	49.50%	49.50%
(ख) जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	कास्टिक सोडा का उत्पादन, वडोदरा, गुजरात, भारत	40.00%	40.00%	0.00%
व्यक्तिगत रूप से भौतिक नहीं ऐसे संयुक्त उद्यमों के संबंध में वित्तीय सूचना				
संयुक्त उद्यमों जो व्यक्तिगत रूप से भौतिक नहीं है, की एकीकृत सूचना			**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष**
वर्ष के लिए समूह के लाभ (हानि) का अंश			0.81	0.05
अन्य व्यापक आय में समूह का अंश			-	-
कूल व्यापक आय में समूह का अंश			0.81	0.05
			31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
संयुक्त उद्यम की हानियों का अनभिज्ञात अंश				0.15
			-	0.15
क.1.3 **अन्य संस्थाओं में निवेश**				
अनुद्धृत निवेश				
ओड़िशा कैपिटल मार्केट एण्ड एन्टरप्राइजेस लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 1 के 2,89,000 पूर्णतः प्रदत्त शेयर)		0.03	0.03	0.03
योग - अन्य संस्थाओं में निवेश		0.03	0.03	0.03
योग - इक्विटी प्रपत्रों में निवेश		38.91	1.25	1.16

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

10. निवेश

क.2 म्यूचुअल फंड में निवेश

	31.03.2017 को यथा		31.03.2016 को यथा		31.03.2015 को यथा	
उद्धृत निवेश	इकाइयों की सं.	राशि ₹ करोड़ में	इकाइयों की सं.	राशि ₹ करोड़ में	इकाइयों की सं.	राशि ₹ करोड़ में
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – X		-	20,000	23.51		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII- XII		-	40,000	46.89		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII- XIII		-	40,000	46.77		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX- I		-	25,000	29.14		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX-III		-	75,000	87.36		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – IV		-	25,000	29.10		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX- VI		-	50,000	58.13		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX- VIII		-	35,000	40.68		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX-IX		-	100,000	115.96		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – X		-	10,000	11.59		-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX-XI		-	60,000	69.47		-
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-20		-	50,000	58.79		-
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-22		-	50,000	58.78		-
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-24		-	50,000	35.01		-
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-27		-	30,000	58.27		-
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-28		-	50,000	46.48		-
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-31		-	40,000	40.57		-
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-32		-	35,000	28.97		-
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-34		-	25,000	57.81		-
योग - म्यूचुअल फंड में निवेश		**-**		**943.28**		**-**
योग गैर-चालू निवेश		**38.91**		**944.53**		**1.16**
अतिरिक्त सूचना						
उद्धृत निवेशों का एकीकृत बही मूल्य एवं इसका बाजार मूल्य			-	943.28		-
अनुद्धृत निवेशों की एकीकृत वहन राशि		38.91		1.25		1.16
निवेशों के मूल्य में क्षीणता की एकीकृत राशि		-		-		-

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

10. निवेश

ख.

म्यूचुअल फंड में चालू निवेश	31.03.2017 को		31.03.2016 को		31.03.2015 को	
	इकाइयाँ ’000 में	राशि ₹ करोड़ में	इकाइयाँ ’000 में	राशि ₹ करोड़ में	इकाइयाँ ’000 में	राशि ₹ करोड़ में
उद्धृत निवेश						
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – V	-	-	-	-	45,000	49.06
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – VIII	-	-	-	-	40,000	43.46
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – X	20,000	25.44	-	-	20,000	21.68
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – XII	40,000	50.81	-	-	40,000	43.17
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – XIII	40,000	50.74	-	-	40,000	43.05
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – I	25,000	31.64	-	-	25,000	26.87
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – III	75,000	94.65	-	-	75,000	80.47
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – IV	25,000	31.53	-	-	25,000	26.79
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – VI	50,000	62.87	-	-	50,000	53.50
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – VIII	35,000	43.96	-	-	35,000	37.43
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – IX	100,000	125.58	-	-	100,000	106.73
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – X	10,000	12.54	-	-	10,000	10.66
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – XI	60,000	75.18	-	-	60,000	63.93
बीओआई एएक्सए एफएमपी सीरीज 14	-	-	-	-	5,000	5.43
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-20	-	-	-	-	50,000	54.31
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-22	50,000	63.58	-	-	50,000	54.14
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-24	50,000	63.56	-	-	50,000	54.07
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-27	30,000	37.87	-	-	30,000	32.27
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-28	50,000	63.04	-	-	50,000	53.73
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-31	40,000	50.22	-	-	40,000	42.86
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-32	35,000	43.88	-	-	35,000	37.43
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-34	25,000	31.31	-	-	25,000	26.73
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-35	50,000	62.69	-	-	50,000	53.29
बीओआई एएक्सए लिक्विड फंड	499	50.01	110	11.00		-
केनरा रोबेको लिक्विड	298	30.00	109	11.00		-
आईडीबीआई लिक्विड फंड	299	30.01	110	11.00		-
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	299	30.01	110	11.00		-
यूनियन केबीसी लिक्विड	300	30.00	110	11.00		-
यूटीआई मनी मार्केट फंड	299	30.01	110	11.00		-
योग - अन्य चालू निवेश		1,221.13		66.00		1,021.06

अतिरिक्त सूचना

उद्धृत निवेशों का एकीकृत बही मूल्य एवं इसका बाजार मूल्य	1,221.13	66.00	1,021.06
अनुद्धृत निवेशों की एकीकृत वहन राशि	-	-	-
निवेशों के मूल्य में क्षीणता की एकीकृत राशि	-	-	-

श्रेणी वार अन्य निवेश - इंड एएस 109 वर्गीकरण के अनुसार

	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
लाभ या हानि के माध्यम से सही मूल्य पर अनिवार्य रूप से आकलित वित्तीय परिसंपत्तियाँ (उद्धृत निवेश)/(एफवीटीपीएल)	1,221.13	1,009.28	1,021.06
	1,221.13	**1,009.28**	**1,021.06**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

11. व्यापार प्राप्य

क.	गैर-चालू	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
(क)	असुरक्षित, अच्छा माना गया	-		
(ख)	असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	37.11	37.11	37.11
	घटाएं : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ते (अपेक्षित ऋण हानि भत्ता)	37.11	37.11	37.11
	निवल गैर-चालू व्यापार प्राप्य	-	-	-

ख.	चालू	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
(क)	असुरक्षित, अच्छा माना गया	184.25	235.21	120.82
(ख)	असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	-		
	घटाएं : संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ते	-		
	निवल चालू व्यापार प्राप्य	184.25	235.21	120.82

टिप्पणियाँ:

11.1 वस्तुओं (एल्यूमिना और एल्यूमिनियम) की बिक्री ग्राहक या साख-पत्र से प्राप्त अग्रिमों पर की गई है। ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को सामग्री की आपूर्ति से समायोजित किया गया है। ऐसी बिक्री के लिए कोई ऋण अवधि प्रदान नहीं की गई है और इसी अनुसार कोई ब्याज प्रभारित नहीं हुआ है। पवन शक्ति की बिक्री के लिए औसत ऋण-अवधि माना गया है। आबद्ध विद्युत संयंत्र में अनवधान उत्पादित ताप विद्युत की बिक्री का कोई वाणिज्यिक अनुबंध नहीं है। संयंत्र की आवश्यकता के मद्देनजर इसे व्हीलिंग बंदोबस्ती से संयोजित किया गया है। ऐसी अनवधान विद्युत बिक्री के फलस्वरूप प्राप्य राशि (विद्युत क्रय के लिए निवल देय) के संग्रह में लम्बी अवधि लगती है। ऐसी बिक्री के लिए कोई निवल प्राप्य नहीं है, क्योंकि बिक्री की तुलना में क्रय उल्लेखनीय रूप से उच्चतर दर पर हैं। चूंकि पवन एवं ताप विद्युत की बिक्री का कोई वाणिज्यिक बंदोबस्त नहीं हुआ है, अतः कोई ब्याज की स्वीकृति नहीं दी गई है।

11.2 31 मार्च, 2017 के अनुसार व्यापार प्राप्य में से पवन शक्ति की बिक्री के लिए ₹ 23.21 करोड़ जोधपुर डिस्कॉम से नियत है एवं निर्यात धातु के तहत में सर्वश्री ग्लेनकोर इंटरनैशनल से ₹ 82.17 करोड़ बकाया है। कोई और अन्य ग्राहक नहीं हैं जिनसे व्यापार प्राप्य के कुल शेष के 5% से अधिक निकलता है।

11.3 समूह ने मामला दर मामला के आधार पर, व्यापार प्राप्य के लिए, अपेक्षित ऋण भत्ते की गणना करते हुए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण का पालन किया है। चूंकि एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए कोई ऋण अवधि नहीं है एवं ग्राहक द्वारा दिए गए अग्रिम या साखपत्र (एलसी) की समर्थित सुरक्षा के तहत बिक्री की गई है, अतः ऐसे प्राप्य के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि कोई ऋण बंदोबस्त नहीं है, फिर भी पवन शक्ति की बिक्री के लिए, समूह ने औद्योगिक ऋण क्षति अनुभव के आधार पर भत्ते के लिए प्रावधान किया है एवं प्रगतिशील सूचना के लिए समायोजित किया है।

11.4

प्राप्य की आयु (सकल में)	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम			
0-30 दिन (एलसी/बिल डिस्काउंटिंग)	144.13	198.35	96.99
30 दिन से अधिक (प्रदान किए गए)	37.11	37.11	37.11
	181.24	235.46	134.10
पवन शक्ति			
ऋण अवधि के अंदर	6.79	3.75	7.96
नियत समय के बाद 1-30 दिन	4.84	2.75	-
नियत समय के बाद 30 दिन से अधिक	28.49	30.36	15.87
	40.12	36.86	23.83

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

12 ऋण

क.	गैर-चालू		31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	(क)	कर्मचारियों को ऋण			
		सुरक्षित, अच्छा माना गया	68.62	75.38	75.38
		असुरक्षित, अच्छा माना गया	11.69	31.61	31.61
	(ख)	अन्य को ऋण			
		सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.29	0.34	0.36
	कुल गैर-चालू ऋण		80.60	107.33	107.35

ख.	चालू		31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	(क)	कर्मचारियों को ऋण			
		सुरक्षित, अच्छा माना गया	20.57	11.03	19.63
		असुरक्षित, अच्छा माना गया	15.58	18.36	18.36
	(ख)	संबंधित पक्षों को ऋण			
		सुरक्षित, अच्छा माना गया [टिप्पणी 12.2 देखें]	0.04	0.06	0.10
	(ग)	अन्य को ऋण			
		सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.51	0.75	0.52
	कुल चालू ऋण		36.70	30.20	38.61

12.1 उपर्युक्त ऋण को परिशोधित लागत पर वहन किया गया है।

12.2 संबंधित पक्षों से बकाये ऋण की राशि, मूल कंपनी के निदेशकों द्वारा उनकी निदेशकता से पूर्व कर्मचारियों की क्षमता में गृह निर्माण ऋण के रूप में ली गई राशि है। इन ऋणों की अतिरिक्त सूचना टिप्पणी 43- संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण में दी गई है।

13 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

क.	गैर-चालू		31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	प्रतिभूति जमा		10.77	8.04	5.99
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		10.77	8.04	5.99
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण				
	असुरक्षित, अच्छा माना गया		10.77	8.04	5.99
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपित्तयाँ		**10.77**	**8.04**	**5.99**

ख.	चालु		31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	(क)	प्रतिभूति जमा [टिप्पणी 13.2 देखें]	151.00	151.00	151.00
	(ख)	कर्मचारियों को अग्रिम	44.35	38.84	31.20
	(ग)	बीमा दावे प्राप्य	12.66	11.22	11.96
	(घ)	व्युत्पन्न परिसंपत्तियाँ - अग्रेषित संविदा	-	0.92	-
	सकल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		208.01	201.98	194.16
	घटाएं : अनुपयुक्त एवं संदिग्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्ते				
	(क)	कर्मचारियों को अग्रिम	44.35	38.84	31.2
	(ख)	बीमा दावे	7.17	6.40	6.45
	अनुपयुक्त एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए कुल भत्ते		**51.52**	**45.24**	**37.65**
	कुल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		156.49	156.74	156.51
	अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण				
	असुरक्षित, अच्छा माना गया		156.49	156.74	156.51
	संदिग्ध		51.52	45.24	37.65
	सकल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		208.01	201.98	194.16

13.1 उपर्युक्त परिसंपत्तियों का वहन परिशोधित मूल्य पर किया गया है।

13.2 गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (जीएमडीसी) के पास प्रतिभूति जमा के रूप में अदा की गई ₹ 151 करोड़ की राशि वापस पाने हेतु नियत है, क्योंकि गुजरात में एल्यूमिना परिशोधन की स्थापना की योजना को मूल कंपनी ने निरस्त कर दिया है। राशि वापस पाने की प्रक्रिया मे. जीएमडीसी के सक्रिय विवेचना के अधीन है। जीएमडीसी के निदेशक मंडल से प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है एवं गुजरात सरकार से अनुमोदन प्रतीक्षाधीन है। अतएव, इस जमा के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

14. चालू कर परिसंपत्तियाँ

	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
आयकर	34.12	102.92	127.77
कुल चालू कर परिसंपत्तियाँ	34.12	102.92	127.77

15. अन्य परिसंपत्तियाँ

क.	गैर-चालू			31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	(क)	पूँजी अग्रिम		114.88	210.03	104.78
	(ख)	पूँजी अग्रिम के अलावा अग्रिमः				
		लोक संस्थाओं के पास अग्रिम				
		(1)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, विक्रय कर, पत्तन न्यासों आदि	250.27	235.44	219.14
		(2)	आयकर प्राधिकारीयों के पास जमा	603.50	535.79	518.09
		(3)	अन्य सरकारी प्राधिकारी	4.01	1.32	1.44
	(ग)	अन्य				
		पूर्वदत्त व्यय				
		(1)	पट्टे पर दी गई भूमि के लिए पूर्वदत्त पट्टा भुगतान	5.26	13.74	9.93
		(2)	कर्मचारी ऋणों पर पूर्वदत्त व्यय	26.86	27.61	32.61
	सकल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			1,004.78	1,023.93	885.99
	घटाएं : अनुपयुक्त एवं संदिग्ध अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते					
	(क)	पूँजी अग्रिम		0.27	0.50	0.50
	अनुपयुक्त एवं संदिग्ध अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए कुल भत्ते			0.27	0.50	0.50
	कुल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			1,004.51	1,023.43	885.49
	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों का वर्गीकरणः					
	सुरक्षित, अच्छा माना गया					
	असुरक्षित, अच्छा माना गया			1,004.51	1,023.43	885.49
	संदिग्ध			0.27	0.50	0.50
	सकल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			1,004.78	1,023.93	885.99

ख.	चालू			31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	पूँजी अग्रिमों के अलावा अग्रिम					
	(क)	सांविधिक प्राधिकारियों के पास दावे				
		(1)	निर्यात प्रोत्साहन दावे	27.16	27.44	23.82
		(2)	नवीकरणीय स्रोत एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों से उत्पादित विद्युत पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	4.09	5.67	4.82
		(3)	वैट एवं सेनवैट ऋण वसूली योग्य	266.81	323.43	304.37
		(4)	सीमा, उत्पाद एवं रेलवे से दावे प्राप्य	10.29	10.29	7.62
	(ख)	पूर्वदत्त व्यय				
		(1)	पट्टे पर दी गई भूमि के लिए पूर्वदत्त पट्टा भुगतान	17.39	2.06	-
		(2)	कर्मचारी ऋणों पर पूर्वदत्त व्यय	5.37	5.00	6.56
		(3)	अन्य पूर्वदत्त व्यय	4.43	4.17	3.89

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

ख.	चालू				31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	पूँजी अग्रिमों के अलावा अग्रिम						
	(ग)	हाथ में स्वर्ण पदक एवं स्टाम्प			0.08	0.19	0.20
	(घ)	अन्य प्राप्य			1.70	1.66	2.47
	(ङ)	अन्य अग्रिम					
			(i)	कर्मचारियों को अग्रिम	23.06	23.88	23.13
			(ii)	आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं को अग्रिम	391.49	321.84	288.87
			(iii)	अन्य	30.13	19.05	39.38
	सकल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ				782.00	744.68	705.13
	घटाएं : अनुपयुक्त एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते						
	(क)	वैट एवं सेनवैट ऋण वसूली योग्य			188.83	137.04	87.69
	(ख)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे प्राधिकारियों से दावे प्राप्य			7.74	7.74	3.48
	(ग)	अन्य प्राप्य			0.38	0.32	0.43
	(घ)	आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं को अग्रिम			2.45	2.44	2.39
	(ङ)	अन्य			2.66	2.72	2.68
	अनुपयुक्त एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए कुल भत्ते				202.06	150.26	96.67
	कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ				579.94	594.42	608.46
	अन्य चालू परिसंपत्तियों का वर्गीकरण:						
	असुरक्षित, अच्छा माना गया				579.94	594.42	608.46
	संदिग्ध				202.06	150.26	96.67
	सकल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ				782.00	744.68	705.13

16. मालसूचियाँ

		31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
(क)	कच्चे माल	75.69	112.21	118.05
(ख)	चल रहे कार्य	236.37	216.50	202.22
(ग)	मध्यवर्ती उत्पाद	93.62	103.24	108.01
(घ)	तैयार उत्पाद	222.72	136.37	136.90
(ङ)	कोयला एवं ईंधन तेल	186.71	156.97	130.43
(च)	भंडार एवं कलपुर्जे	328.60	314.71	382.56
(छ)	स्क्रेप एवं निपटान योग्य वस्तुएँ	12.22	15.01	25.19
कुल मालसूचियाँ		1,155.93	1,055.01	1,103.36
उपर्युक्त सहित, मार्गस्थ वस्तुएँ :				
(i)	कच्चे माल	9.80	30.18	11.22
(ii)	कोयला एवं ईंधन तेल	32.44	23.17	1.96
(iii)	भंडार एवं कल पुर्जे	15.81	12.28	21.19
कुल मार्गस्थ वस्तुएँ		58.05	65.63	34.37

16.1 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूचियों की लागत ₹ 3487.46 करोड़ है (2015-16 के दौरान ₹ 3123.34 करोड़)

16.2 अचल वस्तुओं के लिए मालसूची के कम होते मूल्यों के संबंध में व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूचियों की लागत में ₹ 13.02 करोड़ शामिल है (2015-16 के दौरान ₹ 10.84 करोड़)

16.3 मालसूचियाँ नकद ऋण सुविधा के तहत बंधक/गिरवी रखी हुई है।

16.4 मालसूचियों के मूल्यांकन की विधि का उल्लेख टिप्पणी 3.16 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

17.क. नकद एवं नकद समतुल्य

				31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
(क)	बैंक में शेष					
	(1)	अधिसूचित बैंकों में शेष				
		(i)	चालू खाते में	24.83	28.30	3.68
		(ii)	जमा खाते में (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाले)	-	626.12	-
	कुल नकद एवं नकद समतुल्य			24.83	654.42	3.68

नकद प्रवाही विवरण को तैयार करने के लिए, उपर्युक्त शेष को भी नकद एवं नकद समतुल्य के रूप में विवेचित किया गया है।

17.ख. बैंक शेष (नकद एवं नकद समतुल्यों को छोड़कर)

		31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
(क)	जमा खाते में (3-12 महीने के मध्य मूल परिपक्वता वाले)	2,260.61	4,443.63	4,792.30
(ख)	अधिसूचित बैंकों में निर्दिष्ट शेष	1.79	5.10	5.00
	कुल अन्य बैंक शेष	2,262.40	4,448.73	4,797.30

टिप्पणियाँ:

17.ख.1 अधिसूचित बैंकों में निर्दिष्ट शेष दावारहित लाभांश बाबत अधिसूचित बैंकों में जमा राशि को दर्शाता है।

17.ख.2 वर्तमान वर्ष के अंत में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में जमा के लिए देय राशि ₹ शून्य है (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

18. शेयर पूँजी

	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
प्राधिकृत पूँजी			
₹ 5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	3,000.00	**3,000.00**	**3,000.00**
निर्गत एवं अभिदत्त पूंजीः			
₹ 5 प्रत्येक के 1,93,29,28,884 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (31.03.2016 एवं 01.04.2015 को: ₹ 5 प्रत्येक के 2,57,72,38,512 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर)	966.46	1,288.62	1,288.62
	966.46	**1,288.62**	**1,288.62**

18.1 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर

	शेयरों की संख्या	राशि ₹ करोड़ में
01.04.2015 को शेष	2,57,72,38,512	1,288.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-	-
31.03.2016 को शेष	2,57,72,38,512	1,288.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
मूल कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद	(64,43,09,628)	(322.16)
31.03.2017 को शेष राशि	1,93,29,28,884	966.46

(i) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर, जिनका सममूल्य ₹ 5 प्रत्येक है, प्रति शेयर एक वोट का हकदार है एवं लाभांश का हकदार हैं।

(ii) मूल कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹ 5 प्रत्येक के 64,43,09,628 इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद की है, जिससे इक्विटी शेयर पूँजी ₹ 1,288.62 करोड़ से घटकर ₹ 966.46 करोड़ हो गई है (₹ 5 प्रत्येक के 2,57,72,38,512 इक्विटी शेयर से 1,93,29,28,884 इक्विटी शेयर)

(iii) वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर 26 सितम्बर, 2016 को समाप्त कर दिए गए।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

18.2 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण

	31.03.2017 को यथा		31.03.2016 को यथा		01.04.2015 को यथा	
	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %
पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर						
भारत सरकार	1,44,14,82,490	74.58%	2,08,57,82,622	80.93%	2,08,57,82,622	80.93%
भारतीय जीवन बीमा निगम	20,43,84,512	10.57%	17,73,16,005	6.88%	18,82,51,981	7.30%

धारण संस्था (भारत सरकार) द्वारा धारित शेयरों का विवरण उपर्युक्त टिप्पणी 18.2 में दिया गया है

19. अन्य इक्विटी

		31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
(क)	पूँजी विमोचन आरक्षित निधि	322.16	-	-
(ख)	सामान्य आरक्षित निधि	8,620.53	11,461.22	11,461.22
(ग)	प्रतिधारित अर्जन	296.00	445.08	173.89
योग		9,238.69	11,906.30	11,635.11

19.1 अन्य इक्विटी में संचलन

	आरक्षित निधि एवं अधिशेष			
अन्य इक्विटी	पूँजी विमोचन आरक्षित निधि	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित अर्जन	योग
01.04.2015 को शेष	-	**11,461.22**	**173.89**	**11,635.11**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	787.16	787.16
अन्य व्यापक आय (कर छोड़कर)	-	-	26.85	26.85
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	**814.01**	**814.01**
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(128.86)	(128.86)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	-	-	(26.22)	(26.22)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(322.16)	(322.16)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	-	-	(65.58)	(65.58)
लाभ एवं हानि में इंड एएस पारगमन आरक्षण का अंतरण	-	-	-	-
31.03.2016 को शेष	-	11,461.22	445.08	11,906.30
वर्ष के लिए लाभ	-	-	667.72	667.72
अन्य व्यापक आय (कर छोड़कर)	-	-	9.08	9.08
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	676.80	676.80
इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद पर प्रीमियम	-	(2,512.81)	-	(2,512.81)
इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद पर व्यय	-	(5.72)	-	(5.72)
पूँजी विमोचन आरक्षित निधि में सामान्य आरक्षित निधि का अंतरण	322.16	(322.16)	-	-
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(144.97)	(144.97)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	-	-	(29.51)	(29.51)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(541.22)	(541.22)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	-	-	(110.18)	(110.18)
31.03.2017 को शेष	322.16	8,620.53	296.00	9,238.69

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

19.2 मूल कंपनी ने 26 सितम्बर, 2016 को ₹ 2834.97 करोड़ की सामान्य आरक्षित निधि में से अपने निजी इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद की है और इसके फलस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के अनुसार इस प्रकार पुनःखरीदे गए शेयरों के सामान्य मूल्य की समकक्ष राशि ₹ 322.16 करोड़ को पूँजी विमोचन आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है।

19.3 सामान्य आरक्षित निधि की राशि जो कि समूह द्वारा अपने इक्विटी शेयरधारकों में लाभांश के रूप में वितरित की जा सकती है, को वित्तीय विवरणों के आधार पर और साथ ही कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। अतः प्रतिधारित अर्जन के अधीन ऊपर वर्णित राशि अपनी समग्रता में वितरणयोग्य नहीं है।

19.4 पूर्व के जीएएपी के अधीन दिनांक 31.03.2015 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ के लिए देयता को चूक के कारण ₹ 6.82 करोड़ से ₹ 72.32 करोड़ में संशोधित किया गया है। अंतर-विषयक राशि को परिवर्तन की तिथि को प्रतिधारित अर्जन में परिवर्तन स्वरूप स्वीकृति दी गई है। इसी अनुसार, ₹ 42.83 करोड़ एवं ₹ 22.66 करोड़ की राशि क्रमशः प्रतिधारित अर्जन लेखा एवं आस्थगित कर देयता के साथ समायोजित की गई है।

19.5 पिछले जीएएपी के अनुसार, मूल कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में ₹ 193.29 करोड़ एवं ₹ 39.35 करोड़ का लाभांश वितरण कर प्रदान किया है। इंड एएस को अंगीकार करने के बाद, उक्त राशि को प्रतिधारित अर्जन में लिया गया है जहाँ से ₹ 144.97 करोड़ एवं ₹ 29.51 करोड़ की राशि 30 सितम्बर, 2016 को आयोजित 36 वें एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित अनुसार अंतिम लाभांश एवं लाभांश वितरण कर बाबत विमोचित हुई है। वर्ष 2015-16 के लिए अंतिम लाभांश एवं लाभांश वितरण कर की राशि में ह्रास, लाभांश के वितरण से पूर्व मूल कंपनी के शेयरों की पुनः खरीद पर शेयर पूँजी में आई कमी के कारण है।

19.6 वर्ष के दौरान मूल कंपनी ने कुल ₹ 541.22 करोड़ के बराबर ₹ 2.80 प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए, मूल कंपनी ने ₹ 322.16 करोड़ के अंतरिम लाभांश एवं ₹ 144.97 करोड़ के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है।

20. उधार

चालू (परिशोधित लागत पर सुरक्षित)	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
भुनाए गए बिल बाबत देयताएँ	51.09	-	-
कुल अन्य चालू वित्तीय देयताएँ	51.09	-	-

टिप्पणियाँ:

31 मार्च, 2017 को भुनाए गए बिलों की बाबत देयता ग्राहकों को जारी किए उन बिलों के संबंध में है, जो मूल कंपनी की नकद ऋण सुविधा के तहत बैंक में भुनाए गए हैं। पहली बार मूल कंपनी ने भुनाए गए बिलों के लिए देयता की स्वीकृति दी है, मगर रिपोर्ट किए जाने की तारीख को ग्राहक से बैंक द्वारा एकत्रित नहीं किया गया / स्वीकृत करने वाले बैंक द्वारा स्वीकृति की पुष्टि नही दी गई है। इस सूचना का स्रोत इंतजामी बैंक है एवं ये आँकड़े इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में बैंक द्वारा अनुरक्षित हैं जो वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किए जाते हैं। विगत अवधियों के लिए ये सूचनाएँ बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं। अतएव, 31 मार्च, 2016 एवं 31 मार्च, 2015 को समाप्त अनुरूपी अवधि के आँकड़ों को उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। तथापि, 31 मार्च, 2016 एवं 31 मार्च, 2015 को भुनाए गए बिल इंतजामी बैंक द्वारा पहले ही संग्रह कर लिए गए है। 31 मार्च, 2017 के अनुसार, पूर्ववर्ती अवधियों से संबंधित ऐसा कोई मामला नहीं है।

21. व्यापार देय

				31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
क.	**गैर-चालू**					
	(1)	आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार				
		-	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया राशि	-	-	-
		-	अन्य	19.61	16.30	19.82
	कुल गैर-चालू व्यापार देय			19.61	16.30	19.82
ख.	**चालू**					
	(1)	आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार				
		-	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया राशि	3.09	1.26	2.85
		-	अन्य	653.80	535.54	433.56
	(2)		प्रोद्भूत मजदूरी एवं वेतन	187.57	102.76	130.16
	कुल चालू व्यापार देय			844.46	639.56	566.57

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

टिप्पणियाँ :

21.1 क्रय पर ऋण की अवधि में प्रत्येक संविदा की भुगतान शर्तों के आधार पर संविदा-दर-संविदा अंतर रहता है। किसी भी संविदा में ब्याज प्रभारित नहीं होता है। इनकी देय राशि का भुगतान अनुबंधित शर्तों के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए, मूल कंपनी ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति की व्यवस्था कर रखी है।

21.2 प्रोद्भूत मजदूरी एवं वेतन में 1 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि हेतु कर्मचारियों को वेतन संशोधन बकाया के बाबत ₹ 81.07 करोड़ के देयता प्रावधान एवं एनपीएस में पीआरएमबीएस आबंटन के बिपणन के बाबत ₹ 35.79 करोड़ की राशि शामिल है [टिप्पणी 33 देखें]

21.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय बकाये का निर्धारण समूह के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, ऐसे पक्षों की पहचान के तहत किया गया है। उक्त अधिनियम के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है।

	विवरण	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
i)	बकाया मूलधन #	4.49	2.12	3.05
ii)	बकाया मूलधन पर ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य
iii)	नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज एवं मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य
iv)	भुगतान में विलम्ब (जो भुगतान किया गया, मगर वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) की अवधि के लिए देय ब्याज राशि परंतु एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज राशि जोड़े बिना।	शून्य	शून्य	शून्य
v)	वर्ष के अंत में प्रोद्भूत ब्याज की राशि एवं भुगतान नहीं किया गया।	शून्य	शून्य	शून्य
vi)	शेष देय ब्याज की राशि और बाद के वर्षों में ऐसी तिथि तक देय जब उपर्युक्त के अनुसार देय ब्याज एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अन्तर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु लघु उद्यमों को वस्तुतः भुगतान किया जाता है।	शून्य	शून्य	शून्य

उपर्युक्त बकाया मूलधन में व्यापार देय [टिप्पणी 21 देखें] एवं अन्य वित्तीय देयता [टिप्पणी 22 देखें] शामिल हैं।

22. अन्य वित्तीय देयताएँ

क.	गैर-चालू				31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	पूँजी आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार						
	-	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया			-	-	-
	-	अन्य			2.36	1.58	3.07
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएँ				2.36	1.58	3.07
ख.	**चालू**				**31.03.2017 को**	**31.03.2016 को**	**01.04.2015 को**
	(क)	अदत्त लाभांश			1.79	5.10	5.00
	(ख)	अन्य देयताओं के लिए लेनदार					
		(1)	पूँजी आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार				
			-	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	1.40	0.86	0.20
			-	अन्य	359.66	311.39	361.78
		(2)	ग्राहकों से प्रतिभूति जमा		1.57	1.85	1.51
		(3)	ग्राहकों को बकाये की वापसी		14.52	2.02	2.02
		(4)	ग्राहकों को बिक्री पर छूट के लिए देयताएँ		88.62	79.84	102.78
		(5)	कर्मचारी वसूली		1.54	1.29	1.98
	कुल अन्य चालू वित्तीय देयताएँ				469.10	402.35	475.27

टिप्पणियाँ:

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय बकाये का निर्धारण समूह के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान के तहत किया गया है। उक्त अधिनियम के अनुसार प्रकटन टिप्पणी 21.3 में किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

23. प्रावधान

क.	गैर-चालू			31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	(क)	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
		(1)	सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व			
		(i)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	57.17	56.21	64.09
		(ii)	सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	2.40	2.37	5.39
		(iii)	नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	2.51	2.56	-
		(iv)	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	10.32	9.92	-
		(v)	सेवानिवृत्ति उपहार	6.68	6.20	-
		(2)	अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ			
		(i)	क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	210.57	181.62	214.08
		(ii)	लम्बी सेवा का पुरस्कार	8.88	7.67	6.69
		(iii)	नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	7.50	7.31	10.02
	(ख)	अन्य प्रावधान				
		(1)	परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व/ विखंडन	21.70	18.37	16.99
		(2)	अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	0.38	8.89	8.22
	कुल गैर-चालू प्रावधान			328.11	301.12	325.48

ख.	चालू			31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	(क)	कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान				
		(1)	सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व			
		(i)	सेवानिवृत्ति अनुदान	12.08	8.60	2.05
		(ii)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	7.14	5.02	8.32
		(iii)	सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	0.01	0.37	0.59
		(iv)	नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	1.35	1.38	-
		(v)	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	3.52	3.21	-
		(vi)	सेवानिवृत्ति उपहार	0.67	0.72	-
		(2)	अन्य दीर्घ-मियादी कर्मचारी लाभ			
		(i)	क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	20.26	15.73	15.36
		(ii)	लम्बी सेवा का पुरस्कार	0.62	0.63	2.08
		(iii)	नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनः स्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	20.29	13.90	10.20
	(b)	अन्य प्रावधान				
		(1)	निगिमत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की बाबत	33.36	37.59	48.71
		(2)	अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्वों की बाबत	17.77	-	-
	कुल चालू प्रावधान			117.07	87.15	87.31

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि₹ करोड़ में

23. प्रावधान

ग.	प्रावधानों का संचलन		31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	(1)	**सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों का संचलन [टिप्पणी 33 देखें]**			
	(2)	**कर्मचारी लाभों का संचलन**			
			क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	**लम्बी सेवा पुरस्कार**	**एनईएफएफएआरएस**
		01.04.2015 को शेष	**229.44**	**8.77**	**20.22**
		अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	75.76	1.13	12.49
		भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	(124.58)	(1.72)	(11.50)
		पुनः मापन से उत्पन्न परिवर्तन	16.73	0.11	-
		31.03.2016 को शेष	197.35	8.29	21.21
		अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	70.55	1.13	19.68
		भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	(47.64)	(0.71)	(13.10)
		पुनः मापन से उत्पन्न कटौतियाँ	10.57	0.79	-
		31.03.2017 को शेष	230.83	9.50	27.79
	(3)	**अन्य प्रावधानों का संचलन**			
			परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व	**कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व**	**निगिमत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)**
		01.04.2015 को शेष	16.99	8.22	48.71
		अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	-	-	-
		भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	-	-	(11.12)
		छूट का फैलाव	1.38	0.67	
		31.03.2016 को शेष	18.37	8.89	37.59
		अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	1.66	8.51	-
		भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	-	-	(4.23)
		छूट का फैलाव	1.67	0.75	-
		31.03.2017 को शेष	21.70	18.15	33.36

टिप्पणियाँ

23.1 परिभाषित लाभ योजना के अन्तर्गत कर्मचारी लाभ से संबंधित प्रावधानों का विवरण टिप्पणी 33 में दिया गया है।

23.2 दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ अर्थात क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ (संचित अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश एवं बीमारी अवकाश), लम्बी सेवा पुरस्कारों से संबंधित प्रावधान मूल कंपनी के नियमों के अनुसार प्रदान किए गए हैं एवं स्वतंत्र बीमांकक के बीमांकिक आकलन के आधार पर इनकी देयता की स्वीकृति दी गई है।

23.3 परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व एवं रचनात्मक दायित्व के लिए प्रावधान क्रमशः इंड एएस 16 एवं इंड एएस 37 के समरूप प्रबंधन के आकलन के आधार पर किया गया है।

23.4 सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 के आगमन से पूर्व, मूल कंपनी का अव्ययित सीएसआर दायित्व है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

24. आस्थगित कर देयताएँ

	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
आस्थगित कर देयताएँ	1,492.97	1,400.66	1,300.30
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	247.39	236.55	185.01
	1,245.58	1,164.11	1,115.29

2015-16	01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य व्यापक आय में स्वीकृति	31.03.2016 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ:				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,275.71)	(89.79)	-	(1,365.50)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(24.59)	(10.57)	-	(35.16)
आस्थगित कर देयताएँ	**(1,300.30)**	**(100.36)**	**-**	**(1,400.66)**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	85.91	(7.40)	-	78.51
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	30.65	14.00	(14.21)	30.44
संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान	18.62	39.20	-	57.82
अन्य	49.83	19.95	-	69.78
आस्थगित कर देयताएँ	**185.01**	**65.75**	**(14.21)**	**236.55**
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (निवल)	(1,115.29)	(34.61)	(14.21)	(1,164.11)

2016-17	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य व्यापक आय में स्वीकृति	31.03.2017 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ:				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,365.50)	(98.43)	-	(1,463.93)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(35.16)	6.12	-	(29.04)
आस्थगित कर देयताएँ	**(1,400.66)**	**(92.31)**	**-**	**(1,492.97)**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	78.51	14.28	-	92.79
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	30.44	12.46	(4.80)	38.10
संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान	57.82	27.04	-	84.86
एमएटी क्रेडिट अधिकार		17.46		17.46
अन्य	69.78	(55.60)	-	14.18
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**236.55**	**15.64**	**(4.80)**	**247.39**
आस्थगित कर (देयताएँ) / परिसंपत्तियाँ (निवल)	(1,164.11)	(76.67)	(4.80)	(1,245.58)

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

25. अन्य देयताएँ

क.	गैर-चालू			31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
	(i)	एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा		48.27	50.38	42.42
कुल अन्य गैर चालू देयताएँ				48.27	50.38	42.42
ख.	चालू					
	(i)	अग्रिम में प्राप्त राजस्व		73.36	37.90	45.43
	(ii)	सांविधिक एवं अन्य बकाये				
		(क)	विद्युत प्रभार	22.09	20.92	13.43
		(ख)	स्रोत पर कर कटौती एवं संग्रह	15.13	14.89	13.66
		(ग)	एनईपीएफ न्यास एवं एनपीएस में अंशदान	30.02	23.22	29.93
		(घ)	जल शुल्क बाबत विवादित बकाया [टिप्पणी 25.2 देखें]	839.97	662.21	522.43
		(ङ)	अन्य (सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि)	114.59	63.10	44.61
	(iii)	नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व [टिप्पणी 25.1 देखें]		60.34	25.99	18.43
	(iv)	एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा		13.25	3.29	3.83
	(v)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुदान		0.61	0.58	0.36
	(vi)	अन्य ऋण शेष		0.85	0.79	0.65
कुल अन्य चालू देयताएँ				1,170.21	852.89	692.76

टिप्पणी:

25.1 दिनांक 1 अगस्त, 2015 की ओड़िशा विद्युत नियामक आयोग (ओईआरसी) अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार, एक दायित्वशील संगठन होने के कारण नालको के पास नवीकरणीय स्रोतों से अपनी कुल खपत के 4.5% (पिछले वर्ष 3%) के बराबर बिजली उत्पादन का दायित्व है, जिसमें सौर नवीकरणीय स्रोत से 1.50% (पिछले वर्ष 0.50%) एवं गैर सौर नवीकरणीय स्रोत से 3% (पिछले वर्ष 2.5%) शामिल है।

मूल कंपनी ने वर्तमान वर्ष के लिए अपने गैर सौर दायित्व (पवन विद्युत उत्पादन के माध्यम से) एवं पिछले वर्षों के आंशिक दायित्व को पूरा किया है। ₹1,500 (पिछले वर्ष ₹1,500) प्रति प्रमाणपत्र पर मूल्यांकित 21,066 (पिछले वर्ष 18,297) नग गैर-सौर आरईसी बाबत दिनांक 31.03.2017 को संचयी गैर सौर दायित्व ₹3.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.75 करोड़) है। यहाँ उल्लिखित है कि वर्ष के दौरान नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन के तौर पर 1,14,493 नग गैर सौर आरईसी मूल कंपनी द्वारा प्रतिधारित किए गए हैं।

सौर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से अपेक्षित मात्रा में बिजली उत्पादन के दायित्व को पूरा न कर पाने के कारण मूल कंपनी ने ₹ 3,500 (पिछले वर्ष ₹3,500) प्रति प्रमाणपत्र पर मूल्यांकित 1,63,371 (पिछले वर्ष 66,413) नग सौर आरईसी के बाबत ₹57.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹23.24 करोड़) के लिए दिनांक 31.3.2017 तक संचयी देयता प्रदान किया है।

25.2 सरकारी जल स्रोतों के क्षेत्रीय न्यायाधिकार में जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार ने उड़ीसा सिंचाई विनियम, 1961 की शर्तों के तहत जल शुल्क एवं चुकाए नहीं गए जल शुल्क पर ब्याज के लिए दावे किए हैं। जल शुल्क का पूरा भुगतान कर दिया गया है, हालांकि यह विवादित है। इस पर परिमित आधार पर ब्याज प्रदान किया गया है, हालांकि मूल कंपनी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

26 . आकस्मिक देयताएँ (प्रदान नहीं की गई सीमा तक)

			31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
समूह के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया					
क.	**सांविधिक प्राधिकारी से मांग**				
	1.	बिक्री कर	427.84	411.52	445.60
	2.	उत्पाद शुल्क	165.46	102.05	83.35
	3.	सीमा शुल्क	52.00	5.77	5.77
	4.	सेवा कर	2.31	2.35	2.26
	5.	आय कर	797.94	688.36	1079.37
	6.	प्रवेश कर एवं सड़क कर	253.19	288.67	214.46
	7.	भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	44.21	43.49	43.83
	8.	स्टाम्प ड्यूटी	204.53	205.97	211.64
	9.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	136.30	90.05
	10.	खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	93.10	93.10	106.04
	11.	कर्मचारी राज्य बीमा		0.32	0.32
	12.	भविष्य निधि आयुक्त		-	0.05
ख.	**ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य द्वारा दावे**				
	1.	ठेकेदार के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	270.96	159.41	163.27
		योग	2,447.86	2137.31	2446.01

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

समूह के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हुए हैं, में शामिल हैं:

i. आय कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर एवं अन्य सरकारी प्रभार की बाबत विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से मांग। मूल कंपनी अपीलीय प्राधिकारियों में मांग की लड़ाई कर रही है। आशा की जाती है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम मूल कंपनी के पक्ष में होगा एवं समूह की वित्तीय स्थिति एवं प्रचालन-परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिणाम नहीं पड़ेगा।

ii. सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति के लिए विवाचन/न्यायालयों के पास ठेकेदार के लम्बित दावे व्यवसाय की सामान्य कार्य-प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हैं। मूल कंपनी यथा संगत यह आशा करती है कि ये कानूनी कार्यवाहियाँ जब अंतिम रूप में निष्कर्षित एवं निर्धारित होंगी तो मूल कंपनी के पक्ष में रहेंगी और समूह के प्रचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

26.1

		आकस्मिक देयताओं का संचलन	31.03.2016 को यथा	वर्ष के दौरान बंदोबस्त	वर्ष के दौरान संयोजन	31.03.2017 को यथा
क.		**सांविधिक प्राधिकारी से मांग**				
	1.	बिक्री कर	411.52	(1.04)	17.36	427.84
	2.	उत्पाद शुल्क	102.05	(74.17)	137.58	165.46
	3.	सीमा शुल्क	5.77	(0.83)	47.06	52.00
	4.	सेवा कर	2.35	(0.06)	0.02	2.31
	5.	आय कर	688.36	-	109.58	797.94
	6.	प्रवेश कर एवं सड़क कर	288.67	(40.31)	4.83	253.19
	7.	भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	43.49	(0.17)	0.89	44.21
	8.	स्टाम्प ड्यूटी	205.97	(1.44)	-	204.53
	9.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.30	-	0.02	136.32
	10.	खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	93.10	-	-	93.10
	11.	कर्मचारी राज्य बीमा	-	-	-	-
	12.	भविष्य निधि आयुक्त	0.32	(0.32)	-	-
ख.		**ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य द्वारा दावे**				-
	1.	ठेकेदार के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	159.41	(44.96)	156.51	270.96
		योग	2,137.31	(163.30)	473.85	2,447.86

27. पूँजी वचनबद्धताएँ

			31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
क)	पूँजी खाते में अनुबंध की अनुमानित लागत, जिनका निष्पादन अभी किया जाना है एवं प्रदान नहीं की गई है:		201.84	667.60	207.54
ख)	अन्य वचनबद्धताएँ				
	(1)	मूल कंपनी को भारत सरकार द्वारा उत्कल डी एवं ई कोल ब्लॉक आबंटित किया है। आबंटन की शर्तों के अनुसार, मूल कंपनी ने ₹ 26.34 करोड़ का भुगतान किया है एवं शेष किस्तों का अभी नियत समय नहीं आया है।	18.11	18.11	Nil
	(2)	मूल कंपनी को भारत सरकार द्वारा उत्कल डी आबंटित किया गया है, जिसका आबंटन पूर्व में परियोजना प्रस्तावकों को किया गया था। आबंटन की शर्तों के अनुसार, मूल कंपनी द्वारा परियोजना प्रस्तावक को ₹108.96 करोड़ का भुगतान किया जाना है, जिसमें से ₹ 13.15 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। शेष राशि का भुगतान भूमि के अधिकार पत्र के स्थानांतरण के बाद किया जाएगा।	95.18	शून्य	शून्य
	(3)	मूल कंपनी ने भारत सरकार की निर्यात प्रोत्साहन पूँजी वस्तु योजना (ईपीसीजी) के अन्तर्गत रियायती शुल्क दरों पर पूँजीगत वस्तुओं का आयात किया है, इससे योजना के तहत मालात्मक निर्यात को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2017 के अनुसार ₹19.62 करोड़, 31 मार्च, 2016 के अनुसार ₹ 6.95 करोड़ एवं 31 मार्च, 2015 के अनुसार ₹ 8.90 करोड़ के शुल्क की बचत हुई है।	117.69	41.68	53.41
		योग	432.82	727.39	260.95

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

28 दिनांक 08.11.2016 से 30.12.2016 की अवधि के दौरान धारित एवं लेन देन किए गए निर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) का विवरण (दिनांक 30.03.2017 की एमसीए अधिसूचना संख्या जी.एस. आर. 308 (ई) के अनुसार)

विवरण	निर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन)	अन्य मूल्य वर्गों में नोट	योग
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
08.11.2016 को हाथ में शेष नकद राशि	18,11,500	1,30,323	19,41,823
(+) अनुमत प्राप्तियाँ	-	71,75,887	71,75,887
(-) गैर-अनुमत प्राप्तियाँ	81,000	-	81,000
(-) अनुमत भुगतान/प्रयोग	-	24,64,416	24,64,416
(-) गैर अनुमत भुगतान/प्रयोग	9,000	-	9,000
(-) बैंक में जमा की गई राशि	18,83,500	42,35,148	61,18,648
30.12.2016 को हाथ में शेष नकद राशि	-	6,06,646	6,06,646

टिप्पणी:

28.1 गैर-अनुमत प्राप्तियों का संबंध मूल कंपनी के विभिन्न संयंत्र स्थलों में स्थित अस्पतालों में एकत्रित राशि से है। मूल कंपनी गैर-अधिकार प्राप्त श्रेणी को प्रभारित आधार पर अपनी चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करती है। ज्यादातर स्थानीय ग्रामीणवासी, विक्रेता एवं सहयोगी सामान्य शुल्क पर स्वास्थ्य-देखरेख सुविधाओं का लाभ लेते हैं।

28.2 गैर-अनुमत भुगतानों का संबंध नोटबंदी के ठीक बाद आपातकालीन कार्यालयीन व्यय के लिए कर्मचारियों द्वारा किए गए भुगतानों से है।
उपर्युक्त मदों को दिनांक 30.12.2016 को हाथ में शेष नकद राशि पाने के लिए विवेचित किया गया है।

29. प्रचालनों से राजस्व

				31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)				
	1)	निर्यात:			
		i)	एल्यूमिना	2,443.04	2,198.27
		ii)	एल्यूमिनियम	1,181.95	1,048.60
	2)	घरेलू:			
		i)	एल्यूमिना	141.21	119.92
		ii)	एल्यूमिनियम	4,090.24	3,734.24
(ख)	विद्युत की बिक्री				
		i)	तापज विद्युत	4.75	5.26
		ii)	पवन विद्युत	71.80	50.26
(ग)	अन्य प्रचालन आय				
	1)	निर्यात प्रोत्साहन			
		i)	एल्यूमिना	30.25	43.78
		ii)	एल्यूमिनियम	38.98	38.52
	2)	नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रोत्साहन			
		i)	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	28.67	22.80
		ii)	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	8.18	7.58
	3)	आंतरिक रूप से प्रयुक्त/पूंजीकृत स्वयं निर्मित वस्तुएँ		10.95	-
प्रचालनों से राजस्व				8,050.02	7,269.23

टिप्पणी:

29.1 एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की घरेलू बिक्री में उत्पाद शुल्क के लिए क्रमशः ₹15.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13.52 करोड़) और ₹478.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹439.69 करोड़) शामिल हैं।

29.2 स्वयं निर्मित वस्तुओं से आय का संबंध आंतरिक खपत के लिए उत्पादित तैयार वस्तुओं (एनोड स्टेम एवं रोल्ड शीट्स) से है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

30. अन्य आय

				31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	ब्याज आय				
	(i)	वित्तीय परिसंपत्तियों से अर्जित ब्याज आय जो लाभ या हानि के माध्यम से सही मूल्य पर निर्दिष्ट नहीं हुई हैः			
		-	बैंक जमा	265.65	435.73
		-	कर्मचारियों को ऋण	14.23	16.53
		-	परिशोधित मूल्य पर वहन की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.70	0.77
	(ii)	आयकर वापसी के बाबत अर्जित ब्याज आय		12.06	13.86
(ख)	लाभांश आय				
	-	चालू निवेशों से लाभांश		8.78	5.19
(ग)	विदेशी मुद्रा विनिमय पर निवल लाभ/(हानि)			(7.90)	5.98
(घ)	एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर निवल लाभ/(हानि)			77.81	74.49
(ङ)	अन्य गैर-चालू निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ/(हानि)			-	0.70
(च)	देयताओं के पुनरांकन की अब आवश्यकता नहीं			14.29	33.57
(छ)	आंतरिक रूप से उत्पन्न स्क्रेप से आय			9.04	6.52
(ज)	अन्य			13.61	11.79
कुल अन्य आय				408.27	605.13

31. खपत की गई सामग्री की लागत

क.	कच्चे माल		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
	(1)	कास्टिक सोड़ा	677.30	585.26
	(2)	सी.पी. कोक	269.47	302.64
	(3)	सी.टी. पिच	101.13	94.98
	(4)	एल्यूमिनियम फ्लुओराइड	60.05	50.69
	(5)	चूना	44.45	41.03
	(6)	अन्य	29.39	29.81
खपत किए गए कच्चे माल का योग			1,181.79	1,104.41
ख.	विद्युत एवं ईंधन			
	(1)	कोयला	1,531.39	1,285.27
	(2)	ईंधन तेल	455.71	398.22
	(3)	निजी उत्पादन पर शुल्क	214.06	172.68
	(4)	विद्युत क्रय	3.99	1.89
	(5)	विद्युत प्रसारण प्रभार	7.38	6.55
खपत किए गए विद्युत और ईंधन का योग			2,212.53	1,864.61

32. तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन

			31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
तैयार माल				
	प्रारंभिक स्टॉक			
	(1)	बॉक्साइट	7.73	4.83
	(2)	रसायन	93.81	94.32
	(3)	एल्यूमिनियम	25.98	28.53
		प्रारंभिक स्टॉक	**127.52**	**127.68**
	जोड़ेंः उत्पाद शुल्क			
	(1)	बॉक्साइट	-	-
	(2)	रसायन	6.06	4.87
	(3)	एल्यूमिनियम	2.79	4.35
	प्रारंभिक स्टॉक पर उत्पाद शुल्क		**8.85**	**9.22**
	तैयार माल के प्रारंभिक स्टॉक का योग		136.37	136.90

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

32. तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
घटाएं:		
अंतिम स्टॉक		
(1) बॉक्साइट	3.07	7.73
(2) रसायन	154.15	93.81
(3) एल्यूमिनियम	41.52	25.98
अंतिम स्टॉक	**198.74**	**127.52**
जोड़ें: उत्पाद शुल्क		
(1) बॉक्साइट	-	-
(2) रसायन	18.22	6.06
(3) एल्यूमिनियम	5.76	2.79
अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क	**23.98**	**8.85**
तैयार माल के अंतिम स्टॉक का योग	**222.72**	**136.37**
तैयार माल में (अभिवृद्धि)/कमी	**(86.35)**	**0.53**
मध्यवर्ती उत्पाद		
प्रारंभिक स्टॉक		
एनोड	96.08	103.49
अन्य	7.17	4.52
मध्यवर्ती उत्पादों के प्रारंभिक स्टॉक का योग	**103.25**	**108.01**
घटाएं: अंतिम स्टॉक		
एनोड	82.97	96.08
अन्य	10.65	7.17
मध्यवर्ती उत्पादों के अंतिम स्टॉक का योग	**93.62**	**103.25**
मध्यवर्ती उत्पादों में (अभिवृद्धि)/कमी	**9.63**	**4.76**
चल रहे कार्य		
प्रारंभिक स्टॉक	216.50	202.22
घटाएं: अंतिम स्टॉक	236.37	216.50
चल रहे कार्य में (अभिवृद्धि)/कमी	**(19.87)**	**(14.28)**
मालसूची में (अभिवृद्धि)/कमी का योग	(96.59)	(8.99)

33. कर्मचारी लाभ व्यय

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	बोनस सहित वेतन और मजदूरी	1,240.25	1,122.40
(ख)	भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान		
	1) भविष्य निधि	96.00	92.12
	2) उपदान	29.38	27.69
	3) रोजगार उपरांत पेंशन योजना	88.54	88.42
(ग)	कर्मचारी कल्याण व्यय	83.27	67.70
कर्मचारी लाभ व्यय का योग		1,537.44	1,398.33

33. क. कर्मचारी लाभ प्रावधान

i) कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक कर्मचारियों का वेतन संशोधन

मूल कंपनी के कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी 2017 से नियत है। इसी अनुसार, मूल कंपनी ने 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए ₹81.74 करोड़ की अनुमानित देयता प्रदान की है।

ii) एनपीएस में दिग्परिवर्तन

कार्यपालक कर्मचारियों के लिए सेवानिवर्त्तन लाभ हेतु 30% की सीमा में से, मूल कंपनी ने सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस) की बाबत 6% आबंटन में से 2% राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में दिग्परिवर्तन करने का निश्चय किया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में 2% दिग्परिवर्तन के अनुमानित परिणाम की बाबत ₹ 35.76 करोड़ वर्ष 2016-17 के खातों में प्रदान किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

33. कर्मचारी लाभ व्यय

33. ख कर्मचारी लाभ योजनाएँ

33.ख.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

क) **भविष्य निधि:** मूल कंपनी एक अलग ट्रस्ट को, पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करती है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करती है। अंशदान पर, ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार सदस्यों को न्यूनतम ब्याज दर अदा करना पड़ता है। जहाँ निवेश पर वापसी कम होने या किसी अन्य कारण से ट्रस्ट घोषित दर पर ब्याज देने में असमर्थ रहता है, वहाँ इस कमी को मूल कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा।

ख) **पेंशन निधि:** मूल कंपनी पीएफआरडीए के ट्रस्टी बैंक को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्धारित अनुसार बीमाकर्ता के पास राशि को निवेश करता है। मूल कंपनी की जिम्मेदारी केवल नियत अंशदान तक ही सीमित रहती है।

33.ख.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

क) **उपदान:** उपदान का भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को अधिकतम ₹10,00,000/- के अधीन उपदान का भुगतान किया जाता है। उपदान योजना का वित्तपोषण मूल कंपनी द्वारा किया जाता है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। योजना के तहत उपदान के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ख) **सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभः** ये लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी को उपलब्ध है जिन्होंने इस लाभ का विकल्प लिया है। अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार मूल कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/अस्पतालों से मूल कंपनी के नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है। वे मूल कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतदम व्यय सीमा के अधीन बहिः रोगी के तौर पर भी चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। योजना के अधीन देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ग) **बंदोबस्ती लाभ:** सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्त किए जाने पर, यदि योजना के विकल्प लिए हैं, तो स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का अंतरन। अंतिम मुख्यालय से होमटाउन या होमटाउन से दूरी के अधीन किसी अन्य बंदोबस्ती स्थान के लिए कर्मचारियों और/या परिवार को देय होता है। व्यक्तिगत परिवहन भी स्वीकार्य होगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

घ) **नालको हितकारी निधि योजनाः** मूल कंपनी की सेवा में रहने के दौरान दिवंगत हो चुके योजना के सदस्यों के परिवार को वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, मूल कंपनी की सेवा में रहने के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ₹30 प्रति सदस्य प्रति मृत्यु की दर पर अंशदान किया जाएगा एवं कंपनी द्वारा समरूप राशि प्रदान की जाएगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ङ) **नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजनाः** मूल कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत सहयोग के लिए सद्भाव के प्रतीक स्वरूप वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली ₹10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगी। मूल कंपनी समरूप अंशदान के लिए उतनी ही राशि प्रदान करेगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

च) **सेवानिवर्त्तन उपहार योजनाः** मूल कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवर्त्तन या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की स्वीकृति इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में सेवानिवृत होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ₹25000/- मूल्य का उपहार शामिल है जो कि सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाएगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

33.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

क) **क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँः** संचित अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और बीमारी अवकाश अलग होने पर, मूल कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अनुसार सर्वाधिक अनुमत सीमा के अधीन देय है। सेवा अवधि के दौरान, संचित अवकाश का नकदीकरण भी मूल कंपनी के नियमानुसार अनुमेय है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ख) **लम्बी सेवा का पुरस्कारः** जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं, वे लम्बी सेवा का पुरस्कार पाने के अधिकारी होते हैं जो एक महीने के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के बराबर होता है। इस देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ग) **एनईएफएफएआरएसः** अशक्तता/मृत्यु के मामले में, मूल कंपनी कर्मचारी/नामित को उनके विकल्प के अनुसार मासिक लाभ का भुगतान करती है एवं वैचारिक सेवानिवर्तन की तारीख तक योजना के अधीन निर्दिष्ट अनुसार निर्धारित राशि जमा करती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

कर्मचारी लाभ योजनाएँ मूल कंपनी को विशिष्ट रूप से बीमांकिक जोखिमों जैसे कि बीमांकिक जोखिम, निवेश जोखिम, ब्याज जोखिम, दीर्घायु जोखिम और वेतन जोखिम के सम्मुख ले आती हैंः-

i. **बीमांकिक जोखिमः** यह एक ऐसा जोखिम है जिसके लाभ अपेक्षा से अधिक होंगे। यह निम्नलिखित किसी भी एक कारण से हो सकता हैः प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभवः अनुमानित वेतन वृद्धि की तुलना में ज्यादा परिमाण में वेतन बढ़ोतरी से अपेक्षा से अधिक उच्च दर पर दायित्व में वृद्धि आएगी।
मृत्यु दर में विविधता : अनुमानित मृत्यु दर आकलन से यदि वास्तविक मृत्यु दर अधिक होती है, तो अपेक्षा से पहले ही उपदान लाभ का भुगतान किया जाएगा। चूंकि मृत्यु लाभ पर प्रदान करने की कोई शर्तें नहीं है, नकद प्रवाह में वृद्धि आने से बीमांकिक हानि या लाभ की स्थिति बनेगी जो कि अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के संबंधित मूल्यों पर निर्भर है।
आहरण दरों में विविधताः यदि अनुमानित आहरण दर आकलन की तुलना में वास्तविक आहरण दर अधिक रहती है, तो उपदान लाभ का भुगतान अपेक्षित समय से पूर्व किया जाएगा। इसका प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि क्या लाभ सेवानिवृत्ति की तिथि को प्रदान किया गया है।

ii. **निवेश जोखिमः** परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु बीमाकर्ताओं परनिर्भर रहनेवाली निधिबद्ध योजनाओं के लिए, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य देयता के समर्थन में प्रपत्रों का सही मूल्य नहीं भी रह सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य भावी छूट दर से स्वतंत्र होता है। इसके फलस्वरूप, यदि अन्तर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में उल्लेखनीय परिवतर्न होता है, तो निवल देयता या निधिबद्ध वस्तुस्थिति में भारी अस्थिरता आ सकती है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

iii. **ब्याज जोखिम:** परिभाषित लाभ देयता की गणना सरकारी ऋणपत्रों के आधार पर छूट दर पर की जाती है। यदि ऋणपत्र (बॉण्ड) के मूल्य में गिरावट आती है, तो परिभाषित लाभ देयता वढ़ जाएगी।

iv. **दीर्घायु जोखिम:** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण, सेवा के दौरान एवं उपरांत योजना भागीदारों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के प्रत्याशित जीवन काल में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

v. **वेतन जोखिम:** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण योजना भागीदारों के भावी वेतन के संदर्भ में किया जाता है। ऐसे में योजना भागीदारों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु मुख्य आकलन निम्नानुसार थे:

	31 मार्च 17	31 मार्च 16	31 मार्च 15
	को मूल्यांकन		
छूट दर	7.25%	8.00%	8.00%
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	6%	6%	6%
मृत्युदर	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट
संघर्षण दर	1%	1%	1%

इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत राशि:

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य		
चालू सेवा मूल्य	(35.34)	(63.47)
निवल ब्याज व्यय	(22.45)	(23.04)
लाभ या हानि में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	**(57.79)**	**(86.51)**
निवल परिभाषित लाभ देयता पर पुन: मापन		
निवल परिभाषित लाभ देयता पर प्रतिफल	9.35	(3.87)
वित्तीय आकलनों में हुए परिवर्तनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(17.38)	-
अनुभव आकलनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	21.91	21.90
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	**13.88**	**18.03**
योग	(43.91)	(68.48)

वर्ष के लिए चालू सेवा मूल्य एवं निवल ब्याज व्यय लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में 'कर्मचारी लाभ व्यय' मद में सम्मिलित है।

निवल परिभाषित देयता का पुन: मापन अन्य व्यापक आय में सम्मिलित है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में संस्था के दायित्व के फलस्वरूप तुलनपत्र में सम्मिलित राशि निम्नानुसार है:

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना	सेवानिवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2015						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(72.41)	(5.98)	-	-	-	(293.76)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	-	-	-	-	-	291.71
परिभाषित लाभ दायित्व के फलस्वरूप उत्पन्न निवल देयता	**(72.41)**	**(5.98)**	-	-	-	**(2.05)**
31 मार्च, 2016						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(61.24)	(2.74)	(3.94)	(13.13)	(6.92)	(298.02)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	-	-	-	-	-	290.25
परिभाषित लाभ दायित्व के फलस्वरूप उत्पन्न निवल देयता	**(61.24)**	**(2.74)**	**(3.94)**	**(13.13)**	**(6.92)**	**(7.77)**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

33. कर्मचारी लाभ व्यय

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवानिवृत्त कल्याण योजना	सेवानिवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
31 मार्च, 2017						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(64.31)	(2.41)	(3.86)	(13.84)	(7.34)	(314.04)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	-	-	-	-	-	302.10
परिभाषित लाभ दायित्व के फलस्वरूप उत्पन्न निवल देयता	(64.31)	(2.41)	(3.86)	(13.84)	(7.34)	(11.94)

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में संचलन निम्नानुसार है:

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवानिवृत्त कल्याण योजना	सेवानिवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2015 को प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	(72.41)	(5.98)	-	-	-	(293.76)
चालू सेवा मूल्य	(5.65)	(5.37)	(3.94)	(13.13)	(6.92)	(28.46)
ब्याज मूल्य	-	(0.46)	-	-	-	(22.58)
पुनः मापन (लाभ)/हानि						
अनुभव आकलनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	13.33	8.61				(0.04)
प्रदत्त लाभ	3.49	0.46				22.97
अन्य	-	-	-	-	-	23.85
31 मार्च, 2016 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**(61.24)**	**(2.74)**	**(3.94)**	**(13.13)**	**(6.92)**	**(298.02)**
चालू सेवा मूल्य	(4.32)	(0.44)	-	-	-	(30.58)
ब्याज मूल्य	-	(0.18)	(0.27)	(0.89)	(0.48)	(20.63)
पुनः मापन (लाभ)/हानि						
वित्तीय आकलनो में परिवर्तनों के फलस्वरूप बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.12)	(0.11)	(0.12)	(0.56)	(0.39)	(15.08)
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.89)	0.64	(0.03)	(0.92)	(0.17)	23.28
प्रदत्त लाभ	3.26	0.42	0.50	1.66	0.61	27.00
31 मार्च, 2017 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**(64.31)**	**(2.41)**	**(3.86)**	**(13.84)**	**(7.35)**	**(314.03)**

योजना परिसंत्तियों के सही मूल्य में संचलन निम्नानुसार है:

	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2015 को योजना परिसंपत्तियों का प्रारंभिक सही मूल्य	291.71
ब्याज आय	23.33
पुनः मापन लाभ/(हानि)	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (निवल ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर है)	(3.87)
नियोक्ता से अंशदान	2.05
प्रदत्त लाभ	(22.97)
31 मार्च, 2016 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	**290.25**
ब्याज आय	21.04
पुनःमापन लाभ/(हानि)	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (निवल ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर है)	9.35
अन्य (बताएं)	
नियोक्ता सं अंशदान	8.46
प्रदत्त लाभ	(27.00)
31 मार्च, 2017 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	**302.10**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टाधीन अवधि के अंत मे योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य निम्नानुसार है

	31 मार्च 17	31 मार्च 16	31 मार्च 15
	को योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य		
निधियों में निवेशः			
1. बीमा कम्पनियाँ	302.10	290.25	291.71
योग	302.10	290.25	291.71

33ख. परिभाषित लाभ योजनाओं का सूक्ष्मग्राही विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बीमांकिक आकलन हैं छूट दर, अपेक्षित वेतन वृद्धि, संघर्षण दर एवं मृत्यु दर। सभी अन्य आकलनों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में घटित संबंधित आकलनों के यथा संगत संभावी परिवर्तनों के आधार पर निम्न संवेदनशीलता विश्लेषण किया गया है।

संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2015-16	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	2.65	2.59	0.08	0.08	0.08	0.08
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	4.33%	4.23%	3.08%	2.91%	2.13%	2.04%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	1.06	1.24	0.00	0.00	-	0.00
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	1.72%	2.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.18	0.18	-	-	-	0.00
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.29%	0.29%	0.08%	0.08%	0.07%	0.07%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.14	0.14	0.01	0.01	-	-
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.22%	0.22%	0.51%	0.51%	0.03%	0.03%

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवानिवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2015-16	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.38	0.36	0.26	0.25	10.18	9.60
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.87%	2.74%	3.83%	3.60%	3.42%	3.22%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	-	-	-	-	1.24	1.40
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.42%	0.47%
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.01	0.01	-	-	0.35	0.35
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.12%	0.12%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	-	-	-	-	2.11	2.11
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.71%	0.71%

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

33B. परिभाषित लाभ योजनाओं का संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2016-17	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	2.95	2.77	0.08	0.07	0.08	0.08
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	4.58%	4.31%	3.19%	3.02%	2.14%	2.07%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	1.43	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.23%	1.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.20	0.20	-	-	-	-
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.31%	0.31%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.14	0.14	0.01	0.01	-	-
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.21%	0.21%	0.51%	0.51%	0.03%	0.03%

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवानिवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2016-17	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.40	0.38	0.28	0.27	10.70	10.07
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.86%	2.71%	3.82%	3.62%	3.41%	3.21%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	-	-	-	-	1.35	1.52
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%	0.48%
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.01	0.01	-	-	0.34	0.34
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.11%	0.11%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	-	-	-	-	2.11	2.11
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.67%	0.67%

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तिवक परिवर्तन का प्रस्तुतीकरण नहीं भी रह सकता है, क्योंकि इसकी संभावना कम है कि एक-दूसरे से अलगाव पर आकलनों में परिवर्तन आ पाएगा क्योंकि कुछ आकलन परस्पर संबंधित हो सकते हैं।

इसके अलावा, उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रस्तुत करते समय, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में परियोजित एकक क्रेडिट विधि के प्रयोग से की गई है जो तुलन पत्र में स्वीकृत परिभाषित लाभ दायित्व देयता की गणना में प्रयोग की गई है।

संवेदनशीलता विश्लेषण को तैयार करने में प्रयुक्त विधियों एवं आकलनों में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं है।

34. वित्त लागत

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	विखण्डन एवं रचनात्मक दायित्वों पर ब्याज	2.31	2.06
(ख)	अन्य वित्त लागत	0.38	1.21
कुल वित्त लागत		2.69	3.27

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

35. मूल्यह्रास एवं परिशोधन ब्याय

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	467.36	413.47
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	13.00	12.65
कुल मूल्यह्रास एवं परिशोधन	480.36	426.12

36. उत्पाद शुल्क

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	वस्तुओं के हटाए जाने पर उत्पाद शुल्क	491.85	452.64
(ख)	अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क (अनुवृद्धि/कमी)	15.13	(0.37)
कुल उत्पाद शुल्क		506.98	452.27

37. अन्य व्यय

			31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	भण्डार और कलपूर्जों की खपत		318.57	335.44
(ख)	निम्न से संबंधित मरम्मत एवं रखरखाव			
	(1)	भवन	30.49	44.98
	(2)	मशीनरी	138.71	127.84
	(3)	अन्य	20.16	18.83
(ग)	अन्य निर्माणजनित व्यय			
	(1)	जल प्रभार	24.18	24.18
	(2)	रायल्टी	108.53	93.14
	(3)	जिला खनिज निधि एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास को अंशदान	34.73	36.31
	(4)	सतत तकनीकी सहयोग व्यय	8.52	9.77
	(5)	अन्य	54.47	53.80
(घ)	माल भाड़ा एवं संचालन खर्च			
	(1)	आवक सामग्री (एल्यूमिना)	102.16	97.31
	(2)	जावक सामग्री	163.97	155.51
(ङ)	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक एवं फुटकर व्यय			
	(i)	लेखापरीक्षक के रूप में	0.26	0.20
	(ii)	कराधान विषयवस्तुओं के लिए	0.05	0.04
	(iii)	अन्य सेवाओं के लिए	0.21	0.16
	(iv)	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.02	0.02
(च)	लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान		0.03	0.02
(छ)	सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यय		104.57	90.31
(ज)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय [टिप्पणी 37.1 देखें]		29.69	27.17
(झ)	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय		97.94	74.55
(ञ)	नवीकरणीय क्रय दायित्व		63.02	30.35
(ट)	विवादित सरकारी देय एवं अन्य के लिए प्रावधान		178.12	140.22
(ठ)	विक्रय एवं वितरण व्यय		27.83	26.82
(ड)	मालसूची, दावे आदि को बट्टे खाते में डालना		27.96	9.61
(ढ)	अनुपयुक्त एवं संदिग्ध प्रावधान		56.93	63.01
(ण)	अन्य		37.10	39.55
कुल अन्य व्यय			1,628.22	1,499.14

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

38. अपवादिक मदें एवं असाधारण मदें

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
अपवादिक मदें		
अन्य (आय)/व्यय	40.15	(53.45)
कुल अपवादिक मदें	40.15	(53.45)

टिप्पणी:

38.1 ओड़िशा के कुछ प्रमुख निर्धारिती द्वारा दर्ज कराए विशेष अवकाश याचिकाओं (एसएलपी), जिन्होंने आयातित वस्तुओं पर प्रवेश कर प्रभारित किए जाने के विषय में ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय के न्याय को चुनौती दी, का अनुसरण करते हुए मूल कंपनी ने भी भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की, जिसे स्वीकृति दी गई। विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों की जाँच करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः विषयवस्तु को न्यायाधीशों की पीठ को सौप दिया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की पीठ ने प्रवेश कर की संवैधानिक वैधता एवं आयातित वस्तुओं पर प्रवेश कर लगाए जाने के मसले में दिनांक 11.11.2016 के अपने फैसले में प्रवेश कर की संवैधानिक वैधता को राज्य के पक्ष में किया है। परन्तु शीर्ष न्यायालय ने आयातित वस्तुओं पर प्रवेश कर प्रभारित करने के मसले को सर्वोच्च न्यायालय की मण्डलीय पीठ के फैसले पर छोड़ दिया है। तथापि, व्यक्तिगत न्यायाधीशों के जाँच परिणामों के अवलोकन में, दिनांक 11.11.2016 के फैसले में प्रत्यक्षतः यह राज्य के पक्ष में प्रतीत हुआ है। कानूनी विशेषज्ञों के परामर्श में, मूल कंपनी ने दिनांक 31.3.2017 तक राज्य सरकार द्वारा आयातों पर प्रवेश कर के लिए मांग के आधार पर वर्ष के दौरान आयातित वस्तुओं पर प्रवेश कर की देयता की बाबत ₹37.90 करोड़ की स्वीकृति दी है। पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित प्रवेश कर के लिए मांग को न्यायालय के फैसले के आधार पर वर्तमान वर्ष में स्वीकार किया गया है, अतएव अपवादिक मद के रूप में विवेचित हुआ है। वर्तमान वर्ष के लिए आयात पर प्रवेश कर की देयता के मांग लिए ₹3.97 करोड़ की राशि वर्तमान वर्ष के लिए लाभ या हानि में प्रभारित की गई है। आयात पर प्रवेश कर के लिए ₹41.88 करोड़ की कुल देयता के तहत ₹26.33 की राशि विरोध के अन्तर्गत राज्य सरकार को पहले ही भुगतान कर दी गई है।

इसके अलावा, मूल कंपनी एवं मे. केसी एण्ड सीसी के बीच विवाद के फलस्वरूप विवाचन निपटारे के रूप में ₹2.25 करोड़ की राशि प्रदान की गई है जिसे एक अपवादिक मद माना गया है।

38.2 पिछले वर्ष के लिए अपवादिक मद का संबंध ₹53.45 करोड़ (यूएस डॉलर 8.05 मिलियन) से है जो कास्टिक सोड़ा की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण मे. पीक केमिकल्स से उन पर किए गए जोखिम एवं लागत दावे के अंतिम निपटारे के रूप में प्राप्त हुआ है।

39. आय कर

39.1 लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
चालू कर			
चालू वर्ष के संबंध में		219.57	375.60
पूर्व वर्षों के संबंध में		(0.05)	(8.67)
		219.52	**366.93**
आस्थगित कर			
चालू वर्ष के संबंध में		97.81	34.61
पूर्व वर्षों के संबंध में		(3.68)	-
अन्य (एमएटी क्रेडिट अधिकार पत्र)		(17.46)	-
		76.67	**34.61**
चालू वर्ष में स्वीकृत आयकर व्यय का योग		296.19	401.54
वर्ष के लिए आय कर व्यय को लेखांकन लाभ में निम्नानुसार पुनर्मिलान किया जा सकता है:			
कर पूर्व लाभ		963.91	1,188.70
		333.59	411.39
उस पर आय कर व्यय @ 34.608% :			
कर का प्रभाव -			
i)	कराधान से मुक्त आय	(12.39)	(1.80)
ii)	अस्वीकार योग्य व्यय	10.24	9.68
iii)	व्ययित व्यय से अतिरिक्त स्वीकारयोग्य व्यय	(0.97)	(0.63)
iv)	रियायत का प्रभाव (अनुसंधान एवं विकास और अन्य भत्ते)	(21.94)	(4.65)
v)	अस्थायी अंतर	(9.40)	(5.52)
vi)	अन्य (ब्याज एवं पिछले वर्ष के कर)	(3.22)	(6.91)
लाभ या हानि में स्वीकृत आयकर व्यय		295.91	401.56

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
39.2	**इक्विटी में प्रत्यक्ष स्वीकृत आय कर**		
	चालू कर		
	शेयर की पुनर्खरीद लागत	(3.06)	
	इक्विटी में प्रत्यक्ष स्वीकृत आय कर	(3.06)	-
39.3	**अन्य व्यापक आय में स्वीकृत आय कर**		

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर		
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत आय और व्यय के फलस्वरूप उत्पन्न		
- परिभाषित लाभ दायित्व का पुनःमापन	4.80	14.21
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत कुल आय कर	4.80	14.21
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत आय कर का विभाजनः		
मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत की जाएंगी	-	-
मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	4.80	14.21

टिप्पणी:

वर्ष के दौरान, वर्ष के लिए आकिलत बही लाभ के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर(एमएटी) के आधार पर चालू कर प्रदान किया गया है। फलस्वरूप एमएटी क्रेडिट अधिकार को आस्थगित कर के साथ समायोजित किया गया है।

40. खंड की सूचना

40.1 उत्पाद जिनसे रिपोर्ट योग्य खंड अपना राजस्व प्राप्त करते हैं

स्रोत आबंटन एवं खंड के कार्य प्रदर्शन के आकलन के प्रयोजन हेतु मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) को रिपोर्ट की गई सूचना प्रेषित वस्तुओं के प्रकारों पर केन्द्रित है। मूल कंपनी के निदेशकों ने उत्पादों में अंतर के इर्द-गिर्द समूह का व्यवस्थापन किया है। समूह में रिपोर्ट योग्य खंडों को प्राप्त करने में किसी भी रिपोर्टिंग खंड को एकीकृत नहीं किया गया है। विशेष रूप से, इण्ड एएस 108-प्रचालन खंडों के अन्तर्गत समूह का रिपोर्ट योग्य खंड निम्नानुसार है :

i) रसायन खंड

ii) एल्यूमिनियम खंड

समूह ने रसायनों और एल्यूमिनियम को दो प्रमुख प्रचालन व्यवसाय खंड माना है। रसायनों में निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिना हाईड्रेट एवं अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इन्गॉट्स, वायर रॉड्स, बिलेट्स, स्ट्रिप्स, रोल्ड और अन्य सम्बंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है एवं एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित विद्युत को एल्यूमिनियम खंड में शामिल किया गया है। मुख्यतः संभाव्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए प्रारंभ किए गए पवन ऊर्जा संयंत्र को गैर-आबंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

40.2 खंड राजस्व एवं परिणाम

रिपोर्ट योग्य खंड द्वारा प्रचालनों से समूह के राजस्व एवं परिणामों का विश्लेषण निम्नवत हैः

	खंड राजस्व	
प्रचालन खंड	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	4046.21	3684.98
एल्यूमिनियम खंड	5537.42	5016.60
अनाबंटित	108.64	80.65
प्रचालनों का योग	9,692.27	8,782.23
घटाएंः अन्तरखंड राजस्व	1,642.25	1,513.00
प्रचालनों से राजस्व	8,050.02	7,269.23

	खंड राजस्व	
प्रचालन खंड	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	976.92	907.42
एल्यूमिनियम खंड	(224.78)	(175.28)
अपवादिक मदें, ब्याज और कर से पूर्व खण्ड परिणाम	752.14	732.14
अपवादिक आय /(व्यय)	(40.15)	53.45
ब्याज एवं वित्त प्रभार	2.69	3.27
ब्याज एवं लाभांश आय	383.03	548.20
अनाबंटित व्यय को छोड़कर अन्य अनाबंटित आय	(128.42)	(141.82)
कर पूर्व लाभ	963.91	1,188.70

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

40.3 खंड परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ

	खंड परिसंपत्तियाँ		खंड देयताएँ	
	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	31.03.2017 को यथो	31.03.2016 को यथा
रसायन खंड	3,643.05	3,703.89	780.06	596.36
एल्यूमिनियम खण्ड	5,165.16	5,177.83	1902.94	1346.94
खंड परिसंपत्तियों एवं देयताओं का योग	8,808.21	8,881.72	2,683.00	1,943.30
अनाबंटित	5,692.80	7,828.64	367.28	462.07
परिसंपत्तियों एवं देयताओं का योग	14,501.01	16,710.36	3,050.28	2,405.37

40.4 अन्य खंड की सूचना

	मूल्यह्रास एवं परिशोधन		गैर-चालू परिसंपत्तियों में संयोजन	
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	165.49	173.01	(3.10)	(24.58)
एल्यूमिनियम खंड	232.17	270.62	(67.90)	(147.68)
अनाबंटित	28.45	36.72	(450.48)	1,264.82
प्रचालनों का योग	426.12	480.36	(521.49)	1,092.56

40.5 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

अपने प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के निरंतर प्रचालन कार्यों से समूह का राजस्व का विवरण निम्नवत है

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड (हाईड्रेट एवं एल्यूमिना)	2,584.25	2,318.19
एल्यूमिनियम खंड (एल्यूमिनियम)	5,272.19	4,782.84
	7,856.44	7,101.03

40.6 भौगोलिक सूचना

समूह का प्रचालन मुख्यतया प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र - भारत (अधिवास देश) एवं देश के बाहर है।

	बाह्य ग्राहकों से राजस्व		गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को यथा	31 मार्च 16 को यथा	01 अप्रैल 15 को यथा
भारत	4,231.45	3,854.16	8,845.22	9,366.71	8,274.15
भारत के बाहर	3,624.99	3,246.87	-	-	-
योग	7,856.44	7,101.03	8,845.22	9,366.71	8,274.15

टिप्पणी:

i) निस्तप्त एल्यूमिना के अंतर-खंड अंतरण को अवधि के दौरान निर्यात बिक्रियों से औसत बिक्री वसूली पर परिशोधन से विशाखापत्तनम स्थित पत्तन तक किराए (फ्रेट) और निर्यात प्रोत्साहन के योग को घटाते हुए विचार किया गया है। एल्यूमिनियम खंड से रसायन खंड में विद्युत के अंतरण को एल्यूमिना परिशोधन स्थित राज्य ग्रिड से विद्युत के वार्षिक/आवधिक औसत क्रय मूल्य पर विचार किया गया है।

ii) राजस्व एवं व्यय को प्रचालन गतिविधियों से संबंध के आधार पर खंडों के लिए चिह्नित किया गया है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं जो समग्र रूप में उद्यम से सम्बंधित हैं और तर्कसंगत के आधार पर आबंटन-योग्य नहीं हैं, को गैर-आबंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

41. प्रति शेयर आय

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
	₹ प्रति शेयर	₹ प्रति शेयर

41.1 मूल अर्जन प्रति शेयर (₹)

कुल प्रचालनों से	2.97	3.05
कुल मूल अर्जन प्रति शेयर	2.97	3.05

41.2 मूल आय प्रति शेयर

मूल प्रति शेयर आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की आय एवं भारित औसत संख्या निम्नानुसार है

₹ करोड़ में

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों को आरोग्य वर्ष के लाभ	667.72	787.16
मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त अर्जन	**667.72**	**787.16**
	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा
मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ ₹ में)	**224.71**	**257.72**

42. वित्तीय प्रपत्र

42.1 वित्तीय प्रपत्रों की श्रेणियाँ

			31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा	01.04.2015 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
लाभ या हानि के माध्यम से सही मूल्य पर आकलित (एफवीटीपीएल)					
(क)	अनिवार्य रूप से आकलितः				
	(i)	म्यूच्युअल फंड में निवेश	1221.13	1009.28	1021.06
	(ii)	विदेशी मुद्रा पर अग्रेषण संविदा	शून्य	0.92	शून्य
परिशोधित मूल्य पर आकलित					
(क)	नकद एवं बैंक शेष		24.83	654.42	3.68
(ख)	परिशोधित मूल्य पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		2,770.12	4,986.58	5,227.74
			4,016.08	**6,651.20**	**6,252.48**
	वित्तीय देयताएँ				
	परिशोधित मूल्य पर आकलित		1,386.62	1,059.79	1,064.73

42.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

अपने व्यवसाय के क्रम में, मूल कंपनी को मुख्यतया विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, इक्विटी मूल्यों, नकदीकरण एवं ऋण जोखिम की अस्थिरता से गुजरना पड़ा है, जिससे इनसे वित्तीय प्रपत्रों के सही मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मूल कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिम को संरक्षित रखती है, बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं से सम्बंधित अन्य जोखिमों जैसे कि ब्याज दर जोखिम एवं ऋण जोखिमों को भी सुरक्षा प्रदान करती है।

मूल कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ ये सभी सुनिश्चित करते हैं:

i) वित्तीय स्थायित्व के साथ धारणीय व्यवसाय वृद्धि की सुनिश्चितता;

ii) जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना समेत रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप नालको की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करना;

iii) यह सुनिश्चित करना कि नालको के सभी भौतिक जोखिम घटक तुलन पत्र में एवं इससे इतर चिह्नित, आकलित परिमाणित किए जाए, यथा उपयुक्त न्यूनीकृत एवं व्यवस्थित किए जाए तथा

iv) प्रचालनों की प्रकृति, आकार एवं जटिलता की उपयुक्तता तहत सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय कार्यपद्धतियों के ऐच्छिक अंगीकरण द्वारा नालको की ओर से उपयुक्त विनियमनों, जहाँ भी प्रयोज्य पड़े, का अनुपालन सुनिश्चित करना।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयन को मूल्यांकित करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण टीम जिम्मेदार होगी। यह अपने जाँच परिणामों को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष हर तिमाही को रखेगी। मूल कंपनी के जोखिम प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए बोर्ड जिम्मेदार है। अतएव, बोर्ड अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन नीति एवं इसमें किसी संशोधन को अनुमोदित करेगा एवं इसका सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

42.3 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वसूली योग्य सही मूल्य (आर्थिक मूल्य) में भावी अर्जन (विस्तार) में या भावी नकद प्रवाह में, बाजार जोखिम कोई नुकसान का जोखिम है जो कि वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन से होता है। ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, नकदीकरण एवं अन्य बाजार दरों में हुए परिवर्तन से वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन आ सकता है। बिक्री प्रक्रियाओं एवं उठायी गई निधियों एवं ऋण-चुकौती/पूर्वचुकौती के फलस्वरूप नकद प्रवाह की विसंगति से मूल कंपनी नकदीकरण जोखिम के भी अधीन रहती है। बाजार के भावी विशिष्ट संचलनों का साधारणतया यथा उपयुक्त सटीकता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

42.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा जोखिम विदेशी मुद्रा लेनदेनों पर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव से उत्पन्न होता है। विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन से मूल कंपनी की आय को सुरक्षित रखना ही मुद्रा जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। मूल कंपनी की नीति किसी भी प्रकार की मुद्रा सट्टेबाजी से संरक्षित रखती है। मुद्रा घटकों की यह सुरक्षा समरूप मुद्रा की क्षतिपूरक या समतुल्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के माध्यम से प्राकृतिक रूप से या इसकी अनुपस्थिति में, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ लेनदेन किए गए अनुमोदित व्युत्पन्न प्रपत्रों के प्रयोग के माध्यम से प्रभावित होगी। मुद्रा जोखिम का निर्धारण, मूल कंपनी की प्रचालन मुद्रा अर्थात आईएनआर की तुलना में सम्बंधित मुद्राओं में खुली परिस्थितियों के तहत किया जाता है। मुद्रा असंगति के कारण आए अंतर का पता लगाने के लिए मुद्रा अंतर विवरण तैयार किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव आय विवरण एवं इक्विटी पर पड़ सकता है, जहाँ एक से अधिक मुद्रा में लेनदेन का संदर्भ मिलता है या संबंधित समेकित संस्थाओं की कार्यात्मक मुद्रा की बजाए किसी मुद्रा में परिसंपत्तियाँ/देयताएँ मूल्य अंकित हुई हैं।

मूल कंपनी विदेशी मुद्रा में लेनदेन करती है, फलस्वरूप विनिमय दर के उतार-चढ़ाव की स्थित उत्पन्न होती है। अग्रेषित विदेशी विनिमय संविदाओं का उपयोग करते हुए अनुमोदित नीति मानकों के तहत विनिमय दर संचालित होती हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित एवं मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं मौद्रिक देयताओं की वहन राशि निम्नानुसार है:-

	देयताएँ			परिसंपत्तियाँ		
	31-मार्च-17	31-मार्च--16	1-अप्रैल-15	31-मार्च-17	31-मार्च-16	1-अप्रैल-15
यूएसडी	1.96	2	2.02	98.57	199.17	0
यूरो	2.57	4.94	12.04	-	-	0
अन्य	-	-	-	-		1.49

42.4.1 विदेशी मुद्रा का संवेदनशीलता विश्लेषण

मूल कंपनी विनियम दर जोखिमों में अपनी उपस्थिति के आकलन द्वारा विदेशी विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्यूत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों का उपयोग करते हुए इन जोखिमों के आंशिक हिस्से को सुरक्षा प्रदान करती है। प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर की सूक्ष्मग्राहिता का निर्धारण किसी मुद्रा के निवल विदेशी विनिमय दर की उपस्थिति और साथ ही प्रत्येक मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में समानान्तर विदेशी विनिमय दरों में 10% परिवर्तन के एकीककरण द्वारा किया जाता है।

प्रासंगिक तुलन पत्र की तिथियों को सकल विद्यामानता के आधार पर निम्नलिखित विश्लेषण किया गया है, जो आय विवरण को प्रभावित कर सकता है। समेकित विदेशी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के रुपान्तरण के कारण आय विवरण में इसकी कोई विद्यमानता नहीं है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 एवं 01 अप्रैल, 2015 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रभावन से संबंधित सूचना प्रस्तुत करती है:

	यूएसडी का प्रभाव		यूरो का प्रभाव		जेपीवाई का प्रभाव	
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लिए लाभ या हानि पर प्रभाव	9.70	19.7	0.26	0.49	0.0	0.0

42.5 अन्य मूल्य जोखिम

42.5.1 इक्विटी मूल्य का संवेदनशीलता विश्लेषण

समूह इक्विटी प्रपत्रों के फलस्वरूप उत्पन्न इक्विटी मूल्य जोखिम के दायरे में नहीं है क्योंकि सारे इक्विटी निवेश व्यवसाय उद्देश्यों की बजाय रणनीतिक प्रयोजन से धारित है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

42.6 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम वह वित्तीय हानि जोखिम है जो अनुबंधित शर्तों या दायित्वों के अनुसार प्रतिपक्ष द्वारा ऋण को चुकाने में अनुत्तीर्ण रहने से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम में चूक स्वरूप प्रत्यक्ष जोखिम एवं ऋण पात्रता के क्षीण होने से संबंधित जोखिम और साथ ही संकेन्द्रण जोखिम शामिल है। ग्राहक से अग्रिम संग्रह होने के कारण कोई महत्वपूर्ण ऋण विद्यमानता नहीं है। वित्तीय प्रपत्र जो ऋण जोखिम के संकेन्द्रण के अधीन हैं, उनमें मुख्यतया ऋण एवं प्राप्य, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम और व्युत्पन्न प्रपत्रों के रूप में वर्गीकृत निवेश संलग्न है। मूल कंपनी के किसी भी वित्तीय प्रपत्र से ऋण जोखिम का भौतिक संकेन्द्रण नहीं हुआ है।

42.7 नकदीकरण जोखिम प्रबंधन

नकदीकरण जोखिम का तात्पर्य उस जोखिम से है जिससे मूल कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। नकदीकरण जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है पर्याप्त नकदीकरण को बनाये रखना एवं यह सुनिश्चित करना कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए निधि उपलब्ध हैं।
मूल कंपनी की अल्पमियादी, मध्यावधि एवं दीर्घमियादी निधि संबंधी नकदीकरण प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए कंपनी ने एक उपयुक्त नकदीकरण जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। पूर्वानुमानी एवं वास्तविक नकद प्रवाह पर निगरानी रखते हुए एवं वित्तीय परिसंप्तियों और वित्तीय देयताओं के परिपक्कता स्वरूप को मिलाते हुए मूल कंपनी पर्याप्त आरक्षित निधि एवं बैंकिंग सुविधाओं के व्यवस्थापन द्वारा नकदीकरण जोखिम का प्रबंध करती है।

43. संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

43.1 संबंधित पक्ष

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकः

I) पूर्णकालिक निदेशक

(क)	डॉ. टी. के. चांद	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(ख)	श्री के. सी. सामल	निदेशक (वित्त)
(ग)	श्री वी. बालसुब्रमण्यम्	निदेशक (उत्पादन)
(घ)	श्री बी. के. ठाकुर	निदेशक (मा.सं.) 04.07.2016 से
(ङ)	श्री एस. के. राय	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) 03.02.2017 से
(च)	श्री एस. सी. पाढ़ी	निदेशक (मानव संसाधन) 30.6.2016 तक
(छ)	श्री एन. आर. महान्ति	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) 31.1.2017 तक
(ज)	सुश्री सोमा मंडल	निदेशक (वाणिज्यिक) 28.2.2017 तक
	अन्य	
	श्री के. एन. रवीन्द्र	कार्यपालक निदेशक - कंपनी संचिव

II) अंशकालिक सरकारी निदेशकः (भारत सरकार के मनोनीत):

(क) श्री सुभाष चन्द्र (20.10.2016 से)
(ख) डॉ. एन. के. सिंह, आईएफएस (15.3.2017 से)
(ग) श्री आर. श्रीधरन, आईएएस (2.1.2017 तक)
(घ) श्री एन. बी. धल, आईएएस (19.10.2016 तक)

III) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकः

(क) श्री दीपंकर महंत
(ख) श्री एस. शंकररमण
(ग) श्री प्रभात केसरी नायक
(घ) प्रो. दामोदर आचार्य
(ङ) श्री महेश्वर साहू
(च) सुश्री किरण घाई सिन्हा (03.02.2017 से)

ख. रोजगार उपरांत लाभ योजना

(क) नालको कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
(ख) नालको कर्मचारी समूह उपदान न्यास

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में (क) में चिह्नित व्यक्ति द्वारा नियंत्रित संस्था

(क) नालको फाउंडेशन

घ. सरकार जिनके पास नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव हैः

(क) भारत सरकार

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

ङ. संस्थाएँ जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है (सीपीएसई)

वर्ष के दौरान निम्नलिखित सीपीएसई के साथ समूह का प्रमुख व्यावसायिक लेनदेन है।

i) वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय

क) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.

ख) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.

ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.

घ) महानदी कोल फील्ड्स लि.

ङ) नार्दर्न कोल फील्ड्स लि.

च) सिंगरेनी कोलियरीज लि.

छ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

ज) नुमलीगढ़ रिफाइनरी लि.

झ) भारत अर्थमुवर्स लि.

ञ) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि.

ट) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि.

ठ) बामर लॉरी एण्ड कं.

ड) पूर्व तट रेलवे

ढ) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट

ii) वस्तुओं का विक्रय

क) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (एनएसआईसी)

ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.

ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.

घ) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि.

43.2 संबंधित पक्ष के लेनदेन

I. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

राशि करोड़ ₹ में

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
वेतन	3.04	2.78
भविष्य निधि में अंशदान	0.20	0.17
चिकित्सा लाभ	0.01	0.02
अन्य लाभ	0.03	0.03
योग	**3.28**	**3.00**

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से देय ऋण/अग्रिम

विवरण	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा
वर्ष के अंत में बकाया	0.04	0.06
वर्ष के दौरान किसी भी समय सर्वाधिक देय राशि	0.09	0.10

II. रोजगार उपरांत लाभ योजना

वर्ष के दौरान लेनदेन

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ-अंशदान	95.79	92.19
एनईजीजी ट्रस्ट	कमी के लिए निधि प्रदान	8.46	2.05

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

वर्ष के अंत में बकाया शेष

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2017 को यथा	31.03.2016 को यथा
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ अंशदान देय	21.20	23.03
एनईजीजी ट्रस्ट	निधि कमी के लिए देय	3.02	2.30

III.

नालको फाउंडेशन विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
सीएसआर ट्रस्ट में अंशदान	7.00	5.00

IV.

भारत सरकार : वर्ष के दौरान लेनदेन विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
शेयरों की पुनर्खरीद	2835.00	-
अंतिम लाभांश-2015-16	108.11	-
अंतरिम लाभांश-2016-17	403.62	-
अंतिम लाभांश-2014-15	-	104.29
अंतरिम लाभांश-2015-16	-	260.73

V.

सीपीएसई/ सरकारी उपक्रम - वर्ष के दौरान लेनदेन विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय	1392.11	1283.68
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रमों को वस्तुओं की बिक्री	1016.21	892.66
वर्ष के अंत में बकाया शेष **विवरण**	**31.03.2017 को**	**31.03.2016 को**
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय के लिए देय	92.3	74.19
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रमों को वस्तुओं की बिक्री के लिए प्राप्य	0.41	5.31

44. विक्रय हेतु प्रस्ताव (ओएफएस) (तुलन पत्र की तिथि के बाद घटने वाली गतिविधियाँ)

भारत सरकार ने स्टॉक एक्सचेंज प्रणाली के माध्यम से क्रमशः 19 अप्रैल, 2017 एवं 20 अप्रैल, 2017 को गैर-खुदरा निवेशकों को 14 ,24, 55, 941 शेयरों एवं खुदरा निवेशकों को 3, 56, 13, 986 शेयरों की बिक्री की जो मूल कंपनी की प्रदत्त पूंजी का कुल 9.2125% है। ओएफएस के पश्चात ₹ 966.47 करोड़ की कुल प्रदत्त पूंजी में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित कुल शेयर 74.58% से घटकर 65.36% आ गए हैं।

45. पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनः वर्गीकरण

पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं भी अपेक्षित हों, उन्हें तुलनात्मक बनाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

46.1 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान चिह्नित त्रुटियों का संशोधन

46.1.1. 31 मार्च, 2016 एवं 01 अप्रैल, 2015 को तुलन पत्र में त्रुटि संशोधन के लिए समायोजन

विवरण	31.03.2016 को यथा			31.03.2015 को यथा		
	पूर्ववर्ती जीएएपी (की गई रिपोर्ट के अनुसार)	पूर्व अवधि की त्रुटियों के लिए समायोजन	संशोधित पूर्ववर्ती जीएएपी शेष	पूर्ववर्ती जीएएपी (की गई रिपोर्ट के अनुसार)	पूर्व अवधि की त्रुटियों के लिए समायोजन	संशोधित पूर्ववर्ती जीएएपी शेष
1. गैर चालू परिसंपत्तियाँ						
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	6,328.90	1.01	6,329.91	6,509.21	(1.22)	6,507.99
(ii) चालू पूंजीगत कार्य	662.14	1.39	663.53	550.01	(0.42)	549.59
(iii) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	138.61	-	138.61	136.21	-	136.21
(iv) विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
(v) वित्तीय परिसंपत्तियाँ:-						
1. निवेश:-						
(क) सहयोगियों में निवेश	-	-	-	-	-	-
(ख) संयुक्त उद्यमों में निवेश	-	-	-	-	-	-
(ग) अन्य निवेश	810.03	-	810.03	0.03	-	0.03
II. व्यापार प्राप्य	-	-	-		-	-
III. ऋण	1,347.55	-	1,347.55	1,221.85	-	1,221.85
IV. अन्य परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
(vi) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	49.48	-	49.48	47.45	-	47.45
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	9,336.71	2.40	9,339.11	8,464.76	(1.64)	8,463.12
II. चालू परिसंपत्तियाँ						
(i) मालसूचियाँ	1,126.97	-	1,126.97	1,165.56	-	1,165.56
(ii) वित्तीय परिसंपत्तियाँ:-		-	-			
क. अन्य निवेश	66.00	-	66.00	950.00	-	950.00
ख. व्यापार प्राप्य	235.21	-	235.21	120.82		120.82
ग. नकद एवं नकद समतुल्य	4,944.11	-	4,944.11	4,628.79	-	4,628.79
घ. नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष		-	-	-	-	-
ङ. ऋण	586.68	-	586.68	607.54	-	607.54
च. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		-	-		-	-
(iii) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	233.68	(1.58)	232.10	240.33	1.30	241.63
कुल चालू परिसंपत्तियाँ	7,192.65	(1.58)	7,191.07	7,713.04	1.30	7,714.34
कुल परिसंपत्तियाँ	16,529.36	0.82	16,530.18	16,177.80	(0.34)	16,177.46

विवरण	पूर्ववर्ती जीएएपी	इण्ड एएस में परिवर्तन का प्रभाव	इण्ड एएस के अनुसार तुलन पत्र	पूर्ववर्ती जीएएपी	इण्ड एएस में परिवर्तन का प्रभाव	इण्ड एएस के अनुसार तुलन पत्र
क. इक्विटी						
(i) शेयर पूंजी	1,288.62	-	1,288.62	1,288.62	-	1,288.62
(ii) आरक्षित निधि एवं अधिशेष	11,627.88	1.90	11,629.78	11,508.80	(54.15)	11,454.65
कुल इक्विटी (पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत शेयरधारकों की निधियाँ)	12,916.50	1.90	12,918.40	12,797.42	(54.15)	12,743.27

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	पूर्ववर्ती जीएएपी	इण्ड एएस में परिवर्तन का प्रभाव	इण्ड एएस तुलन पत्र के अनुसार	पूर्ववर्ती जीएएपी	इण्ड एएस में परिवर्तन का प्रभाव	इण्ड एएस तुलन पत्र के अनुसार
ख. गैर चालू देयताएँ						-
(i) वित्तीय देयताएँ						-
क. व्यापार देय	-	-	-	-	-	-
ख. अन्य वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-
(ii) प्रावधान	223.72	-	223.72	242.76		242.76
(iii) आस्थगित कर देयताएँ	1,110.09	-	1,110.09	1,105.27	(12.85)	1,092.42
(iv) अन्य गैर-चालू देयताएँ	69.47	-	69.47	65.30	-	65.30
कुल गैर-चालू देयताएँ	1,403.28	-	1,403.28	1,413.33	(12.85)	1,400.48
C. चालू देयताएँ						
(i) वित्तीय देयताएँ						
क. उधार		-	-		-	-
ख. व्यापार देय	581.38	(1.08)	580.30	440.18	1.08	441.26
ग. अन्य वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-
(ii) प्रावधान	277.43	-	277.43	186.22	65.58	251.80
(iii) अन्य चालू देयताएँ	1,350.77	-	1,350.77	1,340.65	-	1,340.65
कुल चालू देयताएँ	2,209.58	(1.08)	2,208.50	1,967.05	66.66	2,033.71
कुल देयताएँ	3,612.86	(1.08)	3,611.78	3,380.38	53.81	3,434.19
कुल इक्विटी एवं देयताएँ	16,529.36	0.82	16,530.18	16,177.80	(0.34)	16,177.46

46.1.2 **31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में त्रुटि संशोधन हेतु समायोजन**

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		
	पूर्ववर्ती जीएएपी	इण्ड एएस में परिवर्तन का प्रभाव	संशोधित पूर्ववर्ती जीएएपी
प्रचालनों से राजस्व	6,816.00	-	6,816.00
अन्य आय	536.64	(1.23)	535.41
कुल आय (क)	7,352.64	(1.23)	7,351.41
कच्चे माल की खपत	1,104.40	-	1,104.40
विद्युत और ईंधन की खपत	1,864.61	-	1,864.61
तैयार वस्तुओं और चल रहे कार्य के स्टॉक में परिवर्तन	(8.99)	-	(8.99)
कर्मचारी लाभ व्यय	1,361.37	-	1,361.37
वित्त लागत	1.21	-	1.21
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	424.09	(0.53)	423.56
उत्पाद शुल्क	-	-	-
अन्य व्यय	1,556.60	(2.18)	1,554.42
कुल व्यय (ख)	6,303.29	(2.71)	6,300.58
अपवादिक मंदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (ङ=क-ख+ग+घ)	1,049.35	1.48	1,050.83
अपवादिक मदें (च)	(53.45)	-	(53.45)
कर पूर्व लाभ/(हानि) (छ=ङ-च)	1,102.80	1.48	1,104.28
कर व्यय			
(1) चालू कर			
क. चालू कर	375.62	0.02	375.64
ख. पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर	4.82	-	4.82
(2) आस्थगित कर	(8.67)	-	(8.67)
कुल कर (ज)	371.77	0.02	371.79
वर्ष के लिए लाभ (छ-ज)	731.03	1.46	732.49

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

46.2.1 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 को तुलन पत्र में इण्ड एएस अंगीकरण का प्रभाव

	31.03.2016 को यथा			31.03.2015 को यथा		
विवरण	संशोधित पूर्ववर्ती जीएएपी शेष	इण्ड एएस में परिवर्तन का प्रभाव	इण्ड एएस तुलन पत्र के अनुसार	संशोधित पूर्ववर्ती जीएएपी शेष	इण्ड एएस में परिवर्तन का प्रभाव	इण्ड एएस तुलन पत्र के अनुसार
I. गैर-चालू परिसंपत्तियाँ						
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	6,329.91	127.16	6,457.07	6,507.99	80.66	6,588.65
(ii) चालू पूंजीगत कार्य	663.53	(7.23)	656.30	549.59	(3.47)	546.12
(iii) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	138.61	-	138.61	136.21	-	136.21
(iv) विकास के अंतर्गत अमूर्त-परिसंपत्तियाँ	-	31.40	31.40	-	3.18	3.18
(v) वित्तीय परिसंपत्तियाँ:-						
I. निवेश:-						
(क) सहयोगियों में निवेश	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01
(ख) संयुक्त उद्यमों में निवेश	-	1.21	1.21	-	1.12	1.12
(ग) अन्य निवेश	810.03	133.28	943.31	1.04	(1.01)	0.03
II. व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-
III. ऋण	1,347.55	(1,240.22)	107.33	1,221.85	(1,114.50)	107.35
IV. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	8.04	8.04	-	5.99	5.99
(vi) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	49.48	973.95	1,023.43	47.45	838.04	885.49
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	9,339.11	27.60	9,366.71	8,464.13	(189.98)	8,274.15
II. चालू परिसंपत्तियाँ						
(i) मालसूचियाँ	1,126.97	(71.96)	1,055.01	1,165.56	(62.20)	1,103.36
(ii) वित्तीय परिसंपत्तियाँ:-		-				
क. अन्य निवेश	66.00	-	66.00	950.00	71.06	1,021.06
ख. व्यापार प्राप्य	235.21	-	235.21	120.82	-	120.82
ग. नकद एवं नकद समतुल्य	4,944.11	(4,289.69)	654.42	4,627.98	(4,624.30)	3.68
घ. नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष	-	4,448.73	4,448.73	-	4,797.30	4,797.30
ङ. ऋण	586.68	(556.48)	30.20	607.54	(568.93)	38.61
च. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	156.74	156.74	-	156.51	156.51
(iii) चालू कर परिसंपत्तियाँ		102.92	102.92		127.77	127.77
(iv) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	232.10	362.32	594.42	241.63	366.83	608.46
कुल चालू परिसंपत्तियाँ	7,191.07	152.58	7,343.65	7,713.53	264.04	7,977.57
कुल परिसंपत्तियाँ	16,530.18	180.18	16,710.36	16,177.66	74.06	16,251.72
विवरण	संशोधित पूर्ववर्ती जीएएपी शेष	इण्ड एएस में परिवर्तन का प्रभाव	इण्ड एएस तुलन पत्र के अनुसार	संशोधित पूर्ववर्ती जीएएपी शेष	इण्ड एएस में परिवर्तन का प्रभाव	इण्ड एएस तुलन पत्र के अनुसार
क. इक्विटी						
(i) शेयर पूंजी	1,288.62	-	1,288.62	1,288.62	-	1,288.62
(ii) आरक्षित निधि एवं अधिशेष	11,629.78	276.52	11,906.30	11,454.65	180.46	11,635.11
कुल इक्विटी (पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत शेयरधारकों की निधियाँ)	12,918.40	276.52	13,194.92	12,743.27	180.46	12,923.73

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

विवरण				संशोधित पूर्ववर्ती जीएएपी शेष	इण्ड एएस में परिवर्तन का प्रभाव	इण्ड एएस तुलन पत्र के अनुसार	संशोधित पूर्ववर्ती जीएएपी शेष	इण्ड एएस में परिवर्तन का प्रभाव	इण्ड एएस तुलन पत्र के अनुसार
ख.	गैर चालू देयताएँ								
	(i)	वित्तीय देयताएँ							
		क.	व्यापार देय	-	16.30	16.30	-	19.82	19.82
		ख.	अन्य वित्तीय देयताएँ	-	1.58	1.58	-	3.07	3.07
	(ii)	प्रावधान		223.72	77.40	301.12	242.76	82.72	325.48
	(iii)	आस्थगित कर देयताएँ		1,110.09	54.02	1,164.11	1,092.42	22.87	1,115.29
	(iv)	अन्य गैर चालू देयताएँ		69.47	(19.09)	50.38	65.30	(22.88)	42.42
	कुल गैर-चालू देयताएँ			1,403.28	130.21	1,533.49	1,400.48	105.60	1,506.08
ग.	चालू देयताएँ								
	(i)	वित्तीय देयताएँ							
		क.	उधार		-	-		-	-
		ख.	व्यापार देय	580.30	59.26	639.56	441.26	125.31	566.57
		ग.	अन्य वित्तीय देयताएँ	-	402.35	402.35	-	475.27	475.27
	(ii)	प्रावधान		277.43	(190.28)	87.15	251.80	(164.49)	87.31
	(iii)	अन्य चालू देयताएँ		1,350.77	(497.88)	852.89	1,340.65	(647.89)	692.76
	कुल चालू देयताएँ			2,208.50	(226.55)	1,981.95	2,033.71	(211.80)	1,821.91
	कुल देयताएँ			3,611.78	(96.34)	3,515.44	3,434.19	(106.20)	3,327.99
	कुल इक्विटी एवं देयताएँ			16,530.18	180.18	16,710.36	16,177.46	74.26	16,251.72

46.2.2 31 मार्च, 2016 एवं 1 अप्रैल, 2015 को कुल इक्विटी का पुनर्मिलान

विवरण	31.03.2016 को यथा	31.03.2015 को यथा
पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत कुल इक्विटी (शेयरधारकों की निधि)	12,918.40	12,743.27
इण्ड एएस के अन्तर्गत घोषित नहीं किए जाने तक लाभांश और इसके कर जो देयता के रूप में स्वीकृत नहीं हुए	232.64	154.63
अन्य निवेशों पर सही मूल्य का प्रभाव	74.48	71.05
अन्य निवेशों के सही मूल्य पर कर का प्रभाव	(25.78)	(24.59)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में पूंजीकृत विखंडनीय लागत पर मूल्यह्रास	(0.17)	(1.05)
विखंडनीय देयताओं के लिए प्रावधान पर ब्याज प्रदान	(1.39)	(12.74)
पूंजीकृत विखंडनीय देयता पर कर का प्रभाव (वैचारिक लागत)	0.48	(1.12)
कानूनी एवं रचनात्मक दायित्वों के लिए प्रावधान	(0.67)	(8.21)
रचनात्यक दायित्व के लिए प्रावधान पर कर का प्रभाव	0.23	2.85
सरकारी अनुदान से संबंधित आस्थगित आय में अंतरित राशि	-	(0.36)
अग्रेषण संविदाओं से प्रीमियम	0.92	-
दीर्घमियादी निवेश के विमोचन पर सही मूल्य में लाभ/हानि की वसूली	(12.26)	-
कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय प्रदान	6.56	-
अन्य व्यापक आय में पुनःवर्गीकृत उपदान के लिए प्रावधान के पुनःवर्गीकरण का प्रभाव	(19.12)	-
अन्य व्यापक आय में पुनःवर्गीकृत पीआरएमबी के लिए प्रावधान के पुनःवर्गीकरण का प्रभाव	(2.68)	-
अन्य व्यापक आय में सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान के पुनःवर्गीकरण का प्रभाव	(8.61)	-
कर्मचारी ऋण के बाबत पूर्वदत्त व्यय का परिशोधन	(6.56)	-
पूर्वदत्त पट्टा प्रीमियम में पट्टेवाली भूमि के पुनःवर्गीकरण के कारण मूल्यह्रास लागत में कमी	5.09	-
पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रयुक्त प्रमुख कलपूर्जों के कारण मूल्यह्रास लागत में वृद्धि	(7.48)	-
प्रमुख बीमा पुर्जों के लिए लाभ या हानि में प्रभारित व्यय का उत्क्रमण	59.08	-
अचल बीमा पुर्जों को बट्टे खाते में डालना	2.38	-
पट्टेवाली भूमि के लिए पट्टे किराए का परिशोधन	(5.09)	-
अन्य समायोजन	(2.18)	
उपर्युक्त समायोजन पर कर का प्रभाव	(4.73)	-
इक्विटी में कुल समायोजन	285.15	180.46
इण्ड एएस के अंतर्गत कुल इक्विटी	13,194.92	12,923.73

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

46.2.3 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में इण्ड एएस अंगीकरण का प्रभाव

विवरण			31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		
			संशोधित पूर्ववर्ती जीएएपी	इण्ड एएस में परिवर्तन का प्रभाव	इण्ड एएस के अनुसार
प्रचालनों से राजस्व			6,816.00	453.23	7,269.23
अन्य आय			535.41	69.72	605.13
कुल आय (क)			7,351.41	522.95	7,874.36
कच्चे माल की खपत			1,104.40		1,104.41
विद्युत एवं ईंधन की खपत			1,864.61	-	1,864.61
तैयार वस्तुओं और चल रहे कार्य के स्टॉक में परिवर्तन			(8.99)	-	(8.99)
कर्मचारी लाभ व्यय			1,361.37	36.97	1,398.33
वित्त लागत			1.21	2.06	3.27
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय			423.56	2.56	426.12
उत्पाद शुल्क			-	452.27	452.27
अन्य व्यय			1,554.42	(55.28)	1,499.14
कर व्यय (ख)			6,300.58	438.58	6,739.16
अपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (ङ=क-ख+ग+घ)			1,050.83	84.37	1,135.20
अपवादिक मदें (च)			(53.45)	-	(53.45)
संयुक्त उद्यमों के लाभ /हानि) का अंश			-	0.05	0.05
कर पूर्व लाभ/(हानि) (छ=ङ-च)			**1,104.28**	**84.42**	**1,188.70**
कुल व्यय					
(I)	चालू कर				
	क.	चालू कर	375.64	(0.04)	375.60
	ख.	पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित चालू कर	(8.67)	-	(8.67)
(2)	आस्थगित कर		4.82	29.79	34.61
कुल कर (ज)			371.79	29.75	401.54
वर्ष के लिए लाभ (छ-ज)			732.49	54.67	787.16

विवरण			31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		
			पूर्ववर्ती जीएएपी	इण्ड एएस में परिवर्तन का प्रभाव	इण्ड एएस तुलन पत्र के अनुसार
अन्य व्यापक आय					
I.	**मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी**				
	क)	परिभाषित लाभ योजना का पुनःमापन	-	41.06	41.06
	ख)	उन मदों से संबंधित आय कर जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किये जाएंगे	-	14.21	14.21
			-	**26.85**	**26.85**
	कुल अन्य व्यापक आय [क(i-ii)+ख(i-ii)]		**732.49**	**81.52**	**814.01**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

46.2.4 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय का पुनर्मिलान

विवरण			ब्यौरे	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार संशोधित लाभ				732.49
समायोजन :				
i.	अन्य आय में समायोजन:			
	क)	अग्रेषण संविदाओं से प्रीमियम	0.92	
	ख)	दीर्घमियादी निवेश के विमोचन पर सही मूल्य लाभ/हानि की वसूली	(12.26)	
	ग)	कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय प्रदान	6.56	
	घ)	अन्य निवेशों पर सही मूल्य लाभ/हानि	74.48	69.70
ii.	कर्मचारी लाभ व्यय में समायोजन :			
	क)	अन्य व्यापक आय में पुनःवर्गीकृत उपदान के लिए प्रावधान के पुनःवर्गीकरण का प्रभाव	(19.12)	
	ख)	अन्य व्यापक आय में पुनःवर्गीकृत पीआरएमबी के लिए प्रावधान के पुनःवर्गीकरण का प्रभाव	(2.68)	
	ग)	अन्य व्यापक आय में सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान के पुनःवर्गीकरण का प्रभाव	(8.61)	
	घ)	कर्मचारी ऋणों की बाबत पूर्वदत्त व्यय का परिशोधन	(6.56)	(36.97)
iii.	वित्त लागत में समायोजन:			
	क)	विखंडनीय देयताओं पर ब्याज लागत प्रदान	(1.39)	
	ख)	रचनात्मक दायित्व पर ब्याज लागत प्रदान	(0.67)	(2.06)
iv.	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय में समायोजन:			
	क)	पूर्वदत्त पट्टा प्रीमियम में पट्टे वाली भूमि के पुनःवर्गीकरण के कारण मूल्यह्रास लागत में कमी	5.09	
	ख)	विखंडनीय लागत में पूंजीकरण के कारण मूल्यह्रास लागत में वृद्धि	(0.17)	
	ग)	पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रयुक्त प्रमुख कलपूर्जों के कारण मूल्यह्रास लागत में वृद्धि	(7.48)	(2.56)
v.	अन्य व्यय में समायोजन:			
	क)	प्रमुख बीमा पूर्जों की बाबत लाभ या हानि में प्रभारित व्यय का उत्क्रमण	59.08	
	ख)	अचल बीमा पुर्जों को बट्टे खाते में डालना	2.38	
	ग)	पट्टेवाली भूमि के बाबत पट्टे के किराए का परिशोधन	(5.09)	56.37
vi.	अन्य समायोजन :			-
vii.	कर व्यय पर प्रभाव			
	क)	समायोजनों पर कर प्रदान	(29.81)	(29.81)
इण्ड एएस में परिवर्तन का का प्रभाव				54.67
इण्ड एएस के अनुसार वर्ष के लिए लाभ				787.16
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर छोड़कर)				26.85
इण्ड एएस के अंतर्गत कुल व्यापक आय				814.01

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

46.2.5 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह के विवरण पर इण्ड एएस अंगीकरण का प्रभाव

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		
	संशोधित पूर्ववर्ती जीएएपी	इण्ड एएस में परिवर्तन का प्रभाव	इण्ड एएस तुलनपत्र के अनुसार
प्रचालन कार्यों से निवल नकद प्रवाह	845.24	35.57	880.81
निवेश कार्यों से निवल नकद प्रवाह	5.66	308.30	313.96
वित्त कार्यों से निवल नकद प्रवाह	(543.95)	-	(544.03)
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	306.95	343.87	650.74
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य	4,627.98	(4,624.30)	3.68
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य	4,934.93	(4,280.43)	654.42

46.2.6 इण्ड एएस के अंतर्गत नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य हेतु 31 मार्च, 2016 एवं 1 अप्रैल, 2015 को नकद एवं नकद समतुल्य का विश्लेषण

विवरण	31.03.2016 को यथा	31.03.2015 को यथा
पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य हेतु नकद एवं नकद समतुल्य	4,934.93	4,627.98
नकद एवं नकद समतुल्य को छोड़कर बैंक शेष में पुनःवर्गीकरण	(4,280.51)	(4,624.30)
इण्ड एएस के अनुसार नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य हेतु नकद एवं नकद समतुल्य	**654.42**	**3.68**

(क) इण्ड एएस आंकड़ों की शर्तों के अनुसार बेहतर प्रस्तुतीकरण के लिए आईजीएएपी शेषों के साथ आँकड़ों में पुनःवर्गीकरण प्रविष्टि दर्ज की गई है। तथापि कोई समायोजन प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई है, जो समूह के वर्ष के लिए कुल इक्विटी या लाभ को प्रभावित कर सकता है।

47. अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अनुसार अतिरिक्त सूचना का प्रकटन:

(a) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को एवं के लिए

समूह में संस्था का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ अर्थात कुल देयताएँ निकालकर कुल परिसंपत्तियाँ		लाभ एवं हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि
सहयोगियों (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
नालको पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीआईएल)	0.00%	0.06	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
संयुक्त उद्यम (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	0.27%	27.19	0.05%	0.31	0.00%	0.00	0.05%	0.31
जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	0.25%	25.30	(0.30%)	(2.02)	0.00%	0.00	(0.30%)	-2.02
योग	0.51%	52.54	(0.00)	(1.71)	-	-	(0.00)	(1.71)

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

(ख) 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए एवं को

समूह में संस्था का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ अर्थात कुल देयताएँ निकालकर कुल परिसंपत्तियाँ		लाभ एवं हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि
सहयोगियों (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
नालको पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीआईएल)	0.0%	0.06	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00
संयुक्त उद्यम (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	0.10%	12.64	0.02%	0.19	0.00%	0.00	0.02%	0.19
जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	0.00%	(0.38)	(0.06%)	(0.478)	0.00%	-	(0.06%)	(0.48)
योग	0.09%	12.31	(0.00)	(0.29)	-	-	(0.00)	(0.29)

48. सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों की प्रमुख विशेषताएँ

सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण
की प्रमुख विशेषताओं से संलग्न विवरण (फॉर्म एओसी-1)

भाग "ख": सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण

	सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों के नाम	सहयोगी	संयुक्त उद्यम	
		एनपीसीआइएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.	जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
1.	**अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि**	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017
2.	**वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/ संयुक्त उद्यमों के शेयर**			
	सं.	26,000	9,80,000	20,00,000
	सहयोगियों/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹)	2,60,000	98,00,000	2,00,00,000
	धारिता का %	26.00%	49.00%	40.00%
3.	**विवरण कि किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव है**	[टिप्पणी 48.2 देखें]	[टिप्पणी 48.2 देखें]	[टिप्पणी 48.2 देखें]
4.	**कारण कि क्यों सहयोगी/संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किया गया है**	-	-	-
5.	**आरोप्य निवल संपत्ति (₹)**	1,45,061	13,32,18,995	10,11,91,200
6.	**वर्ष के लिए लाभ /(हानि) (₹)**			
	i. समेकन में विवेचित	577	14,94,928	(80,77,200)
	ii. समेकन में अविवेचित	-	-	-

48.1 किसी भी सहयोगी या संयुक्त उद्यम ने प्रचालन शुरु नहीं किया है।

48.2 धारित इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार वोटिंग अधिकार।

5 वर्षों का कार्य-निष्पादन एक नजर में - वास्तिवक

क्रम सं.	विवरण	एकक	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
1	**उत्पादन**						
	बॉक्साइट	मे.ट.	68,25,000	63,40,142	57,39,120	62,92,677	54,19,391
	एल्यूमिना हाईड्रेट	मे.ट.	21,00,100	19,53,000	18,51,000	19,25,000	18,02,000
	एल्यूमिनियम	मे.ट.	3,87,422	3,72,183	3,27,070	3,16,492	4,03,384
	विद्युत (शद्ध)	मि.यू.	6,066	5,841	5,131	4,989	6,075
	पवन विद्युत	मि.यू.	198	151	175	144	13
2	**निर्यात बिक्री:**						
	एल्यूमिना	मे.ट.	12,43,103	11,74,224	11,84,595	13,09,473	9,44,117
	एल्यूमिनियम	मे.ट.	1,00,591	94,671	60,752	1,01,243	1,44,161
3	**देशीय बिक्री:**						
	एल्यूमिना, हाईड्रेट और अन्य रसायन	मे.ट.	51,797	45,702	40,048	33,288	40,605
	एल्यूमिनियम	मे.ट.	2,84,926	2,77,753	2,65,327	2,18,420	2,58,941
	विद्युत (शुद्ध)	मि.यू.	30	31	28	27	26
	पवन विद्युत	मि.यू.	198	151	175	144	13

5 वर्षों का कार्य-निष्पादन एक नजर में - वित्तीय

(₹ करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
क	**आय का विवरण:**					
1	निर्यात	3,625	3,247	3,307	3,719	3,410
2	देशीय बिक्री	4,308	3,910	4,464	3,305	3,837
3	सकल बिक्री (1+2)	7,933	7,157	7,771	7,024	7,247
4	घटाएँ : उत्पाद शुल्क	495	454	509	375	438
5	निवल बिक्री (3 - 4)	7,438	6,703	7,262	6,649	6,809
6	अन्य आय :					
7	प्रचालनगत	117	113	121	132	107
8	गैर-प्रचालनगत	408	537	673	558	511
9	प्रचालन व्यय	6,476	5,879	5,677	5,847	6,010
10	प्रचालन लाभ (5+7-9)	1,080	937	1,706	934	906
11	अपवादिक मद	40	(54)	(148)	49	–
12	ब्याज, मल्यहास एवं कर पूर्व आय (ईबीआईडीटी)(10+8 -11)	1,448	1,528	2,527	1,443	1,417
13	ब्याज एवं वित्तपोषण प्रभार	3	1	–	–	7
14	मूल्यह्रास एवं कर पूर्व आय (ईबीडीटी) (12-13)	1,445	1,527	2,527	1,443	1,410
15	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	480	424	414	525	505
16	कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (14-15)	965	1,103	2,113	918	905
17	कर के लिए प्रावधान	296	372	791	276	312
18	शुद्ध लाभ (पीएटी) (16 - 17)	669	731	1,322	642	593
ख	**तुलन-पत्र :**					
19	इक्विटी पूँजी	966	1,289	1,289	1,289	1,289
20	आरक्षित एवं अधिशेष	9,239	11,618	11,508	10,834	10,644
21	निवल मूल्य (19+20)	10,206	12,907	12,797	12,122	11,933
22	ऋण	–	–	–	–	–
23	निवल अचल परिसंपत्तियाँ	7,019	6,468	6,645	6,792	6,629
24	कार्यकारी पूँजी	2,365	5,625	5,501	3,949	3,411
25	नियोजित पूँजी (23+24)	9,384	12,093	12,146	10,741	10,040
ग	**अनुपात :**					
26	प्रचालन लाभ अंतर (ओपीएम) (%) (10 / 5*100)	14.51	13.98	23.50	14.05	13.31
27	निवल लाभ अंतर (%) (18 / 5 *100)	8.99	10.91	18.21	9.65	8.71
28	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर.ओ.सी.ई.) (%) (18/25*100)	7.12	6.04	10.89	5.98	5.91
29	निवल मूल्य पर प्रतिफल (आरओएनडब्ल्यू)(%) (18/21*100)	6.55	5.66	10.33	5.29	4.97
घ	**अन्य :**					
30	₹ 5 प्रत्येक का प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)	52.80	50.08	49.65	47.04	46.30
31	प्रति शेयर आय (₹ में)	2.98	2.84	5.13	2.49	2.30
32	प्रति शेयर लाभांश (₹ में)	2.80	2.00	1.75	1.50	1.25

टिप्पणी: वर्ष 2015-16 के लिए, आँकड़े पहले रिपोर्ट किए गए अनुसार निवर्तमान **जीएएपी** के अनुसार हैं।

वर्ष 2016-17 के लिए प्रकाशित तिमाही (पुनरीक्षित) वित्तीय परिणाम एवं वार्षिक (लेखापरीक्षित) वित्तीय परिणामों का पुनर्मिलान

(क्रम सं. 11 एवं 12 के अलावा करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	प्रथम तिमाही (पुनरीक्षित)	द्वितीय तिमाही (पुनरीक्षित)	तृतीय तिमाही (पुनरीक्षित)	चतुर्थ तिमाही (पुनरीक्षित)	चारों तिमाहियों का योग	पूर्ण वर्ष (लेखा-परीक्षित)	अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रचालनों से राजस्व (सकल)	1,666.11	1,846.07	1,988.13	2,549.71	8,050.02	8,050.02	–
2	अन्य आय	133.61	136.85	75.85	61.96	408.27	408.27	–
3	मूल्यह्रास को छोड़कर कुल व्यय	1,472.03	1,674.31	1,703.49	2,123.23	6,973.06	6,973.06	–
4	मूल्यह्रास एवं प्रावधान	118.79	135.28	117.68	108.61	480.36	480.36	–
5	कर पूर्व लाभ एवं अपवादिक मदें	208.90	173.33	242.81	379.83	1004.87	1004.87	–
6	अपवादिक मदें	–	–	37.13	3.02	40.15	40.15	–
7	कर पूर्व लाभ	208.90	173.33	205.68	376.81	964.72	964.72	–
8	कर के लिए प्रावधान	73.89	52.10	61.76	108.44	296.19	296.19	–
9	शुद्ध लाभ (पीएटी)	135.01	121.23	143.92	268.37	668.53	668.53	–
10	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी	1,288.62	966.46	966.46	966.46	966.46	966.46	–
11	प्रति शेयर आय (₹) (वार्षिकीकृत नहीं)	0.52	0.63	0.74	1.39	3.28	2.98	–
12	गैर-प्रोमोटर शेयधारिता का कुल योग:							
	शेयरों की संख्या	49,14,55,890	49,14,46,394	49,14,46,394	49,14,46,394	49,14,46,394	49,14,46,394	
	शेयरधारण का प्रतिशत	19.07	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	

टिप्पणी : वार्षिक प्रति शेयर आय वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान शेयरधारण की औसत संख्या के भार पर आधारित है।

नालको के विभिन्न उत्पादन एकक
उनकी अवस्थिति और उत्पादन क्षमता

1.	बॉक्साइट खान	पंचपटमाली	68,25,000 टन प्रतिवर्ष
2.	एल्यूमिना परिशोधक	दामनजोड़ी	22,75,000 टन प्रतिवर्ष*
3.	प्रद्रावक संयंत्र	अनुगुळ	4,60,000 टन प्रतिवर्ष
4.	ग्रहीत विद्युत संयंत्र	अनुगुळ	1,200 मेगावाट
5.	पत्तन सुविधाएँ	विशाखापटणम्	14,00,000 टन प्रतिवर्ष (एल्यूमिना निर्यात / कास्टिक सोड़ा घोल आयात)
6.	पवन विद्युत	गण्डीकोटा, आन्ध्र प्रदेश	50.4 मेगावाट
		लुडर्वा, जैसलमेर, राजस्थान	47.6 मेगावाट
		देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान	50.0 मेगावाट
		सांगली, महाराष्ट्र	50.4 मेगावाट

*21,00,000 टन प्रतिवर्ष (मानक क्षमता)

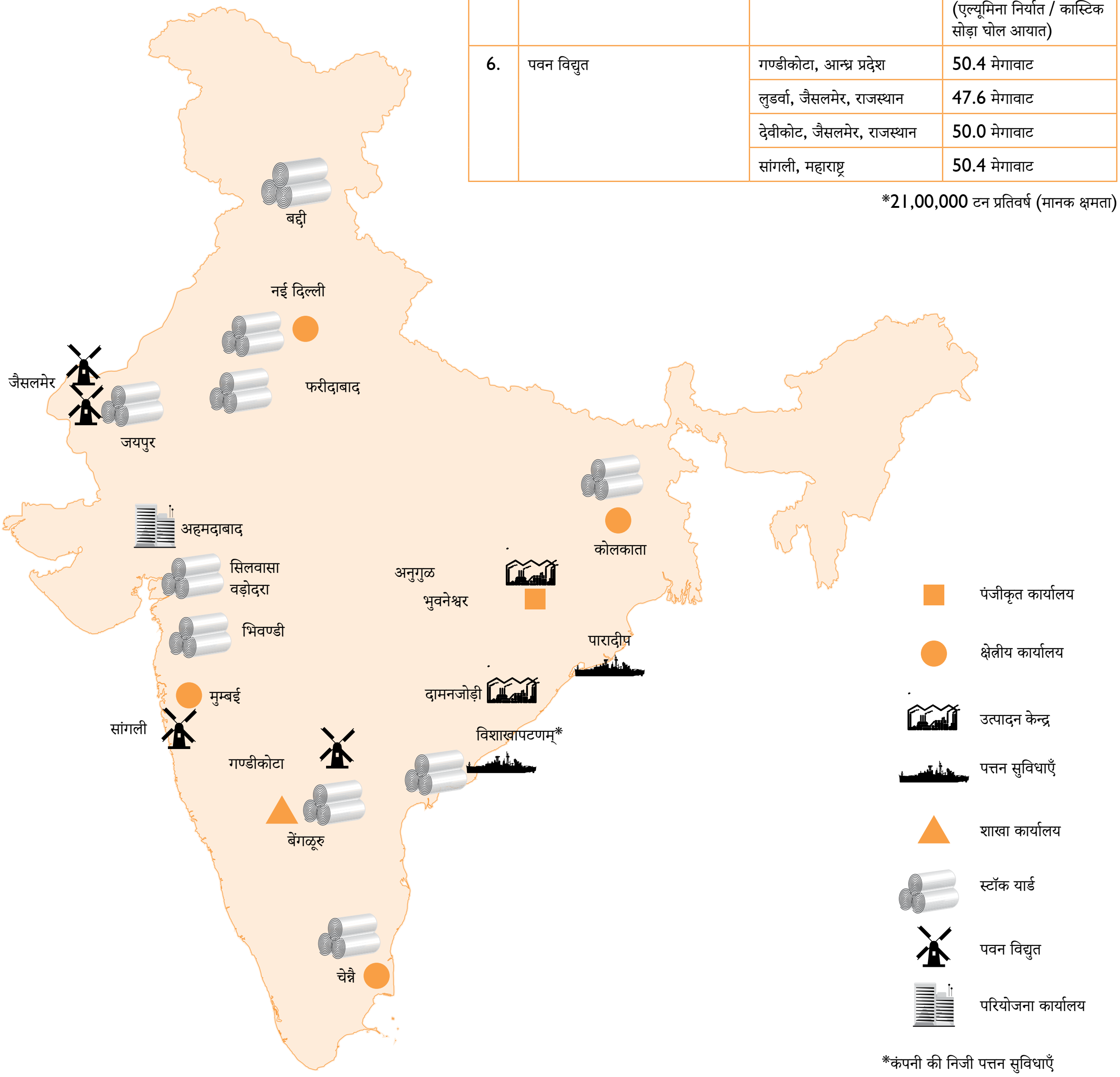

कार्यालय एवं ग्राहक संपर्क केंद्र

पंजीकृत एवं निगम कार्यालय

नालको भवन

प्लॉट सं.पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर-751 013 (ओड़िशा)
फोन : 0674-2301988 से 2301999
फैक्स : 0674-2300550/2300470/2300521/2300640

एकक

1. खान एवं परिशोधक

खान एवं परिशोधन संकुल
दामनजोड़ी - 763 008
जिला. : कोरापुट (ओड़िशा)
फोन : 06853-254515/254550/254251
फैक्स : 06853-254361/254214

2. ग्रहीत विद्युत संयंत्र

जिला. : अनुगुळ (ओड़िशा)
पिन : 759 122
दूरभाष : 06764-220158
फैक्स : 06764-220646

3. प्रद्रावक संयंत्र

नालको नगर - 759 145
जिला. : अनुगुळ (ओड़िशा)
दूरभाष : 06764-220110
फैक्स : 06764-220738/220206

पत्तन सुविधाएँ

विशाखापत्तनम

यस्क संवाहन संकुल के सामने
पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम् - 530 035
आन्ध्र प्रदेश
दूरभाष : 0891-2561433/2561435
फैक्स : 0891-2561598
ई-मेल : gmport@nalcoindia.co.in

पारादीप (बन्दरगाह कार्यालय)

'व्ही' प्वाईट
बड़पड़िआ
पारादीप - 751 142
दूरभाष : 06722-221286
फैक्स : 06722-221286
ई-मेल : nalco_paradeep1@nalcoindia.co.in

क्षेत्रीय कार्यालय

1. पूर्वी क्षेत्र

प्रथम तल, जे के मिलेनियम केन्द्र
46-डी, Chowringhee सड़क,
कोलकाता - 700 071
दूरभाष : 033-662244510-34
फैक्स : 033-22810393/22878936
ई-मेल : rmeast@nalcoindia.co.in

2. पश्चिमी क्षेत्र

215, टी.व्ही॰ इण्डस्ट्रिय एस्टेट
एस.के॰ अहीरे मार्ग, वर्ली, मुम्बई - 400 030
दूरभाष : 022-24939288/89
फैक्स : 022-24950500
ई-मेल : bbsinghbabu@nalcoindia.co.in

3. उत्तरी क्षेत्र

कोर - 4, 5वाँ तल, दक्षिणी टॉवर,
जिला केन्द्र, स्कोप मीनार,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110 092
दूरभाष : 011-22010793-94, 22010801
फैक्स : 011-22010800/22010790/792
ई-मेल : pradyumna.pradhan1@nalcoindia.co.in

4. दक्षिणी क्षेत्र

3ई, सेंचुरी प्लाजा, 560, अन्ना सालई,
तेयनामपेट, चेन्नै-600 018
दूरभाष : 044-24344162/24349157
फैक्स : 044-24343495
ई-मेल : rmsouth@nalcoindia.co.in

शाखा कार्यालय

बेंगळूरु

भूतल, जल भवन, सं. 5 एवं 6,
फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट फेज, बीटीएम लेआऊट,
बानरघट्टा मेन रोड़, बेंगळूरु - 560 029
दूरभाष : 080-26637297/26637083/26637084
फैक्स : 080-26530148
ई-मेल : nalbir@nalcoindia.co.in

भण्डार परिसर

1. भिवण्डि

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- एन.एस.आई.सी. लिमिटेड, गोदाम नम्बर 42/57,
इण्डियन कोर्पोरेशन कंपाउण्ड, मनकोली नाका,
मुम्बई नासिक रोड़, भिवण्डि - 421 302,
जिला: ठाणे, महाराष्ट्र
दूरभाष: 02522-320047

2. कोलकाता

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड
डब्ल्यू.एच.1-सोनापुर रोड़,
कोलकाता - 700 088, पश्चिम बंगाल,
दूरभाष: 033-24506840

3. बेंगळूरु

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- मेसर्स कंटेनर कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
वेयर हाउस नम्बर 3, व्हाइटफील्ड रोड़,
बेंगळूरु - 560 066, कर्णाटक
दूरभाष : 080-28451327/28
फैक्स : 080-28451329

4. जयपुर

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- केंट्रल वेयरहाउसिंग कोर्पोरेशन
सेंट्रल वेयरहाउस, एस.पी.-1296, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया
टोंक रोड़, जयपुर - 302 022, राजस्थान
दूरभाष : 0141-2770226
फैक्स : 0141-2770817

5. सिलवासा

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- एन.एस.आई.सी. लिमिटेड
गोदाम : शालीमार इण्टरप्राइजेस कोर्पोरेशन
80/4, दयात फालिया सड़क,
अमली (पिपरिया), सिलवासा - 396 230
(दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र)
दूरभाष : 0260-2641436

6. फरीदाबाद

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- एन.एस.आई.सी. लिमिटेड
इंडिया गैरेज इक्विपमेंट,
प्लॉट नं. 51, सेक्टर-6
फरीदाबाद, हरियाणा - 121 003
दूरभाष : 0129-4102430

7. विशाखापटणम

शनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
नालको पत्तन सुविधाएँ
पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम् - 530 035
आन्ध्र प्रदेश
दूरभाष : 0891-2721032

8. बद्दी

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- एन.एस.आई.सी. लिमिटेड
गाँव : धरमपुर
पी.ओ. : बद्दी, तहसील : नालागढ़,
जिला. : सोलन - 173205, हिमाचल प्रदेश
दूरभाष : 0179-5657895

9. चेन्नै

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- एन.एस.आई.सी. लिमिटेड,
नाफेड वेयर हाइसिंग कॉम्प्लेक्स, पोन्नियम्मनमेडु पोस्ट, माधवरम्,
चेन्नै - 600 010, तमिलनाडु
दूरभाष : 044-25530310/320/327/433

10. वड़ोदरा

द्वारा- एन.एस.आई.सी. लिमिटेड
गोदाम नम्बर. 1सी/2, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कोर्पोरेशन,
रानोली फ्लाईओवर के निकट, कराचिया,
वड़ोदरा, - 391350, गुजरात
दूरभाष : 0265-2240101

11. नई दिल्ली

द्वारा- एन.एस.आई.सी. लिमिटेड
अपोलो फ्लेज इंडीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्रा. लि॰
खसरा नम्बर 93, गाँव: बमनोली,
पी.ओ.: धुलसिरस, नई दिल्ली-110077
दूरभाष: 011-65356735

इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस मैंडेट फॉर्म

(कृपया सूचना को बड़े अक्षरों में भरें। जहाँ कहीं भी यह लागू हो, कृपया सही का निशान लगाएँ)

1. पंजीकृत फोलियो सं. : | | | | | | | | | | |

2. प्रथम शेयरधारक का नाम: श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री ____

____

3. प्रथम शेयरधारक का पता: ____

____

____

____ पिन कोड | | | | | | |

4. बैंक का विवरण:

बैंक का नाम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

शाखा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

पता | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

शाखा कोड (चैक की एमआईसीआर पट्टी पर दर्शाया गया 9 अंकों का एमआईसीआर कोड): | | | | | | | | | |

(कृपया विधिवत रद्द किया हुआ आपके बैंक का खाली चेक या चेक की फोटो प्रति संलग्न करें)

खाते का प्रकार

एसबी		सीए		सीसी	

खाता संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. जिस तारीख से मैंडेट लागू होना चाहिए :

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए सभी विवरण पूरी तरह से सही एवं पूर्ण हैं। सूचनाओं के अपूर्ण या असत्य होने की वजह से अगर लेनदेन में विलंब हो जाता है या प्रभावी नहीं होता है तो मैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लमिटेड को जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा। अगर मेरे खाते के विवरणों में कोई भी परिवर्तन होता है तो मैं एनईसीएस (क्रेडिट क्लीयरिंग) के जरिए राशि के जमा होने के उद्देश्य के लिए रिकार्ड को अद्यतन करने हेतु उसकी जानकारी भी दूँगा।

स्थान :

दिनांक : शेयरधारक(कों) के हस्ताक्षर

नोट : अगर शेयरधारक खाली चेक की स्व-सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करने की स्थिति में नहीं है, तो इस मामले में नीचे उल्लिखित अनुसार एक प्रमाणपत्र बैंक से लाकर जना करना होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण हमारे रिकार्ड के अनुसार सही हैं।

बैंक की मुहर :

दिनांक: बैंक के अधिकृत कार्मिक का हस्ताक्षर

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013, भारत
दूरभाष. 0674-2300677 / 2301988-99, www.nalcoindia.com

इस पृष्ठ को साभिप्राय रिक्त रखा गया है।

वैश्विक विस्तार

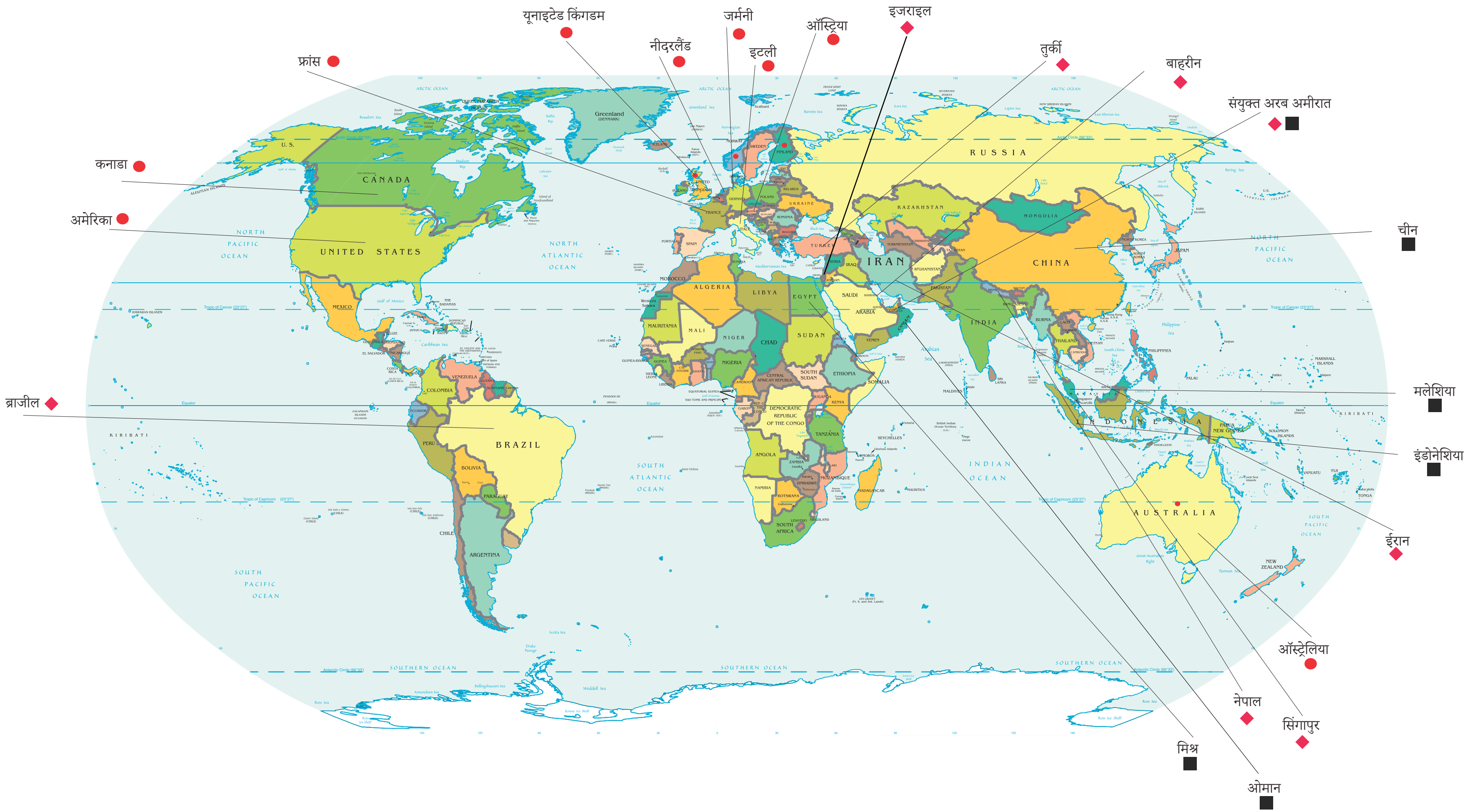

● प्रौद्योगिकी सहयोगी ■ एल्यूमिना निर्यात ◆ एल्यूमिनियम निर्यात

हमारा नया **व्यवसाय** प्रतिमान

साधारण व्यक्ति, असाधारण मनोवृत्ति

नालको NALCO

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

खान मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न लोक उद्यम

(भारत सरकार)

www.nalcoindia.com

CIN - L27203OR1981GOI000920

Designed & Produced by 'SOBHAGYA'/ Thomson Press